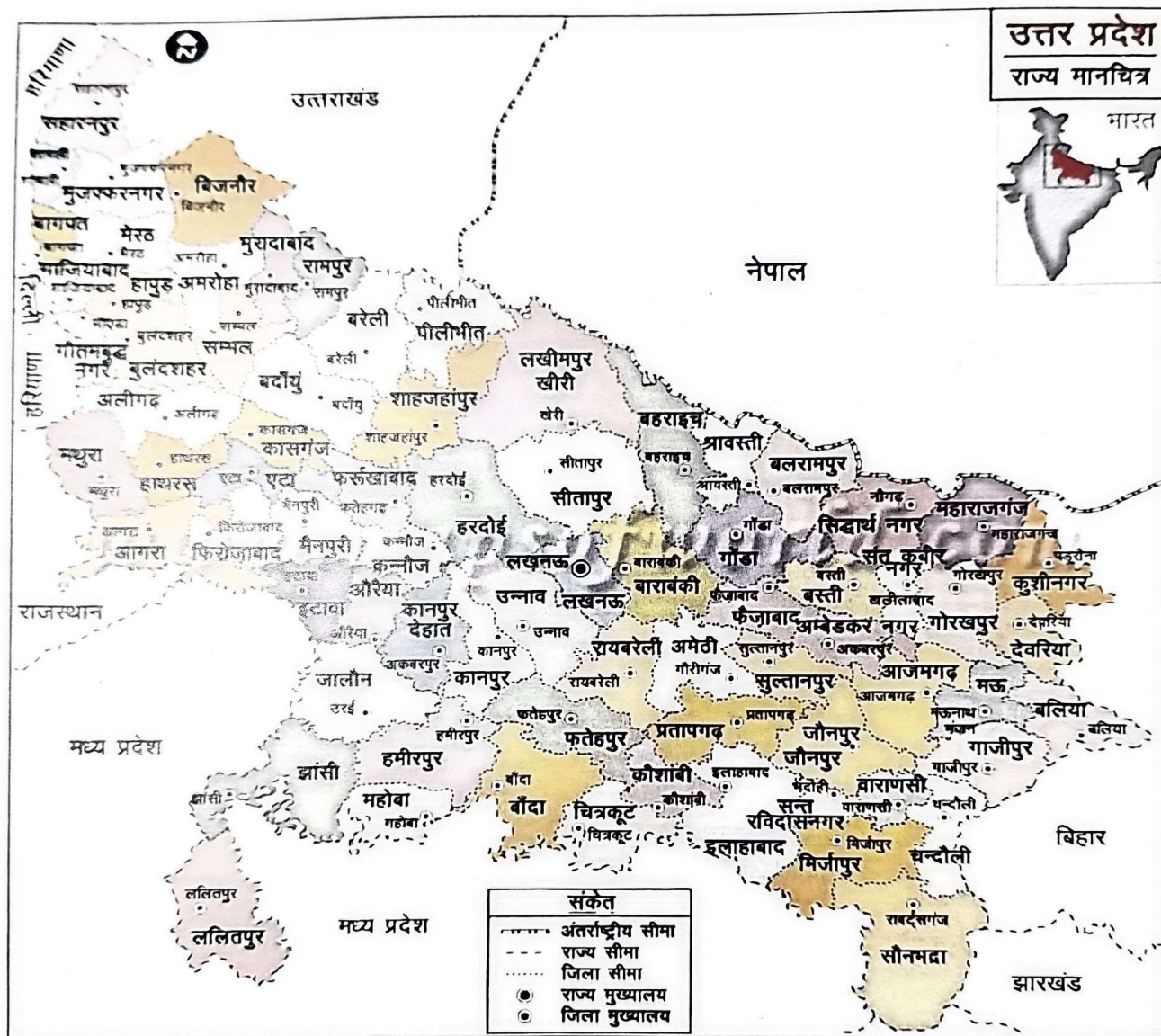


निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021
भाग-5**

जनपद-बांदा

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ-

प्रस्तर संख्या- 1- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत जौरही विकासखण्ड बड़ोखर खुर्द के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अनिल से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 5606934.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0पी0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 5606934.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान सीता तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 2- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत अरबई विकासखण्ड बड़ोखर खुर्द के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अनिल से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1484015.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0पी0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1484015.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सुन्दर तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 3- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत गुरेह विकासखण्ड बड़ोखर खुर्द के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अनिल से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 2903812.00 व्यय दर्शित है। अतः

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 2903812.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती क्रांति तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 4- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत महोखर विकासखण्ड बढोखर खुर्द के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री रफीक मंसूरी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 6140602.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 6140602.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राम सजीवन तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रफीक मंसूरी उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 5- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत नर्जिता विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्रीमती पूजा से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1700507.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1700507.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूजा उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 6- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत गौरी कलौ विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव

श्री आनन्द मोहन से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी०पी०आर०ओ० एवं सम्बन्धित ए०डी०ओ० पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 3033012.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-5790-9/ले०प० दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 3033012.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आनन्द मोहन उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमत: कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 7- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत सिकहुला विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्रीमती पूजा सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी०पी०आर०ओ० एवं सम्बन्धित ए०डी०ओ० पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1815769.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-5790-9/ले०प० दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1815769.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूजा सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमत: कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 8- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत बरेहटा विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री राजकुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी०पी०आर०ओ० एवं सम्बन्धित ए०डी०ओ० पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1998572.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-5790-9/ले०प० दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1998572.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान

श्रीमती उर्मिला तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 9- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत चंदवारा विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अभिनेन्द्र सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 991364.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 991364.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती आकांक्षा सिंह तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिनेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 10- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत कानाखेड़ा विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री राजकुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 926991.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 926991.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री पंकज तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 11- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत गडोला विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री राजकुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1755782.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा

सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1755782.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राज नारायण तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 12- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत तंगामऊ विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री चंदन कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 825304.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 825304.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चंदन कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 13- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत सबादा विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री चंदन कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 2786146.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 2786146.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रबीना तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चंदन कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 14- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत नरौली विकासखण्ड जसपुरा के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री चंदन कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत

(नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 2363850.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मूल धनराशि रुपये 2363850.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चंदन कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 15

1-ग्राम पंचायत अतराहट विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-2179127.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-2179127.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-2179127.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 1089563.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 1089563.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत अतराहट विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-885008.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-885008.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-885008.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 442504.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वंदना से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 442504.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 16-

1-ग्राम पंचायत बम्बिया विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-i के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से

रू0- 1571027.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा रू0-1571027.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रू0-1571027.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि रू0- 785513.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुद्ध विलाश से तथा शेष पचास प्रतिशत रू0- 785513.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत बम्बिया विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से रू0- 278089.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन

- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-278089.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-278089.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 139044.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुद्ध विलाश से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 139044.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली की तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 17-

1-ग्राम पंचायत मुंगुस विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 2525340.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र

- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-2525340.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-2525340.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-1262670.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-1262670.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री ब्रजेन्द्र कुमार प्रजापति से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत मुंगुस विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 505510.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-505510.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के

अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-505510.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 252755.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 252755.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री ब्रजेन्द्र कुमार प्रजापति से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 18-

1-ग्राम पंचायत पपरेन्दा विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 3250837.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-3250837.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-3250837.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-1625418.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री देवराज

से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-1625418.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत पपरेन्दा विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 1180547.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-1180547.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-1180547.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 590273.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री देवराज से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 590273.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 19-

1-ग्राम पंचायत महेन्दू विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 736334.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-736334.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-736334.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-368167.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-368167.00 सचिव ग्राम पंचायत (गा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री दिनेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत महेन्दू विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 367496.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)

- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-367496.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-367496.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 183748.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 183748.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री दिनेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 20-

1-ग्राम पंचायत पिपरहरी विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-i के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 981402.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।

- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-981402.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-981402.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-490701.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-490701.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री नडम अहमद से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत पिपरहरी विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-977897.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका

- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-977897.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-977897.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 488948.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेमा देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 488948.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री नइम अहमद से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 21-

1-ग्राम पंचायत सिंघौली विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 377226.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-377226.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-377226.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-188613.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लोकनाथ से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-188613.00 सचिव ग्राम पंचायत (गा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री दिनेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत सिंघौली विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 292236.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-292236.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-292236.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 146118.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लोकनाथ से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 146118.00 सचिव ग्राम पंचायत (गा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री दिनेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 22-

1-ग्राम पंचायत सैमरी विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 762725.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-762725.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-762725.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-381362.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-381362.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत सैमरी विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 593247.00

का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-593247.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-593247.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 296623.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 296623.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 23-

1-ग्राम पंचायत तेरहीमाफी विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-i के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-1093299.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख

- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-1093299.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-1093299.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-546649.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टन से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-546649.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत तेरहीमाफी विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-534417.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र

- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-534417.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-534417.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 267208.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टन से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 267208.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 24-

1-ग्राम पंचायत माटा विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-i के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-300516.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-300516.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-300516.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-150258.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुमेरा से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-150298.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री बृजेन्द्र कुमार प्रजापति से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत माटा विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 189907.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-189907.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की

धनराशि ₹0-189907.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 94953.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुमेरा से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 94953.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री बृजेन्द्र कुमार प्रजापति से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 25-

1-ग्राम पंचायत अमलोर विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-1123126.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-1123126.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-1123126.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-561563.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जया देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-561563.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री नइम अहमद से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत अमलोर विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 428537.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-428537.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 50प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-428537.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 214268.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जया देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 214268.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री नइम अहमद से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 26-

1-ग्राम पंचायत बिछवाही विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-581377.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों

की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-581377.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-581377.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-290688.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दया राम से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-290688.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री दिनेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत बिछवाही विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-180230.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ

- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-180230.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0- 180230.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0- 90115.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दया राम से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0- 90115.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री दिनेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 27-

1-ग्राम पंचायत छिरहुटा विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-787890.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका

- परिसम्पत्ति पंजिका

स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-787890.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-787890.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-393945.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पुनिया से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-393945.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री दिनेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत छिरहुटा विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0- 409444.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-409444.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-409444.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-204722.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पुनिया से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-204722.00 सचिव ग्राम पंचायत (गा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री दिनेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 28-

1-ग्राम पंचायत जसईपुर विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि-1 के 4वें, 5वें एवं 14वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-600296.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-600296.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-600296.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-300148.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ज्ञान सिंह

से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-300148.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत जसईपुर विकास खण्ड तिन्दवारी द्वारा आलोच्य अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से ₹0-328182.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियों एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-

- सक्षम स्तर से स्वीकृत/ अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- संबन्धित समितियों व पंचायत के बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर
- स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन
- सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियाँ।
- कार्य की माप पुस्तिका
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राम
- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका
- परिसम्पत्ति पंजिका
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से ग्राम पंचायत द्वारा ₹0-328182.00 के दर्शित अनुदान के उपभोग के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्य की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि ₹0-328182.00 में से पचास प्रतिशत धनराशि ₹0-164091.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ज्ञान सिंह से तथा शेष पचास प्रतिशत ₹0-164091.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी) श्री विनोद कुमार झा से वसूली तिथि तक सुसंगत व्याज सहित जमा कराया जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या- 29- विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत पल्हरी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि पंचायत के तत्कालीन सचिव श्री राकेश सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की माँग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में आय पक्ष में रुपये 4548404.00 एवं व्यय पक्ष में रुपये 2270882.00 दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/लेखा परीक्षा दो/पी-81(ए) दिनांक- 06-12-2019 के आधार पर लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रुपये 2270882.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती देवकली तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या- 30- विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत पिस्टा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि पंचायत के तत्कालीन सचिव श्री राकेश सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की माँग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में आय पक्ष में रुपये 2371467.00 एवं व्यय पक्ष में रुपये 2121391.00 दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/लेखा परीक्षा दो/पी-81(ए) दिनांक- 06-12-2019 के आधार पर लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रुपये 2121391.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री संकटा प्रसाद तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या- 31- विकास खण्ड बबेरू की ग्राम पंचायत घनसौल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। चूँकि पंचायत के तत्कालीन सचिव श्री राकेश सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की माँग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गयी किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में आय पक्ष में रुपये 1224529.00 एवं व्यय पक्ष में रुपये 877279.00 दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/लेखा परीक्षा दो/पी-81(ए) दिनांक- 06-12-2019 के आधार पर लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गयी। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किये गये राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रुपये 877279.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र सिंह तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या- 32- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत आऊ विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221

के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अखिलेश सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 988170.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 988170.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 33- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत खेरिया विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री सन्तोष कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1348756.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1348756.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री पंकजेन्द्र तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 34- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत हड़हामाफी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अरुण कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 5241539.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 5241539.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा कुमारी

तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 35- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत महोतरा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अखिलेश सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 4304058.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 4304058.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती कमला तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 36- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत लोधौरा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री विनय सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 2559733.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 2559733.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री बाबादीन तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 37- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत बदौसा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री योगेश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 3269989.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई।

अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 3269989.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 38- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत महुटा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री विनय सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 3500856.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 3500856.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री संजय तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 39- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत दुबरिया विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अखिलेश सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 4099659.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 4099659.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी बेगम तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 40- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत बड़ैछा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री सतीश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत

(नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1396159.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1396159.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 41- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत बिल्हरका विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री विनय सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 2895559.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 2895559.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राम नरेश तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 42- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत बिरौना विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अशोक कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 568639.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 568639.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री भानू प्रताप तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 43- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत दिखितवारा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अरुण कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1152525.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1152525.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रानी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 44- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत मूढी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री विनय यादव से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1017189.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1017189.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय यादव उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 45- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत नहरी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री शशि प्रकाश पाण्डेय से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 3190815.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत

मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 3190815.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राकेन्द्र कुमार तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशि प्रकाश पाण्डेय उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 46- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत पल्हरी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री योगेश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 2043261.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 2043261.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मुन्ना तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 47- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत पथरा विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री शशि प्रकाश पाण्डेय से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 982270.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 982270.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशि प्रकाश पाण्डेय उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 48- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत पिपरहरी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री योगेश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 2161307.00 व्यय दर्शित है। अतः

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 2161307.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती रजनिया तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 49- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत सिंघौटी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अशोक कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1748750.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1748750.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सुखनिधान तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 50- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत टेरा (ब) विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री योगेश कुमार से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 2711424.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 2711424.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री बडेराम तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 51- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत थनैर विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री अखिलेश

कुमार सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 1594426.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 1594426.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री माता बदल तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 52- उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा सम्पन्न कराई जानी चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत तुरी विकासखण्ड नरैनी के वर्ष 2020-221 के अभिलेख/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव श्री विनय सिंह से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जिसकी जानकारी डी0पी0आर0ओ0 एवं सम्बन्धित ए0डी0ओ0 पंचायत (नोडल अधिकारी) को भी दी गई किन्तु अभिलेख अप्रस्तुत रहे। चूँकि प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज में प्रदत्त सूचना के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायत ने वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष में रुपये 6430509.00 व्यय दर्शित है। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- 5790-9/ले0प0 दो/पी-81 (ए) दिनांक- 06.12.2019 के क्रम में लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट/ई ग्राम स्वराज द्वारा सम्पन्न की गई। अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग किए गए राजकीय अनुदान के दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की पूरी संभावना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल के अनुभाग-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में व्यय की गई मुल धनराशि रुपये 6430509.00 गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आती है जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता सिंह तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह उत्तरदायी हैं। वसूली/नियमतः कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद चित्रकूट

--: ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ --:

प्रस्तर संख्या-01 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत ददरी माफी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 मे प्रिया साफ्ट के अनुसार आय- 4363458.00

वर्ष 2020-21 मे प्रिया साफ्ट के अनुसार व्यय- 2592117.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाऊचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रधान

मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायती राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0-2592117.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रजनी व ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत रुकमा बुजुर्ग की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 1877559.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 1280263.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0-1280263.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती गोमती देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत रामपुर कल्याण गढ़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 1948668.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय-1225774.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान

मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0-1225774.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री कृष्ण व ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत मडैयन की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 5591518.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 3031242.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0-3031242.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती माया व ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत सकरौहा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 6622557.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 3072005.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान

मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0-3072005.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री हीरालाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत कोटा कडैला की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 3561952.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 2052468.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0- 2052468.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री बुद्धराज व ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-07 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत रानीपुर कल्याण गढ़ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 2784314.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 1697470.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान

मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0-1697470.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राम सुहावन व ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत गिदुरहा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 1887860.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 1617002.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0-1617002.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मालती व ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत नांगर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 2765093.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 1469858.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0-1469858.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती चुन्नी व ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत अचुर नेरुवा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 1836687.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 2333156.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आर्डर, एमओबी, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि रु0-2333156.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कल्ली व ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-11 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत किहुनिया की वर्ष 2020 21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जांच से स्पष्ट हुआ, कि वर्ष 2020 21 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता 59001202056 (राज्य वित्त) एवं 50521737165 (केन्द्रीय वित्त) इलाहाबाद बैंक मानिकपुर में जमा कर तथा उक्त खाते से धनराशि आहरित/ हस्तान्तरित कर कुल रु0 2317704.00 वर्ष 2020-21 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु0 2317704.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका गदवार विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	विवरण (गदवार)	व्यय की धनराशि
1.	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	1740124.00
2.	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	109903.00
3.	हैण्डपम्प मरम्मत	102550.00
4.	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	47614.00
4.	रिबोर घर व्यव	202571.00
6.	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	70480.00

7.	सफाई व्यवस्था पर व्यय	00.00
8.	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	44462.00
9.	बैंक कटौती	00.00
	कुल व्यय	2317704.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रू0 2317704.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1 = बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल। 2 = कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०।

3 = परिसम्पत्ति रजिस्टर। 4 = स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।

5 सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति। 6 = ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।

7 = मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रू0 2317704.00 अपुष्टित रहा जो अपहरण का प्रकरण है जिसकी विभागीय जाँचोपरान्त संयुक्त रूप से वसूली श्री ज्ञान सिंह (ग्रा०वि०-अधि०) एवं श्री विनय कुमार (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-12 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत बराहमाफी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जांच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष 2020-21 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता 59001179477 (राज्य वित्त) एवं 50521728275 (केन्द्रीय वित्त) इला० बैंक मानिकपुर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित /हस्तान्तरित कर कुल रू0 1821440.00 वर्ष 2020 21 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रू0 1821440.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1.	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	863516.00
2.	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	228810.00
3.	हैण्डपम्प मरम्मत	182743.00
4.	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	114358.00
4.	रिबोर घर व्यव	331713.00
6.	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	100300.00
7.	सफाई व्यवस्था पर व्यय	00.00
8.	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	00.00
9.	बैंक कटौती	00.00
	कुल व्यय	1821440.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष ने उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में शुभतानित रू0 1821440.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1. बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल।

2 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०

3 परिसम्पत्ति रजिस्टर।

4 स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।

5 सदाग अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।

6 ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।

7 मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रु0 1821440.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से वसूली श्री शिवनरेश पटेल (ग्रा० वि०अधि०) एवं श्री शंकर (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-13 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत इटवा टूडैला की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जांच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष 2020 21 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता-50509403364 (राज्य वित्त) एवं 50521739128 (केन्द्रीय वित्त) इलाहाबाद बैंक मानिकपुर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित / हस्तान्तरित कर कुल रुपये-4274912.00 वर्ष 2020 21 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु0 4274912.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है।

	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	2460369.00
2	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	698828.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	256348.00
4	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	186364.00
5	रिबोर पर व्यय	468011.00
6	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	160530.00
7	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	44462.00
	कूल व्यय	4274912.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु0 4274912.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1 = बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल।

2 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०।

3 = परिसम्पत्ति रजिस्टर।

4 = स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।

5 = सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।

6=ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।

7 = मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रु0 4274912.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से वसूली श्री योगेन्द्र सिंह (पा०वि० अधि०) एवं श्रीमती रामलली (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-14 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत गढ़चपा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जांच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष 2020- 21 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता- 59001201777 (राज्य वित्त) एवं 50521736069 (केन्द्रीय वित्त) इलाहाबाद बैंक मानिकपुर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित / हस्तान्तरित कर कुल रुपये 10039845.00 वर्ष 2020 21 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु०

10039645.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1.	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	7552495.00
2.	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	1231805.00
3.	हैण्डपम्प मरम्मत	600396.00
4.	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	91840.00
4.	रिबोर घर व्यव	385376.00
6.	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	119232.00
7.	सफाई व्यवस्था पर व्यय	00.00
8.	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	58701.00
9.	बैंक कटौती	00.00
	कुल व्यय	10039845.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में गुगतानित रु० 10039845.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1 = बिल/बाउचर एवं मस्टर रोल। 2- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०।

3 परिसम्पत्ति रजिस्टर। 4 = स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।

5 = सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।

6 ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव। 7 मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से मुगवानित 50 10039845.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है। जिसकी संयुक्त रूप से वसूली श्री भूपेन्द्र द्विवेदी (गा०वि० अधि०) एवं श्रीमती राजाबेटी (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-15 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत चुरेह कशेरूआ की वर्ष 2020 21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वैश बुक की जांच से स्पष्ट हुआ है। कि वर्ष 2020- 21 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता- 59001201857 (राज्य वित्त) एवं 50521715801 (केन्द्रीय वित्त) इलाहाबाद बैंक मानिकपुर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित / हस्तान्तरित कर कुल रुपये 4230714.00 वर्ष 2020-21 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु० 4230714.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1.	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	2496708.00
2.	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	235161.00
3.	हैण्डपम्प मरम्मत	311842.00
4.	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	390001.00
4.	रिबोर घर व्यव	526686.00
6.	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	188316.00
7.	सफाई व्यवस्था पर व्यय	00.00
8.	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	82000.00
9.	बैंक कटौती	00.00

	कुल व्यय	4230714.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु0 4230714.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1 = बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल। 2 = कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०।

3 = परिसम्पत्ति रजिस्टर। 4 = स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।

5 = सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति। 6 = ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।

7 = मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रु0 4230714.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से वसूली श्री उदयभान (गा०प०अधि०) एवं श्रीमती श्री धनराज (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-16 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत छेरिहाखुर्द की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जांच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष 2020-21 में शासन से प्राप्त अनुदानग्राम निधि खाता 59001179455 (राज्य वित्त) एवं 50521876325 (केन्द्रीय वित्त) इलाहाबाद बैंक मानिकपुर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित / हस्तानांतरित कर कुल रूपये-3679695.00 वर्ष 2020-21 में व्यय किया गया, इस प्रकार से रु0 3679695.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1.	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	2670877.00
2.	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	150941.00
3.	हैण्डपम्प मरम्मत	415232.00
4.	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	137815.00
4.	रिबोर घर व्यव	218460.00
6.	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	86361.00
7.	सफाई व्यवस्था पर व्यय	00.00
8.	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	00.00
9.	बैंक कटौती	00.00
	कुल व्यय	3679695.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित रु0 3679695.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1 = बिल/वाउचर एवं मस्टर रोल।

2 = कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०।

3 = परिसम्पत्ति रजिस्टर।

4 = स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।

5 = सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।

6 ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।

7 = मानदेय रजिस्टर।

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित रु0 3679695.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है, जिसकी संयुक्त रूप से वसूली श्री ज्ञान सिंह (प्रा०प० अधि०) एवं श्रीमती चन्द्रकली (ग्राम प्रधान) से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-17 विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत एलेहाबादेया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जांच से स्पष्ट हुआ है, कि वर्ष 2020-21 में शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम निधि खाता 59001201744 (राज्य वित्त) एवं 50521718096 (केन्द्रीय वित्त) इलाहाबाद बैंक मानिकपुर में जमा कर तथा उक्त खातों से धनराशि आहरित / हस्तान्तरित कर कुल रुपये 1657288.00 वर्ष 2020-21 में व्यय किया गया, इस प्रकार से ₹0 1657288.00 का व्यय ग्राम पंचायत में कराये गये विविध कार्यों पर किया गया, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	विवरण (मदवार)	व्यय की धनराशि
1.	निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	651381.00
2.	विद्यालयों में कराये गये निर्माण पर व्यय	00.00
3.	हैण्डपम्प मरम्मत	262043.00
4.	पेयजल आपूर्ति पर व्यय	279360.00
4.	रिबोर घर व्यव	269997.00
6.	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	153507.00
7.	सफाई व्यवस्था पर व्यय	00.00
8.	प्रकाश व्यवस्था पर व्यय	41000.00
9.	बैंक कटौती	00.00
	कुल व्यय	1657288.00

प्रस्तुत कैश बुक के व्यय पक्ष में उपरोक्त मदवार सामग्री एवं श्रम के रूप में भुगतानित ₹0 1657288.00 की पुष्टि में निम्न अभिलेख बार-बार माग के बावजूद प्रस्तुत नहीं रहे।

1 = बिल/बाउचर एवं मस्टर रोल।	5 = सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति।
2 = कार्यमूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी०।	6 ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव।
3 = परिसम्पत्ति रजिस्टर।	7 = मानदेय रजिस्टर।
4 = स्टोर पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर।	

उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न रहने से भुगतानित ₹0 1657288.00 अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है। जिसकी संयुक्त रूप से वसूली श्री उदयभान (ग्रा०प० अधि०) एवं श्री प्रेमचन्द वर्मा (ग्राम प्रधान) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 विकास खण्ड कर्वी की ग्राम पंचायत पहरा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 4393028.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 2974374.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मनुअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय

धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि ₹0-2974374.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजेश कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री मान सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 विकास खण्ड कर्वी की ग्राम पंचायत बराछ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के वाबजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 1448441.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 1027686.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाऊचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि ₹0-1027686.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सुमित्रा व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 विकास खण्ड कर्वी की ग्राम पंचायत हिनौतामाफी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के वाबजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 579413.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 1148989.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, बिल वाऊचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और

वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि ₹0-1148989.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सरोज व ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 विकास खण्ड कर्वी की ग्राम पंचायत हरिहरपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसका विवरण अधोलिखित है।

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार आय- 875469.00

वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय- 2000749.00

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों हेतु विभिन्न सक्षम अधिकारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी से मौखिक एवं लिखित रूप से पत्राचार भी किया गया है। लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख यथा- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, इस्टीमेट, वर्क आईडीओ, एमओबीओ, बिल वाऊचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पंचायत राज 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध मनुअल के अध्याय धारा-08 क में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा-09 के अन्तर्गत गबन का भी मुकदमा चलाया जा सकेगा”

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत व्यय दर्शित धनराशि ₹0-2000749.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री केदार व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22- विकास खण्ड की ग्राम पंचायत छपरामाफी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पंचायत में वर्ष में प्रधान को देय मानदेय से अधिक का भुगतान किया गया है। पंचायतीराज अनुभाग- 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500 ₹0 से बढ़ाकर ₹0 3500 मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है, ग्राम पंचायत छपरामाफी की वर्ष 2020-21 की प्रस्तुत कॉषवही के अनुसार ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है-

दिनांक	अवधि	धनराशि
30-06-20	अक्टूबर 2019 से मई 2020 (8 माह)	28000.00
20-11-20	13 माह का मानदेय	45500.00
	योग	73500.00

स्पष्ट है कि मई 2020 तक के मानदेय का भुगतान कर देने के बाद पुनः नवम्बर 2020 में मनमाने ढंग से 13 माह कके मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है। भुगतानित कुल मानदेय रुपये-73500.00 मानदेय की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर के अभाव में अपुष्टित रहा, जो अपहरण का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी कमल सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, अतः दोनों उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहरित धनराशि 73500.00 रुपये की आधी-आधी वसूली की जानी चाहिए।

प्रस्तर संख्या-23- विकास खंड कर्वी की ग्राम पंचायत भगवतपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ है कि पंचायत में वर्ष में प्रधान को देय मानदेय से अधिक का भुगतान किया गया है, पंचायतीराज अनुभाग-1 के आदेश संख्या-2-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500 रु0 से बढ़ाकर रु0 3500 मासिक किया गया । जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भगवतपुर की वर्ष- 2020-21 की प्रस्तुत कौषबही के अनुसार ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है-

दिनांक	अवधि	धनराशि
30-06-20	अगस्त 2019 से मार्च 2020 (8 माह)	28000.00
20-11-20	नवम्बर 2019 से अक्टूबर 2020(12 माह)	42000.00
	योग-	70000.00

स्पष्ट है, कि नवम्बर 2019 से मार्च 2020 तक कुल 05 माह के मानदेय 17500.00 रु0 का अधिक भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है। भुगतानित मानदेय की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, इस प्रकार मानदेय का अधिक भुगतान कर रु0 17500.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन नाम विकास अधिकारी श्री राम नारायण पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्री भारत सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है, अतः दोनों उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहरित धनराशि 17500.00 रुपये की आधी-आधी वसूली की जानी चाहिए। प्रस्तर सं० 24-विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत सरधुआ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री राहुल सिंह ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत सरधुआ में व्यय रु0 9014685.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रु0 9014685.00 की वसूली श्रीमती अनीता सिंह ग्राम प्रधान व श्री राहुल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 25 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत दरसेडा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री विश्वप्रधान मिश्रा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रु0 3419046.00 की वसूली श्रीमती ममता ग्राम प्रधान व श्री विश्वप्रधान मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 26 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत अशोह की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री राहुल सिंह ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत अशोह में व्यय रु0 1872973.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रु0 1872973.00 की वसूली श्री विजय कुमार ग्राम प्रधान व श्री राहुल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-27- विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत भुइहरी माफी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री राहुल सिंह ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत मुइहरी माफी में व्यय ₹0 1001921.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 1001921.00 की वसूली श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान व श्री राहुल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 28- विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत पचोखर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री राहुल सिंह ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत पचोखर में व्यय ₹0 1592217.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 1592217.00 की वसूली श्रीमती किसमतियां ग्राम प्रधान व श्री राहुल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 29 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत चकजाफर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री राहुल सिंह ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत चकजाफर में व्यय ₹0 1483884.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 1483884.00 की वसूली श्री उमाशंकर ग्राम प्रधान व श्री राहुल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 30 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत चकौंध की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री राहुल सिंह ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत चकौंध में व्यय ₹0 2546413.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 2546413.00 की वसूली श्री गज्जू प्रसाद ग्राम प्रधान व श्री राहुल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-31 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत विलासबंगेर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री जीवनलाल ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत विलासबंगेर में व्यय ₹0 1479609.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 1479609.00 की वसूली श्री रामबाबू ग्राम प्रधान व श्री जीवनलाल ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 32 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत बछरन की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री दिनेश सिंह ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत बछरन में व्यय ₹0 1488002.00 रहा। ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 1488002.00 की वसूली श्री त्रिलोक सिंह ग्राम प्रधान व श्री दिनेश सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 33 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत गढ़वारा की वर्ष 2020 21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत गढ़वारा में व्यय ₹0 697519.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 697519.00 की वसूली श्री अखिलेश कुमार ग्राम प्रधान व श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 34 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत पहाड़ी बुजुर्ग की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री बालगोविन्द मौर्य ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत पहाड़ी बुजुर्ग में व्यय ₹0 4376614.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 4376614.00 की वसूली श्रीमती सरिता सिंह ग्राम प्रधान व श्री बालगोविन्द मौर्य ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 35 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत गौहानीकला की वर्ष 2020 21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत गौहानीकला में व्यय ₹0 3308924.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 3308924.00 की वसूली श्रीमती भौडी ग्राम प्रधान व श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 36 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत इटौरा की वर्ष 2020 21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री जानकी शरण ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आयव्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत इटौरा में व्यय रू0 4394668.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रू0 4394668.00 की वसूली श्री अम्बिका प्रसाद ग्राम प्रधान व श्री जानकी शरण सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 37 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत कनकोटा बंगार की वर्ष 2020 दौरान जांच में श्री जगदीश पटेल ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय 21 की लेखा परीक्षा के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत कनकोटा बंगार में व्यय रू0 2944328.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रू0 2944328.00 की वसूली श्री सीताराम ग्राम प्रधान व श्री जगदीश पटेल सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 38 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत कुसौली की वर्ष 2020 21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री बालगोविन्द मौर्य ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत कुसौली में व्यय रू0 356751.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रू0 356751.00 की वसूली श्रीमती निराशा ग्राम प्रधान व श्री बालगोविन्द मौर्य सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 39 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत नहरा की वर्ष 2020 21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री घनश्याम दास शुक्ला ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत नहरा में व्यय रू0 2302225.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रू0 2302225.00 की वसूली श्री रामबरन ग्राम प्रधान व श्री घनश्यामदास शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 40 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत उन्नायबन्ना की वर्ष 2020 21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत उन्नायबन्ना में व्यय रू0 2020209.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 2020209.00 की वसूली श्रीमती किरन देवी ग्राम प्रधान व श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 41 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत कंधवनिया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत कंधवनिया में व्यय ₹0 2468239.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 2468239.00 की वसूली श्री रामरहीम ग्राम प्रधान व श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 42 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत गनीबा प्रसिध्दपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत गनीबा प्रसिध्दपुर में व्यय ₹0 1120662.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 1120662.00 की वसूली श्रीमती जानकी ग्राम प्रधान व श्री कमलेश कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 43 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत रायपुर बंगार की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री बालगोविन्द मौर्य ग्राम विकास पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत रायपुर बंगार में व्यय ₹0 3166987.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रियासाफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 3166987.00 की वसूली श्रीमती साविली देवी ग्राम प्रधान व श्री बालगोविन्द मौर्य ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 44 विकास खण्ड पहाडी की ग्राम पंचायत सिकरीसानी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री प्रियंका शुक्ला ग्राम विकास / ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत सिकरीसानी में व्यय ₹0 2028308.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 2028308.00 की वसूली श्री बसंत कुमार ग्राम प्रधान व श्रीमती प्रियंका शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-45 विकास खण्ड पहाड़ी की ग्राम पंचायत नोनार की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान जांच में श्री दिनेश सिंह ग्राम विकास पंचायत अधिकारी द्वारा कोई भी आय व्यय से से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, जिस हेतु लिखित व मौखिक रूप से कई बार सूचना दी गयी। किन्तु प्रिया सॉफ्ट के आधार पर ग्राम पंचायत नोनार में व्यय ₹0 1337413.00 रहा।

ई ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल एवं अभिलेख न होना लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः ₹0 1337413.00 की वसूली श्री नरेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान व श्री दिनेश सिंह ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

जनपद हमीरपुर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपतियाँ

प्रस्तर सं०- 01:- विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत मनकी खुर्द वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा करते समय निम्न व्ययों/कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी है।

क्र० व्यय/कार्यों का विवरण

धनराशि

1-प्रशासनिक व्ययों सम्बन्धित-(फोटो 64060=00 कापी+पेटिंग+विज्ञापन+कम्प्यूटर फीडिंग)

2- पेयजल टंकी हेतु पानी की नयी मोटर क्रय करना- 70712=00

3- पानी की टंकी के लिए ट्यूबल हेतु नयी मोटर क्रय करना- 122205=00

4- नलकूप में पानी टंकी हेतु नयी मोटर क्रय करना- 122205=00

योग-379182=00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत न करके पंचायतराज अधिनियम 1947 के नियम- 256 के अन्तर्गत रूपया- 379182=00 की सचिव श्री अजय निरंजन एवं प्रधान श्री सभाजीत द्वारा अनियमितता की गयी है जिसके लिए सचिव एवं प्रधान उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 02:- विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत मनकी खुर्द में दिनांक 01.09.2020 को प्रमोद एण्ड मशीनरी स्टोर कुरारा को रूपया 13600=00 कैशबुक में भुगतान करना दर्शित किया गया है किन्तु भुगतान के सम्बन्ध में विवरण/पत्रावली अप्राप्त रहने से व्यय की गयी धनराशि अनियमित प्रतीत होती है। जिसके लिए सचिव श्री अजय निरंजन एवं प्रधान श्री सभाजीत उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 03:- विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत मनकी खुर्द में दिनांक 22.12.2020 को सुरभि इण्टर प्राइजेज कुरारा को रूपया 57000=00 कैशबुक में व्यय करना दर्शित किया गया है किन्तु भुगतान से सम्बन्धित विवरण/पत्रावली अप्राप्त रही है जिससे व्यय की गयी धनराशि अनियमित प्रतीत होती है। जिसके लिए सचिव श्री अजय निरंजन एवं प्रधान श्री सभाजीत उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 04:-विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत मिश्रीपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दौरान निम्नांकित व्ययों/कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी है।

क्र० व्यय/कार्यों का विवरण

धनराशि

1- ग्रा० पं० में प्रकाश व्यवस्था हेतु 188000=00

स्ट्रीट लाईट लगवायी (मात्रा 40 दर 4700 से मद)

2- प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित- 93940=00

3- RR इलेक्ट्रॉनिक एण्ड मैकेनिकल वर्क्स . मौदहा से ट्यूबल हेतु मोटर क्रय एवं पानी की टंकी - 122205=00

4- शिवम टेडर्स कुरारा से नलकूप हेतु पानी की टंकी एवं मोटर क्रय-

योग- 526350=00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत न करके पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत रूपया 526350=00 की सचिव श्री अजय निरंजन एवं प्रधान श्री सुदर्शन सिंह द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव एवं प्रधान उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 05:- विकास खण्ड कुरारा ग्राम पंचायत झलोखर की वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा दौरान निम्नांकित व्ययों/कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी है।

क्र0 व्यय/कार्य का विवरण धनराशि

1-प्रशासनिक व्यय (फोटोकॉपी, पेन्टिंग, कम्प्यूटर- 157750=00

फिडिंग टेण्डर प्रकाशन)

2-ए0एन0एम0 सेक्टर में टाइल्स लगवायी- 117166=00

3- नाला सफायी (बस स्टाप दि0 13.09.2020) 60406=00

4-नाला सफायी (कोठी दरवाजा 13.09.2020) 53157=00

योग- 388479=00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत न करके पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत रूपया 388479=00 की श्री सचिव श्री अजय निरंजन एवं प्रधान श्री सत्यनारायण द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए सचिव एवं प्रधान उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 06:-विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत झलोखर में दिनांक 13.07.2020 में आर. के. इलेक्ट्रानिक एण्ड मैकेनिकल वर्क्स कुरारा को रूपया- 17698=00 भुगतान किया गया है किन्तु कैशबुक में यह अंकित नहीं पाया गया कि किस वास्ते भुगतान किया गया है। न ही उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली पायी गयी है। जिससे व्यय की गयी धनराशि अनियमित है। जिसके लिए सचिव श्री अजय निरंजन एवं प्रधान श्री सत्यनारायण उत्तरदायी है जिनके प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 07:-विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत झलोखर में दिनांक 15.07.2020 को देहाती इंजीनियरिंग वर्क्स शाप कुरारा से ग्राम पंचायत में पेयजल व्यवस्था के लिये ट्यूबवेल हेतु नयी मोटर क्रय करना रूपया 48484=00 दर्शित किया गया है किन्तु क्रय से सम्बन्धित पत्रावली नहीं पायी गयी है। जिससे व्यय की गयी धनराशि अनियमित है जिसके लिए सचिव श्री अजय निरंजन एवं प्रधान श्री सत्यनारायण उत्तरदायी है जिनके प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 08:-विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत झलोखर में दिनांक 29.09.2020 को ग्राम पंचायत में पेयजल वास्ते नलकूप हेतु शिवम ट्रेडर्स हमीरपुर से नयी मोटर क्रय रूपया- 129205=00 दर्शित किया गया है किन्तु क्रय से सम्बन्धित पत्रावली अप्राप्त रहने से गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए सचिव श्री अजय निरंजन एवं प्रधान श्री सत्यनारायण उत्तरदायी है जिनके प्रति वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 09:-विकास खण्ड कुरारा की ग्राम पंचायत जमरेही ऊपर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा दौरान प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न करके रूपया 35869=00 की पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत सचिव श्री राममनोहर एवं प्रधान श्री रामप्रकाश पाल द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये सचिव एवं प्रधान उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 10:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत मवईजार के वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षण में दिनांक 04.06.2020 को पाईप लाईन मरम्मतकीकरण का व्यय रू0 361,696=00 की सामग्री क्रय में गिरधर ट्रेडर्स

सुमेरपुर के नाम दर्शाया है जबकि इस कार्य हेतु लेबर एवं मिस्त्री का व्यय नहीं दर्शाया है। जिससे व्यय अनियमित प्रतीत होता है। लेखा परीक्षण में उक्त कार्य की व्यय पत्रावली उपलब्ध न कराकर पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की है। जिसका उत्तरदायित्व सचिव कु० अनामिका पाण्डेय एवं प्रधान श्री महेश कुमार शिवहरे का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 11:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत कलौलीजार दिनांक 25.12.2020 को कैशबुक में व्यय ₹ 304,700=00 श्री शिवशंकर के दरवाजे से पंचायत भवन तक मिट्टी पुराई एवं खरंजा निर्माण कार्य में लगी सामग्री क्रय का भुगतान श्री गिरधर ट्रेडर्स सुमेरपुर को किया गया है किन्तु लेखा परीक्षण में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी है जो गंभीर अनियमितता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल की 25 दिसम्बर 2020 से समाप्त हो गया था। कार्यकाल के आखिरी दिन में किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। पत्रावली उपलब्ध न कराकर पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व सचिव साधना सिंह एवं प्रधान श्री चन्द्रपाल है। इसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 12:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत कलौलीजार में वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षण में दिनांक 18.10.2020 को कैशबुक में नाला सफाई हेतु 85.918=00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसका भुगतान एकाउन्ट न० 14628 से श्री अशुमान सिंह को ₹ 19127=00 एवं में गिरधर ट्रेडर्स को ₹ 66.791=00 का भुगतान किया है। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्म की नियुक्ति है। सफाई कर्म के होते हुये सफाई कार्य के लिये किया गया भुगतान ₹ 66.791=00 अनियमित है। लेखा परीक्षण के समय उक्त कार्य की पत्रावली उपलब्ध न कराकर पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसका उत्तरदायित्व सचिव साधना सिंह एवं प्रधान श्री चन्द्रपाल का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 13:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत सौंखर दिनांक 09.09.2020 को कैशबुक में व्यय ₹ 24.950=00 वास्ते सान्याल सिंह इण्टर प्राइजेज के नाम दर्शाया गया किन्तु कैशबुक में उद्देश्य एवं किस कार्य एवं खरीद हेतु उल्लेख नहीं किया गया है। ₹ 24950=00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षण में उपलब्ध न कराकर पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की है। जिसका उत्तरदायित्व सचिव श्री महेन्द्र पाण्डेय एवं प्रधान श्री कसान सिंह है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 14:- विकास खण्ड सुमेरपुर की ग्राम पंचायत पचखुरा बुजुर्ग दिनांक 08.07.2020 को स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत झांखर कटाई एवं नाली सफाई कार्य में ₹ 74.777=00 का व्यय में गोपाल ट्रेडर्स के नाम दर्शाया है किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की पत्रावली उपलब्ध न कराकर पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत गंभीर अनियमितता की है। इसका उत्तरदायित्व सचिव श्री रामसेवक एवं प्रधान श्रीमती कल्ली का है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 15:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत सायर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन में आय-व्यय का विवरण निम्नप्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासाॅफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1		अभिलेख	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के	नकद	42200=00	अज्ञात
		अप्राप्त			बैंक में	4580518=00	

	दिनांक 01.04.20 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक			अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	योग	4622718=00	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		9314281=00	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		5183758=00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार धनराशि	नकद	42200=00	अज्ञात
					बैंक में	8711041=00	
					योग	8753241=00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री दिगम्बर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश नन्दन पाण्डेय द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 5183758=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश नन्दन पाण्डेय द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव दुर्गेश नन्दन पाण्डेय उत्तरदायी है।

अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश नन्दन पाण्डेय एवं प्रधान श्रीमती बिन्ध्याजलि के विरुद्ध अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 16:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत खण्डेह के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन में आय-व्यय का विवरण निम्नप्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	383=00	अज्ञात
					बैंक में	4270403=00	
					योग	4270786=00	

2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		5845811=00	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		6102420=00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार धनराशि	नकद	383=00	अज्ञात
					बैंक में	4013794=00	
					योग	4014177=00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री आशीष कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश नन्दन पाण्डेय द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹ 6102420=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश नन्दन पाण्डेय द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव दुर्गेश नन्दन पाण्डेय उत्तरदायी है। अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश नन्दन पाण्डेय एवं प्रधान श्रीमती पुष्पलता के विरुद्ध अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 17:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत छानी के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन में आय-व्यय का विवरण निम्नप्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	502015=00	अज्ञात
					बैंक में	540387=00	
					योग	1042402=00	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		1336418=00	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		1069933=00	अज्ञात
					नकद	502015=00	अज्ञात

5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार धनराशि	बैंक में योग	806872=00 1308887=00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री अरविन्द पाल द्वारा तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार वर्मा नहीं दी गयी, की सूचना अरविन्द पाल सचिव द्वारा दी गयी। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत छानी के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय रु0 1069933=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार वर्मा द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव विनोद कुमार वर्मा उत्तरदायी है।

अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री विनाद कुमार वर्मा एवं प्रधान श्रीमती शिवदेवी के द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 18:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत उपरी के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन में आय-व्यय का विवरण निम्नप्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवाही के अनुसार प्रारम्भिक	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	11900=00	अज्ञात
					बैंक में	4712309=00	
					योग	4724209=00	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		3871211=00	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		3098177=00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार धनराशि	नकद	11900=00	अज्ञात
					बैंक में	5485343=00	
					योग	5497243=00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम

पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री राजू सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन सचिव श्री महेश कुमार साहू द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 3098177=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री महेश कुमार साहू द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव महेश कुमार साहू उत्तरदायी है।

अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री महेश कुमार साहू एवं प्रधान श्री शिवशरण सिंह के विरुद्ध अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 19:- विकास खण्ड मौदहा की ग्राम पंचायत सिसोलर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन में आय-व्यय का विवरण निम्नप्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवाही के अनुसार प्रारम्भिक	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	8251=00	अज्ञात
					बैंक में	2098976=00	
					योग	2107227=00	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		5019172=00	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		3430242=00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार धनराशि	नकद	8251=00	अज्ञात
					बैंक में	3687906=00	
					योग	3696057=00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्रीमती प्रीति सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश नन्दन पाण्डेय द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये

इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 3430242=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश नन्दन पाण्डेय द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जिसके लिये तत्कालीन सचिव दुर्गेश नन्दन पाण्डेय उत्तरदायी है।

अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री दुर्गेश नन्दन पाण्डेय एवं प्रधान श्री विजय शंकर के विरुद्ध अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 20:- विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत छेड़ी बसायक के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन में आय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल के अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	3781.00	अज्ञात
					बैंक में	373517.00	
					योग	377298.00	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		1483232.00	अज्ञात
						1860530.00	
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		845210.00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार धनराशि	नकद	3781.00	अज्ञात
					बैंक में	1011539.00	
					योग	1015320.00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री प्रदीप कुमार द्वारा दी गयी है। लिखित (छायाप्रति संलग्न) सूचना दी गयी है कि अभिलेख चार्ज में मिलते ही आडिट करा दिया जायेगा की स्थिति से विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत छेड़ी बसायक के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 845210=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री नसीम अहमद द्वारा

चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिसके लिये नसीम अहमद तत्कालीन सचिव पूर्ण रूप से दोषी है। अधिकांशतः प्रियासॉफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 1 से 8 तक की सूचनायें/अभिलेख आनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही।

अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि करायें जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री नसीम अहमद एवं प्रधान श्री समरथ द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 21:- विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत बजेहटा वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन में आय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	802.00	अज्ञात
					बैंक में	1162052.00	
					योग	1162854.00	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		2578129.00	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		3740983.00	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		1328453.00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार धनराशि	नकद	802.00	अज्ञात
					बैंक में	2411728.00	
					योग	2412530.00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री ताज मुहम्मद द्वारा तत्कालीन सचिव श्री सुनील कुमार द्वारा दी गयी है। लिखित (छायाप्रति संलग्न) सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री जयराम कुशवाहा द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत बजेहटा के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 1328453=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री जयराम कुशवाहा द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिसके लिये श्री जयराम कुशवाहा तत्कालीन सचिवपूर्ण रूप से दोषी है। अधिकांशतः प्रियासॉफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 1 से 8 तक की सूचनार्य/अभिलेख आनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही।

अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री जयराम कुशवाहा एवं प्रधान श्री प्रदीप सिंह द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 22:- विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत बांधुर बुजुर्ग वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज ऑनलाईन में आय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	14720.00	अज्ञात
					बैंक में	1820887.00	
					योग	1835607.00	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		3360975.00	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		5196582.00	अज्ञात

4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		3336942.00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार धनराशि	नकद	14720.00	अज्ञात
					बैंक में	1844920.00	
					योग	1859640.00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री रामदत्त यादव द्वारा दी गयी लिखित (छायाप्रति संलग्न) सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री नसीम अहमद द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत बांधुर बुजुर्ग के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 3336942=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री नसीम अहमद द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिसके लिये श्री नसीम अहमद तत्कालीन सचिवपूर्ण रूप से दोषी है। अधिकांशतः प्रियासॉफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 1 से 8 तक की सूचनायें/अभिलेख आनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही।

अतः इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री नसीम अहमद एवं प्रधान श्री जहान सिंह द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 23:- विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत निवादा वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज ऑनलाईन में आय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवही के	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार	नकद	414.00	अज्ञात
					बैंक में	1269508.00	
					योग	1269922.00	

	अनुसार प्रारम्भिक			प्रारम्भिक धनराशि			
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		4193993.00	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		5463915.00	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		3801778.00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार शेष धनराशि	नकद	414.00	अज्ञात
					बैंक में	1661723.00	
					योग	1662137.00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री प्रदीप कुमार द्वारा दी गयी लिखित (छायाप्रति संलग्न) सूचना दी गयी है कि अभिलेख चार्ज में मिलते ही आडिट करा दिया जायेगा तथा स्थिति से विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत निवादा के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 3801778=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री नसीम अहमद द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिसके लिये श्री नसीम अहमद तत्कालीन सचिवपूर्ण रूप से दोषी है। अधिकांशतः प्रियासॉफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 1 से 8 तक की सूचनार्य/अभिलेख आनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही।

अतः इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि करायें जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री

नसीम अहमद एवं प्रधान श्रीमती गुड्डो द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 24:- विकास खण्ड मुस्करा की ग्राम पंचायत रूरीपारा वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन में आय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	7760.00	अज्ञात
					बैंक में	3877970.00	
					योग	3885730.00	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		1665302.00	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		5551032.00	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		3860036.00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार धनराशि	नकद	7760.00	अज्ञात
					बैंक में	1683236.00	
					योग	1690996.00	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री ताज मुहम्मद द्वारा श्री सुनील कुमार द्वारा दी गयी लिखित (छायाप्रति संलग्न) सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री जमाल अहमद द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को

संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत रुरीपारा के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय रू0 3860036=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री जमाल अहमद द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिसके लिये श्री जमाल अहमद तत्कालीन सचिवपूर्ण रूप से दोषी है। अधिकांशतः प्रियासॉफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 1 से 8 तक की सूचनायें/अभिलेख आनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही।

अतः इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री जमाल अहमद एवं प्रधान श्री सरोज कुमारी द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 25:- विकास खण्ड गोहाण्ड की ग्राम पंचायत अकौना वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज ऑनलाईन में आय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेखों के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रियासॉफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.20 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.20 को आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद		अज्ञात
					बैंक में	2799967.00	
					योग	2799967.00	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		2635367.00	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		5435334.00	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में आनलाईन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		1795579.00	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.21 में कैशबुक के	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.21 को आनलाईन	नकद		अज्ञात
					बैंक में	3639755.00	
					योग	3639755.00	

	अनुसार अवशेष धनराशि			फीडिंग के अनुसार धनराशि			

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री बृजेन्द्र सिंह तत्कालीन सचिव श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा दी गयी लिखित (छायाप्रति संलग्न) सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री शिवकान्त गुप्ता द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत अकौना के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 1795579=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री शिवकान्त गुप्ता द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिसके लिये श्री शिवकान्त गुप्ता तत्कालीन सचिवपूर्ण रूप से दोषी है। अधिकांशतः प्रियासॉफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 1 से 8 तक की सूचनायें/अभिलेख आनलाईन अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही।

अतः इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त तत्कालीन सचिव श्री शिवकान्त गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती जुलेखा द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 26 ग्राम पंचायत टोलाखंगारन के वर्ष 2020-21 के कैश बुक एवं ई- ग्राम स्वराज ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

क्रं 0 सं 0	कैश बुक के अनुसार	धनराशि	क्रं 0 सं 0	ई-ग्राम स्वराज के अनुसार	धनराशि
1	17.04.2020 में कशिश ट्रेडर्स राठ खण्डंजा मरम्मत	166046=	1	17.04.2020 एफ एफ सी 20-21 पी /1 खण्डंजा मरम्मत	166046=
2	18.04.2020 में कशिश ट्रेडर्स राठ खण्डंजा मरम्मत	166046=	2	17.04.2020 चौथा राज्य वित्त आयोग 2020-21 पी /1 खण्डंजा मरम्मत	166046=
3	10.05.2020 में कशिश टेडर्स राठ सी0सी0रोड़ नि0 खलक से मकान से प्रकाश के मकान तक	170714=	3	07.05.2020 चौथा राज्य वित्त आयोग 2020-21 पी /3 सी0सी0रोड़ मेन्टीनेन्स एण्ड रिपेयर्स	170714=
4	10.05.2020 ग्राम प्रधान बाल किशन द्वारा नगद आहरण कर तालाब में पानी भराई	20000=	4	07.05.2020 चौथा राज्य वित्त आयोग 2020-21 पी /5 ग्राम प्रधान बाल किशन द्वारा तालाब भराई	20000=
5	17.10.2020 में राम सखी टेडर्स सामुदायिक शौ0 नि0	279817=	5	17.10.2020 पंद्रहवाँ वित्त आयोग 2020-21 पी /9 राम सखी टेडर्स	279817=

	802623=		योग- 802623=

आपति क्रमांक 01 से 05 तक के कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। क्रमांक 01,02 में कैशबुक में खण्डजा मरम्मत दर्शाया गया है, लेकिन किस स्थान से किसके दरवाजे तक यह अंकित नहीं है। क्रमांक 03 की आपति में कैशबुक में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य अंकित किया गया है, जबकि ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन फीडिंग में सी0सी0 रोड़ मेन्टीनेन्स एण्ड रिपेयर्स अपलोड किया गया है। आपति क्रमांक 04 पर प्रधान द्वारा नगद 20000=00 रु0 निकाल कर तालाब में पानी भरायी का कैशबुक में अंकित किया गया है। उक्त भुगतान पानी भरायी करने वाली फर्म/व्यक्ति के नाम न करके प्रधान के नाम ऑनलाइन पेमेन्ट लेकर सम्बन्धित को नगद भुगतान करके वित्तीय अनियमितता की गयी है।

कैशबुक एवं प्रियासॉफ्ट की जांच से ज्ञात हुआ की क्रमांक 01,02,03,05, के कार्यों की मात्र सामग्री क्रय की गयी थी जिसके सापेक्ष पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। मात्र सामग्री क्रय की गयी है। और न ही स्टॉक पंजिका, निर्माण रजिस्टर बनाये गये हैं, जिससे क्रय सामग्री की पुष्टि व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक पंजिका, निर्माण रजिस्टर व्यय पत्रावलियों के अभाव में नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही है।

अतः इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री रामू अहिरवार एवं प्रधान श्री बाल किशनद्वारा अनियमित कार्य हेतु विभागीय वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 27ग्राम पंचायत इटौरा राठ के वर्ष 2020-21 के ई- ग्राम स्वराज ऑनलाइन में आप-व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेख के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रिया साफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.2020 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.2020 को ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	-	अज्ञात
					बैंक में	764074	
					योग	764074	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		1724893	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		2488967	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 में व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		1142256	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.2021 में कैश-बुक के	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.2021 के ऑनलाइन फीडिंग	नकद	-	अज्ञात
					बैंक में	1346711	
					योग	1346711	

	अनुसार अवशेष धनराशि			के अनुसार अवशेष धनराशि			

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दी गयी सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री रामू अहिरवार द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत इटौरा राठ के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय रु0 1142256=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री रामू अहिरवार द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं। जिसके लिये तत्कालीन सचिव रामू अहिरवार पूर्ण रूप से दोषी हैं अधिकांशता प्रियासॉफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 01 से 08 तक की सूचना/अभिलेख ऑनलाइन अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही।

अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री रामू अहिरवार एवं प्रधान श्रीमती सुमन रानी के द्वारा अनियमित कार्य हेतु विभागीय वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 28 ग्राम पंचायत इकठौर के वर्ष 2020-21 के ई- ग्राम स्वराज ऑनलाइन में आप-व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेख के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रिया साफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.2020 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.2020 को ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	51094	अज्ञात
					बैंक में	754535	
					योग	805629	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		1237112	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		2042741	अज्ञात

4	वर्ष 2020-21 में व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		1130016	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.2021 में कैश-बुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.2021 के ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार अवशेष धनराशि	नकद	51094	अज्ञात
					बैंक में	861631	
					योग	912725	

आलोच्य वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायत इकठौर की लेखा परीक्षा करने हेतु सचिव श्री रामू अहिरवार से अभिलेख सहा० वि० अधि० (पं०) /खण्ड विकास अधिकारी के मध्यम से उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 20.01.2022 एवं 16.03.2022 एवं पत्र दिनांक 30.03.2022 के मध्यम से लिखा गया तथा सचिव से कई बार मौखिक दूर भाष के मध्यम से अभिलेखों की मांग की गयी परन्तु वर्ष 2020-21 में कार्यरत रहे सचिव श्री रामू अहिरवार के द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। जबकि लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शासन द्वारा शासनादेश सं० आडिट 2953/2009-10 (64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 द्वारा ए०डी०ओ० पंचायत को नोडल अधिकारी नामित करते हुये आडिट दल को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। नोडल अधिकारी द्वारा भी अपनी जिम्मेदारी निर्वाहन न कर शासनादेश की अवहेलना की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि रु० 1130016 के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही।

अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री रामू अहिरवार एवं प्रधान श्रीमती प्रमोद कुमारी के द्वारा अनियमित कार्य हेतु विभागीय वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०- 29ग्राम पंचायत हरसुण्डी के वर्ष 2020-21 के ई- ग्राम स्वराज ऑनलाइन में आप-व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेख के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रिया साफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.2020 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.2020 को ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	-	अज्ञात
					बैंक में	3639702	
					योग	3639702	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		2548355	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		6188057	अज्ञात

4	वर्ष 2020-21 में व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		2383155	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.2021 में कैश-बुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.2021 के ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार अवशेष धनराशि	नकद	-	अज्ञात
					बैंक में	3804902	
					योग	3804902	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री गगन सोनी द्वारा दी गयी सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत हरसुण्डी के ई-ग्राम स्वराज आनलाइन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 2383155=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं। जिसके लिये तत्कालीन सचिव रामस्वरूप ओमरेपूर्ण रूप से दोषी हैं अधिकांशता प्रियासॉफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 01 से 08 तक की सूचना/अभिलेख आनलानड अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही। अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे एवं प्रधान श्री दृगपाल के द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 30 ग्राम पंचायत न्यूलीवांसा के वर्ष 2020-21 के ई- ग्राम स्वराज ऑनलाइन में आप-व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेख के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रिया साफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.2020 को कोषवही के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.2020 को ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि	नकद	361858	अज्ञात
					बैंक में	2649211	
					योग	3011069	
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		2114281	अज्ञात

3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		5125350	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 में व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		1661255	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.2021 में कैश-बुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.2021 के ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार अवशेष धनराशि	नकद	361858	अज्ञात
					बैंक में	3102237	
					योग	3464095	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री गगन सोनी द्वारा दी गयी सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत न्यूलीवांसा के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 1661255=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं। जिसके लिये तत्कालीन सचिव रामस्वरूप ओमरेपूर्ण रूप से दोषी हैं अधिकांशता प्रियासॉफ्ट पर निर्धारित प्रारूप 01 से 08 तक की सूचना/अभिलेख आनलानइ अपलोड नहीं किये गये हैं। जिससे अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही। अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे एवं प्रधान श्रीमती नीलम के द्वारा अनियमित कार्य हेतु विभागीय वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0- 31 ग्राम पंचायत लोधीपुरा के वर्ष 2020-21 के ई- ग्राम स्वराज ऑनलाइन में आप-व्यय का विवरण निम्न प्रकार अपलोड किया गया है।

क्रमांक	मद/विवरण मूल अभिलेख के अनुसार	धनराशि	क्रमांक	मद/विवरण प्रिया साफ्ट के अनुसार	धनराशि		अन्तर की धनराशि
1	दिनांक 01.04.2020 को कोषवही के	अभिलेख अप्राप्त	1	01.04.2020 को ऑनलाइन फीडिंग	नकद	शून्य	अज्ञात
					बैंक में	2707687	
					योग	2707687	

	अनुसार प्रारम्भिक धनराशि			के अनुसार प्रारम्भिक धनराशि			
2	वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	2	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार प्राप्त धनराशि		1019290	अज्ञात
3	क्रमांक (01+02) का योग	अभिलेख अप्राप्त	3	क्रमांक (01+02) का योग		3726977	अज्ञात
4	वर्ष 2020-21 में व्यय धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	4	वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार व्यय धनराशि		1024890	अज्ञात
5	वर्षान्त 31.03.2021 में कैश-बुक के अनुसार अवशेष धनराशि	अभिलेख अप्राप्त	5	वर्षान्त 31.03.2021 के ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार अवशेष धनराशि	नकद	शून्य	अज्ञात
					बैंक में	2702087	
					योग	2702087	

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017-1988/17 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख अपने प्रतिस्थानी को नहीं देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर हस्तान्तरण न करने वाले पंचायत के सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित कराते हुये शासन को अवगत कराया जाये, साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त भी यदि 10 दिन के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार विविध कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित की जाये। वर्तमान सचिव श्री गगन सोनी द्वारा दी गयी सूचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे द्वारा अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही कोई कार्यवाही अपने स्तर से की गयी है। इस प्रकार शासन के आदेशों के अनुपालन न करने से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत लोधीपुरा के ई-ग्राम स्वराज आनलाईन फीडिंग के अनुसार वर्ष 2020-21 में अंकित व्यय ₹0 1024890=00 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तत्कालीन सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे द्वारा चार्ज में न देकर गंभीर अनियमितता का कार्य किया है। जो लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं। जिसके लिये तत्कालीन सचिव रामस्वरूप ओमरेपूर्ण रूप से दोषी है। अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि के अपहरण अनियमितता दुरुपयोग के प्रकरणों के अभिलेखों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही। अतः इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आय-व्यय की धनराशि के जांचोपरान्त व्यय धनराशि की पुष्टि कराये जाने की कार्यवाही करते हुये तत्कालीन सचिव श्री रामस्वरूप ओमरे एवं प्रधान श्रीमती गीता रानी राजपूत के द्वारा अनियमित कार्य हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद महोबा

ग्राम पंचायत-सुगिरा, विकास खण्ड-जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-1- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत जैतपुर ग्राम पंचायत सुगिरा वर्ष 2020-21 में पंचम राज्यवित्त एवं 15 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्नविवरण के अनुसार किया गया।

मद का नाम	विवरण
○ हैण्डपम्प मरम्मत	527726.00
○ पुलिया मरम्मत	235803.00
○ कूड़ा सफाई कार्य	289000.00
○ सी.सी. निर्माण	1145423.00
○ प्रशासनिक व्यय	191851.00
○ प्रधान मानदेय	38500.00
○ सा. शौचालय	306804.00
○ पंचायत भवन मरम्मत	190250.00
○ वाउण्ट्री वाल मरम्मत	71755.00
○ टंकी निर्माण	124000.00
○ जू.हा.स्कूल टायल्सीकरण	688487.00
○ गौशाला प्रबंधन	97500.00

कुल योग- 3907099.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत सुगिरा में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मान कर ग्राम प्रधान श्रीमती रानी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सचिव श्री निजाम अली उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2020-21 में कैशबुक में अंकित व्यय 3907099.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कैथोरा, विकास खण्ड-जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-2- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत जैतपुर ग्राम पंचायत कैथोरा वर्ष 2020-21 में पंचम राज्यवित्त एवं 15 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्नविवरण के अनुसार किया गया।

मद का नाम	विवरण
○ हैण्डपम्प मरम्मत	256880.00
○ नाला निर्माण	541050.00
○ प्रशासनिक भुगतान	106102.00
○ प्रधान मानदेय	28000.00
○ सा. शौचालय	300860.00
○ सफाई कार्य	14160.00
○ सी.सी. निर्माण	915516.00

कुल योग- 2162568.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत कैथोरा में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मान कर ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सचिव श्री मिथलेश कुमार उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2020-21 में कैशबुक में अंकित व्यय 2162568.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भगारी, विकास खण्ड-जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-3-- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत जैतपुर ग्राम पंचायत भगारी वर्ष 2020-21 में पंचम राज्यवित्त एवं 15 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्नविवरण के अनुसार किया गया।

मद का नाम	विवरण
○ हैण्डपम्प मरम्मत	157230.00
○ सोलरलाईट/विद्युतीकरण	58800.00
○ पेयजल/टैंकरभाड़ा	80000.00
○ सी.सी. निर्माण	81156.00
○ गौशाला चरही निर्माण	37100.00
○ सबमर्सिबल / टंकी	740554.00
○ प्रशासनिक व्यय	34448.00
○ प्रधान मानदेय	63000.00
○ कूप ब्लास्टिंग	47000.00
○ जू.हा. स्कूल टायल्सीकरण	93000.00
○ सा. शौचालय	324950.00

कुल योग- 1717238.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत भगारी में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मान कर ग्राम प्रधान श्रीमती कला एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सचिव श्री भूपेंद्र सोनकिया उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2020-21 में कैशबुक में अंकित व्यय 1717238.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बुधौरा, विकास खण्ड-जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-4- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत जैतपुर ग्राम पंचायत बुधौरा वर्ष 2020-21 में पंचम राज्यवित्त एवं 15 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्नविवरण के अनुसार किया गया।

मद का नाम	विवरण
○ हैण्डपम्प मरम्मत	137180.00

○ सामग्री भुगतान	498171.00
○ प्रशासनिक भुगतान	62503.00
○ प्रधान मानदेय	2000.00
○ सा. शौचालय	300860.00
○ एन.आर.एल.एम.	2720.00

कुल योग- 1043434.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत बुधौरा में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मान कर ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सचिव श्री पुष्पेंद्र, श्री बृजेश कुमार, श्री भूपेंद्र सोनकिया उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2020-21 में कैशबुक में अंकित व्यय 1043434.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-लडपुरा, विकास खण्ड-जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या-5- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत जैतपुर ग्राम पंचायत लडपुरा वर्ष 2020-21 में पंचम राज्यवित्त एवं 15 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्नविवरण के अनुसार किया गया।

मद का नाम	विवरण
○ हैण्डपम्प मरम्मत	159910.00
○ सामग्री भुगतान	680026.00
○ श्रमिकों का भुगतान	103600.00
○ प्रधान मानदेय	10500.00

कुल योग- 954036.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत लडपुरा में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मान कर ग्राम प्रधान श्री करन सिंह (01.04.2020 से 25.12.2021 तक) एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सचिव श्री चंद्रभान वर्मा उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2020-21 में कैशबुक में अंकित व्यय 954036.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-लमौरा, विकास खण्ड-जैतपुर वर्ष 2020-21

प्रस्तरसंख्या-6- लेखा परीक्षा दौरान क्षेत्र पंचायत जैतपुर ग्रामपंचायत लमौरा वर्ष 2020-21 में पंचम राज्यवित्त एवं 15 वे वित्त के अंतर्गत कैशबुक में अंकित व्यय (मनरेगा को छोड़कर) निम्नविवरण के अनुसार किया गया।

मद का नाम	विवरण
○ हैण्डपम्प मरम्मत	237533.00
○ प्रा.वि.मरम्मत	9500.00
○ प्रशासनिक भुगतान	64127.00
○ प्रधान मानदेय	28000.00
○ सा. शौचालय	337200.00

○ सफाई कार्य	17382.00
○ इंटरलॉकिंग कार्य	207440.00
○ गौशाला मरम्मत	70000.00

कुल योग- 971182.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार किया गया व्यय ग्राम पंचायत लडपुरा में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई (व्यय प्रमाणक) कार्य योजना, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. वित्तीय स्वीकृति, वाउचर, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये, कैशबुक में दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मान कर ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सचिव श्री मिथलेश कुमार उत्तरदायी व्यक्तियों से वर्ष 2020-21 में कैशबुक में अंकित व्यय 971182.00 साक्ष्य के अभाव में वसूली योग्य है, जिनकी तात्तारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-देवगनपुरा विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-7- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनंलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पंच आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 914510/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 914510/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पाठक एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 914510/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- महोबकंठ विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-8- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनंलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पंच आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 2278784/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 2278784/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पाठक एवं ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 2278784/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-रूरी कला विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-9- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनॅलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 4800956/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेंट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 4800956/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पाठक एवं ग्राम प्रधान श्री नन्दराम उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 4800956/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-भुजपुरा विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-10- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनॅलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 2134676/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेंट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 2134676/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री जगदीश चन्द्र उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 2134676/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत-परापातर विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-11- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनॅलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 1783610/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेंट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 1783610/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके

लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता कुमारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 1783610/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- दादरी विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-12- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनॅलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 1288154/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 1288154/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 1288154/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- तेड़या विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-13- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनॅलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 2546701/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 2546701/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती हर कुँवर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 2546701/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- चौका विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-14- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनॅलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 4990355/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में

कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 4990355/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री दशरथ सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 4990355/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- ब्रह्मौरी कुर्मिन विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-15- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनॅलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 1712939/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 1712939/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र मिश्रा उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 1712939/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- कौनिया विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-16- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनॅलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 2182405/- का व्यय रहा। व्यय की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेन्ट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 2182405/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पाठक एवं ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 2182405/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- पनवाडी विकास खण्ड- पनवाडी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-17- आलोच्य वर्ष 2020-21की आनॅलाइन/आफ लाइन लेखा परीक्षा में आफ लाइन ग्राम पं०वि० अधिकारी द्वारा अपूर्ण हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित कैशबुक के अलावा/अतिरिक्त कोई भी अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आडिट प्लान के साथ नोडल अधिकारी (पं० आडिट) को दिये गये पत्र के साथ अभिलेखों की मांग सूची का बार-बार उल्लेख किये जाने के बाद भी किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक के अभाव में वास्तविक आय एवं व्यय हेतु आहरित धनराशि की भी पुष्टि न की जा सकी। (ई-ग्राम स्वराज) पर प्रदर्शित व्यय एवं प्रस्तुत हस्त लिखित कैशबुक के आधार पर ग्राम पंचायत वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 14432303/- का व्यय रहा। व्यय

की गयी धनराशि की नियमितता, औचित्य एवं वास्तविकता की पुष्टि हेतु प्रमाणकों यथा टेंडर पत्रावली, एमबी. बुक, बैंक स्टेटमेंट, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि में कुछ भी प्रस्तुत नहीं रहा। इस तरह सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि ₹0 14432303/- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल पाठक एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अखिलेश उत्तरदायी हैं। नियमानुसार दोनों से मय ब्याज 14432303/- की वसूली अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- गोरखा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-18 वर्ष 2020-21 में 08.11.2022 को 15 वे वित्त आयोग से नाली निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान श्री राज ट्रेडर्स को किया गया है जिसका वर्क आईडी 42503661 है। परन्तु उस कार्य का अब तक रिपोर्ट लिखे जाने तक मजदूरी का भुगतान पीएफएमएस पर होना दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य हुआ ही नहीं। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक और एम.आर. अप्राप्त होने सामग्री के अपहरण की पुष्टि होती है। चूंकि एक ही वर्क आईडी पर पीएफएमएस में सामग्री और मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके लिये जिम्मेदार सचिव और एडीओ पंचायत श्री सत्येन्द्र भूषण और प्रधान श्री गुलाब से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 21.12.2020 को 19500.00 और 19500.00 प्रधान और सचिव द्वारा श्री प्रेम चंद्र मिस्त्री को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान किया गया है जिससे सामग्री भी क्रय है। पंचायत लेखा मैनुअल का उल्लंघन करके वित्तीय भुगतान किया गया है। इसके लिये जिम्मेदार सचिव और एडीओ पंचायत श्री सत्येन्द्र भूषण और गुलाब हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बपरेथा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-20- (क) आलोच्य वर्ष में दिनांक 26.03.2021 को 15 वे वित्त आयोग 19500.00 से भुगतान गौशाला में पानी हेतु दीन दयाल फर्म को किया गया है। इस फर्म को पानी आपूर्ति हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरे जिस मद पर व्यय किया गया है वो 15 वे वित्त आयोग के गाइड लाइन के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। राज वित्त में इस कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि थी परन्तु 15 वे वित्त आयोग का धनराशि किया गया है। उक्त व्यय के लिये एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव सोयेब दुरानी उत्तरदायी हैं और ब्याज सहित वसूली की अपेक्षित है। (पैरा क)

प्रस्तर संख्या-21 इसी प्रकार 26.03.2021 को 15 वे वित्त आयोग 19500.00 फोटो कॉपी और स्टेशनरी हेतु अब्दुल गफ्फर को दिया गया है और राज वित्त से 21.12.2020 को 19000.00 नंद किशोर को फोटो कॉपी और स्टेशनरी हेतु भुगतान किया गया है। जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इसी प्रकार पूरे वर्ष में 1196949.00 दोनों वित्त स्रोतों से व्यय हुआ है और 24 दिसंबर 2020 के बाद मात्र 159770.00 व्यय रहा है। इस प्रकार उक्त व्यय 159770.00 नियम विरुद्ध रिबोर पर व्यय है जिसका व्यय प्रमाणक और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार सरकारी धनराशि का गबन की पूरी संभावना है। इसके लिये जिम्मेदार एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 आलोच्य वर्ष में दिनांक 28.11.2020 को 211722.00 15वे वित्त आयोग से सामग्री का भुगतान दीन दयाल फर्म को किया गया है। वर्क आईडी 42295352 है। इस नाली निर्माण कार्य की आईडी पर मजदूरी भुगतान आज तक नहीं हुआ है। इससे कार्य न होने और सामग्री के निजी हित में उपभोग करने की पुष्टि होती है। फर्जी उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। चूंकि आज तक आईडी पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। इससे कार्य न होने की पुष्टि होती है। ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती अखिलेश रानी सचिव श्री सोयेब दुरानी से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 आलोच्य वर्ष में 26.03.2021 को 79885.00 को 15 वे वित्त आयोग से भुगतान लोधी बोरवेल को किया गया है। चूंकि 24.12.2020 को प्रधान के कार्यकाल समाप्त होने के बाद एडीओ आईएसबी प्रशासक और

सचिव की समिति द्वारा ग्राम पंचायत के पहले से चल रहे कार्यो को पूरा करना और पीने के लिये पानी पर सीमित अधिकार दिये गये थे। प्रशासक एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव श्री सोएब द्वारा उक्त व्यय सबमर्सिबल स्थापना हेतु किया गया है परंतु कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पर प्रशासक का हस्ताक्षर नहीं है। इससे कार्य नहीं होने की पुष्टि होती और धनराशि एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव द्वारा अपने निजी हित में व्यय किये जाने की पूरी संभावना है। इस प्रकार 79885.00 के अपहरण की संभावना है। उक्त की वसूली ब्याज सहित एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव श्री सोएब दुरानी से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- करहरा खुर्द विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-24-क - आलोच्य वर्ष में 17.11.2020 को रु.10000.00 चरवाहा श्री धर्मपाल को गौशाला का रख रखाव का भुगतान 14 वां वित्त आयोग से किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइड लाइन में इस तरह के मद में व्यय पर रोक है। इस प्रकार अनियमित व्यय सचिव श्री सुएब दुरानी, प्रधान श्री जय हिंद सिंह और तत्कालीन एडीओ आईएसबी (प्रशासक) के द्वारा किया गया है। इन पर नियमानुसार कार्यावाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25-इसी प्रकार 08.02.2021 को रु.5500.00 और रु.5500.00 का भुगतान गऊशाला के रख रखाव हेतु संतोष कुमार पुत्र रामेश्वर को भुगतान करके केन्द्रीय वित्त अनुदान व्यय गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है। इसके लिये जिम्मेदार सचिव श्री शोएब, तत्कालीन एडीओ आईएसबी (प्रशासक) है। इन पर नियमानुसार कार्यावाही अपेक्षित है। प्रधान का कार्यकाल 24/25.12.2020 को समाप्त हो गया था।

प्रस्तर संख्या-26- पंचायत भवन में फर्नीचर एक नग ही क्रय का आदेश जिले से किया गया था परंतु 26.03.2021 को रु.42300.00 का भुगतान गौसिया टिंबर को उसी दिन रु.41300.00 का भुगतान श्री बाला जी कंस्ट्रक्शन करके लिया गया है इस प्रकार एक नग अधिक क्रय करके सरकारी धनराशि का अपव्यय किया गया है। इसकी वसूली तत्कालीन एडीओ आईएसबी (प्रशासक) और सचिव शोएब दुरानी से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27. 20.12.2020 को रु. 62542.00 का भुगतान, 15 वां वित्त आयोग से दीन दयाल का रास्ता मरमत के लिये किया गया है। इसमें सामग्री और मजदूरी का विवरण नहीं दिया है। जब ग्राम पंचायत में सफाई किट है और सफाई कर्मचारी मौजूद है तो फिर सरकारी धनराशि अपव्यय करके सरकारी धनराशि को दुरुपयोग किया गया है। बाउचर को पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के 8(ख) के तहत निरस्त किया जाता है। इसकी वसूली, प्रधान श्री जय हिन्द और सचिव श्री शोएब दुरानी से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जतौरा विकास खण्ड- चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-28-आलोच्य वर्ष में दिनांक 09.02.2021 को 15 वे वित्त आयोग से रु.4850.00 गौशाला में पानी क्रय पर व्यय किया गया है। यह व्यय 15 वे वित्त आयोग टाइड अनटाइड के टाइड व्यय में नहीं आता है। और प्रशासनिक व्यय में भी नहीं आता है। इस प्रकार इस बाउचर को निरस्त कर तत्कालीन प्रधान, एडीओ एसटी प्रशासक और सचिव से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29-आलोच्य वर्ष में दिनांक 11.05.2020 को 14 वे वित्त आयोग से रु.115601.00 सामग्री का भुगतान नईम मोहमद कांटेक्टर को किया गया है। वर्क आईडी 15642384 है। यह किस कार्य के लिये है स्पष्ट नहीं हो सका। इस आईडी पर मजदूरी भुगतान नहीं होने से फर्जी व्यय की पुष्टि होती है। व्यय प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त और लेखा मेनुअल अध्याय 8(क)के अनुसार अपहरण की कोटि में आता है। मजदूरी भुगतान इस आईडी पर ई-ग्रामस्वराज के पोर्टल पर नहीं दर्ज होने से व्यय की पुष्टि नहीं होती है। तत्कालीन सचिव और प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-गुढा विकास खण्ड- चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-30 आलोच्य वर्ष में 15 वे वित्त आयोग से रु.246913.00 (दिनांक 12.12.2020 को रु.132627.00 ट्रैक्टर भाड़ा और सफाई की मजदूरी और 17.12.2020 को रु.114286.00 सफाई कार्य की मजदूरी और ट्रैक्टर भाड़ा सफाई कार्य हेतु) सफाई कार्य पर व्यय किया गया है, जबकि केन्द्रीय वित्त का उपभोग टाइड और अनटाइड

मद में व्यय करने निर्देश दिया गया है। टाइड में वाटर प्लांट, पाइप लाइन, वाटर हावेस्टिंग, हैंड पंप रेबोर और मरम्मत कार्य और सेनिटेशन कार्य जैसे नाली निर्माण और अनटाइड मद में जीपी के परिसंपत्ति का निर्माण और मरम्मत कार्य है। परन्तु प्रधान श्री प्रेमनारयण, सचिव श्री आदित्य सिंह यादव ने मनमाने ढंग से सरकारी धनराशि का अपव्यय किया है। दूसरा, जब जीपी में सरकारी सफाई कर्मी नियुक्त है तो फिर क्यों आउट सोर्सिंग से सफाई कराई जा रही है। तीसरी, जब दिनांक 25.4.2020 को रु.80280.00 का सफाई सामग्री राज ट्रेडर्स से व्यय किए गया है और रु.72618.00 का भुगतान 15 मजदूरी का मजदूरी भुगतान एमआर से किया गया है और 15 मजदूरों की मजदूरी दर 182.00 के हिसाब से। $5096 \times 14 + 1274 \times 1 = \text{रु.}72618.00$ देना दर्शित है जबकि मजदूरी रु.201.00 प्रति मजदूर 2020-21 में निर्धारित है 28 दिनांक सफाई कार्य चलता रहे कैसे संभव है इस प्रकार यह फर्जी एमआर बनाकर सरकारी धनराशि का गबन किया गया है।

क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक और डेड स्टॉक पंजीका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने से रु. 80280.00 के क्रय की पुष्टि नहीं होती है। जब आउट सोर्सिंग से सफाई कराई जा रही है तब सफाई सामग्री क्रय का औचित्य को स्पष्ट प्रधान और सचिव द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार उपरोक्त समस्त धनराशि रु.246913.00 का 15 वे वित्त आयोग से और रु.152890.00(80280+72618) का फर्जी व्यय दर्शाकर गबन किया गया है। बाउचर से कूड़े कितना टन था। कितने राउंड ट्रैक्टर से ढुलाई किया गया । जीपी के 6 समितियों में जल प्रबंधन और स्वच्छता समिति द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त प्रकरण में मजदूर 28 दिन तक सफाई करते रहे और पंद्रहवा मजदूर 7 दिन सफाई किया जो इतना दिन सफाई संभव नहीं हो सकती। उक्त समस्त व्यय प्रमाण पत्र को लेखा मैनुअल के अध्याय 8के 8ख के तहत निरस्त करके तत्कालीन प्रधान और सचिव से रु.399803.00 की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।(पैरा 1)

प्रस्तर संख्या-31- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्री नारायण के खाते में भुगतान किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त और राज वित्त भुगतान गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित किया गया अन्यथा की स्थिति में सचिव और प्रधान से वसूली करने का प्रावधान है। इस प्रकार तत्कालीन सचिव और प्रधान से जांचोपरान्त ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण नीचे दिया गया है-

15.12.2020 को निम्न सीसी रोड निर्माण की मजदूरी भुगतान प्रधान को किया गया है 47360.00 चतुर्थ वित्त आयोग से 48363.00 14 वे वित्त आयोग से,

47762.00 14 वे वित्त आयोग से

47561.00 14 वे वित्त आयोग से और

26.03.2021 को 42357.00 पंचम वित्त आयोग

से भुगतान किया गया है। योग रु 233403.00 (पैरा 2)। यहाँ 42357.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव और एडीओ आइएसबी प्रशासक से करना अपेक्षित है क्योंकि प्रधान के कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद एडीओ आइएसबी प्रशासक और सचिव श्री आदित्य सिंह के डोंगल से हुआ है।

प्रस्तर संख्या-32- आलोच्य वर्ष में दिनांक 26/28.03.2021 को रु 199626.00 का 15 वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण की सामग्री का भुगतान राज ट्रेडर्स को किया गया है जिसका (वर्क आइडी 36433521 है) मजदूरी भुगतान एग्रामस्वराज पोर्टल पर आज तक दर्ज नहीं किया गया है। इसका मतलब कार्य हुआ ही नहीं और 199626.00 को फर्जी व्यय दर्शाकर सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रधान और सचिव श्री आदित्य सिंह का उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत जीपी के निर्वाचित एक सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इस धनराशि की वसूली सचिव श्री आदित्य सिंह और तत्कालीन एडीओ आइएसबी प्रभारी से अपेक्षित है। (पैरा 3) (चूँकि प्रधान के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर एडीओ आइएसबी प्रशासक बनाये गये थे।

प्रस्तर संख्या-33- आलोच्य वर्ष में दिनांक 26.03.2021 को करन के घर से वीर सिंह के घर तक सीसी निर्माण कार्य (वर्क आइडी 36433426) की सामग्री का भुगतान 202144.00 का भुगतान राज ट्रेडर्स को मंजूरी नियमानुसार

नहीं देना चाहिये क्योंकि 24/25 दिसम्बर 2020 को जब प्रधान कार्यकाल समाप्त हो गया तब केवल छोटा मोटा कार्य कराने चाहिये परन्तु निर्माण कार्य करके सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया है। और दूसरी, इसकी मजदूरी भुगतान प्रधान श्री प्रेमनारयण को किया गया है। जिसे प्रथम आपत्ति में लिखा गया है। इस प्रकार अनियमित व्यय करके अनियमितता की गयी है। इसके लिये सचिव और तत्कालीन पंचायत आईएसबी पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (पैरा 4)।

ग्राम पंचायत-अकठौवा विकास खण्ड- चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-34- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान कुल रु.126794.00 विभिन्न दिनांको प्रधान श्री अरविंद सिंह को भुगतान किया गया है जबकि केन्द्रीय और राज्य वित्त में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना है, इसके गाइड लाइन के अनुसार उल्लंघन करने पर सचिव और प्रधान उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार 19800.00, 44146.00 और 44558.00 की वसूली सचिव तत्कालीन एडीओ पंचायत और सचिव श्री सत्येन्द्र भूषण और प्रधान श्री अरविंद सिंह से अपेक्षित है। विवरण निम्न है 19.09.2020 को 19800.00 को 14 वे वित्त आयोग से, हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान प्रधान को, 21.9.2020 को 12000.00 हैण्ड पम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान प्रधान को 23.12.2021 को 44146.00 का 15 वे वित्त आयोग से और 44548.00 का 14 वे वित्त आयोग से सीसी रोड कार्य की मजदूरी प्रधान को भुगतान किया गया है। इससे 44146.00 मजदूरी वाले कार्य की सामग्री का भुगतान 189084.00 राज ट्रेडर्स को की गयी थी वह निरस्त हो गयी फिर भी मजदूरी भुगतान की गयी है।

प्रस्तर संख्या-35- 14.10.2020 को रु. 133567.00 4वे राज वित्त आयोग से वर्क आईडी 44801580 राज ट्रेडर्स को भुगतान 16.11.2020 को रु.198034.00 15वां वित्त आयोग से भुगतान राज ट्रेडर्स को भुगतान वर्क आईडी 43619815,

23.12.2020 को 105513.00 15वां वित्त आयोग से भुगतान राज ट्रेडर्स को वर्क आईडी 43619815,

23.12.2020 को 191329.00 14वां वित्त आयोग से भुगतान राज ट्रेडर्स को

उक्त समस्त भुगतान एक ही वेंडर को किया गया है टेण्डर प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है दूसरा उक्त समस्त व्यय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। तीसरा, उक्त समस्त के वर्क आईडी भुगतान के सापेक्ष एमआर का भुगतान आज तक ना तो पीएफएमएस से भुगतान किया गया है और ना ही ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य कराया ही नहीं गया और सामग्री या धनराशि का गबन किया गया है। इसके लिये उत्तरदायी सचिव और एडीओ पंचायत प्रभारी श्री सत्येन्द्र भूषण, प्रधान श्री अरविंद सिंह ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-36- आलोच्य वर्ष में दिनांक 25.4.2020 को 42000.00,

17.6.2020 को 42000.00 को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और

16.11.2020 को 24500.00 5वे एसएफसी से मानदेय का भुगतान प्रधान श्री अरविंद सिंह को किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रधान मानदेय पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई और पुराने सचिव का स्थानांतरण हो चुका है और वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि प्रधान का अधिक भुगतान का मामला है और अधिक जानकारी नहीं है। इस प्रकार 77000.00 अधिक मानदेय भुगतान की वसूली ब्याज सहित प्रधान और सचिव श्री सत्येन्द्र भूषण जो तत्कालीन एडीओ पंचायत थे से भी अपेक्षित है। अधिक भुगतान = 108500 - 31500 = 77000.00 (पैरा नंबर 3)

ग्राम पंचायत-सूपा विकास खण्ड- चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-37- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी और सामग्री का या केवल सामग्री का केवल सामग्री का भुगतान प्रधान श्रीमती सुमन शुक्ला को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त में भुगतान से संबंधित गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी का भुगतान मजदूर के खाते में और सामग्री का भुगतान पंजीकृत वेंडर

के खाते में भेजे जाने का निर्देश है अन्यथा की दशा में सचिव और प्रधान उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार जांचोपरांत निम्न

समस्त भुगतान की गई धनराशि रु. 1240785.00 वसूली प्रधान श्रीमती सुमन शुक्ला और सचिव श्री लाखन सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

- 13.4.2020 को 20000.00 वाटर सपलाई लाइन डालने की मजदूरी भुगतान प्रधान को और 195000.00 पशुओं का बाड़ा विकास का भुगतान अनिल कुमार पुत्र श्री आत्मा राम को भुगतान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से
- 15.4.2020 को 19990.00 और 19800.00 का चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से वाटर सपलाई लाइन के मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 20.7.2020 को 45000.00 और 20000.00 का क्रमशः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और 15वे वित्त आयोग से वाटर सपलाई लाइन का सामग्री और मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 10.8.2020 को 30000.00 का चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से और 44000.00 का 14 वां वित्त आयोग से मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 25.8.2020 को 60000.00 का 14 वां वित्त आयोग से जेसीबी से कचड़ा सफाई कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान को और 45000.00 का 14 वां राजवित्त आयोग से पाइप लाइन मरम्मत कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 09.09.2020 को 65000.00 और 65000.00 का 14 वां वित्त आयोग से हैण्डपंप लबवाई का भुगतान प्रधान को 56000.00 का,
- 14 वां राजवित्त आयोग से गौशाला में हैंड पंप बोर करवाई का भुगतान प्रधान को,
- 06.10.2020 को 46600.00 और 46600.00 का 14 वां वित्त आयोग से मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 38000.00 का 15 वे वित्त आयोग से कुशल मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 17.11.2020 को 40900.00 और 40900.00 और 30000.00 का 15 वे वित्त आयोग क्रमशः बारात शाला के एकल कक्ष का निर्माण भंडरा कक्ष निर्माण और मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 29.11.2020 को 20000.00 मजदूरी और 70000.00 दीवाल लेखन का भुगतान प्रधान को
- 19995.00 का फोटोकॉपी का भुगतान प्रधान को
- 32000.00 शौचालय निर्माण का मजदूरी भुगतान प्रधान को सभी को 15 वां वित्त आयोग से,
- 30.11.2020 को 33000.00, 20000.00 8000.00 और 60000.00 क्रमशः प्रायमरी स्कूल में टाइलस लगवाने, भूसा घर निर्माण, भूसा घर में

इंटरलकिंग की मजदूरिया प्रधान को भुगतान और ठंड से बचाव से उपाय पर भुगतान प्रधान को, ये सभी 15 वां वित्त आयोग से 15.12.2020 को 20000.00 का गौशाला में भूसा चारी निर्माण की मजदूरी भुगतान प्रधान को और रु.30000.00 का भुगतान प्रधान को चरवाहे को ठंड से बचाव और मानदेय भुगतान प्रधान को।

उक्त समस्त व्यय प्रमाणक और मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और नियम विरुद्ध भुगतान को लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के 8ख के तहत निरस्त किया जाता है और उच्चाधिकारियों से उत्तरदायी सचिव और प्रधान से वसूली की अपेक्षा की जाती है।

प्रस्तर संख्या-38- आलोच्य वर्ष में रु.1240785.00 का भुगतान प्रधान द्वारा अपने नाम लेने और शेष रु.3467855.00 (कुल व्यय वर्ष में 4708640.00-1240785.00 जो केवल मजदूरी पर व्यय है देखे आपत्ति नंबर एक) सामग्री पर विभिन्न तिथियों में भुगतान का व्यय प्रमाण पत्र, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर और उपभोग प्रमाण पत्र और जीएसटी कटौती के बारे में जानकारी नहीं हो सकी। लेखा मेनुअल के अध्याय 8के खण्ड क के तहत जीपी में व्यय समस्त धनराशि का व्यय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर समस्त धनराशि को गबन की श्रेणी में रखकर प्रधान और सचिव से वसूली की जायेगी। चूकि सचिव का

डोंगल और प्रधान के डोंगल से भुगतान किया जाता है तब प्रधान श्रीमती सुमन शुक्ला, सचिव लाखन सिंह से वसूली ब्याज सहित व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-जरौली विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-39- आलोच्य वर्ष में दिनांक 07.9.2020 को रु. 124695.00 और रु.109644.00 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सफाई कार्य हेतु क्रमशः सफाई कार्य की सामग्री और ट्रैक्टर का भाड़ा एव लेबर और भाड़ा का भुगतान। जब जीपी में सरकारी सफाई कर्मी नियुक्त है और सफाई किट क्रय किया गया है विगत पांच सालों में तो इतनी धनराशि (सफाई कर्मी का वेतन आदि) खर्च क्यों की गई? दूसरा, सफाई अभियान वर्ष में सिर्फ एक बार चलाने से क्या जीपी पूरे साल भर साफ रहेगी ? तीसरा, मजदूरी का स्पष्ट विवरण नहीं है और मजदूरों के खाते में भुगतान नहीं करके समस्त भुगतान वेंडर राज ट्रेडर्स को किया गया है जिसमें सामग्री, ट्रैक्टर का भाड़ा, और मजदूरी भी सम्मिलित है। दोनों की आईडी एक ही है।

15642689. चौथा सामग्री, भाड़ा और मजदूरी का पृथक विवरण नहीं दिया गया है। पांचवा ट्रैक्टर का इस कार्य हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। इससे स्पष्ट होता है कि सफाई के नाम पर सरकारी धनराशि की बर्बादी की गई है। यह पूरा मामला सरकारी धनराशि के अपहरण का है। इस व्यय प्रमाणक को निरस्त करते हुये (लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 ख क तहत) उक्त समस्त धनराशि प्रधान श्री रुद्र पाल सिंह, सचिव सादाब खान से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-40- आलोच्य वर्ष निम्न मजदूरियों का भुगतान प्रधान श्री रुद्रपाल सिंह के खाते में किया गया है। 14 वे वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग के गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित किया है और उल्लंघन की दशा में सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार निम्न धनराशियों की वसूली सचिव श्री सादाब खान और प्रधान श्री रुद्रपाल सिंह से ब्याज अपेक्षित है और साथ साथ विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

- 25.8.2020 को 30008.00 14 वे राज्य वित्त आयोग से इंटरलॉकिंग की मजदूरी का भुगतान आईडी 21018744
- 27.8.2020 को 30008.00 14 वे वित्त आयोग इंटरलॉकिंग की मजदूरी का भुगतान आईडी 21018744,
- 17.9.2020 को 26480.00 14 वे वित्त आयोग से इंटरलॉकिंग कार्य की मजदूरी का भुगतान आईडी 21018751
- 17.9.2020 को 26480.00 14 वे वित्त आयोग इंटरलॉकिंग कार्य की मजदूरी 21018738
- 24.3.2021 को 42516.00 और 44321.00 पंचम राज्य वित्त आयोग और से क्रमशः उजनेड स्कूल और प्रायमरी स्कूल में मरम्मत और टाइल्स लगवाने की मजदूरी का भुगतान आईडी 4417921 और 45234397
- 20.3.2021 को 51947.00 का 15 वे वित्त आयोग से प्रायमरी स्कूल उज्जनेडी में मरम्मत और टाइल्स लगवाने की मजदूरी का भुगतान आईडी 45234447 है।

प्रस्तर संख्या-41- आलोच्य वर्ष में दिनांक 17.9.2020 को 195538.00 का आईडी 21018738 और 195050.00 का आईडी 21018751. का 14 वे वित्त आयोग से सामग्री हेतु भुगतान खुशी कंस्ट्रक्शन को किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाण पत्र या वर्क प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह जानकारी हो सके कि उक्त धनराशि किस प्रकार के विकास कार्य में उपभोग की गई है इस प्रकार लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार जीपी में व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने पर समस्त व्यय धनराशि 395588.00 को अपहरण की कोटि में रख कर प्रधान श्री रुद्र पाल सिंह और सचिव श्री सादाब खान वसूली ब्याज सहित जांचोपरांत अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पहरेथा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-42- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्रीमती मालती देवी पत्नी लाखन लाल को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त के भुगतान संबंधित गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी का भुगतान मजदूर के खाते में ही भेजना निर्देशित किया गया है और उल्लंघन की दशा में सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होंगे। चूंकि 15 वे वित्त आयोग अप्रैल 2020 से लागू है। इस प्रकार मजदूरी मजदूर के खाते में न भेज कर प्रधान को निजी हित को ध्यान से भेजा गया है और इस प्रकार सरकारी धनराशि 67082.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। इसके लिये सचिव श्री लाखन सिंह और प्रधान श्रीमती मालती देवी पत्नी लाखन लाल से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क-31.10.2020 को सीसी रोड निर्माण की मजदूरी 39396.00 प्रधान श्री मालती देवी को 15 वे वित्त आयोग से। ख-03.8.2020 को सीसी रोड निर्माण कार्य की मजदूरी 27686.00 भुगतान को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से।

प्रस्तर संख्या-43-आलोच्य वर्ष में दिनांक 10.12.2020 को 54000.00 का पंचम राज्य वित्त आयोग से कचड़ा सफाई हेतु श्री राम ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है जिसका वर्क आईडी 43248849 है। इसमें मजदूरी भुगतान सीधे वेंडर के खाते में भुगतान किया गया है जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित किया गया है। दूसरा, जब स्थाई सरकारी सफाई कर्मों प्रत्येक जीपी में तैनात है तो फिर वेंडर या आउटसोर्सिंग से कार्य करवाकर सरकारी धनराशि क्यों अपव्यय की जा रही है? डीपीआरो महोबा द्वारा प्रयास यह करनी चाहिये की रोज रोज सफाई हर जीपी में हो और वर्ष में रोस्टरवाइ अभियान चलाकर सफाई कर्मियों से सफाई कराये। इससे सरकारी धनराशि अपव्यय पर रोक लगाई जा सकती है। इसमें कितना सामग्री और कितना राउंड ट्रेक्टर की ढुलाई आदि का और कितना टन कुड़ा ढोया गया स्पष्ट नहीं हो प्रधान श्रीमती मालती देवी, सचिव लाखन सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रिवई विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-44- (क) दिनांक 03.8.2020 को गौशाला में सीसी रोड निर्माण की मजदूरी 41400.00 और 42600.00 14 वां वित्त आयोग से भुगतान प्रधान श्री कमलेश तिवारी को किया गया है। यह भुगतान 14 वां वित्त आयोग के गाइड लाइन के विरुद्ध है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मजदूरी मजदूर के खाते में ही भेजना है। दूसरा गौशाला के चराही निर्माण की सामग्री का भुगतान 03.8.2019 को 195425.00 14 वां वित्त आयोग से किया गया है जो भुगतान राज वित्त से करने का निर्देश है न कि केन्द्रीय वित्त से। इस प्रकार उक्त समस्त व्यय 279425.00 नियम के विरुद्ध है और इसकी वसूली ब्याज सहित सचिव नरेश यादव, प्रधान श्री कमलेश तिवारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44(ख) दिनांक 08.12.2020 को 15 वां वित्त आयोग से 44550.00, 43000.00, 42300.00 सीसी रोड निर्माण की मजदूरी भुगतान प्रधान श्री कमलेश तिवारी को किया गया है जबकि 15 वां वित्त आयोग के गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित किया गया है और उल्लंघन की दशा में सचिव श्री नरेश यादव और प्रधान श्री कमलेश तिवारी से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44 (ग) दिनांक 10.12.2020 को 187036.00 14 वां वित्त आयोग से रस्ता एवं कचड़ा सफाई कार्य हेतु दीन दयाल को भुगतान किया गया है जबकि मजदूरी मजदूरों के खाते में भुगतान का आदेश है। दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायत में सरकार परमानेंट सफाई कर्मचारी की तैनाती है तो फिर आउटसोर्सिंग से कार्य करा के सरकारी धनराशि का गबन करने का प्रयास है। दिसंबर में सफाई कार्य क्यों कराया गया और कराना ही था तो प्रत्येक ग्राम पंचायत से सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी को एकत्रित कर कराना चाहिये जिससे सरकारी धनराशि को बचा कर विकास कार्य में लगाया जाता। यहाँ पर बिना अमआर के वेंडर को भुगतान के लिये, सचिव श्री नरेश यादव और प्रधान श्री कमलेश तिवारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। सरकारी धनराशि बेवजह व्यय से बचाने के लिये जनपद के अधिकारियों को अधिकतम जतन करना चाहिये। इसी तिथि को रु 52114.00 का

15 वां वित्त आयोग से सफाई किट केजीएन फर्नीचर से की गई है। इससे स्पष्ट है कि उक्त समस्त भुगतान मजदूर का भुगतान है जिसमें फर्जी तरीके से ट्रैक्टर का पंजीकरण इस कार्य हेतु होने का प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

प्रस्तर संख्या-44 (घ) - दिनांक 10.12.20 को पंचम राज्य वित्त आयोग से ही स्कूल में टाइल और मरम्मत कार्य की मजदूरी 39100.00 भुगतान प्रधान श्री कमलेश तिवारी को किया गया है। यह भुगतान नियम विरुद्ध है और इसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री नरेश यादव और प्रधान श्री कमलेश तिवारी से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सालट विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-45- 18.11.20 को 19970.00 फोटो कॉपी फोटो स्टेट और स्टेशनरी का 11.12.20 को 115044.00 नाली रास्ता और कचड़ा सफाई दीनदयाल को भुगतान परंतु मजदूरी मजदूरों के खाते में नहीं भेजा गया तथा समस्त व्यय प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और 20.12.2020 को पुनः 18982.00, का फोटो कॉपी और स्टेशनरी का भुगतान किया गया है जिसका व्यय प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। सामग्री की डेड स्टॉक पंजिका नहीं बनाने से उक्त धनराशि के अपहरण की पुष्टि होती है। प्रधान ब्रजगोपाल और सचिव नरेश से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बमरारा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-46- आलोच्य वर्ष में 25.3.2021 को 41300.00 का तीन भुगतान यानि 123900.00 15 वां वित्त आयोग से पंचायत भवन के फर्नीचर क्रय हेतु क्रमशः कुणाल ट्रेडर्स, गौसिया ट्रेडर्स और श्री बालाजी ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है। यहाँ एक ही सामग्री को तीन फर्मों को क्रय और भुगतान का प्रकरण है। पंचायत भवन में 41300.00 का ही फर्नीचर क्रय सभी पंचायत भवन में क्रय का ही आदेश दिया गया है। इस प्रकार 82600.00 फर्जी व्यय दर्शा कर भुगतान करके एडीओ पंचायत प्रशासक और सचिव सरकारी धनराशि को निजी हित में उपभोग करके गबन किया है। इसके लिये जिम्मेदार एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। प्रश्न यह भी है कि तीन अलग अलग फर्मों से एक ही सामग्री का भुगतान है। वर्तमान प्रधान श्रीमती अभिलाषा द्वारा बताया गया कि मात्र 41300.00 का ही फर्नीचर पंचायत भवन में है।

प्रस्तर संख्या-47- आलोच्य वर्ष में दिनांक 09.10.2020 को गौशाला निर्माण कार्य की 26306.00 का चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से मजदूरी भुगतान प्रधान को, 24.12.2020 को 25000.00 मजदूरी भुगतान प्रधान को 14 वां वित्त आयोग से। उक्त भुगतान मजदूरी मजदूरों के खाते में भेजने का आदेश है। इस प्रकार गलत तरीके से भुगतान करके प्रधान श्री रमेश चंद्र को निजी लाभ पहुँचाया गया है। इसके लिये जिम्मेदार प्रधान श्री रमेश चंद्र और सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48- दिनांक 29.3.2021 को 15 वां वित्त आयोग से 10000.00 गोपालक सुरेश कुमार को भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश है कि गोपाल को भुगतान राज्य वित्त से किया जाये परंतु राज्य वित्त में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद 15 वां वित्त आयोग से भुगतान करके सरकारी धनराशि का अनियमितता किया किया गया है। इसके लिये जिम्मेदार आईएसबी प्रशासक और सचिव हिमांशु अग्रवाल से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49- आलोच्य वर्ष में दिनांक 25.3.2021 को 188919.00 15 वां वित्त आयोग से कुणाल ट्रेडर्स को भुगतान स्कूल मरम्मत गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में एमआर प्रस्तुत नहीं करने से व्यय की संभावना नहीं है। जब 24/25 दिसंबर 2020 को प्र कार्यकाल समप्त हो गया था तब नया बड़ा कार्य नहीं करना चाहिये जो चल रहा है उसे ही पूर्ण कराना चाहिये। वर्क 3 47608675 है। इस आईडी पर एमआर नहीं बनाया गया है। ऐसे में उक्त धनराशि के गबन की संभावना है। एमआर न होने पर इसी (आईडी पर) एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव हिमांशु अग्रवाल से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बम्हौरी बेलदारन विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-50- आलोच्य वर्ष में दिनांक 09.8.2020 से 17.8.2020 तक 17512.00,17508.00 14 वां वित्त आयोग से हैण्डपंप मरम्मत कार्य लोधी बोरवेल को, 38794.00,13858.00,42335.00, 14 वां वित्त आयोग से गौसिया ट्रेडर्स को हैण्ड पंप मरम्मत हेतु 28914.00 14 वां वित्त आयोग से हैण्ड पम्प मरमत कार्य हेतु उमा इंटरप्राइजेज को और 28102.00 14 वां वित्त आयोग से छतरपुर फर्निचर को भुगतान किया गया है परंतु उक्त कार्यों पर कुल मजदूरी क्रमशः(वेंडरवाइस)7000.00×9=63000=00,5500×1=5500.00,2814×12=33768.00 और 1206=00×1=1206=00 यानि 103474.00 मजदूरी भुगतान बेंडोरो के खाते में भेजा गया है। हैण्डपंप वाले वेंडर के पास स्किल युक्त लेबर होते हैं और सामाग के साथ साथ ही लेबर चार्ज जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार फर्नीचर वाला लोडिंग अनलोडिंग और भाड़ा सहित कोटेशन होता है परंतु कोटेशन में यह खामी है। फर्नीचर महोबा में भी मिल जाता है तो छतरपुर से मंगवाने की क्या आवश्यकता थी। इससे स्पष्ट होता है कि बेवजह सरकारी धनराशि व्यय करके सचिव और प्रधान के निजी हित में उपभोग हुआ है। इसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री शिवांक यादव, प्रधान श्री सुरेश कुमार और तत्कालीन एडीओ पंचायत से करने की अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-51- दिनांक 05.11.2020 15 वां वित्त आयोग से नाली निर्माण कार्य हेतु दीन दयाल को 202847.00 भुगतान किया गया है, परंतु उक्त कार्य की आईडी 4220541 पर 31.3.2021 तक मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है। व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। आशंका है कि उक्त की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है और इस धनराशि की सामग्री का अपहरण कर लिया गया है और इसकी वसूली ब्याज सहित सचिव और प्रधान तथा एडीओ पंचायत से अपेक्षित है। ग्राम पंचायत में वित्त प्रबंधन हेतु वित्त और लेखा मेनुअल के अध्याय 8क के अनुसार किसी ग्राम पंचायत में व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्ष में प्रस्तुत नहीं किया जाजा है तो उसे गबन की कोटि में रखकर प्रधान और सचिव से वसूली किये जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत-खरेला देहात विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-52- आलोच्य वर्ष में दिनांक 25.8.2020 का कोविड 19 सामग्री क्रय हेतु 14 वे वित्त आयोग से 69526.00 का भुगतान केजीएन फर्नीचर हाउस से किया गया है। इस प्रकार के भुगतान के लिये प्रत्येक जीपी में 4000.00 से 17000.00 तक व्यय किये गये हैं जो जिले से आदेश का हवाला दिया गया और महामारी के प्रकोप प्रथम लहर के मद्देनजर इसको ऑडिट में मान लिया परन्तु 69526.00 का भुगतान जनपद के आदेश धनराशि की सीमा से अधिक व्यय करके सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इसकी वसूली सचिव श्री छत्रपाल और प्रधान श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी इंदिरा सिंह से अपेक्षित है। प्रधान द्वारा 6800.00 का मास्क विवरण हेतु व्यय किया गया है।

प्रस्तर संख्या-53- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न भेजकर प्रधान श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी इंदिरा सिंह के खाते में भेजा गया है। राज वित्त केंद्रीय वित्त में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना है और उल्लंघन करने पर सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार 150612.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव और प्रधान से अपेक्षित हैं।

- दिनांक 10.12.2020 को 14570.00 को 14 वे राज वित्त आयोग से स्कूल बाउंड्री निर्माण कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 10.12.20 को 27855.00 को 14 वे वित्त आयोग से स्कूल मरम्मत की मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 10.12.2020 को 50500.00 को 14 वे वित्त आयोग से स्कूल मरम्मत कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान को। 25.12.20 को 14 वे वित्त आयोग से 57687.00 रास्ता मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान प्रधान को।

- 10.12.2020 को 10000.00 को 15 वे वित्त आयोग से चरवाहा का भुगतान किया गया है। इस मद पर व्यय राज वित्त से करने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार का है। राज्य वित्त के खाता 50048263361 में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी। इस प्रकार सचिव श्री छत्रपाल सिंह और प्रधान श्रीमती सुनीता सिंह ही उत्तरदायी हैं और ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-लुहारी विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-54 1 21.8.20 को 305656.00 और 61809.00 पंचायत भवन निर्माण क्रय सामग्री का भुगतान शीतला बिल्डिंग मैटेरियल एंड सप्लायर को हुआ है परंतु आज तक उस पर मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है। सचिव सत्येंद्र भूषण द्वारा बताया गया कि कुछ सामग्री पड़ी है और उपयोग में नहीं लाई गयीं। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त सामग्री का अपहरण प्रधान और सचिव द्वारा किया गया है। इसी प्रकार 24.12.2020 को 399993.00 की धनराशि का सामग्री का भुगतान दीनदयाल ट्रेडर को हुआ है और आज तक उसकी आई टी पर लेबर भुगतान नहीं हुआ है। पूछे जाने पर सचिव द्वारा टाल-मटोल जवाब देना और उक्त तीनों का बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत लेखा मैनुअल की धारा 8(क) के अनुसार पंचायत में कराये गये कार्यों का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसको अपहरण की कोटि में रखते हुए प्रधान और सचिव से वसूली अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। सचिव सत्येंद्र भूषण और प्रधान लाखन लाल।

प्रस्तर संख्या-55- 1 20.11.20 को कचड़ा सफाई कार्य का भुगतान प्रधान श्री लखन लाल पुत्र गोविंददास को 58875.00 भुगतान करके 14 वे वित्त आयोग के गाइड लाइन का उल्लंघन करके सरकारी धनराशि का गबन किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। धारा 8(क) के अनुसार पंचायत में कराये गये कार्यों का व्यय प्रमाण पत्र आदि नहीं प्रस्तुत करने पर अपहरण की कोटि में रखते हुए प्रधान और सचिव से वसूली की जाने का प्रावधान है। तत्कालीन प्रधान और सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। 14 वे वित्त आयोग के अनुसार मजदूर के खाते में जाना निर्देशित है और सामग्री का भुगतान वेडर के खाते में। यहां प्रधान न तो मजदूर है और न ही वेडर है।

ग्राम पंचायत- सोहजना विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-56- 1. आलोच्य वर्ष 2020-21 में 17.4.20 को 15000.00, 08.9.20 को 10000.00 और 14 वे वित्त आयोग से और 20.12.20 को 6000.00 को 15 वे वित्त आयोग से टेंडर पर व्यय किया गया है। 31000.00 वाला वाउचर अप्राप्त रहा। अधिकतम 3000.00 धनराशि काट कर शेष 28000.00 की वसूली ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती मीना कुमारी और सचिव हिमांशू अग्रवाल से अपेक्षित है। वर्ष में एक बार समाचार पत्र में टेंडर देना चाहिये जैसे जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में होता है।

प्रस्तर संख्या-57- 2. 08.7.20 को मजदूरी 12558.00 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से और 20.12.20 को रास्ता मरम्मत की मजदूरी प्रधान को 15वे वित्त आयोग से भुगतान करके 15 वे वित्त आयोग भारत सरकार के निर्देशित गाइड लाइन के विरुद्ध भुगतान किया गया है कि मजदूरी मजदूर के खाते में ही भेजना है और इसके अवमानना होने पर सचिव और प्रधान से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-58- 3. 24.12.2020 को खाता प्रधान द्वारा संचालन पर प्रतिबंध हो गया और एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव द्वारा संचालन पीने के पानी जैसे छोटे छोटे कार्यों के लिये था परंतु सचिव और एडीओ पंचायत मिलकर 25.3.2020 को 152253.00 और 150980.00 क्रमशः प्राथमरी स्कूल और जूनियर स्कूल में मरम्मत हेतु 15 वे वित्त आयोग से कुणाल ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है और जो कार्य हुआ ही नहीं और इसका एमआर भुगतान आज तक नहीं हुआ है। ऐसे में सचिव हिमांशू अग्रवाल और एडीओ आईएसबी मिलकर उक्त धनराशि की अपहरण किया है और इस ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59- 28.3.2020 को 19800.00का हैंडपंप मरम्मत और 29.3.20 को 10000.00 को गोपाल का मानदेय भुगतान कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव हिमांशु अग्रवाल द्वारा 15 वे वित्त आयोग के गाइड लाइन के विरुद्ध भुगतान हैंडपम्प मरम्मत और गोपालक मानदेय पर किया है। नियमानुसार मजदूरी मजदूर के खाते में ही भेजना निर्देशित है और उल्लंघन करने पर सचिव और प्रधान से वसूली का प्रावधान है। इस प्रकार 29800.00 सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल, और एडीओ आईएसबी प्रशासक से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (चूंकि प्रधान का कार्यकाल 24/25 दिसम्बर 2020 को समाप्त हो जाने कारण वह उत्तरदायी नहीं है।)

ग्राम पंचायत-इमिलियाडांग विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-60(क)- दिनांक 05.02.2021 को 10000.00 14वे वित्त आयोग से गौशाला गोपालक श्री आशाराम पुत्र राससनेही को भुगतान किया गया है। केन्द्रीय वित्त से इस मद में व्यय की अनुमति नहीं दी गई है। इस नियम विरुद्ध भुगतान के लिये एडीओ आईएसबी, प्रधान श्री रामकिशन सचिव श्री सुहैल नसीम उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-60(ख)- आलोच्य वर्ष में दिनांक 05.4.2020 को एसी 50048263554 से 317919.00 और 106000.00 का आहरण पीएफएमएस से किया गया है। इससे संबंधित वर्कफाइल और व्यय प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि यह किसको और किस लिये भुगतान किया गया है चूंकि इस खाते में चतुर्थ, पंचम राज्य वित्त आयोग और 14 वे वित्त आयोग का ग्रांट्स जमा है इसलिये यह ज्ञात नहीं हो सका कि किस वित्त स्रोत से आहरण है। एग्रामस्वाराज पोर्टल में इस आहरण का अप्रैल मई 2020 में जिक्र नहीं है और न ही कोष वही में। इससे एक साजिस के तहत इस सरकारी धनराशि का उपभोग निजी हित में करके अपहरण किया गया है। इसके लिये पीएफएमएस संचालक श्री अमित कुमार सिंह, प्रधान श्री रामकिशन और सचिव श्री सुहैल नसीम से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। अगर यह साइबर क्राइम करके सरकारी धनराशि निकासी की गई तो अमित कुमार सिंह और इसमें शामिल लोगों पर कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सबूवा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-61- वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न बाउचर अप्राप्त रहे- 01.11.20 को भुगतान 119256.00 नाली निर्माण हेतु सामग्री हेतु सामग्री का भुगतान राज ट्रेडर्स को, 13.12.20 को 136497.00 समृद्धि ट्रेडर्स को भुगतान परंतु किस लिये, स्पष्ट नहीं हो सका। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार समस्त तीनों धनराशि अपहरण की कोटि में रखते हुये प्रधान श्रीमती मंजू देवी और सचिव श्री सुएब नसीम से वसूली अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भटेवराकला विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-62- आलोच्य वर्ष में दिनांक 14.12.2020 को 319378.00 का 15 वे वित्त आयोग से दीन दयाल फर्म को सामग्री हेतु भुगतान किया गया है जिसका वर्क आईडी 45325683 है का मजदूरी आज तक ऑडिट रिपोर्ट लिखे जाने तक ई-ग्रामस्वाराज के पोर्टल पर दर्ज नहीं। इस आईडी पर आज तक मजदूरी भुगतान नहीं करने से कार्य नहीं होने की पुष्टि होती है। लेखा परीक्षा में समस्त व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे जिससे व्यय की पुष्टि नहीं होती है। जिसके लिये जिम्मेदार प्रधान श्री दिनेश सिंह, सचिव श्री आदित्य सिंह से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कनेरा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-63- आलोच्य वर्ष में दिनांक 18.12.2020 को 10000.00 गोपालक को भुगतान 15 वे वित्त आयोग से किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त से इस मद में व्यय का निर्देश नहीं है। इस प्रकार इस अनियमितता

के लिये सचिव श्री नरेश यादव व प्रधान श्री संपत ही उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।(पैरा 1)

प्रस्तर संख्या-64- आलोच्य वर्ष में 169265.00 को 15 वे वित्त आयोग से 08.11.2020 को राज ट्रेडर्स को भुगतान नाली निर्माण कार्य हेतु किया गया है। इस कार्य का मजदूरी भुगतान आज तक ई-ग्रामस्वराज और बैंक स्टेटमेंट में दर्ज नहीं है। इसका मतलब कार्य हुआ ही नहीं। लेखा परीक्षा में उपभोग प्रमाण पत्र फर्जी प्रस्तुत किया गया। बाउचर अप्राप्त रहा। मजदूरी भुगतान ही नहीं किया गया तो कार्य पूरा कैसे हो सकता है। वर्क आईडी 41540464 पर पीएफएमएस भुगतान में कहीं पर मजदूरी भुगतान नहीं होने का प्रमाण है। इस प्रकार उक्त धनराशि को प्रधान श्री संपत सचिव श्री नरेश यादव और से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के तहत जीपी में व्यय धनराशि का व्यय प्रमाण नहीं मिलता है तो इसे अपहरण की कोटि में रख कर वसूली प्रधान और सचिव से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कमलखेड़ा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-65- दिनांक 25 दिसंबर 2020 को प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया तब 6 समितियां भी स्वतः भंग हो जाती हैं और प्रधान के बदले अगामी नये प्रधान चुने जाने तक प्रशासक और सचिव कार्य करते हैं। जिसमें नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते यानी नया कार्य नहीं करा सकते हैं जबकि तत्कालीन एडीओ आईएसबी प्रशासक और सचिव श्री हिमांशू अग्रवाल द्वारा 24.3.2021 को 171059.00 का 5वे राज वित्त आयोग से प्रायमरी स्कूल में मरम्मत कार्य, 188863.00 5वे राज वित्त आयोग से जूनियर हाई स्कूल मरम्मत कार्य और 25.3.2121 को स्कूल मरम्मत कार्य कराया गया है और ये सब सामग्री भुगतान कुणाल ट्रेडर्स को किया गया है दूसरा इनका एमआर आज तक ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्ज नहीं है। इसका मतलब ये कार्य हुआ ही नहीं है, इसका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर सचिव के साथ प्रशासक और ग्राम पंचायत एक सदस्य का हस्ताक्षर नियम 209 के तहत हो अनिवार्य है जो अब संभव नहीं है। इसलिये नया कार्य नहीं कराया जाता है। उक्त तथ्यों के मुताबिक उक्त समस्त धनराशि अपहरण पुष्टि होती है। लेखा परीक्षा में बाउचर और अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से भी गमन की पुष्टि होती है। उक्त समस्त की वसूली तत्कालीन एडीओ आईएसबी आईएस प्रशासक और सचिव श्री हिमांशू अग्रवाल से अपेक्षित है। (वर्क आईडी 49315041 और क्रमशः 49316103)

ग्राम पंचायत-बम्हौरी कला विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-66- 14 वे वित्त आयोग से आहरण निम्न धनराशि का व्यय प्रमाणक और संबंधित समस्त व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे

- 12.8.20 को 199638.00 (आईडी 17046674),
- 199969.00 (वर्क आईडी 17048678),
- दिन दयाल को भुगतान, 24.8.20 को 208433.00
- राज ट्रेडर्स को भुगतान यानी कुल 608040.00 और
- 16.11.20 को 378614.00 (आईडी 10507477) और 209061.00 (वर्क आईडी 17048648)
- 18.12.20 को 199530.00 (वर्क आईडी 17048628), 200785.00 (आईडी 17048689) का यानी कुल 987990.00 का भुगतान दिन दयाल को किया गया है। उक्त व्यय महायोग 1596030.00 के संबंधित आईडी के समक्ष मजदूरी का भुगतान ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है। इसे कार्य नहीं होने और सामग्री के उपभोग नहीं होने की पुष्टि होती है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के (8क) के तहत ग्राम पंचायत में व्यय का प्रमाणक नहीं प्रस्तुत करने पर पूरी धनराशि अपहरण की कोटि में रख कर प्रधान श्रीमती रूप रानी और सचिव छत्रपाल से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-स्वासामाफ विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-67- दिनांक 19.4.2020 और 02.5.2020 को प्रधान श्री सुमेर सिंह को 24500.00 और 24500.00 करके मार्च 2020 तक का मानदेय भुगतान दिया गया है चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से। लेखा परीक्षा में मानदेय पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि विगत वर्षों में कितना मानदेय भुगतान किया गया है। इस प्रकार 24500.00 अधिक भुगतान अनियमितता करके प्रधान को लाभ पहुंचाया गया है। चूंकि 07.01.2022 को ऑडिट के अनुसार अप्रैल से दिसंबर तक के मानदेय 3500×9=31500 की 49000.00 में से घटा कर 17500.00 की वसूली अपेक्षित थी परन्तु अधिभार लिखे जाने तक वसूली नहीं हो पाया है। इस प्रकार अधिक भुगतान 24500.00 की वसूली सचिव श्री शिवांक और प्रधान श्री सुमेर सिंह से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नरेडी विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-68- आलोच्य वर्ष में दिनांक 26.9.2020 को 151010.00 का भुगतान 14 वे वित्त आयोग से राज ट्रेडर्स को सामग्री हेतु किया गया है। सीसी रोड घनश्याम के घर से किशोरी के घर तक जिसका वर्क आईडी 17213720 एग्रामसेरोज पोर्टल पर दर्ज है परन्तु इस आईडी पर मजदूरी भुगतान नहीं होने से कार्य के न होने की पुष्टि होती है और सामग्री के गमन की आशंका बनी हुई है। तत्कालीन सचिव और प्रधान से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बैहारी विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-69- दिनांक 05.11.2020 को 15 वे वित्त आयोग से 258996.00 का भुगतान नाली निमार्ण कार्य हेतु सत्यम इंटरप्राइजेज को वर्क आईडी 41895498 पर किया गया है। परन्तु ऑडिट नोट लिखे जाने तक उस आईडी पर मजदूरी भुगतान ई-ग्रामस्वराज पर भुगतान दर्ज नहीं है। लेखा परीक्षा में उक्त बावचर प्रस्तुत नहीं किया गया और कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बनाया गया है, परन्तु मजदूरी भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या बिना मजदूरी के भी कार्य पूरा हो सकता है? उक्त धनराशि की वसूली सचिव श्री नरेश यादव, प्रधान श्री ब्रजेंद्र सिंह से अपेक्षित है।

2. दिनांक 25.12.2020 को 15 वे वित्त आयोग से 194499.00 का भुगतान सत्यम इंटरप्राइजेज को किया गया है। वर्क आईडी 36634184 पर परन्तु मजदूरी का भुगतान ई-ग्रामस्वराज और बैंक स्टेटमेंट में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। कार्य नहीं होने की आशंका है। तत्कालीन सचिव और प्रधान से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-70- आलोच्य वर्ष में दिनांक 08.7.2020 को 37545.00 ट्रेक्टर भाड़ा राज ट्रेडर्स को 14 वे वित्त आयोग से भुगतान किया गया है। यह सफाई कार्य का भाड़ा है तो यह कितने टन कचड़े का भाड़ा है यह एस्टिमेट पर नहीं दर्ज है। जब सफाई किट क्रय किया गया है और परमानेंट सरकारी सफाई कर्मचारी तैनात है तो कचरा को हर माह गढ़े में दबा या जला देना चाहिये। जनपद के उच्च अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि स्वच्छता के साथ साथ सरकारी धनराशि का बंदरबांट न हो। धनराशि का उपभोग विकासात्मक कार्यों में लगाया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार 37545.00 की दुरुपयोग की पुष्टि होती है। जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव और प्रधान से ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बरदा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-71- 1. 23.9.2020 को 15 वे वित्त आयोग से 18000.00 एचपी रिबोर की मजदूरी पृथक से मंगल सिंह मिस्त्री को भुगतान है जबकि रिबोर में सामग्री और मजदूरी सहित वेंडर या ठेकेदार को भुगतान किया जाता है लेकिन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वाउचर पर सामग्री और मजदूरी का पृथक विवरण दर्ज नहीं होने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार तत्कालीन सचिव और प्रधान से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नटरी विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-72- आलोच्य वर्ष में दिनांक 24.12.2020 को 8221.00 4वे राज वित्त आयोग से शौचालय मरम्मत की मजदूरी 14943.00 को 14 वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण की मजदूरी और 39306.00 का 14 वे राज्य वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण की मजदूरी का भुगतान प्रधान को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त अनुदान धनराशि के व्यय गाइड लाइन में स्पष्ट निर्देश है कि मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना है और उल्लंघन की दशा में सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होंगे। चूंकि 15 वे वित्त आयोग अप्रैल 2020 से लागू है और 14 वे वित्त आयोग का अवशेष धनराशि इस समय उपभोग किया जा रहा है तो 14 वे वित्त आयोग के गाइड लाइन लागू होंगे। पहले चेक सिस्टम से भुगतान होता था अब पीएफएमएस से भुगतान होता है। इस प्रकार तत्कालीन सचिव और प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-72-ख)- आलोच्य वर्ष में दिनांक 11.6.2020 को 38500.00, 4.12.2020 को 28000.00 और 24.12.2020 को 3500.00 को प्रधान श्रीमती गायत्री देवी द्वारा मानदेय का भुगतान प्राप्त किया गया है। कितने माह का मानदेय लिया गया है गत पांच सालों का मानदेय भुगतान पंजीका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने के कारण स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी। 12 माह का भुगतान घटाकर शेष अधिक भुगतान 28000.00 की स्थिति में नियमानुसार प्रधान श्रीमती गायत्री देवी और सचिव श्री सादाब खान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बारी विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-73- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्रीमती रामसखी पत्नी श्री राम प्रताप को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त से भुगतान संबंधित गाइड लाइन में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना है अन्यथा की दशा में सचिव और प्रधान से वसूली की जायेगी। इस प्रकार निम्न 179884.00 धनराशि तत्कालीन सचिव और प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

- 19.8.2020 को 41750.00 का सीसी रोड निर्माण की मजदूरी,
- 55827.00 का 14 वे वित्त आयोग से प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत कार्य की मजदूरी,
- 43415.00 का 14 वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण की मजदूरी,
- 17.12.2020 को 8000.00 को 15 वे वित्त आयोग से शौचालय मरम्मत की मजदूरी,
- 07.10.2020 को 30892.00 का 14 वे वित्त आयोग से बोंडेंडी निर्माण की मजदूरी प्रधान श्रीमती रामसखी को किया गया है। ऐसी सभी एमआर को वित्त और लेखा मेनुअल के अध्याय 8ख के तहत निरस्त कर दिया गया।

ग्राम पंचायत-पुन्नियां विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-74- 1. आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्री गुड्डो पत्नी धर्मपाल को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त के भुगतान गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित है। इस प्रकार समस्त धनराशि 184915.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन सचिव और प्रधान से अपेक्षित है। 15 वे वित्त आयोग में मजदूरी भुगतान मजदूर के खाते में नहीं भेजने पर संबंधित सचिव और प्रधान को उत्तरदायी ठहराया गया है। चूंकि अप्रैल 2020 में यह केन्द्रीय वित्त लागू हुआ और इस प्रकार अप्रैल 2020 के बाद समस्त मजदूरी भुगतान पर लागू होगा।

क. दिनांक 13.11.2020 को 57561.00 का 14 वे वित्त आयोग से स्कूल परिसर निर्माण कार्य की मजदूरी।

ख. 20.9.20, को 32940.00 को 14 वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण कार्य की मजदूरी।

ग. 29.10.2020 को 26895.00 का 15 वे वित्त आयोग से इंटरलॉकिंग कार्य की मजदूरी भुगतान।

घ. 29.10.2020 को 25693.00 का 14 वे वित्त आयोग से इंटरलॉकिंग कार्य की मजदूरी भुगतान।

ङ. 08.11.2020 को 41826.00 का 14 वे वित्त आयोग से स्कूल मरम्मत कार्य की मजदूरी भुगतान।

ग्राम पंचायत-बगरौन विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-75 14 वे वित्त आयोग से 25.6.2020 को 29472.00 को इंटरलॉकिंग की मजदूरी का भुगतान प्रधान श्रीमती अंजना पत्नी श्री हरि सिंह को इसी तिथि को पुनः 29472.00 इंटरलॉकिंग की मजदूरी प्रधान श्रीमती अंजना सिंह को 14 वे वित्त आयोग से हुआ है। इसी प्रकार 27.08.20 को 19800.00 हैण्ड पंप मरम्मत कि मजदूरी लक्ष्मी प्रसाद को हुआ है। उक्त भुगतान 14 वे वित्त आयोग गाइड लाइन के विरुद्ध भुगतान किया गया है जिसमें स्पष्ट आदेश है कि मजदूरी मजदूर के खाते में ही भेजना है अन्यथा की स्थिति में सचिव और प्रधान उत्तरदायी होंगे। नियमानुसार प्रधान श्रीमती अंजना सिंह और सचिव श्री छत्रपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (पैरा 1 का1)

प्रस्तर संख्या-76- 26.12.2020 को 57687.00 आई डी 43919721 रास्ता मरम्मत कार्य की मजदूरी प्रधान श्रीमती अंजना सिंह को भुगतान किया गया है जो 4 वे वित्त आयोग से प्राप्त ग्रांट है। यहां मजदूरी मजदूर के खाते में न भेज करके एडीओ पंचायत प्रधान और सचिव छत्रपाल ने सरकारी धनराशि का नियम विरुद्ध भुगतान करके सरकारी धनराशि की अनियमितता की गई है। नियमानुसार, चूंकि भुगतान का नियम सभी ग्रांटों में एक ही है। इस प्रकार इस अनियमितता के लिये सचिव श्री छत्रपाल और प्रधान श्रीमती अंजना सिंह उत्तरदायी है। इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (पैरा 1का 2)

ग्राम पंचायत-बृजपुर विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-77- आलोच्य वर्ष में दिनांक निम्न मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में भेज कर प्रधान श्री दल्लू के खाते में भेजा गया है। जो भुगतान नियमावली के अनुसार गलत है। इसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान, सचिव श्री सुहेल नसीम और तत्कालीन एडीओआईएसबी (24 दिसंबर 2020 के बाद वाली स्थिति में) से अपेक्षित है।

- 01.6.2020 को 51666.00 भुगतान प्रधान को 14 वे वित्त आयोग से
- 13.10.2020 को 12843.00 का इंटरलॉकिंग की मजदूरी भुगतान प्रधान को 14 वे वित्त आयोग से,
- 20.12.2020 को 39507.00 आर.जी.एस.ए.के अंतर्गत पंचायत भवन मरम्मत की मजदूरी प्रधान को आर.जी.एस.ए. से।
- 28.3.2021 को 41527.00 आगनवाड़ी मरम्मत की मजदूरी प्रधान को 15 वे वित्त आयोग से।

प्रस्तर संख्या-78- 1. दिनांक 15.12.2020 को सामग्री 131149.00 का आर.जी.एस.ए. से भुगतान पंचायत भवन सामग्री का भुगतान दीनदयाल वेंडर को किया गया है जिसकी आईडी 15916910 का मजदूरी भुगतान आज तक नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त सामग्री का उपभोग विकास कार्य में नहीं किया गया है और सामग्री का अपहरण किया गया है। यह सामग्री प्रधान श्री दल्लू और सचिव श्री सुहेल नसीम द्वारा निजी हित में उपभोग की गई है। इसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री दल्लू और सचिव श्री सुहेल नसीम से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-चंदौली विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-79- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्री गुलाटी प्रसाद पुत्र भगवान दास को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त से ग्रांट से भुगतान सम्बन्धित गाइड लाइन में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना है और 15 वे वित्त आयोग से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मजदूरों के खाते में ही भेजना है और उल्लंघन करने प्रधान और सचिव ही उत्तरदायी होंगे। चूंकि अप्रैल 2020 से 15 वे वित्त आयोग लागू किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 239340.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री शिवांक यादव और प्रधान श्री गुलाटी प्रसाद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं। विवरण निम्न है:

- 17.12.2020 को 48410.00 का चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से पंचायत भवन में टाइल लगवाने की मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 17.12.2020 को 9025.00 का पंचम राज्य वित्त आयोग से पंचायत भवन में टाइल लगवाने की मजदूरी भुगतान प्रधान को,

- 17.12.2020 को 41921.00 14 वे वित्त आयोग से इंटरलॉकिंग की मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 17.12.2020 को 36316.00 का 14 वे वित्त आयोग से जूनियर स्कूल मरम्मत कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 25.12.2020 को पंचम राज्य वित्त आयोग से 9625.00 का भुगतान प्रधान को,
- 25.12.2020 को 44723.00 सीसी रोड निर्माण कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 25.12.2020 को 46325.00 14 वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान को।

उक्त सभी मजदूरी का मस्टर रोल को निरस्त किया जात है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(ख) के प्रावधान के अनुसार प्रमाणक अमान्य है।

प्रस्तर संख्या-80- दिनांक 04.6.2020 को गौशाला टीन शेड निर्माण के लिये 14 वे वित्त आयोग से 235259.00 का भुगतान मां गायत्री मशीनरी स्टोर को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त से इस मद में व्यय की अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिये प्रयाप्त धनराशि राज्य वित्त में था। इस प्रकार यह अनियमितता करके सरकारी धनराशि को व्यय किया गया है। सचिव श्री शिवांक यादव और प्रधान श्री गुलाटी प्रसाद से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-81- 1. आलोच्य वर्ष में दिनांक 08.02.2021/30.01.2021 को 96400. पंचम राज्य वित्त आयोग से लाईट मरम्मत सामग्री का भुगतान राज पेंट्स लोहा भण्डार भुगतान करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। इस वेंडर को लाईट बेचने और मरम्मत का रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही विशेषज्ञता है तो फिर क्यों इससे लगवाया गया दूसरा, जिस कंपनी को शुरू में एलईडी लाइट लगवाई गई थी उस कंपनी से कितने साल वारंटी पीरियड था वारंटी पीरियड में था तो उसी कंपनी से मरम्मत करवाना चाहिये और वारंटी पीरियड समाप्त हो गया था तो किसी ब्रांडेड/पेशेवर कंपनी से कराना चाहिये। इसकी वसूली तत्कालीन एडीओ पंचायत प्रधान श्री गुलाटी प्रसाद और सचिव श्री शिवांक से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कीरतपुरा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-82-(क) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 27.5.2020 को 69306.00 का मजदूरी भुगतान वेंडर राज ट्रेडर्स को नियम विरुद्ध करके सरकारी धनराशि का अनियमित भुगतान करके गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिये प्रधान श्री जगदेव सिंह, सचिव श्री नरेश सम्मिलित रूप से उत्तरदायी हैं से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -82-(ख) 20.12.20 को 14 वे वित्त आयोग से 10000.00 चरवाहा सुकदेव प्रसाद को चरवाही नियम विरुद्ध भुगतान करके सरकारी धनराशि का गबन किया गया है जिसके लिये प्रधान श्री जगदेव सिंह और सचिव श्री नरेश यादव उत्तरदायी हैं और ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

नाली निर्माण कार्य हेतु साल 2022 तक नहीं हुआ है जो सचिव द्वारा 08.11.2020 को 15 वे वित्त आयोग से 210176.00 से नाली निर्माण कार्य हेतु सामग्री भुगतान राज ट्रेडर्स को किया गया है। आई डी 43605348 है। इस आई डी पर मजदूरी भुगतान आज दिनांक 20.4.2020 तक नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त मजदूरी का भुगतान वर्ष 2020-21 और 2021-22 में नहीं किया गया है। यानी कार्य नहीं कराया गया है जो सचिव द्वारा स्वीकार किया गया कि बाद में कराया जायेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि या सामग्री की अपहरण की पुष्टि होती है। इसके लिये प्रधान श्री जगदेव सिंह और सचिव नरेश यादव सम्मिलित रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही उक्त कर्मचारियों और प्रधान पर अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नौसारा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-83- 1.आलोच्य वर्ष में दिनांक 24.6.2020 को 107000.00 नाली सफाई और ट्रैक्टर ट्राली भाड़ा का भुगतान 14 वे वित्त आयोग से खुशी कंसक्शन कंपनी को किया गया है। 14 वे वित्त आयोग ग्रांट का मुख्य

उद्देश्य विकास करना और जीपी के ऐसेट को मरम्मत करना। दूसरा जब सरकारी सफाईकर्मि नियुक्त है तब आउट सोर्सिंग से सफाई कार्य क्यों कराया गया। तीसरा एमबी में कूड़ा की मात्रा टन में नहीं लिखा है और बाउचर पर भी कूड़ा की मात्रा टन में नहीं लिखा है और न ही धर्मकांटा की पर्ची लगी है। इस प्रकार उक्त धनराशि फर्जी व्यय दर्शाकर गबन की गई है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान श्री कमलेश कुमार सिंह और सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल से अपेक्षित है। इस बाउचर को लेखा मैनुअल की अध्याय 8के 8(ख) के तहत अमान्य किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-84- 1.आलोच्य वर्ष में दिनांक 07.02.2021 को स्कूल मरम्मत कार्य की मजदूरी 28155.00 का भुगतान 15 वे वित्त आयोग से प्रधान श्री कमलेश कुमार को किया गया है। 15 वे वित्त आयोग के भुगतान गाइड लाइन में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मजदूरी भुगतान मजदूर के खाते में ही भेजना है अन्यथा की दशा में सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर तत्कालीन एडीओ आइएसबी (प्रशासक) और सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल के नियम विरुद्ध भुगतान करके सरकारी धनराशि का गबन किया गया है। (चूँकि प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया था 25 दिसंबर 2020 को एडीओ आइएसबी प्रशासक बनाया गया)। इसकी वसूली तत्कालीन एडीओ आइएसबी और सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल से ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-अंधौरा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-85- आलोच्य वर्ष में दिनांक 26.3.2021 को पंचायत भवन में फर्नीचर पर भुगतान 42300.00 गौंसिया ट्रेडर्स को और 41300.00 का भुगतान श्री बाला जी कंस्ट्रक्शन को किया गया है जबकि एक नग (42300.00) सभी पंचायत भवन में क्रय का आदेश था। ऐसे में एक नग अतिरिक्त क्रय करके सरकारी धनराशि का उपभोग अपने हित में एडीओ आइएसबी प्रशासक और सचिव द्वारा किया गया प्रतीत होता है। इसकी वसूली तत्कालीन एडीओ आइएसबी प्रशासक और सचिव से अपेक्षित है। 24/25.12.2020 को प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने पर एडीओ आइएसबी प्रशासक बनाये गये थे।

प्रस्तर संख्या-86- आलोच्य वर्ष में दिनांक 25.12.2020 को 42916.00, दिनांक 25.12.2020 को ही 42122.00 को 15 वे वित्त आयोग से मजदूरी भुगतान प्रधान श्री अमर सिंह को किया गया है जबकि 15 वे वित्त आयोग से मजदूरी मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित किया गया है और उल्लंघन की दशा में सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार उक्त कुल धनराशि 85038.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री सोएब दर्दानी और प्रधान श्री अमर सिंह से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बल्लौर विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-87-1.आलोच्य वर्ष में 25.3.2021 को 150166.00 पंचम राज्य वित्त आयोग से और 111611.00 15 वे वित्त आयोग से जूनियर स्कूल मरम्मत कार्य हेतु कुणाल ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है और मजदूरी के खाते में न भेज कर वेंडर कुणाल ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार मजदूरी 34315.00 और 26271.00 क्रमशः मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित है। यहाँ मजदूरी नये प्रधान को दिनांक 01.5.2021 को 34315.00 और 09.5.2021 को 26271.00 को सचिव हिमांशु अग्रवाल और तत्कालीन एडीओ आइएसबी प्रशासक ने जानबूझ कर वेंडर के खाते में मजदूरी भेजा है। इनसे ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-88-1.आलोच्य वर्ष में दिनांक 01.6.2020 को 45500.00 और 45500.00 14वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण कार्य की मजदूरी का भुगतान मजदूरी मजदूरों के खाते में न भेज कर प्रधान के खाते में भेजा गया है। भुगतान गाइड लाइन के विरुद्ध भुगतान करने पर सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल, प्रधान श्रीमती रूकमणि पत्नी श्री काधीलाल से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-धवारी विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-89-आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्रीमती बाबूरानी पत्नी दशरथ को भुगतान किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त के भुगतान गाइड लाइन में स्पष्ट निर्देश है कि मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित किया है और 15 वे वित्त आयोग तो यह भी कहा है कि उल्लंघन करने पर सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होंगे। चूंकि अप्रैल 2020 से 15 वे वित्त आयोग लागू है। जो भी भुगतान होंगे उन पर यह लागू होगा। इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि 211596.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्रीमती बाबूरानी और सचिव श्री छत्रपाल से अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

02.4.2020 को 44794.00 और 44794.00 14वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण कार्य की मजदूरी,
29.10.2020 को 40731.00, 40739.00 और 40538.00 14 वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान श्रीमती बाबूरानी को।

ग्राम पंचायत-कुंआ विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-90- 14 वे वित्त आयोग से मजदूरी भुगतान नियम विरुद्ध प्रधान श्रीमती नीरज पत्नी श्री भारत सिंह को सीसी निर्माण कार्य हेतु करके गमन किया है

क. 02.6.20 को 38598.00

ख. 02.6.20 को 38528.00

ग. 02.6.20 को 44254.00

घ. 09.8.20 को 44739.00 बाउंड्री निर्माण कार्य की मजदूरी प्रधान को भुगतान

ङ. 09.8.20 को 42347.00 बाउंड्री निर्माण कार्य की मजदूरी प्रधान को भुगतान

च. 08.11.20 को 27888.00 सीसी निर्माण कार्य की मजदूरी प्रधान को भुगतान

इस प्रकार उक्त समस्त भुगतान 14 वां वित्त आयोग के गाइड लाइन के विरुद्ध कुल भुगतान रु 236354=00 करके सरकारी धनराशि का अपहरण किया है। मजदूरी मजदूर के खाते में ही भेजना निर्देशित है परंतु सचिव श्री लाखन सिंह और प्रधान श्रीमती नीरज ने मिलजुल करके अपहरण में समान भागीदारी किये हैं। गाइड लाइन में चेक या (अब पीएफएमस) से भुगतान नियम के विरुद्ध भुगतान होने पर सचिव श्री लाखन सिंह और प्रधान श्रीमती नीरज पत्नी श्री भरत सिंह उत्तरदायी होंगे। ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत-टोलासोयम विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-91- आलोच्य वर्ष में दिनांक 20.12.2020 को प्राथमिक विद्यालय मरमम्त कार्य की मजदूरी 31879.00 का 15 वे वित्त आयोग से भुगतान प्रधान श्री प्रेमरानी पत्नी छोटे लाल को किया गया है जबकि 15 वे वित्त आयोग में स्पष्ट निर्देश है कि मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना है अन्यथा सचिव और प्रधान से वसूली की जायेगी। इस प्रकार 31879.00 की वसूली सचिव श्री शिवांक यादव और प्रधान श्रीमती प्रेम रानी से ब्याज सहित करने की अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-92-आलोच्य वर्ष में दिनांक 16.8.2020 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 123198.00 का भुगतान राज ट्रेडर्स को रास्ता मरम्मत की सामग्री हेतु भुगतान किया गया और फिर उसी दिन 62077.00 का भुगतान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से ट्रैक्टर इस कार्य हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। टेंडर कॉपी में केवल सामग्री क्रय की बात की गई है और फर्म सामग्री पहुंचा कर मूल्य का निर्धारण करती है न की पृथक से भाड़ा का। इस प्रकार फर्जी एमबी बनाकर 62077.00 का गबन किया गया है। ब्याज सहित वसूली सचिव शिवांक यादव और प्रधान श्रीमती प्रेमरानी से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पडोरा विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-93- 1. आलोच्य वर्ष में दिनांक 03.4.2020 को 36842.00 गौशाला निर्माण की मजदूरी 14 वे वित्त आयोग से भुगतान कर केन्द्रीय वित्त आयोग के व्यय संबंधित गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है और दूसरी की मजदूरी मजदूरों के खाते में न भेज कर प्रधान के खाते में भेजा गया है। गाइड लाइन के अनुसार इसके

लिये सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी है। चूंकि चतुर्थ और पंचम राज्य वित्त आयोग में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद 14 वे वित्त आयोग से व्यय करके नियम विरुद्ध भुगतान किया गया है। सचिव श्री लाखन सिंह और प्रधान श्री शिव कुमार से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-94- 1. 17.9.2020 को 17922.00 को 14 वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण की मजदूरी भुगतान प्रधान श्री शिव कुमार के खाते में भेजा गया है। इस प्रकार केंद्रीय वित्त के भुगतान संबंधित निर्देश के विपरीत भुगतान किया गया (चूंकि इस समय 15 वे वित्त आयोग लागू है।) नियमानुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित है और उल्लंघन होने पर सचिव श्री लाखन सिंह और प्रधान श्री शिव कुमार ही उत्तरदायी हैं। इनसे ब्याज सहित वसूली के साथ साथ विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बसौठ विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-95- 1. आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्री कपिल कुमार को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त के भुगतान गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित है अन्यथा सचिव और प्रधान से वसूली की जायेगी। इस प्रकार 16.11.2020 को 49748.00 और 53157.00 का प्राइमरी स्कूल में मरम्मत और टाइल लगवाने की मजदूरी भुगतान प्रधान श्री कपिल कुमार को भुगतान किया गया है। इसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री आदित्य सिंह और प्रधान श्री कपिल कुमार अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-96- 1. आलोच्य वर्ष में 776742.00 का भुगतान जय बाला जी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स को सामग्री हेतु भुगतान किया गया है दिनांक 16.10.2020 से 22.12.2020 तक, परंतु आज तक उन सामग्रियों का उपभोग कार्य में नहीं किया गया है क्योंकि सम्बन्धित वर्क आईडी पर ई-ग्रामस्वराज पर आज तक मजदूरी भुगतान दर्ज नहीं है और कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधान श्री कपिल कुमार और सचिव श्री आदित्य सिंह ने काल्पनिक व्यय दर्शाकर सरकारी धनराशि की सामग्री का अपहरण (वित्त और लेखा मेनुअल के अध्याय 8क के तहत ऐसा प्रकरण अपहरण की कोटि में आता है और प्रधान एवम सचिव से वसूली का प्रावधान है) किया गया है। विवरण नीचे दिया गया है-

16.10.2020 को 195412.00 और 188298.00 का चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से जिसकी आईडी क्रमशः 15642781 और 15642777 है कम्प्यूनिट एसेट के रिपेयर्स के लिये, नाम नहीं लिखा है।

इसी प्रकार दिनांक 22.12.2020 को 197320.00 वर्क आईडी 42772388 और

16.11.2020 को 195712.00 वर्क आईडी 42760159 का 15 वे वित्त आयोग से भुगतान किस कार्य की सामग्री हेतु किया गया है नहीं लिखा है।

उक्त समस्त धनराशि जय बाला जी बिल्डिंग मैटेरियल एंड सप्लायर को किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट लिखे जाने तक मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्त धनराशि 776742.00 का अपहरण प्रधान श्री कपिल कुमार और सचिव श्री आदित्य सिंह द्वारा किया गया है और, इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-फतेहपुर विकास खण्ड-चरखारी वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-97- 1. आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान किया गया है जबकि नियमतः मजदूरों के खाते में भुगतान किया जाना आदेश दिया गया है।

क. 21.8.2020 को 45973.00 को से मरम्मत की मजदूरी प्रधान श्री राम कृपाल को भुगतान।

ख. 17.12.2020 को 30713.00 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से चबूतरा निर्माण की मजदूरी प्रधान श्री राम कृपाल को भुगतान। उक्त समस्त भुगतान धनराशि की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री सुहैल नसीम और प्रधान श्री राम कृपाल से अपेक्षित है क्योंकि मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में न करके प्रधान के खाता में भुगतान किया गया है।

प्रस्तर संख्या-98- दिनांक 17.12.2020 को 14 वे वित्त आयोग से 100322.00 शीतलता बिल्डिंग मैटेरियल एंड सप्लायर को भुगतान किया गया है परन्तु किस कार्य हेतु यह भुगतान है इसका कोई प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आज तक मजदूरी भुगतान संबंधित एमआर का एग्रामस्वराज के पोर्टल पर आईडी 15916700 पर कोई मजदूरी का जिक्र है। इस प्रकार उक्त धनराशि व्यय विकास में न होने की पुष्टि होती है। इस धनराशि के अपहरण की संभावना है। सचिव श्री सुहैल नसीम प्रधान श्री रामकृपाल से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कुडार, विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-99- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्री ज्ञान प्रकाश को किया गया है जबकि केन्द्रीय वित्तीय और राजवित्त के भुगतान सम्बन्धित गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित है अन्यथा सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होंगे। 15 वां वित्त आयोग के भुगतान गाइड लाइन में स्पष्ट निर्देश है कि मजदूरी भुगतान मजदूरों के खातों में नहीं भेजने पर सचिव और प्रधान से वसूली की जायेगी। इस प्रकार निम्न धनराशि की वसूली सचिव और प्रधान से ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत-

- 4-10-2022 को 30297.00 रुपये का 14 वां वित्त आयोग से सी0सी0 रोड निर्माण की मजदूरी भुगतान प्रदान को,
- दिनांक 27-03-2020 को 40118.00 का पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राइमरी स्कूल में मरम्मत और टाईल लगवाने की मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 40321.00 का 15 वां वित्त आयोग से जू0हा0 की मरम्मत और टाईल लगवाने की मजदूरी भुगतान प्रधान को,
- 33094.00 रुपये का 15 वां वित्त आयोग से हरिजन बस्ती में प्राइमरी स्कूल में टाईल लगवाने की मजदूरी भुगतान प्रधान को भुगतान किया गया है।

उक्त समस्त फर्जी एम0आर0 को लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के 8ख के तहत निरस्त किया जाता है और 143830.00 रुपये की वसूली सचिव श्री आदित्य सिंह और प्रधान श्री ज्ञानप्रकाश से ब्याज सहित अपेक्षित है। (पैरा-1)

प्रस्तर सं0- 100- आलोच्य वर्ष में दिनांक 08-11-2020 को नाली निर्माण की सामग्री का भुगतान 15 वे वित्त आयोग से 198661.00 (वर्क आईडी 42196302) दीनदयाल वेण्डर को हुआ है, परन्तुलेखा परीक्षा में एम0आर0 प्रस्तुत नहीं किया गया और कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जब ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर वर्क आई0डी0 पर आडिट नोट लिखे जाने पर मजदूरी भुगतान दर्ज नहीं है तब इससे कार्य के नहीं होने की पुष्टि होती है और फर्जी कार्य पूर्ति प्रमाणक प्रस्तुत करके आडिट को गुमराह किया जाता रहा। जब पीएफएमस पर मजदूरी भुगतान ही नहीं किया गया तो ई-ग्रामस्वराज पर कैसे दर्ज हो गया। इससे सामग्री के अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है, इसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री ज्ञान प्रकाश, सचिव आदित्य सिंह से अपेक्षित है। (पैरा-2)

ग्राम पंचायत-अस्थौन, विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-101- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्री ज्ञान सिंह को किया गया है, जबकि केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त भुगतान गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में ही भेजना निर्देशित किया गया है अन्यथा की दशा में जाचोंपरान्त वसूली की जायेगी। यहाँ पर 14 वे वित्त आयोग से कुल मिलाकर

121013.00 का भुगतान तीन अलग-अलग कार्यों का मजदूरी भुगतान प्रधान को किया गया है, जो नियम विरुद्ध है और नियमानुसार सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल और प्रधान श्री ज्ञान सिंह से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण नीचे दिया गया है-

14-06-2020 को 39728.00 का सी0सी0 रोड निर्माण की मजदूरी भुगतान प्रधान को किया,

16-08-2020 को 39978.00 का सी0सी0 रोड निर्माण की मजदूरी भुगतान प्रधान को किया,

16-08-2020 को 41307.00 का स्कूल मरम्मत की मजदूरी भुगतान प्रधान को किया गया है।

इस प्रकार उक्त से समस्त एमआर को लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के 8ख के तहत अमान्य किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-102- आलोच्य वर्ष में दिनांक 26-10-2020 को 260264.00 का भुगतान खुशी कान्स्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी को 15 वे वित्त आयोग से नाली निर्माण हेतु किया गया है, जिसका वर्क आईडी 42710308 है। इसी प्रकार दिनांक 27-01-2021 को 203987.00 पंचम राज्य वित्त आयोग से खुशी कान्स्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी को वर्क आईडी 36418174 है और 205358.00 का भुगतान 15 वे वित्त आयोग से पंचायत भवन मरम्मत कार्य हेतु भुगतान खुशी कान्स्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी को किया गया है। जिसका आईडी 44801666 है परन्तु आज तक इनका मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इन आईडी पर ई-ग्रामस्वराज पोर्टल रिपोर्ट लिखे जाने तक मजदूरी भुगतान दर्ज नहीं है, जिससे सरकारी धनराशि के गबन की पुष्टि होती है। इस प्रकार कुल 409345.00 की वसूली तत्कालीन एडीओ आईएसबी (प्रशासक) और सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल के ब्याज सहित अपेक्षित है और 260264.00 की वसूली सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल, प्रधान श्री ज्ञान सिंह से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-103- आलोच्य वर्ष में दिनांक 26-10-2020 को 116422.00 सफाई कार्य का भुगतान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कूड़ा और फेकने हेतु खुशी कान्स्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी को किया गया है। कूड़ा की मात्रा टन में नहीं लिखा है और धर्मकांटा का कम्प्यूटराइज्ड रसीद नहीं लगाने और मजदूरी का भुगतान एमआर से नहीं होना, मजदूरों का पोर्टल पर नहीं दर्ज होना, एमबी और बाउचर फर्जी होने की पुष्टि करते हैं। बाउचर को लेखा मैनुअल 8 के 8ख के तहत निरस्त किया जाता है और प्रधान श्री ज्ञान सिंह और सचिव श्री हिमांशु अग्रवाल से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-गौरहारी, विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-104(क) 10-09-2020 को 32697.00, 27081.00 क्रमशः नाली निर्माण और इण्टरलॉक बकाया। 31.3.2021 को 62586.00, 25.3.2021 को 54814.00 क्रमशः कन्या प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल मरम्मत और टाइलकरण कार्य की मजदूरी धनराशि राजू को भुगतान। उक्त समस्त भुगतान 15 वे वित्त आयोग के गाइड लाइन के विरुद्ध मजदूरी भुगतान प्रधान श्री राजू के खाते में किया गया है जबकि नियमानुसार मजदूर के खाते में ही मजदूरी भेजना निर्देशित है। गाइडलाइन की अनुसार सचिव अनस मतीन और प्रधान श्री राजू ही उत्तरदायी है उनसे वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-104(ख)- 25.4.20 को 165720.00 को गौशाला निर्माण की मजदूरी का भुगतान दीन दयाल को 185852.00 लोधी बोरवेल को भुगतान बोरवेल सामग्री

29.4.20 को 183178.00 दीन दयाल को जलापूर्ति सामग्री हेतु और

190816.00 आर.जी.एस.ए.से पंचायत भवन निर्माण हेतु सामग्री दीनदयाल का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के तहत कराये गये कार्य का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुये प्रधान और सचिव से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-104(ग)- 08.6.20 को 50000 दीन दयाल को भुगतान किस सामग्री के लिये है और उसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार इसके व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी और धनराशि के सचिव और प्रधान द्वारा अपहरण की संभावना है। तत्कालीन सचिव और प्रधान से वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-104(घ)- 10.10.20 को 140411.00 को दीन दयाल और 29.10.20 को राज ट्रेडर्स को 15 वे वित्त आयोग से किस लिये भुगतान हुआ और 16.10.2020 को 212380.00 पंचम राज्य वित्त आयोग से राज ट्रेडर्स को भुगतान किस लिये किया गया है। संबन्धित समस्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा मैनुअल के अध्याय 8के 8(ख) के तहत अपहरण की संभवना है। जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री राजू और सचिव श्री अनस मतीन से जांचोपरांत अपेक्षित है। पैरा नं(1)

प्रस्तर संख्या-104(ङ)- 24-03-2021 को 15 वे वित्त आयोग से 128000.00 की पब्लिक एड्रेसिंग डिवाइस फैजान इलेक्ट्रिकल से क्रय की गयी है, और 10-09-2020 को 236920.00 लाइट क्रय उसी फर्म से की गयी है। उक्त दोनों आइटम की कोई स्टॉक पंजिका और डेड स्टॉक पंजिका नहीं बनायी गयी है। लाइट कितनी नग और पब्लिक एड्रेसिंग में क्या-क्या है, जानकारी नहीं हो सकी, इसका टेण्डर ब्रुटि पूर्ण है, यानि उक्त का विस्तृत जिक्र नहीं है, इसी प्रकार 26-03-2021 को 42300.00 का पंचम राज्य वित्त आयोग से पंचायत भवन के लिए फर्नीचर क्रय की गयी है। परन्तु लेखा परीक्षा में डेड स्टॉक पंजिका नहीं प्रस्तुत करने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार 128000.00 और 42300.00 धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। इसकी वसूली सचिव श्री अनस मतीन, प्रशासक (24-12-2020 को प्रधान के कार्यकाल समाप्त होने पर एडीओ पंचायत को प्रशासक की नियुक्ति) और 236920.00 की भी व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी और इसकी वसूली अनस मतीन और प्रधान से अपेक्षित है (ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के अनुसार) मूलपैरा नं0 2

ग्राम पंचायत-बरायन, विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-105- आलोच्य वर्ष में निम्न मजदूरी भुगतान प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी देवेन्द्र सिंह को किया गया है, जबकि केन्द्रीय वित्त और राज वित्त से जारी भुगतान गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खातों में ही भेजना निर्देशित किया गया है और 15 वे वित्त आयोग में स्पष्ट निर्देश दिया गया है की अन्यथा की दशा में सचिव और प्रधान ही उत्तरदायी होंगे, इस प्रकार कुल मजदूरी 276746.00 का भुगतान प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा सचिव श्री आदित्य सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

- 13-09-2020 को 46942.00 और 57768.00 मजदूरी का भुगतान प्रधान को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से
- 31-10-2020 को 24587.00 सीसी रोड निर्माण की मजदूरी 53251.00 की प्राइमरी स्कूल में बाउण्ड्री निर्माण कार्य की मजदूरी प्रधान को भुगतान 29681.00 इण्टरलॉकिंग कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान को एवं 24587.00 \$39930.00 = 64517.00 सीसी रोड निर्माण कार्य की मजदूरी भुगतान प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी को।

इस प्रकार उक्त समस्त धनराशि की वसूली सचिव और प्रधान से ब्याज सहित अपेक्षित है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8के 8ख के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत उक्त समस्त एमआर जो नियम विरुद्ध भुगतान किया गया है, को निरस्त किया जाता है। श्री देवेन्द्र सिंह के नाम का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की पुष्टि नहीं हो सकी। वैसे भी नियमतः प्रधान को अपने किसी घर या किसी नजदीकी रिश्तेदार वेंडर से सरकारी धनराशि से सामग्री की आपूर्ति नहीं कराने का आदेश है।

प्रस्तर संख्या-106- आलोच्य वर्ष में निम्न सामग्री का भुगतान प्रधान पति श्री देवेन्द्र सिंह को किया गया है, जबकि केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त के भुगतान गाइड लाइन के अनुसार रजिस्टर्ड और नेफ्ट वेंडर को ही क्रय करने और भुगतान करने का निर्देश है, परन्तु यहाँ प्रधान श्रीमती पुष्पादेवी के पति श्री देवेन्द्र सिंह को ही 1500805.00 का विभिन्न तिथियों में भुगतान किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है

- 13-09-2020 को 185829.00 \$197006.00 पंचायत भवन मरम्मत की सामग्री का भुगतान देवेन्द्र सिंह को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से

- 27-01-2020 को 122354.00 \$122354.00 सीसी निर्माण की सामग्री का भुगतान देवेन्द्र सिंह को एवं 215549.00 प्राइमरी स्कूल में बाउंड्री वाल निर्माण हेतु सामग्री का भुगतान देवेन्द्र सिंह को एवं 158753.00 सीसी निर्माण की सामग्री का भुगतान देवेन्द्र सिंह को 14 वे वित्त आयोग से
- 31-10-2020 को 201529.00 सीसी रोड निर्माण की सामग्री का भुगतान देवेन्द्र सिंह को 15 वे वित्त आयोग से
- 8-11-2020 को 210431.00 का सामग्री का भुगतान देवेन्द्र सिंह को 15 वे वित्त आयोग से
- 24-11-2020 को 87000.00 पेय जल टंकी और वॉलवाश निर्माण की सामग्री और मजदूरी का भुगतान देवेन्द्र सिंह का पंचम राज्य वित्त आयोग से।

इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त प्रबन्धन हेतु वित्त और लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से अपहरण की कोटि में रखकर प्रधान और सचिव से वसूली अपेक्षित है। जीएसटी और टीडीएस कटौती की जानकारी नहीं हो सकी। अधिक सम्भावना है कि टीडीएस और जीएसटी की चोरी की गयी है अन्यथा अपने पति के फर्म से सामग्री की आपूर्ति नहीं कराई जाती। सचिव श्री आदित्य सिंह और प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से ब्याज सहित वसूली/ आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पुपवारा, विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-107- 24-03-2021 को निम्न भुगतान सामग्री क्रय हेतु किया गया है, परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

126632.00 पंचम राज्य वित्त आयोग से सत्यम इण्टरप्राइजेज को शौचालय मरम्मत स्कूल में, आईडी 43794547 है।

212146.00 पंचम राज्य वित्त आयोग से सत्यम इण्टरप्राइजेज को प्राइमरी स्कूल में इण्टरलॉकिंग आईडी 43794560 है।

173668.00 और 209988.00 सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री हेतु आस्था ट्रेडर्स को भुगतान और परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण सामग्री हेतु सत्यम इण्टरप्राइजेज को भुगतान आईडी क्रमशः 43793304 और 43794616 है। 214699.00 पंचम राज्य वित्त आयोग से जूनियर स्कूल में इण्टर लॉकिंग कार्य सामग्री हेतु भुगतान सत्यम इण्टरप्राइजेज को आईडी 43794600 उक्त समस्त कार्य प्रधान के कार्यकाल समाप्त हो जाने 24/25 दिसम्बर 2020 के बाद करवाया गया। दूसरा प्रधान के जगह तत्कालीन एडीओआईएसबी प्रशासक बनाये गये तब उपभोग प्रमाणपत्र पर उनका सचिव के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य है जो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त व्यय की पुष्टि नहीं होने पर लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के 8(क) के अनुसार अपहरण की कोटि में रखकर एडीओ तत्कालीन आईएसबी प्रशासक और सचिव और प्रधान से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-108- दिनांक 13-06-2020 को भुगतान 208628.00 दीन दयाल को भुगतान आईडी 15642101 और 17-6-2020 को भुगतान 187033.00 कमातानाथ ट्रेडर्स को भुगतान आईडी 28860536 है। यह भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है, उसका स्पष्ट जानकारी कोष बही में नहीं है और उस आईडी पर 31-03-2021 तक मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इससे उक्त समस्त व्यय की गई सामग्री का उपयोग विकास कार्य में न लगाकर निजी हित में उपभोग किया गया प्रतीत होता है। प्रधान श्री पूरनलाल और सचिव छत्रपाल से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-ऐचाना, विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-109(क)

- (क) 13-04-2020 को सामुदायिक शौचालय की मजदूरी 14800.00 का भुगतान 15 वां वित्त आयोग के गाइड लाइन के विरुद्ध प्रधान श्रीमती मानकुंवर को भुगतान किया गया है,
- (ख) 17-11-2020 को 10000.00 जयपाल को चरवाही 12.12.2020 को 5000.00 भगवान दास को सभी 15 वां वित्त आयोग से, और 5000.00 जयपाल को चरवाही भुगतान नियम के विरुद्ध 15 वां वित्त आयोग से किया गया है।
- (ग) इसीप्रकार 22-12-2020 को 15 वां वित्त आयोग से 24500.00 प्रधान श्रीमती मानकुंवर को मानदेय भुगतान। 15 वां वित्त आयोग के गाइड लाइन के अनुसार मजदूरी मजदूर के खाते में जाना अनिवार्य है और टाइड और अनटाइड व्यय और प्रशासनिक व्यय के अलावा कोई भी व्यय नहीं किया जायेगा। इसका उल्लंघन होने प्रधान श्रीमती मानकुंवर और सचिव लाखन सिंह उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार उक्त धनराशि का अनियमितता करके स्वयं को लाभ पहुंचाने के कारण उक्त व्यक्तियों और कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-109-(ख) 14 वां वित्त आयोग से नियम विरुद्ध भुगतान करके निम्न सरकारी धनराशि का गबन किया गया है- सी0सी0 रोड निर्माण की मजदूरी प्रधान श्रीमती मानकुंवर को भुगतान किया गया है।

- 13-04-2020 को 31364.00 राजू के मकान से कूप तक 32382.00 द्वारिका से कारिया तक, 31546.00 लाखन के मकान से प्राइमरी स्कूल तक
- 02-08-2020 को 35300.00, 47129.00, 45939.00 (कोषबही में 15 वां वित्त आयोग लिखा है जो त्रुटिपूर्ण है) सी0सी0 रोडनिर्माण की मजदूरी।
- 29-9-2020 को 38104.00, 29481.00, 31688.00, 32289.00 सीसी रोड निर्माण की मजदूरी।

उक्त क से ग तक समस्त भुगतान मजदूरी प्रधान श्रीमती मानकुंवर को किया गया है, जो नियम विरुद्ध भुगतान करके सरकारी धनराशि की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। प्रधान श्रीमती मानकुंवर सचिव लाखन सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-109-(ग)- 13-4-2020 को 14वे वित्त आयोग से 13853.00 गौशाला टीन शेड निर्माण की मजदूरी प्रधान श्रीमती मानकुंवर को भुगतान नियम विरुद्ध भुगतान करके सरकारी धनराशि की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिए जिम्मेदारी प्रधान श्रीमती मानकुंवर और सचिव लाखन सिंह से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-109-(घ)- 29-09-2020 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 29481.00 और 31688.00 सी0सी0 रोड निर्माण की मजदूरी प्रधान श्रीमती मानकुंवर को नियम विरुद्ध करके सरकारी धनराशि की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिए जिम्मेदारी प्रधान श्रीमती मानकुंवर और सचिव लाखन सिंह से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कुरौराडांग, विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-110(क) ग्राम पंचायतों में स्कूल में पेय जल टंकी की स्थापना हेतु 80000.00 से 90000.00 के बीच व्यय किया गया है परन्तु यहाँ पर 114200.00 का 19.8.2020 को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से लोधी बोरवेल को भुगतान किया गया है, इस प्रकार यहाँ अधिक भुगतान की आशंका है, अधिक एस्टिमेट और एम0बी0 करने के लिए उत्तरदायी तत्कालीन टीए या जेई से वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-110(ख)-1.29.06.2020 को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 78864.00 का भुगतान खुशी कान्स्ट्रक्शन कम्पनी को सफाई कार्य हेतु किया गया है, जिसमें ट्रैक्टर का भाड़ा आदि लिखा है। "आदि" शब्द से क्या तात्पर्य है? मजदूरी का भुगतान एमआर से न करके फर्म खुशी कंस्ट्रक्शन कम्पनी को किया गया है। इस यहाँ भुगतान नियम का उल्लंघन किया गया है, इस प्रकार लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के 8ख के निहित शक्तियों के तहत उक्त बाउचर को अमान्य किया जाता है और वसूली का निर्देश दिया, ग्राम पंचायत को दिया जाता है। चूंकि भौतिक रूप से यह बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8ख के

तहत वसूली का प्रावधान है। तत्कालीन सचिव और प्रधान से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, चूंकि पूरे 52 ग्राम पंचायतों में बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं, उपादेयता और गुणवत्ता की सर्टिफिकेट के कितने आउट सोर्सिंग से लेबर लगाये गयेथे, और कितना धनराशि किस हिसाब से दिया गया? सफाई कर्मचारी वर्ष भर वेतन लेता है तो उसका आउटपुट क्या है? स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है।

प्रस्तर संख्या-110 (ग)- दिनांक 19-8-2020 को 28320.00 का भुगतान सफाई किट क्रय हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से किया गया है केजीएन फर्नीचर को भुगतान किया गया है, केजीएन फर्नीचर का जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन सफाई कार्य की सामग्री हेतु नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा स्टॉक पंजिका और डेड स्टॉक पंजिका अप्राप्त और व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी इस प्रकार फर्जी भुगतान करके ट्राली भाड़ा बतौर भुगतान दर्शाया गया है, इस पर भी सचिव श्री सुहैल नसीम और प्रधान श्री प्रभुदयाल से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-110 (घ)- दिनांक 25.12.2020 को 15 वे वित्त आयोग से प्राइमरी स्कूल मरम्मत कार्य का मजदूरी भुगतान 25869.00 प्रधान प्रभुदयाल को करके 15 वे वित्त आयोग के गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है, नियमानुसार इसके लिए जिम्मेदारी सचिव श्री सुहैल नसीम और प्रधान श्री प्रभुदयाल है, इसकी वसूली सचिव और प्रधान से ब्याज सहित वसूली और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। वर्क आईडी 81568317 है।

प्रस्तर संख्या-110 (ङ)- दिनांक 29-08-2020 को 4वे राज वित्त आयोग से हैण्ड पम्प मरम्मत और प्लेटफार्म बनाने की मजदूरी का 76865.00 भुगतान वेन्डर राज ट्रेडर्स को किया गया है। जांच में पाया गया कि न तो बाउचर प्रस्तुत हुआ और न कैशबुक में ही सामग्री और मजदूरी का विवरण दिया गया है। दूसरा, मजदूरी का भुगतान मजदूर के खाते में न भेजकर वेन्डर के खाते में ही डालकर भुगतान नियमावली का उल्लंघन किया गया है। इसे प्रधान और सचिव के साथ एडीओपंचायत की मंशा साफ दर्शाती है कि फर्जी व्यय दर्शाकर सरकारी धनराशि का गबन किया गया है। वित्त और लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क) के तहत। इसकी वसूली सचिव नरेश यादव और प्रधान श्री प्रभुदयाल से वसूली ब्याज सहित और विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पाठा, विकास खण्ड-चरखारी वर्ष 2020-21

प्रस्तर संख्या-111- आलोच्य वर्ष में दिनांक 18.12.2020 को 82648.00 14वे वित्त आयोग से सीसी रोड निर्माण की मजदूरी का भुगतान मजदूर के खाते में न करके प्रधान श्रीमती कपिला देवी पत्नी श्री राजकुमार के खाते में भुगतान कर अनियमितता किया गया है। यह केन्द्रीय वित्त के भुगतान गाइड लाइन का उल्लंघन है। नियमानुसार इसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री सुहैल नसीम और प्रधान श्रीमती कपिला देवी से अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-112- आलोच्य वर्ष में दिनांक 29.10.2020 को 217608.00 14वे वित्त आयोग से पंचायत भवन हेतु सामग्री का भुगतान श्री कमलेश कंस्ट्रक्शन को किया गया है जिसका आईडी 43691736 है। इस आईडी पर मजदूरी भुगतान आज तक नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य नहीं किया गया और व्यय प्रमाणक और उपभोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे कार्य न होने की पुष्टि होती है। इससे यह भी पुष्टि होती है कि सामग्री का उपयोग निजी हित में प्रधान श्री कपिला देवी, सचिव श्री सुहैल नसीम द्वारा किया गया है। प्रधान और सचिव से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित हैं।

2. इसी प्रकार दिनांक 09.11.2020 को 15 वां वित्त आयोग से 235939.00 नाली निर्माण कार्य हेतु दीन दयाल को किया गया। कार्य की आईडी 43689511 है, इस आईडी पर आज तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और न ही पीएफएमएस में और ईग्रामस्वराज पोर्टल में ही मजदूरी का जिक्र है। इससे स्पष्ट है कि कार्य नहीं हुआ और सामग्री का अपहरण कर लिया गया। इसकी वसूली प्रधान श्रीमती कपिला देवी, सचिव श्री सुहैल नसीम से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-113- आलोच्य वर्ष में दिनांक 04.12.2020 को 14 वे वित्त आयोग से 204773.00 कमलेश कंस्ट्रक्शन को सामग्री का भुगतान किया गया है, यह सामग्री पंचायत भवन निर्माण हेतु मंगवाया गया है और

कार्य में उपभोग नहीं किया गया है, क्योंकि इस आईडी पर आज तक मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। 43708192 इसकी आईडी है। इसका व्यय प्रमाणक और पत्रवालिआ अप्राप्त रहने से स्पष्ट होता है कि सामग्री का उपभोग विकास कार्य में नहीं किया गया है और प्रधान और सचिव द्वारा अपहरण किया गया है। इस प्रकार 204773.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री कपिला देवी, सचिव श्री सुहैल नसीम से अपेक्षित है।

प्रारूप- 04

जनपद का नाम- गोण्डा

मण्डल का नाम- देवीपाटन

ग्रामपंचायत- अमवा

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-01

ग्राम पंचायत अमवा विकास खंड- मनकापुर जनपद- गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक: 11.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशोंपत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

	कार्य का नाम	आई.डी.	व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-				
2-	प्रधान मानदेय	17413824	0	10,500
	मिट्टी व खंडजाकार्य	17413793	1,44,979	0
	" " " "	17413820	64,721	0
	" " " "	31612361	25,473	3015
	" " " "	37975226	1,05,840	0
	" " " "	37975064	13,230	0
3-		37975455	66,150	0
	नाली निर्माण	17413812	46,869	10,190
4-	" " " "	17413780	28,140	20,730
5-	सैनीटाइजेशनकार्य	21052647	44,000	0
6-	उ.प्रा.वि.अमवामें चाइल्डफ्रेंडलीशौचा.	20367441	2,71,024	0
	सी.सी.रोडनिर्माण	17413785	0	6,480
	" " " "	17413778	0	4,320
	" " " "	17413832	0	10,080
	" " " "	17413792	0	10,800
	" " " "	17413826	0	10,080
7-	" " " "	17413781	56,711	0
8-	स्ट्रीट लाइटकार्य	21052646	1,95,000	0
9-	हैंडपम्परम्मत कार्य	37973978	64,800	0
10-	प्रशा. मद	21052647	5,000	0
11-	हैंडपम्परिवोरकार्य	37974067	2,15,026	0

12-	छुमपाइपस्थापना	37974163	1,22,050	0
13-	सामु.शौचा.निर्माण	17413802	2,10,000	0
14-	सोकपिट निर्माण	37974220	73,420	0
15-	प्रा.वि. अमवामें हैंडवाश,समरसेबल	37973978	73,205	0
16-	इण्टरलाकिंगकार्य	37974796	78,340	0
	शौचालय मरम्मत	17413802	22,355	0
	योग		1926333	86,195
	सकल योग-			2012528

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 2012528.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/11.02.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत अमवा के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 2012528.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-कटहर बुटहनी

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-02

ग्राम पंचायत-कटहर बुटहनी विकास खंड- मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 12.01.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	व्ययधनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	29231037	76,000	0
	" " " "	42978828	1,01,210	0

	" " "	45508406	50,000	0
2-	मिट्टी वखडंजा कार्य	29231511	63,000	0
	" " "	19244712	48,420	25728
3-	सैनीटाइजेशनकार्य	8703969	48,000	0
4-	प्रधानमानदेय	37366223	0	42,000
5-	ह्युमपाइप स्थापना	42977222	1,29,500	0
	" " "	42992987	70,000	
6-	प्रशा.मद	29231138	42,000	0
	" " "	44071382	22,129	0
	" " "	8703969	4,500	0
7-	पंचायतभवन निर्माण	44071369	10,39,239	0
8-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	42978747	1,88,000	0
9-	सोलरलाइट मरम्मत कार्य	42979386	1,45,600	0
10-	नालीनिर्माण कार्य	19244711	84,970	40741
	" " "	20363722	1,13,328	19,050
11-	आर.सी.सी.रोड निर्माण	42982574	1,16,355	22722
	" " "	42981523	94,726	0
	" " "	42981037	90,821	0
12-	सामु.शौचा.निर्माण	44071530	5,75,273	0
13-	सफाईकर्मि किट	44071558	26,000	0
14-	प्रा.वि.में रनिंगवाटर,समरसेबल	47391350	72,000	0
	योग		32,01,071	150241
सकल योग				3351312

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० 3351312.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021 /30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/12.01.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत कटहर बुटहनी के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू० 3351312.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्री मती सबरी एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-कलैनिया

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-03

ग्राम पंचायत-कलैनिया विकास खंड- मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक: 14.01.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं/आडिटऑनलाईन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	व्यय धनराशि	श्रमांश
			सामग्री	
1-	स्ट्रीट लाइट कार्य	19189957	1,70,000	0
2-	प्रशा. मद	30645771	52,000	0
	" " " "	19189986	39,300	0
	" " " "	39018269	5,500	0
3-	सामु. शौचा.निर्माण	41583486	5,20,000	0
4-	मिट्टी व खडंजा कार्य	39018388	51,156	26390
	" " " "	45111391	96,055	0
	" " " "	45111741	1,91,400	0
5-	सामु.स्वास्थ्य केन्द्र में टाइल्स निर्माण	44239998	1,91,289	6650
6-	सामु.स्वास्थ्य केन्द्र गोठिया कानिर्माण	44239902	1,37,008	37,522
7-	हैंड पम्प मरम्मत कार्य	41583552	1,30,260	0
8-	" " " "	19189988	70,000	0
9-	ह्युम पाइप स्थापना	39018212	1,82,000	0
10-	आंगनवाडी में हैंडपम्प स्थापना	19189958	70,000	0
11-	हैंड पम्प रिवोर कार्य	44240268	1,56,000	0
	" " " "	19189960	26,000	0
12-	आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	45111675	1,13,454	0
13;	प्रा.वि कलैनिया.में हैंडवाश,समरसेबल	45315768	70,000	०
	" " " "	45315771	50,000	0
14-	गेट निर्माण	19854451	69,700	0
	योग		23,91,122	70562
	सकल योग			2461684

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० **2461684.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/ 30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/14.01.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय

के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत कलैनिया के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 2461684.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्री मती कैलाशवती एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-गडहरी

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-04

ग्राम पंचायत- गडहरी विकास खंड- मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक: 08.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1- प्रधानमानदेय	18987952	0	21,000
2- सफाईकमी किट	18987951	13,600	0
3- इण्टरलाकिंगकार्य	38670080	49,632	0
" " " " "	38670080	14,605	0
" " " " "	38670080	14,133	0
" " " " "	38290726	39,447	0
" " " " "	21076435	0	6,425
" " " " "	38290726	81,882	12,108
4- प्रा.स्कूल में वाटरसप्लाई	38670146	39,122	0
" " " " "	38670146	5,515	0
" " " " "	38670146	0	6,000
मा.स्कूल में वाटरसप्लाई	38670169	39,122	0
" " " " "	38670169	5,515	0
" " " " "	38670169	6,000	0
5- मिट्टी वखंडजा कार्य	38670016	26,724	0
" " " " "	28676683	34,916	0
" " " " "	21076434	33,581	5133
" " " " "	4545655	0	9,948
" " " " "	21076433	55,875	8,256
" " " " "	18987946	0	5,238
" " " " "	21076432	0	3,934
6- आंगनबाडीकेन्द्र निर्माण	44561362	1,89,459	0
" " " " "	44561362	74,625	0
" " " " "	44561362	24,000	0

7-	विज्ञापनव्यय	8375292	0	4000
9-	सामु.शौचा.निर्माण	42660483	52,080	16200
	" " " " "	42660483	64,291	0
	योग		864124	98,242

सकलयोग

962366

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 962366.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/08.02.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत गडहरी के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 962366.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-चांदपुरवरसेनिया

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-05

ग्राम पंचायत- चांदपुरवरसेनिया विकास खंड- मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:11.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	व्यय	श्रमांश
			धनराशि सामग्री	
1-	सैनीटाइजेशनकार्य	19347014	25,000	0
2-	प्रधानमानदेय	19346998	56,000	0
3-	इण्टरलाकिंगकार्य	21059240	82,500	0
4-	ह्युमपाइप स्थापना	42455525	61,020	0
5-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	42455024	2,56,000	0
6-	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	42455150	39,900	0

7-	” ” ” ”	8702743	14,200	0
8-	सामु.शौचा.निर्माण	42455331	63,000	0
	” ” ” ”	42455331	53,000	0
	” ” ” ”	42455331	34,000	0
	” ” ” ”	42455331	1,07,740	
	” ” ” ”	42455331	60,000	0
	” ” ” ”	42455331	65,000	0
	” ” ” ”	42455331	99,500	0
	” ” ” ”	42455331	50,000	
	” ” ” ”	42455331	80,000	0
9-	प्रशा.मद	8702736	17,000	0
10-	जू.हा.स्कूलमें रनिंग वाटर	45777463	70,000	0
	” ” ” ”	45777463	35,000	0
	योग		12,68,860	0
सकलयोग				12,68,860

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹०1268860.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/11.02.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत चांदपुर वरसेनिया के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹० 1268860.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन चन्द्र भारती एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-जगन्नाथपुर

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-06

ग्राम पंचायत-जगन्नाथपुर, विकास खंड- मनकापुर, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:11.01.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	सामु.शौचा.निर्माण	44156607	229,241	0
	" " "	44156825	34,760	0
2-	प्रशा.व्यय	42658415	39,200	0
3-	पधान मानदेय	19161167	0	42000
4-	सी.सी रोड निर्माण	19161162	169,075	0
	" " "	44156384	219,412	67,221
5-	नाली निर्माण	19161179	92,520	32,087
6-	इण्टरलाकिंग कार्य	8375843	0	17938
	" " "	32225166	132,090	0
	" " "	8375843	104,893	0
7-	मास्क, सैनीटाइजेशन	19161168	45,000	0
8-	मिट्टी एवं खडंजा कार्य	38683264	197,375	0
	" " "	38683264	0	42,672
9-	पंचायत भवन में मिट्टी पटायी	45331980	56,100	0
10-	पंचायत भवन निर्माण	45332016	213,900	0
	योग-		1,533,566	201918
	सकल योग-			1735484

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 1735484.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/11.01.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय **₹ 1735484.00** अपहरित रहा। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री रिजवानुल हक एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-पंचपुती जगतापुर

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-07 ग्राम पंचायत-पंचपुती जगतापुर विकास खंड- मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:16.10.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/

अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	शौचालय मरम्मत	18768455	0	2,130
2-	मिट्टी एवं खडंजा कार्य	13697121	0	11,550
	" " "	18768456	0	12,600
	" " "	18768454	0	42,000
	" " "	18768450	0	18,200
	" " "	13697099	0	19,250
	" " "	42473867	97,440	0
	" " "	42474021	60,900	56,271
	" " "	42473646	176,001	38,720
	" " "	45262936	119,070	0
	" " "	44422235	0	16,800
	" " "	44422827	0	44,100
	" " "	44422444	0	44,450
	" " "	45262914	119,070	0
	" " "	44422647	4,000	0
3-	बाउण्ड्रीवाल निर्माण	13697134	0	54,150
4-	अतिरिक्त कक्ष मरम्मत कार्य	18768452	0	19,410
5-	प्रा.स्कूल मरम्मत कार्य	13697138	0	23,125
6-	प्रा.स्कूल जैदवा का मरम्मतकार्य	13697110	0	18,945
7-	जू.हा.स्कूल जैदवा का मरम्मत कार्य	18768459	0	54,800
8-	प्रा. स्कूल मेबाउण्ड्रीवाल निर्माण	13697135	0	39,480
9-	प्रा.स्कूल में फ्लोर टाइल्स निर्माण	13697114	0	7,100
10-	जू.कन्या हा.स्कूलका मरम्मत कार्य	13697139	0	17,500
	" " "	" "	0	41,895
11-	इण्टरलाकिंग कार्य	18768461	0	17,040
	" " "	20447947	132,730	0
	" " "	42473610	190,230	0
	" " "	42473825	167,904	14,737
	" " "	44422583	248,369	51,975
	" " "	44422555	236,887	0
	" " "	44422605	145,850	14737
	" " "	44422349	0	15425
	" " "	44422385	0	19,510
	" " "	44422416	0	20,930
	" " "	44691639	123,180	0
	" " "	44691694	123,180	0
	" " "	44691731	123,180	0
	" " "	44691722	123,180	0
	" " "	42473724	4,000	0

	" "	42473681	4,000	0
12-	नाली निर्माण	20447912	217,399	0
	" "	20447945	143,629	0
	" "	29200324	138,570	0
	" "	44422820	0	13810
13-	सामु.शौचा.निर्माण	42475156	285,559	0
14-	वित्रसि पर व्यय	1873849	0	4000
15-	आगनबाडी केन्द्र पर व्यय	44422738	215,640	0
16-	अतिरिक्त कक्ष जैदवा मरम्मतकार्य	44422307	0	15075
17-	हैंड पम्प मरम्मत कार्य	42474787	96,010	0
18-	हैंड पम्प रिवोर कार्य	42474828	58,476	0
19-	ह्यूम पाइप स्थापना	42474921	109,200	0
20-	सोकपिट निर्माण	42474966	102,970	0
	" "	13697132	70,000	0
21-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	42475101	164,510	0
22-	प्रा.वि. एवं पूर्व.मा.वि. जैदवा की मरम्मत	44422478	105,916	0
23-	कन्या पंचपुती में दिव्यांगशौचालय	49075905	66,514	0
	" "	49076018	66,514	0
	योग-		4,040,078	769,715
	सकल योग-			4809793.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 4809793.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार

दि: 21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/16.10.2021/21.02.2022

को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय **₹ 4809793.00** अपहरित रहा। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-पंडितपुर

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-08

ग्राम पंचायत-पंडितपुर विकास खंड- मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक: 14.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिटऑनलाइन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार

वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्परिवोर कार्य	19011825	180000	0
	" " "	30266810	60000	0
2-	सामु.शौचा.निर्माण	42461273	167000	0
	" " "	42459882	377900	0
3-	प्रशा.व्यय	44626843	35000	0
	" " "	1873867	25000	0
4-	प्रधानमानदेय	44626840	63000	0
5-	मिट्टी पटायी कार्य	44627536	25500	0
6-	प्रा.वि. में हैंडवाश	45377615	44000	0
7-	सी.सी रोड निर्माण	33624560	42500	0
8-	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	19011829	68000	0
	" " "	30266789	35000	0
9-	ह्यूमपाइप स्थापना	44626877	66078	0
10-	नाली निर्माण	44627509	54713	0
	" " "	19269823	8000	0
11-	इण्टरलाकिंग कार्य	20157254	44200	0
	" " "	27799181	18970	0
	" " "	19269831	0	18970
	" " "	34377250	0	18970
	" " "	20157254	0	14100
योग-			1314861	52040
सकल योग-				1366901

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 1366901.00** की आफलाईन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि: 21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/14.02.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय **₹ 1366901.00** अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन चन्द्र भारती एवं ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-पेरी पोखर

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-09

ग्राम पंचायत-पेरी पोखर विकास खंड-मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:13.01.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं/आडिटऑनलाईन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	नालीनिर्माण	43507151	131,038	21,957
	" " "	43288795	56,912	11,079
	" " "	44356103		6,480
	" " "	44355922		3,960
	" " "	44356236		3,960
2-	प्रशा.मद	43288921	37,000	
3-	सैनीटाइजेशन	43289130	48,000	
4-	हैंडपम्पमरम्मत	43501678	66,000	
5-	हैंडपम्परिवोर	43502603	234,000	
6-	सोलरलाइट निर्माण	43502072	75,000	
7-	प्रधानमानदेय	43501619		35,000
8-	प्रशा.मद	1873892	17,000	
9-	छूमपाइप स्थापना	43288703	45,000	0
10-	सामु.शौचा.नि.	44355804	397,140	
11-	रनिंगवाटर एवं समर सेबुल निर्माण	47189540	72,000	
	योग		1,179,090	82,436
	सकलयोग			1261526

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 1261526.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/13.01.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत पेरी पोखर के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 1261526.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्री जवाहर लाल एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-बंदरहा

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-10

ग्राम पंचायत-बंदरहा विकास खंड- मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:20.10.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशोंपत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिटऑनलाईन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी	सामग्री	श्रमांश
1-	इण्टरलाकिंग कार्य	19359993	62630	15942
	" " "	19360020	60200	19494
	" " "	19360034	54160	17970
	" " "	20385183	32178	12258
	" " "	19359990	198864	24864
	" " "	19360030	0	6432
	" " "	19359998	36,950	16278
	" " "	44243459	1,81,824	0
	" " "	44243125	1,81,024	0
	" " "	44243161	1,81,024	0
	" " "	44243095	1,46,355	0
2-	खडंजा मरम्मत कार्य	30792411	1,87,412	0
3-	हैंडपम्प मरम्मत	30790190	72000	0
	" " "	42488231	40150	0
4-	प्रशासनिक मद	42488853	55,650	0
5-	ह्यूमपाइप क्रय	42488002	129750	0
6-	कस्तूरबा विद्यालय मरम्मत	20227678	1,79,000	0
7-	प्रधान मानदेय	42488793	0	42000
8-	हैंडपम्परिवोर/समरसेबुल कार्य	42488116	4,44,000	0
9-	सामु. शौचा. निर्माण	42488962	5,36,367	0
10-	कस्तू. वि. में शौचा./ स्नान घर	20227678	17,780	63381
11-	खडंजानिर्माण कार्य	44243195	1,73,364	0
	" " "	44243061	35,055	0
	" " "	44243027	25,137	0
12-	प्रा.पा. में हैंडवाश कार्य	42489892	2,63,000	0
14-	प्रा.वि.किशुनदासपुर में दिव्यांगशौचा. नि.	48422953	2,00,000	0

15-	प्रा.वि.गिलवा में दिव्यांगशौचा. नि.	48423784	1,00,000	0
16-	प्रा.वि.अमवा में दिव्यांगशौचा. नि.	48423939	1,00,000	0
	योग-		3693874	218619
	सकल योग-			3912493

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 3912493.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/20.10.2021/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत बंदरहा के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 3912493.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना यादव एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-महेवा गोपाल

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-11

ग्राम पंचायत-महेवा गोपाल विकास खंड-मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:25.10.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

		सामग्री	श्रमांश
1-	इण्टरलाकिंगकार्य	17594650	41,092
	" " " "	41551894	80,000
	" " " "	45164184	1,25,000
	" " " "	45164163	1,50,000
	" " " "	45164122	98,000
	" " " "	45164138	1,10,000
	" " " "	41532277	1,10,000
	" " " "	41555310	1,10,000

2-	मिट्टी वखडंजा कार्य	17594665	60,719	23478
	" " " "	28338115	1,26,291	0
	" " " "	28341605	85,260	0
	" " " "	33176814	60,900	0
	" " " "	20466869	38,589	0
	" " " "	17594623	1,23,936	0
3-	जू हाई.स्कूलमें बोरिंग,वाशिंग निर्माण	20466879	2,62,361	0
4-	उक्त वि.में ज्वाइंट कुर्सी-मेज	33174523	1,91,780	0
	" " " "	20466867	1,91,780	0
	" " " "	33174137	1,91,780	0
	" " " "	33174249	1,91,780	0
5-	पंचायतभवन में साइडवाल,इण्टरलाकिंग	33174624	1,24,782	0
6-	पुलिया वसाइडवाल निर्माण	33175547	1,47,773	0
7-	प्रधानमानदेय	28333944	0	70,000
8-	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	37087543	99,000	0
9-	प्रा.वि.में रनिंग वाटर	43520667	60,473	0
	" " " "	43520538	60,473	0
10-	प्रशा.मद	28334471	15,500	0
11-	आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	41539223	2,49,200	0
	" " " "	17594658	29,722	0
12-	सामु.शौचा.निर्माण	42161753	1,26,375	0
	" " " "	41558727	3,00,000	0
	" " " "	42161753	1,50,000	0
13-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	50809635	1,56,000	0
14-	प्र.वि.में दिव्यांग शौचालय निर्माण	50809803	1,02,000	0
	" " " "	50809894	1,02,000	0
	योग		40,72,566	93478

सकलयोग

4166044

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **रु० 4166044.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/25.10.2021/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय **रु० 4166044.00** अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री काजी शाहनवाज रसूल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राज कला एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-महेवानानकार**विकास खण्ड- मनकापुर****प्रस्तर संख्या-12**

ग्राम पंचायत-महेवानानकार विकास खंड-मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक: 09.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिटऑनलाईन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	व्ययधनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	42962321	67,300	
2-	सोलरलाइट कार्य	42970995	1,92,000	
3-	सामु.शौचा.निर्माण	42961777	1,29,680	
	” ” ” ”	42961777	1,31,848	
4-	छुमपाइप स्थापना	42971206	87,500	
5-	प्रधानमानदेय	42960267		35,000
	योग		6,08,328	35,000
	सकलयोग			643328

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 643328.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/09.02.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायतमहेवानानकार के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 643328.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री धनपती धर एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-लमतीउपरहवा**विकास खण्ड- मनकापुर****प्रस्तर संख्या-13**

ग्राम पंचायत-लमतीउपरहवा विकास खंड- मनकापुर जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:12.01.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक

02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिटऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	व्ययधनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	खडंजामरम्मतकार्य	19347214	91,350	0
	" " " "	19347214	21,227	0
	" " " "	19347214	42,246	0
	" " " "	20730487	1,21,800	0
	" " " "	19347214	18,270	0
	" " " "	19347173	32,406	0
	" " " "	19347173	6,000	0
	" " " "	19347173	0	58,040
	" " " "	19347173	24,360	0
2-	स्कूलबाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण	19347223	64,831	4700
	" " " "	19347223	13,125	0
	" " " "	19347223	13,471	0
	" " " "	19347223	6,000	0
3-	सोकपिटनिर्माण	19347175	65,288	0
	" " " "	19347175	55,627	0
4-	सैनीटाइजेशनकार्य	42496727	58,000	0
5-	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	42496097	80,000	0
6-	प्रशा.मद	42496623	36,000	0
7-	कार्ययोजना फीडिंग पर व्यय	42496623	4,000	0
8-	प्रधानमानदेय	42496543	0	35,000
9-	सोलरलाइट कार्य	19347218	80,000	0
10-	सामु.शौचा.निर्माण	42496227	2,70,262	0
	" " " "	42496227	1,17,000	0
11-	नालीनिर्माण कार्य	45263128	49,878	0
12-	प्रा.वि.में रनिंगवाटर,समरसेबल	45315918	72,000	0
	योग		13,43,141	97740
	सकलयोग			1440881

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 1440881.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दि:21.10.2021/30.10.2021/04.01.2022/15.01.2022/27.01.2022/12.01.2022/21.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी

स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत लमतीउपरहवा के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 1440881.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्रीमतीरीता एवं प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-हरनाटायर

विकास खण्ड- मनकापुर

प्रस्तर संख्या-14

आलेख्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 2107751.00** है। लेखा परीक्षा में दर्शित उपर्युक्त व्यय के सापेक्ष **₹ 719209.00** की ही पत्रावलियां प्राप्त हुई। उपर्युक्त दर्शित व्यय में **₹ 1388542.00** के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। निर्माण कार्य पत्रावलियों के अभाव में स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/दिनांक, बिल, बाउचर, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, मस्टर-रोल, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि प्रमाणकों की जांच नहीं की जा सकी। इस प्रकार **₹ 1388542.00** बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	खडंजा मरम्मत कार्य	31703669	144432	50652
2-	सोख्ता निर्माण कार्य	27262429	157095	21336
3-	बेबीफ्रैडली शौचालयनिर्माण	17520611	51781	20934
4-	ह्यूमपाइप स्थापना	38595774	138200	0
5-	हैंडपम्परिवोर कार्य	37085014	127518	0
6-	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	37085818	85000	0
7-	इण्टरलाकिंग कार्य	38589772	216107	7200
	” ” ”	44590156	169607	4680
10-	इस्टबिन स्थापना कार्य	45518629	194000	0
	योग		1283740	104802
	सकल योग			1388542.00

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत हरनाटायर में वर्ष 2020-21 में उपर्युक्त कार्यों पर दर्शित कुल व्यय **₹ 1388542.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री काजी शाहनवाज रसूल एवं श्रीमती सुशीला मिश्र एवं ग्राम प्रधान एवं श्रीमती जनका देवी एवं से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

ग्राम पंचायत-चुवाड

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-15

ग्राम पंचायत- चुवाड विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:27.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेख की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुकके अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	प्रा.स्कूलहडिया की छत मरम्मतकार्य	44711614	0	5025
2-	प्रा.स्कूलहडियामें शौचा.मरम्मत	42233315	49500	5025
3-	प्रा.स्कूलचुवाडमेंहैंडवाश,समरसेवल	43771487	90457	0
8-	प्रशा.मद	42233898	47120	0
10-	सैनीटाइजेशन,मास्क,आदि..	43772025	42500	0
11-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42233534	214017	33600
	" " " "	42233534	176400	0
	" " " "	44711637	119705	0
	प्रधान मानदेय	37220522	0	42000
14-	मिट्टी पटायी व खडंजा निर्माण कार्य	42233557	179046	0
	मिट्टी पटायी व खडंजा निर्माण कार्य	37226400	11985	0
	" " " "	" " "	115710	0
15-	मिट्टी पटायी व खडंजा निर्माण कार्य	20175774	74578	9646
	योग-		1121018	95296
	सकल योग-			1216314

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 1216314.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 30.10.2021 दिनांक:15.01.2022 एवं दिनांक 27.01.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्ययप्रमाणक, बैंकस्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत चुवाड के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 1216314.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अनन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मिथिलेश कुमारी एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-तिलया

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-16

ग्राम पंचायत-तिलया विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 08.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेख की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुलव्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	प्रा.स्कूल भवन मरम्मत कार्य	12030159	50,000	0
2-	प्रा.स्कूलमेंबाउण्ड्रीवाल कार्य	12030162	1,70,000	0
3-	प्रा.स्कूलमें फ्लोरटाइल्स कार्य	12030163	60,000	0
4-	कोविड-19 सुरक्षा में फिट क्रय	42451352	19,890	0
	कोविड-19 सुरक्षा-सोडियम क्लोराइड क्रय	„ „	14,625	0
5-	सामु.शौचा. निर्माण	42448953	4,53,609	0
	सामु.शौचा. नि. में मिस्त्री को भुगतान	42448953	30,000	0
6-	प्रशा..मद	42451352	4,320	0
	प्रशा..मद	4549000	2,800	0
7-	प्रधान मानदेय	42450982	0	32,000
8-	14वां वित्त कमीशन यु.पी.तकनीक प्रशा.	19464032		704
9-	हैंडपम्प रिवोर	42449763	1,02,000	0
10-	प्रा.स्कूल अतिरिक्त कक्ष नि. कार्य	12030159	36,000	0
	प्रा.स्कूल अतिरिक्त कक्ष नि. कार्य	12030160	75,000	0
	प्रा.स्कूल अतिरिक्त कक्ष-2 नि. कार्य	12030161	87,000	0
11-	पिचरोड से लल्लन बाबा के घर तक खं.नि.	42449324	43,100	0
12-	प्रा.स्कूल में दिव्यांग शौचा.नि.	49120460	1,16,000	0
	योग-		12,64,344	32,704
	सकल योग-			1297048

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 1297048.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक: 30.10.2021 दिनांक: 21.02.2022 एवं दिनांक 02.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत तिलया के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 1297048.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री हरि नारायण सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विश्वनाथ एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-17)

ग्राम पंचायत-तेजपुर

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-17

ग्राम पंचायत- तेजपुर विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:14.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेख की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुलव्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	कोविड-19 सुरक्षा में किट क्रय	42564105	19,890	
2-	कोविड-19 सुरक्षा-सोडियम क्लोराइड क्रय	42564105	14,625	
3-	सामु.शौचा. निर्माण-4 यूनिट	42563737	1,75,836	
	सामु.शौचा. निर्माण-4 यूनिट	42563737	1,46,450	
	सामु.शौचा. निर्माण-4 यूनिट अवशेष कार्य	44689636	1,42,000	
	" " " "	" "	1,51,000	
	" " " "	" "	0	46000
4-	प्रा.वि. वरसेनिया में हैडवाश	20613326	60,000	
5-	पंचायत भवन नि.	44865466	5,97,400	
	" " " "	44865703	4,97,000	
6-	प्रधान मानदेय	42564603	24,500	
7-	नाली निर्माण	42563809	2,13,096	
8-	14वां वित्त कमीशन यु.पी.तकनीक प्रशा.	42564105	1,024	
9-	हैंडपम्प रिवोर	42563867	1,02,000	
10-	प्रा.वि. तेजपुर में हैडवाश रनिंगवाटर	20613325	55,400	
11-	प्रशा..मद	17311297	0	2,800
	योग-		22,00,221	48800
	सकल योग-			2249021

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 2249021.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक:30.10.2021 दिनांक:21.02.2022 एवं दिनांक 02.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत तेजपुर के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 2249021.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री हरि नारायण सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विजय वर्मा एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-तैदुवाराणीपुर

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-18

ग्राम पंचायत-तैदुवाराणीपुर विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:25.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेख की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	आई.डी.	कुलव्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	खंडजा निर्माण कार्य	17314069	0	13,098
	खंडजा निर्माण कार्य	44672439	24,360	0
	खंडजा निर्माण कार्य	44672439	93,503	0
2-	गायों के लिए भूसाघर निर्माण	21083550	51,550	0
3-	शौचालय निर्माण	6025527	60,000	0
4-	गौशाला निर्माण कार्य	30353288	2,30,000	0
5-	प्रा.स्कूल,वियासी में समरसेवल,रनिंगवाटर	42693844	1,48,877	0
6-	प्रा.स्कूल,वियासी में बाउण्ड्रीवाल नि.कार्य	42694143	63,000	0
	”	”		
	”	42694143	1,05,900	0
	”	”		
	”	42694143	50,100	0
7-	कोविड-19 बचाव हेतु मास्क,सैनीटाइजर...	37414303	98,960	0

	जू.हा.स्कूल तेदुवारानीपुर			
8-	समरसेवल,हैंडवाश	43947546	1,22,285	0
9-	जू.हा.स्कूल तेदुवारानीपुर भवन मरम्मत	43947104	1,95,855	0
	” ”			
	” ”	43947104	0	49170
10-	जू.हा.स्कूल टाइल्स निर्माण	43947486	1,68,019	0
	” ”			
	” ”	43947486	0	13833
11-	प्रशा.मद	37414303	40,000	0
12-	प्रा.स्कूल रनियापुरवा में बाउण्ड्रीवाल नि.	42693960	1,67,300	0
13-	हैंडपम्प रिवोर	42694790	1,25,000	0
	” ”			
	” ”	42693526	2,00,000	0
14-	चाइल्ड शौचालय निर्माण	17314092	94,766	0
	” ”			
	” ”	17314095	96,460	0
15-	स्कूल मरम्मत	9811522	49,500	0
16-	प्रा.स्कूल तेदुवारानीपुर में टाइल्स नि.	43947507	2,09,000	0
	” ”			
	” ”	43947507	0	6858
17-	टाइल्स कार्य हेतु मजदूरी	17314089	0	42,500
18-	टाइल्स कार्य हेतु मजदूरी	17314094	0	42,500
19-	गौशाला में कच्चा निर्माण कार्य	44672447	98,735	0
20-	गौशाला में नादा,चन्नी निर्माण कार्य	17314115	1,15,216	0
21-	स्कूल मरम्मत	17314093	75,500	0
22-	सामु.शौचालय	44674599	3,02,500	0
	” ”			
	” ”	44674599	1,01,500	0
23-	हैंडपम्प मरम्मत	44674566	1,14,810	0
24-	सोकपिट निर्माण	45416822	1,50,500	0
25-	गौ-आश्रय केन्द्र में रखरखाव पर व्यय	45416383	1,50,530	0
26-	गौ-आश्रय केन्द्र में नर-मादा सेड नि.	44672447	94,953	0
	योग-		3598679	1,67,959
	सकल योग			3766638

वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹० 3766638.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक:30.10.2021 दिनांक:21.02.2022 एवं दिनांक 02.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक,व्यय प्रमाणक,बैंक स्टेटमेंट,मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के

वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत तेंदुवाराणीपुर के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 3766638.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर विजय सिंह गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री राम अवतार एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-पतिजियाखुर्द

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-19

ग्राम पंचायत-पतिजिया खुर्द विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:06.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेख की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1	खडंजा मरम्मत कार्य	16009798	23,660	40090
2	खडंजा निर्माण कार्य	34668360	57,003	25520
3	दवा छिडकाव,मास्क,हैंडवाश	36615965	85,100	0
4	प्रशा.मद	36615965	3,000	0
5	सामुदायिक शौचालय निर्माण	36646245	1,43,312	0
-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	36646245	1,98,438	0
6	स्कूल मरम्मत कार्य	16009804	34,200	35075
7	सी.सी.रोड निर्माण	16009797	32,773	15827
8	नाली निर्माण कार्य	16009836	0	6400
9	पू.मा. स्कूल में छत व फर्श मरम्मत कार्य	50872415	2,07,945	0
-	योग-		7,85,431	122912
	सकल योग-			908343

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 908343.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक:30.10.2021

दिनांक:15.01.2022 एवं दिनांक 03.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत पतिजियाखुर्द के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 908343.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मती यासमिन एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-परसा उदयकर

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-20

ग्राम पंचायत- परसा उदयकर विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:21.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	खंडजा निर्माण कार्य	20472292	11,648	0
2-	प्रा.पाठशाला में समरसेवल एवं हैंडवाश	20222153	1,14,580	0
3-	निविदा प्रकाशन	17036912		1,520
4-	प्रशा.मद	37380808	3,000	0
5-	सी.सी रोड निर्माण	45001285	2,14,545	0
6-	प्रधान मानदेय	37380771	0	31,500
7-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42423674	66,409	0
	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42423674	39,060	0
	योग-		4,49,242	33020
	सकल योग-			482262

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 482262.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक:30.10.2022 दिनांक:15.01.2022/21.02.2022 एवं दिनांक 03.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम

पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत परसा उदयकर के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 482262.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री हरि नारायण सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-पिपराखुर्द

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-21

ग्राम पंचायत-पिपराखुर्द विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 22.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेख की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	प्रा.स्कूल में गेटनिर्माण	42354439	82,097	10150
	" " "	" " "	29295	0
2-	प्रधान मानदेय	37466093	28,000	0
3-	सैनीटाइजेशन, मास्क, आदि..	37466192	15,750	0
4-	पंचायत भवन निर्माण	44815263	1,84,352	0
	" " "	" " "	1,84,772	0
	" " "	45485012	200000	0
5-	पंचायत भवन निर्माण हेतु मिट्टी कार्य	45266707	75,000	0
	योग-		7,99,266	10150
	सकल योग-			809416

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 809416** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक: 30.10.2021 दिनांक: 15.01.2022 एवं दिनांक 03.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के

वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत पिपराखुर्द के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 809416.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर विजय सिंह गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री मती समुद्रा देवी एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-बभनीखास

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-22

ग्राम पंचायत-बभनीखास विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:01.10.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेख की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	प्रा.स्कूल परिसर में मिट्टी पटायीकार्य	42581685	162526	0
2-	प्रा.स्कूल फूलपुरमें गेटनिर्माण	42581488	42133	2607
3-	प्रा.स्कूल फूलपुरमेंहैंडवाश,समरसेवल	42582836	109915	5411
4-	प्रा.स्कूल फूलपुरमें मिट्टी पटायी	44690913	40194	0
5-	जू.हा.स्कूलमें हैंडवाश,समरसेवल	42581594	125684	9021
6-	पंचायत भवन मरम्मत	44453285	191007	0
7-	पंचायत भवन टाइल्स निर्माण	45050337	219809	59722
8-	प्रशा.मद	37039723	49540	0
9-	निविदा प्रकाशन	37039723	0	7560
10-	सैनीटाइजेशन,मास्क,आदि..	42582475	42600	0
11-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42582126	327071	0
	" " " "	44690920	191874	12800
12-	सड़क निर्माण	42581402	208384	20446
13-	सी.सी. रोड निर्माण	42581313	221307	21250
	" " " "	45431379	86983	8414
	" " " "	42581809	48371	7015
	" " " "	45431641	115490	16040
14-	खंडजा निर्माण कार्य	45431702	38367	28944
	" " " "	45267280	85995	32160
15-	मिट्टी पटायी व सड़क निर्माण कार्य	45267641	79380	21105

**योग-
सकल योग-**

2386630

252495

2639125

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **रु० 2639125.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक: 30.10.2021 दिनांक: 15.01.2022/27.01.2022 एवं दिनांक 21.02.2022/03.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत बभनीखास के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **रु० 2639125.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मती डाली सिंह एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-वीरापुर

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-23

ग्राम पंचायत-वीरापुर विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 29.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले०प०दो०पं/आडिट ऑनलाइन/पी०-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	प्रा.वि.भरथीपुर में रंगाई-पुताई	32921216	220290	0
2-	प्रा.वि.भरथीपुर में हैंडवास,प्लेटफार्म नि.	32921373	118976	0
3-	उ.प्रा.वि.ऊजागरपुर रंगाई-पुताई कार्य	32920760	177663	0
4-	उ.प्रा.वि.ऊजागरपुर रंगाई-पुताई कार्य	32920545	182351	0
5-	उ.प्रा.वि.ऊजागरपुर हैंडवास प्लेटफार्म कार्य	32921272	144847	0
6-	कोविड-19 सुरक्षा किट,NaCl छिडकाव	42319148	34515	0
7-	नाली निर्माण कार्य	42316875	197933	0
	" " " " " "	42316614	196794	0
8-	प्रधान मानदेय	42317933	0	66500
9-	प्रशा.मद	42317792		12297
10-	मिट्टी व खडंजा कार्य	45092565	63510	0
11-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	45092576	283924	0

	" " " " " "	" " "	252000	0
12-	पंचायत भवन टाइल्स निर्माण	45439003	172000	0
13-	पंचायत भवन मरम्मत	45438839	199996	0
14-	पंचायत भवन छत मरम्मत	45438973	60802	0
15-	पंचायत भवन बाउण्ड्रीवाल उच्चीकरण	45438867	210867	0
16-	उ.प्रा.वि.ऊजागरपुर पडंजा कार्य	45457632	170000	0
17-	प्रा.वि.ऊजागरपुर पडंजा कार्य	45457566	220000	0
18-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	50471610	178500	0
19-	प्रा.वि.ऊजागरपुर दिव्यांग शौचा. निर्माण	50471565	98000	0
20-	पंचायत भवन परिसर में इण्टर लाकिंग	50471683	208000	0
	योग		3390968	78797
	सकल योग-			3469765

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 3469765.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक:15.01.2022 दिनांक:27.01.2022 एवं दिनांक 03.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत वीरापुर के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 3469765.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री हरि नारायन सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री मती मेहरूनिशां एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-मकोइया

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या- 24

ग्राम पंचायत-मकोइया विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 08.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	धनराशि

1-	प्रशा.मद	42481180	56390
2-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42481771	396924
	” ” ”	42481771	45000
3-	प्रा.पाठशाला में समरसेवल एवं हैंडवाश	42480782	60000
	” ” ”	42480782	66000
4-	हैंडपम्प मरम्मत-15नग	42482190	39802
	हैंडपम्प मरम्मत-15नग	50479369	34000
5-	प्रा.पाठशाला में किचेन व टाइल्स निर्माण	42480897	40000
	” ” ”	42480897	26000
6-	प्रा.पाठशाला में अतिरिक्त कक्ष /टाइल्सनिर्माण	44685873	97100
	” ” ”	44685887	97000
7-	प्रधान मानदेय	42481116	52500
8-	पक्की सड़क से तालाब तक नाली निर्माण	45092189	141706
9-	पक्की सड़क से राम नेवास के घर तक खडंजा नि.	45092204	61770
10-	14वां वित्त आयोग यू.पी.तकनीकी एडमिनस्	17311673	602
11-	शिवनाथ के घर से तालाब तक नाली निर्माण	45459686	41728
	” ” ”	45459686	102000
	शिवनाथ के घर से तालाब तक नाली निर्माण	45459523	98500
13-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	50479432	127500
14-	पक्की सड़क से सामु.शौ.तक खडंजा नि.	50479242	170100
15-	प्रा.स्कूल मकोइया में दिव्यांग शौचालय निर्माण	50479173	116000

योग-

1870622

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 1870622.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक:30.10.2022 दिनांक:15.01.2022/21.02.2022 एवं दिनांक 03.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत मकोइया के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 1870622.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री हरि नारायण सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री राम सागर एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-रानीजोत

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-25

ग्राम पंचायत-रानीजोत विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 25.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक

02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेख की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	भूमिगत नाली निर्माण	20783424	1,69,292	0
	”	44870619	75,800	5736
	”	44870621	86,733	37935
	”	45472284	65,400	9144
	”	45472347	33,600	5427
	”	45472374	81,500	10350
2-	इण्टरलकिंग कार्य	20712104	95,000	
	”	20783430	1,19,491	0
	”	20783429	65,190	0
	”	38172626	0	15,952
	”	38019027	0	10,872
	”	20783426	42,000	10,872
	”	44711463	1,82,000	15,642
	”	44711471	2,13,200	18,690
3-	सी.सी रोड निर्माण	20783425	90,000	0
4-	नाली निर्माण	20783427	1,10,000	0
5-	प्रशा.मद	17321879	50,000	0
”	”	42917652	70,000	0
6-	खडंजा निर्माण	20783422	0	19992
	खडंजा निर्माण	44870623	33,495	12477
	खडंजा निर्माण	44841547	57,663	19812
7-	हैंडवाश, सैनीटाइजर, मास्क क्रय	42896713	70,000	0
8-	प्रा.स्कूल समरसेवल, हैंडवाश	20712107	30,000	0
9-	सामु. शौचालय निर्माण	42918141	4,13,375	8640
	सामु. शौचालय निर्माण	42918141	95,094	0
	सामु. शौचालय निर्माण	44870639	2,10,406	61290
	”	44870639	1,10,735	0
10-	प्रा.स्कूल रानीजोत फ्लोर टाइल्स नि.	20847820	33,000	10,640
11-	पंचायत भवन मरम्मत	44499022	1,74,832	24150
	पंचायत भवन मरम्मत	44499022	45,018	0
	पंचायत भवन में टाइल्स निर्माण	44499030	98,500	0
12-	प्रधान मानदेय	42896472	0	21,000

13-	हैंडपम्प रिवोर 5 नग	42936727	1,25,000	0
14-	कस्तूरबा गांधी वि. मरम्मत कार्य	44711385	76,000	20298
15-	सामु. शौचालय में मिट्टी पटायी	44711342	1,50,000	0
16-	खडंजा मरम्मत	20712098	73,084	13482
17-	पंचायत भवन बाउण्ड्रीवाल नि.कार्य	44870642	83,000	8943
19-	प्रा.स्कूल रानीजोत की रंगाई-पुताई	42938408	1,17,093	0
20-	सामु.शौचालय बाउण्ड्रीवाल	44870631	2,19,679	0
	योग-		3765180	361344
	सकल योग-			4126524

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **रु० 4126524.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक:30.10.2021 दिनांक:21.02.2022 एवं दिनांक 02.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत रानीजोत के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **रु० 4126524.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर विजय सिंह गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री मती मुन्नी देवी एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-वौहान

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-26

ग्राम पंचायत-वौहान विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:24.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेख की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	वर्क आई.डी.	दिनांक	धनराशि	
				सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्प रिवोर कार्य,	29901150	16.06.2020	100000	0
2-	आंगनवाडी केन्द्र निर्माण कार्य	42689995	03.07.2020	306000	0
3-	प्रधान मानदेय	42687230	03.07.2020	38500	0

4-	ग्रा.पं. में सामुदायिक शौचालय नि.कार्य	42688460	04.09.2020	576349	0
6-	हैंडवाश एवं समर सेवल नि. कार्य	42689613	08.09.2020	120000	0
	„	44711583	26.09.2020	120000	0
	„	44711580	17.10.2020	115000	0
7-	पंचायत भवन निर्माण कार्य	44658003	21.12.2020	126416	0
योग-				1502265	0
सकल योग-				1502265	

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **रु० 1502265.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक: 30.10.2021 दिनांक: 21.02.2022 एवं दिनांक 02.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा केशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत वौहान के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **रु० 1502265.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री कुंवर विजय सिंह गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री मती जुनैदा एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-हरखूपुर

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-27(क)

ग्राम पंचायत-हरखूपुर विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:15.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की केशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध केशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	प्रा.स्कूल में रंगाई-पुताईकार्य	1984053	30000	0
2-	प्रा.स्कूल हरखूपुर में भवन मरम्मत	12051890	125000	0

3-	हूम पाइप स्थापना	19840460	30000	0
4-	प्रा.स्कूल सोनबरसा में बाउण्ड्रीवाल नि.	12051892	102000	0
5-	प्रा.स्कूल सोनबरसा में बाउण्ड्रीवाल नि.	12051892	28992	0
6-	खडंजा नि. कार्य	19840457	3640	0
7-	प्रा.वि. भवन मरम्मत	12051890	27180	0
8-	सामुदायिक शौचालय निर्माण		45000	0
9-	प्रा. वि. की रंगाई-पुताई	19840459	40000	0
10-	प्रा.स्कूल में अतिरिक्त कक्ष	17311534	30000	0
11-	कोविड-19 सुरक्षा हेतु किट क्रय	42511912	19890	0
12-	प्रधान मानदेय	42512036	0	35000
13-	मिट्टी पटायी व सड़क निर्माण कार्य	45092467	43065	0
14-	„ „ „ „	45092481	27985	0
15-	„ „ „ „	42511558	37120	0
16-	„ „ „ „	45092510	20445	0
17-	„ „ „ „	45092525	16530	0
18-	„ „ „ „	45092491	28710	0
19-	„ „ „ „	45092540	129920	0
20-	„ „ „ „	50481791	189000	0
21-	खडंजानि. कार्य	50481791	49900	0
22-	हैंडपम्प रिवोर	42510473	51000	0
23-	प्रा.वि.हरखूपुर में दिव्यांग शौचालय नि	49121431	116000	0
24-	प्रशा.मद	42511912	22512	
25-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42510277	130200	0
26-	„ „ „ „		323800	0
	योग-		1667889	35000
	सकल योग-			1702889

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **रु० 1702889.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक:15.01.2022 दिनांक:21.02.2022 एवं दिनांक 03.03.2022 को किया गया।किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के

अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत हरखूपुर के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **रु० 1702889.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री हरि नारायण सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अयोध्या यादव एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत-लक्ष्मीनगरग्रण्ट

विकास खण्ड- छपिया

प्रस्तर संख्या-27 (ख)

ग्राम पंचायत-लक्ष्मीनगर ग्रण्ट विकास खंड-छपिया जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:09.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिटआनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशपत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/ आडिटऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखोंकी जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत केऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया । ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया व्यय निम्नवत् है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	आई.डी.	व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	प्रा.स्कूल में अतिरिक्त कक्ष मरम्मत	17624847	62000	0
	” ” ” ”	17624846	60000	0
	” ” ” ”	44375825	60000	0
2-	सैनीटाइजेशन,मास्क,आदि..	32379956	32000	0
3-	कोविड-19 सुरक्षा हेतु किट, क्रय	42552790	19890	0
	किट, क्रय	42552790	14625	0
4-	खंडजानि. कार्य	44375734	54810	0
5-	खंडजानि. कार्य	50440910	189000	0
6-	उ.प्रा.स्कूल मरम्मत व अवशेष कार्य	44092843	45000	0
7-	पंचायत भवन बाउण्ड्रीवाल निर्माण	44375775	172195	0
8-	उ.प्रा.वि. में हैंडवाशरनिंगवाटर कार्य	42548530	137224	0
9-	प्रा.स्कूलमेंबाउण्ड्रीवालनि.	44375927	100000	0
	” ” ” ”	44375976	98000	0
10-	प्रधान मानदेय	4255644	0	14000
	” ” ” ”	42552790	0	24500

11-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42548749	466944	0
	” ” ” ”	42548749	63000	0
	” ” ” ”	42548749	45000	0
12-	पंचायत भवन सभाकक्ष निर्माण	44689017	172000	0
13-	उ.प्रा.वि. में चाइल्डफ्रेंडलीशौ.नि.	45092423	183245	0
14-	प्रशासनिक मद में व्यय	4547774	3000	0
15-	प्रा.वि.लक्ष्मीनगर में दिव्यांग शौचालय नि.	49122986	116000	0
16-	हैंडपम्परिवोर	42548978	76500	0
17-	पंचायत भवन टाइल्स निर्माण	50440457	168000	0
18-	पंचायत भवन इण्टरलाकिंग कार्य	50440664	208000	0

योग-

2546433

38500

सकल योग-

2584933

वर्ष में दर्शित कुल व्यय **₹ 2584933.00** की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक:30.10.2021 दिनांक:21.02.2022 एवं दिनांक 03.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैशबुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापपुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत लक्ष्मीनगरग्रंट के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय **₹ 2584933.00** को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री हरि नारायण सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार एवं प्रशासक श्री नन्द लाल राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत- कटराभोग चन्द्र

विकास खण्ड-नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-28

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत कटराभोग चन्द्र की कोषबही में हैंडपम्प रिबोर पर, कार्य आई0 डी0- 42599642 दिनांक 24-12-2020 को **₹ 112625.00** शिव इण्टर प्राइजेज के भुगतान दर्शित है। समस्त धनराशि एक ही कार्य आई0 डी0 पर भुगतान कर निदेशक पंचायतीराज 30प्र0 पत्रांक संख्या ए.जी.एस.ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 का उलंघन किया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक हैंडपम्प-रिबोर के स्थान का विवरण अंकित करते हुए पृथक-पृथक कार्य आई0 डी0 बनाये जाने का निर्देश दिया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय धनराशि **₹ 112625.00** की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय की गयी धनराशि अपहरण है।

अतः रु० 112625.00 का अपहरण कर दिया गया है। जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री छेदीलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रविप्रकाश मिश्र हैं। अपहरित धनराशि रु० 112625.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-1)

प्रस्तर संख्या-29

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत कटराभोग चन्द्रकी कोषबही में प्रशासनिक मद पर, कार्य आई0 डी0- 42599387 दिनांक 12-12-2020 को रु० 49500.00 शिव इण्टर प्राइजेज के भुगतान दर्शित है। जबकि निदेशक पंचायतीराज 30प्र0 पत्रांक संख्या आर.जी.एस.ए/ 197/2019-4/379/2015 लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 के अनुसार मात्र रु० 20000.00 या उसमें काम के कई हैण्डपम्प मरम्मत एक ही गुप आई0 डी0 बनाकर किया जाना है। उक्त मरम्मत पर रु० 49500.00 एक ही कार्य आई0 डी0 पर भुगतान कर शासनादेश का उलंघन किया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय धनराशि रु० 49500.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर व्यय धनराशि अपहरण है

अतः रु० 49500.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री छेदीलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रविप्रकाश मिश्र हैं। अपहरित धनराशि रु० 49500.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-2)

ग्राम पंचायत- गैलनग्रंट

विकास खण्ड- नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-30

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत गैलनग्रंट की कोषबही में प्रशासनिक व्यय, कार्य आई0 डी0 42250633 दिनांक 25-12-2020 को रु० 45680.00 श्रीवास्तव ट्रेडर्स के भुगतान दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय की गयी धनराशि अपहरण है।

अतः रु० 45680.00 का अपहरण कर दिया गया है। जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह हैं। अपहरित धनराशि रु० 45680.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-1)

प्रस्तर संख्या-31

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत गैलनग्रंट की कोषबही में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर, कार्य हैण्डपम्प मरम्मत पर कार्य आई0 डी0- 42251001 दिनांक 25-12-2020 को रु० 49900.00 व्यय दर्शित है। जबकि शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 के अनुसार मात्र रु. 20000.00 तक एक कार्य आई0 डी0 पर मरम्मत कार्य कराया जा सकता है। रु० 49500.00 एक ही कार्य आई0 डी0 पर व्यय कर शासनादेश का उलंघन किया गया है, व्यय धनराशि की पुष्टि में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर व्यय धनराशि अपहरण है।

अतः रु० 49900.00 का अपहरण कर दिया गया है। जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह हैं। अपहरित धनराशि रु० 49900.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-2)

ग्राम पंचायत- तुरकौली

विकास खण्ड- नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-32

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत खरगूपुर द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के उपरान्त विभागीय वेबसाइट ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक व व्यय प्रमाणको के आधार पर लेखा परीक्षा समपन्न किया गया। कैश बुक में अंकित वर्ष 2020-21 में कुल व्यय रु० 733987.00 का विवरण निम्नवत है:-

योजना का नाम	क्र.सं	कार्य का विवरण	कार्य आई.डी.	दिनांक	सामाग्री	श्रमांस
	1	हैण्ड पम्प मरम्मत	4330897	12-10-20	69260-00	--
	2	ग्राम पंचायत में सेनिटाइजेशन	4330805	12-10-20 15-10-20	40000-00 20000-00	-- --
	3	बाबापुरवा मे नाली निर्माण	45286172	19-12-20 19-12-20 19-12-20 24-12-20 24-12-20	53035-00 17280-00 7037-00 11059-00 36008-00	-- -- -- -- --
	4	प्रधान मानदेय	43330836	23-12-20	--	28000-00
	5	सामुदायिक शौचालय निर्माण	43323358	07-10-20 07-10-20 07-10-20 07-10-20 07-10-20 07-10-20 07-10-20	99889-00 90408-00 96022-00 31830-00 38156-00 66819-00 29184-00	-- -- -- -- -- -- --
योग =					705987.00	28000.00

सकल योग =733987.00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु० 705987.00 सामाग्री क्रय रु० 28000.00 प्रधान मानदेय, कुल योग रु० 733987.00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, प्रधान मानदेय रजि०, माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार तथा 30 प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के (17वाँ संशोधन 2011) नियम-256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा ई० ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कैश बुक में कुल धनराशि रु० 733987.00 के अपहरण हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता मौर्या उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत-सेमरा शेखपुर

विकास खण्ड- नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-33

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सेमराशेखपुर की कोषबही में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर कराये गये शोक फीट निर्माण, कार्य आई० डी०- 39021847 में दिनांक 24-12-2020 को रु० 150000.00 श्रीवास्तवा ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है। व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी की ग्राम पंचायत में कितने नग शोक फीट निर्माण कराया गया एवं कितनी धनराशि सामाग्री क्रय पर एवं कितनी धनराशि मजदूरी पर भुगतान की गयी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा 30 प्र० पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम- 256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय की गयी धनराशि अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी शोक फीट निर्माण पर रु० 150000.00 का अपहरण हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

प्रस्तर संख्या-34

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सेमरा शेखपुर की कोषबही में हैण्डपम्प रिबोर पर, कार्य आई0 डी0-39036324 में दिनांक 24-12-2020 को रू० 132350.00 श्रीवास्तव ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है समस्त धनराशि एक ही कार्य आई0 डी0 पर भुगतान किया गया है। जबकि निदेशक पंचायतीराज 30 प्र0 पत्रांक संख्या आर.जी.एस.ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 तथा अपर मुख्य सचिव 30 प्र0शासन के पत्र संख्या-51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक-19 जून 2017 के अनुसार प्रत्येक हैण्डपम्प रिबोर के स्थान का विवरण अंकित करते हुए पृथक-पृथक कार्य आई0 डी0 बनाया जाना अनिवार्य है। एक ही कार्य आई0 डी0 पर समस्त धनराशि भुगतान कर उक्त शासनादेश का उलंघन किया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय धनराशि रू० 132350.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (क) से (ड) के तहत बिना व्यय की गयी धनराशि अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू० 132350.00 के अपहरण हेतु ग्राम प्रधान उर्मिला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-2)

प्रस्तर संख्या-35

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सेमरा शेखपुर की कोषबही में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत पर, कार्य आई0 डी0-39041317 में दिनांक 24-12-2020 को रू० 38480.00 का भुगतान श्रीवास्तव ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है समस्त धनराशि एक ही कार्य आई0 डी0 पर किया गया है। जबकि निदेशक पंचायतीराज 30 प्र0 पत्रांक संख्या आर.जी.एस.ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 के अनुसार मात्र रू० 20000.00 या उससे कम लागत के कई हैण्डपम्प मरम्मत की एक गुप आई0 डी0 बनाकर किया जाना है। परन्तु रू० 38480.00 का भुगतान एक ही कार्य आई0 डी0 पर उक्त शासनादेश का उलंघन किया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय धनराशि रू० 38480.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली- 1947 के नियम 256 (क) से (ड) के तहत बिना व्यय की गयी धनराशि अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू० 38480.00 के अपहरण हेतु ग्राम प्रधान उर्मिला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-3)

ग्राम पंचायत-हरवंशपुर

विकास खण्ड- नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-36

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत हरवंशपुर के विभिन्न स्थानों पर कराये गये हैण्डपम्प रिबोर पर, कार्य आई0 डी0- 42256877 में दिनांक 19-12-2020 को रू० 122053.00 शिव इण्टर प्राइजेज को भुगतान कोषबही में दर्शित है। समस्त धनराशि एक ही कार्य आई0 डी0 पर भुगतान किया गया है। जबकि निदेशक पंचायतीराज 30 प्र0 पत्रांक संख्या आर.जी.एस.ए/197/2019-4/379/ 2015 लखनऊ, दिनांक 02 मई 2019 तथा अपर मुख्य सचिव 30 प्र0 शासन के पत्र संख्या-51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार प्रत्येक हैण्डपम्प रिबोर के स्थान का विवरण अंकित करते हुए पृथक-पृथक कार्य आई0 डी0 बनाया जाना अनिवार्य है। एक ही कार्य आई0 डी0 पर समस्त धनराशि भुगतान कर उक्त शासनादेश का उलंघन किया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय धनराशि रू० 122053.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय की गयी धनराशि अपहरण है।

अतः रू० 122053.00 का अपहरण कर दिया गया है। जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री रामधनी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह है। अपहरित धनराशि रू० 122053.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-1)

प्रस्तर संख्या-37

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत हरवंशपुर की कोषबही में प्रशासनिक मद पर, कार्य आई0 डी0-42256306 दिनांक 15-12-2020 को **रु० 46725.00** शिव इण्टर प्राइजेज को भुगतान दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहा किया गया। इस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर व्यय धनराशि अपहरण है।

अतः **रु० 46725.00** का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामधनी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा कर लिया गया है। अपहरित धनराशि **रु० 46725.00** की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-2)

ग्राम पंचायत- महादेवा

विकास खण्ड- नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-38

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत महादेवा द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के उपरान्त विभागीय वेबसाइट ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक व व्यय प्रमाणको के आधार पर लेखा परीक्षा समपन्न किया गया। कैश बुक में अंकित वर्ष 2020-21 में कुल व्यय **रु० 1423330.00** का विवरण निम्नवत है -

योजना का नाम	क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य आई.डी	दिनांक	धनराशि सामाग्री	श्रमांस	योग
स0 वित्त	1-	प्रधान मानदेय	42305147	13-10-20	--	42000-00	70000-00
				18-12-20	--	28000-00	
	2-	रनिंग वाटर सप्लाई	42244881	02-11-20	46652-00	--	71152-00
				02-11-20	24500-00	--	
	3-	टाइल्स निर्माण कार्य	20893330	02-11-20	44923-00	--	52463-00
				02-11-20	7540-00	--	
	4-	प्रशासनिक व्यय	42243188	24-11-20	30464-00	--	30464-00
	5-	खड़जा निर्माण	42248181	24-11-20	30450-00	--	129717-00
				24-11-20	99267-00	--	
	6-	हैण्डपम्प रिबोर	42245002	18-12-20	105989-00	--	105989-00
केन्द्र वित्त	7-	हैण्ड पम्प मरम्मत	15897637	13-10-20	42980-00	--	66133-00
				06-11-20	23153-00	--	
14वाँ	8-	सेनिटाइजेशन	42305297	20-10-20	59808-00	--	59808-00
	9-	इण्टर लॉकिंग कार्य	20897652	02-11-20	101162-00	--	101162-00
	10-	खड़जा निर्माण कार्य	15897652	24-11-20	43848-00	--	43848-00
	11-	खड़जा निर्माण	15897628	24-11-20	18270-00	--	18270-00
	12-	रनिंग वाटर सप्लाई	19369046	26-11-20	6233-00	--	6233-00
	13-	टाइल्स कार्य	20893329	26-11-20	89006-00	--	89006-00
15वाँ वित्त	14-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42304845	16-10-20	96023-00	--	
आयोग				16-10-20	31830-00		
				16-10-20	66219-00		

16-10-20	90408-00	
16-10-20	99889-00	579085-00
29-10-20	99851-00	
29-10-20	94865-00	
योग=	1353330.00	70000.00 1423330.00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु० 1353330.00 सामाग्री क्रय पर एवं रु० 70000.00 प्रधान मानदेय, कुल योग रु० 1423330.00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, प्रधान मानदेय रजि०, माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ० प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के (17वाँ संशोधन 2011) नियम- 256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा ई० ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कैश बुक में कुल धनराशि रु० 1423330.00 के अपहरण हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मुरता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शेषमणि पटेल उत्तरदायी हैं। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।
(सा०अ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- खरगपुर

विकास खण्ड- नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-39

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत खरगपुर द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के उपरान्त विभागीय बेवसाइट ई० ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक व व्यय प्रमाणको के आधार पर लेखा परीक्षा समपन्न किया गया। कैश बुक में अंकित वर्ष 2020-21 में कुल व्यय रु०- 1250653-00 का विवरण निम्नवत है -

योजना का नाम	क्रसं	कार्य का विवरण	कार्य आई.डी	दिनांक	धनराशि सामाग्री	श्रमांस	योग
स.वित्त	1	प्रधान मानदेय	8525335	29-08-20	--	3500-00	
		प्रधान मानदेय	42118869	30-10-20	--	21000-00	
				12-12-20	--	7000-00	31500-00
	2	मिट्टी पटाई बाबा कुटी से सुरेश के घर तक	43721280	29-09-20	44798-00		44798-00
	3	मिट्टी पटाई	43719167	29-09-20	44798-00	--	44798-00
	4	सामुदायिक शौचालय निर्माण	44964007	09-11-20	19370-00	--	19370-00
	5	पंचायत भवन में मिट्टी पटाई	44963998	09-11-20	60345-00	--	60345-00
	6	सी.सी. रोड नि. ज्ञान के घर से भोला के घर तक	43722250	15-10-20	142016-00	--	142016-00
	7	बन्धा मिट्टी पटाई महुरी गाँव पक्की सड़क सं पीपल पेड़ तक	44964230	20-12-20	68650-00	--	68650-00

	8	सी.सी. रोड नि. गायत्री पाण्डे के घर से हरीशचन्द्र के घर तक	43722442	24-12-20	69440-00	--	69440-00
केन्द्र वित्त 14वाँ वित्त	9	नाली निर्माण धाकड़ के घर से दूबे के घर तक	20438537	20-08-20	14576-00	--	14576-00
	10	सी.सी. रोड नि. हरीराम के घर से गोपाल के घर तक	15896931	20-08-20	49840-00	--	49840-00
	11	नाली निर्माण पुल्ली के घर से फूलचन्द्र के घर तक	20438541	20-08-20	14756-00	--	14756-00
	12	सी.सी. रोड निर्माण पुल्ली के घर से धाकड़ घर तक	20438539	28-08-20	49069-00	--	49069-00
	13	मिट्टी पटाई कल्पनाथ के घर से विजय के घर तक	15896908	02-09-20	10588-00	--	10588-00
	14	सी.सी. भोला के घर से हरीराम के घर तक	43722324	15-10-20	142016-00	--	142016-00
15वाँ वित्त	15	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42119507	16-10-20	95151-00	--	
				16-10-20	97416-00	--	
				21-10-20	97416-00	--	
				21-10-20	95424-00	--	488891-00
				21-10-20	--	14040-00	
				30-10-20	89444-00	--	
				योग=	1205113-00	45540-00	1250653-00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु0-1205113-00 सामाग्री क्रय रु0-14040-00 श्रमांस एवं रु0-31500-00 प्रधान मानदेय , कुल योग रु0-1250653-00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, प्रधान मानदेय रजि0, माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार तथा 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के (17वाँ संशोधन 2011) नियम -256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है ।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कैश बुक में कुल धनराशि रु0-1250653-00 के अपहरण हेतु ग्राम प्रधान श्री विजय प्रताप एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह उत्तरदायी है । अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर- बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है ।

(सा०अ०सं०-1)

ग्राम पंचायत-नकहरा

विकास खण्ड- नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-40

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्रा०पं० नकहरा की कोष बही में विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य आई० डी०- 42383064 पर रू० 58673-00 का भुगतान शिव इण्टर कॉलेज को दर्शित है। समस्त धनराशि एक ही कार्य आई०डी० पर भुगतान कर निदेशक पंचायती उत्तर प्रदेश पत्रांक संख्या- आर जी एस ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ ,दिनांक 02 मई 2019 का उलंघन किया गया है। जिसके अनुसार रू० 20000-00 या उससे कम लागत के कई हैण्ड पम्प के एक ही गुप आई०डी० बनाकर किया जाना है।

लेखा परीक्षा में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के सत्रहवा संसोधन-2011 के नियम-256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया कार्य अपहरण है ।

अतः रू० 58673-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ज्ञान चन्द एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा लिया गया है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में व्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव में किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 2)

प्रस्तर संख्या-41

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत नकहरा की कोषबही में ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैण्ड रि-बोर कार्य आई०डी०- 36928944 पर रू० 56218-00 शिव इण्टर प्राइजेज को भुगतान दर्शित है। समस्त धनराशि एक ही कार्य आई०डी० पर भुगतान कर निदेशक पंचायती राज उ०प्र० पत्रांक सं०- आर जी एस ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 02 मई 2019 का उलंघन किया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक रि-बोर के स्थान का विवरण अंकित करते हुए पृथक-पृथक कार्य आई०डी० बनाने के निर्देश दिये गये हैं।

लेखा परीक्षा में हैण्ड पम्प रि-बोर पर व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के सत्रहवा संसोधन-2011 के नियम- 256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया कार्य अपहरण है।

अतः रू० 56218-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ज्ञान चन्द एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा लिया गया है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में व्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव में किया जाना अपेक्षित है । (सा०आ०सं०- 3)

प्रस्तर संख्या-42

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत नकहरा की कोषबही में जू० हाई स्कूल के प्रांगण में मिट्टी पटाई कार्य आई०डी०- 43944995 पर रू० 40740-00 एवं कार्य आई०डी०- 439449984 पर रू० 42525-00 कुल योग रू० 83265-00 शिव इण्टर प्राइजेज को भुगतान दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के सत्रहवा संसोधन-2011 के नियम- 256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया कार्य अपहरण है।

अतः रू० 83265-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ज्ञान चन्द एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश प्रताप सिंह द्वारा लिया गया है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में व्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव में किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 4)

ग्राम पंचायत- इस्माइलपुर

विकास खण्ड- नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-43

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्रा०पं० इस्माइलपुर में प्रशासनिक व्यय पर कार्य आई०डी०- 15878822 दिनांक 16-10-2020 रु० 49500-00 पर शिव इण्टर प्राइजेज को भुगतान कोष बही में दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (बिल/बाउचर) प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के सत्रहवा संसोधन-2011 के नियम-256(2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया कार्य अपहरण है।

अतः रु० 49500-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री साँवल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवम द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव में किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 2)

ग्राम पंचायत- पहली

विकास खण्ड- नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-44

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्रा०पं० पहली के विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्का-2 हैण्ड पम्प रिबोर कार्य आई०डी०- 43337946 पर दिनांक 23-07-2020 को रु० 108000-00 का भुगतान मेसर्स पाण्डे ट्रेडर्स को किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलीयां प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे कितने नग हैण्ड पम्प का रि-बोर तथा स्थान की पुष्टि नहीं की जा सकी। एक ही कार्य आई०डी० पर रु० 108000-00 का भुगतान कर निदेशक पंचायती राज उ०प्र० पत्र संख्या- आर जी एस ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 02 मई 2019 का उलंघन किया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक रि-बोर के स्थान का विवरण अंकित करते हुए पृथक-पृथक आई०डी० बनाने के निर्देश दिये गये।

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु० 108000-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावलीयां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है। अपहरित धनराशि रु० 108000-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनैना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता मौर्या से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 2)

प्रस्तर संख्या-45

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत पहली की कोष बही में ग्राम पंचायत के विभिन्न हिस्सों में इंडिया मार्का -2 हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य, कार्य आई०डी०- 43337931 पर दिनांक 26-12-2020 को रु० 59000-00 मेसर्स पाण्डे ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है। समस्त धनराशि एक ही कार्य आई०डी० पर भुगतान कर निदेशक पंचायती राज उ०प्र०पत्रांक आर जी एस ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 02 मई 2019 का उलंघन किया गया है। जिसके अनुसार मात्र 20000-00 रुपये या उससे कम लागत के कई हैण्ड पम्प के एक ग्रुप आई०डी० बनाकर कार्य किया जाना है।

लेखा परीक्षा में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि रु० 59000-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है।

अतः रु० 59000-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुनैना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता मौर्या द्वारा कर लिया गया है। अपहरित धनराशि की वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 3)

ग्राम पंचायत-दुर्जनपुर**विकास खण्ड- मुजेहना****प्रस्तर संख्या-46**

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत दुर्जनपुर विकास खण्ड मुजेहना, गोण्डा द्वारा कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रति दिनांक 02-12-2021 एवं दिनांक 18-12-2021 तथा 31-12-2021 को पत्राचार भी किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय धनराशि रु० 894028.00 को आधार मानकर लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई.डी.	दिनांक	धनराशि		योग
				सामाग्री	श्रमांस	
1	प्रधान मानदेय	17558067	23-04-2020	--	42000-00	63000-00
		42726770	02-12-2020	--	21000-00	
2	प्रशासनिक व्यय	42726770	01-09-2020	18000-00	--	30000-00
			01-09-2020	12000-00	--	
3	सी.सी. रोड निर्माण राकेश के घर से राम उगगर के घर तक	17558095	22-04-2020	124500-00	--	124500-00
4	खण्डजा मरम्मत शिवपाल के घर से सड़क तक	45260349	02-12-2020	73117-00	--	73117-00
5	हैण्डपम्प रिबोर	42727008	02-12-2020	24000-00	--	24000-00
6	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42727010	30-09-2020	71350-00	--	334372-00
			30-09-2020	77362-00	--	
			30-09-2020	83934-00	--	
			21-10-2020	101726-00	--	
7	सामुदायिक शौचालय निर्माण	4272708	02-12-2020	87142-00	--	157142-00
			21-12-2020	70000-00	--	
8	खण्डजा निर्माण खण्डजा से लालमणि के घर तक	45504779	21-12-2020	87897-00	--	87897-00
योग =				831028.00	63000.00	894028.00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु० 831028.00 सामाग्री क्रय एवं रु० 63000.00 प्रधान मानदेय भुगतान योग= 894028-00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, प्रधान मानदेय रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय धनराशि रु० 894028.00 की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा 30 प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 (17वाँ संशोधन 2011) के नियम 256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय धनराशि रु० 894028.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधांशु वर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्से में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत-बेसहूपुर**विकास खण्ड- मुजेहना****प्रस्तर संख्या-47**

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत बेसहूपुर की कोषबही में ग्राम प्रधान का मानदेय **रु० 70000.00** दर्शित है। भुगतान का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य आई.डी.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	प्रधान मानदेय	16387416	28-04-2020	28000-00	माह अगस्त-2019 से माह मार्च - 2020 तक (08 माह)
2	प्रधान मानदेय	42428386	12-12-2020	42000-00	माह अप्रैल 2020 से माह मार्च 2021 तक (12 माह)

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु० 70000.00 की पुष्टि में प्रधान मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे मानदेय भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधान मानदेय रु० 42000.00 (3500+12=42000) माह अप्रैल 2020 से माह मार्च 2021 तक भुगतान कोषबही में दर्शित है। जबकि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के कारण प्रधान का कार्यकाल दिनांक 25-12-2020 को समाप्त कर दिनांक 26-12-2020 को शासन द्वारा प्रशासक की नियुक्ति कर दी गयी।

उक्त से स्पष्ट है कि माह जनवरी 2021 फरवरी 2021 एवं मार्च 2021 तीन माह 3500+3=**10500.00 रु०** अधिक भुगतान कर धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सुजीत कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव अमरजीत यादव द्वारा कर दिया गया है।

अतः अपहरित धनराशि **रु० 10500.00** की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्से में किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-1)

ग्राम पंचायत- पुरेसब सुख**विकास खण्ड- मुजेहना****प्रस्तर संख्या-48**

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत पुरेसब सुख विकास खण्ड- नवाबगंज गोण्डा द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रति दिनांक 02-02-2022 एवं दिनांक 14-02-2022 को पत्राचार भी किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय धनराशि रु० 1180144 को आधार मानकर लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई.डी.	दिनांक	धनराशि	योग
				सामाग्री	श्रमांस
1	आगनवाड़ी केन्द्र पर हैण्डपम्प स्थापना	42723603	23-07-2020 31-08-2020 20-10-2020	148300-00 103500-00 52025-00	-- -- --
					303825-00
2	प्रशासनिक व्यय	4604980	26-09-2020	25250-00	--
					25250-00
3	प्रधान मानदेय	42723539	12-11-2020 23-12-2020	-- --	24500-00 3500-00
					28000-00
4	नाली निर्माण	45159324	03-12-2020 23-12-2020	135330-00 28371-00	-- --
	लोखडियाँ में तालाब से पुलिया तक				163701-00
5	फोटोग्राफ	--	05-11-2020	500-00	--
					500-00
6	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42723678	15-09-2020 15-09-2020 14-10-2020	87625-00 78591-00 150000-00	-- -- --
					316216-00
7	पंचायत भवन मरम्मत	42724118	18-10-2020 03-12-2020	240000-00 102652-00	-- --
					342652-00

योग =

1152144.00

28000.00

1180144.00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु० 1152144.00 सामाग्री क्रय एवं रु० 28000.00 प्रधान मानदेय भुगतान योग= 1180144.00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, प्रधान मानदेय रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण व्यय धनराशि रु० 1180144.00 की जाँच नहीं की जा सकी। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा 30 प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 (17वाँ संशोधन 2011) के नियम 256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा ई० ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय धनराशि रु० 1180144.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधांसु वर्मा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है। (सा०अ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- बेलहरी

विकास खण्ड- मुजेहना

प्रस्तर संख्या-49

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत बेलहरी विकास खण्ड मुजेहना, गोण्डा द्वारा कोई भी अभिलेख /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रति दिनांक 02-12-2021 एवं दिनांक 18-12-2021 तथा 31-12-2021 को पत्राचार भी किया गया अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण ई० ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय धनराशि रु०-835435-00 को आधार मानकर लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया ई० ग्राम स्वराज पोर्टल पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

क्रसं	कार्य का विवरण	कार्य आई.डी.	दिनांक	धनराशि		योग
				सामाग्री	श्रमांस	
1	शोक फीट निर्माण	42721004	03-07-2020	71214-00	--	71214
2	प्रधान मानदेय	16833154	05-06-2020	--	7000-00	24500-00
			16-09-2020	--	17500-00	
3	हैण्डपम्प रिबोर	4272248	11-11-2020	25186-00	--	25186-00
4	प्रशासनिक व्यय	20598190	26-09-2020	36750-00	--	36750-00
5	सामुदायिक शौचालय निर्माण	44042579	10-08-2020	121072-00	--	
			10-09-2020	52080-00	--	
			26-09-2020	48867-00	--	
			26-09-2020	15120-00	--	5446746-00
			30-09-2020	21840-00	--	
			30-09-2020	88195-00	--	
			15-10-2020	99572-00	--	
6	हैण्डपम्प रिबोर	42722501	11-11-2020	25186-00	--	25186-00
7	हैण्डपम्प रिबोर	42722878	11-11-2020	25186-00	--	25186-00
8	प्रा० वि० सिंहपुर में चाइल्ड फैमिली शौचालय निर्माण	45217875	28-11-2020	103400-00	--	
			18-12-2020	77267-00	--	180667-00

योग =

810935-00

24500-00

835435-00

उपर्युक्त व्यय धनराशि रु०- 810935-00 सामाग्री क्रय एवं रु०- 24500-00 प्रधान मानदेय भुगतान योग= 835435-00 व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख कोषबही, बैंक स्टेटमेंट , कार्यवाही रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर ,प्रधान मानदेय रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस

कारण व्यय धनराशि रु0- 835435-00 की जाँच नहीं की जा सकी । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 (17वाँ संशोधन 2011) के नियम 256 (2) के (क) से (ड) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है ।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा ई0 ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय धनराशि रु0-835435-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री चन्द्रकान्त एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधांसु वर्मा द्वारा कर लिया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है । (सा०अ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- खरहटिया

विकास खण्ड- पंडरी कृपाल

प्रस्तर संख्या-50

ग्राम पंचायत-खरहटिया, विकास खंड- पंडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:16.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना / अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

ग्राम पंचायत-खरहटिया		राज्य वित्त	
क्र.	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	प्रशा.व्यय	36622048	40,500
2-	स्वागत गेट निर्माण	15240409	9765
	" " " "	" "	63653 24870
	" " " "	" "	11498 0
3-	सामुदायिक शौ.नि.	44033526	93186 0
	" " " "	" "	36300
	" " " "	" "	140200
	" " " " पार्ट -2	44258780	56244
4-	नालीनिर्माण	44258856	100790 21378
	" " " "	44258904	120,196 23,280
5-	प्रधान मानदेय	36617714	0 28000
6-	निविदा प्रकाशन पर व्यय	4513322	0 6900
	" " " "	36617315	0 5,910
7-	इंडियामार्का हैंडपम्प मरम्मत	36618025	23,150
8-	दिव्यांग शौ.नि.	48813750	89500
9-	समरसेबुल कार्य	48813884	4,368
योग-		789,350	110,338
सकल योग-			899688

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु0899688.00 की आफलाईन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय

एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 899688.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तात्तारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मनीष एवं तत्कालीन प्रशासक तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कुसुम वर्मा से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- टिकरिया

विकास खण्ड- पडरी कृपाल

प्रस्तर संख्या-51

ग्राम पंचायत-टिकरिया, विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:31.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले०प०दो०/पं/आडिट ऑनलाइन /पी०-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.		आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	प्रधान मानदेय	36607532	0	17500
2-	प्रशा. व्यय	4514143	95000	5910
3-	सामुदायिक शौ.नि.	44033331	520373	0
4-	हैंडपम्प रिवोर	36625249	82500	0
5-	सामुदायिक शौ.नि. पार्ट-2	44985243	271070	0
6-	खडंजा मरम्मत कार्य	44092741	140791	0
	” ” ” ”	44092810	92680	0
	” ” ” ”	44985237	130016	106218
	” ” ” ”	44092726	124931	43770
	” ” ” ”	44092783	119417	41205
	” ” ” ”	44092836	176678	60300
7-	पंचायत भवन निर्माण	44092866	952763	89100
9-	दिव्यांग शौ.नि.	49924469	89500	0
	” ” ” ”	15525105	99308	15480
10-	नाली निर्माण	36613392	207230	10080
	” ” ” ”	44092907	131930	10080
	” ” ” ”	36613132	21120	0
11-	जू.हा.स्कूल बाउण्ड्रीवाल निर्माण	15525104	0	27391
	” ” ” ”	21222486	132182	5334
12-	सी.सी. रोड निर्माण	45078436	212078	26712

” ” ” ”

44092259 216536 26130
योग- 3816103 485210
सकल योग- 4301313

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 4301313.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 4301313.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती काफिया एवं तत्कालीन प्रशासक तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- रमवापुर श्याम

विकास खण्ड- पडरी कृपाल

प्रस्तर संख्या-52

ग्राम पंचायत- रमवापुर श्याम विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:18.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले०प०दो०/पं/ आडिट ऑनलाईन/पी०-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1- प्रशा. व्यय	36907816	0	5910
” ” ” ”	15240446	0	6900
2- दिव्यांग शौ.नि.	49480700	85260	0
3- समरसेबुल स्थापना	49451108	75200	0
4- प्रा.पा. में अतिरिक्त कक्ष टाइल्स कार्य	45308384	115073	0
4- जू.हा.स्कूल में रनिंग वाटर	45308496	57878	0
5- प्रा.स्कूल में रनिंग वाटर	45308462	57878	0
6- जू.हा.स्कूल में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	45308436	150561	0
7- प्रा.स्कूल में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	45308415	164118	0
9- प्रा.पा. मरम्मत कार्य	45308594	150910	0
10- हैंडपम्प मरम्मत	45308546	36082	0
11- सामुदायिक शौ.नि. पार्ट-2	44628160	181959	0
12- हैंडपम्प रिवोर	45308579	54000	0

13-	प्रा.पा.में दरवाजा-खिड़की मरम्मत	45308362	29200	0
14-	सामुदायिक शौ.नि. पार्ट-2	44033560	199118	0
15-	उ.प्रा.वि.रमवापुर श्याम में टाइल्स कार्य	18884918	90182	67056
16-	सैनीटाइजेशन	15240451	12300	0
	योग-		1459719	79866

सकल योग-

1539585

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1539585.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1539585.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती ननका एवं तत्कालीन प्रशासक, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता रानी से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- सोनबरसा

विकास खण्ड- पडरी कृपाल

प्रस्तर संख्या-53

ग्राम पंचायत- सोनबरसा विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:04.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश	
1-	हैंडपम्प रिवोर	44034040	25104	0
	” ” ” ”	44034005	25104	0
	” ” ” ”	44520212	25104	0
2-	सी.सी. रोड निर्माण	44520240	73698	0
3-	हैंडपम्प मरम्मत	36748228	56990	0
4-	प्रधान मानदेय	15478742	0	31500
5-	प्रशा. व्यय	15478741	0	6900
6-	दिव्यांग शौ.नि.	48812357	84700	0
7-	सामुदायिक शौ.नि.	44033978	476789	10080
8-	सी.सी. रोड निर्माण	42319781	106350	0

योग-

873839

48480

सकल योग-

922319

वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0922319.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय ₹0 922319.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती धनपता एवं तत्कालीन प्रशासक तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुनीता रानी से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- उल्लहा**विकास खण्ड- करनैलगंज****प्रस्तर संख्या-54**

ग्राम पंचायत-उल्लहा विकास खंड-करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:22.01.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	Column1
Column1	Column2	Column3	सामग्री	श्रमांश
1-	नाली निर्माण	17161642	10880	0
2-	" " "	17161647	68830	0
3-	प्रधान मानदेय	17161635	0	42000
	" " "	42761575	0	24500
4-	प्रशा..मद	4510907	50000	0
5-	पंचायत भवन व शौचालय मरम्मत	45268855	45875	0
6-	इण्टरलाकिंग कार्य	17161639	105840	0
7-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	44546830	382991	0
8-	मजदूरी	17161684	0	10136
	योग-		664416	76636

वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0 741052.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय ₹0 741052.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रीना, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रेमा देवी एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- कंजेमऊ

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-55

ग्राम पंचायत-कंजेमऊ विकास खंड-करनैलगंज जनपद- गोंडा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही हैं। जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	प्रशासनिक व्यय	28960384	25000	0
	" " " "	15879584	5000	0
2-	खडंजा मरम्मत कार्य	28960316	1,21,800	0
	" " " "	45015391	52,009	0
3-	हैंड पम्प मरम्मत कार्य	42648578	5,000	0
4-	सामु.शौचा.निर्माण	42648064	1,40,270	0
	" " " "	42648064	1,03,842	0
5-	खडंजा निर्माण कार्य	44994539	40,242	0
	" " " "	44994556	50,303	0
	" " " "	44994515	96,582	0
	" " " "	45015384	34,783	0
6-	इण्टरलाकिंग कार्य	44994530	30,182	0
	" " " "	44994462	99,962	0
7-	नाली निर्माण	45015411	77,639	0
	" " " "	45015406	98,571	0
	योग		981185	0
	सकल योग			981185

उपर्युक्त कार्यों पर व्यय ₹0 981185.00 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख यथा, निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947

के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत कंजेमऊ के वर्ष 2020-21 में उपर्युक्त कार्यों पर दर्शित कुल व्यय रु० 981185.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से की जानी अपेक्षित है।

(सा.आ.सं.-12)

ग्राम पंचायत- करूआ

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-56

ग्राम पंचायत- करूआ विकास खंड-करनैलगंज जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही हैं। जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	42227595	88600	0
2-	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	15921910	98450	0
	" " "	42227468	2500	0
3-	सोकपिट निर्माण कार्य	42227747	166441	0
4-	ह्यूम पाइप स्थापना	45196674	135250	0
	योग		491241	0
	सकल योग			491241

उपर्युक्त कार्यों पर व्यय रु० 491241.00 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख यथा, निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती विमलेश विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती विमलेश नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत करूआ के वर्ष 2020-21 में उपर्युक्त कार्यों पर दर्शित कुल व्यय रु० 491241.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से की जानी अपेक्षित है।

(सा.आ.सं.-12)

ग्राम पंचायत- काशीपुर

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-57

ग्राम पंचायत-काशीपुर, विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:12.11.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	42651066	49,000	00
	" " " "	13428627	43,000	00
2-	हैंड पम्प मरम्मत कार्य	42651118	57,500	00
	" " " "	16634727	24,000	00
3-	प्रशासनिक व्यय	42650599	20,000	00
	" " " "	4564533	37,000	00
4-	कोविड-19 सुरक्षा पर व्यय	42650805	25,000	00
5-	प्रधान मानदेय	42650623	28,000	00
6-	ह्यूम पाइपस्थापना	42650941	15,266	00
7-	सामु.शौचा.निर्माण	42651193	112,000	00
	" " " "	43989679	660,000	00
8-	शौचालय निर्माण	13428597	40,000	00
	" " " "	13428597	40,000	00
9-	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	43989558	110,000	00
	योग-		1,260,766	00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1260766.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1260766.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तात्तरीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आरती, ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- कोनहटा

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-58

ग्राम पंचायत-कोनहटा विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:15.03.2022को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि सामग्री	श्रमांश
1-	आर.सी.सी.पुलिया निर्माण	44267685	121766	0
2-	प्रशा..मद	15937390	8200	49000
3-	सोकपिट निर्माण	41097196	116551	0
4-	हैंडपम्प मरम्मत	28076034	38648	
5-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	44527181	348200	0
6-	खडंजा मरम्मत कार्य	15937396	19500	34416
7-	चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय	20643691	64025	0
8-	चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय	20643692	64025	0
	योग-		780915	83416
	सकल योग-			864331

वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0864331.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय ₹० 864331.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती ज्योति चौहान एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. को आपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- गौरा सिंहनापुर

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-59

ग्राम पंचायत-गौरा सिंहनापुर, विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:29.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	हैंड पम्पमरम्मत कार्य	21248612	40,270	0
	" " " " "	42700503	3,500	
2-	प्रधान मानदेय	20991054	0	24500
3-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	21248611	69,213	0

4-	सी.सी.रोडनिर्माण कार्य	16634890	31028	26,254
	" " " " "	16634889	31,196	11,774
5-	सामु.शौचा.निर्माण	42700455	525,007	25200
6-	कोविड-19 सुरक्षा पर व्यय	42700706	20,000	
7-	प्रशासनिक व्यय	42700603	25,000	
8-	चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय	13428936	44,051	
9-	आंगनवाडीकेन्द्र निर्माण	13428942	75,000	
10-	प्रा.वि.में मिट्टी पटायी	43601837	99,904	
11-	पू.मा.वि. में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	45143142	137833	
12-	इण्टरलाकिंग कार्य	16634902	17,174	19188
	" " " " "	16634899	17,013	19188
13-	पू.मा.वि. में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	45143154	136,405	
14-	पू.मा.वि. में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	45181889	143,978	
15-	नाली निर्माण	19758056	0	30,048
16-	" " " " "	19758059	0	28,968
17-	चाइल्ड फ्रेंडली शौचा निर्माण कार्य	44041130	140,267	
18-	दिव्यांग शौचानिर्माण कार्य	48889909	58,960	
19-	दिव्यांग शौचा निर्माण कार्य	48890076	58,960	
	योग-		1,674,759	185120
	सकल योग-			1859879

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1859879.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1859879.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती विन्द्रावती, ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- चंगेरिया

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-60

ग्राम पंचायत-चंगेरिया विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:08.11.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0प/ आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की

जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय	धनराशि
			सामग्री	श्रमांश
1-	प्रशा..मद	43098012	29500	70000
2-	हैंडपम्प रिवोर	45016595	208616	0
3-	ह्यूम पाइप स्थापना	42891456	233587	0
4-	सामग्री क्रय	13619777	18297	0
	" " "	13619778	18297	0
	" " "	4509977	45605	0
5-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	42869685	458480	0
6-	प्रा. वि. में रनिंग वाटरसमरसेवल स्थापना	45016481	51722	0
7-	सोकपिट निर्माण	50776160	130352	0
8-	नाली निर्माण कार्य	21205756	25552	0
9-	प्रा.वि. बाउण्ड्रीवाल नि.कार्य	21205763	151348	0
10-	खडंजा मरम्मत कार्य	21205763	103513	0
11-	इण्टरलाकिंग कार्य	13619760	101511	0
	योग-		1576380	70000
	सकल योग-			1646380

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1646380.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1646380.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम सिंह, ग्राम पंचायत सचिव कु. पूजा भारती, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- जहांगिरवा

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-61

ग्राम पंचायत-जहांगिरवा, विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:07.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की

जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुलव्यय	धनराशि
1-	प्रशा..मद	14912058	18200	0
2-	प्रा.वि.में हैडवाश, रनिंगवाटर	42554596	22652	
3-	हैंडपम्प मरम्मत	42553699	24270	
4-	प्रधान मानदेय	42552695	21000	
5-	प्रा.वि.में अतिरिक्तकक्ष में टाइल्स	14912049	175422	3208
6-	नाली निर्माण	42556851	93862	12669
	योग-		355406	15877
	सकल योग-			371283

वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 371283.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय ₹ 371283.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तात्तारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती नंदिनी मौर्या एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- धनावां

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-62

ग्राम पंचायत- धनावां, विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाईन लेखा परीक्षा दिनांक:21.03.2021 को निर्धारित थी। आनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाईन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी- 223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	पंचायत सचिवालय में इ.ला.कार्य	42679589	224200	7200
2-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	42678557	460700	0
3-	प्रधान मानदेय	42677899	28000	0
4-	हैंडपम्प मरम्मत	4510035	10000	0
	" " " "	15923446	24500	0
5-	आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	42678681	265100	0
6-	प्रशा..मद	37012973	3000	0
7-	पंचायत भवन मरम्मत	42678788	200000	0
8-	हैंडपम्प रिवोर	15923443	24500	0
	योग-		1240000	7200
	सकल योग-			1247200

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1247200.0 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1247200.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- नकार

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-63

ग्राम पंचायत-नकार, विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक: 28.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/ पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	नाली निर्माण कार्य	42571051	75000	0
	" " "	16632373	0	21729
2-	सोकपिट निर्माण	16632366	20633	0

	" " "	21283063	115000	0
3-	हैंडपम्प मरम्मत	36878486	101091	0
4-	ह्यूम पाइप स्थापना	21283064	149625	0
5-	हैंडपम्प रिवोर	42573486	95000	0
6-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	42572306	738920	0
7-	मजदूरी	19166613	52370	0
	" " "	19166612	49458	0
	योग-		1397097	21729
	सकल योग-			1418826

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1418826.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1418826.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्वशा, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती नंदिनी मौर्या एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- पचमरी

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-64

ग्राम पंचायत- पचमरी विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:15.01.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्प रिवोर	42702945	59670	0
	" " "	87126672	78231	0
2-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	42703376	282840	0
3-	प्रशा..मद	42704089	29500	24500
4-	हैंडपम्प मरम्मत	6177720	20000	0
5-	सी.सी.रोड निर्माण	42702043	90508	0

6-	प्रा.वि. बाउण्टीवाल नि. कार्य	15879675	32166	14832
7-	हूम पाइप स्थापना	37126533	46740	0
	योग-		639655	39332
	सकल योग-			678987

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 678987.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 678987.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम निगार, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रेमा देवी एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. को आपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- पांडे-चौरा

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-65

ग्राम पंचायत-पांडे-चौरा, विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:27.12.2021 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	प्रशासनिक व्यय	15918009	3000	0
2-	आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	44423959	196260	0
	" " "	" "	67128	0
	" " "	" "	33031	0
3-	सामु.शौचा.निर्माण	42179735	230898	15120
	" " "	" "	262,070	0
	" " "	" "	10,080	0
	" " "	" "	14,040	0
	" " "	" "	33,234	0
4-	खडंजा मरम्मत कार्य	42172573	71,813	0
	" " "	" "	34,920	0
	" " "	" "	27,539	0
	" " "	42177804	26,562	0

5-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	42178712	59,391	0
		" "	24,225	0
6-	प्रधान मानदेय	42180672	0	17500
	योग-		1094191	32620

सकल योग-

1126811

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1126811.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत पांडे चौरा के वर्ष 2020-21 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 1126811.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री शिशिर कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. को आपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- पाल्हापुर

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-66

ग्राम पंचायत-पाल्हापुर विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:22.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	सामग्री क्रय	4306904	52000	0
	" "	45371079	103490	0
	" "	43069004	31068	0
	" "	42989183	95000	0
2-	बाउण्ड्रीवाल निर्माण	44222398	127564	0
	" "	19850868	18600	0
3-	अतिरिक्त कक्ष मरम्मत	44222428	51780	0
4-	प्रधान मानदेय	18298502	59500	0

5-	सोकपिट निर्माण	18298502	160000	0
6-	प्रशा..मद	29050159	2100	0
7-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	42989083	450000	0
8-	स्कूल मरम्मत	19850871	0	41862
	योग-		1151102	41862
	सकल योग-			1192964

वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹01192964.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय ₹० 1192964.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिभान सिंह, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रेमा देवी एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- पूरे अजब

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-67

ग्राम पंचायत-पूरे अजब विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:29.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय सामग्री	धनराशि श्रमांश
1-	प्रधान मानदेय	42632388	0	28000
2-	कोविड-19 सुरक्षा पर व्यय	42633329	20000	0
3-	हैंडपम्प मरम्मत	42634216	32000	0
4-	हैंडपम्प रिवोर	42634088	24500	0
5-	सी.सी.रोड निर्माण	18673441	21966	0
6-	प्रशा..मद	4263244	10000	0
7-	” ” ” ”	1914951	10000	0
8-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	44589906	650000	0

9-	उ.प्रा.वि.इन्द्रपालपुरवा में बाउण्डीवाल नि.	45152943	206000	39063
	योग-		974466	67063
	सकल योग-			1041529

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1041529.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1041529.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ, ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- फतेपुर

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-68

ग्राम पंचायत-फतेपुर, विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:23.02.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	प्रधान मानदेय	42652102	52500	0
2-	हैंडपम्प रिवोर कार्य	42652400	196000	0
3-	प्रशासनिक व्यय	19526511	10000	0
4-	सोकपिट निर्माण	19526558	142750	0
5-	हैंड पम्प मरम्मत कार्य	42652356	48000	0
6-	सामु.शौचा.निर्माण	42652305	136800	0
	" " " " "	44564149	476000	0
	" " " " "	50651448	98000	0
7-	कोविड-19 सुरक्षा पर व्यय	42652591	20000	0
8-	ह्यूम पाइप स्थापना	42652530	9445	0
	योग-		1189495	0

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1189495.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान

द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1189495.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शीतला बख्श सिंह, ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल चन्द्रा एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- बसेहिया

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-69

लेखा परीक्षा दिनांक:17.11.2021को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0 /पं/ आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्यकानाम	आई.डी.	कुलव्ययधनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	जू.हा.स्कूलमेंचाइल्डफ्रेंडलीशौचालय	45251341	233000	0
2-	जू.हा.स्कूलमेंटाइल्सकार्य	45251326	160000	0
3-	प्रशा..मद	37007987	25000	0
4-	प्रा.वि.मेंकिचेनसेड,अतिरिक्तकक्षनि.	19424659	204000	0
5-	" " "	19424658	206000	0
6-	प्रधानमानदेय	42500513	0	42000
7-	हैंडपम्पमरम्मत	1912886	42500	0
8-	प्रा.वि.बसेहियाप्रांगणमेंइ0ला0	37009278	100000	0
	" " "	18136298	69280	0
9-	सामु.शौचा.निर्माणकार्य	42500905	822500	0
10-	प्रा.वि. बसेहियामेंटाइल्सकार्य	18136319	24000	0
11-	प्रा.वि. गांधीग्राममेंटाइल्सकार्य	18136299	24000	0
12-	प्रा.वि. बाउण्ट्रीवालनि. कार्य	19424661	23000	0
13-	खडंजामरम्मतकार्य	18136304	48720	0
	योग-		1982000	42000
	सकल योग-			2024000

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 2024000.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 2024000.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रेमा देवी, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- भटपुरवा

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-70

ग्राम पंचायत-भटपुरवा विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:06.01.2022को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय	धनराशि
			सामग्री	श्रमांश
1-	प्रधान मानदेय	42626364	0	70000
2-	खंडजा कार्य	21246483	17661	0
	" " "	21246777	28073	0
	" " "	21246783	4364	0
	" " "	21246780	103210	0
	" " "	21246782	43046	0
	" " "	21246779	35173	0
	" " "	21246781	88311	0
	" " "	21246778	109605	0
	" " "	21246784	88311	0
3-	प्रशा..मद	19197908	21000	0
4-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	44577609	200000	0
	" " "	44577609	615000	0
	" " "	42627955	161574	0
5-	हैंडपम्प रिवोर	42627775	73500	0
6-	ह्यूम पाइप स्थापना	42627619	48000	0

7-	कोविड-19 सुरक्षा पर व्यय	42627197	20000	0
8-	हैंडपम्प मरम्मत	42627858	37500	0
	योग-		1694328	70000
	सकल योग-			1764328

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1764328.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1764328.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजेश, ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक प्रताप सिंह, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- भभुआ

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-71

ग्राम पंचायत-भभुआ विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:05.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	ट्री गार्ड निर्माण	44565145	73506	0
2-	प्रधान मानदेय	18091933	0	45500
3-	सामग्री क्रय	43342763	46800	0
	" " "	45429224	51242	0
	" " "	45429111	45000	0
	" " "	4542957	145000	0
4-	प्रशा..मद	43336241	10000	0
5-	सामु.शौचा. निर्माण	43341702	588203	0
	" " "	18091951	88500	0
	योग		1048251	45500

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1093751.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1093751.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती साधना सिंह, ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक प्रताप सिंह, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- मलौली**विकास खण्ड- करनैलगंज****प्रस्तर संख्या-72**

ग्राम पंचायत-मलौली विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:05.03.2022को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0द0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्प रिवोर	15929841	112632	0
2-	सामग्री एवं श्रमांश	15929815	62487	25732
	” ” ”	15929825	377446	25732
3-	प्रधान मानदेय	10761776	0	24500
4-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	43382286	388000	0
	योग-		940565	75964
	सकल योग-			1016529

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1016529.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के

वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1016529.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री आदित्य, ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक प्रताप सिंह, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- रामगढ

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-73

ग्राम पंचायत-रामगढ, विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:28.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्प रिवोर	42780786	58200	0
	" " "	45014678	79822	0
2-	हैंडपम्प मरम्मत	45014678	11430	0
3-	जू.हा.स्कूल में चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय	45014714	132852	0
4-	सामु.शौचा. निर्माण	44044966	334923	0
5-	प्रशा..मद	13429011	35500	0
6-	प्रधान मानदेय	18506498	35000	0
7-	प्रा.स्कूल रामगढ में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	45014696	162263	0
	" " "	45014705	66333	0
8-	आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	20213875	154500	0
	" " "	34120378	220000	0
	योग-		1290823	0
	सकल योग-			1290823

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1290823.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की

वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1290823.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कुवारी, ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. को आपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- रूदौलिया

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-74

ग्राम पंचायत-रूदौलिया विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:04.01.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय	धनराशि
			सामग्री	श्रमांश
1-	सामग्री क्रय	42228448	83068	0
2-	प्रधान मानदेय	9809739	0	14000
3-	बाउण्ड्रीवाल नि.	44637363	25162	0
	" " " "	44637334	54300	0
4-	सामग्री क्रय	42232694	84880	0
5-	ह्यूम पाइप स्थापना	18092061	101745	0
6-	सामग्री व श्रमांश	48043554	51242	0
7-	पंचायत सचिवालय मरम्मत	44637390	550201	0
	योग-		950598	14000
	सकल योग-			964598

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 964598.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट ,मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 964598.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभा देवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री विमलेश कुमार एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. को आपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- रूदौली**विकास खण्ड- करनैलगंज****प्रस्तर संख्या-75**

ग्राम पंचायत-रूदौली विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:30.12.2021को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	सोकपिट निर्माण	45104086	135816	16939
	" " " "	18091779	144424	0
2-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	43344593	262401	
3-	प्रधान मानदेय	18091777	0	35000
4-	हैंडपम्प मरम्मत	4564202	5000	0
5-	गेट निर्माण	13854729	0	724
6-	उ.प्रा.वि. मे टाइल्स कार्य	20425724	83068	0
7-	स्कूल मरम्मत	18091774	78462	0
9-	शौचालय मरम्मत	9728543	17376	0
	योग-		726547	52663
	सकल योग-			779210

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 779210.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 779210.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत सचिव श्री विमलेश कुमार, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- रेक्सडिया**विकास खण्ड- करनैलगंज****प्रस्तर संख्या-76**

ग्राम पंचायत-रेक्सडिया विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:28.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों

का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि सामग्री	श्रमांश
1-	प्रशा..मद	42637847	25000	0
2-	प्रधान मानदेय	42637626	0	70000
3-	बाउण्ड्रीवाल नि. कार्य	44931538	332100	0
	" " "	45180258	200000	0
4-	हैंडपम्प मरम्मत	42638875	37500	0
5-	कोविड-19 सुरक्षा पर व्यय	42638342	20000	0
6-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	42638918	125000	0
	" " "	44150729	495000	0
	" " "	44150663	152500	0
7-	ब्लूम पाइप स्थापना	42638638	48000	0
8-	सोकपिट निर्माण	42638552	144000	0
9-	हैंडपम्प रिवोर	42638718	98000	0
10-	पंचायत भवन निर्माण	44931493	852750	0
	योग-		2529850	70000
	सकल योग-			2599850

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 2599850.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 2599850.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धुवराज, ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- लालेमऊ

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-77

ग्राम पंचायत-लालेमऊ विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:04.03.2022को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों

का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	सोकपिट निर्माण	40160172	133000	0
2-	प्रधान मानदेय	42890834	0	38500
3-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	44186851	300000	0
	" " "	44186873	380532	31320
4-	मजदूरी	16414535	0	14480
	" " "	16414572	0	65910
5-	सामग्री क्रय	42787461	119820	0
	" " "	42851597	170000	0
6-	ह्यूम पाइप स्थापना	40160595	140000	0
7-	सामग्री एवं श्रमांश	16414543	70598	0
8-	पंचायत भवन निर्माण	42893762	1047268	0
	योग		2361218	150210
	सकल योग			2511428

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 2511428.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 2511428.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अवधेश, ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक प्रताप सिंह एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- बिबियापुर अवधूतनगर

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-78

ग्राम पंचायत-बिबियापुर अवधूतनगर विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:08.03.2022को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं/ आडिट ऑनलाइन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-

1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि सामग्री	श्रमांश
1-	प्रधान मानदेय	15923359	0	56000
2-	प्रशा..मद	42624108	13500	0
3-	प्रा.वि. में टाइल्स निर्माण	45327775	96700	0
	" " "	45327806	95000	0
4-	हैंडपम्प मरम्मत	15923340	32000	0
5-	कोविड-19 सुरक्षा पर व्यय	15923360	20000	0
6-	आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	42624507	145000	0
7-	प्रा. वि. अवधूतनगर में समरसेवल स्थापना	50667253	52000	0
8-	प्रा. वि. अवधूतनगर में दिव्यांग शौ.निर्माण	50667581	106000	0
	" " "	50667332	106000	0
9-	प्रा.वि.में किचेन सेड में टाइल्स निर्माण	50667419	91600	0
10-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	42627526	530000	0
11-	हैंडपम्प रिवोर	15923363	45000	0
	योग-		1332800	56000
	सकल योग-			1388800

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1388800.00 की आफलाईन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1388800.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती नंदिनी मौर्या एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- शाहपुर

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-79

ग्राम पंचायत-शाहपुर विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाईन लेखा परीक्षा दिनांक:07.03.2022 को निर्धारित थी। आनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाईन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाईन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार

वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	सामग्री क्रय	36860314	78000	0
	" " " "	36864303	128656	0
	" " " "	44218053	500000	0
	" " " "	48045174	90000	0
2-	प्रधान मानदेय	36859876	0	28000
3-	हैंडपम्प रिवोर	36863712	101091	0
4-	इण्टरलाकिंग कार्य	21132357	16409	0
5-	हूम पाइप स्थापना	17161402	149625	0
6-	शौचालय मरम्मत	19655599	100	0
	योग-		1063881	28000
	सकल योग-			1091881

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1091881.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1091881.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक प्रताप सिंह, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- शीशामऊ

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-80

ग्राम पंचायत- शीशामऊ विकास खंड-करनैलगंज जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्नांकित कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही हैं। जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश
1-	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	41778255	91300	0
2-	इण्टरलाकिंग कार्य	15922045	78443	12954
	" " "	15922052	23955	
3-	सामु. शौ. नि. कार्य	41787144	524473	21600
4-	नाली निर्माण कार्य	41781751	39177	0

5-	खंडजा मरम्मत	38084155	29296	
	" " "	20774452	0	37490
	" " "	41780833	49245	0
			835889	72044
	योग-			907933

उपर्युक्त कार्यों पर व्यय रु० 907933.00 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख यथा, निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत शीशमऊ के वर्ष 2020-21 में उपर्युक्त कार्यों पर दर्शित कुल व्यय रु० 907933.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री विमलेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मीना कुमारी से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- सकतपुर

विकास खण्ड- करनैलगंज

प्रस्तर संख्या-81

ग्राम पंचायत-सकतपुर विकास खंड- करनैलगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2020-21 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक:07.01.2022को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0प0दो0/पं/आडिट ऑनलाइन /पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/ अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत है:-

क्र.	कार्य का नाम	आई.डी.	कुल व्यय धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1-	इण्टरलाकिंग कार्य	18116681	15837	18297
	" " "	42795199	247303	0
	" " "	42795634	247303	0
2-	सामग्री एवं श्रमांश	11103911	67104	0
3-	प्रशा..मद	42796302	4850	21000
4-	सामग्री क्रय	18116679	122523	0
	" " "	45370928	72003	0
	" " "	20172922	42000	0
	" " "	45370908	170000	0
5-	सामु.शौचा.निर्माण कार्य	42793430	388000	0
6-	श्रमांश	20080316	0	19260
	योग-		1376923	58557
	सकल योग-			1435480

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1435480.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप-पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रु० 1435480.00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार, ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक प्रताप सिंह, एवं प्रशासक श्री विजय कुमार मिश्र, ए.डी.ओ. कोआपरेटिव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

ग्राम पंचायत- दौलतपुर माफी

विकास खण्ड- बभनजोत

प्रस्तर संख्या- 82

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के बाद भी सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी राज्यवित्त एवं केन्द्रीयवित्त के मूल अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल/वाउचर और मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किये गये फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वास्तविक उपभोग धनराशि की जांच एवं पुष्टि तथा नेट पर दर्शित सूचनाओं का मिलान नहीं किया जा सका।

आई०डी० सं०	कार्य	कुल व्यय रु०
45347877	प्रा०पा० में हैण्डवाश व समरसेबुल निर्माण कार्य	68500-00
37237045	हैण्डपम्पमरम्मत कार्य	67000-00
37236790	हैण्डपम्परीबोर	156000-00
40758881	वालपेन्टिंगएलजीडीकोड लिखवायी	22650-00
40977050	प्रधान मानदेय	30900-00
40986837	कोविड-19 रोकथाम हेतु दवा छिडकाव	29615-00
37236600	प्रशासनिक व्यय	18700-00

योग

1095491-00

उक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2020-21 की नेट पर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कैशबुक/एक्टीविटी वाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट में दर्शित कुल व्यय रू० 1095491.00 जिसके सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण/मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्री इब्रार अली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा श्री योगेन्द्र कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

सा०आ०सं०-1

ग्राम पंचायत- पिपरा शरीफ

विकास खण्ड- बभनजोत

प्रस्तर संख्या- 83

कार्यालय जाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के बाद भी सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एमओबीओ, बिल/वाउचर और मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किये गये फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वास्तविक उपभोग धनराशि की जांच एवं पुष्टि तथा नेट पर दर्शित सूचनाओं का मिलान नहीं किया जा सका।

आईओडीओ सं०

कार्य

कुल व्यय रू०

41189749	हैण्डपम्पमरम्मत कार्य	67000-00
41178941	हैण्डपम्परीबोर कार्य	104000-00
45348132	प्रा०पाठशाला में हैण्डवाश व समरसेबुल निर्माण	74035-00
41178649	वालपेन्टिंगकार्य	31500-00
41189559	प्रधान मानदेय	10500-00
41170928	प्रशासनिक कार्य	19900-00
41948524	कॉविड-19 रोकथाम हेतु दवा छिड़काव	29615-00

45348496	ई0 मा0 हैण्डपम्परीबोर अवशेष भुगतान	52000-00
40772021	सामुदायिक शौचालय निर्माण	650436-00
योग		1218086-00

उक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2020-21 की नेट पर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कैशबुक/एक्टीविटी वाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट में दर्शित कुल व्यय रू० 1218086.00 जिसके सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण/मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्रीमती नीलम देवी तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा श्री योगेन्द्र कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आध-आधा किया जाना चाहिये है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये ।
(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- गनेशपुरग्रन्ट

विकास खण्ड- वजीरगंज

प्रस्तर संख्या-84

कार्यालय जाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के बाद भी सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल/वाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किये गये फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वास्तविक उपभोग धनराशि की जांच एवं पुष्टि तथा नेट पर दर्शित सूचनाओं का मिलान नहीं किया जा सका।

आई०डी० सं०	कार्य	कुल व्यय रू०
42209508	संगम लाल के धर पास हैण्डपम्परीबोर	24262-00
42209623	मनीराम के धर पास हैण्डपम्परीबोर	24262-00
42209774	काली स्थल के धर पास हैण्डपम्परीबोर	24262-00
48830723	प्रा० पा० में हैण्डवाश व समरसेबुल निर्माण	79639-00
37189298	हैण्डपम्परीबोर	22830-00
42211643	है०पम्प म०	30000-00
42226178	प्रा०पा० सलामतडीह में चाइल्डफ्रेंडलीशौचालय नि०	158101-00
42225647	सामुदायिक शौचालय नि०	156980-00

44634971	'''' '' '' ''	325554-00
48830894	जु0हा0स्कूल में समरसेबुल व हैण्डवाश निर्माण	79639-00
45092305	प्रशासनिक मद	4900-00
42227161	कोविड-19 व्यय	35616-00
42226527	प्रा0पा0 गनेशपुरग्रन्ट में चाइल्डफ्रेन्डलीशैचालय नि0	158101-00
45092234	पंचायत भवन निर्माण	587098-00
योग		1711243-00

उक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2020-21 की नेट पर ई-ग्राम स्वराजपोर्टल पर अपलोड कैशबुक/एक्टीविटी वाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट में दर्शित कुल व्यय रु० 1711243.00 जिसके सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण/मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्री पप्पू तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा श्री अमरीश प्रताप सिंह तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना चाहिये और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- चेतपुर

विकास खण्ड- वजीरगंज

प्रस्तर संख्या- 85

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ। एवं इसी अध्याय के खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के बाद भी सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक-कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल/बाउचर और मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किये गये फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वास्तविक उपभोग धनराशि की जांच एवं पुष्टि तथा नेट पर दर्शित सूचनाओं का मिलान नहीं किया जा सका।

आई0डी0 सं0

कार्य

कुल व्यय रु०

42507770	प्रधान मानदेय	3150000-00
42383702	हैण्डपम्पमरम्मत- ग्रा0प0 के विभिन्नमजूरों में	40244-00

42383348	सोकपिट निर्माण- विभिन्नस्थानों पर	114527-00
45448672	सामुदायिक शौचालय के प्रांगढ में मिटटी पटाई	60471-00
42384271	अजीत सिंह के धर से तालाब तक भूमिगत नाली नि०	32581-00
44542572	सामुदायिक शौचालय निर्माण	108974-00
44542640	सामुदायिक शौचालय निर्माण अवशेष कार्य	232132-00

योग

620429-00

उक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2020-21 की नेट पर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कैशबुक/एक्टीविटी वाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट में दर्शित कुल व्यय रु० 620429.00 जिसके सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण/मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्री राम लौटन तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा श्री अमरीश प्रताप सिंह तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना चाहिये है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये। (सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- मझगवां

विकास खण्ड- वजीरगंज

प्रस्तर संख्या-86

कार्यालय जाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के बाद भी सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक-कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल/वाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किये गये फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वास्तविक उपभोग धनराशि की जांच एवं पुष्टि तथा नेट पर दर्शित सूचनाओं का मिलान नहीं किया जा सका।

आई०डी० सं०	कार्य	कुल व्यय रु०
42605466	जगलाल के धर से रामचन्द्र के धर तक इण्टरलाकिंग कार्य	102840-00
44634883	सामुदायिक शौचालय का अवशेष कार्य	252991-00
44222348	सामुदायिक शौचालय पास मिटटी पटाई	156902-00
44222117	सार्वजनिक शौचालय निर्माण	336737-00

36984861	प्रधान मानदेय	31500-00
55008171	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर अध्वाराबिध	70160-00
	प्रशासनिक कार्य	28913-00

योग

980043-00

उक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2020-21 की नेट पर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कैशबुक/एक्टीविटी वाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट में दर्शित कुल व्यय रु० 980043.00 जिसके सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण/मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्री रवि भूषण सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा श्री अमरीश प्रताप सिंह तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये है-

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- पेडराही

विकास खण्ड- वजीरगंज

प्रस्तर संख्या- 87

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के बाद भी सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक-कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम०बी०, बिल/वाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्कस, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किये गये फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वास्तविक उपभोग धनराशि की जांच एवं पुष्टि तथा नेट पर दर्शित सूचनाओं का मिलान नहीं किया जा सका।

आई०डी० सं०	कार्य	कुल व्यय
42831421	प्राथमिक पाठशाला में टाइल्स कार्य	152381-00
42831006	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	314598-00
	रामदेव के धर से अशोक के धर तक सीसी रोड	144427-00
	पिच रोड से रामदेव के धर तक सीसी रोड	123945-00
	राजकरन के धर से पिच रोड तक सीसी रोड	158883-00
	राजकरन के धर से पिच रोड तक भूमिगत नाली	69545-00
	रामदेव के धर से प्रदीप के धर तक भूमिगत नाली	91888-00

उक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2020-21 की नेट पर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड केशबुक/एक्टीविटी वाइज एक्सपेंडीचर डिटेल् रिपोर्ट में दर्शित कुल व्यय रु० 1055667.00 जिसके सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण/मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्रीमती मीना सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा श्री अजीत तिवारी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये है-

(सा०आ०सं०-

1)

ग्राम पंचायत- रामपुर खरहटा**विकास खण्ड- वजीरगंज****प्रस्तर संख्या- 88**

कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 में "विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब तथा बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किये हैं जिसके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। आगे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के बाद भी सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक-केशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एमओबीओ, बिल/वाउचर और मस्टररोल, मानेदय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, यथानुसार विभिन्न समितियों की संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी, प्रस्तुत नहीं किये गये फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वास्तविक उपभोग धनराशि की जांच एवं पुष्टि तथा नेट पर दर्शित सूचनाओं का मिलान नहीं किया जा सका।

आई०डी० सं०	कार्य	कुल व्यय
42378290	सोकपिट निर्माण	90389-00
42379846	प्रा०पा० रामपुर में वाउन्डीवाल निर्माण	150963-00
44646920	प्रा०वि० रामपुरखरहटा में सीसी रोड निर्माण	217650-00
44652360	प्रा०पा० रामपुर में वाउन्डीवाल का गेट निर्माण अवशेष कार्य	62964-00
योग		521966-00

उक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2020-21 की नेट पर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड केशबुक/एक्टीविटी वाइज एक्सपेंडीचर डिटेल् रिपोर्ट में दर्शित कुल व्यय रु० 521966.00 जिसके सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण/मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा

प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्री प्रदीप सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा श्री अजीत तिवारी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना चाहिये है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- बेलवा बाजार

विकास खण्ड- रूपईडीह

प्रस्तर संख्या-89

ग्राम पंचायत बेलवा बाजार की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन इन्टिमेशन भेजने तथा उसको स्वीकार किए जाने तथा वांछित महत्वपूर्ण अभिलेख ऑफलाइन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/ अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत बेलवा बाजार में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान कराए गए कुल कार्यों के व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टर रोल०, एम०बी०, स्टीमेट, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार कुल धनराशि 1922914.00 का भुगतान निम्नानुसार किया गया है-

क्र० सं०	आई०डी० सं०	परियोजना	कुल व्यय
1	37349767	प्रधान मानदेय	45500
2	44671225	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	677342
3	44687858	इ०ला० कार्य अवधेश सिंह के धर से पन्ना लाल के धर तक	75931
4	44687836	नाली नि० सदा श्याम के ध से संगम लाल के धर होते कैथा तालाब तक	167778
5	44687560	इ०ला० कार्य- मुबारक अली के धर से सैयद अली के धर तक	78822
6	44687580	इ०ला० कार्य- रामफेर के धर से खडंजा तक	85242
7	44726258	प्रधान मानदेय एवं प्रशासनिक व्यय	84395
8	44687804	इ०ला० कार्य- बाबू लाल के धर से विजय कुमार के धर तक	99754
		विवरण- एक्टविटीवाजसएक्सपेंडीचरडिटेल् रिपोर्ट पर उपलब्ध नहीं है तथा नेटकैशबुक में व्ययविना परियोजना के दर्शित	608150
		योग	1922914

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 1922914.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 1922914.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त गबन की धनराशि 1922914.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-

1)

ग्राम पंचायत- निबिहा परसपुर

विकास खण्ड- रूपईडीह

प्रस्तर संख्या-90

ग्राम पंचायत निबिहापरसपुर की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन इन्टिमेशन भेजने तथा उसको स्वीकार किए जाने तथा वांछित महत्वपूर्ण अभिलेख ऑफलाइन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें /आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम पंचायत निबिहापरसपुर में वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए कुल कार्यों के व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय

प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टर रोल, एम०बी०, स्टीमेट, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार कुल धनराशि 1141045.00 का भुगतान निम्नानुसार किया गया है-

क्रम संख्या	आई0डी0 सं०	परियोजना	कुल व्यय
1	42803604	हैण्डवम्परिबोर	22000
2	42806104	पंचायत भवन मरम्मत	132582
3	42806388	कूप मरम्मत- चम्पारन पुरवा में	47757
4	42806477	हैण्डपम्परिबोर	189505
5	42806310	प्रशासनिक कार्य	38500
6	42806210	हैण्डपम्परिबोर	95478
7	42806159	प्रधान मानदेय	31500
8	42803660	सामुदायिक शौचालय निर्माण	328350
9	44038233	इ0ला0 कार्य- पीडब्लूडी रोड से राम सहाय के घर तक	69482
10	44913420	इ0ला0 कार्य- नानवच्चा हाउस से मुशीलाल के घर तक	185891
योग			1141045

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 1141045.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 1141045.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त गबन की धनराशि 1141045.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- तिर्से मनोरमा

विकास खण्ड- रूपईडीह

प्रस्तर संख्या- 91

ग्राम पंचायत तिर्से मनोरमा की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन इन्टिमेशन भेजने तथा उसको स्वीकार किए जाने तथा वांछित महत्वपूर्ण अभिलेख ऑफलाइन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध सूचनायें/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्रामपंचायत तिर्से मनोरमा में वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए कुल कार्यों के व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टर रोल, एम०बी०, स्टीमेट, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार कुल धनराशि 644970.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार किया गया है -

क्रम संख्या	आई0डी0 सं०	परियोजना	कुल व्यय
1	42625897	प्रशासनिक व्यय	2100
2	42627794	सामुदायिक शौचालय निर्माण	270075
3	43404498	हैण्डपम्परिबोर	43692
4	44691617	सामुदायिक शौ० नि० अवशेष कार्य	272758
5	51771551	समरसेबल कार्य	56345
योग			644970

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 644970.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 644970.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त गबन की धनराशि 644970.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री राधवेन्द्र मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- उसरैना

विकास खण्ड- रूपईडीह

प्रस्तर संख्या- 92

ग्राम पंचायत उसरैना की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन इन्टिमेशन भेजने तथा उसको स्वीकार किए जाने तथा वांछित महत्वपूर्ण अभिलेख ऑफलाइन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई ग्राम स्वराजपोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध सूचनार्य/आंकड़ों/ अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम पंचायत उसरैना में वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए कुल कार्यों के व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टर रोल, एम०बी०, स्टीमेट, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टलके अनुसार कुल धनराशि 2483322.00 का निम्नानुसार किया गया है-

क्रम सं०	आई०डी०सं०	परियोजना	कुल व्यय
1	42251356	नाली नि०- थडक्कीपुरवा में	41027
2	42265467	खडंजा नि०- नन्कूने के धर से पीडब्लूडी रोड तक	190910
3	42265213	खडंजा नि०- जबरलाल के खेत से राम विस्वा के धर तक	190652
4	42264033	ख०नि०- मुख्यसडक से महादेव तिवारी के धर तक	77912
5	42266108	ख०नि०- जियालाल के खेत से नहर तक	179454
6	42251525	सोखता नि०- विभिन्न जगहों पर	183737
7	42266314	खडंजा नि०- मुख्यखडंजा से मदरसा तक	90944
8	42269574	सामुदायिक केन्द्र/भवन मरम्मत	179876
9	42260462	सामुदायिक केन्द्र में टाइल्स कार्य व पडंजा कार्य	246584
10	42252733	हैण्डपम्परिबोर कार्य	139489
11	42252316	सामुदायिक शौचालय निर्माण	530462
12	42270641	प्रधान मानदेय	35700
13	44783554	प्रा०वि० उसरैना में अतिरिक्तकक्ष में टाइल्स कार्य	174717
14	44783575	हैण्डपम्पमरम्मत	26932
15	45135383	प्रा०वि० उसरैना में भूकम्परोधी कक्ष में टाइल्स	194926
योग			2483322.00

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 2483322.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 2483322.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त गबन की धनराशि 2483322.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री राधवेन्द्र मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्री जोखू से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- बेलवा नोहर**विकास खण्ड- परसपुर****प्रस्तर संख्या- 93**

ग्राम पंचायत बेलवा नोहर की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन इन्टिमेशन भेजने तथा उसको स्वीकार किए जाने तथा वांछित महत्वपूर्ण अभिलेख ऑफलाइन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध सूचनायें/ आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत बेलवानोहर में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान कराए गए कुल कार्यों के व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टर रोल, एमबी, स्टीमेट, कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टलके अनुसार कुल धनराशि 1814283.00 का भुगतान निम्नानुसार किया गया है-

क्रम सं०	आईडी सं०	परियोजना	कुल व्यय
1	36881043	प्रशासनिक कार्य	16436
2	36879293	प्रधान मानदेय	28000
3	42484627	सोकपिट निर्माण	207744
4	42482318	इला कार्य- सौली के घर से राजकुमार के घर तक	230998
5	42482046	इलाकार्य- राधेश्याम के घर से चन्द्रिका के घर तक	232869
6	4248402	सामुदायिक शौचालय निर्माण	470375
7	454453087	प्रशासनिक कार्य	73840
8	45451487	इला कार्य- राजकुमार के घर से सबरी के घर तक	167534
9	45451351	इला कार्य- चन्द्रिका के घर से मंगली के आवादी तक	175523
10	51579271	प्रा वि बेलवानोहर में समरसेबुल निर्माण	50105
11	53019745	पंचायत भवन निर्माण	160859
योग			1814283

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 1814283.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 1814283.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त गबन की धनराशि 1814283.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बुधना से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- धमरैया**विकास खण्ड- परसपुर****प्रस्तर संख्या- 94**

ग्राम पंचायत धमरैया की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन इन्टिमेशन भेजने तथा उसको स्वीकार किए जाने तथा वांछित महत्वपूर्ण अभिलेख ऑफलाइन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टलपर उपलब्ध सूचनायें /आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत धमरैया में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में कराए गए कुल कार्यों के व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टर रोल, एमबी, स्टीमेट, कार्य योजना, आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टलके अनुसार कुल धनराशि 1829314.00 का भुगतान निम्नानुसार किया गया है-

क्रम सं०	आईडीओ सं०	परियोजना	कुल व्यय
1	42421672	पिचरोड से संतोष के धर तक	195013
2	42410452	प्रा०वि० धमरैया का जीर्णोधार एवं टाइल्स कार्य	228236
3	42409052	सोख्तागढढा निर्माण	97461
4	42420130	प्रधान मानदेय	60500
5	42410988	प्रा०वि० धमरैयाडीहावाउन्डीवाल व गेट निर्माण	127833
6	42408374	सामुदायिक शौचालय निर्माण	511815
7	44690186	धर्मराज के धर पास हैण्डपम्परीबोर	27114
8	44690208	पतनदीन के धर पास हैण्डपम्परीबोर	27114
9	44690190	बेचन के धर पास हैण्डपम्परीबोर	27114
10	44690196	श्री राम के धर पास हैण्डपम्परीबोर	27114
11	62298113	कृषि यंत्र खरीद	500000
योग			1829314

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 1829314.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय मे दर्शित धनराशि 1829314.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त गबन की धनराशि 1829314.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पटमेश्वरी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- धनौरा

विकास खण्ड- परसपुर

प्रस्तर संख्या-95

ग्राम पंचायत धनौरा की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन इन्टिमेशन भेजने तथा उसको स्वीकार किए जाने तथा पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध सूचनार्य/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत धनौरा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कराए गए कुल कार्यों के व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टर रोल०, एम०बी०, स्टीमेट, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार कुल धनराशि 1146267.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष में 01/04/2020 से 31/03/2021 तक किया गया है

क्रम सं०	आईडीओ सं०	परियोजना	कुल व्यय
1	42444008	उ०प्रा०वि० धनौरा में टाइल्स कार्य	147686
2	37191285	प्रशानिक मद	88731
3	42445119	इ०ला०- पिच रोड से धनबहादुर के धर तक	162188
4	42450526	प्रधान मानदेय	67500
5	42448883	सामुदायिक शौचालय निर्माण	195431
6	44425388	सामुदायिक शौचालय निर्माण	289557
7	44425350	सामुदायिक शौचालय निर्माण	110190
8	37191120	हैण्डपम्परीबोर	25153
9	51579878	प्रा०वि० में समरसेबुलस्थापना	59831
योग			1146267

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 1146267.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 1146267.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त गबन की धनराशि 1146267.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जगपता से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- खजूरी निधि

विकास खण्ड- परसपुर

प्रस्तर संख्या-96

ग्राम पंचायत खजूरी निधि की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन इन्टिमेशन भेजने तथा उसको स्वीकार किए जाने तथा वांछित महत्वपूर्ण अभिलेख ऑफलाइन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध सूचनार्य/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत खजूरी निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कराए गए कुल कार्यों के व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टर रोल, एम०बी०, स्टीमेट, कार्य योजना, पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ई ग्राम स्वराज पोर्टलके अनुसार कुल धनराशि 1043088.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष में 01/04/2020 से 31/03/2021 तक किया गया है-

क्रम सं०	आईडीओ सं०	परियोजना	कुल व्यय
1	42902595	पंचायत भवन मरम्मत	138982
2	42904144	प्रधान मानदेय	24500
3	42902457	सामुदायिक शौचालय निर्माण	404491
4	44637652	सामुदायिक शौचालय निर्माण	254514
5	42902644	इ०ला०- काली सड़क से मुसलिम के धर तक	220601
योग			1043088

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 1043088.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 1043088.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त गबन की धनराशि 1043088.00 की वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- बदनापुर

विकास खण्ड- बेलसर

प्रस्तर संख्या-97

ग्राम पंचायत बदनापुर की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरांत भी लेखा परीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध सूचनार्य/आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम पंचायत बदनापुर में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान कराए गए कुल कार्यों के व्यय के सापेक्ष कार्यपत्रावलीयथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर, बिल, मस्टररोल, एम०बी०, स्टीमेट, कार्य योजना, पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार कुल धनराशि रुपये 1658761.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 01/04/2020 से 31/03/2021 तक किया गया है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार कुल व्यय की गई धनराशि रुपये 1658761.00 के व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	आईडी सं०	कार्यका नाम	भुगतान की तिथि	भुगतानित राशि	कुल भुगतान
1	37122140	प्रधान मानदेय	24/12/2020	31500	31500
2	44648093	जगप्रसाद के घर के पास हैण्डपम्परिवोर कार्य।	30/10/2020	23805	23805
3	44647932	हरिश्चन्द्र के घर से खूँटी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	33260 35385 103840	172485
4	44647923	सोहन के घर से मेवालाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	33260 35385 103840	172485
5	44647957	शेष नरायनपाण्डेय के घर के पास हैण्डपम्परिवोर कार्य।	30-10-2020	23805	23805
6	44647944	विभिन्न मजरो में सोखता निर्माण कार्य।	20/12/2020 20/12/2020 20/12/2020	117190 49769 21567	188526
7	45529243	नाराबाग में मंगल के घर से उमेश के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य।	23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	44400 48720 48720 30450	172290
8	45529301	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य।	23-12-2020	95000	95000
9	42763948	सार्वजनिक स्थल पर शौचालय निर्माण कार्य	25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 08/10/2020 08/10/2020 11/11/2020	76608 50011 75893 146443 7200 17289	373444
10	44647913	कृष्णदेव के घर से मनोहर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 24/12/2020 24/12/2020	33260 35385 103840 7988 36920	217393
11	15995094	सामग्री का भुगतान	11-06-2020	56813	56813
12	15995102	सामग्री का भुगतान	11-06-2020 11/06/2020	60200 18000	78200
13	15995102	विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय	11-06-2020	1575	1575

14	15995096	सामग्री का भुगतान	11-06-2020	26940	26940
15	44647944	सामग्री का भुगतान	23-12-2020	14000	14000
16	15995123	प्रधान मानदेय	01-08-2020	10500	10500

कुल योग

1658761

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 1658761.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुलव्यय में दर्शित धनराशि 1658761.00 गबन की श्रेणी में आती है उक्त गबन की धनराशि 1658761.00 अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री नरेंद्र कुमार सोनी एवं ग्राम प्रधान श्री आलोक कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- नारायणपुर वली

विकास खण्ड- झँझरी

प्रस्तर संख्या- 98

ग्राम पंचायत नारायणपुर वली की लेखा परीक्षा हेतु निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार के उपरान्त भी लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैन्डपम्पमरमत कार्यसम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

क्र०सं०	वर्क id	कार्य का नाम	भुगतान की तिथि	व्यय की राशि	कुल व्यय
1	42253087	ग्राम पंचायत में	07/07/2020	8806	54222
		इंडिया मार्का हैन्ड	08/08/2020	16800	
		पम्प मरमत	02/10/2020	6601	
		कार्य	05/12/2020	22015	

कुल योग

54222

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि 54222.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में दर्शित धनराशि 54222.00 गबन की श्रेणी में आती है उक्त गबन की राशि 54222.00 अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती लखराजी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-1)

ग्राम पंचायत- होल्लापुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-99

ग्राम पंचायत होल्लापुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० 603022 की ऑफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार किया गया।

किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आईडी०	कार्य का नाम	धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1	42371035	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	200000	6431
2	15567757	प्रा०वि० होल्लापुर में अवशेष बाउण्ड्रीवाल निर्माण	30000	-
3	15567745	प्रा०वि० होल्लापुर में ई०ला० कार्य	45000	2211
4	44690576	रामदेव के घर हैण्डपम्प रीबोर	21504	-
5	44690585	रणवीरके घर हैण्डपम्प रीबोर	21504	-
6	42374200	बाबूलाल के घर हैण्डपम्प रीबोर	20048	-
7	42371843	ग्रा०पं० में विभिन्न मजराओं में हैण्डपम्प मरम्मत	45920	-
8	42371035	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	97418	-
9	45231483	प्रा०वि० सोनवरसा हैण्डवाश बेसिन निर्माण	25008	-
10	45231468	जू०हा० सोनवरसा हैण्डवाश बेसिन निर्माण	25008	-
11	43438529	जू०हा० सोनवरसा बाउण्ड्रीवाल निर्माण	63000	-
योग:-			594410	8612
सकल योग:-			603022	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत होल्लापुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 603022.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री नकछेद सिंह, सचिव श्री दिनेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- परियावाँ

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-100

ग्राम पंचायत परियावाँ, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 1609871.00 की ऑफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक

21.02.2022, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आईडी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	40270890	पंचायत भवन निर्माण कार्य	02.12.20	-	14040
			02.12.20	16200	-
			02.12.20	50652	-
			11.09.20	315280	-
			16.09.20	486080	-
			24.09.20	154166	-
2	40270307	सामुदायिक शौचालय निर्माण	01.08.20	200000	-
3	15787255	बच्चाराम के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	18.06.20	26500	-
4	15787256	रामदेव के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	18.06.20	26500	-
5	40266269	प्रधान मानदेय	20.12.20	-	42000
6	40266696	प्रधान मानदेय	20.12.20	-	31500
7	40267958	प्रशासनिक मद	30.10.20	30000	-
			14.12.20	400	-
			14.12.20	3454	-
8	45298242	रामदीन के घर से गौहनिया पक्की सड़क तक खड्डन्जा कार्य	18.12.20	91350	-
9	40267153	विभिन्न मजरो में हैण्डपम्प मरम्मत	18.12.20	39350	-
10	40261546	प्रा०वि० परियावा में कायाकल्प कार्य	23.12.20	82163	-
11		बैंक कटौती		236	-
योग:-				1522331	87540
सकल योग:-					1609871

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत परियावाँ के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹1609871 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री छेदी, सचिव श्री सुनील कुमार राम से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- जुझारीपुर**विकास खण्ड- तरबगंज****प्रस्तर संख्या-101**

ग्राम पंचायत जुझारीपुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 607122 की ऑफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 11.10.2021, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र0 सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	42419976	प्रशासनिक मद	20.12.20	3454	-
			20.12.20	400	-
2	15699811	प्रशासनिक मद	01.06.20	15000	-
3	42355199	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	05.09.20	216160	-
			15.09.20	201600	-
4	44740659	अमरिका दत्त के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	28.09.20	21504	-
5	44733140	लाल बिहारी के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	28.09.20	21504	-
6	42415985	प्रधान मानदेय	15.09.20	-	17500
7	44740650	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	20.12.20	100000	-
8	15699829	सीताराम के घर से छेदीलाल के घर तक खड्गजा निर्माण कार्य	27.05.20	10000	-

योग:- 589622 17500

सकल योग:- 607122

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत जुझारीपुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 607122 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री शौकत अली, सचिव श्री अंकित वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- ब्यौदा मांझा**विकास खण्ड- तरबगंज****प्रस्तर संख्या-102**

ग्राम पंचायत ब्यौदा मांझा, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 1375768 की ऑफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 21.02.22, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र0 सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	45483915	प्रधान मानदेय	20.12.20	-	10500
2	42170052	प्रधान मानदेय	03.10.20	-	21000
3	15628225	प्रधान मानदेय	09.07.20	-	7000
4	15628256	राम हंकार के दरवाजे पर हैण्डपम्प रीबोर	07.11.20	7500	-
5	15628255	जगप्रसाद के दरवाजे पर हैण्डपम्प रीबोर	07.11.20	7500	-
6	15628251	मुन्नीलाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प रीबोर	07.11.20	7500	-
7	42174683	भूपनारायन के दरवाजे पर हैण्डपम्प रीबोर	07.11.20	29000	-
8	44717858	पंचायत भवन निर्माण कार्य	11.12.20 24.11.20 23.11.20 24.11.20	69900 186000 60680 56000	- - - -
9	42221652	प्रा0वि0 ब्यौदा मांझा में चाइल्ड फ्रैण्डली पर प्लेटफार्म ए रनिंग वाटर आदि	23.11.20	19359	-
10	15628268	प्रा0वि0 ब्यौदा मांझा में चाइल्ड फ्रैण्डलीशौचालय	07.11.20 07.11.20	41380 37338	- -
11	42221830	प्रा0वि0 बगहियनपुरवा में चाइल्ड फ्रैण्डली पर प्लेटफार्म ए रनिंग वाटर आदि	23.11.20 24.12.20	19359 6055	- -
12	15628234	प्रा0वि0 बगहियनपुरवा में चाइल्ड फ्रैण्डलीशौचालय	07.11.20 07.11.20	41380 37338	- -

13	15628220	प्रा०वि० ब्यौदा मांझा में बाउण्ट्रीवाल निर्माण	24.12.20	64800	-
14	45482934	प्रा०वि० ब्यौदा मांझा में बाउण्ट्रीवालके अवशेष भाग निर्माण	24.12.20	115800	-
15	42221154	विभिन्न मजरो में हैण्डपम्प मरम्मत	23.11.20	49500	-
16	42169729	विभिन्न मजरो में हैण्डपम्प मरम्मत	23.09.20	42100	-
			24.09.20	3454	-
17	42222108	सामु० शौचा० निर्माण	24.12.20	25000	-
			23.11.20	97650	-
			24.11.20	110675	-
			24.12.20	55000	-
			24.12.20	147000	-
योग:-			1337268	38500	
सकल योग:-			1375768		

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत ब्यौदा मांझा के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू०1375768 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम बहादुर, सचिव श्री घनश्याम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-जगदीशपुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-103

ग्राम पंचायत जगदीशपुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० 779672 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 07-02-2022, 21-02-2022 एवं 07-03-2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	20953293	तरल अपशिष्ट प्रबंधन कूड़ादान निर्माण	13.04.20	36708	-	36708
			13.04.20	30837	-	30837
			22.04.20	-	34300	34300
2	42454954	प्रधान मानदेय	03.10.20	-	21000	21000
3	15707560	प्रधान मानदेय	28.04.20	-	7000	7000
4	42455962	सामु0 शौचालय निर्माण	29.07.20	142770	-	142770
			02.09.20	205032	-	205032
			28.09.20	72334	-	72334
5	42455301	हैण्डपम्प रीबोर अंजनी दूबे के घर के पास	17.12.20	24524	-	24524
6	4479083	सामु0 शौचालय निर्माण	12.10.20	30654	-	30654
			12.10.20	23380	-	23380
			12.10.20	20000	-	20000
7	42456650	ख0 निर्माण अर्जुनपुर काली स्थान से असगर के खेत तक	15.09.20	42630	-	42630
8	42457398	प्रशासनिक व्यय	03.10.20	3454	-	3454
			19.11.20	84649	-	84649
			19.11.20	400	-	400
योग:-				717372	62300	779672

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत जगदीशपुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹779672 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री रामफेर, सचिव श्री अमित मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्रामपंचायत- सुसेला
प्रस्तर संख्या-104

विकास खण्ड- तरबगंज

ग्राम पंचायत सुसेला, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 606835 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक

21.02.2022, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आईडी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	15707990	पिच रोड से अंजनी के घर तक इ०ला० कार्य।	14.06.20 14.06.20 14.06.20 15.06.20	12054 9965 - -	- - 3150 3618
2	40947903	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	11.10.20 11.10.20 15.10.20 15.10.20	194175 22785 197768 10120	- - - -
3	40120479	प्रशासनिक मद	11.11.20 11.11.20	39746 3454	- -
4	19341536	सी०सी० रोड से चन्द्रीजान के घर तक इ०ला० कार्य	21.05.20	-	21680
5	45126131	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	28.11.20	-	52920
6	40119881	प्रधान मानदेय	28.11.20	-	31500
7	15708011	सकम सिंह के खेत से हनुमान सेठ के घर तक खड्गजा निर्माण कार्य	14.06.20	3900	-
योग:-				493967	112868
सकल योग:-				606835	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत सुसेला के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 606835 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री शिव लोचन सिंह, सचिव श्री सुनील कुमार राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- ब्यौदा मांझा

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-105

ग्राम पंचायत ब्यौदा मांझा, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार

वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0 1477852 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 21.02.2022, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	15628225	प्रधान मानदेय	12.20.20	35000	-
2	1562875	विभिन्न मजदूरों में हैण्डपम्प मरम्मत	28.12.19	62082	-
3	8551581	डी0आर0डी0ओ0 गोण्डा	30.09.19	2000	-
4	17483097	नाव खरीद	07.11.19	155400	-
5	15628256	राम हंकार के दरवाजे पर हैण्डपम्प रीबोर	26.03.20	21504	-
6	15628251	मुन्नीलाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प रीबोर	26.03.20	21504	-
7	15628255	जगप्रसाद के दरवाजे पर हैण्डपम्प रीबोर	26.03.20	21504	-
8	15628268	प्रा0वि0 ब्योदा मांझा में चाइल्ड फ्रैण्डली शौ0 निर्माण	09.20.20 19.10.20 19.10.20	70012 53200 45421	- - -
9	15628234	प्रा0वि0 बगेहनपुरपा में चाइल्ड फ्रैण्डली शौ0 निर्माण	09.02.20 19.10.20 19.10.20	70012 45421 53200	- - -
10	15628220	प्रा0वि0 ब्योदा मांझा में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	09.20.20 09.02.20	48160 98896	- -
11	20740775	उ0मा0वि0 ब्योदा मांझा में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	12.02.20 12.02.20	198128 109760	- -
12	15628271	प्रा0वि0 ब्योदा मांझा में कायाकल्प	23.10.19 28.06.19 28.11.19	90534 90000 55020	- - -
13	15628218	प्रशासनिक मद	26.03.20 26.06.19	45500 3000	- -
14	8551547	प्रा0वि0 ब्योदा मांझा में फर्श प्लास्टर	28.11.19 28.11.19	21470 61124	- -
योग:-				1477852	-
सकल योग:-				1477852.00	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत ब्यौदा मांझाके वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू० 1477852.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम बहादुर, सचिव श्री घनश्याम निषाद से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- जगदीशपुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-106

ग्राम पंचायत जगदीशपुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० 1646094 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.02.2022, 21.02.2022 एवं 07.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	15707560	प्रधान मानदेय	27.12.19	-	35000	35000
2	15707563	हैण्डपम्प रीबोर सियाराम के घर के पास	14.02.20	22697	-	22697
3	20953293	तरल अपशिष्ट कूड़ादान निर्माण	04.03.20	61438	-	61438
			04.03.20	74130	-	74130
4	20953292	ठोस अपशिष्ट कूड़ादान निर्माण	04.03.20	54495	-	54495
			04.03.20	99879	-	99879
5	15707567	इ०ला० रोड निर्माण पक्की सड़क से फकीरे के घर तक	21.03.20	170619	-	170619
6	15707576	पू०मा० भवन मरम्मत	04.09.19	181848	-	181848
			24.09.19	-	43400	43400
			03.10.19	21884	-	21884
7	16784059	प्रा०वि० अर्जुनपुर में चाइल्ड फ्रेंडली शौ० निर्माण	12.07.19	140302	-	140302
			25.07.19	43864	-	43864
			29.02.20	29392	-	29392
			29.02.20	-	33250	33250

8	16784054	प्रा०वि० केशवपुर में चाइल्ड फ्रेंडली शौ० निर्माण	12.07.19	140302	-	140302
			25.07.19	43864	-	43864
			29.02.20	29392	-	29392
			29.02.20	-	33250	33250
9	15707584	प्रशासनिक व्यय	03.11.19	5000	-	5000
			07.03.20	12090	-	12090
10	15707570	नाली निर्माण विश्वनाथ के घर से नहर तक	1301.20	156702	-	156702
11	15707568	इ०ला० रोड निर्माण जगदम्बा के घर से हरपाल के दुकान तक	13.02.20	175699	-	175699
12	8451693	इ०ला० रोड निर्माण अशोक के दुकान से गांधी के घर तक	12.03.20	11697	-	11697
			12.30.20	25900	-	25900
योग:-			1501194	144900	1646094	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत जगदीशपुर के वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹1646094.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री रामफेर, सचिव श्री अमित मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- जुझारीपुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-107

ग्राम पंचायत जुझारीपुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹1344057 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 11.10.2021, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र०सं०	कार्य आईडी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	सामग्री	श्रमांश
1	20791510	प्रशासनिक मद	13.02.20	30240	-	-

2	15699811	प्रशासनिक मद	05.06.19	3000	-
			16.06.19	2000	-
3	21050425	दयाशंकर के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	20.03.20	21504	7504
4	15699725	सुबेरे के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	12.02.20	21392	-
			13.02.20	-	7686
5	15699794	काली स्थान पर हैण्डपम्प रीबोर	12.02.20	21392	-
			13.02.20	-	7686
6	20791511	खैराती के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	13.02.20	21392	7686
7	15699808	प्रा0वि0 दातादीनपुरवा में कायाकल्प कार्य	24.07.19	59460	-
			25.07.19	39200	11424
			27.07.19	40320	-
			27.06.19	60480	-
			27.06.19	20832	-
8	19376469	काशीराम के घर से दयाशंकर के घर तक खड्गजा कार्य	07.03.20	17584	-
			07.03.20	12670	-
			14.02.20	71456	-
9	19376473	प्रा0वि0 दातादीनपुरवा से गेट तक इ0ला0 कार्य	13.02.20	17444	-
			15.11.19	87000	-
			30.01.20	23000	-
10	20791508	श्रीराम के घर से मुन्ना के गड्ढा तक इ0ला0 कार्य	07.03.20	7140	-
			14.02.20	71885	-
11	15699801	सन्ते के घर से रामलगन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	17.12.19	145600	-
			31.01.20	29400	-
12	21050689	विभिन्न मजरो में हैण्डपम्प मरम्मत	09.03.20	60480	-
13	15699800	प्रधान मानदेय	18.01.20	-	31500
			20.03.20	-	10500
14	21050423	प्रा0वि0 जुझारीपुर में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय के अवशेष भाग का निर्माण	20.03.20	26320	-
15	19376472	प्रा0वि0 दातादीनपुरवा में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय का निर्माण	05.12.19	222880	-
16	15699829	सीताराम के घर से छेदीलाल के घर तक खड्गजा निर्माण कार्य	23.03.20	126000	-
			योग:-	1260071	83986
सकल योग:-				1344057	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत जुझारीपुर के वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹0 1344057.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री शौकत अली, सचिव श्री अंकित वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- सुसेला

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-108

ग्राम पंचायत सुसेला, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0 1333161 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 21.02.2022, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	15707989	पी०एम० रोड से रामदीन के घर तक इ०ला० कार्य	20.03.20 20.03.20 20.03.20	48237 50515 124898	- - -
2	20578002	प्रा०वि० सुसेला में टाइल्स निर्माण कार्य	09.20.20 09.02.20 09.02.20 12.02.20	33772 12028 149301 -	- - - 36358
3	19341535	पी०एम० रोड से प्रा०वि० सुसेला तक इ०ला० कार्य	12.12.19 06.12.19	199920 19682	- -
4	15708003	पी०एम० रोड से प्रा०वि० सुसेला तक इ०ला० कार्य	05.10.19 10.10.19	205853 -	- 35090
5	19341536	सी०सी० रोड से चन्द्रभान से घर तक इ०ला० कार्य	30.03.20 30.03.20 30.03.20	39278 39872 95603	- - -

6	15707990	पिच रोड से अंजनी के घर तक	19.03.20	8960	-
		इ०ला० कार्य	19.03.20	22176	-
7	15708014	प्रधान मानदेय	29.12.19	-	31500
			30.03.20	-	10500
8	15708015	गड़हा बगीचा तालाब भराई	03.07.19	30000	-
9	15707987	प्रा०वि० के बगल तालाब भराई	03.07.19	37500	-
10	19341538	जगन्नाथ के घर के पास	08.03.20	29978	-
		हैण्डपम्प रीबोर			
11	8747592	डी०पी०आर०ओ० गोण्डा	26-09-19	2000	-
12	15707978	डी०पी०आर०ओ० गोण्डा	27-12-19	50900	-
13	15708011	सकम सिंह के खेत से हनुमान	19-03-20	16240	-
		सेठ के घर तक खड़न्जा कार्य			
14	1924323	प्रशासनिक मद	30-07-19	3000	-

योग:- 1219713 113448

सकल योग:- 1333161

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत सुसेला के वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹0 1333161.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री शिव लोचन सिंह, सचिव श्री सुनील कुमार राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-रांगी

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-109

ग्राम पंचायत रांगी, विकास खण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0 2247938 की आफ लाइन आडिट हेतुग्राम पंचायत सचिव,ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 21.02.2022, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल,तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आईडी	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	9098469	हैण्ड पम्प रीबोर	01.05.19	5500	7714
			01.05.19	5500	7714
			01.05.19	5500	7714
2	19398306	हैण्ड पम्प रीबोर	10.01.20	21280	7714
3	15842131	हैण्ड पम्प रीबोर	10.01.20	21280	7714
4	20127800	हैण्ड पम्प रीबोर	10.07.20	21280	7714
5	15842153	हैण्ड पम्प रीबोर	18.07.19	21504	7714
6	15842154	हैण्ड पम्प रीबोर	21.07.19	21504	7714
7	20127799	हैण्ड पम्प रीबोर	23.07.19	21504	-
8	21237308	हैण्ड पम्प रीबोर	29.03.30	21504	-
9	21237307	हैण्ड पम्प रीबोर	29.03.20	21504	-
10	15842132	हैण्ड पम्प रीबोर	18.07.20	21504	7714
11	15842138	प्रधान मानदेय	10.01.20	-	31500
			20.03.20	-	10500
12	19398315	प्रा०वि० रांगीडीह में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	03.12.19	164920	-
			15.06.19	43904	-
13	19398311	गोमती सिंह के घर के पास सोख्ता निर्माण	04.30.20	4144	3192
			14.01.20	16800	-
14	15842130	मनोज व जगत नारायन के घर पर सोख्ता निर्माण	04.03.20	4144	3192
			14.01.20	16800	-
15	15842142	शेर बहादुर के घर पर सोख्ता निर्माण	04.03.20	4144	3192
			14.01.20	16800	-
16	16842092	काली चरन के घर के पास सोख्ता निर्माण	04.03.20	4144	3192
			14.01.20	16800	-
17	9098434	विभिन्न मजरा में सोख्ता निर्माण कार्य	04.07.19	28726	29610
			04.07.19	-	27426
18	15842065	आंगनवाड़ी केन्द्र का कायाकल्प	04.07.19	76160	-
			20.10.19	49750	-
19	19398309	भवानी बख्श के घर के पास सोख्ता निर्माण	20.03.20	4144	3192
			14.01.20	16800	-
20	15842074	प्रशासनिक मद	15.06.19	3000	-
			15.06.19	2000	-
21	20127803	प्रशासनिक मद	27.02.20	22470	-
22	9098447	रांगी सड़क से कमल के घर तक इ०ला० कार्य	15.06.19	108640	-
			27.06.19	11550	-
			27.06.19	14336	-

23	19398304	प्रा०वि० रांगीडीह में स्कूल भवन के गेट तक इंटरलाकिंग कार्य	18.02.20 18.12.19	29680 190400	- -
24	15842110	प्रा०वि० रांगी मरम्मत कार्य	18.07.19 19.07.19	77280 17024	- -
25	9098450	तिलक मौर्या के घर से रंगे मौर्या के घर तक इ०ला० कार्य	20.06.19 20.16.19 27.06.19 27.06.19	71329 5740 63629 14091	- - - -
26	13842133	सरगधा तालाब में पानी भरवाई	19.07.19 19.07.19	40050 40050	- -
27	9098451	सांगी सड़क से हीराराम के घर तक इ०ला० कार्य	27.06.19 27.06.19	19530 -	9324 40407
28	9098453	बिहारीपुरवा पक्की सड़क से प्रहलाद के घर तक खड्डा निर्माण कार्य	05.12.19 08.04.19	6930 30000	26880 -
29	21032411	ईश्वर शरण के घर से शिपूजन के घर तक इ०ला० कार्य	08.03.20	39760	-
30	21032412	शिवपूजन के घर से सिविल के घर तक भूमिगत नाली	08.03.20	50400	-
31	15842161	श्याम सुन्दर के घर से वेद शर्मा के घर तक इ०ला० कार्य	08.03.20	116480	-
32	21032421	8 नग सोखता निर्माण	08.03.20	134400	-
33	19398314	30 नग नल मरम्मत	10.01.20	98784	-
34	19398305	राम शंकर के घर से पक्की सड़क तक इ०ला० कार्य	20.03.20	101808	-

योग:- 1986905 261033

सकल योग:- 2247938

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत रांगी के वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹0 2247938.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जगदीश शरण पाण्डेय, सचिव श्री अतुल रंजन से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-गडौली

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-110

ग्राम पंचायत गडौली, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो

है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 1161284 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र0 सं0	कार्य आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	15785870	हैण्डपम्प मरम्मत	25.12.19	80000	-
2	15785899	हैण्डपम्प मरम्मत	03.07.19	45000	-
			30.07.19	25000	-
3	8747123	प्रशासनिक मद	03.07.19	3000	-
4	15785858	प्रशासनिक मद	03.11.19	8000	-
			15.02.20	30000	-
			15.02.20	12000	-
5	17640726	प्रा0वि0 बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण	05.09.19	95000	-
			11.09.19	107982	-
			13.10.19	38220	-
6	15785878	स्वामी नाथ के घर से गड़हा तक भूमिगत नाली	08.03.20	4500	-
			24.02.20	36484	-
			-	5610	-
7	15785877	महेश पाण्डे के घर से तालाब तक भूमिगत नाली	11.03.20	35347	-
			11.03.20	5592	-
8	8747150	सी0सी0 रोड से देव सरन के घर तक इ0ला0 कार्य	03.07.19	26666	-
9	15785888	सी0सी0 रोड से शिवमंगल व जगदम्बा के घर तक इ0ला0 कार्य	07.01.20	175280	-
10	15785887	देव सरन के घर से सड़क तक इ0ला0 कार्य	11.03.20	58582	-
11	15785886	सी0सी0 रोड से ज्वाला प्रसाद के शौचालय तक इ0ला0 कार्य	25.12.19	58736	-
12	15785867	सुशील कुमार के घर के पास सोख्ता निर्माण	13.10.19	20365	-
13	15755868	परशुराम के घर के पास सोख्ता निर्माण	13.10.19	20365	-

14	15785853	शिव कुमार सिंह के घर के पास सोख्ता निर्माण	13.10.19	20365	-
15	15785869	मनोज श्रीवास्तव के घर के पास सोख्ता निर्माण	13.10.19	20365	-
16	15785866	गुरु प्रसाद के घर के पास सोख्ता निर्माण	17.09.19	11427	-
17	15785852	सूर्यलाल के घर के पास सोख्ता निर्माण	17.09.19	11427	-
18	15785855	शैलकुमारी के घर के पास सोख्ता निर्माण	17.09.19	11427	-
19	15785856	रामसूरत कोरी के घर के पास सोख्ता निर्माण	17.09.19	11427	-
20	15785857	लल्लू मौर्या के घर के पास सोख्ता निर्माण	17.09.19	11427	-
21	20953560	विभिन्न मजराँ में सोख्ता निर्माण	29.03.20	35000	-
22	15785838	प्रधान मानदेय	29.03.20	-	42000
23	15785837	तालाब में पानी भराई	19.06.19	50000	-
योग:-				1119284	42000

सकल योग:- 1161284

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत गड़ौली के वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹0 1161284.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जमुना प्रसाद, सचिव श्री सुरेश कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-ब्यौदा उपरहर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-111

ग्राम पंचायत ब्यौदा उपरहर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0 238256 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.02.2022, 21.02.2022 एवं 07.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख - व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप

पुस्तिका,चरणबद्ध फोटो,कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आईडी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	15788068	प्रधान मानदेय	12.01.20	-	31500
2	15788058	जू० हाईस्कूल में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य व कायाकल्प	29.02.20 25.02.20 03.03.20 12.02.20 25.02.20	8000 6944 35168 32144 31500	- - - - -
3	15788057	महेश सिंह के घर के पास तालाब भराई	04.07.19	-	20000
4	15788056	आकाश के घर के पास तालाब भराई	04.07.19	-	20000
5	15788030	सरजू प्रसाद के दरवाजे पर हैण्डपम्प रीबॉर	05.07.19	-	30000
6	15788029	तुलसीराम के दरवाजे पर हैण्डपम्प रीबॉर	12.07.19	-	20000
7	15788049	प्रशासनिक मद	29.07.19	3000	-
योग:-				116756	121500
सकल योग:-				238256	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत ब्यौदा उपरहरेके वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹0 238256.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम बहादुर, सचिव श्री घनश्याम निषाद से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-चौबेपुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-112

ग्राम पंचायत चौबेपुर, विकासखण्ड तरबगंज,जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223दिनांक 02-11-2020के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0 2005080 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव,ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.02.2022, 21.02.2022 एवं 07.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव,प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक,बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति,

माप पुस्तिका,चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आईडी	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	42359008	जू०हा० में चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण	07.07.20	70581	-	70581
			07.07.20	99860	-	99860
			07.07.20	35100	-	35100
			07.07.20	65554	-	65554
2	42358182	प्रशासनिक व्यय	12.10.20	3454	-	3454
3	42358140	प्रधान मानदेय	16.10.20	-	21000	21000
4	44912952	नाली निर्माण निबरे के खेत से टेढ़ी नदी तक	20.10.20	81107	-	81107
5	44912967	सोकपिट निर्माण	20.10.10	61767	-	61767
6	44912989	हैण्डपम्प रीबोर निजाम के घर के पास	20.10.20	26017	-	26017
7	44993371	सामु० शौचालय निर्माण	06.12.20	25200	-	25200
			06.12.20	-	44300	44300
			06.12.20	-	16100	16100
8	42358035	सामु० शौचालय निर्माण	13.08.20	161227	-	161227
			13.08.20	220729	-	220729
			15.09.20	53630	-	53630
			15.09.20	53800	-	53800
			06.12.20	17834	-	17834
9	20538184	अन्त्येष्टि स्थल विकास कार्य	19.05.20	-	215600	215600
10	37536017	अन्त्येष्टि स्थल विकास कार्य	19.06.20	387323	-	387323
			19.06.20	171047	-	171047
			19.06.20	118587	-	118587
11	44993360	अन्त्येष्टि स्थल विकास कार्य	29.10.20	39163	-	39163
			29.10.20	-	16100	16100
योग:-				1691980	313100	2005080

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत चौबेपुर के वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 2005080.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता सिंह, सचिव श्री अमित मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-अकबरपुर**विकास खण्ड- तरबगंज****प्रस्तर संख्या-113**

ग्राम पंचायत अकबरपुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 2022791 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 21.02.2022, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	15707016	राम प्रताप के घर से सीताराम के पाही तक खड्गजा कार्य	21.03.20 21.03.20	183918 28000	- -	183918 28000
2	15707107	ग्रा०पं० में विभिन्न मजराओं में सोकपिट निर्माण कार्य	02.02.20 07.01.20	- 210192	31150 -	31150 210192
3	15707085	ग्रा०पं० में विभिन्न मजराओं में सोकपिट निर्माण हेतु अर्द्धा क्रय	13.02.20 13.02.20 14.02.20	123154 79943 -	- - 32550	123154 79943 32550
4	15707096	आंगनवाड़ी भवन मरम्मत एवं टाइल्स क्रय	11.10.19 30.10.19 31.10.19	123641 3948 -	- - 29050	123641 3948 29050
5	18188422	प्रा०वि० अकबरपुर में अतिरिक्ति कक्ष मरम्मत व टाइल्स कार्य	11.10.19 30.10.19 31.10.19	110772 4011 -	- - 46200	110772 4011 46200
6	18188427	प्रा०वि० अकबरपुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	13.02.20 13.02.20 13.02.20	98280 93713 25610	- - -	98280 93713 25610
7	15707078	प्रा०वि० से पुलिया तक इ०ला० कार्य	13.02.20 13.02.20 13.02.20	23726 34853 160726	- - -	23726 34853 160726
8	15707079	ब्रम्हदेव स्थान से पुलिया तक इ०ला० कार्य	13.02.20 13.02.20 13.02.20	28350 35869 145302	- - -	28350 35869 145302
9	15717100	प्रधान मानदेय	29.03.20	-	42000	42000
10	15707098	निविदा	10.01.20	3000	-	3000

11	15707178	शिवा के खेत से लखन की दुकान तक खड़न्जा कार्य	13.02.20	178437	-	178437
12	15707113	पाण्डेय बगिया से रमेश के बाग तक खड़न्जा कार्य	19.03.20	146160	-	146160
13	9098111	बैंक चार्ज	11.08.19	236	-	236

योग:- 1841841 180950 2022791

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत अकबरपुर के वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 2022791.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनलता, सचिव श्री घनश्याम निषाद से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-घांचा बीकापुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-114

ग्राम पंचायत घांचा बीकापुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 4102650.50 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.02.2022, 21.02.2022 एवं 07.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	15808380	प्रा०वि० पूरे शुकुलपुर में कार्याकल्प का कार्य	09.07.19 23.01.20 24.01.20	90000 89818 -	- - 34300
2	20142117	प्रा०वि० पूरे शुकुलपुर में टाइल्स एवं रंगई कार्य	02.30.20 02.03.20 10.12.19	14463 23310 124964	- - -
3	15808397	विभिन्न मजरो में सोकपिट निर्माण कार्य	21.03.20	131465	-
4	20226533	विभिन्न मजरो में सोकपिट निर्माण कार्य	09.02.20	144700	-

5	9027026	प्रा0वि0 घांचाबीकापुर में एवं शौचालय में टाइल्स कार्य	18.02.20 20.02.20	33411 -	- 39516
6	13227398	पुरैनीपुरवा गढढे से रामगुलाम के घर तक खडन्जा कार्य	25.06.19 25.06.19 25.06.19 25.06.19	67587 16000 32900 8740	- - - -
7	13227397	पुरैनीपुरवा में प्रधानमंत्री सड़क से हरीराम के घर तक खडन्जा कार्य	25.06.19 25.06.19 25.06.19	87473 15900 20182	- - -
8	9027010	बढईपुरवा में खडन्जा निर्माण कार्य	25.10.19 25.10.19	60474 11760	- -
9	20142137	प्रा0वि0 पूरे शुकुलपुर में बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण कार्य	20.12.19 24.02.20	136696 8759	- -
10	15808432	घांचा बीकापुर गली निर्माण हेतु इ0ला0 कार्य	09.02.20 24.02.20	181070 32397	- -
11	20579269	प्रा0वि0 घांचाबीकापुर डीह में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय निर्माण	16.02.20 25.01.20	- 221892	9800 -
12	20579272	प्रा0वि0 पुरैनी में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय निर्माण	16.02.20 25.01.20	- 221892	9800 -
13	20579270	प्रा0वि0 पूरे शुकुलपुर में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय निर्माण	16.02.20 25.01.20	- 221892	9800 -
14	15808454	प्रधानमंत्री सड़क से सूबेदार के घर तक इ0ला0 कार्य	21.03.20 21.03.20	110000 46000	- -
15	9027006	तुलसी के घर से उत्तर खडन्जा तक खडन्जा कार्य	25.10.19 25.10.19	17265 13020	- -
16	15808423	प्रशासनिक मद	05.09.19 30.01.20	3000 37650	- -
17	15808422	प्रधान मानदेय	14.03.20	-	38500
18	20142135	प्रधान मानदेय	14.03.20	-	42000
19	15808434	घांचा हरिजन बस्ती में गली निर्माण हेतु इ0ला0 कार्य	21.03.20 21.03.20	46000 110000	- -
20	20914215	हैण्डपम्प उच्चीकरण कार्य	03.03.20	37296	-
21	15808423	डी0आर0डी0ओ0 गोण्डा	19.09.20	2000	-
22	15808431	विभिन्न मजरो में नल मरम्मत	21.03.20	60000	-
23	15808398	बबुरही से कुडराघाट तक नाला सफाई	23.03.20	123200	-
24	20142136	प्रा0वि0 शुकुलपुर में इ0ला0 कार्य	02.03.20	21016	-

25	15808379	घांचा मध्य गली निर्माण हेतु इ०ला० कार्य	03.03.20	190030	-
26	20142133	पंचायत भवन कैम्पस में इ०ला० कार्य	03.03.20	183008	-
27	15808379	प्रा०वि० बीकापुर मौझरी में कायाकल्प कार्य	03.03.20	148736	-
28	9027006	तुलसी के घर से उत्तर खड्गजा तक खड्गजा कार्य	05.12.19	-	21504
29	9027010	बढईपुरवा में खड्गजा निर्माण कार्य	05.12.19	-	23114
30	20142136	प्रा०वि० पूरे शुकुल कैम्पस में इ०ला० कार्य	20.12.19	205682	-
31	20142128	प्रा०वि० पूरे शुकुलपुर में चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण	21.03.20	33635	-
32	15808446	पक्की सड़क से पुरानी दुर्गा मन्दिर तक खड्गजा कार्य	23.03.20	134400	-
33	15808453	पुरैनीपुरवा में भूमिगत नाली निर्माण कार्य	23.03.20	123200	-
34	15808436	मनदेवा गली में खड्गजा निर्माण कार्य	23.03.20	134400	-
35	20914214	प्रा०वि० घांचा बीकापुर में इ०ला० रोड निर्माण कार्य	31.03.20	-	7200
36	-	-----	-	89833.50	-
योग:-				3867116.50	235534
सकल योग:-				4102650.50	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत घांचा बीकापुर के वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹0 4102650.50 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी, सचिव श्री घनश्याम निषाद से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-दुफेडिया

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-115

ग्राम पंचायत दुफेडिया, विकास खण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 1397892 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.02.2022, 21.02.2022 एवं 07.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	15786116	ग्राम पंचायत में सोतिया तालाब में जल भराई	26.06.19	36750	-	36750
2	15786115	हैण्ड पम्प मरम्मत	26.06.19	40000	-	40000
3	15786117	प्रशासनिक व्यय	26.06.19	3000	-	3000
4	15786121	प्रधान मानदेय	07.03.20	-	35000	35000
5	8551233	पू० मा० वि० मरम्मत	26.06.19	28038	-	28038
			26.06.19	104711	-	104711
			26.06.19	21480	-	21480
			26.06.19	-	101472	101472
6	15786125	प्रा०वि० में टाइल्स एवं रंगाई कार्य	26.06.19	16744	-	16744
			26.06.19	55440	-	55440
			26.06.19	24640	-	24640
			26.06.19	40768	-	40768
			30.11.19	-	37100	37100
7	19634786	खड़न्जा निर्माण रामकृपाल के घर से अहिबरन के घर तक	21.11.19	26948	-	26948
			24.12.19	-	13825	13825
			09.01.20	6000	-	6000
8	196.4789	खड़न्जा मरम्मत पक्की सड़क से इन्दर के घर तक	21.11.19	37758	-	37758
			25.12.19	-	19250	19250
			09.01.20	8500	-	8500
9	19634787	खड़न्जा मरम्मत पक्की सड़क से देवीप्रसाद के घर तक	21.11.19	26796	-	26796
			24.12.19	-	13825	13825
			09.01.20	6000	-	6000
10	19634788	खड़न्जा मरम्मत काली स्थान से ऋषि पण्डित के घर तक	21.11.19	30450	-	30450
			24.12.19	-	12425	12425
			09.01.20	7000	-	7000
11	19634792	खड़न्जा मरम्मत पक्की सड़क से जगेश्वर सिंह के घर तक	21.11.19	25882	-	25882
			25.12.19	-	13300	13300
			09.01.20	6500	-	6500
12	19634793	प्रा०वि० में टाइल्स एवं इ०ला० कार्य सड़क से स्कूल तक	23.11.19	148289	-	148289
			23.11.19	57749	-	57749
			25.02.20	-	33600	33600

13	19634790	प्रा०वि० में बाउण्ट्री वाल निर्माण	22.12.19	277534	-	277534
14	15786119	खड़न्जा निर्माण पाण्डेपुरवा खड़न्जा से देवप्रकाश पाण्डे के घर तक	22.02.20	81118	-	81118

योग:- 1118095 279797 1397892

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत दुफेड़िया के वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹0 1397892.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, सचिव श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-होल्लापुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-116

ग्राम पंचायत होल्लापुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2019-20 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0 1607738 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 21.02.2022, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	14291557	प्रधान मानदेय	11.01.20	-	31500	31500
			26.03.20	-	10500	10500
2	15567742	प्रा०वि० सोनवरसा में कायाकल्प	01.07.19	28000	-	28000
			02.07.19	40000	-	40000
			04.07.19	43590	-	43590
3	19110885	वीरेन्द्र सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	06.02.20	-	7504	7504
			24.01.20	21504	-	21504
4	19110868	हरिहर के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	06.02.20	-	7504	7504
			24.01.20	21504	-	21504
5	15567754	होल्लापुर प्रा०वि० पर हैण्डपम्प रीबोर	24.01.20	21504	-	21504

6	19110873	गालर कोरी के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	24.01.20	21504	-	21504
7	14291586	प्रशासनिक मद	09.07.19	3000	-	3000
			09.07.19	19400	-	19400
			19.09.19	2000	-	2000
8	19539585	जू०हा० सोनवरसा में चाइल्ड फ्रैण्डली शौ० कार्य	14.11.19	162400	-	162400
			14.11.19	50400	-	50400
9	19110870	ओघरवा तालाब में पानी भराई	19.06.19	14250	-	14250
			29.06.19	15300	-	15300
10	19110867	कुड़वा तालाब में पानी भराई	26.06.19	30000	-	30000
			26.06.19	12000	-	12000
11	19110869	कुर्सीए मेजए आलमारीए आदि पेंटिंग	19.10.19	32700	-	32700
			30.01.20	27000	-	27000
12	8747193	प्रा०वि० होल्लापुर में कार्य कल्प	08.04.19	25000	-	25000
13	14291587	विभिन्न् मजरो में हैण्डपम्प मरम्मत	15.12.19	100800	-	100800
14	1919288	बेबी फ्रैण्डली शौ० निर्माण	05.04.19	5300	-	5300
15	8747186	बेबी फ्रैण्डली शौ० निर्माण	05.04.19	29700	-	29700
16	8747192	प्रा०वि० होलापुर में बाउण्ड्रीवाल	06.04.19	-	16100	16100
17	8747196	प्रा०वि० सोनवरसा में चाइल्ड फ्रैण्डली शौ० निर्माण	06.04.19	-	37275	37275
18	19110882	ग्रा०पं० में कूड़ेदान इस्टबिन आदि	09.07.19	85000	-	85000
19	19110875	जू०हा० सोनवरसा में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	15.01.20	369600	-	369600
20	15567745	प्रा०वि० होल्लापुर परिसर में इ०ला० कार्य	23.03.20	130511	-	130511
21	-----	जे०हा० एवं प्रा०वि० मरम्मत एवं टाइल्स	27.11.19	-	35280	35280
22	15567757	प्रा०वि० होल्लापुर में अवशेष बाउण्ड्री वाल निर्माण	29.03.20	150080	-	150080
23		बैंक चार्ज		28	-	28

योग:- 1462075 145663 1607738

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवंउत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

रू० 1607738.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री नकछेद, सचिव श्री अतुल रंजन से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-रांगी

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-117

ग्राम पंचायत रांगी, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० 3120320 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 21.02.2022, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	41143875	बेसैधा खड़न्जा से राम बिलास शास्त्री के घर तक खड़न्जा कार्य	04.12.20 23.11.20 01.12.20	18870 109620 24360	25326 - -
2	42143363	पक्की सड़क से अशोक कुमार के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य	04.12.20 23.11.20	18870 103530	- -
3	42101280	विभिन्न मजरो में 8 नग सोख्ता निर्माण कार्य	04.12.20 23.11.20 21.12.20	47478 109254 52212	27768 - -
4	21237307	तिलकराम के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	07.12.20	8900	-
5	20127799	समयदीन के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर	07.12.20	8900	-
6	21237308	शिवविलास के घर के पास हैण्ड पम्प रीबोर	07.12.20	8900	-
7	42101839	झगड़ू कक घर के पास हैण्ड पम्प रीबोर	23.11.20	28187	-
8	42101649	अवधेश के घर के पास हैण्ड पम्प रीबोर	23.11.20	28187	-
9	42100719	विभिन्न मजरो में हैण्ड पम्प मरम्मत	23.11.20	62340	-
10	42146831	आर०सी०सी० सड़क से अमरेश के घर तक इ०ला० कार्य	23.11.20 21.12.20	67312 15254	10962 -
11	42142187	विभिन्न मजरो में सोख्ता निर्माण कार्य	21.12.20 21.12.20	24544 27768	- -

			07.12.20	129355	-
12	21032421	विभिन्न मजरो में सोख्ता निर्माण कार्य	18.07.20	35000	28590
13	44556362	सामुदायिक शौचालाय निर्माण कार्य	03.09.20	302400	-
			28.09.20	145000	-
14	44556377	सामुदायिक शौचालाय निर्माण कार्य	14.10.20	145600	20160
			17.11.20	60000	30240
			17.11.20	30000	-
			18.12.20	20000	-
			18.12.20	13000	-
15	43947039	आंगनवाडी भवन रांगी का कायाकल्प कार्य	18.12.20	10539	25088
			18.12.20	-	15960
16	42145796	प्रशासनिक मद	12.10.20	3454	-
			28.09.20	50000	-
17	42100479	प्रधान मानदेय	28.09.20	-	21000
			21.10.20	-	7000
			23.12.20	-	3500
18	43946975	ईश्वर शरण के घर से शिवपूजन के घर तक इलाका कार्य	25.07.20	33000	8927
19	43946962	रामशंकर के घर से पक्की सड़क तक इलाका कार्य	25.07.20	25000	17556
20	43946988	श्याम सुन्दर के घर से पक्की सड़क तक इलाका कार्य	25.07.20	51000	20467
21	44556405	पंचायत भवन निर्माण कार्य	23.12.20	303240	-
			23.12.20	452334	-
			23.12.20	284368	-
योग:-				2857776	262544
योग:-				3120320	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत रांगी के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 3120320.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जगदीश शरण पाण्डेय, सचिव श्री अभिषेक विश्वकर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-गडौली

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-118

ग्राम पंचायत गडौली, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो

है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 673039 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	15785870	हैण्ड पम्प मरम्मत	01.06.20	75000	-
2	40278699	विभिन्न मजदूरों में हैण्ड पम्प मरम्मत	30.09.20	55100	-
3	41042566	ग्राम पंचायत में 5 नग सोखता निर्माण	03.12.20	74536	-
4	45299062	ग्राम पंचायत में सोखता निर्माण	19.12.20	69168	-
5	40277948	प्रशासनिक मद	03.12.20	3454	-
			03.12.20	400	-
			14.12.20	3454	-
			22.12.20	20000	-
6	41044045	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	11.09.20	147294	-
			15.09.20	130200	-
			20.10.20	73433	-
7	40278410	प्रधान मानदेय	30.09.20	21000	-
योग:-				673039	-

सकल योग:- 673039

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत गड़ौली के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 673039.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जमुना प्रसाद, सचिव श्री सुरेश कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-ब्यौदा उपरहर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-119

ग्राम पंचायत ब्यौदा उपरहर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार

वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 1464271 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.02.2022, 21.02.2022 एवं 07.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	39433991	प्रधान मानदेय	05.11.20	-	35000
2	39434520	विभिन्न मजदूरों में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	07.10.20	42802	-
3	44889920	ग्राम पंचायत ब्यौदा उपरहर में सचिवालय में टाइल्स कार्य	05.11.20	97137	-
4	39432209	चन्द्रभान के घर से नाला तक भूमिगत नाली निर्माण	05.12.20 24.12.20 05.12.20	12364 30620 39963	- - -
5	39432209	काली स्थान पर हैण्डपम्प रीबोर कार्य	07.10.20	24100	-
6	45155040	राजकरन सिंह के घर के पास हैण्ड पम्प रीबोर कार्य	01.12.20	25453	-
7	39433805	आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य	15.07.20 20.07.20 28.07.20	51520 51520 96960	- - -
8	44889905	ब्यौदा उपरहर में सचिवालय व शौचालय मरम्मत कार्य	20.10.20 24.11.20 29.10.20	133635 21336 41686	- - -
9	44221515	ब्यौदा उपरहर में आंगनवाड़ी केन्द्र पर शौचालय, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प कार्य	24.11.20 25.09.20 26.09.20	31831 35000 30000	- - -
10	39773827	प्रशासनिक मद	24.11.20 25.09.20 20.11.20	400 3454 40115	- - -
11	44221806	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	24.10.20 24.11.20 01.09.20 01.10.20	99250 - 54294 15100	- 25200 - -
12	42468320	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	06.09.20 21.09.20 25.10.20	101891 43083 25000	- - -

			30.07.20	149333	-
13	15788058	जू0 हाईस्कूल में बाउण्ड्री वाल	25.05.20	-	7560
		निर्माण कार्य	12.05.20	-	7200
			25.05.20	74005	-
			25.05.20	17459	-
		योग:-	1389311	74960	
		सकल योग:-		1464271	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत ब्यौदा उपरहर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू० 1464271.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम बहादुर, सचिव श्री घनश्याम निषाद से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-चौबेपुर प्रस्तर संख्या-120

विकास खण्ड- तरबगंज

ग्राम पंचायत चौबेपुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० 3375413 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.02.2022, 21.02.2022 एवं 07.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	13381222	प्रा०वि मरम्मत	28.06.19	-	58275	58275
2	8552130	जू०हा० मरम्मत	28.06.19	53129	-	53129
3	15629474	प्रधान मानदेय	07.01.20	-	31500	31500
4	15629504	प्रशासनिक व्यय	11.01.20	3000	-	3000
			20.01.20	34060	-	34060
5	20538184	अन्त्येष्टि स्थल विकास कार्य	28.01.20	198400	-	198400
			28.01.20	73500	-	73500
			29.01.20	95550	-	95550
			29.01.20	64050	-	64050

			29.01.20	69825	-	69825
			30.01.20	189000	-	189000
			30.01.20	37396	-	37396
			31.01.20	189000	-	189000
			15.03.20	122425	-	122425
			17.03.20	107800	-	107800
			31.03.20	-	118587	118587
			31.03.20	227340	-	227340
			31.03.20	387323	-	387323
			31.03.20	84561	-	84561
			31.03.20	171047	-	171047
6	15629505	पंचायत भवन मरम्मत	28.06.19	92019	-	92019
			02.12.19	-	27650	27650
7	15629509	जूहा मरम्मत	28.06.19	372796	-	372796
			02.12.19	-	86975	86975
8	15629516	प्रा०वि० गुलाब सिंह में चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण	26.11.19	268005	-	268005
9	15629545	हैण्डपम्प रीबोर देव प्रकाश चौबे के घर के पास	30.11.19	24500	-	24500
10	15629546	हैण्डपम्प रीबोर बहादुर के घर के पास	30.11.19	24500	-	24500
11	19870388	ग्रा०पं० में सोकपिट निर्माण	06.12.19	163200	-	163200

योग:- 3052426 322987 3375413

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत चौबेपुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 3375413.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता सिंह, सचिव श्री अमित मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-अकबरपुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-121

ग्राम पंचायत अकबरपुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 965227 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक

21.02.2022, 07.03.2022 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आईडी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	42620460	प्रशासनिक व्यय	04.10.20	3454	-	3454
			25.12.20	10560	-	10560
2	45383874	मंशापुरवा में शंकरसरन के घर से ओंकार के पाही तक खड्गजा कार्य	25.12.20	78563	-	78563
			25.12.20	14200	-	14200
3	42628949	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	27.10.20	61557	-	61557
			05.12.20	46612	-	46612
			05.12.20	59113	-	59113
			05.12.20	53800	-	53800
			06.09.20	114160	-	114160
			06.09.20	17290	-	17290
			25.12.20	25000	-	25000
			25.12.20	43400	-	43400
			06.09.20	143916	-	143916
4	45383880	पाण्डेय बगिया से रमेश के बाग तक खड्गजा कार्य	22.10.20	48598	-	48598
5	42577896	प्रधान मानदेय	22.10.20	-	31500	31500
6	45535878	इन्दर के घर से सीताराम के खेत तक इ०ला० कार्य	25.12.20	178004	-	178004
7	42578220	विभिन्न मजदूरों में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	25.12.20	35500	-	35500

योग:- 933727 31500 965227

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत अकबरपुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू० 965227.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनलता, सचिव श्री घनश्याम निषाद से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-घांचा बीकापुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-122

ग्राम पंचायत घांचा बीकापुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर

प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0 4464584 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.02.2022, 21.02.2022 एवं 07.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	41751377	सामुदायिक शौचालय निर्माण	05.11.20	-	17280
			13.10.20	129544	-
			31.07.20	393037	-
2	15808397	विभिन्न मजदूरों में सोकपिट निर्माण कार्य	16.10.20	36053	-
			16.10.20	28375	-
			19.07.20	-	54546
			22.11.20	73528	-
3	41745622	प्रा0वि0 घांचाडीह में अतिरिक्त कक्ष मरम्मत कार्य	21.12.20	46997	-
			22.11.20	49616	-
			22.10.20	92400	-
4	41654104	प्रशासनिक मद	16.10.20	62000	-
			23.10.20	3454	-
			24.12.20	211560	-
			24.12.20	400	-
5	20226533	प्रशासनिक मद	05.05.20	71000	-
6	4165822	घांचाडीह में सोखता निर्माण कार्य	21.12.20	160954	-
			24.12.20	159776	-
7	15808431	विभिन्न मजदूरों में हैण्ड पम्प मरम्मत	02.07.20	22500	-
8	41653658	विभिन्न मजदूरों में हैण्ड पम्प मरम्मत	22.11.20	84762	-
9	20914215	विभिन्न मजदूरों में हैण्ड पम्प मरम्मत	22.11.20	7732	-
			22.11.20	-	4974
10	9027017	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	02.06.20	61144	-
			02.06.20	-	73900
11	20914214	प्रा0वि0 घांचा बीकापुर में इ0ला0 कार्य	02.06.20	-	7118
			05.05.20	220227	-
12	41654755	प्रा0वि0 बीकापुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	21.12.20	56782	-
			22.12.20	70140	-

13	20142129	प्रा0वि0 पुरैनी में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय निर्माण कार्य	24.12.20	37000	-
14	41748769	चन्द्रभान के घर से ओम बाबू के घर तक इ0ला0 कार्य	24.12.20	37000	-
15	41694079	लमिया के घर से तालाब तक भूमिगत नाली निर्माण	05.11.20	122808	-
16	41749611	पक्की सड़क से बीकापुर स्कूल तक खड्गजा कार्य	24.12.20	169657	-
17	41658130	प्रधान मानदेय	24.12.20	-	31500
18	41750401	पंचायत भवन में शौचालय व बिजली कार्य	24.12.20	169717	-
19	41747461	इ0ला0 से लाकोत के घर तक इ0ला0 कार्य	24.12.20	164953	-
20	44946887	सामु0शौचा0 पर इ0ला0 कार्य	24.12.20	171158	-
21	41749341	पक्की सड़क से हरिजन बस्ती तक इ0ला0 कार्य	21.12.20	163542	-
22	44946897	सामु0 शौचा0 से तालाब तक भूमिगत नाली निर्माण	21.12.20	70473	-
23	41685231	कुर्मीपुरवा खड्गजा से शंकर के घर तक इ0ला0 कार्य	21.12.20	164953	-
24	41690467	पक्की सड़क से सूर्य नारायण के घर तक खड्गजा	24.12.20	169717	-
25	41751261	ग्राम पंचायत में सेनिटाइजेशन	01.08.20	35000	-
26	15808432	घांचाडीह गली निर्माण हेतु इ0ला0 कार्य	02.06.20	5600	-
27	15805433	घांचा मध्य गली इ0ला0 कार्य	02.06.20	-	8816
28	20142132	प्रा0वि0 घांचाडीह में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय निर्माण	02.06.20	-	9270
29	20142133	पंचायत भवन घांचाडीह में इ0ला0 कार्य	02.06.20	-	4512
30	15808379	प्रा0वि0 बीकापुर मौझरी में कायाकल्प कार्य	02.07.20	43600	-
31	15808454	प्रधानमंत्री सड़क सूबेदार के घर तक इ0ला0 कार्य	02.07.20	17000	-
32	41655406	आंगनवाडी घांचा में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	03.11.20	97580	-
33	15808443	पक्की सड़क से होलिक तक इ0ला0 कार्य	05.05.20	221624	-
34	20579269	प्रा0वि0 घांचाडीह में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय निर्माण	05.05.20	36000	-

35	15808446	पक्की सड़क से पुरैनी दुर्गा मन्दिर तक खडन्जा निर्माण कार्य	14.06.20	6244	-
36	15808434	घांचा हरिजन बस्ती गली में इ0ला0 कार्य	14.06.20	11000	-
			14.06.20	54383	-
37	36895759	बीकापुर में नाली निर्माण	22.11.20	151200	
योग:-			4252668	211916	
योग:-			4464584		

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत घांचा बीकापुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 4464584.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी, सचिव श्री घनश्याम निषाद से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-दुफेडिया

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-123

ग्राम पंचायत दुफेडिया, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1598759 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 07.02.2022, 21.02.2022 एवं 07.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	42522699	प्रा०वि० में वाश बेसिन स्थापना कार्य	06.11.20	27120	-	27120
			06.11.20	-	5250	5250
			20.12.20	47600	-	47600
2	42521635	प्रा०वि० लच्छीपुर में वाश बेसिन स्थापना कार्य	06.11.20	27183	-	27183
			06.11.20	-	5250	5250
			20.12.20	47600	-	47600
3	42524661	खड्न्जा मरम्मत सी०सी० रोड से सन्तोष के घर तक	12.09.20	19488	-	19488
			25.09.20	9000	-	9000
			12.11.20	-	11000	11000

4	42523971	खड़न्जा मरम्मत राम सजीवन के घर से सी0सी0 रोड तक	12.09.20	19488	-	19488
			25.09.20	9000	-	9000
5	42519537	हैण्ड पम्प मरम्मत	25.09.20	45120	-	45120
6	42523495	खड़न्जा निर्माण खड़न्जा से जगदम्बा के घर तक	12.11.20	51003	-	51003
			12.11.20	8500	-	8500
			12.11.20	-	10000	10000
7	42525793	खड़न्जा निर्माण रामदेव के घर से परशुराम के घर तक	13.12.20	80844	-	80844
			20.12.20	-	16200	16200
			20.12.20	13800	-	13800
8	42518021	प्रधान मानदेय	14.11.20	-	24500	24500
9	42532697	प्रशासनिक व्यय	16.12.20	3434	-	3434
			18.11.20	400	-	400
10	42520272	सामुदायिक शौचालय निर्माण	20.12.20	13671	-	13671
			20.12.20	61557	-	61557
			20.12.20	53500	-	53500
			20.12.20	25000	-	25000
11	42529452	प्रा0वि0 लच्छीपुर कैम्पस में इ0ला0 रोड निर्माण	20.12.20	41401	-	41401
			20.12.20	38134	-	38134
			20.12.20	93139	-	93139
			20.12.20	-	15100	15100
			20.12.20	4200	-	4200
12	42520272	सामुदायिक शौचालय निर्माण	13.10.20	120906	-	120906
			13.10.20	17290	-	17290
			15.10.20	104160	-	104160
			05.11.20	42415	-	42415
			05.11.20	92785	-	92785
13	42531152	जू0हा0स्कूल कैम्पस में इ0ला0 रोड निर्माण	20.12.20	93139	-	93139
			20.12.20	-	15100	15100
			20.12.20	4220	-	4220
			20.12.20	41401	-	41401
14	42531470	नाली निर्माण त्रिलोकी के घर से भोरे के घर तक	20.12.20	38134	-	38134
			13.12.20	52153	-	52153
			13.12.20	57213	-	57213
15	42532697	प्रशासनिक व्यय	20.12.20	-	19900	19900
			18.11.20	72461	-	72461

योग:- 1476459 122300 1798759

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8

ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवंउत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत दुफेड़िया के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 1598759.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, सचिव श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-बनगाँव

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-124

ग्राम पंचायत बनगाँव, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 2613356 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 22.11.2021, 25.11.201 एवं 03.12.2021 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	41504768	सामुदायिक शौचालय	01.08.20	404064	-	404064
			24.11.20	200171	-	200171
			24.11.20	52000	-	52000
			24.11.20	76000	-	76000
2	44993888	नन्हे के घर से गांव के बाहर तक इं०ला० कार्य	09.11.20	123625	-	123625
			18.12.20	46416	-	46416
3	45125767	जन सेवा केन्द्र स्थापना हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण	03.12.20	246245	-	246245
			18.12.20	12980	-	12980
			18.12.20	80776	-	80776
4	44993810	मेन रोड से सामु० शौचालय तक इं०ला० कार्य	03.12.20	124320	-	124320
			18.12.20	48710	-	48710
5	41366515	भयापुरवा में भूमिगत नाली निर्माण	09.11.20	123625	-	123625
			18.12.20	46416	-	46416
6	44422826	प्रा०वि० कोडरी में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय निर्माण	10.09.20	65917	-	65917
			18.11.20	-	10800	10800
7	44422810	प्रा०वि० कोडरी में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय के अवशेष भाग का निर्माण	10.09.20	65917	-	65917
			18.11.20	-	10800	10800
8	44422838	प्रा०वि० चन्दसुहा में चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय के अवशेष भाग का निर्माण	10.09.20	65917	-	65917
			18.11.20	-	10800	10800

9	44422852	प्रा०वि० कचनापुर में बाउण्डी	11.09.20	97807	-	97807
		वाल निर्माण	13.09.20	6900	-	6900
10	44904547	प्रशासनिक मद	18.10.20	35000	-	35000
			18.10.20	3454	-	3454
			18.10.20	26900	-	26900
11	45125757	पंचायत भवन मरम्मत	18.12.20	108058	-	108058
			18.12.20	17000	-	17000
			18.12.20	25000	-	25000
12	41415199	हैण्डपम्प मरम्मत	18.12.20	67000	-	67000
13	41415379	हैण्डपम्प मरम्मत	18.12.20	37000	-	37000
14	41369464	हैण्डपम्प रीबोर	25.12.20	26500	-	26500
15	44993863	हैण्डपम्प रीबोर	25.12.20	26500	-	26500
16	41370539	हैण्डपम्प रीबोर	25.12.20	26500	-	26500
17	44993877	हैण्डपम्प रीबोर	25.12.20	26500	-	26500
18	28190410	प्रधान मानदेय	17.07.20	42000	-	42000
19	45336789	कनकपाल के घर से गाँव के	18.12.20	170840	-	170840
		बाहर तक इ०ला० कार्य				
20	15629186	महादेव के घर से पक्की सड़क	18.10.20	6480	-	6480
		तक इ०ला० कार्य				
21	15629156	पक्की सड़क से ऋषि सैनिक	18.10.20	6480	-	6480
		स्कूल तक इ०ला० कार्य				
22	15629198	रामजन के घर से शौकत के	18.11.20	41938	-	41938
		घर तक इ०ला० कार्य				

योग:- 2580956 32400 2613356

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत बनगाँव के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 2613356.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा, सचिव श्री घनश्याम निषाद एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-विशुनपुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-125

ग्राम पंचायत विशुनपुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 926028 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 22.11.2021, 25.11.2021 एवं 03.12.2021 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	भुगतान हेतु धनराशि
1	44633144	सामुदायिक शौचालय	01.10.20 12.09.20 27.09.20 27.09.20	40384 64735 24680 26000
2	41513333	पंचायत भवन मरम्मत व कार्याकल्प	11.11.20 26.11.20	71104 51063
3	45368946	शिव कुमार के घर से भगवती के घर तक नाली निर्माण	15.12.20 15.12.20	60000 37238
4	41512675	हैण्डपम्प रीबोर	04.07.20	23400
5	41512717	हैण्डपम्प रीबोर	04.07.20	23400
6	11512751	हैण्डपम्प रीबोर	04.07.20	23400
7	41512833	हैण्डपम्प रीबोर	10.08.20	25400
8	36985393	हैण्डपम्प मरम्मत	04.07.20 04.07.20	55000 80000
9	41511662	कोविड-19 किट	12.10.20	3454
10	15628918	प्रधान मानदेय	12.05.20	10500
11	15628907	प्रशासनिक मद	12.05.20	10080
12	41511749	सामुदायिक शौचालय निर्माण	02.09.20	250830
13	44620704	बाबूरामपुरवा से प्रा0वि0 तक इ0ला0 कार्य	25.10.20	45360
योग:-				926028

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत विशुनपुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 926028.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती, सचिव श्री घनश्याम निषाद एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-गौहानी**विकास खण्ड- तरबगंज****प्रस्तर संख्या-126**

ग्राम पंचायत गौहानी, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 1946450 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 13.01.2022 एवं 27.01.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	भुगतान हेतु धनराशि
1	44912634	पंचायत भवन निर्माण	19.12.20 19.12.20 19.12.20 19.12.20 19.12.20 19.12.20 19.12.20 19.12.20 24.10.20 24.12.20 24.12.20	20160 36400 85747 6809 120041 20876 63840 63840 97216 69440 97216
2	8747364	द्वारिका के घर से साबिर के घर तक इ0ला0 कार्य	16.04.20 16.04.20	61600 25900
3	41979697	प्रशासनिक मद	01.08.20 11.10.20 11.12.20	40000 3454 400
4	41979534	सामुदायिक शौचालय	07.09.20	382764
5	44912626	सामुदायिक शौचालय	11.12.20 11.12.20 27.11.20 20.11.20 20.10.20	42000 69864 58000 129680 72000
6	19414425	प्रा0वि0 शिवलालपुरवा में इ0ला0 कार्य	26.06.20 16.04.20	24892 15247
7	41978220	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत	18.08.20	49000

8	41971699	प्रधान मानदेय	24.12.20	31500
9	41978482	आंगनवाड़ी भवन पर हैण्डपम्प, शौचालय निर्माण	26.10.20	106000
10	41979842	योजना/पेंटिंग	11.12.20	27240
11	41979842	तकनीकी व प्रशासनिक खाते में भुगतान	11.12.20	112345
12	19849635	प्रा०वि० शिवलालपुरवा के अतिरिक्त कक्ष मरम्मत	26.09.20	12979

योग:- 1946450

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत गौहानी के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 1946450.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी, सचिव श्री घनश्याम निषाद एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-रानीपुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-127

ग्राम पंचायत रानीपुर, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 1216006 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 11.10.2021, 22.11.2021 एवं 27.01.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी० सं०	कार्य का नाम	क्रय सामग्री	श्रमांश
1	17405242	अन्येष्टि स्थल का विकास	157586	10500
2	42354302	सामुदायिक शौचालय	457727	19600
3	44612973	सामुदायिक शौचालय	122702	56100
4	15707788	प्रधान मानदेय		10500
5	42354395	प्रधान मानदेय		21000
6	42353166	प्रा०वि० रानीपुर में बाउण्ड्रीवाल	124800	
7	42345679	हैण्डपम्प रीबोर	20507	
8	42345563	हैण्डपम्प रीबोर	20507	
9	42345307	हैण्डपम्प रीबोर	20507	
10	42345416	हैण्डपम्प रीबोर	20507	
11	42345816	हैण्डपम्प रीबोर	20507	

12	44613012	हैण्डपम्प रीबोर	24579		
13	44613039	हैण्डपम्प रीबोर	24579		
14	44612990	हैण्डपम्प रीबोर	24579		
15	42344515	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प	55365		
		मरम्मत			
16	42356796	निविदा	3854		
		योग:-	1098306	117700	

सकल योग:- 1216006

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत रानीपुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 1216006.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी सचिव श्री अमित मिश्रा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता सिंह एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०- 01)**

ग्राम पंचायत-असरथा

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-128

ग्राम पंचायत असरथा, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 785580 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 22.11.2021, 27.01.2022 एवं 10.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	40246415	प्रशासनिक मद	06.09.20	3000	-	3000
			06.09.20	3000	-	3000
			06.11.20	3500	-	3500
			08.09.20	15000	-	15000
			08.09.20	15000	-	15000
			08.09.20	15000	-	15000
			30.11.20	5500	-	5500
2	40246541	प्रधान मानदेय	24.12.20	-	10500	10500
			28.07.20	-	31500	31500

			28.07.20	-	42000	42000
			28.07.20	-	10500	10500
3	40611673	विभिन्न मजराओं में हैण्ड पम्प मरम्मत	18.10.20	33000	-	33000
			24.08.20	31736	-	31736
4	45366969	प्रा०वि० असरथा का मरम्मत कार्य	24.12.20	25000	-	25000
5	45366660	भूमिगत नाली	24.12.20	10000	-	10000
6	45366933	भूमिगत नाली	24.12.20	25000	-	25000
7	45366610	नाली निर्माण	24.12.20	33500	-	33500
			24.12.20	58000	-	58000
			24.12.20	-	7877	7877
			24.12.20	-	4765	4765
			24.12.20	-	11235	11235
8	40626089	सामुदायिक शौचालय	08.10.20	193300	-	193300
			03.11.20	193300	-	193300
9	16502818	फोटोग्राफ,प्रिन्टआउट	18.10.20	4367	-	4367
योग:-			667203	118377	785580	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत असरथा के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹0 785580.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी सचिव श्री सुनील राम एवं ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-लक्ष्मणपुर

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-129

ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर विकासखण्ड तरबगंज,जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹0 417175 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव,ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 27.01.2022 एवं 10.02.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	42470259	प्रधान मानदेय	01.12.20	-	28000	28000
2	42470182	प्रशासनिक मद	01.12.20	22290	-	22290
			01.12.20	35000	-	35000
			03.12.20	3454	-	3454
			14.12.20	400	-	400
3	15786941	प्रशासनिक मद	12.05.20	5040	-	5040
4	15786942	प्रधान मानदेय	12.05.20	-	10500	10500
5	42470369	हैण्डपम्प मरम्मत	23.07.20	51000	-	51000
6	21184733	काली स्थान से शिवकुमार के घर तक खड़न्जा कार्य	25.11.20	9211	-	9211
7	42470424	सामु० शौचालय	16.09.20	126280	-	126280
			22.09.20	126000	-	126000
योग:-				378675	38500	417175

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 417175.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती अमिता, सचिव श्री सुनील राम एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-चिवरहा

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-130

ग्राम पंचायत चिवरहा, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 593506 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 27.01.2022 एवं 04.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	42537931	सामुदायिक शौचालय	27.11.20	144962	-	144962
			28.11.20	65100	-	65100

			05.11.20	90174	-	90174
			06.11.20	93120	-	93120
			07.12.20	-	21600	21600
2	9658554	नाली मरम्मत मजदूरी	22.07.20	-	9060	9060
			22.07.20	12000	-	12000
3	42521967	निविदा	17.12.20	3454	-	3454
			17.12.20	400	-	400
4	42522361	प्रधान मानदेय	04.11.20	-	42000	42000
5	15784859	तीरथ के घर से प्रा0वि0 तक इं0ला0 कार्य	09.07.20	30000	-	30000
6	9658524	प्रा0वि0 चिवरहा में टाइल्स व मरम्मत	09.07.20	30000	-	30000
7	15784821	हैण्डपम्प रीबोर	22.07.20	-	4886	4886
8	20477571	खड्गजा से कमलेश के घर तक खड्गजा	22.07.20	-	19750	19750
9	20477572	प्रा0वि0 चिवरहा में इं0ला0 कार्य	22.07.20	-	5400	5400
10	20477573	प्रा0वि0 चिवरहा में बाउण्ड्रीवाल	22.07.20	-	21600	21600

योग:- 469210 124296 593506

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत चिवरहा के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 593506.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री स्वामीनाथ, सचिव श्री दिनेश कुमार एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-बौरिहा

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-131

ग्राम पंचायत बौरिहा, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 2511990 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 27.01.2022 एवं 03.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध

फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	42441583	सामुदायिक शौचालय	15.10.20	350000	-	350000
			20.11.20	190000	-	190000
			22.11.20	-	50400	50400
2	45143613	इंटरलाकिंग कार्य	30.11.20	11985	-	11985
3	45143563	इंटरलाकिंग कार्य	25.12.20	63683	-	63683
4	45143466	इंटरलाकिंग कार्य	04.12.20	85223	-	85223
5	45143501	इंटरलाकिंग कार्य	04.12.20	173745	-	173745
6	45143508	इंटरलाकिंग कार्य	18.12.20	145409	-	145409
7	45143647	इंटरलाकिंग कार्य	30.11.20	15785	-	15785
8	45143624	इंटरलाकिंग कार्य	30.11.20	28375	-	28375
9	45149723	इंटरलाकिंग कार्य	30.11.20	31481	-	31481
10	45143637	इंटरलाकिंग कार्य	26.11.20	31481	-	31481
11	45149803	इंटरलाकिंग कार्य	26.11.20	31463	-	31463
12	45149699	इंटरलाकिंग कार्य	26.11.20	31481	-	31481
13	45149709	इंटरलाकिंग कार्य	26.11.20	31481	-	31481
14	42448020	इंटरलाकिंग कार्य	19.12.20	99512	-	99512
15	45143498	इंटरलाकिंग कार्य	05.12.20	173745	-	173745
16	45143596	इंटरलाकिंग कार्य	04.12.20	18959	-	18959
17	45149738	भूमिगत नाली	30.11.20	15785	-	15785
18	45149764	भूमिगत नाली	30.11.20	17881	-	17881
19	45143586	भूमिगत नाली	30.11.20	19769	-	19769
20	45157241	भूमिगत नाली	25.12.20	43126	-	43126
21	45143481	भूमिगत नाली	04.12.20	16595	-	16595
22	45143461	भूमिगत नाली	04.12.20	56231	-	56231
23	42448157	भूमिगत नाली	10.12.20	43066	-	43066
24	45143576	भूमिगत नाली	30.11.20	29456	-	29456
25	45143631	नाली निर्माण	26.11.20	37960	-	37960
26	45149667	नाली निर्माण	30.11.20	29975	-	29975
27	45149813	नाली निर्माण	30.11.20	29694	-	29694
28	45149778	नाली निर्माण	30.11.20	10983	-	10983
29	15660203	हैण्डपम्प रीबॉर	20.11.20	5550	-	5550
30	20869860	हैण्डपम्प रीबॉर	20.11.20	5550	-	5550

31	45143524	हैण्डपम्प रीबॉर	04.12.20	28187	-	28187
32	45157248	हैण्डपम्प रीबॉर	18.12.20	28000	-	28000
33	42445744	हैण्डपम्पमरम्मत	18.12.20	189462	-	189462
34	15660155	हैण्डपम्पमरम्मत	07.05.20	70000	-	70000
35	45143606	प्रा0वि0 में टाइल्स व रंगाई	15.12.20	-	57064	57064
		पुताई कार्य	26.11.20	40009	-	40009
36	15660137	प्रधान मानदेय	20.11.20	-	14000	14000
37	42446043	प्रधान मानदेय	22.12.20	-	17500	17500
			25.12.20	-	14000	14000
38	20954377	सोख्ता निर्माण कार्य	20.11.20	28204	-	28204
39	45143614	प्रा0वि0 में अतिरिक्त कक्ष	30.11.20	10834	-	10834
		मरम्मत				
40	42440165	निविदा	16.12.20	3454	-	3454
			16.12.20	400	-	400
41	45149789	2019-20 के हैण्डपम्प	26.11.20	69600	-	69600
		मरम्मत कार्य				
42	45143655	प्रा0वि0 बौरिहा मरम्मत कार्य	30.11.20	15447	-	15447

योग:- 2359026 152964 2511990

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत बौरिहा के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 2511990.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री आफतदीन, सचिव श्री दिनेश कुमार एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-परास मझवार

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-132

ग्राम पंचायत परास मझवार, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 2287359 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 27.01.2022 एवं 04.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

कार्य	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि

क्र० सं०	आई०डी०			सामग्री	श्रमांश	योग
1	42724541	सामुदायिक शौचालय	18.12.20	139104	-	139104
			18.12.20	16600	-	16600
			19.12.20	465089	-	465089
			18.12.20	12400	-	12400
			19.10.20	60000	-	60000
			18.12.20	-	75360	75360
			19.10.20	40000	-	40000
2	42724874	प्रा०वि० डीहा मरम्मत व टाइल्स	13.12.20	206332	-	206332
			13.12.20	-	36108	36108
3	42725659	मनोज के घर से नीरज के घर तक इंटरलाकिंग	18.12.20	172600	-	172600
			18.12.20	-	18054	18054
4	44725431	नन्हे यादव के घर से पवन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	18.12.20	175000	-	175000
			18.12.20	-	18054	18054
5	42725038	प्रा०वि० मरम्मत व टाइल्स	20.12.20	97272	-	97272
			30.11.20	112041	-	112041
			13.12.20	-	36108	36108
6	42725132	कन्या पाठशाला मरम्मत व टाइल्स	19.12.20	205124	-	205124
			19.12.20	-	36108	36108
7	45228729	सामुदायिक शौचालय सुन्दरीकरण	18.12.20	171587	-	171587
			18.12.20	-	18054	18054
8	42718463	प्रधान मानदेय	20.10.20	-	21000	21000
9	42878321	हैण्डपम्प मरम्मत	30.11.20	92210	-	92210
10	42718406	प्रशासनिक व्यय	14.11.20	35600	-	35600
			18.12.20	24100	-	24100
			14.11.20	3454	-	3454
योग:-				2028513	258846	2287359

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत परास मझवार के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू० 2287359.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती शैल कुमारी, सचिव श्री दिनेश कुमार एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-01)

ग्राम पंचायत-परास पुरवार

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-133

ग्राम पंचायत परास पुरवार, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० 2162277 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 11.11.2021, 22.11.2021 एवं 25.11.2021 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री	धनराशि श्रमांश	योग
1	39935944	पी०डब्लू०डी० रोड से राम नायक के खेत तक खड़न्जा	19.12.20	79170	-	79170
			19.12.20	11133	-	11133
			19.12.20	-	14805	14805
2	44547016	सामुदायिक शौचालय निर्माण	25.12.20	69000	-	69000
			19.12.20	200171	-	200171
			19.12.20	52000	-	52000
3	39984115	बेचू यादव के घर से पंचम यादव के घर तक खड़न्जा	25.12.20	53592	-	53592
			25.12.20	8302	-	8302
4	39988959	बृज किशोर के घर से लखन के घर तक भूमिगत नाली	10.11.20	124275	-	124275
			19.12.20	44559	-	44559
			19.12.20	-	22425	22425
5	39946137	धनलाल के मड़ही से घिराऊ के घर तक खड़न्जा कार्य	10.11.20	109620	-	109620
			19.12.20	14616	-	14616
			19.12.20	-	22425	22425
			19.12.20	17926	-	17926
6	39932787	पी०डब्लू०डी० सड़क से विन्ध्याचल के घर तक खड़न्जा कार्य	10.11.20	73080	-	73080
			19.12.20	13000	-	13000
			19.12.20	21315	-	21315
7	15506132	पी०डब्लू०डी० सड़क से रामजस के घर तक इं०ला० कार्य	12.09.20	9103	-	9103
			12.09.20	30401	-	30401
			14.09.20	-	19548	19548
8	15506113	प्रा०वि० परास पुरवार में फर्श प्लास्टर व दरवाजा	19.09.20	135590	-	135590
			14.09.20	-	64400	64400

9	15506104	प्यारे तालाब से अनिल के घ तक इं०ला० कार्य	14.09.20 22.04.20 22.04.20	- 13534 3853	19548 - -	19548 13534 3853
10	15506136	पी०डब्लू०डी० सड़क से देव के घर तक इं०ला० कार्य	14.09.20 22.04.20 22.04.20	- 30401 9103	19548 - -	19548 30401 9103
11	15506105	जगदीश के घर से अवधेश के घर तक इं०ला०	22.04.20 22.04.20	13091 3633	- -	13091 3633
12	41590246	सामुदायिक शौचालय	01.08.20	404064	-	404064
13	44546969	हैण्डपम्प मरम्मत	19.12.20	96000	-	96000
14	44546945	हैण्डपम्प रीबोर	21.09.20	21000	-	21000
15	41589247	हैण्डपम्प रीबोर	25.12.20	26500	-	26500
16	41589215	हैण्डपम्प रीबोर	25.12.20	26500	-	26500
17	39990825	प्रधान मानदेय	25.12.20	-	31500	31500
18	39989241	ह्यूम पाईप	25.12.20	98000	-	98000
19	39914266	पी०डब्लू०डी० रोड से प्रा०वि० तक इं०ला० कार्य	10.11.20	132092	-	132092
20	39990573	निविदा	14.11.20	3454	-	3454

योग:- 1948078 214199 2162277

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत परास पुरवार के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 2162277.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी, सचिव श्री दिनेश कुमार एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०-01)**

ग्राम पंचायत-गोपसराय

विकास खण्ड- तरबगंज

प्रस्तर संख्या-134

ग्राम पंचायत गोपसराय, विकासखण्ड तरबगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय ₹ 701995 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 11.11.2021 एवं 24.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका,

चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि		
				सामग्री	श्रमांश	योग
1	41034204	प्रधान मानदेय	03.09.20	-	3500	3500
			03.09.20	-	17500	17500
2	41096829	नल रीबोर	04.11.20	2000	-	2000
			17.08.20	25000	-	25000
3	38567934	नल रीबोर	05.11.20	50000	-	50000
			17.08.20	70000	-	70000
			25.12.20	41000	-	41000
4	41034374	प्रशासनिक मद	06.09.20	3000	-	3000
			06.09.20	3000	-	3000
			06.11.20	3400	-	3400
			07.09.20	15000	-	15000
			07.09.20	15000	-	15000
5	41096459	सामु० शौचालय	07.09.20	15000	-	15000
			21.09.20	193300	-	193300
			23.12.20	130700	-	130700
			23.12.20	-	26000	26000
6	45017395	हैण्डपम्प मरम्मत	23.12.20	-	18550	18550
			04.11.20	50000	-	50000
7	45017402	वाल पेन्टिंग	25.12.20	20000	-	20000
8	16502929	फोटोकापी	06.11.20	45	-	45
योग:-				636445	65550	701995

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत गोपसराय के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय ₹ 701995.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती, सचिव श्री अभिषेक विश्वकर्मा एवं तत्कालीन प्रशासक से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-01)

ग्राम पंचायत-सरकाण्ड

विकास खण्ड- इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-135

ग्राम पंचायत सरकाण्ड, विकासखण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार

वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1684999 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 29.01.2022, एवं 26.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	44048244	सामुदायिक शौचालय निर्माण	28.08.2020	57659	-
			27.11.2020	-	68040
			04.09.2020	143502	-
			07.08.2020	123291	-
			07.08.2020	162230	-
			16.12.2020	5277	-
			16.12.2020	185811	-
			18.12.2020	47493	-
2	37404605	प्रधान मानदेय	15.10.2020	-	21000
3	45392917	पंचायत भवन निर्माण	08.02.2021	-	42563
			16.12.2020	194691	-
			16.12.2020	7434	-
4	48421507	पंचायत भवन मरम्मत	15.02.2021	30192	-
			20.03.2021	62282	-
			24.03.2021	20624	-
			24.03.2021	17531	13945
			24.03.2021	-	-
5	45392987	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प से राम सेवक के घर तक भूमिगत नाली निर्माण	16.12.2020	57534	-
			16.12.2020	7739	-
6	45393020	पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय उच्चीकरण कार्य	18.12.2020	84361	-
7	42297322	हैण्डपम्प रीबोर	23.10.2021	72887	-
8	45514059	बेकारू के घर से हाफिज के घर तक खड्गजा कार्य	25.03.2021	2814	-
			25.03.2021	17965	-
			25.03.2021	1740	-
9	45514086	रमेश के घर से छोटेलाल के घर तक खड्गजा कार्य	25.03.2021	43117	-
			25.03.2021	4060	-
			25.03.2021	-	1005
10	21027870	सोखता निर्माण	14.07.2020	25963	-

11	37404762	प्रशासनिक मद	15.10.2020	22000	-
12	48389618	दिव्यांग शौचालय निर्माण	21.03.2021	54960	-
			21.03.2021	30164	-
			24.03.2021	31657	-
13	45209131	चाइल्ड फ्रेंडली शौ० निर्माण	27.11.2020	23468	-
योग:-			1538446	146553	
सकल योग:-			1684999		

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256,256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत सरकाण्ड के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 1684999.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी, सचिव श्री शैलेन्द्र मौर्या से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-अहिरौलिया

विकास खण्ड- इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-136

ग्राम पंचायत अहिरौलिया, विकासखण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1601781.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 29.01.2022 एवं 28.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	45264061	नरेन्द्र के बाग से पंचायत भवन तक इ०ला०	04.12.20	165200	-
2	45264011	हैण्डवाश स्थापना कार्य	04.12.20	65050	-
3	45263933	प्रा०वि० में कायाकल्प	04.12.20	131500	-
			23.12.20	197500	-
4	45263964	सामु० शौचालय का उच्चीकरण	04.12.20	177826	-
			23.12.20	163250	-
			23.12.20	162500	-

5	37241990	प्रधान मानदेय	07.11.20	-	42000
6	45263899	चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण	23.12.20	185700	-
7	45269028	हैण्डपम्प रीबोर	23.12.20	134855	-
8	45264391	मनोज के घर से तालाब तक नाली निर्माण	23.12.20	25200	-
9	45580856	प्रा0वि0 से सरयू नहर तक खड्डजा मरम्मत	25.12.20	151200	-

योग:- 1559781 42000

सकल योग:- 1601781

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत अहिरौलिया के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 1601781.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री कुँवर साहब, सचिव श्री पंकज मौर्या से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-पूरे महा

विकास खण्ड- इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-137

ग्राम पंचायत पूरे महा,विकास खण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1672826 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव,ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 02.01.2021 एवं 10.01.2021 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव,प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट,मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	44995622	अजय के घर से दिनेश के घर तक इ0ला0 कार्य	01.12.20	166738	-
2	19434329	प्रशासनिक मद	09.09.20	8000	-
			22.12.20	5000	-

3	2117332	संतोष के घर से अजय के घर तक इ०ला० कार्य	11.08.20	11200	-
4	42821746	प्रधान मानदेय	18.12.20	-	42000
5	45478730	रमेश के घर से दादू के घर तक इ०ला० कार्य	22.12.20	60500	-
			24.12.20	155000	-
7	44746525	सामु० शौचालय निर्माण	05.10.20	225800	-
			12.11.20	210500	-
8	45478663	सोख्ता गडढा निर्माण	22.12.20	75300	-
9	45478663	ह्यूम पाइप स्थापना	22.12.20	43100	-
10	45478589	कूड़ादान स्थापना	22.12.20	102760	-
11	44746848	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर पर हैण्डपम्प रीबोर	09.10.20	91250	-
12	13573164	बंगलहा के घर से क्षेम के घर तक इ०ला० कार्य	11.08.20	54200	-
13	13573163	संतोष के घर से कृष कुमार के घर तक इ०ला० कार्य	11.08.20	45300	-
14	13573167	जीवन के घर से बाबू सोनकर के घर तक इ०ला० कार्य	11.08.20	55100	-
15	13573165	हजारी के घर से मिश्रीलाल के घर तक इ०ला० कार्य	11.08.20	15250	-
16	13289957	प्रा०वि० पूरे सुकाली में अतिरिक्त कक्ष मरम्मत	11.08.20	30128	-
17	27591838	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर सोख्ता गडढा निर्माण	16.07.20	10200	-
			28.07.20	20500	-
18	21184436	पिच रोड से इ०ला० कार्य	28.70.20	20500	-
19	42821057	सामु० शौचालय निर्माण	30.09.20	224500	-
योग:-			1630826	42000	
सकल योग:-			1672826		

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत पूरे महा के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 1672826.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती फूल कुमारी, सचिव श्री पंकज मौर्या से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-पृथ्वीपालगंज ग्रंट**विकास खण्ड- इटियाथोक****प्रस्तर संख्या-138**

ग्राम पंचायत पृथ्वीपालगंज ग्रंट, विकास खण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 3714627 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 23.11.2021, 02.12.2021, 12.01.2022, 20.01.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	42762763	पू०मा०वि० कार्याकल्प कार्य	02.08.20	174836	-
2	37193807	प्रा०वि० गुसाडीह में चाइल्ड फ्रेंडली शौ०	03.08.20 20.12.20 20.12.20 22.12.20	117229 93382 3234 29400	- - - -
3	42761204	हैण्ड पम्प मरम्मत	20.12.20	51586	10000
4	42763775	तिलकराम के घर से प्यारे के घर तक खड्गजा निर्माण	20.12.20	37800	11200
5	37194484	कालीस्थान पर इ०ला०	20.12.20	58300	-
6	43920279	रामकरन के घर से देवीदीन के घर तक इ०ला० कार्य	13.12.20 13.12.20	106690 3675	- -
7	42761696	सामु० शौचा०	10.12.20 11.12.20 17.10.20 17.10.20	121799 146714 238996 186637	- - - -
8	42765332	अलखराम के घर से राम कुमार के घर तक खड्गजा मरम्मत	22.12.20	45985	17580
9	50073614	प्रा०वि० गुसाडीह में समरसेबल हैण्डवाश निर्माण	28.03.21	79639	-
10	48846341	जू०हा०स्कूल लालाडीह में समरसेबल	28.03.21	79639	-
11	43920232	ग्रा०पं० के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रीबोर	13.12.20 14.12.20	123118 64000	- -
12	48846326	प्रा०वि०लालाडीह में समरसेबल	28.03.21	79639	-
13	48846334	प्रा०वि० पृथ्वीपालगंज ग्रंट में समरसेबल हैण्डवाश निर्माण	28.03.21	79639	-

14	50073398	जू०हा०स्कूलमें समरसेबल हैण्डवाश निर्माण	28.03.21	79639	-
15	19507030	पक्की स्ट्रोक से सोमई के घर तक खड्गजा निर्माण	01.08.20	42163	-
16	19507011	कुन्ने के घर से तिलकराम के घर तक इ०ला० कार्य	01.08.20	24680	-
17	19507014	पू०मा०वि०बाउण्ड्रीवाल निर्माण	01.08.20	25850	-
18	20317728	प्रा०वि० लालडीह में चाइल्ड फ्रैण्डली शौ० निर्माण	10.12.20	77700	-
			10.12.20	56635	-
			12.12.20	-	17157
19	20317729	पू०मा०वि० पृथ्वीपालगंज ग्रंट-2 में चाइल्ड फ्रैण्डली शौ० निर्माण	10.12.20	73382	-
			12.12.20	-	22854
20	20317730	पू०मा०वि० पृथ्वीपालगंज ग्रंट-1 में चाइल्ड फ्रैण्डली शौ० निर्माण	12.12.20	32634	-
21	42765639	राजकुमार के घर से राधेश्याम के घर तक खड्गजा मरम्मत	13.12.20	89470	-
			13.12.20	23500	-
			14.12.20	34170	-
22	37194299	रामकरन के घर से रामलगन के घर तक सी०सी० रोड	21.12.20	108574	-
23	43920199	पंचायत भवन सचिवालय निर्माण	11.10.20	339600	-
			12.12.20	-	48702
			14.12.20	7200	-
			16.08.20	300000	-
			22.08.20	350000	-
		योग:-	3587134	127493	
		सकल योग:-	3714627		

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत पृथ्वीपालगंज ग्रंट के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू० 3714627.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार, सचिव श्री शमीम खान से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-परसिया गूदर

विकास खण्ड- इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-139

ग्राम पंचायत परसिया गूदर, विकास खण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० 725427 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 29.01.2022, एवं 26.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	43158121	ग्राम पं० के विभिन्न मजदूरों में हैण्डपम्प रीबोर	03.10.2020	72887	-
2	43158057	सामुदायिक शौचालय निर्माण	03.10.2020	12783	-
3	43158526	सामुदायिक शौचालय निर्माण	07.11.2020	299681	-
4	44619577	चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण	07.11.2020	58402	-
			16.09.2020	120150	-
			27.03.2021	21291	-
5	17777278	प्रधान मानदेय	10.04.2020	-	10500
6	44948782	प्रधान मानदेय	30.1.2020	-	21000
7	44621013	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय	03.11.2020	12000	-
8	48376939	दिव्यांगजन शौचालय निर्माण	22.03.2021	74733	-
9	43157902	प्रशासनिक मद	30.10.2020	22000	-
			योग:-	693927	31500
			सकल योग:-	725427	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत परसिया गूदर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू० 725427.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना देवी, सचिव श्री शैलेन्द्र मौर्या से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-भवानीपुर कलाँ

विकास खण्ड- इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-140

ग्राम पंचायत भवानीपुर कलाँ, विकास खण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1156204 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 26.10.2021 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	20734325	धकमदेव के घर से कलीम के घर तक इ०ला० कार्य	07.05.20	98500	-
2	37246690	ग्राम प्रधान मानदेय	08.10.20	-	31500
3	45176349	ग्राम पंचायत के विभिन्न मजदूरों में कूड़ादान स्थापना	18.12.20	49200	-
4	45079146	ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाईप स्थापना	25.11.20	95200	-
5	4406526	सामदायिक शौचालय निर्माण	10.11.20	320000	-
6	37246956	हैण्डपम्प रीबोर	18.12.20	65200	-
7	37246858	हैण्डपम्प मरम्मत	18.12.20	26260	-
8	37247833	ओम प्रकाश के घर से शिवकुमार के घर तक इ०ला० कार्य	25.12.20	133000	-
9	17681133	चन्द्रिका के घर से पिच रोड तक खड्गजा मरम्मत	04.12.20	-	21336
10	17681128	मेन खड्गजा से सूरत के घर तक इ०ला० कार्य	04.12.20	-	9948
11	17681103	फुसु के घर से चन्द्रिका के घर तक इ०ला० कार्य	04-12-20	-	14480
12	20734322	चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण	04.12.20	-	29190
13	17681119	प्रा०वि० में कायाकल्प कार्य	04.12.20	-	29190
14	17681111	ढोढे एवं रिंजय के घर से ओम प्रकाश के घर तक इ०ला० कार्य	07.05.20	125200	-
15	42424209	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर सोखता गड्ढा निर्माण	09.09.20	70200	-
16	28515351	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर सोखता गड्ढा निर्माण	27..07.20	37800	-

योग:- 1020560 135644
सकल योग:- 1156204

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत भवानीपुर कलॉ के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू० 1156204.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार, सचिव श्री पंकज मौर्या से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-जगतापुर

विकास खण्ड- इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-141

ग्राम पंचायत जगतापुर, विकासखण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू० 1852865 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार दिनांक 26.10.2021 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	37236787	ग्रा०पं० के विभिन्न मजराओं में सोखता निर्माण	06.12.20	87187	-
2	42774612	प्रशासनिक मद	09.09.20	8000	-
3	45386190	जाविद के घर से टीपू के बाग तक खड्डन्जा मरम्मत	06.12.20	140100	-
4	45386298	ग्रा०पं० के विभिन्न मजराओं में सोखता निर्माण	24.12.20	85200	-
5	49995754	प्रा०वि० जगतापुर में समरसेबल, हैण्डवाश निर्माण	25.03.21	40000	-
6	42755707	सामु०शौचा० निर्माण	01.10.20	99860	-
			01.10.20	115200	-
			19.11.20	133500	-
			21.08.20	99066	-
			21.08.20	97650	-
			25.08.20	98280	-
			25.08.20	71500	-

7	45576030	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	19.03.20	199946	-
8	37236610	ग्राOपंO के विभिन्न मजरो में हैण्डपम्प मरम्मत	16.10.20	21260	-
9	49996610	प्राOविO जोखी में टियांग शौचालय निर्माण	25.03.21	74733	-
10	49996320	प्राOविO जगतापुर में टियांग शौचालय निर्माण	25.03.21	74733	-
11	49996953	प्राOविO जोखी में टियांग शौचालय निर्माण	25.03.2021	40000	-
12	13293290	कूप मरम्मत	01.06.20	52500	-
13	9934488	जगतापुर में इंलाO कार्य	01.06.20	42600	-
14	27649694	ग्राOपंO के विभिन्न मजरो में हैण्डपम्प मरम्मत	04.06.20	10800	-
			15.07.20	15800	-
			28.07.20	22000	-
			30.06.20	21200	-
15	19288097	ग्राOपंO के विभिन्न मजरो में हैण्डपम्प मरम्मत	07.11.20	15250	-
16	27649791	जगतापुर में खडन्जा कार्य	11.07.20	60900	-
17	19288078	ग्राOपंO के विभिन्न मजरो में सोख्ता निर्माण	13.06.20	20200	-
			19.06.20	11300	-
18	19288072	पिच रोड से खडन्जा निर्माण	13.06.20	15800	-
19	19353947	ग्राOपंO के विभिन्न मजरो में सोख्ता निर्माण	17.05.20	15600	-
20	19353948	ग्राOपंO में नाली निर्माण कार्य	18.04.20	27000	-
21	27649721	ग्राOपंO के विभिन्न मजरो में सोख्ता निर्माण	20.07.20	20100	-
22	20047980	नाली निर्माण कार्य	17.05.20	15600	-
योग:-			1852865	-	

सकल योग:- 1852865

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत जगतापुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू० 1852865.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार, सचिव श्री पंकज मौर्या से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-इटियाथोक**विकास खण्ड- इटियाथोक****प्रस्तर संख्या-142**

ग्राम पंचायत इटियाथोक, विकासखण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1118535 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 29.01.2022 एवं 26.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1	17351562	काली मंदिर से राजेश जैसवाल के घर तक इ०ला०	176227	32256
2	17351546	ग्रा०पं० में विभिन्न मजरों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना	121200	-
3	42119795	समरसेबलहैण्डपम्प स्थापना	26661	106251
4	44616165	प्रा०वि० इटियाथोक-प्रथम से आंगनवाड़ी केन्द्र तक खड़न्जा कार्य	74692	116865
5	45025855	प्रा०वि० इटियाथोक-प्रथमका छत मरम्मत	25662	117350
6	45025855	इटियाथोक बाजार में नाली सफाई	128000	-
7	42138922	सुरेश मदन के घर से हरिओम रस्तोगी के घर तक नाली निर्माण कार्य	65205	128166
योग:-			617647	500888
सकल योग:-			1118535	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत इटियाथोक के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 1118535.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा दूबे, सचिव श्री महेश सैनी से की जानी अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-रमवापुर हरदोपट्टी**विकास खण्ड- इटियाथोक****प्रस्तर संख्या-143**

ग्राम पंचायत रमवापुर हरदोपट्टी विकास खण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1649972 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 05.01.2022 एवं 02.12.2021 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	16669021	ट्यूबवेल मरम्मत	02.04.20	39400	-
2	20491883	फर्निशिंग	02.04.20	50487	-
3	29246045	कार्यालय व्यय	04.07.20	11000	-
4	16609031	प्रधान मानदेय	06.05.20	-	10500
5	37315247	प्रधान मानदेय	14.09.20	-	17500
6	16669019	रानीपुर चाइल्ड फ्रैण्डली शौचालय निर्माण	23.12.20	-	97906
7	45115700	पक्की सड़क से सुनील के घर तक इ०ला० कार्य	13.11.20	72761	-
8	42631593	गोली के घर से मुरली के घर तक इ०ला० कार्य	24.12.20	87279	-
9	12832276	पंचम के घर से राजकुमार के घर तक इ०ला० कार्य	24.12.20	34271	-
10	20491885	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	24.12.20	33316	-
11	20491882	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	04.07.20 04.07.20	33750 5040	- -
12	9780274	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	12.11.20 12.11.20	39751 17301	- -
13	9780263	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	25.12.20	23400	-
14	42622999	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	29.08.20	-	185012
15	16669003	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	23.12.20	97906	-
16	16669040	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	24.12.20	110711	-
17	16669010	पंचायती राज कार्यक्रम	02.04.20	16800	-
18	16669011	पंचायती राज कार्यक्रम	02.04.20	30515	-

19	13227120	पंचायती राज कार्यक्रम	04.07.20	38304	-
20	9780289	पंचायती राज कार्यक्रम	04.07.20	7098	-
21	6178374	पंचायती राज कार्यक्रम	06.05.20	62000	-
22	20624318	पंचायती राज कार्यक्रम	02.04.20	50000	-
			02.04.20	7875	-
23	42614705	सामुदायिक शौचालय निर्माण	14.10.20	174409	-
			14.10.20	129680	-
24	16669024	ब्रिज निर्माण	02.04.20	145000	-
			02.04.20	21000	-
योग:-			1339054	310918	
योग:-			1649972		

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत रमवापुर हरदोपट्टी के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 1649972.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जगताराम, सचिव श्री शमीम खां से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-बरडीहा
प्रस्तर संख्या-144

विकास खण्ड- इटियाथोक

ग्राम पंचायत बरडीहा विकास खण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 2847448 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 29.01.2022 एवं 02.12.2021 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	44068666	पंचायत भवन निर्माण	02.09.20	54899	-
			02.09.20	130200	-
			06.08.20	613305	-
			18.09.20	139430	-
			21.09.20	104745	-

2	37323295	दुखी के खेत से रोज अली के खेत तक इ0ला0 कार्य	05.11.20	130746	-
			05.12.20	19001	-
			06.11.20	3500	-
			11.12.20	12645	-
3	42872595	राम कुमार के घर से पुलिया तक इ0ला0 कार्य	14.12.20	33298	-
			19.11.20	36897	-
			18.11.20	76920	-
4	20492237	पंचायती राज कार्यक्रम	03.04.20	123200	-
			03.04.20	4725	-
			04.07.20	36838	-
			04.07.20	4586	-
			04.07.20	14472	-
5	37338872	पंचायती राज कार्यक्रम	16.08.20	8500	-
6	20492236	पंचायती राज कार्यक्रम	11.06.20	5304	-
			11.06.20	20768	23800
7	16784305	पंचायती राज कार्यक्रम	11.06.20	3308	-
8	16784315	पंचायती राज कार्यक्रम	11.06.20	31557	-
9	16784294	पंचायती राज कार्यक्रम	11.06.20	14472	-
			11.06.20	7788	-
10	16784295	पंचायती राज कार्यक्रम	11.06.20	-	29748
11	27255319	पंचायती राज कार्यक्रम	22.06.20	1190	-
12	37338872	पंचायती राज कार्यक्रम	31.07.20	39412	-
13	42406216	सामुदायिक शौचालय निर्माण	16.12.20	144049	-
			10.10.20	94248	-
			10.10.20	85596	-
			10.10.20	65100	-
			10.10.20	49782	-
14	16784321	कूप मरम्मत	06.11.20	7433	-
			06.11.20	5859	-
15	16784320	कूप मरम्मत	06.11.20	6016	-
			06.11.20	7309	-
16	16784323	कूप मरम्मत	06.11.10	5575	-
			06.11.20	5780	-
17	3708541	प्रधान मानदेय	09.09.20	-	14000
			24.12.20	-	7000
18	27246649	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	22.06.20	44950	-
			22.06.20	52243	-
19	42871672	राम चन्दर के खेत से सरहसिया तक खड्न्जा मरम्मत	13.11.20	196776	-
20	42871465	हैण्डपम्प रीबोर	13.11.20	175907	-

21	37319542	कमरूद्दीन के घर तक इ०ला० कार्य	23.12.20	154571	-
			योग:-	2772900	74549
			योग:-	2847448	

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत बरडीहा के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 2847448.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहाँ, सचिव श्री शमीम खान से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत-गनवरिया

विकास खण्ड- इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-145

ग्राम पंचायत गनवरिया, विकासखण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 1253057 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचारदिनांक 12.01.2022 एवं 02.12.2021 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख- व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	45237507	खड्गजा मरम्मत कार्य	02.12.20	134292	-
2	49695891	पक्की सड़क से राम वकील के खेत तक इ०ला० कार्य	30.03.21	159455	-
3	27710445	प्रशासनिक मद	31.07.20	30000	-
4	49695987	राम वकील के खेत से प्रा०वि० तक इ०ला० कार्य	30.03.21	145991	-
5	49696251	प्रा०वि० से नाजिम अली के घर तक खड्गजा निर्माण	30.03.21	41338	-
6	17717784	प्रधान मानदेय	10.07.20	-	42000
7	37228029	प्रधान मानदेय	24.12.20	-	10500
			29.08.20	-	14000
8	42661425	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	29.08.20	30089	-
9	44290866	सामुदायिक परिसम्पत्ति एवं मरम्मत	29.08.20	134292	-

10	17717775	पंचायती राज कार्यक्रम	03.04.20	76000	-
11	17717764	पंचायती राज कार्यक्रम	11.06.20	15570	-
			18.05.20	49278	-
12	42662185	सामुदायिक शौचालय निर्माण	13.09.20	183252	-
			31.08.20	187000	-
योग:-			1186557	66500	
योग:-			1253057		

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत गनवरिया के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 1253057.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अजीत कुमार, सचिव श्री शमीम खान से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- सिसई बहलोलपुर

विकास खण्ड- इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-146

ग्राम पंचायत सिसई बहलोलपुर, विकासखण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑनलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 2076682.00 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	धनराशि सामग्री	श्रमांश
1	42495259	सामु० शौचालय निर्माण	90323 18360 252266 175250 3015	- - - - -
2	45449090	सामु० शौचालय अवशेष निर्माण	172797 43578 52857	- - -
3	20655662	प्रा०वि० बाउण्ड्रीवाल एवं गेट निर्माण	16920 32030 24131	- - -
4	20655670	हैण्डपम्प रीबोर	139314 25760	- -

5	42497309	ग्रा0पं0 में विभिन्न मजरो में हैण्डपम्प रीबोर	143183	49990
6	20655653	अन्त्येष्टि स्थल बाउण्ड्रीवाल मरम्मत	18615	-
			5544	-
			24000	-
7	20655665	प्रा0वि0 में 2 यूनिट यूरेनल निर्माण	-	14688
			54653	-
			13230	-
8	20655681	चाइल्डफ्रैण्डली शौ0 निर्माण	101682	-
			13944	-
			14040	-
9	20655686	प्रा0वि0 परिसर में इ0ला0 कार्य	11390	-
10	20655660	पं0 भवन निर्माण	-	10800
11	20655686	डफालीपुरवा माडल प्रा0वि0 मर0 कार्य	-	22560
12	37350973	प्रशासनिक मद	31024	-
13	42552530	नाली निर्माण	39038	-
14	20655674	सुशीला के घर तक इ0ला0 कार्य	19746	-
15	45448978	फूलचन्द्र के घर तक इ0ला0 कार्य	84425	-
16	20655663	बाउण्ड्रीवाल पू0मा0वि0 कार्य	35788	-
			5040	-
17	45448991	हैण्डपम्प मरम्मत	21375	3600
18	20655673	हैण्डपम्प मरम्मत	-	6000
19	20655674	पू0मा0वि0 में इ0ला0 कार्य	140746	-
			30450	-
20	11351228	सिसई बहलोलपुर प्रा0वि0 में 1-1 यूनिट शौचालय निर्माण	-	43265
21	11351230	माडल प्रा0वि0 में शौचालय निर्माण	43265	-
22	42511265	प्रधान मानदेय	-	24500
			-	3500
		योग:-	1897779	178903
		सकल योग :-		2076682

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत सिसई बहलोलपुर के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 2076682.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जंग बहादुर, सचिव श्री शमीम खान से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- पारासराय

विकास खण्ड- इटियाथोक

प्रस्तर संख्या-147

ग्राम पंचायत पारासराय, विकासखण्ड इटियाथोक, जनपद गोण्डा की वर्ष 2020-21 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 6161412.00 की आफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए०डी०ओ० पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार दिनांक 29.01.2022 एवं 26.03.2022 को किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख-व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य आई०डी०	कार्य का नाम	धनराशि	
			सामग्री	श्रमांश
1	20067317	विकास एवं मरम्मत कार्य	328916	-
2	12593866	ट्यूबवेल मरम्मत	41119	-
3	20067334	ट्यूबवेल मरम्मत	101370	-
4	37225631	प्रशासनिक मद	54000	-
5	20067350	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	5070	-
6	44638025	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	9316	-
7	44637979	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	68028	-
8	37213967	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	25737	-
9	44637984	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	27405	-
10	44637990	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	38002	-
11	44644326	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	52595	-
12	44638000	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	60900	-
13	20067349	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	-	4320
			-	2613
			-	2613
			-	2613
			-	1608
14	20067342	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	-	4680
			-	2613
			-	2613
			-	2613
			-	1809
15	20067314	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	-	5040
			-	3018
			-	3018
			-	3015

			-	804
16	20067313	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	-	5040
			-	1005
			-	3015
			-	3015
			-	3015
17	20067350	सामुदायिक सामग्री रख-रखाव	-	6480
			-	3618
			-	3618
			-	3618
			-	2412
			-	2412
18	20067324	मशीनरी एवं इक्वीपमेंट	-	2880
			-	2010
			-	1608
			-	4200
			-	4200
19	20067324	मशीनरी एवं इक्वीपमेंट	-	3240
			-	3015
			-	3015
20	20067356	रख-रखाव	-	3216
			-	2211
			-	4992
			-	3216
			-	3216
			-	3216
21	4415108	प्रधान मानदेय	-	10500
22	45069683	छगगन के खेत से तालाब तक नाली निर्माण	64290	-
23	45117537	तिलक वर्मा के घर से भूमिगत नाली अवशेष निर्माण	-	5376
24	45117530	रग्घू वर्मा के घर से सरवन के चन्नी तक इ0ला0 कार्य	-	6297
25	45117524	संवारे वर्मा के घर से जिन्दर वर्मा के घर तक इ0ला0 कार्य	-	15015
26	45071261	राजदत्त वर्मा के घर से ज्ञानेन्द्र वर्मा के घर तक इ0ला0	-	7821
27	45117517	मायाराम के घर से शाहपुरवा बार्डर तक खड्गजा कार्य	-	19671
28	45117508	दूधनाथ के घर से बड़कऊ के घर के बगल से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	-	10869
29	45117511	आज़ाराम के चक से पुलिय तक खड्गजा कार्य	-	7662
30	45117553	आज़ाराम वर्मा के बगल से रामरूप वर्मा के घर तक इ0ला0 कार्य	142711	-
31	45117356	आज़ाराम वर्मा के बगल से रामरूप वर्मा के घर तक इ0ला0 कार्य	5070	-
32	43155722	विभिन्न मजरो में हैण्डपम्प मरम्मत	41274	-
33	37225483	प्रधान मानदेय	-	14000

34	20067314	भगवानदीन के घर से इ0ला0 कार्य	-	5040
35	20067313	हनुमान मौर्या के घर से इ0ला0 कार्य	-	5040
36	20067339	उग्गर धोबी के घर से इ0ला0 कार्य	-	3240
37	45069683	भगवान के खेत से तालाब तक नाली निर्माण	-	5400
38	45117524	संवारे वर्मा के घर के पास से ज्ञानेन्द्र वर्मा के घर तक इ0ला0 कार्य	-	3960
39	45117517	मायाराम के घर से शाहपुरवा बार्डर तक खड्डन्जा निर्माण	-	5400
40	20067349	पवन के घर से इ0ला0 कार्य	-	4320
41	20067342	मुन्ना तिवारी के घर से इ0ला0 कार्य	-	3960
42	44644329	रमेश सिंह के घर से रामजीत सिंह के घर तक नाली निर्माण	29300	-
43	29839729	मशीनरी एवं इक्वीपमेंट्स	56985	-
44	44042257	सामुदायिक शौचालय	177750 283685	- -
45	44083018	कूप मरम्मत	18500	-
46	44023406	कूप मरम्मत	58553	-
47	43190494	चरनजीत के घर से अनूप के घर तक इ0ला0 कार्य	113474	-
48	50158207	पमईपुरवा जगराम नाई के घर से राजेन्द्र वर्मा के घर तक नाली निर्माण	7485	-
49	50159113	कस्तूरबा गाँधी अवासीय विद्यालय इटियाथोक में मिट्टी पटाई	51765	-
50	50142257	कस्तूरबा गाँधी अवासीय विद्यालय इटियाथोक में मिट्टी पटाई	254663 35805	- -
51	50144316	कस्तूरबा गाँधी अवासीय विद्यालय इटियाथोक में मिट्टी पटाई	15309	-
52	43187839	पू0मा0वि0 नयागांव में समरसेबल स्थापना	93308	-
53	43188023	प्रा0वि0 पारासराय में समरसेबल स्थापना	93308	-
54	43155781	हैण्डपम्प रीबोर	104000	-
55	44042411	मास्क सनिटाइजर कोविड-19 से बचाव सामग्री	60472	-
56	44638030	सामग्री हेतु भुगतान	23668	-
57	44644319	सामग्री हेतु भुगतान	72857	-
58	44638039	सामग्री हेतु भुगतान	65949	-
59	44638043	सामग्री हेतु भुगतान	33230	-
60	44644315	सामग्री हेतु भुगतान	102850	-

61	44688259	हनुमान के घर से अमिरका के घर तक इ0ला0 कार्य	53909	-
62	44644347	हनुमान के घर से अमिरका के घर तक इ0ला0 कार्य	84498	-
63	44644321	हनुमान के घर से अमिरका के घर तक इ0ला0 कार्य	20115	-
64	44644310	सामग्री हेतु भुगतान	58047	-
65	44644307	गीला एवं सूखा कचरा प्रबन्धन	109560	-
66	44644344	प्रा0वि0 पेमिकपुरवा में समरसेबल स्थापना	93408	-
67	44644339	प्रा0वि0 नये गाँव में समरसेबल स्थापना	93408	-
68	44638011	समयमाता स्थान से पिचरोड तक इ0ला0 कार्य	144151	-
69	45117546	परशुराम के घर से रामरूप के घर तक नाली निर्माण	39639	-
70	45141849	रामलगन के घर से तालाब तक भूमिगत नाली	26712	-
71	45085477	पमईपुरवा में हल्लों के घर से राजेन्द्र वर्मा के घर तक इ0ला0 कार्य	138168	-
72	45085454	संतोष तिवारी के घर से तिलकराम वर्मा के घर तक इ0ला0 कार्य	135011	-
73	50159994	जू0हा0स्कूल जवाहर पुरवा के मैदान में मिट्टी पटाई	49431	-
74	44638013	तुलसीराम के घर से अमुतलाल के घर तक इ0ला0 कार्य	111080	-
75	44688275	शिवशंकर शुक्ला के घर से सामू0शौचा0 होते हुए भवानी चौहान के घर तक इ0ला0 कार्य	162581	-
76	43155973	विभिन्न मजरों में 9 नग सोखता निर्माण	161241	-
77	43187645	कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में समरसेबल स्थापना	93308	-
78	20624304	सामग्री हेतु भुगतान	84274	-
79	20067374	सामग्री हेतु भुगतान	12587	-
80	20067361	सामग्री हेतु भुगतान	45675	-
	20062312	सामग्री हेतु भुगतान	49397	-
81	20067377	सामग्री हेतु भुगतान	1493	-
82	20624305	सामग्री हेतु भुगतान	23698	-
83	20067323	सामग्री हेतु भुगतान	34503	-
84	20624311	सामग्री हेतु भुगतान	28230	-
85	20067315	सामग्री हेतु भुगतान	69606	-

86	20624307	सामग्री हेतु भुगतान	40955	-
87	20067371	सामग्री हेतु भुगतान	239204	-
88	12593868	सामग्री हेतु भुगतान	40481	-
89	20067375	सामग्री हेतु भुगतान	25064	-
90	20067323	सामग्री हेतु भुगतान	986	-
91	20064304	सामग्री हेतु भुगतान	15000	-
92	20063777	सामग्री हेतु भुगतान	590	-
93	20067359	सामग्री हेतु भुगतान	105520	-
94	20067376	सामग्री हेतु भुगतान	5070	-
95	20624310	ह्यूमपाईप स्थापना	22961	-
96	20627315	ह्यूमपाईप स्थापना	-	2496
97	20067339	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	38365	-
			-	1210
			-	3216
98	20067385	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	3744
			-	2814
			-	2814
			-	2814
			-	3015
99	20037315	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	3819
			-	3819
100	20067386	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	2496
			-	4020
			-	3819
101	20067357	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	2184
			-	3417
			-	3216
102	20067348	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	3432
			-	2814
			-	2814
			-	2814
			-	2814
103	20067323	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	624
			-	2010
			-	1005
104	20067324	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	1560
			-	2814
			-	2211
105	20063777	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	590	-
106	20067354	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	33283	-
107	20067374	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	2808
			-	2814
			-	2814
			-	2814
			-	402
108	20067376	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	3120
			-	3120
			-	2814

			-	2814
			-	2814
			-	402
109	20067377	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	1248
			-	3618
110	20067348	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	984
111	20067324	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	23484	-
			500	-
112	20067315	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	21873	-
			4670	-
			200	-
113	20067357	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	3954	-
			2742	-
			100	-
114	20067351	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	5070	-
115	20067328	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	19778	-
			11072	-
116	20067385	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	30314	-
			5507	-
			-	265
			22234	-
			5124	-
117	20067375	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	25064	-
118	20067374	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	12587	-
119	20067365	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	109580	-
120	20624307	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	16096	-
121	20624305	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	2637	-
122	20067361	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	7678	-
123	20067351	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	12278	-
124	20067361	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	7743	-
125	20067351	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	15000
126	20064305	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	-	1428
127	29839938	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	35680	-
128	20624310	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	5046	-
129	20067321	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	7138	-
130	20067360	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	19822	-
131	20067349	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	35024	-
132	20067327	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	9679	-
133	20067313	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	29278	-
134	20067314	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	22289	-
135	20067342	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	23303	-
136	20067342	सामग्री क्रय हेतु भुगतान	8400	-

योग:- 5877651 383761

सकल योग :- 6261412

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत पारासराय के वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रु० 6261412.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावती, सचिव श्री शमीम खान से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 01)

ग्राम पंचायत- कटुआनाला

विकास खण्ड- कटरा बाजार

प्रस्तर संख्या-148

ग्राम पंचायत कटुआनाला, विकास खण्ड कटरा बाजार, जनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2020-21 में कैशबुक के अनुसार हैंडपम्प रिबोर पर कुल धनराशि रु० 102346-00 का भुगतान अंकित किया गया है। विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी०	दिनांक	सामाग्री	ट्रेडर्स	योग
1	नरेश के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	43883100	18-12-2020	25621.00	शिखर इंटरप्राइजेज	25621.00
2	रुधम सिंह के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	43883114	18-12-2020	25552.00	शिखर इंटरप्राइजेज	25552.00
3	महेश के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	43883148	22-12-2020	25621.00	शिखर इंटरप्राइजेज	25621.00
4	रफीक के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	42403542	22-12-2020	25552.00	पीयूष ट्रेडर्स	25552.00
योग-				102346-00		102346-00

जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, जलनिगम के अवर अभियन्ता की स्थलीय सर्वे रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(अ) लेखा परीक्षा जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, जल निगम पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक की सर्वे रिपोर्ट अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा- 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा।
(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/अप्राप्त रही।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि आधारहीन एवं कूटरचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रू० 102346-00 से क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी वसूली तात्परिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रत्नाकर गुप्ता, श्री राजेन्द्र से रू० 51172.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अमरीष सिंह से रू० 51172.00 करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 16)

ग्राम पंचायत- झौनहा

विकास खण्ड- कटरा बाजार

प्रस्तर संख्या-149

ग्राम पंचायत झौनहा विकास खण्ड कटरा बाजार जनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष 2020-21 में कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर पर कुल धनराशि रू० 153335.00 का भुगतान अंकित किया गया है। उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी०	दिनांक	सामाग्री	ट्रेडर्स	योग
1	प्रा० पा० झौनहा में हैण्डपम्प रिबोर	44927426	27-10-2020	25500.00	यादव ट्रेडर्स	25500.00
2	जू०हा० स्कूल झौनहा में हैण्डपम्प रिबोर	44927402	27-10-2020	25552.00	यादव ट्रेडर्स	25552.00
3	गोकुल के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर	44927395	27-10-2020	25621.00	यादव ट्रेडर्स	25621.00
4	रामरूप के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर	44927413	01-12-2020	25489.00	यादव ट्रेडर्स	25489.00
5	निरंकार के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर	44927361	01-12-2020	25552.00	यादव ट्रेडर्स	25552.00
6	खुद्दी के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर	44927377	01-12-2020	25621.00	यादव ट्रेडर्स	25621.00
योग-				153335.00		153335.00

लेखा परीक्षा में जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव सक्षम स्तर से स्थलीय सर्वे रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(अ) जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 की धारा- 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यदेश, वितीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि आधारहीन एवं कूटरचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रू० 153335.00 से क्षति पहुचायी गयी है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि आधारहीन एवं कूटरचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि रू० 153335.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शेष कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रत्नाकर गुप्ता उत्तरदायी हैं। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रत्नाकर गुप्ता से रू० 76667.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शेष कुमारी से रू० 76667.50 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाये। अतः उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत किया गया व्यय रू० 153335.00 अपहरित है।

अतः ग्राम पंचायत से हुयी अति रू० 153335.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शेष कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रत्नाकर गुप्ता से बराबर-बराबर भाग में किये जाने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 16)

ग्राम पंचायत- कौड़हा जगदीशपुर

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-150

ग्राम पंचायत कौड़हा जगदीशपुर, विकास खण्ड हलधरमऊ की वितीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैंडपम्प रिबोर मद में कुल धनराशि रू० 108904.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है।

क्र०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	हैंडपम्प रिबोर	45070307	07- 12-2020	अंकित ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	26226.00
2	हैंडपम्प रिबोर	45070364	07- 12-2020	अंकित ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	26226.00
3	हैंडपम्प रिबोर	45070416	07- 12-2020	अंकित ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	26226.00
4	हैंडपम्प रिबोर	45070441	07- 12-2020	अंकित ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	26226.00
योग-					104904.00

उक्त अंकित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(क) कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

(ख) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गए भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ग) लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैंडपम्प रिबोर कराये गये।

(घ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैंडपम्प रिबोर मद में अलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु० 104904.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है, जो एक प्रभूत धनराशि है। स्पष्ट है कि रिबोर में चेन, नट-बोल्ट, राड, सिलेण्डर, पाइप आदि बदले गए होंगे। डेड स्टॉक पंजी में न तो बदले गए कण्डम पार्ट का अंकन किया गया है और न ही कण्डम पार्ट/कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गई है और न ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी।

(ड.) ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैंडपम्प स्थापित हैं और उसमें से कितने खराब हैं। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ।

(च) लेखा परीक्षा में हैंडपम्प खराब होने के उपरान्त रिबोर कराये जाने का प्रार्थना पत्र और रिबोर कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(छ) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ज) इस आशय का कोई प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

इससे स्पष्ट है कि धनराशि रु० 104904.00 का अंकन कैशबुक में बिना व्यय प्रमाणक के करके उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत अपहरित किया गया है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया खातून से रु० 52452.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पप्पू सिंह यादव से रु० 52452.00 से करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 16)

प्रस्तर संख्या-151

ग्राम पंचायत कौड़हा जगदीशपुर, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 1040072.00 का व्यय कैशबुक में अंकित किया गया है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1.	जू० हा० बेलवा में इंटरलाकिंग कार्य	43902534	29-07-2020	किसान ट्रेडर्स एंड जनरल सप्लायर्स	130144.00
2.	तमांचेपुर टपरा में बकरीदी के घर से पीरअली के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	43902518	29-07-2020	किसान ट्रेडर्स एंड जनरल सप्लायर्स	290403.00
3.	जू० हा० स्कूल में बाउंड्रीवाल निर्माण	20784721	29-07-2020	किसान ट्रेडर्स एंड जनरल सप्लायर्स	130883.00
4.	तमांचेपुर टेवरा में छेदी के घर से रिजवान के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	43902526	27-07-2020	किसान ट्रेडर्स एंड जनरल सप्लायर्स	290403.00
5.	आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण	43902495	09-09-2020	किसान ट्रेडर्स एंड जनरल सप्लायर्स	198238.00
योग-					1040072.00

उक्त अंकित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामाग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार

यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 1040072.00 उ०प्र० ग्राम पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को धनराशि रु० 1040072.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी वसूली तातारिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया खातून से रु० 520036.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पप्पू सिंह यादव से रु० 520036.00 करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (सां०आ०सं०- 17)

ग्राम पंचायत- झौहना

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-152

ग्राम पंचायत झौहना, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैंडपम्प रिबोर मद में कुल धनराशि रु० 157356.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है।

क्र.सं	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी०	दिनांक	फर्म	धनराशि
1	हैंडपम्प रिबोर	42571041	04-10-2020	मैहर कन्टैक्शन	26226.00
2	राहुल तिवारी के घर के पास हैंडपम्प रिबोर		31-10-2020	मैहर कन्टैक्शन	26226.00
3	भवानी मास्टर के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	44108141	31-10-2020	मैहर कन्टैक्शन	26226.00
4	शिव प्रसाद तिवारी के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	44108091	31-10-2020	मैहर कन्टैक्शन	26226.00
5	पप्पू सिंह के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	44108130	31-10-2020	मैहर कन्टैक्शन	26226.00
6	प्रा० वि० बसाइन पुरवा में हैंडपम्प रिबोर	44108150	06-11-2020	मैहर कन्टैक्शन	26226.00
योग-					157356.00

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(क) कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

(ख) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गए भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार एवं उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत धनराशि रु० 157356.00 अपहरित रहा।

(ग) लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैंडपम्प रिबोर कराये गये।

(घ) लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैंडपम्प रिबोर मद में अलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु० 157356.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है। उक्त रिबोर कार्य में चैन, नट-बोल्ट, राड, सिलेण्डर, पाइप आदि बदले गए होंगे। डेड स्टॉक पंजिका में न तो बदले गए कण्डम पार्ट का अंकन किया गया है और न ही कण्डम पार्ट/कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गई और न ही प्राप्त धनराशि का अंकन कैशबुक में किया गया है।

(ङ.) ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैंडपम्प स्थापित हैं और उसमें से कितने खराब हैं। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(च) लेखा परीक्षा में हैंडपम्प रिबोर कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(छ) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ज) इस आशय का कोई प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

अस्तु उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त अंकित व्यय धनराशि का अंकन कैशबुक पर आधारहीन एवं फर्जी तरीके से कैशबुक पर करते हुए रु० 157356.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। जिसकी भरपाई सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पराम सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

(सा०आ०सं०- 02)

प्रस्तर संख्या-153

ग्राम पंचायत झौहना, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 1044544.00 किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी०	दिनांक	फर्म	सामाग्री	श्रमांस	योग
1	पंचायत भवन निर्माण	44107021	10-08-2020	अनमोल	127898.00	--	832324.00
			10-08-2020	ट्रेडर्स एंड	260400.00	--	
			10-08-2020	सप्लायर्स	226275.00	--	
			10-08-2020		153600.00	--	
			03-10-2020		63262.00	--	
			02-09-2020		--	64800.00	212220.00
			02-09-2020	--	--	72360.00	
			03-10-2020		--	75060.00	
						योग-	1044544.00

0

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) लेखा परीक्षा निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यदेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूटरचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 03-10-2020 से क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पराज सिंह से रु० 522272.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से रु० 522272.00 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाय।

(सा०आ०सं०- 03)

ग्राम पंचायत- डुडही

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-154

ग्राम पंचायत डुडही, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैंडपम्प रिबोर मद में कुल धनराशि रु० 51732.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में है।

क्र०सं	कार्य का नाम	कार्य	दिनांक	फर्म का नाम	योग
०		आई०डी०			
1	द्वारिका बाबा के घर के पास रिबोर	३१०८२४४१०	15-06-2020	जे०के० ट्रेडर्स	15866.00
2	सचिवालय में हैंडपम्प रिबोर	२८०८७६०४३२	15-06-2020	जे०के० ट्रेडर्स	15866.00

योग- 51732.00

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।
- सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गए भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।
- लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैंडपम्प रिबोर कराये गये।
- लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैंडपम्प रिबोर मद में अलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु० 51732.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है, जो एक प्रभूत धनराशि है। स्पष्ट है कि रिबोर में चैन, नट-बोल्ट, रोड सिलेण्डर पाइप आदि बदले गए होंगे। डेड स्टॉक पंजी में न तो बदले गए कण्डम पार्ट का अंकन किया गया है और न ही कण्डम पार्ट/कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गई है और न ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी।
- ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैंडपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब है। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ।
- लेखा परीक्षा में हैंडपम्प खराब होने के उपरान्त रिबोर कराये जाने का प्रार्थना पत्र और रिबोर कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।
- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- इय आशय का कोई प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त अंकित व्यय धनराशि रु० 51732.00 का अंकन कैशबुक पर आधारहीन एवं फर्जी तरीके से करते हुए उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत धनराशि रु० 51732.00 अपहरित रही। जिसकी भरपाई सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री पप्पू सिंह यादव से रु० 25866.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामकला से रु० 25866.00 की अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाये।
(सा०आ०सं०- 16)

प्रस्तर संख्या-155

ग्राम पंचायत डुडही, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 657506.00 किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है।

क्र०सं ०	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	ग्राम सचिवालय का मरम्मत कार्य	42942365	30-01-2020	अंकित ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	124703.00
2	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	42940669	19-09-2020	अंकित ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	271003.00
			21-12-2020	अंकित ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	260000.00
				योग-	655706.00

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- (अ) लेखा परीक्षा निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।
- (ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा।
- (स) कार्यादेश वित्तीय स्वीकृत स्टैटमेंट एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रु० 655706.00 उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत अपहरित रही। जिसकी वसूली तात्परिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रामकला से रु० 327853.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पप्पू सिंह यादव से रु० 327853.00 करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०- 17)

ग्राम पंचायत- नहवापरसौड़ा

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-156

ग्राम पंचायत नहवापरसौड़ा विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष २०२०-२१ की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 451015.00 व्यय किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है।

क्र०सं	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	43427171	03-11-2020 20-12-2020	श्री कन्टेक्शन	228506.00 98145.00 124364.00

योग-

451015.00

उक्त अंकित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के एवं उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम २५६ (२) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत अपहरित रहा। प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश वित्तीय स्वीकृत स्टीमेट एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आधारहीन व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि रु० 451015.00 गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 451015.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित संबन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से रु० 225507.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कबूतरा से रु० 225507.50 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 17)

ग्राम पंचायत- पिपरी रावत

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-157

ग्राम पंचायत पिपरी रावत विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक व्यय पर रु० 126000.00 का व्यय कैशबुक दर्शित है। जिस पर आपत्ति है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म	सामग्री	श्रमांस	योग
1	प्रशासनिक	14812607	23-07-2020	जे०के० ट्रेडर्स	155132.00	70000.00	86000.००
			23-07-2020	एंड जनरल	30016.00	16000.00	
				आईर सप्लायर्स			
2	प्रशासनिक	43062029	24-12-2020	ए०टी० ट्रेडर्स	141366.00	40000.00	40000.00
				एंड जनरल			
				आईर सप्लायर्स			

योग-

126000.00

उक्त अंकित व्यय के सापेक्ष कार्यादेश वित्तीय स्वीकृत स्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तीन स्टेप की फोटो तथा व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-

8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के रु० 126000.00 की धनराशि व्यय कर उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को रु० 126000.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी वसूली तातारिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सीतापति से रु० 63000.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार से रु० 63000.00 करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आधारहीन एवं कूटरचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 126000.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी तातारिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार से रु० 63000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सीतापति से रु० 63000.00 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(साआ०सं०- 02)

प्रस्तर संख्या-158

ग्राम पंचायत पिपरी रावत, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 37551.00 किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म	सामाग्री	श्रमांस	योग
1	नाली निर्माण	44075304	12-09-2020 09-10-2020	किसान ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	15204.00	2486.00	17681.00
2	नाली निर्माण	44075201	21-09-2020 09-10-2020	किसान ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	73891.00	1452.00	88411.00
3	नाली निर्माण	44075244	04-12-2020	ए०टी० ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	85190.00	-	85190.00
4	सामुदायिक शौचालय निर्माण	43061568	25-08-2020 07-08-2020	किसान ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	35847.00 148271.00	-	184218.0 0
योग-							375510.00

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) लेखा परीक्षा निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आधारहीन एवं कूटरचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 375510.00 से क्षति पहुँचायी गयी

है। जिसकी ताताखि नियत ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार से रु० 187755.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सीतापति से रु० 187755.00 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(साआ०सं०- 03)

ग्राम पंचायत- बतौरा बख्तावर सिंह

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-159

ग्राम पंचायत बतौरा बख्तावर सिंह, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैंडपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में कुल धनराशि रु० 208000.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में अंकित किया गया है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	हैंडपम्प रिबोर	4504772	06-11-2020	ए०टी० आर्डर एंड सप्लायर	108000.00
2	विभिन्न मजदूरों में नल मरम्मत	37362389	05-09-2020	ए०टी० आर्डर एंड सप्लायर	108000.00
योग-					208000.00

व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।
- सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गए भुगतान का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार एवं उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत अपहरित रहा।
- लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैंडपम्प की मरम्मत करायी गयी और कितने रिबोर कराये गये।
- लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैंडपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में अलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु० 208000.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है जो एक प्रभूत धनराशि है। स्पष्ट है कि रिबोर एवं मरम्मत में चैन, नट-बोल्ट, राड, सिलेण्डर, पाइप आदि बदले गए होंगे। डेड स्टॉक पंजी में न तो बदले गए कण्डम पार्ट का अंकन किया गया है और न ही कण्डम पार्ट/कबाड़ बिक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गई है और न ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी।
- ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैंडपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब है। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।
- लेखा परीक्षा में हैंडपम्प खराब होने के उपरान्त मरम्मत कराये जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।
- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- इस आशय का कोई प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है।

अस्तु उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त अंकित व्यय धनराशि का रु० 208000.00 अंकन कैशबुक पर आधारित हुए रु० 208000.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी भरपाई सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार सिंह से रु० 104000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार सिंह से रु० 104000.00 की अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-160

ग्राम पंचायत बतौरा बख्तावर सिंह, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 401145.00 किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	44108485	11-09-2020	गौरी इंप्रा०	501145.00
योग-					501145.00

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) लेखा परीक्षा निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूटरचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 501145.00 से क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार सिंह से रु० 250572.50 एवं ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार सिंह से रु० 250572.50 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बरवतपुर**विकास खण्ड- हलधरमऊ****प्रस्तर संख्या-161**

ग्राम पंचायत बरवतपुर, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 747322.00 किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	अजमत के घर से तालाब तक नाली निर्माण	42738982	24-07-2020	किसान ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	188974.00
2	हसूम पाइप	44987656	11-11-2020	उल्लाह ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	105000.00
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42739722	22-12-2020	गौरी इंप्रा०	452448.00
योग-					747322.00

उक्त अंकित व्यय के सापेक्ष कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो तथा व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-

8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 747322.00 की धनराशि व्यय कर उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को रु० 747322.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी वसूली तातारिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनवर जहाँ से रु० 373661.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार सिंह से रु० 373661.00 करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आधारहीन एवं कूटरचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 747322.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी तातारिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार सिंह से रु० 373661.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनवर जहाँ से रु० 373661.00 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(साआ०सं०- 15)

ग्राम पंचायत- बसालतपुर

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-162

ग्राम पंचायत बसालतपुर, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 347271.00 किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म	सामाग्री	श्रमांस	योग
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42170862	29-09-2020 30-10-2020 13-12-2020	अनमोल ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	155132.00 30016.00 --	-- -- 20757.00	205905.00
2	श्याम लाल के घर से पश्चिम तक इंटरलाकिंग कार्य	--	17-09-2020	अनमोल ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	141366.00	--	141366.00

योग-

347271.00

उक्त अंकित व्यय के सापेक्ष कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो तथा व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 347271.00 की धनराशि व्यय कर उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को रु० 347271.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी वसूली तातारिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुरेश तिवारी से

रु० 173635.50 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से रु० 173635.50 करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आधारहीन एवं कूटरचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 347271.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से रु० 173635.50 एवं ग्राम प्रधान श्री सुरेश तिवारी से रु० 173635.50 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(साआ०सं०- 02)

ग्राम पंचायत- भटनैया

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-163

ग्राम पंचायत भटनैया, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 452687.00 का व्यय कैशबुक में अंकित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म	सामाग्री	श्रमांस	योग
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	43108607	12-10-2020	ए०एस० ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	346357.00	--	346357.00
			02-12-2020		--	17280.00	17280.00
			14-12-2020		89050.00	--	89050.00
योग-							452687.00

उक्त अंकित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

(अ) लेखा परीक्षा निर्माण समिति की संस्तुति अप्राप्त रही। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान श्रमांश पर किये गये भुगतान के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/अप्राप्त रही।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के कैशबुक में अंकन रु० 452687.00 का करके उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित संबन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से रु० 226343.50 एवं ग्राम प्रधान श्री विपिन से रु० 226343.50 की जाने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साआ०सं०- 02)

ग्राम पंचायत- मलौनी

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-164

ग्राम पंचायत मलौनी, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 562184.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म का नाम	सामाग्री	श्रमां स	योग
1	जूंहा० स्कूल में शौचालय का निर्माण	43387353	19-09-2020	प्रगति ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	240632.00	-	240632.00
2	प्रा०वि० मलौना प्रथम में अतिरिक्त कक्ष टाइल्स निर्माण कार्य	44071123	19-12-2020	महक ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	228427.00	-	228427.00
3	प्रा०वि० मलौना द्वितीय में रंगाई पुताई व वालपेंटिंग कार्य	44071107	19-09-2020	प्रगति ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	93124.00	-	93124.00
योग-							562184.00

उक्त अंकित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) लेखा परीक्षा में निर्माण में समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामाग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 562184.00 का अंकन कैशबुक में करके उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को रु० 562184.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी वसूली तात्परिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद से रु० 281092.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से रु० 281092.00 करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 16)

ग्राम पंचायत-मीनापुर

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-165

ग्राम पंचायत मीनापुर, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर मद में कुल धनराशि रु० 242328.00 का व्यय किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	हैण्डपम्प रिबोर	44636886	20-09-2020	महक ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	183582.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	45008378	01-12-2020	महक ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	29373.00
3	हैण्डपम्प रिबोर	45008275	01-12-2020	महक ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	29373.00

उक्त अंकित व्यय के सापेक्ष कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टैटमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो तथा व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 242328.00 की धनराशि व्यय कर 30प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को रु० 242328.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी वसूली तात्परिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिनाथ सिंह से रु० 121164.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार सिंह से रु० 121164.00 करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आधारहीन एवं कूटचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 242328.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार सिंह से रु० 121164.00 एवं ग्राम प्रधान श्री हरिनाथ सिंह से रु० 121164.00 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 16)

प्रस्तर संख्या-166

ग्राम पंचायत मीनापुर, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 383354.00 का व्यय किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	कक्ष मरम्मत कार्य	44109494	11-09-2020	महक ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	204286.00
2	सी०सी० रोड निर्माण कार्य	44636898	20-09-2020	महक ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	178058.00
योग-					383354.00

उक्त अंकित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामाग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा-8 (क) के एवं 30प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत रु० 383354.00 अपहरित रहा। प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल दौरान लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/अप्राप्त रही।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आधारहीन व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि रु० 383354.00 का गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 383354.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित संबन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार सिंह से रु० 191677.00 एवं ग्राम प्रधान श्री हरिनाथ सिंह से रु० 191677.00 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०- 17)

ग्राम पंचायत- मैजापुर

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-167

ग्राम पंचायत मैजापुर, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 633814.00 व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई०डी०	दिनांक	फर्म	योग
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42823039	03-10-2020 07-11-2020	अनमोल ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	244310.00 155828.00
2	डीहा में काली सड़क से इस्माइल के घर तक नाली निर्माण कार्य	42838015	07-11-2020	बालाजी सप्लायर्स	126000.00
3	मेन रोड से राम किशोर के घर तक इ०ला० कार्य	42837458	07-11-2020	बालाजी सप्लायर्स	107676.00
योग-					633814.00

उक्त अंकित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) लेखा परीक्षा निर्माण समिति की संस्तुति अप्राप्त रही। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा- 8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान श्रमांश पर किये गये भुगतान के सापेक्ष मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आधारहीन व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को रु० 633814.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पराम सिंह से रु० 316907.00 एवं ग्राम प्रधान श्री शंकर शरण शुक्ला से रु० 316907.00 की वसूली की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाये।

अतः उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत किया गया व्यय रु० 633814.00 अपहरित है। जिसकी वसूली तात्परिख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शंकर शरण शुक्ला से

रु० 316907.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पराज सिंह से रु० 316907.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है
(सा०आ० सं०- 2)

ग्राम पंचायत- हरसिंहपुर

विकास खण्ड- हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या-168

ग्राम पंचायत हरसिंहपुर, विकास खण्ड हलधरमऊ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा मेपाया गया कि विभिन्न कार्यों पर रु० 698520.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	दिनांक	फर्म का नाम	सामाग्री	श्रमांश	योग
1	आंगनवाड़ी भवन निर्माण	42619778	09-09-2020	जे०के० ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	198329	--	198329.00
2	सामुदायिक शौचालय निर्माण	44646575	21-09-2020 14-12-2020 23-12- 2020	अंकित ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स -- अंकित ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	249899 -- 200000	-- 50292 --	500191.00
योग-							698520.00

उक्त अंकित व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा- 8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल दौरान लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 698520.00 व्यय करके ग्राम पंचायत को उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 698520.00 से क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा खातून से रु० 349260.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पप्पू सिंह यादव से रु० 349260.00 से करने हेतु समुचित प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०- 16)

प्रारूप - 4

जनपद- बलरामपुर

मण्डल- देवीपाटन

ग्राम पंचायतों के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-1(ग्राम पंचायत- सोनपुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर धनराशि रु. 979268.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु.

333599.00, अनुरक्षण पर रु .1039416.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 2352283.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु.2352283.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री रामदेव एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री गुलबासराम राही से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-2(अम्बरनगर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर धनराशि रु. 832957.00, सामुदायिक स्थल मरम्मतपर रु.24961.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु. 101460.00, पंचायती राज प्रोग्राम पर रु. 347829.00, अनुरक्षण पर रु .427609.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1734816.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 1734816.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती फुलेसरा एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री जगराम सोनकर से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3(उदईपुर चिरौंजीपुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर धनराशि रु. 421035.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु. 280542.00, अनुरक्षण पर रु. 319185.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1020762.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 1734816.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री गुलबासराम राही से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-4(धनघटा)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर धनराशि रु. 498670.00, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर रु. 20000.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु. 101460.00, पंचायती राज प्रोग्राम पर रु. 69700.00, अनुरक्षण पर रु

.426308.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1014678.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 1014678.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहां एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री जगराम सोनकर से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-5(बरहवा)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर धनराशि रु. 833206.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु. 236361.00, अनुरक्षण पर रु. 1554377.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 2623944.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 2623944.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री गुलबासराम राही से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-6 (भितवरिया कला)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर धनराशि रु. 855991.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु. 294556.00, अनुरक्षण पर रु. 427348.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1577895.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 1577895.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री सीताराम एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री गुलबासराम राही से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

स्तर संख्या-7 (शंकरपुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर धनराशि रु. 358074.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु. 123667.00, अनुरक्षण पर रु. 521586.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1003327.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का

भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 1003327.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री तपन विश्वास एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री गुलबासराम राही से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8 (हसनापुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर धनराशि रु. 591625.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु. 164410.00, अनुरक्षण पर रु. 201688.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 957723.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 957723.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री कर्ताराम एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री गुलबासराम राही से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9 (रतनपुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर धनराशि रु. 220273.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु. 648732.00, पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 980480.00, अनुरक्षण पर रु. 81638.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 2096397.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 2096397.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री जगराम सोनकर से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 (देवपुरा)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा सामुदायिक स्थल मरम्मत पर धनराशि रु. 1431511.00, वाटर सप्लाई एवं सैनेटाइजेशन पर रु. 412228.00, पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 440482.00, अनुरक्षण पर रु. 2538583.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 4822804.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 4822804.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री पीताम्बर एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री लालजी मिश्रा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-11 (हाथीगर्दा)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर रु. 966741.00, सामुदायिक स्थल मरम्मत पर धनराशि रु. 295048.00, पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 765105.00, अनुरक्षण पर रु. 20000.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 2046894.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 2046894.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सरीजनी एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री जगराम सोनकर से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

विकास खण्ड- रेहरा बाजार

प्रस्तर संख्या-12 (विशुनपुर खरहना)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 797166.00, राज्य वित्त से रु. 884972.00, पंचम वित्त से रु. 49477.00 व पंद्रहवें वित्त से रु. 694320.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 2425935.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ०प्र० पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान

की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अशफाक से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-13 (दतलपुर)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त/ पंद्रहवें के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 2231224.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 2231224.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री फैजान व सचिव ग्राम पंचायत श्री अश्वनी वर्मा से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-14 (झखौली)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 1285000.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1285000.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान

व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल तिवारी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अश्वनी वर्मा से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-15 (किशुनपुर ग्रिन्ट)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 3141912.71 तथा रु. 874787.00 का व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों पर किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 4016699.71 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जकिया व सचिव ग्राम पंचायत श्री संजय कुमार मिश्रा तथा श्री प्रमोद कुमार सिंह से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 (रामपुर ग्रिन्ट)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 323704.00, राज्य वित्त से रु. 464979.00, पंचम वित्त से रु. 903210.00 व पंद्रहवें वित्त से रु. 1394180.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 3086073.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु

उ०प्र० पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सन्तराम यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरुण कुमार मौर्या से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

विकास खण्ड- श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या-17 (ढाबा ढाबर)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 319427.00, राज्य वित्त से रु. 243594.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 563021.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ०प्र० पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वसीम फातिमा व सचिव ग्राम पंचायत श्री महेश वर्मा से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 (निरनपुर)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त/राज्य वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 705061.00, पंद्रहवें वित्त से रु. 197819.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 902880.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का

अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सुकई वर्मा व सचिव ग्राम पंचायत श्री असदुल्लाह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 (पुरैना कानूनगो)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त/राज्य वित्त/पंचम वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 557967.00, 15वें वित्त से रु. 3176270.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 875594.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलि, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री अफाफुल्लाह व सचिव ग्राम पंचायत श्री निखिल पटेल से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 (बेलई बुजुर्ग)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि राज्य वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 251974.00, 14वें वित्त से रु. 134732.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 386706.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलि, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से

की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ताहिरा बेगम व सचिव ग्राम पंचायत श्री सतीश कुमार मिश्रा से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-21 (बेदौलिया)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि राज्य वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 74185.00, 14वें वित्त से रु. 87000.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 161185.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सलमान खान व सचिव ग्राम पंचायत श्री असदुल्लाह से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-22 (बभनपुरवा)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि राज्य वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 185631.00, 15वें वित्त से रु. 283069.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 468700.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम

पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जनकराजी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सत्यवीर सिंह से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

विकास खण्ड- पचपेड़वा

प्रस्तर संख्या-23 (चंदनपुर)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 737701.00, राज्य वित्त से रु. 70000.00, पंद्रहवें वित्त से रु. 529271.00 का व पंचायत भवन हेतु प्राप्त धन से कराये गये निर्माण कार्य पर रु. 1492857.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 2829829.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री विनीत कुमार राना व सचिव ग्राम पंचायत श्री मुकेश सिंह से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-24 (धमौली)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 88100.00, राज्य वित्त से रु. 291223.00, पंचम वित्त से रु. 159431.00 व पंद्रहवें वित्त से रु. 529570.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1068324.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख

उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रभुदयाल व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती सुनीता से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-25 (विशुनपुर विश्राम)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 978140.00, राज्य वित्त से रु. 880594.00, पंचम वित्त से रु. 239077.00 व पंद्रहवें वित्त से रु. 738577.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 2836388.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री दुखरन व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरूण कुमार यादव से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-26 (मनकापुर)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 150110.00, राज्य वित्त से रु. 198480.00, पंचम वित्त से रु. 272082.00 व पंद्रहवें वित्त से रु. 359615.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 980287.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शामिया खातून व सचिव ग्राम पंचायत श्री महेन्द्र कुमार यादव से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-27 (पिपरा जमुनी)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 363875.00, राज्य वित्त से रु. 1061738.00, पंचम वित्त से रु. 635194.00 व पंद्रहवें वित्त से रु. 691913.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 2752720.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय व सचिव ग्राम पंचायत श्री संजीव कैराती से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-28 (आदमतारा)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 384833.00, राज्य वित्त से रु. 180271.00, पंचम वित्त से रु. 265087.00 व पंद्रहवें वित्त से रु. 567461.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1397652.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री त्रिपुरारी भारती व सचिव ग्राम पंचायत श्री निखिल पटेल से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-29 (सेमरहना)

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार यह पाया गया कि चौदहवें वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से रु. 1192953.00, व पंद्रहवें

वित्त से रु. 757354.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1950307.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कनीज फातिमा व सचिव ग्राम पंचायत श्री कमलेश पाल तथा श्री निखिल पटेल से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

विकास खण्ड- उत्तरौला

प्रस्तर संख्या-30 (मिलौली बाघाजोत)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक- 05.09.2020 को कैशबुक में दर्शित व्यय (पल्स ऑक्सीमीटर एवं थर्मामीटर क्रय हेतु मेसर्स वेवान मेडिको को धनराशि रु. 4790.00 का भुगतान / व्यय) के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत में उ०प्र० वित्त एवं लेखा मैनुअल तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम/ नियमावली 1947 का उल्लंघन करते हुए धनराशि रु. 4790.00 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री राम तिजोरे एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री चंद्र प्रकाश मौर्य से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

विकास खण्ड- गैसडी

प्रस्तर संख्या-31 (लुधौरी)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 28000.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 15500.00, एस.बी.एम-जी पर रु. 205885.00, विकास एवं अनुरक्षण कार्य पर रु. 100560.00, मानदेय पर रु. 10500.00 तथा अन्य व्यय पर रु. 365537.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 725982.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 725982.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री कमर आलम

एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-32 (लालपुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 8000.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 21000.00, एस.बी.एम-जी पर रु. 309964.00, तथा अन्य व्यय पर रु. 580306.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 919270.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 919270.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार सिंह एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-33 (लठावर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 2500.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 202476.00, तथा अन्य व्यय पर रु. 626153.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 831129.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 831129.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री राम छबीले मोर्य एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-34 (लौकीखुर्द)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 100000.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 284546.00, तथा अन्य व्यय पर रु. 814684.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1199230.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 1199230.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की

धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती खुशबुन्निशा एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-35 (लैबुडवा भोजपुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर रु. 80050.00, तथा अन्य व्यय पर रु. 364919.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 444969.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 444969.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-36 (मदरहवा)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर रु. 287800.00, अन्य सेवा शुल्क पर रु. 85000.00 तथा अन्य व्यय पर रु. 365090.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 737890.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 737890.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री राम नरेश एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-37 (हलौरा)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 164081.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 52500.00, तथा अन्य व्यय पर रु. 757285.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 973866.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 973866.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की

धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री अमानुल्ला एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-38 (जमधरा)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 500.00,मानदेय पर रु. 35000.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 14000.00, एस.बी.एम.-जी पर रु. 205885.00 तथा अन्य व्यय पर रु. 154136.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 409521.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 409521.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री तफज्जुल हुसैन एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-39 (चौहतर खुर्द)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर रु. 115990.00, तथा अन्य व्यय पर रु. 346752.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 462742.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 462742.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती अंजनी देवी एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-40 (खम्हरिया)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 145257.00, मानदेय पर रु. 28000.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 16480.00, एस.बी.एम.-जी पर रु. 324885.00 तथा अन्य व्यय पर रु. 120212.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 634834.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 409521.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-

आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री कुतुबुल्ला एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री बृजेश कुमार सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-41 (जनकपुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 431061.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 111429.00, तथा अन्य व्यय पर रु. 563285.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1105775.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 1105775.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री राम समुझ एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-42 (नगई)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 45000.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 34500.00, अन्य सेवा शुल्क पर रु. 34000.00 तथा अन्य व्यय पर रु. 406539.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 520039.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 520039.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री आमिर एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-43 (छपिया सुखरामपुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा प्रशासनिक व्यय पर रु. 165380.00, ऑफिस व्यय पर रु. 100000.00, अनुरक्षण पर रु. 345000.00 तथा अन्य व्यय पर रु. 1080000.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 1690380.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 1690380.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री आमिर एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-44 (गैसडी)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक- 19.09.2020 को कैशबुक के विवरण कालम में कार्य का नाम अंकित न कर धनराशि रु. 36782.00 का विवरणहीन तथा व्यय प्रमाणक विहीन भुगतान / व्यय दर्शाया गया है। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 36782.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती शहनाज खातून एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री साहेबराम से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-45 (भगवानपुर)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 260000.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 295100.00, वाटर सप्लाई एण्ड सैनेटाइजेशन पर रु. 158500.00, अनुरक्षण पर रु. 38500.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 752100.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 752100.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री अमीर शाह एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री संदीप कुमार शिल्पकार से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-46 (भोजपुर थारू)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 463407.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 14000.00, वाटर सप्लाई एण्ड सैनेटाइजेशन पर रु. 2400.00, भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 479807.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 479807.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री राज कुमार एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री बृजेश सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-47 (बरगदवा कला)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (एन्वुअल रिसीप्ट्स एवं पेमेन्ट्स अकाउंट्स) के अनुसार वित्तीय वर्ष- 2020-21 में ग्राम स्वराज द्वारा पंचायत राज प्रोग्राम पर रु. 93697.00, प्रशासनिक व्यय पर रु. 38500.00, वाटर सप्लाई एण्ड सैनेटाइजेशन पर रु. 375937.00, वाटर मैनेजमेंट पर रु. 60764.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल धनराशि रु. 568898.00 (राज्य वित्त चतुर्थ, पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पंद्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है। लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां, तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टररोल, स्टीमेट, एम.बी. (माप पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान / व्यय धनराशि रु. 568898.00 उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री इरशाद एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री बृजेश सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48 (रमवापुर)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में गा.पं. रमवापुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से हैण्डपम्प मरम्मत पर रु. 50000.00 (सामग्री+श्रमांश) का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/ अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु. 50000.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती आशिया खातून एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री बृजेश सिंह से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

विकास खण्ड- तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-49 (सिकटिहवा)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में गा.पं. सिकटिहवा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से हैण्डपम्प मरम्मत पर रु. 11900.00 (सामग्री-10700.00+श्रमांश-1200.00) का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/ अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु. 11900.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री अमरनाथ राय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-50 (भगवानपुर रतनपुर)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में गा.पं. भगवानपुर रतनपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त से विभिन्न कार्यों पर रु. 277720.00 का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/ अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु. 277720.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामवती एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री आशीष कुशवाहा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-51 (लक्ष्मणपुर)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में गा.पं. लक्ष्मणपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से हैण्डपम्प मरम्मत पर रु. 14880.00 (सामग्री-12880.00+श्रमांश-2000.00) का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/ अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु. 14880.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री आजाद एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री अमरनाथ राय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-52 (हड़पुर जनकपुर)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में गा.पं. हड़पुर जनकपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त से विभिन्न कार्यों पर रु. 850512.00 का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/ अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि रु. 850512.00 अपहरण की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं तत्कालीन गा.पं.सचिव श्री प्रदीप वर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-53 (ठाकुरपुर)

1- ग्राम पंचायत ठाकुरपुर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्यवित्त में हैण्डपम्प मरम्मत पर (सामग्री- 38820.00 + श्रमांश 4500.00) व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है। जिस पर कुल

धनराशि ₹0 43320.00 का भुगतान किये जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है। उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

दौरान लेखा परीक्षा निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत / अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय अंकन कैशबुक में करते हुये धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को ₹0 43320.00 से क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री अमरनाथ राय से ₹0 21660.00 एवं ग्राम प्रधान श्री घनश्याम से ₹0 21660.00 की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षति पूर्ति की भरपाई की जाय।

प्रस्तर संख्या-54 (लौकहवा)

1- ग्राम पंचायत लौकहवा की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि नजीर के घर से इलियास के घर तक खडंजा पर कुल धनराशि ₹0 86349.00 (सामग्री- 52373.00 + श्रमांश 33976.00) का भुगतान किया जाना कैशबुक पर अंकित किया गया है। उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

(अ) दौरान लेखा परीक्षा निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत/अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

(ब) प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टर रोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा।

(स) कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत / अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय अंकन कैशबुक में करते हुये धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को ₹0 86349.00 से क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी तात्परिख नियत ब्याज सहित संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप वर्मा से ₹0 43174.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा से ₹0 43174.50 की जाने हेतु उच्चविभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अद्यावधि ब्याज सहित वसूली करके विधिक कार्यवाही करते हुए क्षति पूर्ति की भरपाई की जाय।

प्रस्तर संख्या-55 (कन्डैला)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रा.पं. कन्डैला की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त से विभिन्न कार्यों पर रु. 568870.00 का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि **रु. 568870.00 अपहरण** की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती नाजमा एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री अमरनाथ राय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56 (सुदर्शनजोत)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रा.पं. सुदर्शनजोत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त से हैण्डपम्प मरम्मत पर रु. 14250.00 (सामग्री-12750.00+श्रमांश-1500.00) का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/ अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैशबुक में करते हुए धनराशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि **रु. 14250.00 अपहरण** की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री अमरनाथ राय से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-57 (विशुनपुर खैरहनिया)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रा.पं. विशुनपुर खैरहनिया की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त से विभिन्न कार्यों पर रु. 251757.00 का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/ अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि **रु. 2517157.00 अपहरण** की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती निकिता एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री प्रदीप वर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-58 (महादेव हरिहर नगर)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रा.पं. महादेव हरिहर नगर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त से विभिन्न कार्यों पर रु. 118275.00 का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/ अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि **रु. 118275.00 अपहरण** की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्री झिनकुन एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री प्रदीप वर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59 (जद्वापुर)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रा.पं. जद्दापुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त से विभिन्न कार्यों पर रु. 638746.00 का व्यय कैशबुक पर अंकित किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष व भुगतान किये गये श्रमांश के सापेक्ष मस्टररोल दौरान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। कार्यदेश, वित्तीय स्वीकृति, एस्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, 3 स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/अप्राप्त रही।

अस्तु उक्त के आलोक में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आधारहीन एवं कूट रचित ढंग से व्यय का अंकन कैश बुक में करते हुए धन राशि का गबन करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई। प्रमाणक विहीन व्यय के कारण धनराशि **रु. 638746.00 अपहरण** की श्रेणी में लाई जाती है। जिसकी वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार आधे-आधे का दायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मझिला एवं तत्कालीन ग्रा.पं.सचिव श्री प्रदीप वर्मा से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद-बहराइच

मण्डल-देवीपाटन

ग्राम पंचायत का नाम-किर्तनपुर

विकास खण्ड-तेजवापुर

प्रस्तर संख्या

1. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर दिनांक 13.04.2020 को 14 वां वित्त आयोग के तहत हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर ₹0 50510.00 का भुगतान कैशबुक/प्रियासाफ्ट के अनुसार सनी टेडर्स को किया गया हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग-3 के आदेश संख्या 27/2017/662/33-3-2017-46/ 2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार हैण्डपंप मरम्मत किया जाना अनिवार्य है का पालन किया गया अज्ञात रहा। उक्त प्रमाणक की जांच नहीं की जा सकी। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजवंत व ग्राम प्रधान श्री सराजुल हक से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

2. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में हैण्ड वाश निर्माण कार्य पर दिनांक 09.07.2020 को 136133.00 का भुगतान कैशबुक/फिडिंग/रोकड़/प्रियासाफ्ट के अनुसार साकिर टेडर्स को किया गया। हैण्ड वाश निर्माण के सन्दर्भ में स्थल की प्राथमिक विद्यालय में त्रिस्तरीय फोटो और सामग्री दर एवं उसकी मांग प्राथमिक विद्यालय इंचार्ज हेड मास्टर द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र, टेंडर सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र व पत्रावलिया लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया है। शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹0 2000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डवाश की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक की ग्रुप आई.डी विकसित की जा रही है। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजवंत व ग्राम प्रधान श्री सराजुल हक से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13)

ग्राम पंचायत का नाम-सबलापुर

विकास खण्ड-तेजवापुर

3. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सबलापुर में दिनांक 08.11.2020 को कैश बुक एवं प्रियासाफ्ट में विभिन्न तिथियों में ₹0 33210.00 का भुगतान हैण्ड पम्प रिबोर एवं मरम्मत कार्य में किया गया है, उक्त कार्य के सापेक्ष मरम्मत/रिबोर के संदर्भ में स्थान की प्रमाणित सूची और हैण्ड पम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके नवीन रिबोर मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि उपर्युक्त रिबोर खराब हुए थे की केवल स्थलों का विवरण कैश बुक में दर्ज किया गया, जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। रिबोर हेतु एक ही कार्य आ0ई0डी0 45072651 पर एक से अधिक बार मरम्मत/रिबोर दर्शित कर धनराशि का व्यय किया गया है, स्थान की प्रमाणित सूची और हैण्ड पम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके नवीन रिबोर मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि उपर्युक्त रिबोर खराब हुए थे की केवल स्थलों का विवरण कैश बुक में दर्ज किया गया, जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। रिबोर हेतु एक ही कार्य आ0ई0डी0 45072651 पर एक से अधिक बार

मरम्मत/रिबोर दर्शित कर धनराशि का व्यय किया गया है, लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 33210.00.00 की वसूली श्रीमती बेबी परवीन ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-11)

4. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सबलापुर में दिनांक 08.11.2020 को कैश बुक एवं प्रियासाफ्ट में विभिन्न तिथियों में ₹0 76787.00 का भुगतान हैण्डवाश निर्माण एवं शौचालय मरम्मत कार्य हेतु किया गया, उक्त पर कायाकल्प शासनादेश के अनुसार एक बार कार्य कराया जाना और जिओ टैग किया जाना चाहिए, जिसका विवरण लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा इससे उक्त कार्य पर बार-बार धनराशियों का आवंटन कर (कार्य आई0डी0 42620722, 49399895) के कार्य दोहराव कर धनराशि के अपहरण की प्रबल सम्भावना है। उक्त कार्य आई0डी0 (42620722, 49399895) की वार्षिक आवंटन धनराशि अज्ञात रही, आर के कंस्ट्रक्शन उक्त कार्य हेतु अधिकृत है या नहीं अज्ञात रहा। धनराशि का लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 76787.00 की वसूली श्रीमती बेबी परवीन ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-12)

5. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सबलापुर में प्राप्त कैश बुक एवं प्रियासाफ्ट में विभिन्न तिथियों (दिनांक 02.12.2020, 24.12.2020) में ₹0 261868.00 का कुल भुगतान आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य, पंचायत भवन हेतु सामग्री पर किया गया, उक्त सामग्री का विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न कर एवं वर्ष में मजदूरी पर व्यय न कर व्यय दर्शित कर अपहरण किया गया है। साथ ही उक्त कार्य पर कायाकल्प शासनादेश के अनुसार एक बार कार्य कराया जाना और जिओ टैग किया जाना चाहिए, जिसका विवरण लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा इससे उक्त कार्य पर बार-बार धनराशियों का

आवंटन कर (कार्य आई0डी0 45247567 एवं 42621599) की वार्षिक आवंटन धनराशि अज्ञात रही, एस के कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कृष्णा कंस्ट्रक्शन टेडर्स उक्त कार्य हेतु अधिकृत है या नहीं अज्ञात रहा। धनराशि का लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक

अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 261868.00.00 की वसूली श्रीमती बेबी परवीन ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-13)

6. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सबलापुर में प्राप्त कैश बुक एवं प्रियासाफ्ट में दिनांक 11.12.2020 में ₹0 96222.00 का कुल भुगतान राज्य वित्त/15 वां वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री पर व्यय के सापेक्ष बिल/एस्टीमेट/एम0बी0/मजदूरी मस्टर रोल/त्रिस्तरीय फोटो आदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया। शौचालय निर्माण कार्य हेतु ₹0-96,222.00 का भुगतान शिवम् टेडर्स को किया गया।

जिसका व्यय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया उक्त कार्य के पत्रावलियों का रख रखाव अत्यंत खराब रहा ज्यादातर बिलों पर पेड एंड कैंसल की मुहर नहीं पाई गयी। उक्त धनराशि का लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त

अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं

कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम- 256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 96222.00.00 की वसूली श्रीमती बेबी परवीन ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-14)

ग्राम पंचायत का नाम-बिलासपुर

विकास खण्ड-तेजवापुर

7. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बिलासपुर में प्राप्त कैश बुक एवं प्रियासाफ्ट में दिनांक जुलाई 2020 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान एस0एस0 इंटरप्राइजेज को किया गया। ग्राम विकास अधिकारी बिलासपुर श्री पवन अवस्थी विकास खंड कार्यालय तेजवापुर, बहराइच से बार बार पत्राचार पर ग्राम विकास अधिकारी बिलासपुर श्री पवन अवस्थी जो श्री याशर सकील के स्थान पर आये के द्वारा अभिलेख श्री याशर सकील के पास होना बताया गया एवं समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, कार्य प्रगति 2020-21 में समाप्त नहीं होने से उक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी विकास खंड से जारी नहीं किया। ₹0-10,43,169.00 का कुल भुगतान राज्य वित्त/14 वां वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कि तहत पंचायत भवन का भुगतान पर व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर, ठेका अनुबंधपत्र, मजदूरी भुगतान, मस्टर रोल, ईटक्रय के बिल वाउचर, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0बुक, चल/अचल संपत्ति रजिस्टर द्वारा आदि व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत ना कर अपहरण किया गया। उक्त धनराशि का लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के

खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1043169.00.00 की वसूली श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान तथा श्री याशर सकील ग्राम पंचायत

अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू०आ०सं०-61 क)

8. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बिलासपुर में प्राप्त कैश बुक एवं प्रियासाफ्ट में दिनांक जुलाई 2020 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान एस०एस०इंटरप्राइजेज को किया गया। जिस पर निर्धारित 2.0 प्रतिशत की दर से किये गये भुगतान पर इन्कम टैक्स व टी०डी०एस० काटकर नियमानुसार राजकीय कोष में ₹0-20,863.38 को जमा न कर, राजकीय राजस्व का नुकसान किया गया है जो वसूली योग्य है। इसकी वसूली श्रीमती सावित्री देवी पूर्व ग्राम प्रधान तथा श्री याशर सकील ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू०आ०सं०-61 ख)

9. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बिलासपुर में लगभग लगभग ₹0-12,90,000.00 का कार्य मनरेगा के तहत हुआ है। जिसमें कच्चे कार्य तथा पक्के कार्य का विवरण अलग-अलग लेखा परीक्षा कार्य में प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही मास्टर रोल तथा कच्चे कार्य की पत्रावलिया अज्ञात रही, मनरेगा कार्य में सामग्री भुगतान का अनुपात 60/40 सही नहीं पाया गया। ऐसे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वित्त वर्ष 2020-21 में कराये कार्य के संबंध में कोई भी समीक्षा नहीं की जा सकी। अपर मुख्य सचिव उ०प्र० श्री मनोज कुमार सिंह के पत्रांक संख्या 539/38-1/2020-3569/2016 दिनांक 23 नवंबर 2020 के अनुसार उ०प्र० सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं यथा मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना पंचायत भवन निर्माण सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण 15 वां वित्त आयोग पंचम राज्य वित्त आयोग साल्ड वेस्ट मैनेजमेंट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य की गुणवत्ता के सत्यापन के साथ ही विकास खंड से संचालित अन्य विभाग की योजना का निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत तेजवापुर जिला पंचायत अधिकारी, बहराइच द्वारा नहीं किया जाता है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच तथा खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी आडिट दौरान उपरोक्त व्यय आनराशि ₹0-12,90,000.00 मनरेगा के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। मनरेगा योजना की कोषबही लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण इन योजनाओं की पुष्टि नहीं हो सकी। उक्त धनराशि का लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 12,90,000.00.00 की वसूली श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान तथा श्री याशर सकील ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-भाग 3(अ) वर्ष 2019-20 (घ))

ग्राम पंचायत का नाम-जमुनहा बाबागंज

विकास खण्ड-नवाबगंज

10. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप रिबोर पर कार्य पर दिनांक 07.04.2020, 29.07.2020, 06.12.2020, 06.12.2020, 31.03.2021, 31.03.2021 को क्रमशः ₹0 31795.00, 31870.00, 31870.00, 31870.00, 2940.00, 26119.00, कुल व्यय ₹0 156464.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है।

खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना

को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹ 2000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डवाश की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु इसके लिए 2 आई डी (37055948, 37631233) जनरेट किया गया है। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगजीवन राम व ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन बानो से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-08)

11. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 29.07.2020, 31.03.2021, 31.03.2021, 31.03.2021, 31.03.2021 को क्रमशः ₹ 30995.00, 35913.00, 2940.00, 68646.00, 2940.00 कुल व्यय ₹ 141434.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹ 2000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डवाश की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु इसके लिए 2 आई डी (37631150, 37055740) जनरेट किया गया है, इनमें से एक आई डी की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 01.07.2020 को लिया गया है। जबकि प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 20.05.2020 का है जो फर्जी लग रहा है। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं

लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगजीवन राम व ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन बानो से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

12. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप क्रय पर दिनांक 29.07.2020, 31.07.2020, को क्रमशः ₹ 42880.00, 34350.00 कुल व्यय ₹ 77230.00 का भुगतान किया गया। लेकिन इस ह्यूम पाइप की स्थापना के संदर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये/कुछ भी व्यय नहीं किया गया है, मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम

पाइप का उपभोग किया गया है यह भी अस्पष्ट रहा दूसरे शब्दों में कार्य स्थान का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है, स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ह्यूम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि भूमिगत नाली निर्माण के संदर्भ में किया जाता है। शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015

लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है। जोकि ग्राम

पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री जगजीवन राम व ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन बानो से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-10)

ग्राम पंचायत का नाम-सहजना

विकास खण्ड-नवाबगंज

13. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वाल पेंटिंग, कार्ययोजना वाल पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, कोविड-19 का स्लोगन राइटिंग में दिनांक 17.08.2020, 18.09.2020, 27.11.2020, 24.12.2020 को क्रमशः रूपया 38293.00, 18240.00, 100.00, 16000.00 कुल रूपया 72633.00 कैशबुक अनुसार व्यय किया गया है। सम्बंधित ग्राम सभा से अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। जबकि 50प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम सभा से स्वीकृत होगा। 50प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्यप्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री जनार्दन विश्वकर्मा व ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06)

ग्राम पंचायत का नाम-मासाडीह

विकास खण्ड-महसी

14. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप रिबोर एवं मरम्मत कार्य पर दिनांक 19.10.2020, 12.11.2020, 12.11.2020, 12.11.2020, 12.11.2020, 07.12.2020, 07.12.2020, 07.12.2020, को क्रमशः ₹0 28300.00, 29483.00, 30003.00, 29743.00, 29900.00, 29743.00, 30000.00, 30010.00, कुल व्यय ₹0 237182.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹0 2000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपंप की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु इसके लिए कई आई डी जनरेट किया गया है जो अनियमित है। कृत कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे व्ययित भुगतान की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश चंद्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती छोटकई से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07)

15. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालय पूरे शिवरतन सिंह के बगल में गड्डे में मिट्टी पटाई कार्य पर दिनांक 07.10.2020 को रूपया 58560.00 का व्यय दर्शित है। सम्बंधित ग्राम सभा से अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय $\leq$ पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश चन्द्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती छोटकई से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-08)

ग्राम पंचायत का नाम-थैलिया

विकास खण्ड-महसी

16. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में अज्ञात स्थलों पर स्ट्रीट लाइट पर दिनांक 06.06.2020 कुल रूपये 208000.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य में कोई वर्क आई डी नहीं जनरेट किया गया है, जो अनियमित है। सम्बंधित ग्राम सभा से अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्रय किए गये स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता जीवनकाल, क्षमता इत्यादि की स्थिति क्या रही। स्थलवार स्थापना की सूची भी अनुपलब्ध रही। स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु वैध विद्युत कनेक्शन आवश्यक है परन्तु लेखा परीक्षा में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। जबकि 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम सभा से स्वीकृत होगा। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय $\leq$ पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती कोयली से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-12)

ग्राम पंचायत का नाम-नकवा

विकास खण्ड-महसी

17. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि “हरीश के घर से राम जी के घर तक खडंजा मरम्मत” के कार्य में वर्क आई डी 40034025 जनरेट किया गया है जिसकी तकनीकी स्वीकृति दिनांक 01.08.2020 को एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 02.10.2020 को निर्गत किया गया है। परन्तु उक्त कार्य संबंधी भुगतान रू0 59931.00 दिनांक 28.08.2020 को ही कर दिया गया है जो कि अनियमित है। उक्त कार्य पर व्ययित धनराशि में मजदूरी पर व्यय दर्शित नहीं है। मस्टर रोल के अभाव में कार्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, अतः व्यय अनियमित लग रहा है। त्रिस्तरीय फोटोग्राफ के अभाव में यह पता नहीं चल पाया कि उस मार्ग पर जो खडंजा लगा था वो किस स्थिति में था। निर्माण पत्रावली उपलब्ध ना

होने से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि लगे खडंजे का क्या हुआ। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गये व्यय ₹0 59931.00 लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।” बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश चन्द्रा व ग्राम प्रधान श्री चन्द्रिका से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

18. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि “मुलुकराज के घर से राम हेत के घर तक खडंजा मरम्मत” के कार्य में वर्क आई डी 44564025 जनरेट किया गया है जिसकी तकनीकी स्वीकृति दिनांक 01.09.2020 को एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 01.09.2020 को निर्गत किया गया है। उक्त कार्य पर व्ययित धनराशि में मजदूरी पर दिनांक 04.09.2020 को व्यय ₹0 12663.00 एवं ईट क्रय पर ₹0 31015.00 दर्शित है। मस्टर रोल के अभाव में कार्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, अतः व्यय अनियमित लग रहा है। त्रिस्तरीय फोटोग्राफ के अभाव में यह पता नहीं चल पाया कि उस मार्ग पर जो खडंजा लगा था वो किस स्थिति में था। निर्माण पत्रावली उपलब्ध ना होने से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि लगे खडंजे का क्या हुआ। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गये व्यय ₹0 43678.00 लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।” बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश चन्द्रा व ग्राम प्रधान श्री चन्द्रिका से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-10)

19. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 21.05.2020, 04.09.2020, 10.09.2020, 17.09.2020, 16.10.2020, 27.03.2021 को क्रमशः ₹0 18500.00, 26322.00, 26322.00, 26322.00, 5237.00, 5672.00, 5974.00, 4417.00, 4682.00, 6098.00 6324.00, 8425.00, 6880.00, 6848.00, 7425.00, 7065.00, 7900.00, कुल व्यय ₹0 180413.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। डंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019- 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपंप की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया

जाना है, परन्तु इसके लिए 4 आई डी जनरेट किया गया है, इनमें से 2 आई डी (37808615, 36695168) की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली गई। दिनांक 10.06.2020 के पहले की कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। परन्तु उक्त कार्य के लिए पहला भुगतान 21.05.2020 को किया गया है। जो अनियमित है। कृत कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश चन्द्रा व ग्राम प्रधान श्री चन्द्रिका से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-11)

20. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप रिबोर कार्य पर दिनांक 23.05.2020 को ₹0 59901.00 का भुगतान किया गया है। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु इसके लिए कुल 2 आई डी जनरेट किया गया है। जिसमें से एक आई डी (36696059) की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली गई है। इसकी तकनीकी स्वीकृति दिनांक 01.07.2022 की एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 15.07.2022 की है। जो फर्जी प्रतीत हो रहा है। कृत कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूपसे कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे व्ययित भुगतान की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश चंद्रा व ग्राम प्रधान श्री चन्द्रिका से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-12)

ग्राम पंचायत का नाम-रेहुआ मंसूर विकास खण्ड-महसी

21. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप रिबोर कार्य पर दिनांक 23.04.2020 को ₹0 176477.00 का भुगतान किया गया है। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु इसके लिए कुल 2 आई डी (45154372, 37146413) जनरेट किया गया है। 02.07.2020 के पहले की कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है परन्तु सारा भुगतान 23.04.2020 को किया गया है। जो अनियमित है। कृत कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूपसे कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे

व्ययित भुगतान की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण श्रीवास्तव व ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

22. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 09.10.2020, 19.10.2020, 04.12.2020, 24.12.2020, को क्रमशः ₹0 26720.00, 5800.00, 8500.00, 6960.00, 20177.00, कुल व्यय ₹0 68157.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जो अनियमित है। कृत कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ₹0- 68157.00 ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण श्रीवास्तव व ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-16)

23. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में अज्ञात स्थल पर खडंजा मरम्मत पर दिनांक 24.12.2020 को कुल ₹0 201648.00 का व्यय किया गया है। उक्त कार्य में कुल 3 वर्क आई डी जनरेट किया गये हैं जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। वर्क आई डी 44734354 की तकनीकी स्वीकृति कुल ₹0 250000.00 की है, परन्तु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कुल ₹0 550000.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है जो अनियमित है। त्रिस्तरीय फोटोग्राफ के अभाव में यह पता नहीं चल पाया कि उस मार्ग पर जो खडंजा लगा था वो किस स्थिति में था। निर्माण पत्रावली उपलब्ध ना होने से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि लगे खडंजे का क्या हुआ। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय≤ पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गये व्यय ₹0 201648.00 लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।”बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण श्रीवास्तव व ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-13)

24. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में सरजू पुरवा में संपर्क मार्ग मरम्मत पर दिनांक 13.10.2020 को कुल ₹0 40020.00 का व्यय किया गया है। उक्त कार्य में वर्क आई डी (37146855) जनरेट किया गया है जिसकी न तो तकनीकी और न प्रशासनिक स्वीकृति ली गई

जो अनियमित है। उक्त व्यय पर व्ययित धनराशि में मजदूरी पर व्यय दर्शित नहीं है। मस्टर रोल के अभाव में कार्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। अतः व्ययित धनराशि अनियमित लग रहा है। अतः त्रिस्तरीय फोटोग्राफ के अभाव में यह पता नहीं चल पाया कि उस मार्ग पर जो खडंजा लगा था वो किस स्थिति में था। निर्माण

पत्रावली उपलब्ध ना होने से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि लगे खडंजे का क्या हुआ। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय_≤ पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गये व्यय रु0 40020.00 लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।” बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण श्रीवास्तव व ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

ग्राम पंचायत-रमवापुर खुर्द

विकास खण्ड-महसी

25. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप रिबोर कार्य पर दिनांक 10.11.2020, एवं 10.12.2020 को कुल व्यय रु0 60870.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019

जीपीडीपी की तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि रु0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु इसके लिए 2 आई.डी. (45091325, 53623668) जनरेट किया गया है, जो अनियमित है। कृत कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली व्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार व ग्राम प्रधान श्री ठाकुर प्रसाद से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07)

26. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 14.08.2020, 13.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020, 26.03.2021 को क्रमशः रु0 12000.00, 28290.00, 20510.00, 38116.00, 10000.00, 7250.00 कुल व्यय रु0 116166.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि रु0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके लिए वर्क आई.डी. 53623641 जनरेट किया गया है, परन्तु न तो इसके लिए तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गई है जो अनियमित है। कृत कार्य

के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार व ग्राम प्रधान श्री ठाकुर प्रसाद से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-08)

ग्राम पंचायत का नाम-चैगोडवा विकास खण्ड-नवाबगंज

27. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप रिबोर कार्य पर दिनांक 17.07.2020, 21.03.2021, 25.03.2021 में रुपये 32540.00, 32540.00, 32900.00, 32540.00, 32540.00, 32540.00, 32333.00, 32333.00, 32503.00, 31897.00 कुल व्यय रु0 324666.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि रु0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपंप की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु इसके लिए कई आई.डी. जनरेट किया गया। जो अनियमित है। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शत्रोहन लाल व ग्राम प्रधान श्रीमती साधना से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-06)

28. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 03.10.2022 को क्रमशः रु0 15990.00, 12270.00, 12270.00, 16110.00, 16110.00, 16110.00, 16110.00, 12275.00, कुल व्यय रु0 133355.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि रु0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपंप की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जो अनियमित है। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शत्रोहन लाल व ग्राम प्रधान श्रीमती साधना से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07)

ग्राम पंचायत का नाम-जमुनहा नौबस्ता

विकास खण्ड-नवाबगंज

29. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप रिबोर कार्य पर दिनांक 27.07.2020, 30.07.2020, 04.09.2020, 11.09.2020, 28.10.2020, 02.12.2020, 19.12.2020, 25.03.2021, में रुपये 31270.00, 22150.00, 25800.00, 31740.00, 3174040.00, 31660.00, 31820.00, 34340.00, 32560.00, 32399.00, 32540.00 32381.00, 32361.00, कुल व्यय ₹0 402261.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपंप की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु इसके लिए 3 आई.डी. (37618074, 44871898, 50613100) जनरेट किया गया। इनमें से 2 आई.डी. (44871898, 37618074) की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली गई। तकनीकी स्वीकृति किस पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। स्पष्ट नहीं है एवं प्रशासनिक स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति से अधिक है जो अनियमित है। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शत्रोहन लाल व ग्राम प्रधान श्री मो० ताजुद्दीन से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-08)

30. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 11.10.2020, 15.10.2020, 06.11.2020, 19.12.2020, 24.12.2020, को क्रमशः ₹0 14250.00, 8800.00, 10200.00 25000.00, 3730.00, 13080.00, 13080.00, 13080.00, 8990.00, 20177.00, कुल व्यय ₹0 130387.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराब थे, शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है कि ₹0 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपंप की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। परन्तु इस आई.डी. (37617985) की प्रशासनिक स्वीकृति

15.05.2020 को लिया गया है। परन्तु तकनीकी स्वीकृति उसके बाद 03.07.2020 को लिया गया है। जो फर्जी प्रतीत हो रहा है। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शत्रोहन लाल व ग्राम प्रधान श्री मो० ताजुद्दीन से ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-09)

31. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में अज्ञात स्थलों पर सोलर लाइट एवं एल ई डी खरीद पर दिनांक 09.07.2020, 25.09.2020, को रुपये 111000.00, 43200.00, 25200.00, कुल रुपये 179400.00 का व्यय किया गया। उक्त कार्य में वर्क आई डी 44872199 जनरेट किया गया है, जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई। जो

अनियमित है। सम्बंधित ग्राम सभा से अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य किए गये सोलर लाइट एल.ई.डी.की गुणवत्ता जीवनकाल, क्षमता इत्यादि की स्थिति क्या रही। अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग के शा.स. 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइडलाइन के अनुसार सौर उर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यूपी नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है, लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित वाउचर/मूल अभिलेख (वाउचर, इस्टिमेट, माप पुस्तिका, त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम सभा से स्वीकृत होगा। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शत्रोहन लाल व ग्राम प्रधान श्री मो० ताजुद्दीन से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-10)

32. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप क्रय पर दिनांक 30.06.2020, 06.11.2020, को क्रमशः ₹ 54570.00, 25000.00 कुल व्यय ₹ 79570.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य में वर्क आई डी (44872212) जनरेट किया गया जिसकी न तो तकनीकी और न प्रशासनिक स्वीकृति ली गई जो अनियमित है। लेकिन इस ह्यूम पाइप की स्थापना के संदर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये/कुछ भी व्यय नहीं किया गया है, मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप का उपभोग किया गया है यह भी अस्पष्ट रहा दूसरे शब्दों में कार्य स्थान का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है, स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ह्यूम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि भूमिगत नाली निर्माण के संदर्भ में किया जाता है। शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019- 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है। जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शत्रोहन लाल व ग्राम प्रधान श्री मो० ताजुद्दीन से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-11)

ग्राम पंचायत का नाम-चरदा

विकास खण्ड-नवाबगंज

33. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में मस्जिद से नानकुन के घर के पीछे तक नाली निर्माण कार्य पर ₹ 228452.00, मो०हनीफ के घर से नहर तक नाली निर्माण कार्य पर ₹ 186754.00, मटरू के घर से काशीराम के घर तक नाली निर्माण कार्य पर ₹ 128017.00, बाबू माली के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य पर ₹ 86806.00, नाली निर्माण पर कुल व्यय रुपये 630029.00 किया गया है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के

प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रुपये 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करके किया जाएगा तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत बिक्रेता/निर्माता होना चाहिए। साथ ही आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194-सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से स्रोत पर कटौती किया जाना चाहिए। ऐसा किया गया या नहीं, निर्माण पत्रावली के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय पर व्ययित धनराशि में मजदूरी पर व्यय दर्शित नहीं है। मस्टर रोल के अभाव में कार्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। अतः व्ययित धनराशि अनियमित लग रहा है। अतः त्रिस्तरीय फोटोग्राफ के अभाव में यह पता नहीं चल पाया कि नाली निर्माण के पूर्व किस स्थिति में थी। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय_≤ पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गये व्यय रू0 630029.00 लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।” बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जनार्दन विश्वकर्मा व ग्राम प्रधान श्री मो० फैयाज अली से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06)

34. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में मोहन के घर से लल्लन के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य पर रू0 151583.00, मटरू के घर से काशीराम के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य पर रू0 25265.00, कैलाश श्रीवास्तव के घर से कौशल मास्टर के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य पर रू0 61553.00, खडंजा मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रुपये 238401.00 किया गया है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1- 864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रुपये 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करके किया जाएगा तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत बिक्रेता/निर्माता होता चाहिए। साथ ही आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194-सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से स्रोत पर कटौती किया जाना चाहिए। ऐसा किया गया या नहीं, निर्माण पत्रावली के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय पर व्ययित धनराशि में मजदूरी पर व्यय दर्शित नहीं है। मस्टर रोल के अभाव में कार्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। अतः व्ययित धनराशि अनियमित लग रहा है। अतः त्रिस्तरीय फोटोग्राफ के अभाव में यह पता नहीं चल पाया कि नाली निर्माण के पूर्व किस स्थिति में थी। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय_≤ पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कुल कार्य की पुष्टि की जा सके। उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गये व्यय रू0 238401.00 लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की

जाएगी।"बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जनार्दन विश्वकर्मा व ग्राम प्रधान श्री मो० फैयाज अली से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-०७)

ग्राम पंचायत का नाम-शाहपुरखुर्द

विकास खण्ड-बलहा

35. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रियासाफ्ट कैशबुक में सामुदायिक शोचालय निर्माण कार्य हेतु दिनांक 05.12.2020 को रूपया 99559.00 का भुगतान रूकसार टेडर्स, दिनांक 05.12.2020 को रूपया 57750.00 का भुगतान सिंह टेडिंग, दिनांक 06.12.2020 को रूपया 29636.00 का भुगतान चौधरी आर्डर सप्लायर, दिनांक 14.12.2020 को रूपया 24500.00 का भुगतान चौधरी आर्डर सप्लायर, दिनांक 14.12.2020 को रूपया 7586.00 का भुगतान चौधरी आर्डर सप्लायर, कुल रुपये 219031.00 का व्यय सामग्री ईट क्रय, मास्टर रोल पर किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू० 219031.00 की वसूली श्री इस्लाम ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री संदीप त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-०१)

36. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रियासाफ्ट कैशबुक में पंचायत भवन निर्माण हेतु मिट्टी क्रय हेतु दिनांक 10.12.2020 को रूपया 76080.00 का भुगतान चौधरी ब्रिक फील्ड को किया गया। दिनांक 10.12.2020 को रूपया 76339.00 का भुगतान पंचायत भवन निर्माण हेतु मटेरियल क्रय हेतु चौधरी आर्डर सप्लायर को किया गया। दिनांक 10.12.2020 को रूपया 44889.00 का भुगतान पंचायत भवन निर्माण हेतु इंगल फ्रेम क्रय किये जाने क्रय हेतु चौधरी आर्डर सप्लायर को किया गया। दिनांक 06.12.2020 को रूपया 56140.00 का भुगतान पंचायत भवन निर्माण हेतु इंगल फ्रेम क्रय किये जाने क्रय हेतु चौधरी आर्डर सप्लायर को किया गया। दिनांक 10.12.2020 को पंचायत भवन निर्माण हेतु स्टील क्रय किये जाने हेतु रुपये 60486.00 एवं 54988.00 का भुगतान चौधरी आर्डर सप्लायर को किया गया। दिनांक 10.12.2020 को पंचायत भवन निर्माण हेतु स्टेरिंग कार्य किये जाने हेतु रुपये 39500.00 का भुगतान चौधरी आर्डर सप्लायर को किया गया। पंचायत भवन क्रय हेतु विन्डो क्रय दिनांक 10.12.2020 को रू० 5548.00 चौधरी आर्डर सप्लायर को किया गया। कुल भुगतान रुपये 413970.00 का किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध

करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 413970.00 की वसूली श्री इस्लाम ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री संदीप त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

37. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप मरम्मत/रिबोर कार्य पर दिनांक 14.04.2020 को कुल व्यय रू0 15700.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपंप खराब थे, बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये निर्देशों के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। 30प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) से (ड)तक अधिभार योग्य है इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीप त्रिपाठी व ग्राम प्रधान श्री इस्लाम एवं से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

38. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15.08.2020 को प्रा0वि0 शाहपुर खुर्द खैरी हैण्डवाश निर्माण हेतु कार्य पर मजदूरी का भुगतान रू0 2120.00 किया गया। दिनांक 14.10.2020 को प्रा0वि0 शाहपुर खुर्द खैरी में हैण्डवाश निर्माण, बालू, मौरंग, पाइप क्रय हेतु कार्य का भुगतान रूकसार टेडर्स को रू0 41000.00 किया गया। दिनांक 14.10.2020 को प्रा0वि0 बरुहा में हैण्डवाश निर्माण, बालू, मौरंग, पाइप क्रय हेतु कार्य का भुगतान रूकसार टेडर्स को रू0 41000.00 किया गया। दिनांक 14.10.2020 को प्रा0स्कूल में हैण्डवाश निर्माण, ईट क्रय हेतु रू0 6818.00 का भुगतान सिंह ब्रिक फील्ड को किया गया। दिनांक 14.10.2020 को प्रा0स्कूल में हैण्डवाश निर्माण हेतु रू0 6915.00 का भुगतान मजदूरी हेतु किया गया। दिनांक 14.10.2020 को प्रा0स्कूल में हैण्डवाश निर्माण, ईट क्रय हेतु रू0 6881.00 का भुगतान सिंह ब्रिक फील्ड को किया गया। दिनांक 14.10.2020 को प्रा0 स्कूल हैण्डवाश निर्माण हेतु कार्य पर मजदूरी का भुगतान रू0 7180.00 किया गया। दिनांक 19.10.2020 को प्रा0स्कूल में हैण्डवाश निर्माण, ईट क्रय हेतु रू0 6818.00 का भुगतान सिंह ब्रिक फील्ड को किया गया। दिनांक 19.10.2020 को प्रा0स्कूल में हैण्डवाश निर्माण हेतु कार्य पर मजदूरी का भुगतान रू0 6915.00 किया गया। दिनांक 19.10.2020 को प्रा0स्कूल में हैण्डवाश निर्माण, ईट क्रय हेतु रू0 6881.00 का भुगतान सिंह ब्रिक फील्ड को किया गया। दिनांक 19.10.2020 को प्रा0स्कूल में हैण्डवाश निर्माण हेतु रू0 7180.00 का भुगतान मजदूरी हेतु किया गया। कुल व्यय रू0 139708.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये निर्देशों के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। 30प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम- 256 (2) से (ड.) तक अधिभार योग्य है इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीप त्रिपाठी व ग्राम प्रधान श्री इस्लाम एवं से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित | (सा0आ0सं0-04)

39. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.10.2020 में चैतराम के घर से मौलवी कुटटी तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय का भुगतान रू0 63700.00 हसन अली एण्ड

सन्स को किया गया, चैतराम के घर से मौलवी कुटटी तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु ₹0 80262.00 हसन अली एण्ड सन्स को किया गया, चैतराम के घर से मौलवी कुटटी तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु ₹0 25480.00 चैधरी ब्रिक फील्ड को किया गया, चैतराम के घर से मौलवी कुटटी तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान ₹0 4592.00 किया गया, प्रियासाफ्ट कैशबुक में चैतराम के घर से मौलवी कुटटी तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु कुल व्यय रुपये 174034.00 दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 जिला पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 174034.00 की वसूली श्री इस्लाम ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री संदीप त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05)

ग्राम पंचायत का नाम-मधुबन

विकास खण्ड-बलहा

40. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.03.2020 में प्रा0 स्कूल हथमरवा में शौचालय निर्माण कार्य, ईट क्रय हेतु ₹0 6323.00 का भुगतान आदर्श ब्रिक फील्ड को किया गया, प्रा0 स्कूल हथमरवा में शौचालय निर्माण कार्य, सीमेन्ट बालू क्रय हेतु ₹0 46370.00 का भुगतान विश्वकर्मा सप्लायर को किया गया, प्रा0 स्कूल हथमरवा में शौचालय निर्माण कार्य, ईट क्रय हेतु ₹0 5600.00 का भुगतान मजदूरी का किया गया, प्रा0 स्कूल हथमरवा में शौचालय निर्माण कार्य हेतु कुल व्यय रुपये 73873.00 दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 73873.00 की वसूली श्री नसीबुन ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

41. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 26.10.2020 में प्रा0 स्कूल मधुबन रूम 2 में कार्य सीमेन्ट, बालू, मौरग क्रय हेतु ₹0 76240.00 का भुगतान रजाटेडिंग कम्पनी को किया

गया, प्रा० स्कूल मधुबन रुम 2 में कार्य टाइल्स क्रय हेतु रु० 43250.00 का भुगतान रजाटेडिंग कम्पनी को किया गया प्रा० स्कूल मधुबन रुम 2 में कार्य मजदूरी हेतु रु० 41040.00 का भुगतान मजदूरी में किया गया प्रियासाफ्ट कैशबुक में प्रा० स्कूल मधुबन रुम 2 रिपेयरिंग, पेंटिंग, टाइल्स कार्य हेतु कुल व्यय रुपये 160530.00 दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय 160530.00 की वसूली श्री नसीबुन ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-02)

42. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 28.06.2020 में बब्लू खान के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान रु० 29233.00 का इण्डिया मार्का 2 हैण्डपाइप मकैनिक को किया गया, रईस के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान रु० 30182.00 का इण्डिया मार्का 2 हैण्डपाइप मकैनिक को किया गया, सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99- 21(एम), दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के संख्या-5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कर बिना जल प्रबन्धन समिति के भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये, लेकिन ग्राम पंचायतों में इसका पालन न करते हुए रु० 59415.00 भुगतान किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण- पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु० 59415.00 की वसूली श्री नसीबुन ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

43. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 27.03.2021 में प्रा० स्कूल हथमरवा के अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स व चबूतरा निर्माण कार्य, मौरंग, सीमेन्ट, बालू हेतु रु० 10839.00 का भुगतान वर्मा सप्लायर को किया गया, प्रा० स्कूल हथमरवा के अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स व चबूतरा निर्माण कार्य, टाइल्स क्रय हेतु रु० 61446.00 का भुगतान वर्मा सप्लायर को किया गया, प्रा० स्कूल हथमरवा के अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स व चबूतरा निर्माण कार्य, टाइल्स क्रय की मजदूरी हेतु रु० 20140.00 का भुगतान मजदूरी में किया गया, प्रा० स्कूल हथमरवा के अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स व

चबूतरा निर्माण कार्य, मौरंग, सीमेन्ट, बालू क्रय हेतु ₹0 70003.00 का भुगतान वर्मा सप्लायर को किया गया, प्रा० स्कूल हथमरवा के अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स व चबूतरा निर्माण कार्य, मौरंग, सीमेन्ट, बालू क्रय हेतु ₹0 52811.00 का भुगतान वर्मा सप्लायर को किया गया, प्रा० स्कूल हथमरवा के अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स व चबूतरा निर्माण कार्य हेतु ₹0 57660.00 का भुगतान मजदूरी में किया गया, प्रियासाफ्ट कैशबुक में प्रा० स्कूल हथमरवा के अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स व चबूतरा निर्माण कार्य हेतु कुल व्यय रुपये 272899.00 दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त

दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2)

(क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 272899.00 की वसूली श्री नसीबुन ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-04)

ग्राम पंचायत का नाम-सर्ग मुन्दरी

विकास खण्ड-बलहा

44. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 29.09.2020 को प्रा० स्कूल सर्ग मुन्दरी में हैण्डवाश निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय पर ₹0 7486.00 का भुगतान आदर्श ब्रिक फील्ड को किया गया, प्रा० स्कूल सर्ग मुन्दरी में हैण्डवाश निर्माण कार्य पर ₹0 52993.00 का भुगतान विकास टाइल्स एण्ड हार्डवेयर को किया गया, प्रा० स्कूल सर्ग मुन्दरी में हैण्डवाश निर्माण कार्य हेतु ₹0 7486.00 का भुगतान आदर्श ब्रिक फील्ड को किया गया प्रा० स्कूल सर्ग मुन्दरी में हैण्डवाश निर्माण कार्य हेतु मौरंग, सीमेन्ट, बालू क्रय पर ₹0 52626.00 का भुगतान विकास टाइल्स एण्ड हार्डवेयर को किया गया, कुल व्यय ₹0 120591.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 120591.00 की वसूली श्री गोबरे ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-01)

45. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 29.07.2020 को नाव क्रय हेतु व्यय क्रमशः ₹0 53100.00 एवं 29500.00 का भुगतान जनेश्वर कान्टेक्टर को किया गया कुल व्यय

₹0 82600.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण- पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 82600.00 की वसूली श्री गोबरे ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

46. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप रिबोर कार्य पर दिनांक 06.09.2020 को ₹0 90428.00 का भुगतान अमन हैण्डपम्प मकैनिक एवं दिनांक 24.12.2020 को ₹0 31980.00 का भुगतान तिलक राम कान्टेक्टर को किया गया कुल व्यय ₹0 122408.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99-21 (एम), दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के संख्या-5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कर बिना जल प्रबन्धन समिति के भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये, हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये निर्देशों के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) से (ड.) तक अधिभार योग्य है इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री गोबरे से ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

47. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 27.03.2021 को पहलीपुरवा वि0 में हैण्डवाश वाटर सप्लाई हेतु मटेरियल हेतु व्यय धनराशि ₹0 59179.00 का भुगतान विकास टाइल्स एण्ड हार्डवेयर, पहलीपुरवा वि0 में हैण्डवाश वाटर सप्लाई हेतु सीमेन्ट पर व्यय धनराशि ₹0 19489.00 का भुगतान विकास टाइल्स एण्ड हार्डवेयर, आदर्श ब्रिक फील्ड, जैरामपुरवा वि0 में हैण्डवाश वाटर सप्लाई हेतु मटेरियल हेतु व्यय धनराशि ₹0 59179.00 का भुगतान विकास टाइल्स एण्ड हार्डवेयर, जैरामपुरवा वि0 में हैण्डवाश वाटर सप्लाई हेतु सीमेन्ट पर व्यय धनराशि ₹0 19522.00 का भुगतान विकास टाइल्स एण्ड हार्डवेयर, आदर्श ब्रिक फील्ड को किया गया। कुल व्यय ₹0 157369.00 का भुगतान कैशबुक दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से

की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 157369.00 की वसूली श्री गोबरे ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर- बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

48. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 01.12.2020 में मक्कापुरवा में डामर रोड से बसन्त के घर से खडंज्जा मरम्मत कार्य हेतु ₹0 85580.00 का भुगतान न्यू हसन अली एन्ड सन्स को किया गया, मक्कापुरवा में डामर रोड से बसन्त के घर से खडंज्जा मरम्मत कार्य हेतु ₹0 7475.00 का भुगतान जनेश्वर कान्टक्टर को किया गया, मक्कापुरवा में डामर रोड से बसन्त के घर से खडंज्जा मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी ₹0 39810.00 का भुगतान किया गया, मक्कापुरवा में खलील मिर्जा के घर से छिदू के घर तक खडंज्जा मरम्मत कार्य हेतु ₹0 31409.00 का भुगतान न्यू हसन अली एन्ड सन्स को किया गया मक्कापुरवा में खलील मिर्जा के घर से छिदू के घर तक खडंज्जा मरम्मत कार्य हेतु ₹0 10710.00 का भुगतान जनेश्वर कान्टक्टर को किया गया मक्कापुरवा में खलील मिर्जा के घर से छिदू के घर तक खडंज्जा मरम्मत कार्य हेतु ₹0 25980.00 का मजदूरी भुगतान किया गया। कुल व्यय रुपये 200964.00 कैश बुक में दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली श्री गोबरे ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

ग्राम पंचायत का नाम-रायपुर कबुला

विकास खण्ड-रिसिया

49. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप रिबोर/मरम्मत कार्य पर दिनांक 02.05.2020 को धनराशि क्रमशः ₹0 29950.00, 30405.00, 30535.00, 30405.00, दिनांक 28.05.2020 को धनराशि ₹0 24456.00 का भुगतान किया गया कुल व्यय ₹0 145751.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99-21(एम), दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के संख्या-5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कर बिना जल प्रबन्धन समिति के भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये, हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये निर्देशों के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) से (ड.) तक अधिभार योग्य है इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्री सलमान अहमद से ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-11)

50. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 02.05.2020 में ए0एन0एम0 सेन्टर में टाइल्स कार्य एवं मरम्मत पर कुल व्यय रुपये 760655.00 प्रिया शाफ्ट कैशबुक दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 760655.00 की वसूली श्री सलमान अहमद ग्राम प्रधान तथा श्री आशीष कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी से आधी- आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-12)

51. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.07.2020, 23.09.2020, 01.11.2020, 24.12.2020 में हैण्डवाश निर्माण व पानी सप्लायी हेतु कुल व्यय रुपये 323534.00 दर्शाया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 323534.00 की वसूली श्री सलमान अहमद ग्राम प्रधान तथा श्री आशीष कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-13)

52. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06.09.2020, 22.09.2020, 10.10.2020, 29.10.2020, 24.12.2020 में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु कुल व्यय रुपये 595735.00 दर्शाया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली

ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 595735.00 की वसूली श्री सलमान अहमद ग्राम प्रधान तथा श्री आशीष कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

ग्राम पंचायत का नाम-निविया बेगमपुर विकास खण्ड-रिसिया

53. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 30.04.2020 को धनराशि क्रमशः रू0 24636.00, 23838.00, 24436.00, 19640.00 का भुगतान किया गया कुल व्यय रू0 92550.00 का भुगतान किया गया। सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99-21 (एम), दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के संख्या-5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कर बिना जल प्रबन्धन समिति के भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये, हैण्डपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये निर्देशों के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) से (ड.) तक अधिभार योग्य है इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली जोकि ग्राम व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से ब्याज सहित बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-11)

54. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 21.08.2020, 07.09.2020, 08.09.2020, 31.03.2021 में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर कुल व्यय रुपये 570533.00 प्रिया शाफ्ट कैशबुक दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड;) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 570533.00 की वसूली श्री अशोक कुमार ग्राम प्रधान तथा श्री आशीष कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-12)

55. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 24.08.2020, 02.09.2020, 11.09.2020, में संस्था द्वारा प्राथमिक विद्यालय में हैण्डवाश निर्माण व पानी सप्लायी हेतु कुल व्यय रुपये 190605.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार चबूतरा व नाली निर्माण दर्शाकर रू0 190605.00 का व्यय दिखाया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम

पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 190605.00 की वसूली श्री अशोक कुमार ग्राम प्रधान तथा श्री आशीष कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-13)

ग्राम पंचायत का नाम-सरपतहा

विकास खण्ड-तेजवापुर

56. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सरपतहा में रोड के सामने हैंडपंप रिबोर कार्य पर दिनांक 12.08.2020 को ₹0 29106.00, का भुगतान असलम टेडर्स को किया गया, ग्राम पंचायत सरपतहा में खालेबगिया में हैंडपंप मरम्मत कार्य हेतु पर दिनांक 12.08.2020 को ₹0 29236.00, का भुगतान असलम टेडर्स को किया गया, ग्राम पंचायत के विभिन्न मजदूरों में हैंडपंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 06.09.2020 को ₹0 35115.00, का भुगतान असलम टेडर्स को किया गया, ग्राम पंचायत सरपतहा में राजू के घर के पास इंडिया मार्क हैंडपंप मरम्मत कार्य पर दिनांक 18.09.2020 को ₹0 29483.00, का भुगतान असलम टेडर्स को किया गया, ग्राम पंचायत सरपतहा में नन्हें के घर के पास इंडिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर दिनांक 18.09.2020 को ₹0 29483.00, का भुगतान असलम टेडर्स को किया गया, अमीनुद्दीन के घर के पास इंडिया मार्क हैंडपंप 2 रिबोर कार्य हेतु दिनांक 24.12.2020 को ₹0 29720.00, का भुगतान असलम टेडर्स को किया गया, मैनुद्दीन के घर के पास इंडिया मार्क हैंडपंप 2 रिबोर कार्य हेतु दिनांक 24.12.2020 को ₹0 29460.00, का भुगतान असलम टेडर्स को किया गया, ईदगाह के पास के इंडिया मार्क हैंडपंप 2 रिबोर कार्य हेतु दिनांक 24.12.2020 को ₹0 29910.00, का भुगतान असलम टेडर्स को किया गया, प्राथमिक विद्यालय सरपतहा में इंडिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य हेतु दिनांक 31.10.2020 को ₹0 29673.00, का भुगतान असलम टेडर्स को किया गया, कुल व्यय ₹0 271186.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया। सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99-21(एम), दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के संख्या-5 के अनुसार हैंडपंप मरम्मत/रिबोर कर बिना जल प्रबन्धन समिति के भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये, हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये निर्देशों के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। 30प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) से (ड.) तक अधिभार योग्य है इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली जोकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क एवं 8 ख के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव अधिकारी श्री याशर शकील एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शरीफुनिशां से बराबर- बराबर हिस्सों में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-24)

57. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 19.08.2020 से 01.11.2020 तक प्राथमिक विद्यालय सरपतहा के प्रांगण में इंटरलाकिंग कार्य पार्ट 2, मिट्टी कार्य, प्राथमिक विद्यालय खैरातिया हमीदपुर में शौचालय मरम्मत कार्य हेतु कुल व्यय रुपये 171756.00 दर्शाया गया है। दिनांक 19.08.2020 से 01.11.2020 तक प्राथमिक विद्यालय सरपतहा के प्रांगण में इंटरलाकिंग कार्य पार्ट 1, हेतु कुल व्यय रुपये 730335.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल व्यय ₹0 902091.00 उक्त व्यय

के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 902091.00 की वसूली श्रीमती श्रीफुनिशां ग्राम प्रधान तथा श्री याशर शकील ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-25)

58. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23.09.2020 से 26.11.2020 तक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य और खरीद सामग्री हेतु कुल व्यय रुपये 681656.00.00 दर्शाया गया है। कुल व्यय ₹0 681656.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 681656.00 की वसूली श्रीमती श्रीफुनिशा ग्राम प्रधान तथा श्री याशर शकील ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-26)

59. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25.11.2020 से 24.12.2020 तक ग्राम पंचायत सरपतहा में नाली निर्माण, ह्यूम पाइप क्रय और मजदूरी कार्य पर रुपये 1062813.00 का भुगतान एस0एस0इंट्राइजेज, हिन्दुस्तान ट्रेडिंग कंपनी को किया गया। पप्पू के घर से सेखन के घर तक अंडर ग्राउंड नाली निर्माण, खुसरू के घर से अमीनद्दीन के घर होते हुए कामिल के घर तक अंडर ग्राउंड नाली निर्माण कार्य हेतु, मैंनूछीन के घर से तालाब तक अंडर ग्राउंड नाली निर्माण कार्य हेतु लेबर और मिस्त्री का भुगतान आदि पर रुपये 133140.00 का व्यय दर्शाया गया है। कुल व्यय ₹0 1195953.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित

समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 1195953.00 की वसूली श्रीमती शरीफुनिशा ग्राम प्रधान तथा श्री याशर शकील ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-27)

ग्राम पंचायत का नाम-बेहटाभया

विकास खण्ड-तेजवापुर

60. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15.09.2020 से 08.11.2020 तक ग्राम पंचायत बेहटाभया शौचालय निर्माण कार्य पर रु0 458145.00, रंगाई पोताई कार्य पर रु0 72867 व उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंटर लाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री रु0 502116.00, उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैंडपंप रिबोर/मरम्मत के संदर्भ में रु0 263898.00 कैशबुक के अनुसार कृष्णा कंस्ट्रक्शन, शकंबरी टेडर्स को किया गया। कुल व्यय रु0 458145.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 458145.00 की वसूली श्री मकबूल ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

61. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 18.07.2020 को ग्राम पंचायत बेहटाभया में प्राथमिक विद्यालय भयपुरवा व रसोई घर की मरम्मत एवं रंगाई पोताई कार्य हेतु सामग्री का भुगतान खाता संख्या 21504901462 से शकंबरी टेडर्स को रु0 72867.00 का किया गया। कैशबुक के व्यय रु0 72867.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 72867.00 की

वसूली श्री मकबूल ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

62. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25.03.2021 से 12.09.2020 तक ग्राम पंचायत बेहटाभया में प्राथमिक विद्यालय में इंटर लाकिंग निर्माण कार्य आदि पर रू0 502116.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 502116.00 की वसूली श्री मकबूल ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

63. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 21.10.2020 से 23.03.2021 तक ग्राम पंचायत बेहटाभया में हैंडपंप रिबोर एवं मरम्मत कार्य आदि पर रू0 263898.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार इरशाद अली हैंडपंप मैकेनिक एवं किसान टेडर्स को किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 263898.00 की वसूली श्री मकबूल ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

ग्राम पंचायत का नाम-आदिलपुर
विकास खण्ड-तेजवापुर

64. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 17.06.2020 से 11.11.2020 तक ग्राम पंचायत आदिलपुर में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर एवं मरम्मत कार्य आदि पर रू0 147375.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार गंगा हैंडपंप, कृष्णा कंस्ट्रक्शन टेडर्स को किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये

जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 147375.00 की वसूली श्री मोहम्मद उमर ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-11)

65. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 04.08.2020 को बब्बन के घर से अहमद अली के घर तक खंडजा वा नाली निर्माण कार्य हेतु साराभा टेडर्स को ₹0 47303.00 का भुगतान किया गया एवं 13.08.2020 को बब्बन के घर से अहमद अली के घर तक खंडजा वा नाली निर्माण कार्य हेतु लेबर को ₹0 9480.00 का भुगतान किया गया। कुल ₹0 56783.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ईट क्रय दर, सामग्री क्रय बिलों एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 56783.00 की वसूली श्री मोहम्मद उमर ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-12)

66. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत आदिलपुर में दिनांक 15.09.2020 को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु ₹0 127260.00 का भुगतान कृष्ण कंस्ट्रक्शन को किया गया। दिनांक 04.09.2020 को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु ₹0 87355.00 का भुगतान तिवारी टेडर्स को किया गया। कुल व्यय ₹0 214615.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर

उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 214615.00 की वसूली श्री मोहम्मद उमर ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-13)

67. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत आदिलपुर में दिनांक 15.09.2020 को प्राथमिक विद्यालय आदिलपुर में हैण्ड वाश वा वाटर रेनिंग निर्माण कार्य हेतु ₹0 50321.00 का भुगतान तिवारी ट्रेडर्स को किया गया। दिनांक 15.09.2020 को प्राथमिक विद्यालय घोसियाना में हैण्ड वाश वा वाटर रेनिंग निर्माण कार्य हेतु ₹0 57204.00 का भुगतान तिवारी ट्रेडर्स को किया गया। कुल व्यय ₹0 107525.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 107525.00 की वसूली श्री मोहम्मद उमर ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

68. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत आदिलपुर में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण एवं सी एस सी टाइल्स कार्य हेतु दिनांक 04.09.2020 को आदिलपुर में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य हेतु ₹0 51000.00 का भुगतान तिवारी ट्रेडर्स को किया गया। दिनांक 25.12.2020 को सी एस सी टाइल्स का भुगतान ₹0102027.00, का भुगतान कृष्णा कंस्ट्रक्शन ट्रेडर्स को किया गया। दिनांक 25.12.2020 को सी एस सी निर्माण हेतु भुगतान ₹0 102027.00, कृष्णा कंस्ट्रक्शन ट्रेडर्स को किया गया। कुल व्यय ₹0 255054.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 255054.00 की वसूली श्री मोहम्मद उमर ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

ग्राम पंचायत का नाम-नेवादा

विकास खण्ड-तेजवापुर

69. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 07.08.2020 से 24.12.2020 तक ग्राम पंचायत नेवादा में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर एवं मरम्मत कार्य आदि पर कुल व्यय ₹0 316935.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किशन टेडर्स, शनि टेडर्स को किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 316935.00 की वसूली श्रीमती प्रिया ग्राम प्रधान तथा श्री गुलाब सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

70. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक मद में दिनांक 07.08.2020 से 02.12.2020 तक ग्राम पंचायत नेवादा में नंदिनी कंप्यूटरस एंड स्टेशनरी शॉप, सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी, श्री प्रिया कम्प्यूटर्स जॉब ग्रुप आर्डर सप्लायरस को कैशबुक के अनुसार कुल ₹0 49354.00 का भुगतान किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 49354.00 की वसूली श्रीमती प्रिया ग्राम प्रधान तथा श्री गुलाब सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-13)

71. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत नेवादा में दिनांक 14.09.2020 से 24.12.2020 तक सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु ₹0 479981.00 का भुगतान श्याम ब्रिक फील्ड, शनि टेडर्स एवं लेबर को भुगतान में किया गया। सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान ₹0 455201.00 श्याम ब्रिक फील्ड, शनि टेडर्स एवं मजदूरी भुगतान 24780.00 को किया गया। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी

व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 479981.00 की वसूली श्रीमती प्रिया ग्राम प्रधान तथा श्री गुलाब सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

ग्राम पंचायत का नाम-फतेहपुर

विकास खण्ड-तेजवापुर

72. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 05.08.2020 को डामर रोड से हाशम के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य हेतु भोले बाबा ब्रिक फील्ड, सौरभ टेडर्स को रु0 52924.00, 14614.00 का भुगतान किया गया, दिनांक 05.08.2020 को पक्की सड़क से इदरीश के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य हेतु भोले बाबा ब्रिक फील्ड, सौरभ टेडर्स को रु0 63445.00, 13076.00 का भुगतान किया गया। दिनांक 13.08.2020 को डामर रोड से हाशम के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य हेतु रु0 47838.00 का लेबर को भुगतान किया गया। दिनांक 13.08.2020 को पक्की रोड से इदरीश के घर तक खंडजा निर्माण कार्य हेतु रु0 46431.00 का लेबर को भुगतान किया गया। दिनांक 20.10.2020 को हफीज के घर से मेराज के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य हेतु रु0 16943.00 का भुगतान कृष्णा कंस्ट्रक्शन टेडर्स को किया गया। दिनांक 20.10.2020 को हफीज के घर से मेराज के घर तक खंडजा मरम्मत कार्य हेतु रु0 10596.00 का भुगतान लेबर को किया गया। कुल रु0 265867.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। खंडजा मरम्मत कार्य में पुराना खंडजा ईट निकलवाने में मजदूरी का विवरण अज्ञात रहा। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ईट क्रय दर, सामग्री क्रय बिलों एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8

के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 265867.00 की वसूली श्री जुबेर खां ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर प्रताप सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

73. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत फतेहपुर में दिनांक 09.09.2020 को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु रु0 214615.00 का भुगतान मेराज ब्रिक फील्ड एवं रमा टेडर्स को किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा

के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 214615.00 की वसूली श्री जुबेर खां ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

74. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत फतेहपुर में दिनांक 13.10.2020 को प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर में हैण्ड वाश निर्माण कार्य हेतु ₹0 11385.00, 38669.00 का भुगतान भोले बाबा ब्रिक फील्ड, रमा टेडर्स को किया गया। दिनांक 20.10.2020 को प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर में मल्टिपल हैण्ड वाश निर्माण कार्य हेतु मजदूरी ₹0 11124 का भुगतान

किया गया। कुल व्यय ₹0 61178.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 61178.00 की वसूली श्री जुबेर खां ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

75. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत फतेहपुर में दिनांक 09.09.2020 से 30.11.2020 तक को ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु निर्माण कार्य हेतु ₹0 97650.00, 71680.00, 97650.00, 89675.00, 109681.00, 20349.00, 40840.00, 97650.00, 75565.00, 110700.00, 75565.00, 60300.00, 59620.00, का भुगतान भोले बाबा ब्रिक फील्ड, रमा टेडर्स, कृष्णा कंस्ट्रक्शन एवं लेबर को किया गया। कुल व्यय ₹0 1006925.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते

हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1006925.00 की वसूली श्री जुबेर खां ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-04)

76. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23.06.2020 एवं 21.10.2020 तक ग्राम पंचायत फतेहपुर में हैंडपंप रिबोर कार्य आदि पर कुल व्यय ₹0 58420.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार इंशद अली हैंडपम्प मैकेनिक एवं किसान टेडर्स को किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं

जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 58420.00 की वसूली श्री जुबेर खां ग्राम प्रधान तथा श्री पाटेश्वर सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

ग्राम पंचायत का नाम-बौण्डीफतेउल्ला

विकास खण्ड-तेजवापुर

77. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 04.09.2020, 08.11.2020 एवं 24.12.2020 तक ग्राम पंचायत बौण्डीफतेउल्ला में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर एवं कार्य पर कुल व्यय ₹0 335136.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार चैलू टेडर्स, स्टार ब्रिक फील्ड शनि टेडर्स एवं लेबर भुगतान में किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा

परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को

गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 335136.00 की वसूली श्री साजरूनग्राम प्रधान तथा श्री गुलाब सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

78. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बौण्डीफतेउल्ला में दिनांक 04.09.2020 को प्राथमिक विद्यालय बौण्डीफतेउल्ला में हैण्ड वाश वाटर सप्लाई कार्य हेतु ₹0 15144.00, 14989.00, 76718 का भुगतान लेबर, स्टार ब्रिक फील्ड, शनि टेडर्स को किया गया। कायाकल्प योजना के अन्तर्गत कुल व्यय ₹0 106851.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 106851.00 की वसूली श्री साजरून ग्राम प्रधान तथा श्री गुलाब सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

79. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बौण्डीफतेउल्ला में दिनांक 14.09.2020 को ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु ₹0 75180.00, 52080.00, 87355.00 10936.00, 89915.00, 58721.00, 22182.00, 60824.00 का भुगतान स्टार ब्रिक फील्ड, शनि टेडर्स को किया गया। कुल व्यय 457193.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 457193.00 की वसूली श्री साजरून ग्राम प्रधान तथा श्री गुलाब सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-16)

ग्राम पंचायत का नाम-गुलरा
विकास खण्ड-बलहा

80. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 21.09.2020, 07.11.2020 तक ग्राम पंचायत गुलरा में हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 122492.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं

किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 122492.00 की वसूली श्रीमती राधा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-11)

81. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत गुलरा में दिनांक 12.04.2020 को प्राथमिक विद्यालय गुलरा में कायाकल्प योजना के अंतर्गत अंतरिक कक्ष मरम्मत एवं टाइल स्थापना में मजदूरी भुगतान पर ₹0 141865.00 किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 141865.00 की वसूली श्रीमती राधा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-12)

82. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत गुलरा में दिनांक 04.07.2019 को प्राथमिक विद्यालय गुलरा में कायाकल्प योजना के अंतर्गत नवीन शौचालय निर्माण कार्य पर ₹0 437388.00 व्यय किया गया है। उक्त विवरण को कायाकल्प की बेब साईट पर प्रदर्शित किया जाना था जिसका विवरण अज्ञात रहा। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 437388.00 की

वसूली श्रीमती राधा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-13)

83. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत गुलरा में दिनांक 20.11.2020 से 23.12.2020 तक गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु रु0 65100.00, 153756.00, 43984.00 18360.00, 10500.00, 29000.00, 49800.00, 10500.00 का भुगतान आदर्श ब्रिक्स फील्ड, सुहैल टेडर्स, नूर इण्टरप्राइजेज, नील कंठ टेडर्स को किया गया। कुल व्यय 381000.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 381000.00 की वसूली श्रीमती राधा देवीग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

84. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि फर्नीचर एवं स्टेशनरी मद में दिनांक 26.10.2020 को रु0 56700.00 का भुगतान किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 56700.00 की वसूली श्रीमती राधा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

ग्राम पंचायत का नाम-दौलतपुर

विकास खण्ड-बलहा

85. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत दौलतपुर में हैंडपंप रिबोर/मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रु0 262585.00.00 का भुगतान कैशबुक एवं प्रियासाफ्ट के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का

यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 262585.00 की वसूली श्रीमती सुंदरी ग्राम प्रधान तथा श्री लक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-11)

86. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत दौलतपुर में दिनांक 11.08.2020 एवं 12.08.2020 को प्राइमरी स्कूल दौलतपुर 2 में कायाकल्प योजना के अंतर्गत टाइल्स कार्य, शौचालय निर्माण कार्य, टाइल्स मरम्मत कार्य, रसोई मरम्मत कार्य, रंगाई कार्य, अतिरिक्त कक्ष मरम्मत कार्य के मजदूरी भुगतान पर ₹0 283410.00 किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 283410.00 की वसूली श्रीमती सुंदरी ग्राम प्रधान तथा श्री लक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-12)

87. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत दौलतपुर में दिनांक 28.08.2020 14.10.2020 तक प्राइमरी स्कूल दौलतपुर चिरैया में हैण्ड वाश निर्माण और सीमेंट बालू मौरंग खरीद लेबर आदि में कुल व्यय ₹0 296410.00 का भुगतान श्री राम टे^०डर्स, गरीब नवाज ब्रिक फील्ड, को किया गया। कुल व्यय ₹0 296410.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 296410.00 की वसूली श्रीमती सुंदरी ग्राम प्रधान तथा श्री लक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-13)

88. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत दौलतपुर में दिनांक 24.10.2020 से 05.11.2020 तक गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु ₹0 56940.00, 112440.00, 93733.00, 55650.00, 91140.00, 40000.00, 40000.00, 100371.00, 43053.00, 25500.00, 15540.00 का भुगतान श्री राम टेडर्स, गरीब नबाज ब्रिक फील्ड, श्री रामकेवल को किया गया। कुल व्यय ₹674367.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये खण्ड- 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 674367.00 की वसूली श्रीमती सुंदरी ग्राम प्रधान तथा श्रीलक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

89. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत दौलतपुर में दिनांक 25.03.2021 प्राथमिक विद्यालय चिरैया में इंटरलाकिंग 2 कार्य हेतु ₹0 25715.00, 102075.00, 54268.00, 17985.00, 25870.00, 25715.00, का भुगतान गरीब नबाज ब्रिक फील्ड और गरीब नवाज इंटरप्राइजेज, श्री राम टेडर्स और लेवर को किया गया। कुल व्यय ₹251628.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम- 256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 251628.00 की वसूली श्रीमती सुंदरी ग्राम प्रधान तथा श्रीलक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

90. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत दौलतपुर में दिनांक 28.08.2020 को नौकः पुरवा में जगदीश के घर से सोहन के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य हेतु गरीब नवाज ब्रिक फील्ड को ₹0 31071.00 का भुगतान किया गया, दिनांक 28.08.2020 को नौकः पुरवा में जगदीश के घर से सोहन के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य हेतु श्री राम टेडर्स को ₹0 114995.00 का भुगतान किया गया, दिनांक 20.09.2020 को नौकः पुरवा में जगदीश के घर से सोहन के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य हेतु ₹0 18270.00 का लेबर भुगतान किया गया, दिनांक 09.11.2020 को गोदियाना में मेन रोड़ से गयाप्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण और सीमेंट बालू मॉरग खरीद सामग्री का भुगतान

रु0 71585.00 श्री राम टेडर्स को किया गया। दिनांक 09.11.2020 को गोदियाना में मेन रोड से गयाप्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण रु0 10825.00 लेबर भुगतान किया गया। दिनांक 09.11.2020 को बरुहिपुरवा में मेन खरान्जा से बालकराम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण और सीमेंट बालू मॉरग खरीद सामग्री का भुगतान रु0 89795.00 श्री राम टेडर्स को किया गया। दिनांक 09.11.2020 को बरुहिपुरवा में मेन खरान्जा से मुंशी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण और सीमेंट बालू मॉरग खरीद सामग्री का भुगतान रु0 95737.00 श्री राम टेडर्स को किया गया। दिनांक 09.11.2020 को बरुहिपुरवा में मेन खरान्जा से मुंशी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य का लेबर भुगतान रु0 15155.00 किया गया। दिनांक 09.11.2020 को दौलतपुर में मेन रोड से रामसरन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण और सीमेंट बालू मॉरग खरीद सामग्री का भुगतान रु0 74029.00 श्री राम टेडर्स को किया गया। दिनांक 09.11.2020 को दौलतपुर में मेन रोड से रामसरन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य का लेबर भुगतान रु0 11090.00 किया गया। दिनांक 18.11.2020 को बरुहिपुरवा में मेन खरान्जा से बालक राम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य और लेबर का भुगतान रु0 14625.00 किया गया। दिनांक 19.11.2020 को गोदियाना में मेन रोड से विनोद के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण और सीमेंट बालू मॉरग खरीद सामग्री का भुगतान रु0 46996.00 श्री राम टेडर्स को किया गया। दिनांक 19.11.2020 को गोदियाना में मेन रोड से विनोद के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य का लेबर भुगतान रु0 9610.00 किया गया। दिनांक 01.12.2020 को मेन रोड से गयाप्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण और ब्रिक सामग्री खरीद का भुगतान रु0 21004.00 हाजी ईट उद्योगको किया गया। दिनांक 01.12.2020 को मेन रोड से रामसरन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण और ब्रिक सामग्री खरीद का भुगतान रु0 19728.00 हाजी ईट उद्योग को किया गया। दिनांक 01.12.2020 को मेन रोड से बालकराम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण और ब्रिक सामग्री खरीद का भुगतान रु0 26821.00 हाजी ईट उद्योगको किया गया। दिनांक 01.12.2020 को बरुहिपुरवा में मेन रोड से मुंशी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण और ब्रिक खरीद सामग्री भुगतान रु0 28919.00 हाजी ईट उद्योगको किया गया। दिनांक 01.12.2020 को गोदियाना में मेन रोड से विनोद के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण और ब्रिक खरीद सामग्री भुगतान रु0 10237.00 हाजी ईट उद्योग को किया गया। कुल रु0 710492.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ईट क्रय दर, सामग्री क्रय बिलों एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 710492.00 की वसूली श्रीमती सुंदरी ग्राम प्रधान तथा श्री लक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-16)

ग्राम पंचायत का नाम-दलजीत पुरवा
विकास खण्ड-बलहा

91. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत दलजीत पुरवा में दिनांक 20.05.2020 से 03.12.2020 तक विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर/मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रु0

134340.00 का भुगतान कैशबुक एवं प्रियासाफ्ट के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0

134340.00 की वसूली श्री गुलाम ग्राम प्रधान तथा श्री लक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-11)

92. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत दलजीत पुरवा में दिनांक 17.05.2020 से 05.12.2020 तक को पंचायत भवन में टाइल्स निर्माण, शौचालय रिपेयर्स, बेंडरीवाल निर्माण और लेबर कार्य, पंचायत भवन रिपेयर्स, ए0एन0एम0 सेन्टर रिपेयर्स कार्य पर रु0 212770.00 का व्यय किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 212770.00 की वसूली श्री गुलाम ग्राम प्रधान तथा श्री लक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-12)

93. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत दलजीत पुरवा में दिनांक 08.09.2020 से 16.10.2020 तक प्राइमरी स्कूल बखवरपुरवा में रनिंग हैण्ड वाश निर्माण पाइप मोटर बाल्वऔर सीमेंट बालू मौरंग खरीद लेबर आदि में कुल व्यय रु0 240543.00 का भुगतान श्री राम टेडर्स, गरीब नवाज ब्रिक फील्ड, बच्चाराम को किया गया। कुल व्यय रु0 240543.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की

वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 240543.00 की वसूली श्री गुलाम ग्राम प्रधान तथा श्री लक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (सा0आ0सं0-13)

94. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत दलजीत पुरवा में दिनांक 22.11.2020 से 29.03.2021 तक ग्राम पंचायत में काम्प्लेक्स शौचालय में समर सेबुल निर्माण कार्य, प्लम्बरिंग खरीद सामग्री, सामुदायिक शौचालय एंड ब्रिक खरीद सामग्री, टाइल्स लगने, रंगाई पुताई कार्य हेतु खरीद सामग्री में कुल व्यय रु0 467947.00 का भुगतान मुनिजरी हैण्ड पंप मैकेनिक एंड सप्लायर्स, एम सना बिल्डिंग मटेरियल, गौशक पाक एंट उद्योग श्री राम टेडर्स को किया गया। कुल व्यय रु0 467947.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-

256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 467947.00 की वसूली श्री गुलाम ग्राम प्रधान तथा श्री लक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-14)

95. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत दलजीत पुरवा में दिनांक 21.05.2020 से 28.03.2021 तक ग्राम पंचायत में जूनियर स्कूल बेंडरीवाल वाल निर्माण कार्य, जूनियर स्कूल पंडीत पुरवा में शौचालय निर्माण, ए0एन0एम0सेन्टर रिपेयर्स और पेंटिंग वर्क में ब्रिक खरीद, पूर्व माध्यमिक बकतवर पुरवा में कार्यालय और बरामदा में टाइल्स कार्य, जूनियर स्कूल बकतवर पुरवा में बवण्डरी बाल निर्माण कार्य, प्राथमिक विद्यालय बकतवर पुरवा (दलजीत पुरवा) में समर सेबुल पंप कार्य पर कुल व्यय रु0 738678.00 का भुगतान गौश पाक एंट उद्योग एवं सना बिल्डिंग मटेरियल, सुरेश टेडर्स, गरीब नवाज ब्रिक फील्ड, श्री राम टेडर्स को किया गया। कुल व्यय रु0 738678.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा,

वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 738678.00 की

वसूली श्री गुलाम ग्राम प्रधान तथा श्री लक्ष्मी नारायण ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-15)

ग्राम पंचायत का नाम-बैकुंठा

विकास खण्ड-महसी

96. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत बैकुंठा में दिनांक 24.12.2020 को विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹0 145252.00 का भुगतान केशबुक एवं प्रियासाफ्ट के अनुसार भारत शक्ति टेडर्स कम्पनी, शुक्ला ट्रेडिंग कम्पनी, नफीश हैंड पंप को किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 145252.00 की वसूली श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान श्री प्रवीण श्रीवास्तव ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-25)

97. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बैकुंठा में दिनांक 24.12.2020 को राम शंकर के घर से जमुना के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु रिलायंस ब्रिक फील्ड को ₹0 69973.00 का भुगतान किया गया, दिनांक 24.12.2020 राम शंकर के घर से जमुना के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी को ₹0 2266.00 का भुगतान किया गया, राम शंकर के घर से जमुना के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु ₹0 15966.00 का लेबर को भुगतान किया गया, केश बुक के अनुसार कुल ₹0 88205.00 का भुगतान किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ईट क्रय दर, सामग्री क्रय बिलों एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 88205.00 की वसूली श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री प्रवीण श्रीवास्तव ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-26)

98. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बैकुंठा में दिनांक 08.09.2020 से 25.12.2020 तक गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु ₹0 100000.00, 100000.00, 25000.00, 60000.00, 10500.00, 47192.00, 61298.00, 36000.00, 24780.00, 35586.00, 25047.00 9000.00 93303.00 का भुगतान साई इंटरप्राइजेज, रिलायंस ब्रिक फील्ड, प्रीती मार्बल्स, शुक्ला ट्रेडिंग कम्पनी को किया गया। कुल व्यय 627706.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 627706.00 की वसूली श्रीमती उषा देवीग्राम प्रधान तथा श्री प्रवीण श्रीवास्तव ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-27)

99. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बैकुंठा में दिनांक 04.09.2020 को प्राथमिक विद्यालय कन्यापुरवा में हैण्ड वाश निर्माण कार्य हेतु कुल व्यय ₹0 67583.00 का भुगतान, रिलायंस ब्रिक फील्ड, प्रीती मार्बल्स, साई इंटरप्राइजेज एवं लेबर को किया गया। कुल व्यय ₹0 67583.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 67583.00 की वसूली श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री प्रवीण श्रीवास्तव ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-28)

ग्राम पंचायत का नाम-नौतला

विकास खण्ड-महसी

100. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत नौतला में दिनांक 26.05.2020 को बसंत के घर से लोक निर्माण विभाग तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु तेज ब्रिक फील्ड को ₹0 213800.00 का भुगतान किया गया, दिनांक 26.05.2020 को श्री निवास के घर से विजय कुमार के खलिहान तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु तेज ब्रिक फील्ड को ₹0 118006.00 का भुगतान किया गया, दिनांक 28.08.2020 को पीडब्लूडी से पारसनाथ के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु न्यू शिव ब्रिक फील्ड को

रु0 189134.00 का भुगतान किया गया, कुल व्यय रु0 520940.00 का भुगतान किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वितीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, ईट क्रय दर, सामग्री क्रय बिलों एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 520940.00 की वसूली श्रीमती मनसा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री विजय पांडेय ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-11)

ग्राम पंचायत का नाम-कठौतिया

विकास खण्ड- मिहीपुरवा

101. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत कठौतिया में 15 वे वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से सुरेश के खेत के पास आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य हेतु जनता ईट सप्ला0, जिवीधन टेडर्स, मजदूरी, हरिसाब टेडर्स को कुल 234609.00 का भुगतान किया गया, दिनांक 20.11.2020 एवं 16.12.2020 को किया गया। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वितीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, ईट क्रय दर, सामग्री क्रय बिलों एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री तीरथराम व ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्गेहसन से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-हरखापुर

विकास खण्ड- मिहीपुरवा

102. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत हरखापुर में दिनांक 02.07.2020, 31.07.2020 को रु0 75871.00, 25000.00 हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रु0 100871.00 का भुगतान आर0के0कान्ट्र0, अनुपम सप्लायर्स को कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे, परन्तु इसके लिये तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर

उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 100871.00 की वसूली श्री नबी अहमद ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री दुर्देहसन ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित बराबर- बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

103. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत हरखापुर में पंचम वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से कली रोड़ से शिवनरायान के घर तक खण्डंजा निर्माण कार्य हेतु जनसेवा कान्सट्रू0, सिटी ईट उद्योग, मजदूरी का कुल ₹0 151973.00 का भुगतान दिनांक 08.12.2020 को किया गया। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना,

डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, ईट क्रय दर, सामग्री क्रय बिलों एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 151973.00 की वसूली श्री नबी अहमद ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री दुर्देहसन ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-02)

ग्राम पंचायत का नाम-चहलवा

विकास खण्ड- मिहीपुरवा

104. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत चहलवा में दिनांक 30.06.2020, 18.07.2020 को ₹0 20000.00, 19998.00 हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹0 39998.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपम्प खराब थे, परन्तु इसके लिये तकनीकी और न ही

प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 39998.00 की वसूली श्री रमेश ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री दुर्देहसन ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित (मू0आ0सं0-01)

105. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत चहलवा में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से ₹0 263500.00 का व्यय दिनांक 05.08.2020 ह्यूम पाइप कार्य पर कुल व्यय ₹0 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। एक्शन प्लान में उपरोक्त कार्य की वर्क आईडी 31293430 वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंकित है। जिसके सापेक्ष अनुमानित लागत ₹0 150000.00 अंकित है। परन्तु उक्त कार्य पर वास्तविक भुगतान ₹0 263500.00 किया गया है। अन्तर ₹0 113500.00 का अधिक किया गया है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य नहीं है। उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि एक ही वर्क

आईडी पर दुरभिसंधि से दो बार भुगतान कर वित्तीय हेरा-फेरी की गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 263500.00 की वसूली श्री रमेश ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री दुर्देहन ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-02)

ग्राम पंचायत का नाम-मोहनापुर गंगापुर
विकास खण्ड- मिहीपुरवा

106. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत मोहनापुर गंगापुर में दिनांक 16.10.2020, 08.12.2020 को ₹0 14998.00, 33120.00 हैंडपंप मरम्मत/रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 48118.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे, परन्तु इसके लिये तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 48118.00 की वसूली श्रीमती सुदामा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री राहुल शशांक ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-अजीजपुर
विकास खण्ड-फखरपुर

107. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत अजीजपुर में दिनांक 17.04.2020 को हैंडपंप मरम्मत कार्य पर बिना किसी प्रमाणक/अभिलेख के ₹0 28200.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे, परन्तु इसके लिये तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 28200.00 की वसूली श्री मोहम्मद उस्मान ग्राम प्रधान तथा श्री ओम प्रकाश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-01)

108. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत अजीजपुर में चतुर्थ वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से प्राथमिक विद्यालय अजीजपुर में इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया जिस पर कुल व्यय ₹0 48000/-का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 48000.00 की वसूली श्री मोहम्मद उस्मान ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री ओम प्रकाश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-02)

ग्राम पंचायत का नाम-बेलहरी
विकास खण्ड-फखरपुर

109. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत बेलहरी में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से नहर पुल से तशव्वर के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य पर कुल ₹0 114164.00 का व्यय दिनांक 14.08.2020 कैशबुक के अनुसार किया गया है। कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं कार्य के प्रारम्भ में, कार्य के चालू अवस्था में तथा कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी, माप पुस्तिका, मसटर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रति फाइल में संलग्न नहीं है। अतः दिखाया गया कार्य अवास्तविक एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 114164.00 की वसूली श्री अंजुम ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री ओम प्रकाश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम- फखरपुर
विकास खण्ड-फखरपुर

110. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत फखरपुर में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से भुवन के घर से नहर तक नाली निर्माण कार्य पर कुल ₹0 100466.00 का व्यय दिनांक 25.08.2020 को कैशबुक के अनुसार किया गया है। कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं कार्य के प्रारम्भ में, कार्य के चालू अवस्था में तथा कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी, माप पुस्तिका, मसटर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रति फाइल में संलग्न नहीं है। अतः दिखाया गया कार्य अवास्तविक एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम

सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 100466.00 की वसूली श्री अनिल ग्राम प्रधान तथा आधी रकम श्री ओम प्रकाश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम- मोहरना

विकास खण्ड-चितौरा

111. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत मोहरना में दिनांक 23.04.2020, 29.07.2020, 05.09.2020, 29.10.2020, 24.12.2020 को ₹0 41550.00, 17100.00, 12400.00, 28550.00, 66310.00 हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹0 165910.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे, परन्तु इसके लिये तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 165910.00 की वसूली श्री आजाराम ग्राम प्रधान तथा श्री अरूण कुमार पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-ताजखोदाई

विकास खण्ड-चितौरा

112. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत ताजखोदाई में पंचम वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से पप्पू यादव के घर से धीरज के घर तक नाली मरम्मत व खण्डजा निर्माण कार्य पर कुल ₹0 162289.00 का व्यय दिनांक 19.12.2020 कैशबुक के अनुसार किया गया है। कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं कार्य के प्रारम्भ में, कार्य के चालू अवस्था में तथा कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी, माप पुस्तिका, मसटर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रति फाइल में संलग्न नहीं है। अतः दिखाया गया कार्य अवास्तविक एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 162289.00 की वसूली श्रीमती अंजली ग्राम प्रधान एवं श्री दीनानाथ मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-धरसवां

विकास खण्ड-चितौरा

113. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत धरसवां में दिनांक 23.04.2020, 06.07.2020, 01.10.2020, को रू0 18230.00, 7210.00, 12180.00, 3258.00, 6210.00, 14530.00 हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रू0 61618.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे, परन्तु इसके लिये तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 61618.00 की वसूली श्री फकीरे ग्राम प्रधान तथा श्री अभिषेक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-परेवाखान

विकास खण्ड-चितौरा

114. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत परेवाखान में दिनांक 19.06.2020, 20.06.2020, 22.06.2020, 27.06.2020, 24.07.2020, 26.10.2020, 06.11.2020, 16.12.2020 को रू0 20100.00, 20190.00, 3677.00, 10822.00, 15891.00, 10680.00, 22086.00, 10098.00, 30124.00, 15754.00 हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रू0 159422.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे, परन्तु इसके लिये तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 159422.00 की वसूली श्री अकबाल ग्राम प्रधान तथा श्री स्वप्नमणि सोनकर ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-बौवा

विकास खण्ड-हुजूरपुर

115. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत बौवा में दिनांक 30.04.2020, 16.10.2020, 26.10.2020, 18.11.2020, 26.11.2020, को रू0 18410.00, 9780.00, 17075.00, 17200.00, 19730.00, 2006.00, हैंडपंप मरम्मत

कार्य पर कुल व्यय ₹0 84201.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपम्प खराब थे, परन्तु इसके लिये तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 84201.00 की वसूली श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान तथा श्री सन्तोष मौर्या ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-बसहिया

जगत विकास खण्ड-जरवल

116. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत बसहिया जगत में दिनांक 28.05.2020 से 09.11.2020 तक इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 204700.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 204700.00 की वसूली श्री इरशाद अहमद ग्राम प्रधान तथा श्री पवन कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-05,06)

117. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत बसहिया जगत में दिनांक 09.08.2020 से 09.11.2020 तक इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 90380.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को

गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 90380.00 की वसूली श्री इरशाद अहमद ग्राम प्रधान तथा श्री पवन कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07,08)

ग्राम पंचायत का नाम-हरनी अवसेरी
विकास खण्ड-जरवल

118. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत बसहिया जगत में दिनांक 20.07.2020 तक इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय रु0 29600.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 29600.00 की वसूली श्री शिवराज ग्राम प्रधान तथा श्री पवन कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05,06)

119. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत बसहिया जगत में दिनांक 24.07.2020 तक हयूमपाइप स्थापना मद में व्यय रु0 127512.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रु0 127512.00 की वसूली श्री शिवराज ग्राम प्रधान तथा श्री पवन कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07,08)

ग्राम पंचायत का नाम-धंवरिया

विकास खण्ड-जरवल

120. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत धंवरिया में दिनांक 19.12.2020 में इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 59000.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के

बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को

गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 59000.00 की वसूली श्री दिनेश कुमार ग्राम प्रधान तथा श्री अरविन्द कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05)

121. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत धंवरिया में दिनांक 24.10.2020 से 05.12.2020 तक इण्डिया मार्क हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹0 30595.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के

बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो

दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 30595.00 की वसूली श्री दिनेश कुमार ग्राम प्रधान तथा श्री अरविन्द कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06)

122. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत धंवरिया में दिनांक 11.06.2020 तक ह्यूमपाइप स्थापना मद में व्यय ₹0 57960.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा

नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड- 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 57960.00 की वसूली श्री दिनेश कुमार ग्राम प्रधान तथा श्री अरविन्द कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07)

ग्राम पंचायत का नाम-देवदत्तपुर

विकास खण्ड-शिवपुर

123. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत देवदत्तपुर में दिनांक 09.11.2020 को हैंडपंप मरम्मत कार्य पर व्यय ₹0 12480.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड- 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 12480.00 की वसूली श्री रूस्तम ग्राम प्रधान तथा श्री सुनील वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05,06)

124. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत देवदत्तपुर में दिनांक 11.06.2020 को ह्यूमपाइप स्थापना मद में व्यय ₹0 38235.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 38235.00 की वसूली श्री रूस्तम ग्राम प्रधान तथा श्री सुनील वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07,08)

ग्राम पंचायत का नाम-जूड़ा

विकास खण्ड-शिवपुर

125. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत जूड़ा में दिनांक 24.07.2020 एवं 03.10.2020 में इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 118706.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 118706.00 की वसूली श्री तीरथराम उर्फ रामतीर्थ ग्राम प्रधान तथा श्री आनन्द विक्रम ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05,06)

126. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत जूड़ा में दिनांक 24.07.2020 एवं 03.10.2020 में इण्डिया मार्क हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹0 30280.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि

को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 30280.00 की वसूली श्री तीरथराम उर्फ रामतीर्थ ग्राम प्रधान तथा श्री आनन्द विक्रम ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07,08)

127. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत जूड़ा में दिनांक 08.12.2020 एवं 21.12.2020 में विद्यालयों में मिट्टी पटाई कार्य पर कुल व्यय ₹0 67550.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार दर्शाया गया है। बाउचर पर अंकित ट्रैक्टर नंबर की परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रैंडम मिलान करने पर यह पाया गया कि अधिकतर ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर को व्यावसायिक/कामर्शियल कार्य में प्रयुक्त किया गया है। सम्पूर्ण भुगतान भी वास्तविक को न कर तीसरे पक्षा को किया गया है। इससे परिवहन विभाग को परिवहन शुल्क के रूप में राजस्व का नुकसान होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जॉचोपरान्त नियमानुसार उचित कार्यवाही अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के वित्त

एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 जिला पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 67550.00 की वसूली श्री तीरथराम उर्फ रामतीर्थ ग्राम प्रधान तथा श्री आनन्द विक्रम ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09,10)

ग्राम पंचायत का नाम-अरनवा

विकास खण्ड-शिवपुर

128. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत अरनवा में दिनांक 28.04.2020, 04.07.2020, 24.07.2020 को इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 286842.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 286842.00 की वसूली श्रीमती मीरा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री हनुमंत सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05,06)

129. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत अरनवा में दिनांक 04.07.2020, 09.07.2020 एवं 10.07.2020 में विद्यालयों में मिट्टी पटाई कार्य पर कुल व्यय ₹0 378601.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार दर्शाया गया है। बाउचर पर अंकित ट्रैक्टर नंबर की परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रैंडम मिलान करने पर यह पाया गया कि अधिकतर ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर को व्यावसायिक/कामर्शियल कार्य में प्रयुक्त किया गया है। सम्पूर्ण भुगतान भी वास्तविक को न कर तीसरे पक्षा को किया गया है। इससे परिवहन विभाग को परिवहन शुल्क के रूप में राजस्व का नुकसान होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जांचोपरान्त नियमानुसार उचित कार्यवाही अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 378601.00

की वसूली श्रीमती मीरा देवी ग्राम प्रधान तथा श्री हनुमंत सिंह ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07, 08)

ग्राम पंचायत का नाम-बेलामकन

विकास खण्ड-शिवपुर

130. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत बेलामकन में दिनांक 25.07.2020 को इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 64091.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 64091.00 की वसूली श्रीमती रामकला ग्राम प्रधान तथा श्री कमला प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05, 06)

ग्राम पंचायत का नाम-चैकसाहार

विकास खण्ड-शिवपुर

131. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत चैकसाहार में दिनांक 08.06.2020 से 02.12.2020 तक इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 1087086.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 1087086.00 की वसूली सुश्री सुबसा यादव ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05, 06)

132. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत चैकसाहार में दिनांक 01.12.2020 को इण्डिया मार्क हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹0 50170.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं

किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 50170.00 की वसूली सुश्री सुबसा यादव ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07,08)

133. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत चैकसाहार में दिनांक 25.06.2020 को स्ट्रीट लाइट स्थापना व्यय कार्य पर कुल व्यय ₹0 955500.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु वैध विद्युत कनेक्शन आवश्यक है परन्तु लेखा परीक्षा में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। जबकि 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम सभा से स्वीकृत होगा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम- 256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 955500.00 की वसूली सुश्री सुबसा यादव ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09,10)

ग्राम पंचायत का नाम-बेहड़ा
विकास खण्ड-शिवपुर

134. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत बेहड़ा में दिनांक 23.06.2020 एवं 24.12.2020 को ह्यूमपाइप स्थापना मद में व्यय ₹0 108582.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0

108582.00 की वसूली सुश्री भानुमती ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-05,06,07,08)

135. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 18.12.2020 एवं 19.12.2020 में ग्राम पंचायत बेहड़ा में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु व्यय रुपये 546935.00.00 दर्शाया गया है। कुल व्यय ₹0 546935.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 546935.00 की वसूली सुश्री भानुमती ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07,08)

136. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 21.12.2020 एवं 24.12.2020 को अरविंद कुमार वर्मा के घर के पास तिराहे तक तक खंडजा निर्माण पर कुल ₹0 194891.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्षबिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, ईट क्रय दर, सामग्री क्रय बिलों एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। उ0प्र0 पंचायती राजनियमावली 1947 के नियम- 256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 194891.00 की वसूली सुश्री भानुमती ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09,10)

ग्राम पंचायत का नाम-इटहा

विकास खण्ड-शिवपुर

137. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत इटहा में दिनांक 21.12.2020 को इण्डिया मार्क हैंडपंप रिबोर कार्य पर कुल व्यय ₹0 195000.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं

लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 195000.00 की वसूली श्रीमती गामिनी देवी ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

138. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत इटहा में दिनांक 23.12.2020 को पुआल खरीद पर कुल व्यय ₹0 297000.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 297000.00 की वसूली श्रीमती गामिनी देवी ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

139. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत इटहा में दिनांक 13.07.2020 को साइन बोर्ड पर व्यय ₹0 4500.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 4500.00 की वसूली श्रीमती गामिनी देवी ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03)

140. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत इटहा में दिनांक 21.12.2020 को नाव खरीद पर व्यय ₹0 38400.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूति प्रमाण-

पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 38400.00 की वसूली श्रीमती गामिनी देवी ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-04)

141. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत इटहा में दिनांक 19.09.2020 को रमेश के घर से टावर तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण पर कुल व्यय ₹0 246968.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0 246968.00 की वसूली श्रीमती गामिनी देवी ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-05)

142. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत इटहा में दिनांक 26.09.2020 को सलीम पठान के घर से बसंतलाल तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण पर कुल व्यय ₹0 247661.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹0

247661.00 की वसूली श्रीमती गामिनी देवी ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-06)

143. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08.10.2020 एवं 23.12.2020 में ग्राम पंचायत इटहा में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु व्यय रुपये 169473.00, 145353.00, 54677.00, 15960.00 एवं रुपये 50350.00, 145782.00, 109353.00, 9280.00 दर्शाया गया है। कुल व्यय ₹ 700228.00 के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹ 700228.00 की वसूली श्रीमती गामिनी देवी ग्राम प्रधान तथा श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07)

ग्राम पंचायत का नाम-मुसल्लमपुर

विकास खण्ड-शिवपुर

144. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत मुसल्लमपुर में दिनांक 20.04.2020 एवं 22.04.2020 को हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹ 132662.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम- 256(2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ₹ 132662.00 की वसूली श्रीमती हररुनु निशा ग्राम प्रधान तथा श्री हरिओम मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मू0आ0सं0-11)

ग्राम पंचायत का नाम-मुण्डेरवा ठकुराइन

विकास खण्ड-शिवपुर

145. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत मुण्डेरवा ठकुराइन में दिनांक 17.07.2020, 20.10.2020 एवं 18.12.2020 को हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय ₹ 145540.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा,

वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 145540.00 की वसूली श्री विनोद सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री ओम प्रकाश मिश्र ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-11)

ग्राम पंचायत का नाम-राजापुर गिरन्ट

विकास खण्ड-विशेश्वरगंज

146. आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तक ग्राम पंचायत राजापुर गिरन्ट में दिनांक 24.12.2020 को हैंडपंप मरम्मत कार्य पर कुल व्यय रू0 127300.00 का भुगतान कैशबुक के अनुसार किया गया है। उक्त के सापेक्ष बिल, बाउचर, कोटेशन/निविदा, वित्तीय स्वीकृति, कार्य योजना, डिलीवर चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम0बी0, मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। 30प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-256 (2) (क) से (ड.) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 127300.00 की वसूली श्रीमती पार्वती ग्राम प्रधान तथा श्री रवीन्द्र यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन (पंचायत अनुभाग), वर्ष 2020-21

जनपद - श्रावस्ती

सम्भाग - देवीपाटन, गोण्डा

ग्राम पंचायत — खलीफतपुर

विकास खण्ड — जमुनहां

प्रस्तर - 01

ग्राम पंचायत खलीफतपुर की कैशबुक वर्ष 2020-21 में दिनांक 19.12.2020 को रोड़ा ईट व मिट्टी पटाई हेतु रु० 44100.00 का भुगतान न्यू उन्नति ईट उद्योग को किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में कार्य से सम्बंधित स्टीमेट माप पुस्तिका तथा तीनों चरण की फोटोग्राफ आदि तथा भुगतान की पुष्टि में कय प्रमाणक/ बाउचर उपलब्ध नहीं पाया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथासेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार क्रय प्रमाणक / बाउचर, कार्य का स्टीमेट माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रु० 44100.00 के व्यय की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु० [44100.00 गबन / अपहरण में आंकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 44100.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अकलेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव (तत्कालीन श्री फौजदार आर्य, ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आपति सं० - 18)

ग्राम पंचायत — बैजनाथपुर

विकास खण्ड — जमुनहां

प्रस्तर - 02

ग्राम पंचायत बैजनाथपुर की कैशबुक वर्ष 2020-21 में दिनांक माह मई 2020 में निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है—

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि	विवरण
1	04.05.2020	सिद्धीकी ब्रिक फील्ड	6066.00	बालू क्रय
2	08.05.2020	सिद्धीकी ब्रिक फील्ड	14962.00	ईट क्रय
3	08.05.2020	सिद्धीकी ब्रिक फील्ड	38902.00	ईट क्रय
4	08.05.2020	श्री इसरार	25662.00	मजदूरी
5	08.05.2020	श्री इसरार	3640.00	मजदूरी
कुल योग			89232.00	

उक्त भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत रहे। पुनः कैशबुक में दिनांक 15.06 2020 को उक्त भुगतान सम्बंधित पक्ष सिद्धीकी ब्रिक फील्ड को रु० 59930.00 तथा श्री इसरार को रु० 29302.00 कुल रु० 89232.00 का भुगतान दोबारा किया जाना दर्शित है। जिसमें से सिद्धीकी ब्रिक फील्ड को दोबारा भुगतानित धनराशि रु० 59930.00 दिनांक 31 07 2020 को वापस खाते में जमा करा दी गई। ग्राम प्रधान श्री इसरार को मजदूरी मद में दोबारा भुगतानित धनराशि रु० 29302.00 को माह जुलाई 2020 मासांत में रोकड़ शेष के रूप में दर्शाया गया है, जिसे माह अगस्त 2020 के प्रारंभिक शेष में न अंकित करके रु० 29302.00 से कम दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी भुगतान की धनराशि रु० 29302.00 का दो बार ग्राम प्रधान श्री इसरार को भुगतान करके तथा कैशबुक में आकड़ों में हेरा फेरी करके धन का गबन किया गया है। जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (2) क से इ. के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 29302.00 की

वसूली ग्राम प्रधान श्री इसरार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेश चंद्र श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा०आपत्ति सं० - 18)

ग्राम पंचायत – देवरनिया

विकास खण्ड – जमुनहां

प्रस्तर – 03

ग्राम पंचायत देवरनिया की वर्ष 2020-21 की कैशबुक में दिनांक 24.12.2020 को प्रशासनिक मद में व्यय दर्शाकर रु० 65800.00 का भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती नाजमा बेगम को बैंक खाते में किया गया है। कैशबुक में प्रशासनिक मद का उल्लेख न करके तथा सम्बंधित पक्ष को भुगतान न करके सीधे ग्राम प्रधान श्रीमती नाजमा बेगम को किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से प्रशासनिक मद में भुगतान दर्शाकर ग्राम प्रधान के खाते में रु० 65800.00 ट्रांसफर करके धन का अपहरण किया गया है। जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 (2) क से इ. के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। अतः रु० 65800.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नाजमा बेगम तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव कुमार वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा०आपत्ति सं० - 20)

ग्राम पंचायत – रानीसीर

विकास खण्ड – जमुनहां

प्रस्तर – 04

ग्राम पंचायत- रानीसीर विकास खण्ड -जमुनहा जनपद श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, महायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र दिनांक 12.01.2022, 02.02.2022 22.03 2022, 26.03.2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणको का विवरण ई ग्राम स्वराज साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्यय की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत रानीसीर वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रूप 804871.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार 'ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) में यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार कैशबुक कार्य पत्रावली, माप पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट कार्य के तीनों चरणों के फोटो कार्यपूर्ति उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 804871.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 804871.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री ननकू एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप नायक से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आपत्ति सं० - 02)

ग्राम पंचायत – भगवानपुर

विकास खण्ड – सिरसिया

प्रस्तर – 05

ग्राम पंचायत भगवानपुर की कैशबुक में वर्ष 2020-21 में दिनांक 04-10-2020 को प्रधान मानदेय मई 2020 से सितम्बर 2020 तक 05 माह का रु.3500.00 प्रति माह की दर से रु. 17500.00 का भुगतान ऑनलाइन वाउचर सं. चौथा राज्य

वित्त आयोग /2020-21/पी /5 से दिया जाना दर्शित है। • तथा पुनः दिनांक 25-12-2020 को प्रधान मानदेय जुलाई 2020 से नवम्बर 2020 तक 05 माह का रु.3500.00 की दर से रु.17500.00 का भुगतान ऑनलाइन वाउचर सं. चौथा राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी /7 से दिया जाना दर्शित है। इस प्रकार माह मई 2020 से नवम्बर 2020 तक 07 माह हेतु रु.3500.00 की दर से रु. 24500.00 के सापेक्ष कुल रु.35000.00 प्रधान मानदेय का भुगतान किया गया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक ही अवधि अर्थात् जुलाई 2020 से सितम्बर 2020 तक 03 माह रु. 3500.00 की दर से रु. 10500.00.00 प्रधान मानदेय का भुगतान दो बार ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा को किया गया है। एक ही अवधि का प्रधान मानदेय का भुगतान दो बार करके धन का अपहरण किया गया है जो कि उ. प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड) तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः रु. 10500.00.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री शीतला प्रसाद यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है (सा० आ०सं०-23)

प्रस्तर – 06

ग्राम पंचायत भगवानपुर की कैशबुक में वर्ष 2020-21 में दिनांक 04-05-2020 को स्टेशनरी क्रय हेतु रु. 10000.00 का भुगतान किसी फर्म को न करके ग्राम प्रधान श्री मती रूपा को किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज उत्तरप्रदेश के अध्याय-8 की धारा- 8 (क) में निहित प्राविधान के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शाए / आहरित की गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में एवं वांछनीय अभिलेखों के अनुपलब्धता में उक्त दर्शित व्यय रु. 10000.00 की पुष्टि न कराये जाने के कारण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा उक्त आहरित / व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः उ. प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड) तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है अतः रु. 10000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री शीतला प्रसाद यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है (सा० आ०सं०-17)

ग्राम पंचायत – सचौली

विकास खण्ड – सिरसिया

प्रस्तर – 07

ग्राम पंचायत सचौली की कैशबुक में वर्ष 2020-21 में दिनांक 03-11-2020 को प्रधान मानदेय फरवरी 2020 से अक्टू. 2020 तक 09 माह का रु.3500.00 प्रति माह की दर से रु.31500.00 का भुगतान ऑनलाइन वाउचर सं. चतुर्थ राज्य वित्त /2020-21/पी /5 से दिया जाना दर्शित है तथा पुनः दिनांक 05-11-2020 को प्रधान मानदेय सितम्बर 2020 तक 09 माह अर्थात् जनवरी 2020 से सितम्बर 2020 तक 09 माह का रु. 3500.00 की दर से रु. 31500.00 का भुगतान ऑनलाइन वाउचर सं. चौथा राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी /6 से दिया जाना दर्शित है। इस प्रकार माह जनवरी 2020 से अक्टू. 2020 तक 10 माह हेतु रु. 3500.00 की दर से रु. 35000.00 के सापेक्ष कुल रु.63000.00 प्रधान मानदेय का भुगतान किया गया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक ही अवधि अर्थात् फरवरी 2020 से सितम्बर 2020 तक 08 माह रु.3500.00 की दर से रु.28000.00 प्रधान मानदेय का भुगतान दो बार ग्राम प्रधान श्रीमती उषा सिंह को किया गया है। एक ही अवधि का प्रधान मानदेय का भुगतान दो बार करके धन का अपहरण किया गया है जो कि उ. प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड) तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु. 28000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषा सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री सोमेश यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा० आ०सं०-20)

ग्राम पंचायत – वेलवा खतीव

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर - 08

ग्राम पंचायत वेलवा खतीव, विकास खण्ड गिलौला, जनपद श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र दिनांक 06/10/2021, 30/10/2021, 03/12/2021, 30/03/2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई ग्राम स्वराज साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्यय की पुष्टि में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत वेलवा खतीव वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रु० 3086885.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार कैशबुक, कार्य पत्रावली माप पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटो, कार्यपूति / उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 3086885.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रूप 3086885.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती गंगाजली एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

ग्राम पंचायत – सुविखा

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर – 09

ग्राम पंचायत सुविखा, विकास खण्ड गिलौला, जनपद श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र दिनांक 30/03/2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई ग्राम स्वराज- साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत सुविखा वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रूप 839440.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार कैशबुक, कार्य पत्रावली माप-पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटो, कार्यपूति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 839440.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार

योग्य है। अतः रु० 839440.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

ग्राम पंचायत – नेवरिया

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर – 10

ग्राम पंचायत नेवरिया, विकास खण्ड गिलौला, जनपद श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैन्युअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र दिनांक 06/08/2021, 03/12/2021, 30/03/2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई ग्राम स्वराज साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणककार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत नेवरिया वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रु० 2568039.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार कैशबुक, कार्य पत्रावली, माप-पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 2568039.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 2568039.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रसाद से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

ग्राम पंचायत – नगरौरा

विकास खण्ड- गिलौला

प्रस्तर – 11

ग्राम पंचायत नगरौरा विकास खण्ड गिलौला जनपद श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैन्युअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र दिनांक 08/07/2021, 25/07/2021, 27/08/2021, 29/07/2021, 23/09/2021, 13/10/2021, 27/11/2021, 30/03/2022 अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई ग्राम स्वराज साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी

स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत नगरौरा वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रु० 1198098.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार केशबुक, कार्य पत्रावली, माप पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटों, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 1198098.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 1198098.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती रामावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रसाद से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सां०-03)

ग्राम पंचायत - गिलौली

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर – 12

ग्राम पंचायत गिलौली, विकास खण्ड गिलौला, जनपद श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र- दिनांक 04/09/2021, 13/10/2021 01/12/2021, 30/03/2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष 2020-21 की केशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई ग्राम स्वराज साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत गिलौली वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रु० 1806762.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड -7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव" का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार केशबुक, कार्य पत्रावली, माप पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटों, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 1806762.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 1806762.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री सचित राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रसाद से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सां०-03)

ग्राम पंचायत – भवानीनगर

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर – 13

ग्राम पंचायत भवानीनगर, विकास खण्ड गिलौला, जनपद श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र- दिनांक 06/10/2021, 27/10/2021, 03/12/2021, 30/03/2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई ग्राम स्वराज-साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेवसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत भवानीनगर वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रु० 2049360.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव" का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान (तथा ग्राम सचिव से की जाएगी)। इस प्रकार कैशबुक, कार्य पत्रावली, माप-पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटों, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 2049360.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रुप 2049360.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री रामभगोले एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रसाद से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

ग्राम पंचायत- हुसैनपुर खुरहरी

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर -14

ग्राम पंचायत हुसैनपुर खुरहरी, विकास खण्ड गिलौला, जनपद- श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र- दिनांक 08/03/2022 30/03/2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई ग्राम स्वराज-साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेवसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत हुसैनपुर खुरहरी वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रुप 1428644.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान

तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार कैशबुक, कार्य पत्रावली, माप पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटों, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 1428644.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 1428644.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेम कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रसाद से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

ग्राम पंचायत – कुरवेनी

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर – 15

ग्राम पंचायत कुरवेनी विकास खण्ड गिलौला, जनपद श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैन्युअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र दिनांक 09/07/2021, 27/08/2021, 23/09/2021, 13/10/2021, 27/11/2021, 30/03/2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणको का विवरण ई ग्राम स्वराज साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत कुरवेनी वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रु 1497309.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार कैशबुक, कार्य पत्रावली माप पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटो, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 1497309.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 1497309.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-03)

ग्राम पंचायत – मनिकापुर खुर्द

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर -16

ग्राम पंचायत मनिकापुर खुर्द, विकास खण्ड गिलौला, जनपद श्रावस्ती की वर्ष -2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैन्युअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र- दिनांक- 30/03/2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।

वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई ग्राम स्वराज साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं की गई।

ग्राम पंचायत मनिकापुर खुर्द वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रु० 1135810:00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार कैशबुक कार्य पत्रावली, माप-पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटों, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 1135810:00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 1135810.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रसाद से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०

आ०स०-03)

ग्राम पंचायत – मनसुखा

विकास खण्ड – गिलौला

प्रस्तर – 17

ग्राम पंचायत मनसुखा, विकास खण्ड गिलौला, जनपद श्रावस्ती की वर्ष 2020-21 . की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी को बारबार अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र- दिनांक 04/09/2021, 13/10/2021, 01/12/2021,30/03/2022 को अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्ष के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही प्रस्तुत कराये गये।।

वर्ष 2020-21 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई ग्राम स्वराज साईट पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों को व्ययों की पुष्टि में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

ग्राम पंचायत मनसुखा वर्ष 2020-21 में दर्शित व्यय रु० 1155067.00 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं खण्ड-8 के बिन्दु (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार कैशबुक कार्य पत्रावली, माप-पुस्तिका, बैंक स्टेटमेंट, कार्य के तीनों चरणों के फोटों, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि रु० 1155067.00 गबन में आकलित किया जाता है, जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु० 1155067.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती रानी देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०स०-03)

मण्डल का नाम - गोरखपुर

ग्राम पंचायत - भगौरा

विकास खण्ड- सहजनवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-01

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 24/12/2020 को रुपया 16500.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ईट का भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार है, अस्तु सकल धनराशि रु० 16500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी गुसा एवं सचिव श्री अनवर अब्बास रिजवी से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - भरसाइ

विकास खण्ड- सहजनवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-02

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 15/09/2020 को रुपया 32000.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है | अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार है, अस्तु सकल धनराशि रु० 32000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमनन्दनी एवं सचिव श्री अभय कुमार से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - डोमहरमाफ़ी

विकास खण्ड- सहजनवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-03

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 21/12/2020 को रुपया 49453.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में के०पी० के घर से भाग्यराम के घर तक नाली मरम्मत (वर्क आई० डी०-41868055) हेतु सामग्री पर रु० 40006 एवं सामग्री पर रु० 9447 पर भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये

“ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार है, अस्तु सकल धनराशि रु० 49453.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रमोद एवं सचिव श्री अनवर अब्बास रिजवी से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - कुचेडेहरी

विकास खण्ड- सहजनवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-04

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि के 15वे केन्द्रीय वित्त खाते से दिनांक 15/10/2020 को रुपया 10000.00 की निकासी की गयी है | इस व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली /व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है | अतः रुपया 10000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 10000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती किशनावती देवी एवं सचिव श्रीमती माधवी पांडेय से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - कुवावलकला

विकास खण्ड- सहजनवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-05

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 12/10/2020 को रुपया 19341.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में बाग से श्रीनाथ के घर तक मिटटी खंडजा मरम्मत कार्य पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। | व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली व्यय / प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 19341.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम एवं सचिव श्रीमती दीपशिखा राय से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - मुंडा कोइरा

विकास खण्ड- सहजनवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-06

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 21/12/2020 को रुपया 27000.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली व्यय /प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 27000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा

प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8क में दिए गये प्र।वधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 27000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू एवं सचिव श्री अनवर अब्बास रिजवी से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उज्जीखोर

विकास खण्ड- सहजनवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-07

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 05/05/2020 को रुपया 12250.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में मुन्ना गौड़ के घर से डोमहर पिच रोड तक मिटटी खडंजा निर्माण कार्य हेतु मिटटी के भुगतान पर व्यय दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार है, अस्तु सकल धनराशि रु० 12250.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अभय कुमार एवं सचिव श्री अनवर अब्बास रिजवी से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चिलबिलवा

विकास खण्ड- पिपराईच

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-08

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 31/08/2020 को रुपया 7826.00 की निकासी की गयी है, जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में राजेश के घर से इंडिया मार्का हैंडपंप तक भूमिगत नाली पर ईट क्रय हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार है, सकल धनराशि अस्तु रु० 7826.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री फेकनी एवं सचिव श्री संदीप कुमार से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महाराजी

विकास खण्ड- पिपराईच

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-09

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत महाराजी विकासखंड पिपराइच के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 25/12/2020 को रु० 59800.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में इंडिया मार्का -2 हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय हेतु दर्शाया गया है जिस पर निम्न गंभीर आपत्तिया है -

- 1- **हैंडपंप मरम्मत** के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी की किन स्थलों के हैंडपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि व्यय की गई। डेड स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम 2010 /दिनांक 29.06.2011 के बिंदु के अनुसार नए इंडिया मार्का हैंडपंप और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिस्थापित किये जाने के बाद रख -रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका की ग्राम पंचायत में कुल कितने इंडिया मार्का 2 हैंडपंप स्थापित है।
- 3- उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी ,त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इंडिया मार्का 2 - हैंडपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः रुपया 59800.00 की वित्तीय अनियमितता कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) अधीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती एवं सचिव श्री बृजमोहन राय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत - उसका
प्रस्तर सं०-10**

विकास खण्ड- पिपराइच

जनपद - गोरखपुर

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 28/12/2020 को रुपया 25000.00 की निकासी की गयी है , जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली /व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ के विपरीत तथा यह भी की खंड 8 क के अनुसार “ यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार है अस्तु सकल धनराशि रु० 25000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुदामी देवी एवं सचिव श्री बृजमोहन राय से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत - सोनवे गोनरहा
प्रस्तर सं०-11**

विकास खण्ड- पिपराइच

जनपद - गोरखपुर

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 23/03/2021 को रुपया 32500.00 की निकासी की गयी है, जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय

प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार है, अस्तु सकल धनराशि रु० 32500.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सतीश एवं सचिव श्री बृजमोहन राय से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - भिटड़ा

विकास खण्ड- पाली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-12

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 11/12/2020 को रुपया 6000.00 की निकासी की गयी है , जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में प्रशासनिक मद पर भुगतान दर्शित है इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण ,पत्रावली /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार है, अस्तु सकल धनराशि रु० 6000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कन्हैया यादव एवं सचिव श्री आनन्द प्रताप सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देवापार डुगडुगईया

विकास खण्ड- पाली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-13

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 11/12/2020 को रुपया 6000.00 की निकासी की गयी है, जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में प्रशासनिक मद पर भुगतान दर्शित है। इस व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली व्यय /प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण ,पत्रावली /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अस्तु सकल धनराशि रु० 6000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मनमोहन सिंह एवं सचिव श्री आनन्द प्रताप सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - मोहदीनपुर

विकास खण्ड- पाली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-14

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 08/03/2021 को रुपया 18000.00 की निकासी की गयी है , जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत पर भुगतान दर्शित है इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण ,पत्रावली /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अस्तु सकल धनराशि रु० 18000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं सचिव श्री हेमन्त कुमार सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - पुन्डा

विकास खण्ड- पाली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-15

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 11/12/2020 को रुपया 6000.00 की निकासी की गयी है , जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में प्रशासनिक मद पर भुगतान दर्शित है इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण ,पत्रावली /व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये “ तथा यह भी की खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्मेदार हैं, अस्तु सकल धनराशि रु० 6000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री निरंजन एवं सचिव श्री आनन्द प्रताप सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उसरी

विकास खण्ड- पाली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-16

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत उसरी के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 15/03/2021 को रुपया 24300.00 की निकासी की गयी है । जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत क 21र्य पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 24300.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है । पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 24300.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अखिलेश एवं सचिव श्री संजय सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - मुजौली

विकास खण्ड- पाली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-17

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत मुजौली के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 09/03/2021 को रुपया 22300.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में इंडिया मार्का 2 हैंडपंप मरम्मत कार्य पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 22300.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 22300.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रीना एवं सचिव श्री संजय सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अराजी जगदीशपुर

विकास खण्ड- ब्रह्मपुर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-18

दिनांक 21/4/2018 को चतुर्थ एसएफसी से ग्राम पं. अराजी जगदीशपुर में, चेक सं.407753 द्वारा रु.75000.00 एवं चेक सं.407754 द्वारा रु.75000.00, इस प्रकार कुल धन राशि रु.150000.00 का नकद भुगतान इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत कार्य हेतु किया गया है। जिस पर निम्न गंभीर आपत्तियां हैं ----

1— हैंड पंप मरम्मत के सम्बन्ध में स्थल की सूची और हैंड पंप के लाभार्थियों द्वारा हैंड पंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी रजिस्टरप्रपत्र या पत्रवाली लेखा परीक्षा में मागोपरांत प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन किन स्थलों के हैंड पंप खराब थे जिन पर उपर्युक्त धन राशि का व्यय किया गया है। डेड स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

2-ग्राम विकास आयुक्त के शासनादेश सं. 6-1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक 29-6-2011 के विन्दु एक के अनुसार नए इंडिया मार्का हैंड पंप और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिस्थापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पं. को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके बाद विन्दु 3 के अनुसार ग्राम पं. की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। परिसंपत्ति रजिस्टर के आभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पं. में कुल कितने इंडिया मार्का हैंड पंप स्थापित हैं।

3-उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी, त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र, कि इंडिया मार्का 2 हैंड पंप ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

अतः सकल धन राशि रु. 150000.00 की वित्तीय अनियमितता कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है। जो उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के प्रावधानों के विपरीत रहा। जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम सं. 256(1) के अधीन ग्राम प्रधान श्री रन बहादुर सिंह एवं सचिव (ग्राम पं.) श्री रमेश चन्द्र कुशवाहा को संयुक्त रूप से बराबर बराबर जिम्मेदार मानते हुए स्पष्टीकरण के साथ साथ विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भकुरहा

विकास खण्ड- ब्रह्मपुर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-19

ग्राम पंचायत भकुरहा में, "श्री प्रेम पाण्डेय के घर से श्री राम चन्द्र यादव के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य " में दिनांक 29-7-2019 को इंट क्रय हेतु रु.11875.00 एवं मजदूरी मद में रु .54250.00 का व्यय भुगतान कोष वही में दर्शित है। इस व्यय भुगतान की सकल धनराशि रु. 66125.00 के सापेक्ष कोई भी पत्रवाली तथा व्यय वाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 66125.00 की सम्पूर्ण वसूली

तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमतिअतवारी देवी एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री शिवेश ओझा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं०-20

दिनांक 08-11-2020 को सफाई कार्य हेतु सफाई सामग्री एवं किट पर रु.39750.00 का व्यय कोष बही में दर्शित है । इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई पंजी , पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए । लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है किये लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ , लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसारदर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्रामप्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जातीहै । अतएव किये गए भुगतान रुपये 39750.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमतिअतवारी देवी एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री शिवेश ओझा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - पकड़पुरा

विकास खण्ड- ब्रह्मपुर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-21

ग्राम पंचायत में विभिन्नस्थानों पर ” इंडिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत”कार्य हेतु दिनांक28-11-2020 को रु. 26192.00 कोष बही मेंव्यय भुगतान दर्शित है । इस मरम्मत कार्य में भुगतान कीगयीसकलधन राशि रु. 26192.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी प्रपत्र , पत्रावली, रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए । लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ , लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जातीहै । अतएव किये गए भुगतान रुपये 26192.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, श्रीमती ईशरावती देवी एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री शिवेश ओझा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - सरार मझगावा

विकास खण्ड- ब्रह्मपुर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-22

दिनांक 29-10-2020 को “ अश्वनी के घर से शम्भू के घर तक आर. सी.सी.कार्य” हेतु रु.173312.00का व्यय भुगतान कोष बही में दर्शित है । इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी प्रपत्र, पंजी , पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए । लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है किये लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ , लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसारदर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्रामप्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जातीहै । अतएव किये गए भुगतान रुपये 173312.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक धर दूबे एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री शिवेश ओझा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - सरार मझगावा

विकास खण्ड- ब्रह्मपुर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-23

दिनांक 29-10-2020 को “ फागिंग कार्य “ हेतु सामग्री पर रु.30700.00 का व्यय भुगतान कोष बही में दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई प्रपत्र, पंजी , पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है किये लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ , लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्रामप्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 30700.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक धर दूबे एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री शिवेश ओझा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिलहटा मुंडेरा

विकास खण्ड- ब्रह्मपुर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-24

दिनांक 17/12/2018 को ग्राम पं. सिलहटा मुंडेरा में रु. 57024.00 प्रशासनिक कार्य पर व्यय भुगतान कोष बही में दर्शित है। यह धन राशि रु. 57024.00 जिस मद / मदों में व्यय किया गया है , उससे सम्बंधित पत्रावली , ऊपभोग की स्थिति आदि के प्रपत्र / रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करके गंभीर अनियमितता की गयी है। यह उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के प्रावधानों के बिलकुल विपरीत है। जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम सं. 256(1) के अधीन ग्राम प्रधान श्रीमति विंदा देवी एवं सचिव (ग्राम पं.) श्री रमेश चन्द्र कुशवाहा संयुक्त रूप से बराबर बराबर जिम्मेदार हैं।

ग्राम पंचायत - गजाईकोल

विकास खण्ड- ब्रह्मपुर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-25

दिनांक 17-11-2020 को “ फागिंग कार्य “ हेतु सामग्री पर रु.36400.00 का व्यय भुगतान कोष बही में दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई प्रपत्र, पंजी , पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है किये लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ , लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्रामप्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 36400.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति बरसाती देवी एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री शिवेश ओझा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गजाईकोल

विकास खण्ड- ब्रह्मपुर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-26

दिनांक 24-12-2020 को कैश बुक में “ प्रशासनिक मद “ में रूपया 21200.00 व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायतका (संयुक्त दायित्व है कि , लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर उपलब्ध कराएँ / लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतः किये गए भुगतान रुपये 21200.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति बरसाती देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री शिवेश ओझा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भम्भौर

विकास खण्ड- भरोहिया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-27

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये -

क्रम	सं0 वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	योजना का नाम	धनराशि
1	41731772	ग्राम पंचायत में नाली निर्माण	चौदहवां वित्त आयोग	27145.00
2	43973577	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त आयोग	55150.00
3	27041436	प्राथमिक विद्यालय में बिजली व टायल्स कार्य	चौदहवां वित्त आयोग	69335.00
				151630.00

उपरोक्त कराये गये कार्य में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी

क- क्रमांक 03 पर अंकित कार्य की वर्क आई0डी0 गत वर्ष से सम्बन्धित है जिसके सापेक्ष वर्ष में भुगतान किया गया है।

ख- उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी

ग- उपरोक्त कार्यों के व्यय प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान रु0 151630.00 की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री बलवन्त कुमार यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री मनोज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भम्भौर

विकास खण्ड- भरोहिया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-28

वर्ष 2020-21 में 15 वें वित्त आयोग से कराये गये कार्य सन्तलाल गुप्ता के घर से मेन पोखरे तक भूमिगत नाली पर रु0 154522.00 व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस

प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान रु0 154522.00 की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री बलवन्त कुमार यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री मनोज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कल्याणपुर

विकास खण्ड- भरोहिया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-29

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये -

क्रम सं०	वर्क आईडी०	कार्य का नाम	योजना का नाम	धनराशि	दिनांक
1	29754017	इन्टरलाकिंग कार्य व आर०सी० सी० कार्य	चौदहवां वित्त	214013.00	26/05/2020
2	29754185	इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	224709.00	26/05/2020
3	29787320	इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	244046.00	26/05/2020
4	29754081	इन्टरलाकिंग कार्य व आर०सी० सी० कार्य	चौदहवां वित्त	212616.00	26/05/2020
5	29753725	इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	239783.00	26/05/2020
6	29767701	इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	71171.00	07-10-2020
7	29769244	सोख्ता निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	71549.00	02-10-2020
8	29762565	इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	229976.00	28/10/2020
9	29764514	आर०सी०सी० निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	210222.00	21-06-2020
				1718085.00	

उपरोक्त कराये गये कार्यों में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी -

क- उपरोक्त सभी कार्यों में प्रयुक्त वर्क आई डी० गत वर्ष की है गत वर्ष में मात्र 01 भुगतान कर सभी कार्य अपूर्ण रखे गये थे।

ख- उपरोक्त कार्यों की प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी।

ग- क्रमांक 01 से क्रमांक 05 तक के कार्यों पर एक ही दिन में दिनांक 26-05-2020 को रु0 1135167.00 का भुगतान किया गया है जिससे भुगतान व कार्यों पर सन्देह होता है।

घ- उपरोक्त कार्यों के व्यय प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई

वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 1718085.00 की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री मनोज कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भरोहिया

विकास खण्ड- भरोहिया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-30

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये -

क्रम सं०	वर्क आईडी	कार्य का नाम	योजना का नाम	धनराशि
1	45441765	मेन रोड से बाबूलाल साहनी के घर तक मि० / ख० कार्य	चौदहवां वित्त	158580.00

उपरोक्त कराये गये कार्य में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी

क-उपरोक्त कार्य में पर भुगतान एक प्रमाणक से किया गया है। मजदूरी व श्रमांश का एक खाते में भुगतान की स्थिति अज्ञात रही।

ख-उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी

ग-उपरोक्त कार्य के व्यय प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 158580.00 की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री सतीश चन्द चौरसिया से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भरोहिया

विकास खण्ड- भरोहिया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-31

वर्ष 2020-21 में 15 वें वित्त आयोग से तकनीकी व प्रशासनिक मद पर व्यय पर ₹0 34637.00 व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 34637.00 की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री सतीश चन्द चौरसिया से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - साखी विकास खण्ड- भरोहिया जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-32

वर्ष 2020-21 में चतुर्थ वित्त आयोग से प्रशासनिक व्यय कार्य पर ₹0 39487.00 व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 39487.00 की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन त्रिपाठी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित कुमार विश्वकर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - साखी विकास खण्ड- भरोहिया जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-33

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये -

क्रम सं०	वर्क आईडी०	कार्य का नाम	योजना का नाम	धनराशि
1	29696140	टायल्य निर्माण - कार्य का अपूर्ण विवरण	चौदहवें वित्त	375588.00
2	32088671	महुआ पंचायत भवन पर ग्लिल लगाना व कुर्सी मेज कार्य / सोखता निर्माण कार्य	चौदहवें वित्त	21000.00
3	32088688	शिवाकान्त राय के बाग से राजेन्द्र यादव के घर तक ख० मरम्मत कार्य	चौदहवें वित्त	119099.00
				515687.00

उपरोक्त कराये गये कार्यों में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी

क- उपरोक्त सभी कार्यों में प्रयुक्त वर्क आई डी० गत वर्ष की है क्रमांक 03 पर अंकित कार्य के सापेक्ष गत वर्ष में मात्र 02 भुगतान कर कार्य अपूर्ण रखे गया था शेष दो कार्य का भुगतान 2020-21 में किया गया है।

ख- उपरोक्त कार्यों की प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी।

ग- क्रमांक 01 के सापेक्ष कार्य का पूर्ण विवरण कोषबही व आनलाईन अभिलेखों में अंकित नहीं किया गया जो आपत्ति जनक रहा।

घ- उपरोक्त कार्यों के व्यय प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 515687.00 की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन त्रिपाठी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अमित कुमार विश्वकर्मा से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महिमाठ विकास खण्ड- खोराबार जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-34

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त / 14 वें वित्त आयोग / पन्द्रहवें वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये -

क्रम सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	योजना का नाम	धनराशि	दिनांक
1	43022943	प्राथमिक स्कूल में आर ओ मशीन	राज्य वित्त	249400.00	25-03-2021
2	42959713	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पन्द्रहवां वित्त आयोग	70000.00	30-03-2021
3	43015624	धनन्जय पाण्डेय के घर से पोखरा तक नाली निर्माण	चौदहवां वित्त आयोग	122609.00	27-03-2021
4	43012334	मेवालाल गुप्ता के घर से पारस के घर तक नाली मरम्मत कार्य	पन्द्रहवां वित्त आयोग	94924.00	27-03-2021
				536933.00	

उपरोक्त कराये गये कार्यों में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी

क- उपरोक्त सभी कार्यों के सापेक्ष माह मार्च 2021 में भुगतान किया गया है जबकि प्रधान का कार्यकाल माह दिसम्बर 2020 में समाप्त हो चुका था।

ख- उपरोक्त कार्यों की प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी।

ग- प्राथमिक वि० में आर० ओ० लगाने के सापेक्ष भुगतान ₹0 249400.00 की पुष्टि में टेण्डर / कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी

घ- उपरोक्त कार्यों की पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह

भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित प्रशासक ए0डी0ओ0 पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान रु0 536933.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ए0डी0ओ0 सहकारिता श्री गिरिजा शंकर मिश्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रवीण चन्द से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामगढ़ उर्फ चवरी विकास खण्ड- खोराबार जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-35

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 15 वें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये -

क्रम सं०	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	योजना का नाम	धनराशि	दिनांक
1	43189011	नहर से महादेव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	पन्द्रहवां वित्त	354475.00	25-12-2020
2	43189136	सी0सी रोड से सी0सी0रोड तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	पन्द्रहवां वित्त	177730.00	25-12-2020
3	43187679	सी0सी रोड से सी0सी0रोड तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	पन्द्रहवां वित्त	175508.00	25-12-2020
4	43189546	गुड्डु यादव के घर से महाबल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	पन्द्रहवां वित्त	207000.00	24-12-2020
5	43382840	इन्टरलाकिंग से इन्टरलाकिंग तक इन्टरलाकिंग कार्य	पन्द्रहवां वित्त	206000.00	24-12-2020
				1120713.00	

उपरोक्त कराये गये कार्यों में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी

क- उपरोक्त सभी भुगतान ग्राम प्रधान की कार्यकाल की समाप्ति व उसके एक दिवस पूर्व किये गये हैं। सभी भुगतान एक ही पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किये गये हैं। मजदूरी व सामग्री का भुगतान एक ही पेमेन्ट से किया गया है।

ख- उपरोक्त कार्यों का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है। जो संदिग्ध रहा।

ग- उपरोक्त कार्यों की प्रशासनिक /तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी।

घ- उपरोक्त कार्यों का व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 1120713.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार त्रिपाठी से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामगढ़ उर्फ चवरी
प्रस्तर सं०-36

विकास खण्ड- खोराबार

जनपद - गोरखपुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 301952.00 पंचायत भवन का मरम्मत कार्य पर व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कराये गये कार्य की पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर भुगतान ₹0 301952.00 के भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 301952.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार त्रिपाठी से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामगढ़ उर्फ चवरी
प्रस्तर सं०-37

विकास खण्ड- खोराबार

जनपद - गोरखपुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 435228.00 जुनियर स्कूल मरम्मत कार्य पर व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कराये गये कार्य की पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर भुगतान ₹0 435228.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 435228.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती सुशील कुमार त्रिपाठी से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14 वें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये -

क्रम सं०	वर्क आईडी	कार्य का नाम	योजना का नाम	धनराशि	दिनांक
1	42537955	ग्राम पंचायत में 100 अदद सोख्ता निर्माण	चौदहवां वित्त	71796.00	22/12/2020 24/12/2020
2	42547396	देवरिया रोड से विधावती के खेत तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	301463.00	21/10/2020 14/12/2020 23/05/2020
3	29015267	नई हरिजन बस्ती में इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	305096.00	23/05/2020 11/06/2020 11/06/2020
4	28861702	दिनेश शर्मा के घर से प्यारे मल्लाह के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	110000.00	18-09-2020
5	28861964	कम्पोस्ट खाद गढढा निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	115364.00	22/01/2020 12/05/2020 18/09/2020
				903719.00	

उपरोक्त कराये गये कार्यों में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी

क-क्रमांक 03 ,04 व 05 पर अंकित कार्य गत वर्षों की वर्क आई डी पर कराये गये है गत वर्षों की कार्ययोजना व आई डी पर भुगतान किया जाना अनियमित रहा।जबकि कार्य गत वर्षों में अपूर्ण की सूची में नहीं थे

ख-उपरोक्त कार्यों की प्रशासनिक /तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी।

ग-उपरोक्त कार्यों का व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये

भुगतान ₹0 903719.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रहलाद सिंह व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रतिभा से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शिवपुर

विकास खण्ड- खोराबार

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-39

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 94700.00 आंगनवाडी व वाचनालय के प्रांगण में मिटटी भराई कार्य पर व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कराये गये कार्य की पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर दिनांक 14.12.2020 को ₹0 49900.00 व दिनांक 24.12.2020 को ₹0 44800.00 कुल भुगतान ₹0 94700.00 के भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 94700.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रहलाद सिंह व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रतिभा से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शिवपुर

विकास खण्ड- खोराबार

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-40

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 171641.00 जुनियर स्कूल मरम्मत कार्य पर व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कराये गये कार्य की पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर दिनांक 15.03.2021 को ₹0 131541.00 व दिनांक 24.03.2021 को ₹0 40100.00 कुल भुगतान ₹0 171641.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित प्रशासक ए0डी0ओ0 सहकारिता व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। उपरोक्त कार्य ग्राम प्रधान के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कराये गये हैं। अतएव किये गये भुगतान ₹0 171641.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ए0डी0ओ0 प्रशासक श्री गिरिजा शंकर मिश्र व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रतिभा से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सनहा

विकास खण्ड- खोराबार

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-41

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14 वें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये -

क्रम सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	योजना का नाम	धनराशि	दिनांक
1	42492306	हरीनारायन के घर से रामदौड के बाग के कोने तक पाईप सहित नाली निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	103960.00	26-03-2021
2	42492672	विशुनपुर खुर्द गोबरी के घर से उत्तर गढहे तक नाली निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	30172.00	26-03-2021
3	42492570	राममिलन के घर से पूरब हरिलाल के घर के सामने तक सी०सी० रोड मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	124486.00	26-03-2021
				258618.00	

उपरोक्त कराये गये कार्यों में निम्न आपत्तियां लेखा परीक्षा में प्रकाश में आयी

क- उपरोक्त सभी कार्यों के सापेक्ष माह मार्च 2021 में भुगतान किया गया है जबकि प्रधान का कार्यकाल माह दिसम्बर 2020 में समाप्त हो चुका था।

ख- उपरोक्त कार्यों की प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी।

ग- उपरोक्त कार्यों की पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित प्रशासक ए०डी०ओ० पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान रु० 258618.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन प्रशासक / ए०डी०ओ० सहकारिता श्री गिरिजा शंकर मिश्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रवीण चन्द से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सनहा

विकास खण्ड- खोराबार

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-42

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़े / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रु० 62500.00 स्वच्छता सामग्री पर व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कराये गये कार्य की पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन

मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान ₹0 62500.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित प्रशासक ए0डी0ओ0 पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 62500.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुदामी देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रवीण चन्द से नियमानुसार ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भिटनी

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-43

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोषबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार राज्य वित्त / चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 1024584.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हाजरा खातून व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती गौरी सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भिटनी

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-44

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में प्रस्तुत केन्द्रिय वित्त / पन्द्रहवें वित्त को कोषबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 645009.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हाजरा खातून व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती गौरी सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भण्डारो

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-45

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोषबही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त / चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 2256276.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती गौरी सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भण्डारो

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-46

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में प्रस्तुत केन्द्रिय वित्त / पन्द्रहवें वित्त को कोषबही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 946698.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती गौरी सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उस्का

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-47

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 288870.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की

वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकरन व सचिव ग्राम पंचायत कु० फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उस्का

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-48

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 1300643.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकरन व सचिव ग्राम पंचायत कु० फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उस्का

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-49

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 47134.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकरन व सचिव ग्राम पंचायत कु० फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उस्का

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-50

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 46954.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण

कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकरन व सचिव ग्राम पंचायत कु0 फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिहोरवा

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-51

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू0 1002807.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामप्रवेश व सचिव ग्राम पंचायत राजेश शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिहोरवा

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-52

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू0 285614.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम

विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामप्रवेश व सचिव ग्राम पंचायत राजेश शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिहोरवा

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-53

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 636714.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामप्रवेश व सचिव ग्राम पंचायत राजेश शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल कौड़िया

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-54

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 557097.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानमती व सचिव ग्राम पंचायत कु0 फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल कौड़िया

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-55

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 43500.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य

पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जानमती व सचिव ग्राम पंचायत कु0 फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल कौड़िया

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-56

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 39170.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जानमती व सचिव ग्राम पंचायत कु0 फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल कौड़िया

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-57

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 283881.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम

विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जानमती व सचिव ग्राम पंचायत कु0 फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उत्तरासोत

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-58

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोषबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार राज्य वित्त / चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू0 1514361.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती गौरी सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उत्तरासोत

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-59

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में प्रस्तुत केन्द्रिय वित्त / पन्द्रहवें वित्त को कोषबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू0 222324.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती गौरी सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुड़वा

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-60

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू0 557097.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य

पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जानमती व सचिव ग्राम पंचायत कु0 फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुड़वा

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-61

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू0 43500.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जानमती व सचिव ग्राम पंचायत कु0 फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुड़वा

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-62

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू0 39170.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम

विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जानमती व सचिव ग्राम पंचायत कु0 फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुडवा

विकास खण्ड- जंगल कौड़िया

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-63

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रु0 283881.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जानमती व सचिव ग्राम पंचायत कु0 फरहीन खान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेलीपार

विकास खण्ड- कौड़ीराम

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-64

ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कोष वही जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी |लेखा परीक्षा में ग्राम निधि बैंक खातो का स्टेटमेंट ,प्रियासाफ्ट रिपोर्ट ,व्यय प्रमाणक आदि जाँच हेतु प्रस्तुत किये गए |ग्राम निधि प्रथम बैंक खाता से दिनांक 04-08-2020 रु०199757.00 आहरण करके प्रियासाफ्ट रिपोर्ट में रु०170000.00 का व्यय ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सामाग्री क्रय पर व्यय अंकित है |शेष रु029757.00 का व्यय विवरण प्रियासाफ्ट में अंकित नहीं है | और उसका व्यय प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त रु 29757.00 के अपहरण की सम्भावना है | उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत हैं | पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शायी गई धनराशि रु०29757.00 को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्रामप्रधान श्रीमती निर्मला एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह से वसूल किया जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - माहोपार

विकास खण्ड- कौड़ीराम

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-65

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 का ग्रामनिधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट, प्रियासाफ्ट रिपोर्ट ही जाँच प्रस्तुत किया गया | ग्रामनिधि प्रथम बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2018-19 में कुल रु० 1088937.88 आहरण किया गया है | जिसका व्यय प्रमाणक,कार्यो की पत्रावली आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये |जिससे उक्त आहरित धनराशि के अनियमितता की संभावना है |उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के

प्रावधानों के विपरीत हैं | पंचायत राजविभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शायी गई धनराशि रु०1088937.88 को अनियमितता मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्रामप्रधान श्रीमती सीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती दीप्ती मिश्रा से वसूल किया जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिसायल

विकास खण्ड- कौड़ीराम

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-66

ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्रामपंचायत के ग्रामनिधि प्रथम बैंक खाता से दिनांक 28-08-2018 को रु0 72000.00 ग्रामप्रधान द्वारा आहरण करके ग्रामपंचायत के लिए इस्टबिन क्रय दर्शाकर व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त क्रय बाउचर एवं उक्त क्रय से सम्बंधित कोटेशन/टेंडर पत्रावली एवं स्टॉकबुक आदि जाँच हेतु प्रस्तुत न करके उक्त रु072000.00 का अपहरण किया गया है | उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैनुवल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत हैं | पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखामैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शायी गई धनराशि रु०72000.00 को गबन मानते हुए उक्तधनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्रामप्रधान श्री अनिल कुमार त्रिपाठी एवं ग्रामपंचायत अधिकारी श्रीमती दीप्ती मिश्रा से वसूल किया जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरपुर

विकास खण्ड- कौड़ीराम

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-67

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 का ग्रामनिधि प्रथम का बैंकखाता से दिनांक 29-10-2018 को ग्राम प्रधान द्वारा चेक से रु0 50000.00 आहरण करके ग्रामपंचायत के लिए इस्टबिन क्रय दर्शाकर व्यय किया गया है | परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित क्रय वाउचर, कोटेशन/टेंडर पत्रावली एवं स्टॉकबुक आदि अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | जिससे उक्त रु० 50000.00 के अपहरण की पुष्टि होती है | उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैनुवल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत हैं | पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखामैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शायी गई धनराशि रु० 50000.00 को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्रामप्रधान श्री सुरेश यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती दीप्ती मिश्रा से वसूल किया जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चंवरिया खुर्द

विकास खण्ड- कौड़ीराम

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-68

वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत के केंद्रीय वित्त बैंक खाते से दिनांक 22-10-2020 रु० 400000.00 और दिनांक 14-12-2020 को रु०100000.00 कुल रु० 500000.00 (कुल रु० पांच लाख) का भुगतान ग्राम पंचायत के लिए कृषि उपकरण क्रय हेतु किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बंधित क्रय वाउचर, कोटेशन/टेंडर पत्रावली एवं स्टॉकबुक, उक्त उपकरणों के उपयोग एवं परिचालन सम्बन्धी शर्तें, उक्त उपकरणों से आय आदि सम्बंधित पत्रावली/अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | जिससे उक्त रु० 500000.00 के अनियमितता की पुष्टि होती है | उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राजमैनुवल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत हैं | पंचायत राजविभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखामैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शायी गई धनराशि रु० 500000.00 को अनियमितता मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अवधेश गुप्ता एवं ग्रामपंचायत अधिकारी श्रीमती दीप्ती मिश्रा से वसूल किया जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - आमकोल

विकास खण्ड- सरदारनगर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-69

ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय मरम्मत कार्य में दिनांक 24-3-2021 को सामग्री इंट एवम - गिट्टी क्रय हेतु रु. 21966.00 का व्यय भुगतान कोष वही में दर्शित है। इस व्यय भुगतान की धनराशि रु 21966.00 के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त व्यय वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 21966.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं सचिव श्री मनीश सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लक्ष्मणपुर

विकास खण्ड- सरदारनगर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-70

ग्राम पंचायत में प्रा०वि० लक्ष्मणपुर के कार्याकल्प टाइल्स कार्य में दिनांक 05-12-2020 को सामग्री क्रय हेतु रु. 11570.00 का व्यय भुगतान कोष वही में दर्शित है। इस व्यय भुगतान की धनराशि रु. 11570.00 के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त व्यय वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 11570.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति शांति देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मनीश सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महदेवा जंगल

विकास खण्ड- सरदारनगर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-71

वर्ष 2019-2020 से 2020 - 2021 की लेखा परीक्षा में दि. 31-3-20 को ग्राम निधि प्रथम कैश बुक में अंतिम रोकण शेष रु. 10000.00 दर्शित है। वर्ष 2020-21 में भी विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान द्वारा 10000.00 रुपये की 22 (बाईस) किस्तों में रु. 220000.00 की बिना किसी कार्य के सापेक्ष निकासी की गयी है। इस प्रकार कोष बही में दिनांक 31-3-2021 को अंतिम रोकण अवशेष रु. 230000.00 अकारण, अनियमित ढंग से लगभग दो वर्षों तक रोककर इस धन राशि का दुरुपयोग / दुर्विनियोग किया गया है। जो उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के प्रावधानों के विपरीत है। जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) के अधीन ग्राम प्रधान श्री बृज किशोर एवं सचिव श्रीमति सरिता यादव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। इस धन राशि रु. 230000.00 की निकासी में बैंक चार्ज (कलेक्सन) हेतु हानि रु. 260.00 रही, अतएव सकल धन राशि रु. 230260.00 को अति शीघ्र ग्राम निधि प्रथम के खाते में दण्डात्मक ब्याज सहित जमा कराया जाना अति अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चौरी

विकास खण्ड- सरदारनगर

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-72

लेखा परीक्षा अवधि 19-20 से 20-21 के दौरान ग्राम प्रधान मानदेय निम्न तिथियों में --- दि० 17-02-20 को रु 70000.00 दि० 19-11-20 को रु 31500.00 एवम दि० 04-12-20 को रु 31500.00 कोष बही में बिना अवधि विवरण के दिया जाना दर्शित है--- कुल दिया गया धन रु० 133000.00 है - पूर्व कोष बही में वर्ष 18-19 में दि० 02-06-18 को रु० 17500.00 का मानदेय भुगतान जनवरी 18 से मई 18 तक का दिया जाना दर्शित है अत जून 18 से नवम्बर 2020 तक बकाया मानदेय रु० 105000.00 के सापेक्ष रु० 133000.00 मानदेय का भुगतान कर रु० 28000.00 से अधिक भुगतान किया गया है लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर एवम पत्रावली अप्रस्तुत रहा है। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(1) के अधीन धनराशि 100-28000 को गबन मानते

हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव ग्राम प्रधान श्री दिनेश यादव एवं सचिव श्री बिरेंद्र यादव से अधिक भुगतान रु 28000-00 की वसूली बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शत्रुघ्नपुर विकास खण्ड- सरदारनगर जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-73

लेखा परीक्षा अवधि 2019-20 से 2020-21 के दौरान ग्राम प्रधान मानदेय दि० 05-11-2020 को कोषबही में ग्राम प्रधान का अवशेष मानदेय रु 182000-00 वर्ष 2016 से बिना अवधि विवरण के भुगतान दर्शित है, सचिव ने बताया कि इसमें अक्टूबर 2020 तक का मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान को किया जा चुका है जिससे लेखा परीक्षा अवधि 01-04-19 से 31-10-2020 का मानदेय रु 66500-00 एवम पूर्व बकाया मानदेय रु 0115500-00 का भुगतान किया गया है जिसके संदर्भ में निम्न आपत्तियां हैं---

1 लेखा परीक्षा में मानदेय पंजिका एवम लेखा परीक्षा के पूर्व वर्ष के कोषबही प्रस्तुत नहीं रहने से बकाये मानदेय देने की पुष्टि न की जा सकी है।

2- एक साथ इतना बकाया मानदेय देना नियमत सही नहीं है जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं एवम किस कारन से मानदेय बकाया रहा है- प्रधान एवं सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

3 -मानदेय दिये जाने के सापेक्ष पत्रावली एवम बाऊचर अप्रस्तुत रहा है-

लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर एवम पूर्व वर्ष के कोषबही अप्रस्तुत रहने से पूर्व बकाया मानदेय रु 0 115500-00 के भुगतान से इस धन के दुरुपयोग/अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(1) के अधीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा चौहान एवं सचिव श्री जितेंद्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है एवम पूर्व बकाये मानदेय के अधिक भुगतान की दशा में सचिव एवम ग्राम प्रधान से बराबर-बराबर वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बरईपार विकास खण्ड- गगहा जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-74

वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम खाता से रूपया 922570.80 तथा केन्द्रीय वित्त खाता से रूपया 408945.40 कुल रुपये 1331516.20 की निकासी कर व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स० 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स० 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री लालचन्द व ग्राम प्रधान श्रीमती विमलावती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री लालचन्द व ग्राम प्रधान श्रीमती विमलावती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बरईपार विकास खण्ड- गगहा जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-75

वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम खाता से रूपया 198378.10 की निकासी कर व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को

व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री लालचन्द व ग्राम प्रधान श्रीमती विमलावती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री लालचन्द व ग्राम प्रधान श्रीमती विमलावती से वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - भैसहाँ बुजुर्ग

विकास खण्ड- गगहा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-76

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1148575.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 296001.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 247219.00 पंचम राज्यवित्त का रुपये 3150.00 चौदहवां वित्त आयोग का, रुपये 602205.00 पन्द्रहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्री कौशल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्री कौशल से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भूपगढ़

विकास खण्ड- गगहा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-77

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1235320.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 368991.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 131613.00 पंचम राज्यवित्त का, रुपये 98866.00 चौदहवां वित्त आयोग का, रुपये 635850.00 पन्द्रहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संदीप नायक व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी संदीप नायक व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - घोड़साव

विकास खण्ड- गगहा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-78

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम खाता से रूपया 415222.80 तथा केन्द्रीय वित्त खाता से रूपया 475590.40 कुल रुपये 890813.20 की निकासी की गयी है जिसके सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मनीष जायसवाल व ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मनीष जायसवाल व ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुसमौरा बुजुर्ग

विकास खण्ड- गगहा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-79

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम खाता से रूपया 3309832.80 तथा केन्द्रीय वित्त खाता से रूपया 309796.40 कुल रुपये 3619629.20 की निकासी की गयी है जिसके सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मनीष जायसवाल व ग्राम प्रधान श्री राघो से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मनीष जायसवाल व ग्राम प्रधान श्री राघो से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेलडाड

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-80

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 917024.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 311341.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 199001.00 चौदहवां वित्त आयोग का, रुपये 406682.00 पन्द्रहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती विजयलक्ष्मी व ग्राम प्रधान

श्री सुरेश से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती विजयलक्ष्मी व ग्राम प्रधान श्री सुरेश से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भैंसा बाजार

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-81

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर ग्राम निधि प्रथम खाता से रूपया 2115001.00 [राज्य वित्त से रूपया 1363636.00, 14वा केन्द्रीय वित्त से रूपया 751365.00] तथा 15वा केन्द्रीय वित्त खाता से रूपया 1033914.00 कुल रुपये 3148915.00 की निकासी की गयी है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमिला से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमिला से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चिलौना

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-82

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर ग्राम निधि प्रथम खाता से रूपया 1287663.00 [राज्य वित्त से रूपया 657561.00, 14वा केन्द्रीय वित्त से रूपया 630102.00] तथा केन्द्रीय वित्त खाता से रूपया 683644.00 कुल रुपये 1971307.00 की निकासी की गयी है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द व ग्राम प्रधान श्री रामपति से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द व ग्राम प्रधान श्री रामपति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - डोडो

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-83

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1322451.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 128576.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 709035.00 चौदहवां वित्त आयोग का, रुपये 484840.00 पन्द्रहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए

व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुबाष चंद्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती सुचित्रा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी सुबाष चंद्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती सुचित्रा से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इमरैला

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-84

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1703299.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 774443.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 68795.00 चौदहवां वित्त आयोग का, रुपये 860061.00 पन्द्रहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रोशन सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी रोशन सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरनही

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-85

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के केन्द्रीय वित्त खाता से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 26.12.2020 को रुपये 150000.00 की निकासी की गयी है। जबकि कैश बुक में रुपया 15000.00 का खर्च ही दर्ज किया गया । शेष रुपया 135000.00 नकद अवशेष में न लेकर अपहरित कर लिया गया है । जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रोशन सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती दिव्या से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री रोशन सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती दिव्या से वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - मझरियां

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-86

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता [राज्य वित्त एवं 14वां वित्त] से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 596030.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 347827.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 248213.00 चौदहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के

सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवेंद्र पाल सिंह व ग्राम प्रधान श्री अनूप से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी शिवेंद्र पाल सिंह व ग्राम प्रधान श्री अनूप से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पलहीपार बाबु
प्रस्तर सं०-87

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1081690.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 126663.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 517515.00 चौदहवां वित्त आयोग का, रुपये 437512.00 पन्द्रहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द यादव व ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द यादव व ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सतहरा मोहन
प्रस्तर सं०-88

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1689459.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 591058.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 584402.00 चौदहवां वित्त आयोग का, रुपये 513999.00 पन्द्रहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवेंद्र पाल सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी शिवेंद्र पाल सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शाहिदाबाद
प्रस्तर सं०-89

विकास खण्ड- खजनी

जनपद - गोरखपुर

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 736307.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें रुपये 220123.00 चतुर्थ राज्यवित्त का, रुपये 209442.00 चौदहवां वित्त आयोग का, रुपये 306742.00 पन्द्रहवां वित्त आयोग का है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुबाष चंद्रा व ग्राम प्रधान श्री सत्यपाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी सुबाष चंद्रा व ग्राम प्रधान श्री सत्यपाल से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तुलसी रतन विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-90

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर ग्राम निधि प्रथम खाता से रूपया 642065.00 [राज्य वित्त से रूपया 86500.00, 14वा केन्द्रीय वित्त से रूपया 555565.00] तथा केन्द्रीय वित्त खाता से रूपया 279596.00 कुल रुपये 921661.00 की निकासी की गयी है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रसून मिश्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती शंकरावती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रसून मिश्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती शंकरावती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अडीलापार

विकास खण्ड- पिपरौली

जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-91

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2018-19 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1043759.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम

पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री बजरंग देव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री बजरंग देव से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अडीलापार

विकास खण्ड- पिपरौली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-92

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 879624.41 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री बजरंग देव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री बजरंग देव से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अडीलापार

विकास खण्ड- पिपरौली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-93

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1121169.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री बजरंग देव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री बजरंग देव से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेलवाडाडी

विकास खण्ड- पिपरौली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-94

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2018-19 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 1122506.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा

नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री पराग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री पराग से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेलवाडाडी

विकास खण्ड- पिपरौली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-95

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 956932.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री पराग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री पराग से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेलवाडाडी

विकास खण्ड- पिपरौली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-96

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में ई ग्राम स्वराज पर कुल रुपये 2191604.00 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री पराग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रामपलट यादव व ग्राम प्रधान श्री पराग से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जैतपुर

विकास खण्ड- पिपरौली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-97

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार दि 26.06.2020 को बैंक से आहरित किया गया है। उक्त निकासी को कोषबही में दर्शित कर उसके सापेक्ष कोई व्यय नहीं किया गया। जबकि माह जून 2020 में कोई अंतिम बैलेंस नहीं दिखाया गया है। माह जुलाई 2020 के प्रारंभिक बैलेंस को शून्य दिखाया गया है। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त धन का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जो उत्तरप्रदेश

पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी अजय कुमार जायसवाल व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण संतोषजनक प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी अजय कुमार जायसवाल व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -जंगल रानी सुहास कुवरी विकास खण्ड- पिपरौली जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-99

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 19029832.00 का व्यय बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया, के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राकेश तिवारी व ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा से स्पष्टीकरणप्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूपस्पष्टीकरणप्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राकेश तिवारी व ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जोतमापार

विकास खण्ड- पिपरौली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-99

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार दि 01.10.2020 को बैंक से रूपया 21000.00 आहरित किया गया है। उक्त निकासी को कोषबही में दर्शित न कर उसके सापेक्ष कोई व्यय नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त धन का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रवि कुमार पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्री जयनाथ सेस्पष्टीकरणप्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूपस्पष्टीकरणसंतोषजनक प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी रवि कुमार पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्री जयनाथ से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तेनुअन

विकास खण्ड- पिपरौली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-100

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 904106.80 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राम पलट यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती बरसाती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राम पलट यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती बरसाती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तेनुअन

विकास खण्ड- पिपरीली

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-101

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता से वर्ष 2020-21 में कुल रुपये 2641360.80 का व्यय दर्शित है। दर्शित व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राम पलट यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती बरसाती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राम पलट यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती बरसाती से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बनवारपार

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-102

वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2110000100101036 (पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोपालपुर) बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 794503.80 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 70.80 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 794433.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्यादेवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बनवारपार

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-103

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2110000100101036 (पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोपालपुर) बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल रुपये 213281.80 की निकासी की गयी है जिसमें से रु 70.80 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 213211.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये।

आपति के अनुरूपस्पष्टीकरणप्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बनवारपार

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-104

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में केंद्रीय वित्त खाता संख्या 2110000101206549 (पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोपालपुर) बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल रुपये 195301.40 की निकासी की गयी है जिसमें से रु 35.40 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 195266.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपति के अनुरूपस्पष्टीकरणप्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती कौशिल्या देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बारानगर

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-105

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2110000100101124 (पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोपालपुर) बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल रुपये 737146.80 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 70.80 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 737076.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कैशबुक, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपति के अनुरूपस्पष्टीकरणप्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भवाजीतपुर

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-106

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2110000100100985 से दिनांक 24.12.2020 को हैंडपंप मरम्मत पर कुल रुपये 49920.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे जिन पर उक्त धनराशि का व्यय किया गया। बार बार मांगोपरांत भी धनराशि व्ययसे सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपति के अनुरूपस्पष्टीकरणप्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - डडिया

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-107

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2110000100100781 से विभिन्न कार्यों पर कुल रुपये 520929.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत	26.06.2020	19290.00
		01.07.2020	21830.00
		18.08.2020	8100.00
		योग	49220.00
2	ग्राम पंचायत मे साफ सफाई व दवा छिड़काव हेतु	21.08.2020	15930.00
		24.08.2020	8560.00
		योग	24490.00
3	ग्राम पंचायत डढिया मे सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु	16.09.2020	132892.00
		13.10.2020	129189.00
		17.12.2020	11280.00
		17.12.2020	10710.00
		25.12.2020	24948.00
		25.12.2020	12462.00
		योग	321481.00
4	मुरब्बा देवी के घर से पूरब पिच रोड तक खडंजा मरम्मत	27.11.2020	37800.00
		17.12.2020	11256.00
		19.12.2020	13266.00
		21.12.2020	13266.00
		24.03.2020	33767.00
		24.03.2020	16383.00
		योग	125738.00
		कुल योग	520929.00

बार-बार मांगोपरांत भी लेखा परीक्षा मे उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे, इस प्रकार उक्त कार्यों पर किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती हेमवन्ती देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती हेमवन्ती देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - डढिया

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-108

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में केंद्रीय वित्तखाता संख्या 2110000101206415 (पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोपालपुर) से वर्ष 2021-21 में विभिन्न तिथियों मे कुल रुपये 459832.00 का व्यय पंचायत भवन निर्माण हेतु दर्शित है। परन्तु बार-बार मांगोपरांत भी लेखा परीक्षा मे उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,

तकनीकीस्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे, इस प्रकार उक्त कार्यों पर किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती हेमवती देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती हेमवती देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दुरुई

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-109

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में केंद्रीय वित्त के खाता संख्या 2110000101206381 से दिनांक 24.11.2020 को पंचायत भवन में टाईल्स एवम अन्य सामग्री पर कुल रुपये 156222.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्री राम मिलन यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्री राम मिलन यादव से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गाजेगडहा

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-110

वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2110000100100727 (पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोपालपुर) से वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 1441263.10 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 112.10 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 1441151.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निखिलेश भारती व ग्राम प्रधान श्री नित्यानंद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री निखिलेश भारती व ग्राम प्रधान श्री नित्यानंद से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गाजेगडहा

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-111

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2110000100100727 (पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोपालपुर) से वर्ष 2020-21 में कुल रुपये 868323.80 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 188.80 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 868135.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निखिलेश भारती व ग्राम प्रधान श्री नित्यानंद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री निखिलेश भारती व ग्राम प्रधान श्री नित्यानंद से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-112

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में केंद्रिय वित्त खाता संख्या 2110000101206053 (पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोपालपुर)से वर्ष 2020-21 में कुल रुपये 562373.40 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 153.40 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 562220.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निखिलेश भारती व ग्राम प्रधान श्री नित्यानंद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री निखिलेश भारती व ग्राम प्रधान श्री नित्यानंद से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सडसडा बुजुर्ग

विकास खण्ड- गोला

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-113

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2110000100054550 तथा केंद्रिय वित्त खाता संख्या 2110000101206628 से वर्ष 2021-21 में हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर पर कुल रुपये 271878.00 व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत है-

क्रम	राज्य वित्त / केंद्रिय वित्त	कार्य विवरण	दिनांक	धनराशि
1	राज्य वित्त	हैंडपंप मरम्मत	02/07/2020	53500.00
2	राज्य वित्त	हैंडपंप रिबोर	02/07/2020	40228.00
3	राज्य वित्त	हैंडपंप रिबोर/ मरम्मत	09/07/2020	10000.00
4	राज्य वित्त	हैंडपंप रिबोर	10/07/2020	21430.00
5	राज्य वित्त	हैंडपंप मरम्मत	19/08/2020	8150.00
6	राज्य वित्त	हैंडपंप रिबोर	20/08/2020	8520.00
7	राज्य वित्त	हैंडपंप रिबोर	20/08/2020	14150.00
8	राज्य वित्त	हैंडपंप मरम्मत	25/12/2020	40000.00
9	केंद्रिय वित्त	हैंडपंप रिबोर	29/03/2021	25600.00
10	केंद्रिय वित्त	हैंडपंप रिबोर	29/03/2021	25000.00
11	केंद्रिय वित्त	हैंडपंप रिबोर	29/03/2021	25300.00
कुल =				271878.00

उक्त व्यय के सापेक्ष हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैंडपंप खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय किया गया। धनराशि व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्री कृष्णमुरारी निषाद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार व ग्राम प्रधान श्री कृष्णमुरारी निषाद से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिक्टौर

विकास खण्ड- चरगावा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-114

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में केंद्रिय वित्त खाता संख्या 750202010004710 (युनियन बैंक रासीनगर गोरखपुर) से दिनांक 31.03.2021 को कुल रुपये 184000.00 का भुगतान, श्री नारायण कम्पनी को सेमी मिनी हाई मास्ट लाईट (आई डी संख्या 45294864) की स्थापना हेतु किया गया है। बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री हिमांशु सिंह सिसोदिया व ग्राम प्रधान श्री रमेश चौहान से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरणप्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री हिमांशु सिंह सिसोदिया व ग्राम प्रधान श्री रमेश चौहान से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल छत्रधारी

विकास खण्ड- चरगावा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-115

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में केंद्रिय वित्त खाता संख्या 750202010004678 (युनियन बैंक रासीनगर गोरखपुर) से वर्ष 2020-21 में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार सेमी हाई मास्ट लाईट पर व्यय किया गया है -

क्रमांक	कार्य विवरण	आई डी संख्या	दिनांक	धनराशि
1	देवीदीन के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट	42558306	07.10.2020	92000.00
			12.10.2020	92000.00
2	बंगला टोला पर सेमी हाई मास्ट लाईट	42556786	07.10.2020	92000.00
			12.10.2020	92000.00
3	जगदीश के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट	42557551	12.10.2020	92000.00
			14.10.2020	92000.00
4	घनश्याम के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट	42557802	12.10.2020	92000.00
			14.10.2020	92000.00
कुलयोग				736000.00

बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सीमा शर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती विमला लाल निषाद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। तथा इस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरणप्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सीमा शर्मा व ग्राम प्रधान श्रीमती विमला निषाद से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल धूषण

विकास खण्ड- चरगावा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-116

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 30016032737 (स्टेट बैंक, शाखा, बी आर डी मेडिकल कालेज गोरखपुर) से वर्ष 2020-21 में कुल रुपये 5536052.00 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया

354.00 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 5535698.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रियंका गौतम व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रियंका व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका गुप्ता से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल धूषण

विकास खण्ड- चरगावा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-117

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में केंद्रिय वित्त खाता संख्या 750202010004696 (यूनियन बैंक रासीनगर गोरखपुर) से वर्ष 2021-21 में कुल रुपये 3381827.00 की निकासी की गयी है। बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रियंका गौतम व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रियंका व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका गुप्ता से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास खण्ड- चरगावा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-118

वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 300115825310 (भारतीय स्टेट बैंक, शाखा, बी आर डी मेडिकल कालेज गोरखपुर) के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल रुपये 17422010.00 की निकासी की गयी है जिसमें से रुपया 118.000 बैंक खर्च के रूप में है। अवशेष रुपये 17421892.00 व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कैशबुक, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकिशोर सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकिशोर सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास खण्ड- चरगावा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-119

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 300115825310 (भारतीय स्टेट बैंक, शाखा, बी आर डी मेडिकल कालेज गोरखपुर) के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2020 -21 में कुल रुपये 7368116.00 की निकासी की गयी है। बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कैशबुक, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकिशोर सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकिशोर सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परमेश्वरपुर

विकास खण्ड-

चरगांवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-120

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में केंद्रीय वित्त खाता संख्या 750202010004699 (युनियन बैंक रासीनगर गोरखपुर) के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2020 -21 में कुल रुपये 1831610.00 की निकासी की गयी है। बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कैशबुक, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकिशोर सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकिशोर सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बघौर

विकास खण्ड- उरूवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-121

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू0 182636.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टॉक रजि0, एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि ख 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बघौर

विकास खण्ड- उरूवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-122

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू0 36459.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टॉक रजि0, एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बघौर

विकास खण्ड-

उरूवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-123

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 54500.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजि०, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बघौर

विकास खण्ड-

उरूवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-124

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 275966.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजि०, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व

सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सहुआ

विकास खण्ड- उरूवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-125

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 909554.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टॉक रजि०, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक/ उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के ”

विपरीततथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके ” अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सहुआ

विकास खण्ड- उरूवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-126

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 28000.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टॉक रजि०, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सहुआ

विकास खण्ड- उरूवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-127

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 576260.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक,

निर्माण कार्य पत्रावली,स्टाक रजि०,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्र"। मप्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8क के अनुसार "यदि दर्शाए गएव्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सहआ

विकास खण्ड- उरूवा

जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-128

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू० 82351.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके " अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - छतियारी

विकास खण्ड - उरूवा

जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-129

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से रू० 37731.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि

वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके ” अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - छतियारी विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-130

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 72850.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके ” अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - छतियारी विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-131

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 280795.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके ” अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व

सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - छत्तियारी विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-132

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 42000.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टॉक रजि०, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इसरौली विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-133

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत/ प्राप्त धनराशि से ₹0 1123464.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टॉक रजि०, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इसरौली विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-134

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग चौदह / वें वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 816306.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक

,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इसरौली विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-135

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 765933.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इसरौली विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-136

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 224783.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व

होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ददौरा

विकास खण्ड- उरूवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-137

लेखा परीक्षा वर्ष 19-20 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम खाते से राज्य वित्तचौदहर्वे/ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 1135224.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके अंतर्गत " अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ददौरा

विकास खण्ड- उरूवा

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-138

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोगचौदहर्वे वित्त के अन्तर्गत / प्राप्त धनराशि से ₹0 582049.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने

हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ददौरा विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-139

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 380933.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजि०, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ददौरा विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-140

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 1170267.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजि०, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इमलीडीह बुजुर्ग विकास खण्ड- उरूवा जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-141

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 356400.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक,

निर्माण कार्य पत्रावली,स्टाक रजि०,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके ” अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री होमा व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इमलीडीह बुजुर्ग विकास खण्ड- उरुवा जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-142

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 95700.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली,स्टाक रजि०,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक /प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रध। नतथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि "खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शा। ए गए व्यय के सम्बन्ध मेंकोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके " अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री होमा व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इमलीडीह बुजुर्ग विकास खण्ड- उरुवा जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-143

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 109000.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली,स्टाक रजि०,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व

होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री होमा व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इमलीडीह बुजुर्ग विकास खण्ड- उरुवा जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-144

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 669776.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली,स्टाक रजि०,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्ययप्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए” के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगीके अंतर्गत अधिभार योग्य है। इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री होमा व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश चन्द से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिसवा बाबू विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-145

लेखा परीक्षा वर्ष में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 21-08-2020 को ₹0 42000.00 तथा दिनांक 31-08-2020 को ₹0 42000.00 का भुगतान कुल ₹0 84000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान के मानदेय के रूप में किया गया है उक्त भुगतान में माह दिसम्बर 2020 के सापेक्ष मानदेय का भुगतान भी सम्मिलित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 25 दिसम्बर 2020 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त करते हुये प्रशासकीय व्यवस्था लागू की गयी थी अतः ग्राम प्रधान को 25 दिसम्बर तक का ही मानदेय भुगतान किया जाना चाहिये था जो माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल ₹0 30823.00 होना चाहिये इस प्रकार वर्ष के दौरान ग्राम प्रधान को ₹0 53177.00 का अधिक मानदेय का भुगतान कर अनुदान की क्षति की गयी है। जो 30प्र० पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र० पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूर्यभान यादव व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप यादव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूर्यभान यादव व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप यादव से बराबर बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शिवपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-146

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 667978.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय शंकर यादव व सचिव ग्राम पंचायत इष्टदेव शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शिवपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-147

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 21000.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय शंकर यादव व सचिव ग्राम पंचायत इष्टदेव शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शिवपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-148

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 508890.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक

, निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय शंकर यादव व सचिव ग्राम पंचायत इष्टदेव शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गणेशपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-149

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 835548.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पिकी देवी व सचिव ग्राम पंचायत इष्टदेव शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गणेशपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-150

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 31500.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पिकी देवी व सचिव ग्राम पंचायत इष्टदेव शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गणेशपुर

विकास खण्ड- बेलघाट

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-151

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 556000.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पिकी देवी व सचिव ग्राम पंचायत इष्टदेव शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - त्रिलोकपुर

विकास खण्ड- बेलघाट

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-152

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार 14वां वित्त से प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं०	वर्क आई.डी. सं०	कार्य का नाम	योजना	धनराशि
1	42992415	प्राथमिक स्कूल का कायाकल्प कार्य	चौदहवां वित्त	260549.00
2	27223538	इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	239663.00
3	42992328	ग्राम पंचायत में कूप मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	147500.00
4	42992345	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	51900.00
		कुल योग		699612.00

उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष तकनीकी / प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, जो नियमों के प्रतिकूल रहा।

क्रमांक 02 पर अंकित कार्य पर किया गया भुगतान गत वर्ष की वर्क आई.डी पर किया गया है साथ ही अंकित कार्य का पूर्ण विवरण आनलाईन / आफलाईन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है जिससे कहाँ से कहाँ तक कार्य कराये गये कि जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी जो नियमों के प्रतिकूल रहा।

उपरोक्त सभी भुगतानों के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री उमेश त्रिपाठी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - त्रिलोकपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-153

राज्य वित्त से कराये गये खडन्जा निर्माण कार्य (वर्क आई.डी. 27223699)पर व्यय ₹0 122400.00 के सापेक्ष प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री उमेश त्रिपाठी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रापतपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-154

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार 14 वाँ वित्त / 15 वां वित्त से प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं०	वर्क आई.डी.	कार्य का नाम	योजना	धनराशि

1	42272473 कायाकल्प प्राथमिक वि०	15 वां वित्त / 14 वां वित्त	700699.00
2	37931789 प्रशासनिक व्यय	15 वां वित्त	30000.00
3	37931834 हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर	15 वां वित्त	243165.00
4	25374208 खडन्जा मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	161000.00
	कुल योग		1134864.00

उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष तकनीकी / प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जो नियमों के प्रतिकूल रहा।

क्रमांक 01 पर अंकित कार्य प्राथमिक वि० कायाकल्प की आनलाइन अभिलेखों के अनुसार वित्तीय स्वीकृति मात्र 445000.00 थी जिसके सापेक्ष ₹ 700699.00 व्यय किया गया जो नियमों के प्रतिकूल रहा

क्रमांक 04 पर अंकित कार्य का पूर्ण विवरण आनलाईन / आफलाईन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है जिससे कहाँ से कहाँ तक कार्य कराये गये कि जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी जो नियमों के प्रतिकूल रहा।

उपरोक्त सभी भुगतानों के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रदीप यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-155

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹ 532863.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य

पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम सुन्दर व सचिव ग्राम पंचायत इष्टदेव शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-156

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 16000.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम सुन्दर व सचिव ग्राम पंचायत इष्टदेव शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-157

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 345987.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम सुन्दर व सचिव ग्राम पंचायत इष्टदेव शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - छितौना विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-158

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार 14वां वित्त से प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं०	वर्क आई.डी. सं०	कार्य का नाम	योजना	धनराशि
1	42183128	प्राथमिक विद्यालय में काया कल्प	चौदहवां वित्त	431281.00
2	42099428	सोखता निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	89925.00
3	42178166	रामदरश के घर से बिहारी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	281015.00
4	42172489	पिच रोड से रामलाल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	195189.00
5	42181251	मोहित के घर से पिच रोड तक नाली निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	205564.00
6	42177599	उमेश के घर से मडई तक मि० / ख० कार्य	चौदहवां वित्त	76776.00
7	42100159	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य व रिबोर	चौदहवां वित्त	86700.00
8	42177857	पिच रोड से प्राथमिक वि० तक खडन्जा मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	128722.00
9	45142557	प्राथमिक विद्यालय में बाउण्डीवाल कार्य	चौदहवां वित्त	144909.00
10	45142559	प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत कार्य	चौदहवां वित्त	249000.00
		कुल योग		1889081.00

उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष तकनीकी / प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जो नियमों के प्रतिकूल रहा।

उपरोक्त सभी भुगतानों के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसन्तपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-159

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार 14वां वित्त / 15 वां वित्त से प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत की

पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी।विवरण निम्नवत है :-

no	वर्क आई.डी. सं०	कार्य का नाम	योजना	धनराशि
1	42140415	प्रशासनिक व्यय	15 वां वित्त	30000.00
2	42006042	इन्टरलॉकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	340556.00
3	42109796	बालचन्द के घर से जयचन्द के घर तक ह्यूम पाईप नाली	चौदहवां वित्त	140313.00
4	42109626	ओंकार के घर से बालचन्द के घर तक ह्यूम पाईप नाली	चौदहवां वित्त	143445.00
5	44802294	ग्राम पंचायत में कूप मरम्मत कार्य	15 वां वित्त	146712.00
6	44802292	जयचन्द के घर से गूंगी पोखरी तक ह्यूम पाईप नाली	चौदहवां वित्त	132784.00
7	45154623	विजय दूबे के घर से सरोज दूबे के घर तक मि० / ख० कार्य	15 वां वित्त	174666.00
8	49510974	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	310679.00
कुल योग				1419155.00

उपरोक्त कार्यो के सापेक्ष किये गये भुगतान में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

उपरोक्त कार्यो के सापेक्ष तकनीकी / प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जो नियमों के प्रतिकूल रहा।

उपरोक्त सभी भुगतानों के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसन्तपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद - गोरखपुर
प्रस्तर सं०-160

राज्य वित्त से कराये गये आंगनवाडी केन्द्र का निर्माण (वर्क आई.डी. 42112393)पर व्यय रू0 106000.00 के सापेक्ष प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - औरंगाबाद विकास खण्ड- भटहट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-161

वर्ष 2020-21 में संस्था को प्राप्त अनुदान से निम्न विवरणानुसार अलाभकारी कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया है :-

क्रम	वर्क आई.डी.	कार्य का नाम	स्कीम	धनराशि	तिथि
1	46558131	सामुदायिक शौचालय सुन्दरीकरण कार्य	पंचम राज्य वित्त	84398.00	
2	46563114	सामुदायिक शौचालय सुन्दरीकरण कार्य	पन्द्रहवां वित्त	168515.00	
				252913.00	

1-उपरोक्त सभी कार्य ग्राम प्रधान की कार्यकाल की समाप्ति के बाद प्रशासकीय व्यवस्था में कराये गये हैं।
 2-उपरोक्त सभी कार्यों की प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
 3-अलाभकारी व्यय रू0 252913.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित तत्कालीन ए0डी0ओ0 पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान रू0 252913.00 की सम्पूर्ण वसूली प्रशासक श्री सुनील कुमार यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री अमरेन्द्र सिंह से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करमहा बुजुर्ग विकास खण्ड- भटहट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-162

दिनांक 21-12-2020 को कैश बुक में श्री राम के घर से दीनानाथ के घर तक खंडजा मरम्मत पर ईट का भुगतान रूपया 40953-00 व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व है

कि लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर उपलब्ध कराएँ। लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 क के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 40953-00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कौशल निषाद एवं सचिव श्रीमती कंचन से अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत - जंगल हरपुर विकास खण्ड- भटहट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-163

वर्ष 2020-21 में चौदहवें वित्त आयोग से वर्क आईडीओ सं० 44479290 पर प्रशासनिक मद पर व्यय ₹0 223450.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अतएव किये गये भुगतान ₹0 223450.00 की सम्पूर्ण वसूली प्रशासक ग्राम प्रधान श्रीमती कृति देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री नागेन्द्र देव पाण्डेय से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तरकुलहा विकास खण्ड- भटहट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-164

आलोच्य वर्ष में दिनांक 18-11-2020 को कैलाश के घर से फूलचन्द के घर तक नाली मरम्मत / स्लैब निमाण कार्य पर हरि ब्रिक्स फील्ड को ₹0 18480.00 ईट क्रय का भुगतान कोषबही में दर्शित है। इस व्यय भुगतान की धनराशि ₹0 18480.00 के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त व्यय वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये ₹0 18480.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नगमा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती कंचन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - आबादी सखनी विकास खण्ड- भटहट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-165

दिनांक 23.06.2020 को ₹0 4500.00 व 02.07.2020 को ₹0 4500.00 अर्थात् कुल ₹0 9000.00 कैशबुक में प्रशासनिक मद में व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर उपलब्ध कराएँ। लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 क के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 9000.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उदय चन्द एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री प्रशान्त सहगल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रतनपुर विकास खण्ड- भटहट जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-166

दिनांक 18-12-2020 को कैश बुक में प्रशासनिक मद में रुपया 10,430-00 व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त वाउचर उपलब्ध कराएँ। लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खंड 8 क के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएव किये गए भुगतान रुपये 10,430-00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजयी सिंह एवं सचिव (ग्राम पंच) श्री अभय पासवान से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मरकड़ी**विकास खण्ड- बड़हलगंज****जनपद - गोरखपुर****प्रस्तर सं०-167**

पंचायती राज अनुभाग 1 के शासनादेश सं० 3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के अनुपालन में लेखा परीक्षा वर्ष में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न तिथियों में ग्राम प्रधान को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं०	व्यय प्रमाणक सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/2	15-10-2020	38500.00	अक्टू 2019 से अगस्त 20
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/3	15-12-2020	10500.00	सित० 2020 से नव० 20
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/1	19-09-2020	10500.00	अप्रैल 20 से जून 20
			59500.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल ₹ 59500.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को मानदेय के रूप में किया गया है। उक्त भुगतान में माह अप्रैल 20 से माह जून 2020 तक का ₹ 10500.00 का दो बार भुगतान कर ₹ 10500.00 की राजकीय धन की क्षति की गयी है। जो उ०प्र० पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ०प्र० पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश खरवार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश खरवार से बराबर बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मकरंदपुर**विकास खण्ड- बड़हलगंज****जनपद - गोरखपुर****प्रस्तर सं०-168**

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम सं०	व्यय प्रमाणक	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	कार्य का विवरण

1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/11	04-11-2020	53949.00	ओम साई कृपा इन्टरप्राइजेज	पंचायत भवन मरम्मत एवं शौचालय मरम्मत वर्क आईडी - 41915333
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/3	06-07-2020	26594.00	आर आर टेडर्स	
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/4	06-07-2020	3875.00	श्री महावीर ईट भठठा	
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/10	18-09-2020	88250.00	ओम साई कृपा इन्टरप्राइजेज	
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/12	22-03-2021	55268.00	ओम साई कृपा इन्टरप्राइजेज	
6	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/13	22-03-2021	8032.00	श्री महावीर ईट भठठा	
			235968.00		

उपरोक्त सभी भुगतानों के प्रमाणक निर्माण पत्रावली के साथ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री कृष्णानन्द शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मझवेलिया विकास खण्ड- बड़हलगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-169

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त / चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम	वर्क आई.डी.	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय धनराशि	दिनांक	प्रमाणक क्रमांक
1	36448153	खडन्जा निर्माण	चौदहवां वित्त	39907.00	07/07/2020	एफएफसी/2020-21/पी/4 एफएफसी/2020-21/पी/8
2	36449726	खडन्जा निर्माण	चौदहवां वित्त	41192.00	07/07/2020	एफएफसी/2020-21/पी/1 एफएफसी/2020-21/पी/5

3	36449614	खडन्जा निर्माण	चतुर्थ राज्य वित्त	16848.00	07/07/2020	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/1 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/3
4	36449364	खडन्जा निर्माण	चौदहवां वित्त	60174.00	07/07/2020	एफएफसी/2020- 21/पी/3 एफएफसी/2020- 21/पी/7
5	36448886	खडन्जा निर्माण	चौदहवां वित्त	56595.00	07/07/2020	एफएफसी/2020- 21/पी/2 एफएफसी/2020- 21/पी/6
6	29698314	खडन्जा मरम्मत	चतुर्थ राज्य वित्त	35046.00	07/07/2020	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/2 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/4
			योग	249762.00		

उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान में निम्न आपत्तियां पायी गयी :-

क-उपरोक्त सभी कार्यों की वर्क आईडीओ 2019-20 की है। विगत वर्ष के अवशेष / अपूर्ण कार्यों की सूची व विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।

ख-उपरोक्त सभी भुगतानों की तिथि दिनांक 07/07/2020 है जो संदेहास्पद है।

ग-उपरोक्त सभी कार्यों का पूर्ण विवरण आनलाईन / आफलाईन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है जिससे कहां से कहां तक कार्य कराये गये कि जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी जो नियमों के प्रतिकूल रहा।

घ-उपरोक्त सभी भुगतानों के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री दिवाकर पसाद से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लखनौरी विकास खण्ड- बड़हलगांज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-170

पंचायती राज अनुभाग 1 के शासनादेश सं० 3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के अनुपालन में लेखा परीक्षा वर्ष में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न तिथियों में ग्राम प्रधान को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं०	व्यय प्रमाणक सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण

1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/1	19-09-2020	10500	अप्रैल 20 से जून 20
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/3	22-10-2020	21000	मानदेय 06 माह
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/4	23-12-2020	10500	मानदेय 03 माह
			42000.00	

कुल ₹0 42000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को 12 माह के मानदेय के रूप में किया गया है उक्त भुगतान में माह दिसम्बर 2021 के सापेक्ष मानदेय का भुगतान भी सम्मिलित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 25 दिसम्बर 2021 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त करते हुये प्रशासकीय व्यवस्था लागू की गयी थी अतः ग्राम प्रधान को 25 दिसम्बर तक का ही मानदेय भुगतान किया जाना चाहिये था इस प्रकार ग्राम प्रधान को 06 दिवस का अधिक मानदेय ₹0 677.00 का भुगतान तथा माह जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक का ₹0 10500.00 अधिक भुगतान कर ₹0 11177.00 की राजकीय धन की क्षति की गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज मैनुयल के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज मैनुयल के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दर्शन यादव व ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास राय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दर्शन यादव व ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास राय से बराबर बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लखनौरी विकास खण्ड- बड़हलगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-171

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार के अनुसार ₹0 16500.00 प्रशासनिक मद पर व्यय दर्शित करते हुये ग्राम प्रधान श्री दर्शन यादव को भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान श्री दर्शन यादव व सचिव श्री विकास राय जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खजूरी पाण्डेय विकास खण्ड- बड़हलगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-172

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम सं०	व्यय प्रमाणक	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	कार्य का विवरण

1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/3	24-10-2020	36000.00	सौरव कृषि बीज भण्डार	फागिंग कार्य
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/7	24-12-2020	25000.00	साई टेडर्स	प्रशासनिक व्यय
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/8	25-03-2021	32950.00	नितिन इन्टरप्वाइजेज	दवा छिडकाव सामग्री
	योग		93950.00		

उपरोक्त सभी भुगतानों के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री गणेश खरवार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बुढनपूरा विकास खण्ड- बड़हलगांज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-173

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम सं०	व्यय प्रमाणक	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	कार्य का विवरण
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/13	18-12-2020	102836.00	विराज बिल्डिंग मैटेरियल	नाला का सिल्ट सफाई कार्य
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/7	29-09-2020	10250.00	बृजेश - मजदूरी	
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/8	29-09-2020	15175.00	बृजेश - मजदूरी	

4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/14	25-03-2021	24400.00	नितिन इन्टरप्राइजेज	दवा छिडकाव व फागिंग
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020- 21/पी/9	29-10-2020	13150.00	नितिन इन्टरप्राइजेज	05 अदद वजन मापी मशीन
			165811.00		

उपरोक्त सभी भुगतानों के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री गणेश खरवार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अहिरौली विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-174

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज एवं कैशबुक के अनुसार राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम सं०	व्यय प्रमाणक	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम	कार्य का विवरण
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/1	24-07-2020	46046.00	ओम टेडर्स	सफाई कार्य हेतु
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग /2020-21/पी/4	24-12-2020	21000.00	ओम टेडर्स	प्रशासनिक मद
	योग		67046.00		

उपरोक्त सभी भुगतानों के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख

उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री ज्ञान प्रकाश सोनकर से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अहिरौली विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-175

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14वां वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 373209.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री ज्ञान प्रकाश सोनकर से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिशुनपुर विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-176

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त प्राप्त धनराशि से ₹0 49872.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे व्यय की पुष्टि ऑफलाईन मूल अभिलेखों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मिला व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार चौरसिया से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिशुनपुर विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-177

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 819012.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोषबही , बैंक स्टेटमेंट ,व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे व्यय की पुष्टि आफलाईन मूल अभिलेखों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है -

1	41796373	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	240796.00
2	44685972	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	551369.00
3	28531429	नाली निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	26847.00
		योग		819012.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरीत रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मिला व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार चौरसिया से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रमवापुर विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-178

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत कोषबही एवं आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14 वें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये -

क्रम सं०	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	धनराशि	दिनांक	व्यय प्रमाणक सं०
1	44866916	मिलहे के घर से रामनगीना के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	96376.00	08-03-2021	एफएफसी/2020-21/पी/6
2	44866818	हरहिर के घर से राममलिन के कुआं तक इन्टरलाकिंग कार्य	221424.00	23-03-2021	एफएफसी/2020-21/पी/9
3	44866853	चन्द्रमा के घर से राधे के घर तक खडन्जा मर0 कार्य	59157.00	08-03-2021	एफएफसी/2020-21/पी/7
4	44852429	रमवापुर में साबिर के घर से शंकर जी के स्थान तक हयुम पाईप द्वारा नाली निर्माण कार्य	40282.00	08-03-2021	एफएफसी/2020-21/पी/4
5	45179510	सुग्रीव के घर से दक्षराज के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	174993.00	08-03-2021	एफएफसी/2020-21/पी/5
6	45179457	आरसीसी से इन्द्रदेव के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	74681.00	23-03-2021	एफएफसी/2020-21/पी/10

7	45179504	हरिश्चन्द्र के घर से बदलू यादव के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	125576.00	23/03/2021 24/03/2021	एफएफसी/2020- 21/पी/8 एफएफसी/2020- 21/R/4
		कुल योग	792489.00		

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु तत्कालीन ए0डी0ओ0पी0 व सचिव जिम्मेदार है। अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ए0डी0ओ0पी0 श्री नीरज गुप्ता व सचिव ग्राम पंचायत श्री बहादुर प्रसाद से नियमानुसार बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सरपतहा विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं०-179

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 30020.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोषबही , बैंक स्टेटमेंट , व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे व्यय की पुष्टि आफलाईन मूल अभिलेखों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार चौरसिया से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सरपतहा विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-180

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 4451654.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोषबही , बैंक स्टेटमेंट , व्यय

प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे व्यय की पुष्टि आफलाईन मूल अभिलेखों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है -

1	43091642	महेन्द्र धोबी के घर से राममिलन के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	494353.00
2	43091732	प्रकाश के घर से बाबूलाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	383668.00
3	43091531	मन्दिर से प्रमोद के घर होते हुये मोलहू के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	460835.00
4	43091815	प्राथमिक वि० नवडीहा का अवशेष चहारदीवारी व गेट निर्माण कार्य / कायाकल्प कार्य	चौदहवां वित्त	356083.00
5	43092212	विजय चन्द के घर से रामचन्दर के घर होते हुये सेक्टर मार्ग तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	493621.00
6	43091582	दयाराम के घर से अवधराज के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	149158.00
7	43091891	पंचायत भवन का बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	258740.00
8	43091354	बरईटोला पर आंगनवाडी का बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	392306.00
9	43093107	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	677815.00
10	45475653	सावर्जनिक भूमि को संरक्षित करने हेतु गेट व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	482221.00
11	45475621	सावर्जनिक भूमि को संरक्षित करने हेतु गेट व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	302854.00
				4451654.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र० पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र० पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार चौरसिया से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करीमनगर **विकास खण्ड-** कैम्पियरगंज **जनपद -** गोरखपुर प्रस्तर सं०-181
लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹० 124666.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोषबही , बैंक स्टेटमेन्ट

,व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे व्यय की पुष्टि आफलाईन मूल अभिलेखों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुलाबी देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार चौरसिया से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करीमनगर विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-182
लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 1797313.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोषबही , बैंक स्टेटमेन्ट ,व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे व्यय की पुष्टि आफलाईन मूल अभिलेखों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुलाबी देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार चौरसिया से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोपालगंज 30 हरनामपुर विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-183
लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 51106.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोषबही , बैंक स्टेटमेन्ट ,व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे व्यय की पुष्टि आफलाईन मूल अभिलेखों के आधार पर नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा

प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30.00 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30.00 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनिवास व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार चौरसिया से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोपालगंज 30 हरनामपुर विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-184

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकड़ें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 2860121.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोषबही , बैंक स्टेटमेन्ट , व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे व्यय की पुष्टि आफलाईन मूल अभिलेखों के आधार पर नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है -

1	42960064	रामकिशुन के घर से देवीचरन के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	48983.00
2	42960942	हिन्द कुमार के घर से रामसमुझ के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	446053.00
3	42962396	मेन पिच से मिश्री के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	384582.00
4	42960826	मोतीलाल के घर से कृष्णमुरारी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	391419.00
5	42959939	सुगीव के घर से ट्यूबवेल तक इन्टरलाकिंग कार्य	चौदहवां वित्त	299149.00
6	42963218	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	चौदहवां वित्त	450930.00
7	28256301	इन्टरलाकिंग कार्य - पूर्ण विवरण अंकित नहीं	चौदहवां वित्त	495580.00
8	28254833	इन्टरलाकिंग कार्य - पूर्ण विवरण अंकित नहीं	चौदहवां वित्त	137807.00
9	28247759	इन्टरलाकिंग कार्य - पूर्ण विवरण अंकित नहीं	चौदहवां वित्त	205618.00
				2860121.00

व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"

के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनिवास व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुनील कुमार चौरसिया से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - छितही खुर्द विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-185
लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज एवं कोषबही के अनुसार पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम सं०	वर्क आई डी०	मद का विवरण	दिनांक	धनराशि
1	43113591	प्रशासनिक मद	19-12-2020	25000.00

उपरोक्त भुगतान के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री घरभरन व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरूण सिंह से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - छितही खुर्द विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-186
लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 115450.00 का व्यय इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित है जिसकी वर्क आई डी० सं० 45001910 है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नहीं की जा सकी। बिन्दुवार आपत्तियां निम्नवत है -

क-कोषबही की जांच में पाया गया कि एक ही वर्क आई डी पर 01 से अधिक हैण्डपम्प का मरम्मत कार्य कराया गया है जो अनियमित रहा। नियमानुसार प्रत्येक हैण्डपम्प हेतु पृथक पृथक वर्क आई डी तैयार किया जाना चाहिये था। पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 51/2017/ 1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार प्रत्येक हैण्डपम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग अलग वर्क आई डी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसका पालन नहीं किया है। जो अनियमित रहा।

ख-व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम

प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है।

इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री घरभरन व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरूण सिंह से बराबर - बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कैथवालिया हरखसिंह विकास खण्ड- बांसगाँव जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-187

पंचायती राज अनुभाग 1 के शासनादेश सं० 3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के अनुपालन में लेखा परीक्षा वर्ष में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न तिथियों में ग्राम प्रधान को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है विवरण निम्नवत है :-

दिनांक 14-04-2020 को ₹0 14000.00

दिनांक 05-08-2020 को ₹0 14000.00

दिनांक 17-12-2020 को ₹0 14000.00

कुल ₹0 42000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को 12 माह के मानदेय के रूप में किया गया है उक्त भुगतान में माह दिसम्बर 2021 के सापेक्ष मानदेय का भुगतान भी सम्मिलित है यहां यह उल्लेखनीय है कि 25 दिसम्बर 2021 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त करते हुये प्रशासकीय व्यवस्था लागू की गयी थी अतः ग्राम प्रधान को 25 दिसम्बर तक का ही मानदेय भुगतान किया जाना चाहिये था इस प्रकार ग्राम प्रधान को 06 दिवस का अधिक मानदेय ₹0 677.00 का भुगतान तथा माह जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक का ₹0 10500.00 अधिक भुगतान कर ₹0 11177.00 की राजकीय धन की क्षति की गयी है। जो 30प्र० पंचायत राज मैनुयल के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु 30प्र० पंचायत राज मैनुयल के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामदवन व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजीत कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामदवन व ग्राम पंचायत सचिव श्री अजीत कुमार से बराबर बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जिगिना मियांव विकास खण्ड- बांसगाँव जनपद - गोरखपुर प्रस्तर सं०-188

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /चौदहवां वित्त/ पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 1024514.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूमाली देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री हंसलाल से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कोहटारूप विकास खण्ड- बांसगाँव जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-189

लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम खाते से कुल ₹0 368365.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार कुल ₹0 368365.00 के भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं। अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अंकुर दुबे से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चाड़ी विकास खण्ड- बांसगाँव जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-190

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 111515.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यों पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राम दुलारे व सचिव ग्राम पंचायत श्री हरिशचन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चाड़ी विकास खण्ड- बांसगाँव जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-191

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ₹0 535800.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि0 ,एम0बी0 बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत

नहीं गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राम दुलारे व सचिव ग्राम पंचायत श्री हरिशचन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चाड़ी विकास खण्ड- बांसगाँव जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-192

लेखा परीक्षा वर्ष 20-21 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित योजनावार व्यय विवरण के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ₹0 703279.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक ,व्यय प्रमाणक , निर्माण कार्य पत्रावली ,स्टाक रजि० ,एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है।व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राम दुलारे व सचिव ग्राम पंचायत श्री हरिशचन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सिंगहा विकास खण्ड- बांसगाँव जनपद – गोरखपुर प्रस्तर सं०-193

पंचायती राज अनुभाग 1 के शासनादेश सं० 3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के अनुपालन में लेखा परीक्षा वर्ष में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि निम्न तिथियों में ग्राम प्रधान को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है विवरण निम्नवत है :-

दिनांक 18-08-2020 को ₹0 14000.00

दिनांक 10-11-2020 को ₹0 10500.00

दिनांक 04-03-2021 को ₹0 17500.00

कुल ₹0 42000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को 12 माह के मानदेय के रूप में किया गया है उक्त भुगतान में माह दिसम्बर 2021 के सापेक्ष मानदेय का भुगतान भी सम्मिलित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 25 दिसम्बर 2021 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त करते हुये प्रशासकीय व्यवस्था लागू की गयी थी अतः ग्राम प्रधान को 25 दिसम्बर तक का ही मानदेय भुगतान किया जाना चाहिये था इस प्रकार ग्राम प्रधान को 06 दिवस का अधिक मानदेय ₹0 677.00 का भुगतान तथा माह जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक का ₹0 10500.00 अधिक भुगतान कर ₹0 11177.00 की राजकीय धन की क्षति की गयी है। जो उ०प्र० पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ०प्र० पंचायत राज मैनुअल के अध्याय 13 के नियम सं० 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार शुक्ला से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गायत्री देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार शुक्ला से बराबर बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद - कुशीनगर

ग्राम पंचायत - पड़खोरी

विकास खंड - कसानगंज

प्रस्तर स०-01- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्टवेयर ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु० 10,00,747 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 5,00,373.5 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री ईश्वर चन्द्र सिंह एवं रु० 5,00,373.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कन्हैया मौर्य से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - तवक्कलपुर

विकास खंड - कसानगंज

जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर स०-02- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्टवेयर ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु० 16,43,465 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 8,21,732.5 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री मती सुभद्रा एवं रु० 8,21,732.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कन्हैया मौर्य से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - परतवाल

विकास खंड- कसानगंज

जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर स०-03- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्टवेयर ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु० 17,65,212 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 8,82,606 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री चुन्नी लाल एवं रु० 8,82,606 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कन्हैया मौर्य से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - सोहनरिया**विकास खंड - पड़रौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-04- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2022 तक वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक

लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 14,16,627 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 7,08,314 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री अजीत एवं ₹ 7,08,314 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - खरदेवा**विकास खंड - पड़रौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-05-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी।

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2022 तक वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट / ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 12,32,385 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 6,16,193 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री शम्भू एवं ₹ 6,16,193 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - करहिया हजारी पट्टी**विकास खंड - पड़रौना****जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर स०-06- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी।

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2022 तक वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट / ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 13,43,705 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 6,71,853 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री पूर्णमासी एवं ₹ 6,71,853 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - परसौना**विकास खंड -पड़रौना****जनपद -कुशीनगर**

प्रस्तर स०-07- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी।

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2022 तक वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट / ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6,32,645 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 3,16,323 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री ग्यासुद्दीन एवं ₹ 3,16,323 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - नादह**विकास खंड - पड़रौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-08- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी।

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2022 तक वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट / ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 19,18,584 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 9,59,292 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री मती जदुरानी एवं ₹ 9,59,292 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत-नरसर

विकास खंड - पड़रौना

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-09- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी।

लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी दिनांक 31.03.2022 तक वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट / ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 23,74,316 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 11,87,158 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री बाबूराम एवं ₹ 11,87,158 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राघवेंद्र पटेल से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - साडी खुर्द

विकास खंड - पड़रौना

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-10- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट / ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 12,98,551 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 6,49,276 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र एवं ₹ 6,49,276 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राघवेंद्र पटेल से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - मठिया नरईपुर

विकास खंड - पड़रौना

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-11- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट / ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के

अनुसार कुल ₹ 4,63,712 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 2,31,856 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत एवं ₹ 2,31,856 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राघवेंद्र पटेल से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – साडी बुजुर्ग

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-12- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट / ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 20,48,410 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 10,24,205 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री नीरज एवं ₹ 10,24,205 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राघवेंद्र पटेल से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – पिपरा जटानपुर

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-13- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट /ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 52,85,147 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 26,42,574 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती मालती एवं ₹ 26,42,574 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कृष्ण मुरारी श्री वास्तव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – पचफेडा

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-14- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट /ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 11,54,803 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 5,77,402 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री प्रेमकिशोर एवं ₹ 5,77,402 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कृष्ण मुरारी श्री वास्तव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – नौतनहरदो

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

कुल ₹ 24,48,385 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 1,224,192.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती अनीसा जायसवाल एवं ₹ 1,224,192.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सलमान खुर्शीद से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – साखोपार

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-19- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 29,56,861 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 14,78,430.50 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती उमा देवी एवं ₹ 14,78,430.50 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रामबढ़ई से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – मठिया खुर्द

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-20- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 518279 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 259,139.50 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री बृजेश एवं ₹ 259,139.50 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रामबढ़ई से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – रमवलिया

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-21- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 7,12,079 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 3,56,039.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री यशवंत प्रसाद एवं ₹ 3,56,039.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रामबढ़ई से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – सिधुआ

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-22- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 24,74,176 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 1,237,088 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती निकिता एवं ₹ 1,237,088 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रामबढ़ई से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – लक्ष्मीपुर

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-23- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 30,41,148 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 1,520,574 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती रमावती एवं ₹ 1,520,574 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री पवन राव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – कठकुईया

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-24- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 57,35,876 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 2,867,938 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री रामभरोसा एवं ₹ 2,867,938 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री पवन राव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – सहुआडीह

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-25- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए

गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 22,70,877 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 1,135,438.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री हरिनारायन एवं ₹ 1,135,438.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती बिंदा देवी से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – सुखवलिया विकास खंड – पड़रौना जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-26- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 16,25,539 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 812,769.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ एवं ₹ 812,769.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती बिंदा देवी से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – मड़ला विकास खंड – पड़रौना जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-27- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 7,50,069 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 375,034.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री अशोक एवं ₹ 375,034.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संदीप श्री वास्तव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – खड़डा बुजुर्ग विकास खंड – पड़रौना जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-28- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 17,96,281 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 898,140.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती बतासी एवं ₹ 898,140.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संदीप श्री वास्तव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – खड़डा खुर्द

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-29- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 9,43,281 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 4,71,640.5 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री रवीन्द्र एवं ₹ 4,71,640.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संदीप श्री वास्तव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – रहसू खुदरा

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-30- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 9,90,938 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 4,95,469 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री मती चंद्रावती एवं ₹ 4,95,469 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राहुल मिश्रा से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – कोहड़ा

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-31- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6,86,324 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 343,162 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री अजीत एवं ₹ 343,162 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती सुनीता त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – सुगही

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-32- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए

गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6,10,141 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 3,05,070.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री अनिरुद्ध एवं ₹ 3,05,070.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती सुनीता त्रिपाठी से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – प्रसादपुर

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-33- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 26,36,703 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 1,318,351.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री हेमन्त एवं ₹ 1,318,351.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती सुनीता से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – पडरी

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-34- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 9,65,753 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 4,82,876.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री प्रभुनाथ प्रसाद एवं ₹ 4,82,876.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मुरली मनोहर से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – मिसरी पट्टी

विकास खंड – पड़रौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-35- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 6,38,318 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 3,19,159 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री लाल बिहारी एवं ₹ 3,19,159 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मुरली मनोहर से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - बड़हरा बाबू

विकास खंड - रामकोला

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-36- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु० 23,74,450 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 11,87,225 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती बासमती देवी एवं रु० 11,87,225 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अनिरुद्ध सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - अहिरौली कुसमी

विकास खंड - रामकोला

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-37- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 34,19,074 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 17,09,537 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री कृष्ण चंद्र कुशवाहा एवं ₹ 17,09,537 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अनिरुद्ध सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - कुसमा

विकास खंड - रामकोला

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-38- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम.प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम.पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 85,15,235 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 42,57,617.5 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती विमला देवी एवं ₹ 42,57,617.5 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अनिरुद्ध सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - मोतीपाकड़**विकास खंड - रामकोला****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-39- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 14,86,268 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 7,43,134 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री कासिम एवं ₹ 7,43,134 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अनिरुद्ध सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - टेकुआटार**विकास खंड - रामकोला****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-40- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 1,34,30,672 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 67,15,336 की वसूली संबन्धित ग्राम प्रधान श्री मती संतरा देवी एवं ₹ 67,15,336 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अनिरुद्ध सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - पाण्डेय मुन्नी पट्टी**विकास खंड - तमकुही****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-41- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 2131935.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना वाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर ₹ 2131935.00 का अपहरण श्री दूधनाथ ग्राम प्रधान व श्री शिवम कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री दूधनाथ ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवम कुमार गुप्ता से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – नरहवा**विकास खंड – तमकुही****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-42- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर -8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट /ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1421400.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1421400.00 का अपहरण श्री राजेन्द्र ग्राम प्रधान व श्री उपेन्द्र पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री राजेन्द्र ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – परसौनी खुर्द**विकास खंड – तमकुही****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-43- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1049138.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1049138.00 का अपहरण श्री बलिराम ग्राम प्रधान व श्री सतीश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री बलिराम ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पिपरा बघेल**विकास खंड – तमकुही****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-44- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन

मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1606079.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1606079.00 का अपहरण श्री शिवदयाल ग्राम प्रधान व श्री उपेन्द्र पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री शिवदयाल ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -टपही टडा

विकास खंड - तमकुही

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-45- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 2503122.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 2503122.00 का अपहरण श्री मती सीमा ग्राम प्रधान व श्री ओमप्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती सीमा ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -पुरैना कटया

विकास खंड - तमकुही

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-46- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 2126772.00

आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 2126772.00 का अपहरण श्री मती अनुराधा ग्राम प्रधान व श्री उपेन्द्र पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती अनुराधा ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उपेन्द्र पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -बिहार खुर्द

विकास खंड - तमकुही

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-47- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 2950131.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 2950131.00 का अपहरण श्री मती बबीता ग्राम प्रधान व श्री नर्वदेश्वर प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती बबीता ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नर्वदेश्वर प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -मीर बिहार

विकास खंड - तमकुही

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-48- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1560233.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1560233.00 का अपहरण श्री मती किशोरी ग्राम प्रधान व श्री नर्वदेश्वर प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी

वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती किशोरी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नर्वदेश्वर प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -लवनिया

विकास खंड - तमकुही

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-49- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1992305.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1992305.00 का अपहरण श्री अमर ग्राम प्रधान व श्री सुनील कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री अमर ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -मझौआ

विकास खंड - तमकुही

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-50- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1115985.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1115985.00 का अपहरण श्री जयगोबिन्द गिरी ग्राम प्रधान व श्री प्रमोद कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री जयगोबिन्द गिरी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -गौरी इब्राहीम**विकास खंड - तमकुही****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-51- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1612985.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1612985.00 का अपहरण श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान व श्री रामकृष्ण तिवारी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकृष्ण तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -गौरी नरोत्तम**विकास खंड - तमकुही****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-52- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1891647.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1891647.00 का अपहरण श्री अमरेश ग्राम प्रधान व श्री रामकृष्ण तिवारी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री अमरेश ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामकृष्ण तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -हरपुर**विकास खंड - तमकुही****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-53- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 3614193.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 3614193.00 का अपहरण श्री मती प्रियंका देवी ग्राम प्रधान व श्री सुनील कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती प्रियंका देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -कोइन्दी बुजुर्ग**विकास खंड - तमकुही****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-54- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 2812295.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 2812295.00 का अपहरण श्री राजेश ग्राम प्रधान व श्री शिवम कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री राजेश ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवम कुमार गुप्ता से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -बसडीला महंत**विकास खंड - तमकुही****जनपद - कुशीनगर**

दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 902348.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 902348.00 का अपहरण श्री प्रेम प्रकाश ग्राम प्रधान व श्री शिवम कुमार गुसा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री प्रेम प्रकाश ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवम कुमार गुसा से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत –बलुआ शमशेर शाही विकास खंड – तमकुही जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-58- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1570165.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1570165.00 का अपहरण श्री व्यास ग्राम प्रधान व श्री प्रमोद कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री व्यास ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत –बनबीरा विकास खंड – तमकुही जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-59- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक

लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 506240.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 506240.00 का अपहरण श्री विद्याभूषण ग्राम प्रधान व श्री शिशिर कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री विद्याभूषण ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिशिर कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -बरवा राजपाकड़ विकास खंड - तमकुही जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-60- ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 10876185.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 10876185.00 का अपहरण श्री बलिस्टर ग्राम प्रधान व श्री जन्मेजय गुप्ता ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री बलिस्टर ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जन्मेजय गुप्ता से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -टेहनी विकास खंड - सुकौली जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-61- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के

प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1951678.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1951678.00 का अपहरण श्री मती श्यामपति देवी ग्राम प्रधान व श्री संजय कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती श्यामपति देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -कोटवा

विकास खंड - सुकरोली

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-62- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में प्रिया साफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल रु 1472766.00 आहरित किया गया है। जिस के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस से स्पष्ट है कि बिना बाउचर्स प्राप्त किये खाते से धन का आहरण कर रु 1472766.00 का अपहरण श्री मती शीला देवी ग्राम प्रधान व श्री जयनारायन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी वसूली आहरित धनराशि का 50 प्रतिशत श्री मती शीला देवी ग्राम प्रधान से एवं आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्यरत संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयनारायन से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1472766.00	0	0	1472766.00

ग्राम पंचायत -असमानपुर

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-63- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत असमानपुर में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु० 1366084.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 1366084.00 की वसूली आहरित धनराशि के

सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री शेषमुनीग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अखिलेश सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -कटेया मैनुदीन

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-64- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में ग्रा०प०कटेयामैनुदीन में ईग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु० 868498.00 का व्यय सामग्री, प्रशासनिक मद एवं स्टेशनरी परदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 868498.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मोहन कुमार प्रसाद ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजकिशोर राय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -किशुनदासपट्टी

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-65- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०किशुनदास पट्टी में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1705235.00का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1705235.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री राजेश कुमार रायग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती रंजना प्रजापति से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -जोकवा बुजुर्ग

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-66- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में ग्रा०प०जोकवा बुजुर्ग में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु० 1264722.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1264722.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती पूनम ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती रंजना प्रजापति से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -तरुनवा

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-67- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प० तरूनवा मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०3598144.00का व्ययसामग्री, हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री व मजदूरी, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री व मजदूरी, सफाई सामग्री क्रय हेतु व सफाई सामग्री और स्टेशनरी खर्च एवं मजदूरी परदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 3598144.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती चामकली देवी ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजकिशोर राय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -दुबौली विकास खंड - फाजिलनगर जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-68- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में ग्रा०प० दुबौली मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1339734.00 का व्ययसामग्री, प्रशासनिक मद हेतु थर्मामीटर व ऑक्सीमीटर क्रय, हैण्डपम्प रिबोर, हैण्डपम्प मरम्मत एवं मजदूरी परदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 1339734.00की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री अजय मिवांगीग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजकिशोर राय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -धुनवालिया विकास खंड - फाजिलनगर जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-69- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०धुनवालिया मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1146951.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक/वाउचर/मस्टरोल/एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1146951.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती सुगन्धीग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अमरनाथ श्री वास्तव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -नारायनपुर विकास खंड - फाजिलनगर जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-70-- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में ग्रा०प०नारायनपुर में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०996489.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं

कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 996489.00की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री रामाशिषग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अशोक यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -नोनीया पट्टी

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-71-- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०नोनिया पट्टी में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1011750.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1011750.00की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री सुरेन्द्रग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री तारिक अली से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -परसौनी

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-72-- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०परसौनी में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु० 831211.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 831211.00की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री सुरेन्द्र राय ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अखिलेश सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -पोखरभिंडा

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-73-- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०पोखर भिंडा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०230290.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०230290.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री विजयपालग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मनीष कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - फरेन्दहा

विकास खंड - फाजिलनगर

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-74-- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०फरेन्दहा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1041762.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1041762.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती नीतू ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती अर्चना से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – बलिअवा

विकास खंड – फाजिलनगर

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-75-- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।वर्ष 2020-21 में ग्रा०प० बलिअवा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०2243349.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2243349.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री संजय ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अखिलेश सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – बेलवा खुर्द

विकास खंड – फाजिलनगर

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-76-- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०बेलवा खुर्द में कैशबुक के अनुसार कुल रु०1007101.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1007101.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री रामेश्वर सिंहग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु० उजाला मदेशिया से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – भठवा

विकास खंड – फाजिलनगर

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-77- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०भठवा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु 300742.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त

व्यय को गबन मानते हुये ₹ 300742.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री उम्मत अली ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मनीष कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – भठही दरियाव टोला विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-78- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में ग्रा०प०भठही दरियाव टोला में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु० 1237493.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1237493.00की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री अजय कुमारग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजकिशोर प्रसाद से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – भठही बुजुर्ग विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-79- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०भठही बुजुर्ग में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०761625.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०761625.00की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती सुमन शुक्ला ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती रंजना प्रजापति से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – भानपुर विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-80- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०भानपुर में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु० 2016822.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2016822.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री नबीरसुल ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री तारिक अली से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – महुआवा विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-81- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०महुआ में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु० 671472.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 671472.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री तरुन नेशा ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अमित राय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – मुण्डेरा विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-82- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०मुण्डेरा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०718782.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०718782.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री प्रेमचन्दग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अशोक यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – रामपुर उर्फ खुशहाल विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-83- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०रामपुर उर्फ खुशहाल टोला में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०681186.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०681186.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री रामबहाल सिंहग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु० उजाला मद्देशिया से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत –लक्ष्मीपुर मिश्र विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-84- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में

ग्रा०प०लक्ष्मीपुर मिश्र मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल ₹1926609.00 का व्ययसामग्री, कोविड- 19 हेतु फागिंग, दवा छिड़काव, सफाई कार्य, सफाई सामग्री व प्राशासनिक खर्च, हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री, प्रशासनिक मद एवं टेण्डर हेतु, विभिन्न जगहों पर कूप मरम्मत एवं हैण्डपम्प मरम्मत परदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 1926609.00की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती सविताग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु० उजाला मद्देशिया से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – लवकुश पश्चिम पट्टी विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-85- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०लवकुश पश्चिम पट्टी में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1265367.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 1265367.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली प्यारी देवीग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अशोक यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – विशुनपुर राजा विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-86- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०विशुनपुर राजा मेंकैशबुक के अनुसार कुल ₹ 7713555.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणकवाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹7713555.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मैनुदीनग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु० उजाला मद्देशिया से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – शंकर पट्टी विकास खंड – फाजिलनगर जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-87- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०शंकर पट्टी में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1068796.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1068796.00 की वसूली आहरित धनराशि के

सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती सुनीताग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रविन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – शेरपुर बड़हरा

विकास खंड – फाजिलनगर

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-88- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में ग्रा०प०शेरपुर बड़हरा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०376613.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०376613.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री सुरेशग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मनीष कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – सपहा

विकास खंड – फाजिलनगर

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-89- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०सपहा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1069240.00 व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए।अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1069240.00की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती एकबाली देवीग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री पंकज मिश्रा से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – सोहंग

विकास खंड – फाजिलनगर

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-90- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०सोहंग में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०661596.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०661596.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री अब्बुन ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती रेखा सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – सिकटिया

विकास खंड – दुदही

जनपद – कुशीनगर

नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०6282557.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती संजीदाग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अमित राय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – ब्रह्मपुर

विकास खंड – दुदही

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-95- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प० ब्रह्मपुर में ई ग्राम स्वराजके अनुसार कुल रु०1325196.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणककैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1325196.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती चन्द्रावती ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अमित राय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत –धर्मपुर पर्वत

विकास खंड – दुदही

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-96- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प० धर्मपुर पर्वत में कैशबुक के अनुसार कुल रु०2869858.50 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2869858.50 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री ओमप्रकाश ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अमित राय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत –मठिया भोकरिया

विकास खंड – दुदही

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-97- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०मठिया भोकरियामें ई ग्राम स्वराजके अनुसार कुल रु०3423987.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०3423987.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री सीताराम ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अमित राय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत –रामपुर जमुनिया

विकास खंड – दुदही

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-98- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०रामपुर जमुनिया में कैशबुक के अनुसार कुल रु०1207828.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1207828.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री रामअवध ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अमरनाथ श्री वास्तव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -गंगलवा

विकास खंड - दुदही

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-99- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०गंगलवा में कैशबुक के अनुसार कुल रु०1025947.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1025947.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती रबडी ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मुन्जेश नरायन सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -विशुनपुर बैरिया पट्टी

विकास खंड - दुदही

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-100- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०विशुनपुर बैरिया पट्टी में कैशबुक के अनुसार कुल रु०3863168.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणकवाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०3863168.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री विनोद ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती सुमन सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -पाण्डेय पट्टी

विकास खंड - दुदही

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-101- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०पाण्डेय पट्टी में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1980617.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान

उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गवन मानते हुये रु०1980617.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री विजय ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती सुमन सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -महुड़ बुजुर्ग

विकास खंड - हाटा

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-102- आलोच्य वर्ष में कोष बही (राज्य वित्त) के अनुसार ट्रान्सफार्मर हेतु चबूतरा निर्माण पर दिनांक 13-04-2020 को दो बाउचरों क्रमांक 3 व 4 से सामग्री क्रय पर क्रमशः रु० 10638.00 व रु० 10595.00 व दिनांक 13-04-2020 को ही बाउचर क्रमांक - 5 से मज़दूरी पर रु० 3238.00 कुल रु० 24471.00 का व्यय हुआ है, जिससे सम्बन्धित कार्य पत्रावली, वित्तय स्वीकृत रिपोर्ट, व्यय बाउचर व श्रमिक चिट्ठा आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कार्य की सत्यता व दूसरे विभाग (विद्युत विभाग) के कार्यों को ग्राम पंचायत द्वारा क्यों करवाया गया की जानकारी के लिए आवश्यक था। अतः कार्य पर हुए व्यय की पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गये व्यय के सापेक्ष समस्त बाउचर व अभिलेख उपलब्ध कराये, लेकिन उपरोक्त व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लेखा मैनुयल के खण्ड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गवन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व सचिव (ग्राम पंचायत) की निर्धारित की जाती है। अतएवं किये गये भुगतान रु० 24471.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता देवी एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री नीतीश कुमार राय से ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -रामपुर पट्टी

विकास खंड - हाटा

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-103- दिनांक 28-10-2020 को रु० 49000.00 व दिनांक 22-03-2022 को रु० 29,900.00 कुल रु० 78900.00 सफाई कर्मी हेतु सफाई सामग्री क्रय पर व्यय कोषवही में दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष सफाई सामग्री का विवरण, पंजी, पत्रावली, स्टॉक पंजिका व व्यय बाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के खण्ड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गये व्यय के सापेक्ष समस्त बाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुयल के खण्ड 8(क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गवन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएवं किये गये भुगतान रुपये 78900.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती कमलावती देवी एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री नीतीश कुमार राय से ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -बरवाछत्रदास

विकास खंड - हाटा

जनपद - कुशीनगर

प्रस्तर स०-104- आलोच्य वर्ष की कैश बुक (राज्य वित्त) के अंतर्गत विभिन्न तिथियों 15-04-2020 को रु० 30000.00 प्रशासनिक मद (स्टेसनरी, कुसी-मेज़, अलमारी एवं सफाई किट क्रय) व दिनांक 12-11-2020 को प्रशासनिक मद (विवरण अंकित नहीं) रु० 30000.00 कुल रु० 60000.00 का व्यय प्रशासनिक मद में किया जाना कैश बुक में दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई प्रपत्र, पंजी, पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे व्यय की जाँच व समीक्षा कर पुष्टि न की जा सकी। लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के खण्ड -7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गये व्यय के सापेक्ष समस्त बाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुयल के खण्ड 8(क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गवन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है।

है। अतएवं किये गये भुगतान रुपये 60000.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती बबिता व सचिव (ग्राम पंचायत) श्री दिलीप पाण्डेय से ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत –बरवाछत्रदास

विकास खंड – हाटा

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-105- दिनांक 20-07-2020 को स्टेशनरी क्रय रु० 9990.00 का व्यय भुगतान कोष बही में दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई प्रपत्र, पंजी, पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड -7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गये व्यय के सापेक्ष समस्त बाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ, लेकिन उपरोक्त व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है। अतएवं किये गये भुगतान रुपये 9990.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती बबिता व सचिव (ग्राम पंचायत) श्री दिलीप पाण्डेय से ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत –अन्हारी बारी

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-106- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०अन्हारी बारी मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1376094.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1376094.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री रामायन सिंह ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत –कल्याण छपर

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-107- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में ग्रा०प०कल्याण छपर मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1842996.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1842996.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री सचिनग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुमित कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत –गंगौली

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-108- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प० गंगौली में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०910859.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०910859.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री प्रसिद्ध नरायणग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सलमान खुर्शद से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत –गागरानी

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-109- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०गागरानी में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु० 2930589.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2930589.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री ओमप्रकाश ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती उजाला मदेशिया से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत –गायघाट

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-110- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०गायघाट में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०750747.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०750747.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री ओम प्रकाश ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री दुर्गेश पाण्डेय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत –गुलेलहा

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-111- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०गुलेलहा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०2488043.00 का व्यय सामग्री पर दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2488043.00 की वसूली आहरित

धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती चान गुदी देवी ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राहुल मिश्रा से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -गोपालपुर**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-112- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०गोपालपुर में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1631004.00 का व्यय सामग्री एवं मजदूरी परदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1631004.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री सरतेज सिंह ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राहुल मिश्रा से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -घोरघटिया**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-113- ग्रा०प०घोरघटिया के वर्ष 2019-20 के कोषबही के अनुसार कैश इन हैण्ड रु०11706.00 दर्शित है जबकि वर्ष 2020-21 के कोषबही में 1 अप्रैल 2020 को रु० 0.00 दर्शित है । इससे स्पष्ट है कि कैश इन हैण्ड रु० 11706.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद तिवारी तथा ग्राम सचिव श्री राजकुमार प्रसाद से आधी- आधी की जाए।

ग्राम पंचायत -चकिया सोभमल**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-114- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०चकिया सोभमल में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1701433.00 का व्यय सामग्री परदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1701433.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री रामचन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राहुल मिश्रा से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - चौपरिया**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-115- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में ग्रा०प०चौपरिया मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०940415.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०940415.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली प्रशासक ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राहुल कुमार मिश्रा से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – चौरा खास**विकास खंड – पडरौना****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-116- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०चौरा खास में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०3052301.00 का व्यय सामग्री, स्टेशनरी क्रय एवं कोविड-19 हेतु स्वच्छता अभियान, वाल पेन्टिंग, दिवाल लेखन कार्य परदर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०3052301.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती रंजू देवी ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राहुल मिश्रा से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – चौराधीर पट्टी**विकास खंड – पडरौना****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-117- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०चौराधीर पट्टी में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०164762.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०164762.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री हरिग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती सुनीता से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – जंगल अमवा**विकास खंड – पडरौना****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-118- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०जंगल अमवा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०3237580.00 का व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०3237580.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री नाजमाग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुमित कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – जंगल खिरकिया**विकास खंड – पडरौना****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-119- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन

मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०जंगल खिरकिया में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु० 2737738.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2737738.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती कमलावती ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुमित कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – जंगल चौरिया

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-120- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०जंगल चौरिया में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1156889.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1156889.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती संगीता ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राघवेन्द्र पटेल से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – जंगल धर्मपुर

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-121- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21में ग्रा०प०जंगल धर्मपुर में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०3172140.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०3172140.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती कमलावती ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री योगेन्द्र प्रसाद से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – जंगल पचरुखिया

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-122- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०जंगल पचरुखिया में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०3787955.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०3787955.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती उर्मिला ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री भगवन्त प्रसाद से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - जंगल बनवीरपुर**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-123- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प० जंगल बनवीरपुर में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०4127593.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०4127593.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री महबूब ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - जंगल हनुमानगंज**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-124- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०जंगल हनुमानगंज में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1322953.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1322953.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री तंजीम ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री भगवन्त प्रसाद से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - जिगना**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-125- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०जिगना में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०834870.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०834870.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री गेदा सिंह ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राघवेन्द्र कुमार पटेल से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - डुम्मरभार**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-126- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में

ग्रा०प०डुम्मरभार में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1859168.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1859168.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री चन्द्रशेखर ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुमित से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – बरवाकला

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-127- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प० बरवाकला में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1843117.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1843117.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री सुरेश ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कृष्ण मुरारी लाल श्री वास्तव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – बरहज

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-128- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०बरहज में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०2533843.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2533843.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री तजमुल ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती उजाला मद्देशिया से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – बलडीहा

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-129- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०बलडीहा में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०884037.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०884037.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री ओमप्रकाश ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कृष्णमुरारी लाल श्री वास्तव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - बसहिया बनवीरपुर**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-130- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०बसहिया बनवीरपुर में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०6098600.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०6098600.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री सलीम ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मुरली मनोहर से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - बहादुरगंज**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-131- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०बहादुरगंज में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०2152689.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2152689.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री भोला ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रभाकर सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - बहोरपुर**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-132- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०बहोरपुर में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०2127904.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबंधित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2127904.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री दिनेश ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रामबढ़ाई से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत - बैजनाथपुर**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-133- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में

ग्रा०प०बैजनाथपुर में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1943801.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1943801.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री रामजीत ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राघवेन्द्र पटेल से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – भटवलिया खास

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-134- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०भटवलिया खास में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1322914.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1322914.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री दिग्विजय ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री श्रेयाश राय से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – भरवलिया खुर्द

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-135- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०भरवलिया खुर्द में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1419721.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए।अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1419721.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री जसवा ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – भिस्वा लाला

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-136- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०भिस्वा लाला में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०2960857.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए।अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2960857.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती पुष्पा ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रभाकर सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – दलबहादुर छपरा**विकास खंड – पडरौना****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-137- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०दलबहादुर छपरा में ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०210424.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०210424.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती गीता ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती बिन्दा देवी से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – दुर्गवलिया**विकास खंड – पडरौना****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-138- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०दुर्गवलिया में ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1600685.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1600685.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती रानी ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मती आशा रानी से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – देवरिया पाण्डेय**विकास खंड – पडरौना****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-139- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०देवरिया पाण्डेय में ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०205939.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०205939.00की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती आशा ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अरुण गोड से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – धरनी छपर**विकास खंड – पडरौना****जनपद – कुशीनगर**

प्रस्तर स०-140- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में

ग्रा०प०धरनी छापर मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1143596.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1143596.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री शाकिर अली ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कमलेश कुशवाहा से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – धर्मपुर खुर्द

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-141- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०धर्मपुर खुर्द मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०975683.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०975683.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री व्यास ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मता रंजना दूबे से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – धर्मपुर बुजुर्ग

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-142- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०धर्मपुर बुजुर्ग में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०2334578.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०2334578.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मुकेश ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कौशल किशोर सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत – बंगाली पट्टी

विकास खंड – पडरौना

जनपद – कुशीनगर

प्रस्तर स०-143- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०बंगाली पट्टी मेंई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु 2400967.00 का व्ययदर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु 2400967.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री रामेश्वर यादव ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री पवन राव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -बड़गांव**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-144- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०बड़गांव में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०3457857.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 3457857.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती फुलमती देवी ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -बढवलीया बुजुर्ग**विकास खंड - पडरौना****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-145- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। वर्ष 2020-21 में ग्रा०प०बढवलिया बुजुर्ग में ई ग्राम स्वराज के अनुसार कुल रु०1134839.00 का व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मदों पर किए गए व्यय से संबन्धित प्रमाणक कैशबुक,वाउचर, मस्टरोल, एम०बी० तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु०1134839.00 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली श्री मती विद्यावती ग्राम प्रधान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सलमान खुर्शद से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -अमडरिया**विकास खंड - रामकोला****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-146- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार कुल ₹ 21,900,96 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 10,95,048 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री राम नाथ एवं ₹ 10,95,048 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत सौरभ चंद से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत -मोरवन**विकास खंड - रामकोला****जनपद - कुशीनगर**

प्रस्तर स०-147- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष 2020-21 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई.ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार

कुल ₹ 38,35,752 आहरित किया गया है। अतः वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 19,17,876 की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्री मती सारिका देवी एवं ₹ 19,17,876 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नन्द लाल सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रारूप - 04

वार्षिक प्रतिवेदन-2020-2021

जनपद का नाम-देवरिया

मण्डल का नाम-गोरखपुर

ग्राम पंचायत के अनिस्तारित आपतियों का विवरण:-

ग्राम पंचायत- डामरभिस्वा विकास खण्ड-गौरी बाजार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-01- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 1507000102646129 (राज्य वित्त) पंजाब नेशनल बैंक गौरीबाजार से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	28.05.20	3675.00
2	18.08.20	14000.00
3	24.08.20	64980.00
4	02.09.20	15000.00
5	09.09.20	13648.00
6	18.09.20	36000.00
7	18.09.20	57000.00
8	18.11.20	10500.00
	योग	214803.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹ 214803.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री मनीष कुमार शुक्ला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुवर्णा पाल से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।(आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
214803.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- जोगिया विकास खण्ड-गौरी बाजार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-02- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048889795 (राज्य वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	30.04.20	50066.00
02	30.04.20	99994.00
03	19.06.20	10000.00
	योग	160060.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि रु 160060.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
160060.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-03- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521756790 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	15.09.20	6166.00
2	15.09.20	82348.00
3	15.09.20	91246.00
4	16.09.20	7500.00
5	16.09.20	3150.00
6	17.09.20	95725.00
7	18.12.20	7011.00
8	18.12.20	7560.00
9	22.12.20	178000.00
	योग	478706.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि रु 478706.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
478706.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- जंगल पिपरा विकास खण्ड-गौरी बाजार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-04- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 1507000102646208 (राज्य वित्त) पंजाब नेशनल बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	04.04.20	15000.00
2	22.04.20	8000.00
3	26.04.20	51000.00
4	02.09.20	49000.00
5	17.09.20	73500.00
6	17.09.20	34110.00
7	17.09.20	33105.00
8	26.10.20	40530.00
	योग	304245.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए (क्रमांक 01 से 07 तक) धनराशि ₹0 263715.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती केतकी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार व क्रमांक 08 में धनराशि ₹0 40530.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती केतकी देवी एवं प्रशासक श्री संजय पाण्डेय से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति संख्या 11)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
304245.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-05- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 4831000100113149 (केन्द्रीय वित्त) पंजाब नेशनल बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	07.12.20	74392.00
2	07.12.20	139943.00
3	14.12.20	88280.00
4	14.12.20	7560.00
	योग	310175.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को

मानते हुए धनराशि ₹0 310175.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती केतकी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
310175.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- करमाजीतपुर विकास खण्ड-गौरी बाजार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-06- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048740743 (राज्य वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	04.04.20	89842.00
2	22.04.20	243871.00
3	26.04.20	34850.00
4	02.09.20	3500.00
5	17.09.20	89874.00
6	17.09.20	57000.00
7	17.09.20	17500.00
8	26.10.20	41030.00
9	15.11.20	38500.00
	योग	615967.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 615967.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयमल गोड़ से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
615967.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-07- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521758379 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	31.08.20	157831.00

2	02.09.20	22500.00
3	09.09.20	198788.00
4	09.09.20	70000.00
5	11.09.20	74951.00
6	11.09.20	144948.00
7	11.09.20	70449.00
8	11.09.20	106551.00
9	27.09.20	95500.00
10	12.10.20	42219.00
11	19.10.20	25666.00
12	26.10.20	69439.00
13	26.10.20	88141.00
	योग	1166983.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 1166983.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री मदन लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयमल गोड़ से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या**

12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1166983.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- केशवबारी विकास खण्ड-गौरी बाजार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-08- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048891410 (राज्य वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	30.04.20	53203.00
2	30.04.20	23971.00
3	30.04.20	7118.00
4	30.04.20	32266.00
5	30.04.20	35818.00
6	30.04.20	13390.00
7	20.06.20	139646.00

8	22.06.20	145446.00
9	10.07.20	148680.00
10	23.07.20	998.00
11	26.08.20	124800.00
12	26.08.20	138600.00
13	26.08.20	112400.00
14	02.09.20	112500.00
15	15.09.20	111400.00
16	01.10.20	21000.00
17	10.10.20	3400.00
18	10.10.20	6850.00
19	10.10.20	37100.00
	योग	1268586.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 1268586.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम शाही एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1268586.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-09- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521758119 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	02.09.20	124233.00
2	07.10.20	73636.00
3	29.10.20	114000.00
	योग	311869.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 311869.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम शाही एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनीष कुमार सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता

311869.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- पाण्डेय भिस्वा विकास खण्ड-गौरी बाजार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-10- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048737004 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	05.04.18	006357	3500.00
02	05.04.18	006354	37800.00
03	07.04.18	006360	17500.00
04	09.04.18	006355	13400.00
05	12.04.18	006358	7943.00
06	29.05.18	006362	164000.00
07	29.05.18	006361	130000.00
08	16.06.18	006363	19208.00
09	18.06.18	006364	56006.00
10	19.06.18	006365	28006.00
11	30.07.18	006366	56006.00
12	31.07.18	006368	123518.00
13	31.07.18	006367	125018.00
14	12.09.18	006369	16106.00
15	14.09.18	006371	19900.00
16	06.11.18	006374	20000.00
17	06.11.18	006373	20000.00
18	19.11.18	006375	10500.00
19	18.01.19	006377	76006.00
20	28.01.19	006378	34506.00
21	28.01.19	006376	110518.00
22	30.01.19	006379	91000.00
23	31.01.19	006380	85006.00
	योग		1265447.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि

रु0 1265447.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री लाल मुनी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयशंकर शुक्ला से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1265447.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-11- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048737004 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	11.04.19	111076	73006.00
02	13.06.19	111077	20000.00
03	26.06.19	111078	124000.00
04	28.06.19	111082	161200.00
05	02.07.19	111084	100000.00
06	03.07.19	111083	100000.00
07	24.12.19	अन्तरण	219500.00
08	06.01.20	अन्तरण	20000.00
09	06.01.20	अन्तरण	20000.00
10	06.01.20	अन्तरण	145000.00
11	06.01.20	अन्तरण	12000.00
12	08.01.20	अन्तरण	71000.00
	योग		1065706.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक(वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए (क्रमांक 01 से 06 तक) धनराशि रु0 578206.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री लाल मुनी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयशंकर शुक्ला व (क्रमांक 07 से 12 तक) में धनराशि रु0 487500.00.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री लाल मुनी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुवर्णा पाल से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1065706.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-12- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048737004 (राज्य वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	29.07.20	42000.00

02	09.08.20	114000.00
03	02.09.20	21000.00
04	02.09.20	10000.00
05	29.10.20	35285.00
06	02.11.20	21000.00
07	18.11.20	31831.00
08	18.11.20	7035.00
	योग	282151.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 282151.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री लाल मुनी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुवर्णा पाल से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या

13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
282151.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-13- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521759292 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	08.10.20	151906.00
02	15.11.20	123067.00
03	13.12.20	110101.00
	योग	385074.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 385074.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री लाल मुनी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुवर्णा पाल से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
385074.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- हरपुर विकास खण्ड-भाटपारानी जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-14- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048814718 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	03.04.18	033148	100000.00
02	12.04.18	033150	25000.00
03	01.05.18	033151	125000.00
04	08.05.18	033152	100000.00
05	17.05.18	033154	81500.00
06	14.06.18	033155	60000.00
07	17.07.18	033156	4000.00
08	27.07.18	033159	60000.00
09	27.07.18	033158	95000.00
10	27.07.18	033157	128000.00
11	06.08.18	033161	32000.00
12	27.08.18	033163	20000.00
13	27.08.18	033164	15000.00
14	15.10.18	033166	2500.00
15	12.11.18	033169	20000.00
16	03.12.18	033170	30000.00
17	17.01.19	033171	20000.00
18	11.02.19	033172	70000.00
19	16.02.19	033173	20000.00
20	28.02.19	033175	15000.00
21	28.02.19	033176	20000.00
22	28.02.19	033174	142000.00
23	14.03.19	033177	20000.00
24	25.03.19	033178	20000.00
25	30.03.19	033182	51187.00
26	30.03.19	033180	48750.00
27	30.03.19	033181	48000.00
	योग		1372937.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 1372937.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री धनंजय राय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1372937.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-15- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048814718 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि
01	29.04.19	033184	4000.00
02	27.06.19	033185	20000.00
03	28.06.19	033183	10500.00
04	08.07.19	033187	20000.00
05	08.07.19	033186	150000.00
06	15.07.19	033188	155000.00
07	15.07.19	033189	20000.00
08	26.07.19	033190	80000.00
09	03.10.19	अन्तरण	20000.00
10	12.12.19	अन्तरण	2500.00
11	16.12.19	अन्तरण	150000.00
12	21.12.19	अन्तरण	500.00
13	31.12.19	अन्तरण	70000.00
14	04.02.20	अन्तरण	50000.00
15	11.02.20	अन्तरण	150000.00
16	29.02.20	अन्तरण	64000.00
17	11.03.20	अन्तरण	81499.00
18	11.03.20	अन्तरण	8779.00
	योग		1056778.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 1056778.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री धनंजय राय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1056778.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-16- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048814718 (राज्य वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	13.04.20	38500.00
02	13.04.20	35000.00
03	13.04.20	40000.00
04	13.04.20	20000.00
05	26.04.20	870.00
06	29.06.20	32000.00
07	16.08.20	16000.00
08	14.09.20	17000.00
09	25.11.20	49500.00
10	03.12.20	75000.00
11	13.12.20	2500.00
12	19.12.20	58000.00
	योग	384370.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 384370.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री धनंजय राय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
384370.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-17- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521733943 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	26.08.20	99750.00
02	14.09.20	150000.00
03	19.10.20	50000.00
04	14.11.20	105000.00
05	30.03.21	27580.00
	योग	432330.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 404750.00 (क्रमांक 01 से 04) की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री धनंजय राय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से एवं क्रमांक 05 पर अंकित धनराशि ₹0 27580.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री संतोष श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या 14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
432330.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- जगहथा विकास खण्ड-भाटपारानी जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-18- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048791415 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	03.04.18	093734	20000.00
02	03.04.18	093735	12900.00
03	03.04.18	093736	10500.00
04	19.05.18	093737	139000.00
05	13.06.18	093738	125000.00
06	19.06.18	093739	31600.00
07	19.06.18	006691	62500.00
08	19.06.18	093740	19950.00
09	11.07.18	006682	103018.00
10	03.08.18	006684	92176.00
11	09.08.18	006687	39806.00
12	20.08.18	006688	67500.00
13	27.08.18	006689	19950.00
14	27.08.18	006690	105900.00
15	04.09.18	006685	2500.00
16	20.11.18	006692	61806.00
17	15.01.19	006693	72836.00
18	28.01.19	006694	180000.00
19	28.01.19	006696	142818.00
20	29.01.19	006697	85000.00

21	29.01.19	006698	37100.00
22	14.03.19	006700	20000.00
23	14.03.19	006699	43500.00
24	18.03.19	066704	20000.00
25	22.03.19	066703	34500.00
26	25.03.19	006701	37500.00
27	30.03.19	006705	20000.00
	योग		1607360.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 1607360.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री रामप्यारे प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1607360.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-19- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048791415 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	26.06.19	006707	10500.00
02	27.06.19	006710	20000.00
03	27.06.19	006709	105000.00
04	27.06.19	006708	10000.00
05	01.07.19	006714	17500.00
06	01.07.19	006715	10500.00
07	01.07.19	006717	20000.00
08	01.07.19	006716	179400.00
09	01.07.19	006706	20000.00
10	05.07.19	006718	44550.00
11	05.07.19	006720	20000.00
12	05.07.19	006719	107000.00
13	06.07.19	006721	36250.00
14	15.07.19	006722	20000.00
15	18.07.19	006713	2500.00

16	07.10.19	अन्तरण	25000.00
17	19.11.19	अन्तरण	122000.00
18	19.11.19	अन्तरण	38700.00
19	19.11.19	अन्तरण	100000.00
20	02.12.19	अन्तरण	38700.00
21	02.12.19	अन्तरण	96000.00
22	07.12.19	अन्तरण	78319.00
23	07.12.19	अन्तरण	135000.00
24	11.12.19	अन्तरण	91650.00
25	11.12.19	अन्तरण	38000.00
26	21.12.19	अन्तरण	500.00
27	23.12.19	अन्तरण	12000.00
28	09.03.20	अन्तरण	40000.00
29	10.03.20	अन्तरण	50000.00
30	23.03.20	अन्तरण	12000.00
	योग		1501069.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 1501069.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री रामप्यारे प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1501069.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-20- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048791415 (राज्य वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	05.04.20	12500.00
02	13.04.20	28000.00
03	26.04.20	870.00
04	29.04.20	22000.00
05	10.05.20	49750.00
06	02.06.20	25000.00
07	22.12.20	20000.00

08	22.12.20	45000.00
09	24.12.20	20000.00
10	25.12.20	50000.00
11	25.12.20	45500.00
12	25.12.20	35000.00
13	28.12.20	35000.00
	योग	388620.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 388620.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री रामप्यारे प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
388620.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-21- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521732666 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	26.08.20	49750.00
02	26.08.20	44150.00
03	28.08.20	39350.00
04	28.08.20	54250.00
05	27.09.20	8750.00
06	22.12.20	51000.00
07	22.12.20	30000.00
	योग	277250.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 277250.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री रामप्यारे प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या

14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
277250.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- जैतपुरा विकास खण्ड-भाटपाररानी जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-22- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048789803 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	10.04.18	030756	245000.00
02	12.04.18	030770	40000.00
03	03.05.18	030771	100000.00
04	05.05.18	030772	100500.00
05	08.05.18	030774	200500.00
06	10.05.18	030775	49000.00
07	17.05.18	030777	79250.00
08	27.07.18	030768	65000.00
09	03.07.18	030778	160000.00
10	03.08.18	030779	150018.00
11	20.08.18	030781	28500.00
12	20.08.18	030782	28500.00
13	24.09.18	030767	20000.00
14	26.10.18	030786	20000.00
15	26.10.18	030787	5000.00
16	26.10.18	030788	60006.00
17	03.11.18	030790	20000.00
18	03.11.18	030789	20000.00
19	12.11.18	030791	20000.00
20	14.11.18	085183	20000.00
21	20.11.18	030792	20000.00
22	03.12.18	030794	20000.00
23	04.01.19	085184	20000.00
24	11.01.19	150642	20000.00
25	17.01.19	150643	20000.00
26	24.01.19	085185	20000.00
27	25.01.19	030795	172500.00

28	29.01.19	150645	20000.00
29	31.01.19	085186	20000.00
30	07.02.19	150644	20000.00
31	07.02.19	150646	20000.00
32	08.02.19	150648	20000.00
33	08.02.19	150647	20000.00
34	08.02.19	150649	80000.00
35	12.02.19	150654	20000.00
36	12.02.19	150653	10000.00
37	12.02.19	150652	10000.00
38	12.02.19	150650	40000.00
39	12.02.19	150651	30000.00
40	16.02.19	150656	20000.00
41	14.03.19	150655	20000.00
42	14.03.19	085187	20000.00
43	14.03.19	085189	40000.00
44	25.03.19	150658	20000.00
	योग		2153774.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 2153774.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2153774.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-23- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048789803 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि
01	20.06.19	150660	20000.00
02	24.06.19	150657	10500.00
03	27.06.19	085188	20000.00
04	27.06.19	085191	20000.00

05	27.06.19	127810	20000.00
06	28.06.19	127812	20000.00
07	29.06.19	127814	20000.00
08	01.07.19	127815	20000.00
09	01.07.19	127818	20000.00
10	02.07.19	127817	20000.00
11	05.07.19	127819	20000.00
12	05.07.19	127816	20000.00
13	05.07.19	127813	105480.00
14	08.07.19	127820	86250.00
15	15.07.19	030765	105000.00
16	17.07.19	085190	20000.00
17	24.07.19	140421	50250.00
18	26.07.19	140422	20000.00
19	29.07.19	140425	20000.00
20	10.10.19	અન્તરણ	25000.00
21	21.10.19	અન્તરણ	20000.00
22	16.11.19	અન્તરણ	78000.00
23	28.11.19	અન્તરણ	24000.00
24	28.11.19	અન્તરણ	48000.00
26	02.12.19	અન્તરણ	2500.00
26	02.12.19	અન્તરણ	2500.00
27	10.12.19	અન્તરણ	45000.00
28	10.12.19	અન્તરણ	45000.00
29	31.12.19	અન્તરણ	12000.00
30	31.12.19	અન્તરણ	12000.00
31	04.01.20	અન્તરણ	150000.00
32	04.01.20	અન્તરણ	12000.00
33	16.01.20	અન્તરણ	31500.00
34	16.01.20	અન્તરણ	25000.00
35	10.02.20	અન્તરણ	24650.00
36	10.02.20	અન્તરણ	49850.00
37	10.02.20	અન્તરણ	25150.00
38	10.02.20	અન્તરણ	45500.00

39	18.02.20	अन्तरण	59000.00
40	03.03.20	अन्तरण	60500.00
	योग		1434630.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 1434630.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपति संख्या 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1434630.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- करौंदा विकास खण्ड-भाटपाररानी जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-24- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 2253891606 सी0 बी0 आई0 भटवा तिवारी से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	03.04.18	016022	25000.00
02	13.04.18	016021	2500.00
03	18.04.18	016025	108000.00
04	18.04.18	016027	108000.00
05	18.04.18	016024	5000.00
06	19.04.18	016026	20000.00
07	19.04.18	016028	20000.00
08	19.04.18	016023	35000.00
09	21.04.18	016029	50000.00
10	11.05.18	016031	24000.00
11	11.05.18	016032	94500.00
12	11.05.18	016034	94500.00
13	11.05.18	016035	24000.00
14	11.05.18	016036	30000.00
15	11.05.18	016033	24000.00
16	11.05.18	016030	4000.00
17	28.08.18	008323	104000.00
18	28.08.18	008322	204900.00

19	28.08.18	008325	135600.00
20	28.08.18	008324	255000.00
21	29.08.18	008327	32000.00
22	29.08.18	008328	40000.00
23	29.08.18	008326	129950.00
	योग		1569950.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹ 1569950.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री बृज किशोर कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1569950.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-25.- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 2253891606 सी0 बी0 आई0 भटवा तिवारी से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	06.11.19	25000.00
02	06.11.19	99000.00
03	06.11.19	21000.00
04	15.11.19	122000.00
05	16.11.19	58500.00
06	28.11.19	70000.00
07	28.11.19	45000.00
08	28.11.19	18964.00
09	02.12.19	23000.00
10	02.12.19	8000.00
11	07.12.19	122000.00
12	04.01.20	50000.00
13	06.01.20	25000.00
14	06.01.20	62500.00
15	06.01.20	30500.00
16	14.01.20	158000.00
17	02.03.20	15000.00
	योग	953464.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 953464.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री बृज किशोर कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
953464.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-26- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 2253891606 सी0 बी0 आई0 भटवा तिवारी से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	15.04.20	38500.00
02	15.04.20	40000.00
03	15.04.20	35000.00
04	27.04.20	870.00
05	16.05.20	25000.00
06	05.06.20	61950.00
07	31.07.20	30500.00
08	31.07.20	40000.00
09	10.08.20	106475.00
10	26.11.20	49950.00
11	04.12.20	112500.00
12	04.12.20	90000.00
13	04.12.20	114000.00
14	07.12.20	19500.00
15	07.12.20	30000.00
16	19.12.20	28000.00
17	23.12.20	91000.00
18	10.03.21	54000.00
19	23.03.21	24500.00
	योग	991745.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि

रु0 913245.00 (क्रमांक 01 से 17) की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री बृज किशोर कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से एवं क्रमांक 18 एवं 19 पर अंकित धनराशि रु0 78500.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री संतोष श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।(सामान्य आपति संख्या 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
991745.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-27- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-

21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 3832179445 सी0 बी0 आई0 भटवा तिवारी से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	21.11.20	107520.00
02	04.12.20	39763.00
03	04.12.20	119000.00
04	04.12.20	52877.00
05	04.12.20	52877.00
06	04.12.20	39975.00
07	04.12.20	39975.00
08	04.12.20	52877.00
09	04.12.20	34215.00
10	19.12.20	126240.00
11	19.12.20	18760.00
12	19.12.20	41025.00
13	12.02.21	146000.00
14	01.03.21	25000.00
15	01.03.21	100000.00
16	06.03.21	65600.00
	योग	1061704.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि रु0 725104.00 (क्रमांक 01 से 12) की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री बृज किशोर कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से एवं क्रमांक 13 से 16 पर अंकित धनराशि रु0 336600.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री संतोष श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1061704.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत— कटघरा विकास खण्ड—

भाटपाररानी जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-28— वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048820368 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि
01	04.05.18	033909	160000.00
02	05.05.18	033911	94500.00
03	23.05.18	033913	112000.00
04	13.06.18	033914	48000.00
05	30.06.18	033912	30000.00
06	02.08.18	033915	65500.00
07	02.08.18	033916	185000.00
08	29.11.18	033920	63500.00
09	11.01.19	033922	60000.00
10	15.03.19	033923	55000.00
11	26.03.19	033924	9000.00
	योग		882500.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 882500.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री साहब यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति

संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
882500.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-29— वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048820368 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि
01	26.06.19	033925	10500.00
02	29.06.19	033927	19500.00

03	29.06.19	033926	20000.00
04	15.07.19	033928	46000.00
05	18.11.19	अन्तरण	150600.00
06	02.12.19	अन्तरण	2500.00
07	02.12.19	अन्तरण	2500.00
08	11.12.19	अन्तरण	45750.00
09	11.12.19	अन्तरण	55250.00
10	11.12.19	अन्तरण	50000.00
11	17.12.19	अन्तरण	29750.00
12	17.12.19	अन्तरण	32000.00
13	19.12.19	अन्तरण	25000.00
14	21.12.19	अन्तरण	500.00
15	06.01.20	अन्तरण	150000.00
16	14.01.20	अन्तरण	500.00
17	22.01.20	अन्तरण	31000.00
18	22.01.20	अन्तरण	30500.00
19	18.02.20	अन्तरण	65000.00
20	07.03.20	अन्तरण	20500.00
	योग		787350.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 787350.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री साहब यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
787350.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-30- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048820368 (राज्य वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	05.04.20	60500.00
02	18.04.20	15000.00
03	18.04.20	35000.00
04	23.04.20	47500.00
05	26.04.20	870.00

06	19.05.20	47500.00
07	25.11.20	40000.00
08	25.11.20	49500.00
09	25.11.20	13650.00
10	26.11.20	40000.00
11	08.12.20	2500.00
12	08.12.20	65000.00
13	29.03.20	27580.00
	योग	444600.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 417020.00 (क्रमांक 01 से 12) की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री साहब यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से एवं क्रमांक 13 पर अंकित धनराशि ₹0 27580.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री संतोष श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(आपति संख्या 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
444600.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-31- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521733910 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	18.09.20	77000.00
02	18.09.20	133100.00
03	19.10.20	149000.00
04	14.11.20	50000.00
05	19.12.20	25250.00
	योग	434350.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 434350.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री साहब यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपति संख्या 14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
434350.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- शंकरपुरा विकास खण्ड-भाटपाररानी जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-32- वर्ष लेखा परीक्षा 2018-19 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048810463 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि
01	05.04.18	021165	51078.00
02	05.06.18	021167	19600.00
03	18.06.18	021168	56706.00
04	25.06.18	021171	19600.00
05	25.06.18	021170	19600.00
06	25.06.18	021172	19600.00
07	28.06.18	021169	22506.00
08	31.07.18	021175	108100.00
09	31.07.18	021176	27372.00
10	31.07.18	021177	110018.00
11	31.07.18	021178	135018.00
12	31.08.18	021180	20000.00
13	31.08.18	021181	8000.00
14	04.09.18	021174	2500.00
15	28.09.18	021183	50406.00
16	31.10.18	021184	18900.00
17	13.11.18	021186	19600.00
18	03.12.18	021187	44250.00
19	28.01.19	021188	71250.00
20	28.01.19	021189	116250.00
21	29.01.19	021191	98200.00
22	04.02.19	021192	90500.00
	योग		1129054.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 1129054.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री नथुनी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपति संख्या 11)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1129054.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-33- वर्ष लेखा परीक्षा 2019-20 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048810463 इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	चेक नं०	धनराशि
01	07.06.19	021193	34506.00
02	26.06.19	021194	9900.00
03	01.07.19	128041	16500.00
04	01.07.19	128042	4500.00
05	03.07.19	128043	20000.00
06	03.07.19	128044	63500.00
07	29.07.19	128053	15000.00
08	29.07.19	128051	120750.00
09	29.07.19	128045	172500.00
10	29.07.19	128047	42500.00
11	25.10.19	अन्तरण	21000.00
12	16.11.19	अन्तरण	15000.00
13	16.11.19	अन्तरण	52000.00
14	25.11.19	अन्तरण	28607.00
15	25.11.19	अन्तरण	40000.00
16	25.11.19	अन्तरण	68200.00
17	28.11.19	अन्तरण	99900.00
18	05.12.19	अन्तरण	96250.00
19	11.12.19	अन्तरण	60000.00
20	21.12.19	अन्तरण	500.00
21	24.12.19	अन्तरण	22000.00
22	31.12.19	अन्तरण	23500.00
23	23.03.20	अन्तरण	30000.00
24	23.03.20	अन्तरण	20000.00
25	23.03.20	अन्तरण	20000.00
26	23.03.20	अन्तरण	10000.00
	योग		1106613.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय

08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि रू0 1106613.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री नथुनी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1106613.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-34- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048810463 (राज्य वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	05.04.20	10000.00
02	09.04.20	22000.00
03	16.04.20	21000.00
04	26.04.20	870.00
05	29.04.20	15000.00
06	10.05.20	12000.00
07	01.08.20	5000.00
08	19.10.20	65000.00
09	29.11.20	49500.00
10	29.11.20	15000.00
11	29.11.20	15500.00
12	08.12.20	15000.00
13	11.12.20	2500.00
	योग	248370.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि रू0 248370.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री नथुनी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
248370.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-35- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-21 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521731061 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	26.08.20	46351.00
02	26.08.20	44450.00
03	28.08.20	61250.00
04	17.09.20	70000.00
05	19.09.20	53600.00
06	01.10.20	50750.00
	योग	326401.00

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 326401.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री नथुनी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति संख्या 14)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
326401.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- कृतपुरा विकास खण्ड- रुद्रपुर जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-36- दिनांक 20.11.19 को प्रमाणक संख्या 04 द्वारा ₹0 52560.00 का ह्यूम पाइप क्रय दर्शाया गया है। इसी तरह दिनांक 17.01.20 को प्रमाणक संख्या 07 द्वारा ₹0 26280.00 का ह्यूम पाइप क्रय दर्शाया गया है। उपरोक्त क्रय से संबंधित पत्रावली प्रोजेक्ट का नाम, कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 78840.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गावती देवी एवं सचिव श्री विन्ध्याचल सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
78840.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-37- दिनांक 18.12.20 को प्रमाणक संख्या शून्य द्वारा ₹0 123767.00 का ह्यूम पाइप क्रय दर्शाया गया है। उक्त क्रय से संबंधित पत्रावली प्रोजेक्ट का नाम कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क) लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त व्यय को मानते हुए धनराशि ₹0 123767.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गावती देवी एवं सचिव श्री विन्ध्याचल सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति संख्या 12)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
123767.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत— अजना विकास खण्ड— तार जनपद — देवरिया

प्रस्तर संख्या-38— लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से इंडियन बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048857151 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	19.09.2020	14000.00
2.	05.10.2020	28644.00
3.	05.10.2020	10230.00
4.	05.10.2020	13800.00
5.	05.10.2020	26576.00
	योग	93250.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 93250.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 93250.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लल्लन पाण्डेय एवं प्रधान श्रीमती देजी सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -2)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
93250.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-39— लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में इंडियन बैंक, विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50521762192 द्वारा केन्द्रीय वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	18.11.2020	106210.00
	योग	106210.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 106210.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है।

पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 106210.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लल्लन पाण्डेय एवं प्रधान श्रीमती देजी सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -3)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
106210.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- चौमुखी विकास खण्ड- तार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-40- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में इंडियन बैंक, विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50521762884 द्वारा केन्द्रीय वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	18.11.2020	140296.00
	योग	140296.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अतः रुपया 140296.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है । पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए ।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है । अतः रु० 140296.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मधुसूदन मिश्रा एवं प्रधान श्री विनय कुमार दूबे से किया जाना अपेक्षित है । **(सामान्य आपत्ति संख्या -**

2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
140296.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-41- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से इंडियन बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048858814 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	07.10.2020	21000.00
2.	21.10.2020	49332.00
3.	03.12.2020	149000.00
	योग	219332.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः रुपया 219332.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है । पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए ।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है । अतः रु० 219332.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मधुसूदन मिश्रा एवं प्रधान श्री विनय कुमार दूबे से किया जाना अपेक्षित है । **(सामान्य आपत्ति संख्या -3)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
219332.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- जमसडा विकास खण्ड- लार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-42- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में इंडियन बैंक, विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50521762806 द्वारा केन्द्रीय वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	13.10.2020	40000.00
2.	04.11.2020	22000.00
3.	04.11.2020	21000.00
4.	04.11.2020	70000.00
5.	04.11.2020	171000.00
6.	04.11.2020	10000.00
7.	04.11.2020	159000.00
8.	04.11.2020	1800.00
	योग	494800.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली, व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 494800.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹ 494800.00 की वसूली तात्तरीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मधुसूधन मिश्रा एवं प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
494800.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-43- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से इंडियन बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048850803 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	24.05.2020	17000.00
2.	24.05.2020	81000.00
3.	28.05.2020	38000.00
4.	03.11.2020	21000.00
5.	27.12.2020	55250.00
6.	27.12.2020	55250.00
7.	27.12.2020	55250.00
8.	27.12.2020	55250.00
9.	27.12.2020	51000.00
	योग	429000.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली, व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 429000.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के

सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 429000.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मधुसूदन मिश्रा एवं प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या -3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
429000.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- बनकटा अमेठिया विकास खण्ड- लार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-44- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से इंडियन बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048688421 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	15.09.2020	71112.00
2.	15.09.2020	54647.00
3.	19.09.2020	72000.00
4.	23.09.2020	13256.00
5.	23.09.2020	62879.00
6.	23.09.2020	45515.00
	योग	319409.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 319409.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 319409.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश दूबे एवं प्रधान श्रीमती किरण देवी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या -2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
319409.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- भरौली विकास खण्ड- लार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-45- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में इंडियन बैंक, विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50521761711 द्वारा केन्द्रीय वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	13.10.2020	199500.00
	योग	199500.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 199500.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 199500.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मधुसूदन मिश्रा एवं प्रधान श्री संतोष कुमार दूबे से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या -2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
199500.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-46- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से इंडियन बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048864883 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	17.04.2020	25700.00
2.	07.10.2020	10200.00
3.	07.10.2020	20000.00
4.	07.10.2020	21000.00
	योग	76900.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 76900.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 76900.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मधुसूदन मिश्रा एवं प्रधान श्री संतोष कुमार दूबे से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या -3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
76900.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- मठिल उपाध्याय विकास खण्ड- लार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-47- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में इंडियन बैंक, विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50521762034 द्वारा केन्द्रीय वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	07.11.2020	84000.00
2.	09.12.2020	119905.00
3.	09.12.2020	19905.00
	योग	223810.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 223810.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री तारकेश्वर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश दूबे से बराबर-बराबर संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या -2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
223810.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-48- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से इंडियन बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048849479 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	16.10.2020	635180.00
2.	31.10.2020	20000.00
3.	03.11.2020	635180.00
4.	22.11.2020	475640.00
5.	23.11.2020	2000.00
6.	02.12.2020	20000.00
7.	02.12.2020	12534.00
8.	13.12.2020	100000.00
	योग	1900534.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली, व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 1900534.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 1900534.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश दूबे एवं प्रधान श्री तारकेश्वर सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या -3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
1900534.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- परसा जोकहा विकास खण्ड- बैतालपुर जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-49- वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से पंजाब नेशनल बैंक, स्टेशन रोड देवरिया के खाता संख्या 1507000102645564 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि निम्नांकित मद पर व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	मद	दिनांक	धनराशि
1.	पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर पर व्यय	16.09.2020	2800.00
		योग	2800.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 2800.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 2800.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनञ्जय यादव एवं प्रधान श्री गौकरण निषाद से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या -

2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2800.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- भदिला अव्वल विकास खण्ड- बरहज जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-50- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में इंडियन बैंक, विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50521719248 द्वारा केन्द्रीय वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	18.10.2020	30000.00
2.	18.10.2020	40000.00
3.	10.11.2020	46400.00
4.	20.11.2020	52000.00
5.	20.11.2020	7600.00
	योग	176000.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 176000.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री शेषनाथ यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश सिंह से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
176000.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-51- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से इंडियन बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048852652 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	02.04.2020	50000.00

2.	26.04.2020	10500.00
3.	01.05.2020	9000.00
4.	22.05.2020	32000.00
5.	22.05.2020	20000.00
6.	18.10.2020	21000.00
7.	29.10.2020	20000.00
8.	18.10.2020	60000.00
	योग	222500.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 222500.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹ 222500.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश सिंह एवं प्रधान श्री शेषनाथ यादव से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या -3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
222500.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- खोरी विकास खण्ड- बरहज जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-52- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में इंडियन बैंक, विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50521711205 द्वारा केन्द्रीय वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	15.10.2020	160000.00
	योग	160000.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 160000.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है।

पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹ 160000.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश सिंह एवं प्रधान श्रीमती धानमती देवी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या -

2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
160000.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-53- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से इंडियन बैंक विकास भवन देवरिया के खाता संख्या 50048844391 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि से निम्नांकित व्यय दर्शाए गये हैं -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	26.04.2020	9000.00
2.	26.04.2020	3500.00
3.	11.06.2020	20000.00
4.	29.06.2020	20800.00
5.	29.06.2020	158500.00
6.	30.06.2020	27000.00
7.	30.06.2020	60000.00
8.	02.09.2020	35000.00
	योग	333800.00

उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रुपया 333800.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 333800.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश सिंह एवं प्रधान श्रीमती धानमती देवी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
333800.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- दीक्षितौली विकास खण्ड- बनकटा जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-54- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम/राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित बैंक बचत खाता (इंडियन बैंक खाता संख्या-5004883120) से निम्नलिखित तिथियों में धनराशि की निकासी दर्शायी गयी है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नलिखित है:-

क्रमांक	तिथि	धनराशि
01	28-08-2020	10000.00
02	28-08-2020	59108.00
03	28-08-2020	75000.00
04	15-09-2020	50000.00
05	04-10-2020	14000.00
06	04-10-2020	21000.00
07	23-10-2020	8642.00
08	23-10-2020	80000.00
09	28-10-2020	5000.00
10	28-10-2020	45000.00

11	09-11-2020	10000.00
12	09-11-2020	20000.00
	योग	397750.00

उपरोक्त निकासी से सम्बन्धित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टररोल, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को मानते हुए धनराशि रु०397750 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश भारती से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या -2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
397750.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-55- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-2021 में केन्द्रिय वित्त योजना से सम्बन्धित बैंक बचत खाता (इंडियन बैंक खाता संख्या-80521675276) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	तिथि	धनराशि
01	04-10-2020	47200.00
02	23-10-2020	10000.00
03	23-10-2020	167000.00
04	10-11-2020	15000.00
05	27-11-2020	100000.00
06	13-12-2020	10000.00
07	13-12-2020	80000.00
08	13-12-2020	10000.00
	योग	439200.00

उपरोक्त निकासी से सम्बन्धित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टररोल, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को मानते हुए धनराशि रु० 439200.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश भारती से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या -3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
439200.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- इन्दरवा विकास खण्ड- बनकटा जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-56- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम/राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित बैंक बचत खाता (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया-2119623075) से निम्नलिखित तिथियों में धनराशि की निकासी दर्शायी गयी है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नलिखित है:-

क्रमांक	तिथि	धनराशि
01	06-07-2020	48429.80
02	06-07-2020	90250.00

03	06-07-2020	7087.50
04	06-07-2020	10224.00
05	07-07-2020	82537.00
06	07-07-2020	73290.00
07	07-07-2020	35548.00
08	09-07-2020	299397.00
09	09-07-2020	777203.00
10	21-07-2020	73500.00
11	21-07-2020	114700.00
12	21-07-2020	444600.00
13	31-08-2020	230230.00
14	31-08-2020	161616.00
15	31-08-2020	56700.00
16	19-10-2020	15000.00
17	19-10-2020	29904.00
18	20-10-2020	21000.00
19	20-10-2020	125136.00
20	17-11-2020	73838.76
21	17-11-2020	53595.00
22	08-12—2020	39000.00
23	08-12-2020	200000.00
24	11-12-2020	7000.00
	योग	3069786.06

उपरोक्त निकासी से सम्बन्धित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टररोल, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को मानते हुए धनराशि ₹0 3069786.06 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती ईन्द्रावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित कुमार यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति संख्या -3)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
3069786.06	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-57- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-2021 में केन्द्रिय वित्त योजना से सम्बन्धित बैंक बचत खाता (बैंक खाता संख्या-3833263439) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	तिथि	धनराशि
01	28-09-2020	44320.00
02	28-09-2020	152500.00
03	19-10-2020	2800.00
04	05-11-2020	26033.00

05	06-11-2020	57910.00
06	06-11-2020	10287.00
07	13-11-2020	87530.80
08	13-11-2020	73290.00
09	13-11-2020	25665.00
	योग	480335.80

उपरोक्त निकासी से सम्बन्धित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टररोल, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को मानते हुए धनराशि ₹0 480335.80 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती ईन्द्रावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित कुमार यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति संख्या -4)**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
480335.80	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- गाढ़ा विकास खण्ड- बनकटा जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-58- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-2021 में ग्राम निधि प्रथम/राज्य वित्त योजना से सम्बन्धित बैंक बचत खाता (इंडियन इण्डिया-500487187) से निम्नलिखित तिथियों में धनराशि की निकासी दर्शायी गयी है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नलिखित है:-

क्रमांक	तिथि	धनराशि
01	08-04-2020	12000.00
02	08-04-2020	18000.00
03	22-06-2020	50000.00
04	22-04-2020	50000.00
05	22-04-2020	22468.00
06	10-08-2020	20000.00
07	25-08-2020	31500.00
08	25-08-2020	25000.00
09	16-09-2020	50000.00
10	16-09-2020	69110.00
11	21-09-2020	105000.00
12	21-09-2020	25000.00
13	21-09-2020	65400.00
14	13-10-2020	21000.00
15	20-10-2020	30000.00
16	15-11-2020	15000.00
17	15-11-2020	12477.00
18	15-11-2020	115000.00
19	15-11-2020	15000.00
20	15-11-2020	24648.00

	योग	776603.00

उपरोक्त निकासी से सम्बन्धित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टररोल, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को मानते हुए धनराशि ₹0 776603.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश भारती से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या -3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
776603.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-59- वर्ष लेखा परीक्षा 2020-2021 में केन्द्रिय वित्त योजना से सम्बन्धित बैंक बचत खाता (इंडियन बैंक खाता संख्या-50521696423) से निम्नांकित तिथियों में धनराशि आहरण दर्शाया गया है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित है:-

क्रमांक	तिथि	धनराशि
01	13-10-2020	2800.00
02	15-10-2020	20000.00
03	21-11-2020	100000.00
04	22-12-2020	20000.00
05	22-12-2020	80000.00
	योग	222800.00

उपरोक्त निकासी से सम्बन्धित कार्ययोजना प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) एवं व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टररोल, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को मानते हुए धनराशि ₹0 222800.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनीश भारती से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या -4)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
222800.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- कोल्हुआ विकास खण्ड- सलेमपुर जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-60- दिनांक 28-12 -2020 को इंडिया मार्का2 हैण्ड पम्प रिबोर हेतु राज्य वित्त के खाता सं०2338572095 (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) से ₹०27900.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है जिसकी आई० डी० संख्या 37274183 है जिस पर निम्न आपतिया हैं ।

(क)उक्त व्यय के सम्बन्ध में कैश बुक में वाउचर संख्या अंकित नहीं है और न ही लेखा परीक्षा के समय व्यय वाउचर प्रस्तुत किया गया ।

(ख)इंडिया मार्का2 हैण्ड पम्प तकनीकी रूप से कराब होने या प्रयोग लायक न होने का अभिलेख / प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(ग)विभागी पूर्व स्वीकृत एवं सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए । इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय करके ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है ,अतः ₹०27900.00की वसूली

ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुलतान अहमद से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपति संख्या -2(1))

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
27900.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-61- दिनांक 28-12 -2020 को इंडिया मार्का2 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु राज्य वित्त के खाता सं०2338572095 (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) से रु०18370.00 एवं रु० 17060.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है जिसकी आई० डी० संख्या37274161 है जिस पर निम्न आपतिया हैं ।

(क)उक्त व्यय के सम्बन्ध में कैश बुक में वाउचर संख्या अंकित नहीं है और न ही लेखा परीक्षा के समय व्यय वाउचर प्रस्तुत किया गया ।

(ख)इंडिया मार्का2हैण्ड पम्प तकनीकी रूप से कराब होने या प्रयोग लायक न होने का अभिलेख / प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(ग)विभागी पूर्व स्वीकृत एवं सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्रामप्रधान एवं ग्रामपंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए ।इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय करके ग्रामपंचायत के धन का अपहरण किया गया है ,अतः रु०35430.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव एवं ग्रामपंचाय अधिकारी श्री सुलतान अहमद से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपति संख्या -2(ii))

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
35430.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत – नादघाट विकास खण्ड – सलेमपुर जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-62- ग्राम पंचायत नादघाट में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु दिनांक 05-11-2020को रु० 13440.00,दिनांक 25-12-2020 को रु० 53760.00एवं दिनांक 25-12-2020 को रु०50000.00, कुल रु० 117200.00का आहरण किया गया है। उक्त व्यय ग्राम निधि प्रथम के (14वें वित्त) खाता सं० 50521759178 इंडियन बैंक देवरिया से किया गया है ।उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक ,प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियमसं०152 एवं 154), कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र ,माप पुस्तिका,मस्टररोल एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किये गये ।ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूलीग्रामप्रधान एवं ग्रामपंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए । इस प्रकार स्पष्ट है किबैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है ,अतः रु० 117200.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुकेश सिंह एवं ग्रामपंचाय अधिकारी श्री अजित कुमार से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या -2(1))

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
117200.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-63- पूर्व माध्यमिक विद्यालय नादघाट में शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण हेतु राज्य वित्त के खाता सं० 50048971667 इंडियन बैंक देवरिया से दिनांक 25-06-2020 को रु० 49560.00, एवं 8000.00, दिनांक 27-09-2020 को रु० 50000.00, दिनांक 07-11-2020 को रु० 50000.00, कुल मिलाकर रु० 157560.00 का आहरण किया गया है ।उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक ,प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं०152 एवं 154), कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र ,माप पुस्तिका,मस्टररोल एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किये गये ।ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को

गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्रामप्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है किबैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है, अतः ₹157560.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुकेश सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित कुमार से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या - 2(2))

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
157560.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- डोलछपरा विकास खण्ड- सलेमपुर जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-64- ग्राम पंचायत डोलछपरा में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर निम्न प्रकार व्यय किया गया- (आ०सं०- 2(1))

क्र०सं०	दिनांक	भुगतान का विवरण	धनराशि	कैश बुक में दर्शित वाउचर क्रमांक
1.	26.11.2020	प्रथम श्रेणी ईट	67200.00	-
2.	26.11.2020	सामग्री क्रय	150000.00	-
		योग	217200.00	

उक्त व्यय ग्राम निधि-1 के खाता सं० 50048970890 (इण्डियन बैंक देवरिया) से आईडी संख्या 42897491 द्वारा किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टररोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है, अतः ₹0 217200 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित कुमार से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या -2(1))

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
217200.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-65- दिनांक 15.12.2020 को राज्य वित्त के खाता सं० 50048970890 से ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान माह अप्रैल से नवम्बर तक ₹0 28000 किया गया है पुनः उसी दिनांक 15.12.2020 को अप्रैल 19 से मार्च 2020 तक के मानदेय का भुगतान ₹0 42000 किया गया है। इस सम्बन्ध में पंचायत सचिव से पूछे जाने पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रैल से नवम्बर तक के मानदेय का भुगतान दुबारा करके ₹0 28000 का किया गया है। अतः ₹0 28000 के लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या -2 (2))

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
28000.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत- जमुनी विकास खण्ड- तरकुलवा जनपद-देवरिया प्रस्तर संख्या-66- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रथम निधि प्रथम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, तरकुलवा के खाता संख्या 11071754261 द्वारा राज्य वित्त की धनराशि में निम्नांकित व्यय दर्शाए गए हैं।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि

1	02.04.2020	7000.00
2	19.04.2020	870.00
3	11.05.2020	19100.00
4	11.05.2020	19500.00
5	30.06.2020	6500.00
6	27.07.2020	14000.00
7	15.09.2020	112500.00
8	03.10.2020	32000.00
9	12.10.2020	15800.00
10	12.10.2020	2200.00
11	05.11.2020	2800.00
12	06.11.2020	87100.00
13	09.11.2020	24700.00
14	30.11.2020	22800.00
15	11.12.2020	26000.00
16	11.12.2020	120600.00
17	11.12.2020	14000.00
योग		527470.00

उक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रु०527470.00 की निकासी कर ग्राम पं. के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 08 (क) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 527470.00 की वसूली तात्तरीख ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेंद्र राय एवं ग्राम प्रधान मुसद्दी अंसारी से किया जाना अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या -2)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
527470 .00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-67- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम से स्टेट बैंक आफ इंडिया तरकुलवा के खाता संख्या 39473999917 द्वारा केन्द्रीय वित्त की धनराशि में निम्नांकित व्यय दर्शाए गए।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	11.12.2020	102100.00
2	11.12.2020	22000.00
	योग	124100.00

उक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः रु०124100 की निकासी कर ग्राम पं. के धन का अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के के प्रस्तर 08 (क) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। अतः बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः रु०

124100 की वसूली तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेंद्र राय एवं ग्राम प्रधान श्री मुसद्दी अंसारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपति संख्या -3)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
124100.00	00.00	00.00

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

(ग्राम पंचायतों से संबन्धित आपतियां)

जनपद- महाराजगंज

मंडल-गोरखपुर

प्रस्तर-01- विकास खण्ड घुघली की ग्राम पंचायत नरायनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 16.05.2020 को ग्राम पंचायत में हैण्डपंप रिबोर पर ₹0 20587.00 (मजदूरी सहित) का व्यय ऑफलाइन रोकडबही के व्यय पक्ष तथा बैंक स्टेटमेंट में निकासी दर्शित है जो आनलाइन रोकडबही में प्रमाणक सं0 4टीएचएसएफसी12020-21/पी/1 द्वारा व्यय किया जाना दर्शित है। ऑफलाइन तथा ऑनलाइन रोकडबही दोनों में रिबोर का स्थान उल्लिखित नहीं है कि कहां पर रिबोर कराया गया है। उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी है, यथा आस-पास के ग्रामीण परिवारों द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थनापत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी भी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट भी प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही हाथनल रिबोर कराए जाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक, स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल रिबोर से संबन्धित कार्यवाही की जांच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शासनादेश सं0 4430/33-1-99/एस0पी0आर/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से संबन्धित योजनाओं कि निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल रिबोर के प्रमाणकों के साथ-साथ उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से संबन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 30 प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि ₹0 20587.00 का आधा भाग ₹0 10293.00 प्रधान श्री विनोद से तथा आधा भाग ₹0 10293.00 सचिव श्री दिनेश कुमार से सब्याज वसूल करते हुए क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-02- विकास खण्ड घुघली की ग्राम पंचायत नरायनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 13.07.2020 को ग्राम पंचायत में हैण्डपंप मरम्मत पर ₹0 34939.00 (मजदूरी सहित) का व्यय ऑफलाइन रोकडबही के व्यय पक्ष तथा बैंक स्टेटमेंट में निकासी दर्शित है जो आनलाइन रोकडबही में प्रमाणक सं0 4टीएचएसएफसी12020-21/पी/3 द्वारा व्यय किया जाना दर्शित है। ऑफलाइन तथा ऑनलाइन रोकडबही दोनों में मरम्मत का स्थान उल्लिखित नहीं है कि कहां पर मरम्मत कराया गया है। उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी है, यथा आस-पास के ग्रामीण परिवारों द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थनापत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी भी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट भी प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही हाथनल मरम्मत कराए जाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक, स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हैण्डपंप मरम्मत से संबन्धित कार्यवाही की जांच व समीक्षा नहीं की

जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शासनादेश सं० 4430/33-1-99/एस०पी०आर/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से संबन्धित योजनाओं कि निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा हैण्डपंप मरम्मत के प्रमाणकों के साथ-साथ उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। उ० प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि ₹० 34939.00 का आधा भाग ₹० 17469.50 प्रधान श्री विनोद से तथा आधा भाग ₹० 17469.50 सचिव श्री दिनेश कुमार से सब्याज वसूल करते हुए क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-03- विकास खण्ड घुघली की ग्राम पंचायत गोपला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दू 2 अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय ₹० 2500.00 से बढ़ाकर ₹० 3500.00 प्रति माह किया गया है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत को ग्राम निधि प्रथम के ऑफलाइन रोकड बही के अनुसार दिनांक 09.09.20 को माह सितम्बर-18 से अगस्त-20 तक 24 माह का कुल ₹० 94500.00 मानदेय भुगतान डोंगल द्वारा किया गया है, जबकि ₹० 3500.00 की दर से 24 माह का ₹० 84000.00 ही भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ग्राम प्रधानको तीन माह का ₹० 10500.00 अधिक मानदेय भुगतान किया गया है। जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक सं० 4टीएचएसएफसी/2020-21/पी/14 द्वारा भुगतानित दर्शित है। यहाँ यह भी उल्लिखित है कि दिनांक 19.03.19 को ऑनलाइन रोकडबही के प्रमाणक सं० 4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/18 के द्वारा माह सितम्बर-18 से मार्च-19 तक का मानदेय ₹० 24500.00 का भुगतान हो चुका था। इस प्रकार ₹० 24500.00 का मानदेय भुगतान प्रधान को दो बार किया गया है। अतः कुल भुगतानित मानदेय 35000.00 के लिए सचिव मो० खलिद एवं प्रधान श्रीमती आशिया खातून उत्तरदायी है। अधिक भुगतान ₹० 35000.00 की क्षतिपूर्ति प्रधान श्रीमती आशिया खातून से कर ग्राम निधि-प्रथम खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ₹० 35000.00 का आधा भाग ₹० 17500.00 प्रधान श्रीमती आशिया खातून से तथा आधा भाग ₹० 17500.00 सचिव श्री खलिद से सब्याज क्षतिपूर्ति का जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-04- विकास खण्ड घुघली की ग्राम पंचायत पिपरा ब्राह्मण उर्फ बारीगाँव के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दू 2 अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय ₹० 2500.00 से बढ़ाकर ₹० 3500.00 प्रति माह किया गया है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत को ग्राम निधि प्रथम के ऑफलाइन रोकड बही के अनुसार दिनांक 29.10.20 को माह मार्च-20 से सितम्बर-20 तक 07 माह का कुल ₹० 24500.00 मानदेय भुगतान डोंगल द्वारा किया गया है, जो आनलाइन रोकडबही में प्रमाणक सं० 4टीएचएसएफसी/2020-21/पी/37 द्वारा भुगतानित दर्शित है। यहाँ यह उल्लिखित है कि दिनांक 29.06.20 को ऑफलाइन रोकड बही एवं ऑनलाइन रोकडबही के प्रमाणक सं० 4टीएचएसएफसी/2020-21/पी/6 के अनुसार माह मार्च 20 का मानदेय का भुगतान हो चुका था। इस प्रकार ₹० 3500.00 का मानदेय भुगतान प्रधान को दो बार किया गया है। इसके लिए सचिव श्री रामकिशुन गुप्ता एवं प्रधान श्रीमती विद्या सिंह उत्तरदायी है। अधिक भुगतान ₹० 3500.00 की क्षतिपूर्ति प्रधान श्रीमती विद्या सिंह एवं सचिव श्री रामकिशुन गुप्ता से सब्याज किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-05- विकास खण्ड घुघली की ग्राम पंचायत किशुनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 07.12.2020 को ग्राम पंचायत में ₹० 41160.00 तथा ₹० 27440.00 कुल ₹० 68600.00 का स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया है जो आनलाइन रोकडबही में भी प्रमाणक संख्या 5टीएचएसएफसी/2020-21/पी/1 व एफएफसी/2020-21/पी/2 द्वारा क्रय दर्शित है। उक्त क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, पत्रावली तथा ग्राम पंचायत में वैध विद्युत संयोजन की पुष्टि हेतु विद्युत विभाग द्वारा जारी कनेक्शन प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ० प्र० सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव

से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि ₹0 68600.00 का व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अस्तु अपहृत धनराशि ₹0 68600.00 का आधा भाग ₹0 34300.00 प्रधान श्रीमती गृहलक्ष्मी से तथा आधा भाग ₹0 34300.00 सचिव श्री विनय कुमार शर्मा से सब्याज वसूल करते हुए क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-06- विकास खण्ड घुघली की ग्राम पंचायत बांसपार नूतन के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 13.10.2020 एवं दिनांक 29.03.21 को ग्राम पंचायत में हैण्डपंप मरम्मत पर क्रमशः ₹0 16298.00 एवं ₹0 28200.00 कुल ₹0 44498.00 (मजदूरी सहित) का व्यय ऑफलाइन रोकडबही के व्यय पक्ष तथा बैंक स्टेटमेंट में निकासी दर्शित है जो आनलाइन रोकडबही में प्रमाणक सं04टीएचएसएफसी12020-21/पी/7 एवं 4टीएचएसएफसी12020-21/पी/15 द्वारा व्यय किया जाना दर्शित है। ऑफलाइन तथा ऑनलाइन रोकडबही दोनों में मरम्मत का स्थान उल्लिखित नहीं है कि कहां पर मरम्मत कराया गया है। उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं, यथा आस-पास के ग्रामीण परिवारों द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थनापत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी भी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट भी प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं रहा। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही हाथनल मरम्मत कराए जाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक, स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हैण्डपंप मरम्मत से संबंधित कार्यवाही की जांच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शासनादेश सं0 4430/33-1-99/एस0पी0आर/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से संबंधित योजनाओं कि निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा हैण्डपंप मरम्मत के प्रमाणकों के साथ-साथ उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। उ0 प्र0 सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि ₹0 44498.00 का व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अस्तु अपहृत धनराशि ₹0 44498.00 का आधा भाग ₹0 22249.00 प्रधान श्री विनय सिंह से तथा आधा भाग ₹0 22249.50 सचिव श्री विनय कुमार से सब्याज वसूल करते हुए क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-07- विकास खण्ड महराजगंज सदर की ग्राम पंचायत खुटहां के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों पर निम्न विवरणानुसार ₹0 88390.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि ₹0 88390.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07.08.20	45225.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
2	10.03.20	43165.00	हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
	योग-	88390.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री अविनाश तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री सुरेशचन्द्र कन्नौजिया उत्तरदायी है। प्रत्येक से क्रमशः ₹0 44195.00 व ₹0 44195.00 की व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-08- विकास खण्ड महराजगंज सदर की ग्राम पंचायत सवरेजी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों पर निम्न विवरणानुसार ₹0 21261.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं सत्यापित स्टॉक

पंजिका अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि ₹0 21261.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	10.08.20	11114.00	हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
2	11.08.20	10147.00	स्टेशनरी/फोटोकॉपी पर व्यय
	योग-	21261.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री दानी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री गुड्डू प्रसाद उत्तरदायी है। प्रत्येक से क्रमशः ₹0 10630.00 व ₹0 10630.00 की व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-09- विकास खण्ड महराजगंज सदर की ग्राम पंचायत गिदहां के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों पर निम्न विवरणानुसार ₹0 25246.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के संबन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि ₹0 25246.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	15.07.20	12274.00	स्टेशनरी/फोटोकॉपी पर व्यय
2	16.07.20	12972.00	हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
	योग-	25246.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती इमरती देवी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री गुड्डू प्रसाद उत्तरदायी है। प्रत्येक से क्रमशः ₹0 12623.00 व ₹0 12623.00 की व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10- विकास खण्ड फरेन्दा की ग्राम पंचायत रामनगर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गयी है। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य पर निम्न विवरणानुसार ₹0 390256.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि ₹0 390256.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	29.06.20	142000.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
2	01.07.20	5916.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
3	01.07.20	3436.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
4	01.07.20	186276.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
5	24.12.20	29448.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
6	24.12.20	23180.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
	योग-	390256.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री शिवभवन तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री प्रदीप दूबे उत्तरदायी है। प्रत्येक से क्रमशः ₹0 195128.00 व ₹0 195128.00 की व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11- विकास खण्ड फरेन्दा की ग्राम पंचायत मधुकरपुर महदेवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गयी है। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य पर निम्न विवरणानुसार ₹0 171800.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि ₹0 171800.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	22.07.20	30600.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
2	22.07.20	25850.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
3	22.11.20	42400.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
4	24.12.20	72750.00	इंडिया मार्का-2 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय
	योग-	171800.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री परमप्रकाश तथा गा०पं०/वि०अधि० श्री प्रदीप दूबे उत्तरदायी है। प्रत्येक से क्रमशः ₹0 85900.00 व ₹0 85900.00 की व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12- विकास खण्ड फरेन्दा की ग्राम पंचायत हरमंदिर खुर्द के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों पर निम्न विवरणानुसार ₹0 112295.00 का व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु उक्त व्यय के संबन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं सत्यापित स्टॉक पंजिका अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि ₹0 112295.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	31.08.20	99995.00	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
2	02.11.20	12300.00	स्टेशनरी पर व्यय
	योग-	112295.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री बेचन प्रसाद तथा गा०पं०/वि०अधि० श्री प्रदीप दूबे उत्तरदायी है। प्रत्येक से क्रमशः ₹0 56147.00 व ₹0 56147.00 की व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13- विकास खण्ड निचलौल की ग्राम पंचायत कलनही खुर्द के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं कोषबही के अनुसार दिनांक 04.09.20 में चेक संख्या 926865 से अमरजीत को ₹0 6000.00, तथा चेक संख्या 926867 से शिबबन को ₹0 6000.00, दिनांक 08.09.20 में चेक संख्या 926868 से मुन्ना कुमार को ₹0 6000.00, दिनांक 09.09.20 में चेक संख्या 926863 से रीता को ₹0 6000.00, दिनांक 25.09.20 में चेक संख्या 926870 से राजकुमार को ₹0 6000.00, दिनांक 28.09.20 में चेक संख्या 926866 से सोनिया को ₹0 6000.00, दिनांक 12.10.20 में चेक संख्या 926871 से रामेश्वर को ₹0 6000.00 तथा दिनांक 5.11.20 में चेक संख्या 926872 से विद्यासागर को ₹0 6000.00 कुल ₹0 48000.00 का भुगतान निधि प्रथम से किया गया है। कोषबही के व्यय पक्ष में त्रुटिवश बैंक निकासी मात्र अंकित है। इस सम्बन्ध में प्रश्न किये जानेपर वर्तमान सचिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेखा परीक्षा के अनुसार यह समस्त भुगतान व्यक्तिगत शौचालय के अनुदान से सम्बन्धित है, जो त्रुटिवश नहीं बल्कि जानबूझ कर किया गया है तथा दिनांक 06.11.20 में (ग्राम निधि से जमा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ₹0 42000.00 खाते में वापस जमा कर दिया गया है। इस प्रकार ₹0 6000.00 अनुदान की धनराशि वर्तमान समय तक अन्य मद में व्यय है। अस्तु अन्तर की धनराशि यत्न 6000.00 के आधा भाग ₹0 3000.00 तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र यादव एवं आधा भाग ₹0 3000.00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती वेडली से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही साथ जानबूझ कर विना विभागीय अधिकारियों की पूर्व

स्वीकृति के अनुदान की धनराशि ₹0 48000.00 का विचलन कर अनियमितता के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-14- विकास खण्ड निचलौल की ग्राम पंचायत दुर्गवलिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में आनलाइन कोषबही पर अंकित विवरण के अनुसार दिनांक 11.04.20 में प्रधान मानदेय माह मार्च-20 का कोविडफण्ड 30 प्र0 को ट्रांसफर है। दिनांक 02.09.20 में माह मार्च-20 से अगस्त-20 तक का मानदेय ₹0 21000.00 तथा दिनांक 30.10.20 में मानदेय भुगतान माह अगस्त-20 से सितम्बर-20 का ₹0 7000.00 भुगतान है। इस प्रकार प्रधान को माह मार्च-20 एवं अगस्त-20 का मानेय कुल ₹0 7000.00 दोबार भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान ₹0 7000.00 का आधा भाग प्रधान श्री मारकण्डेय से ₹0 3500.00 तथा आधा भाग ₹0 3500.00 सचिव श्री योगेश से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15- विकास खण्ड निचलौल की ग्राम पंचायत बेलवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 18.07.20 को प्रधान को मानदेय भुगतान जनवरी-20 से जुलाई-20 तक का ₹0 24500.00 किया गया है। पुनः 18.12.20 में जुलाई-20 से नवम्बर-20 तक का मानदेय भुगतान ₹0 17500.00 किया गया है। इस प्रकार माह जुलाई-20 का मानदेय दोबार किया गया है। अधिक भुगतान ₹0 3500.00 का आधा भाग ₹0 1750.00 सचिव श्री अशोक एवं आधा भाग प्रधान श्री कन्हैया से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16- विकास खण्ड निचलौल की ग्राम पंचायत कटहरीकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 12.04.20 में प्रधान मानदेय माह मार्च-20 का कोविडफण्ड में दिया जाना कोषबही पर अंकित है। दिनांक 21.12.20 में प्रधान मानदेय माह मार्च-20 से नवम्बर-20 तक का ₹0 31500.00 भुगतान है। इस प्रकार प्रधान को माह मार्च-20 का मानेय कुल ₹0 3500.00 दोबार भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान ₹0 3500.00 का आधा भाग प्रधान श्रीमती मैमुन्निशां से ₹0 1750.00 तथा आधा भाग ₹0 1750.00 सचिव श्री योगेश से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17- विकास खण्ड निचलौल की ग्राम पंचायत पैकोलीकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में आनलाइन कैशबुक के अनुसार दिनांक 20.06.18 में व्यय प्रमाणक संख्या 4टीएचएसएफसी/2018-19/पी-3 द्वारा मानदेय प्रधान नवम्बर-17 से मई-18 तक का भुगतान ₹0 24500.00 किया गया है। पुनः वर्ष 20-21 में दिनांक 20.08.20 को ₹0 42000.00 माह नवम्बर-17 से नवम्बर-18 तक का भुगतान किया गया है। आफलाइन कैशबुक पर भुगतानित माह का विवरण अंकित नहीं है। इस प्रकार से 7 माह का ₹0 24500.00 का भुगतान दो बार कर दिया गया है। अस्तु अधिक भुगतान ₹0 24500.00 का तत्कालीन प्रधान श्री अरविन्द से ₹0 12250.00 एवं आधा भाग ₹0 12250.00 तत्कालीन सचिव श्री धीरू यादव से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18- विकास खण्ड निचलौल की ग्राम पंचायत बजही के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में आनलाइन कोषबही पर अंकित विवरणानुसार दिनांक 18.10.20 में माह फरवरी-20 से सितम्बर-20 तक का मानदेय भुगतान प्रधान को ₹0 28000.00 तथा दिनांक 21.12.20 में माह सितम्बर-20 से नवम्बर-20 तक का ₹0 10500.00 किया गया है। प्रस्तुत प्रमाणक पर अवधि अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रधान को माह सितम्बर-20 का मानेय दोबार भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान ₹0 3500.00 का आधा भाग प्रधान श्रीमती बच्ची देवी से ₹0 1750.00 तथा आधा भाग ₹0 1750.00 सचिव श्री रामरतन यादव से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19- विकास खण्ड निचलौल की ग्राम पंचायत सुकरहर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आफलाइन कोषबही के अनुसार दिनांक 01.09.20 को प्रशासनिक मद पर भुगतान ₹0

2310.00, दिनांक 08.10.20 को गौरीशंकर के घर से अशरफी के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर एम0एम0ईट उद्योग को भुगतान रु0 38976.00 तथा दिनांक 12.03.21 को स्टेशनरी चार्ज व्यय भुगतान राजीव इण्टरप्राइजेज को य0 11236.00 का व्यय है। जिसके प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। ग्राम पंचायतों में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने पर व्यय को गबन मानते हुए वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के अनुसार दर्शित व्यय रु0 52522.00 के आधा भाग रु0 26261.00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती अमोला देवी एवं आधा भाग रु0 26661.00 तत्कालीन सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-20- विकास खण्ड निचलौल की ग्राम पंचायत छितौना के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में उच्च प्राथमिक विद्यालय में फ्रेंडली शौचालय निमाण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सामग्री क्रय का भुगतान प्रमाणक पूजा इण्टरप्राइजेज का रु0 180516.00 का है, जबकि भुगतान दिनांक 3.11.20 में रु0 190201.00 का किया गया है। इस प्रकार रु0 9685.00 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन सचिव श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता से अधिक भुगतान रु0 9685.00 का आधा भाग रु0 4842.50 तथा तत्कालीन प्रधान श्रीमती सायराबानो से आधा भाग रु0 4842.50 की व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21- विकास खण्ड निचलौल की ग्राम पंचायत पिपराकाजी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में राज्य वित्त से दि0 11-12-2020 को प्रधान को मानदेय माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक के 5 माह का रु. 17500.00 भुगतान किया गया है जिसकी ई-ग्राम स्वराज में दि0 10-12-2020 को वा0 सं0 4टीएचएसएफसी/2020-21/पी/12 पर प्रविष्टि की गई है पुनः दि0 18-12-2020 को केन्द्र वित्त से प्रधान को मानदेय माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक के 5 माह का रु. 17500.00 भुगतान किया गया है जिसकी ई-ग्राम स्वराज में दि0 17-12-2020 को वा0 सं0 एक्सवीएफसी/2020-21/पी/5 पर प्रविष्टि की गई है। इससे स्पष्ट है कि रु.17500.00 का दुबारा भुगतान कर इसका अपहरण किया गया है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री प्रकाश पटेल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः आधा- आधा भाग यानि रु. 8750.00 प्रत्येक से ग्राम प्रधान श्री प्रकाश पटेल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक पटेल से व्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22- विकास खण्ड पनियरा की ग्राम पंचायत हरिरामपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दू 2 अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय रु0 2500.00 से बढ़ाकर रु0 3500.00 प्रति माह किया गया है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत को ग्राम निधि प्रथम के ऑफलाइन रोकड बही के अनुसार दिनांक 07.10.20 को माह फरवरी-20 से सितम्बर-20 तक 08 माह का मानदेय भुगतान डोंगल द्वारा कुल रु0 28000.00 किया गया है, जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक सं0 4टीएचएसएफसी/2020-21/पी/1 द्वारा भुगतानित दर्शित है, तथा दिनांक 19.12.20 को पुनः माह फरवरी-20 से माह नवम्बर-20 तक कुल 10 माह का मानदेय रु0 35000.00 भुगतान किया गया है जो ऑनलाइन रोकडबही के प्रमाणक सं0 4टीएचएसएफसी/2020-21/पी/3 के द्वारा भुगतान दर्शित है। इस प्रकार ग्राम प्रधान को माह फरवरी-20 से माह सितम्बर-20 तक 8 माह का रु0 28000.00 मानदेय दोबार भुगतान किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्री रमेश से रु0 28000.00 क्षतिपूर्ति जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रु0 28000.00 का आधा भाग रु0 14000.00 प्रधान श्री रमेश से तथा आधा भाग रु0 14000.00 सचिव श्री ओम प्रकाश सिंह से व्याज सहित क्षतिपूर्ति कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23- विकास खण्ड पनियरा की ग्राम पंचायत खँचा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दू 2 अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय रु0 2500.00 से बढ़ाकर रु0 3500.00 प्रति माह किया गया है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत को ग्राम निधि प्रथम के ऑफलाइन रोकड बही के अनुसार दिनांक 08.07.20 को माह नवम्बर-18 से माह जून-20 तक 20 माह का मानदेय भुगतान डोंगल द्वारा कुल रु0 80500.00 किया गया है, जबकि रु0 3500.00 की दर से 20 माह का रु0 70000.00 ही भुगतान किया

जाना चाहिए था। इस प्रकार ग्राम प्रधान को तीन माह का ₹0 10500.00 अधिक मानदेय भुगतान किया गया है। जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक सं0 4टीएचएसएफसी/2020-21/पी/1 द्वारा भुगतानित दर्शित है। अतः अधिक भुगतानित मानदेय ₹0 10500.00 के लिए सचिव श्री ओमप्रकाश सिंह तथा प्रधान श्री जयप्रकाश उत्तरदायी है। अधिक भुगतान ₹0 10500.00 की क्षतिपूर्ति प्रधान श्री जयप्रकाश से जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ₹0 10500.00 का आधा भाग ₹0 5250.00 प्रधान श्री जयप्रकाश से तथा आधा भाग ₹0 5250.00 सचिव श्री ओम प्रकाश सिंह से व्याज सहित क्षतिपूर्ति कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24- विकास खण्ड परतावल की ग्राम पंचायत बैरिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में प्रधान को मानदेय ₹0 35000.00 विभिन्न तिथियों में दिया गया है जो 10 माह का है दिनांक 29.07.20 को मानदेय माह अप्रैल 2020 से दिया गया है। इस प्रकार 10 माह का मानदेय माह जनवरी-21 तक का दिया गया है जबकि प्रधान का कार्यकाल दिनांक 25.12.20 को ही समाप्त हो गया है। अतः ₹0 4178.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री रणजीत सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रद्युम्न प्रजापति से सव्याज आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25- विकास खण्ड परतावल की ग्राम पंचायत अमवां के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 07.12.20 को 12 माह का मानदेय 42000.00 ₹0 एवं दिनांक 17.12.20 को पुनः 10 माह का मानदेय ₹0 35000.00 यानि 22 माह का ₹0 77000.00 भुगतान किया गया है। जबकि प्रधान का कार्यकाल दिनांक 25.12.20 को ही समाप्त हो गया था। प्रधान को मात्र 20 माह 25 दिन का मानदेय देय है (प्रियासाफ्ट के अनुसार) किन्तु भुगतान 22 माह का किया गया है इस प्रकार ₹0 4178.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीतादेवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार से सव्याज आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26- विकास खण्ड परतावल की ग्राम पंचायत महुआ महुई के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 18.12.20 को प्रधान को 17 माह का मानदेय ₹0 59500.00 दिया गया है किन्तु अवधि अंकित नहीं किया गया है। प्रिया साफ्ट ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2019-20 में किये गये भुगतान से स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 18-12-20 को माह जनवरी 2021 तक मानदेय दिया गया है जबकि प्रधान कार्यकाल 25-12-20 को ही समाप्त हो गया है। अतः ₹0 4178.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुदीश एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधीर सिंह से सव्याज आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27- विकास खण्ड परतावल की ग्राम पंचायत पिपराखादर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 09.12.20 को आर0ओ0 प्लान्ट स्थापना पर व्यय 497150.00 कोषबही में दर्शाया गया है जिसके संबंध में निम्न आपत्तियां रही-

1- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार सामग्री क्रय करने में ₹0 1 लाख तक कोटेशन एवं 1 लाख से अधिक की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, किन्तु ग्राम पंचायत में ₹0 497150.00 के आर0ओ0 प्लान्ट क्रय ए0एस0 वाटर इन्डस्ट्री महाराजगंज से किया गया है। यह क्रय टेण्डर द्वारा नहीं किया गया है अर्थात् इस क्रय में टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी सुश्री प्रियंका दूबे एवं प्रधान श्री शत्रुघ्न चौरसिया संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

2- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय प्रमाणक पर बुक सं0 एवं सीरियल सं0 प्रिन्टेड न होकर पेन से अंकित किया गया है जो आपत्तिजनक है। वाउचर का विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक	विवरण	धनराशि	बुक क्रमांक	सीरियल क्रमांक
02.12.20	आर0ओ0 प्लान्ट	275000.00	02	02
05.12.20	चिलर ए0टी0एम0 वाटर	222150.00	02	03

3- आरओ0 प्लान्ट के उदघाटन के फोटोग्राफ्स में रेट लिस्ट 2रू-2ली0, 5रू0-5ली0, 10रू0-10ली0 अंकित पाया गया है किन्तु दिनांक 31.03.2021 तक इससे कोई आय प्राप्त नहीं दर्शाया गया है जो आपत्तिजनक है। यह राजस्व संग्रह के प्रति ग्राम पंचायत अधिकारी की उदासीनता का द्योतक है। इसके प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-28- विकास खण्ड परतावल की ग्राम पंचायत बनकटिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 07.08.20 को प्रधान को माह मार्च से जुलाई-2020 के लिए रू0 17500.00 मानदेय दिया गया है। पुनः दिनांक 20.12.20 को 6 माह का रू0 21000.00 मानदेय दिया गया है अर्थात् जनवरी 2021 तक का मानदेय दिया गया है जबकि प्रधान कार्यकाल 25-12-20 को ही समाप्त हो गया है। अतः रू0 4178.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रद्युम्न प्रजापति से सव्याज आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-29- विकास खण्ड परतावल की ग्राम पंचायत बेलवाबुजुर्ग के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि आलोच्य वर्ष में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार निम्नलिखित आहरण ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है-

दिनांक	विवरण	धनराशि
03.09.20	सामग्री नाली निर्माण	63945.00
19.12.20	प्रशासनिक व्यय	15110.00
18.12.20	हैण्डपंप मरम्मत	22955.00
15.12.20	खण्डजा कार्य	36572.00
17.09.20	नाली निर्माण	52048.00
	योग-	190630.00

उक्त आहरण के संबन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

- 1- उक्त आहरण की प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी है।
- 2- उक्त आहरण से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
- 3- उक्त आहरण की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में उससे संबन्धित वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दू 8क में अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रू0 190630.00 के व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। अपुष्ट एवं अप्रमाणित होने से यह स्पष्ट है कि रू0 190630.00 की क्षति संस्था को पहुँचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गीतादेवी से आधा-आधा भाग यानि रू0 95315.00 प्रत्येक से सव्याज क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30- विकास खण्ड परतावल की ग्राम पंचायत बेलवा बुजुर्ग के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 14.12.20 को रू0 31500.00 प्रधान को मानदेय माह अप्रैल से दिसम्बर-2020 तक का दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधान को पूरे दिसम्बर माह का मानदेय दिया गया है, जबकि प्रधान कार्यकाल 25-12-20 को ही समाप्त हो गया है। अतः रू0 678.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार से सव्याज आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31- विकास खण्ड परतावल की ग्राम पंचायत भरगांवा ऊर्फ लक्ष्मीपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि आलोच्य वर्ष में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार निम्नलिखित आहरण ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है-

दिनांक	विवरण	धनराशि

10.11.20	राबिश टुकड़ा	51832.00
14.07.20	हैण्डपंप मरम्मत	27168.00
08.10.20	खण्डजा मरम्मत सामग्री	13000.00
07.11.20	खण्डजा मरम्मत	24120.00
	योग-	116120.00

उक्त आहरण के संबंध में निम्न आपत्तियां हैं-

- 1- उक्त आहरण की प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी है।
- 2- उक्त आहरण से संबंधित स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
- 3- उक्त आहरण की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में उससे संबंधित वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दू 8क में अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ₹ 116120.00 के व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। अपुष्ट एवं अप्रमाणित होने से यह स्पष्ट है कि ₹ 116120.00 की क्षति संस्था को पहुँचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा से आधा-आधा भाग यानि ₹ 58060.00 प्रत्येक से सव्याज क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-32- विकास खण्ड परतावल की ग्राम पंचायत भरगांवा ऊर्फ लक्ष्मीपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में दिनांक 31.08.20 को ₹ 21000.00 प्रधान को मानदेय माह फरवरी से जुलाई-20 तक का किया गया है। पुनः दिनांक 07.10.2020 को ₹ 10500.00 एवं दिनांक 09.12.20 को 10500.00 का मानदेय दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रधान को माह जनवरी-21 तक का मानदेय दिया गया है, जबकि प्रधान कार्यकाल 25-12-20 को ही समाप्त हो गया है। अतः ₹ 4178.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार से सव्याज आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33- विकास खण्ड बृजमनगंज की ग्राम पंचायत चैनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्रा०पं० चैनपुर की कोषबही में दिनांक - 04/07/20 को धनराशि ₹ 25,800.00 का व्यय स्वच्छता सामग्री क्रय हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि ₹ 25,800.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती विन्दू तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री कौशलेन्द्रकुशवाहा उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः ₹ 12,900.00 व ₹ 12,900.00 की सव्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34- विकास खण्ड बृजमनगंज की ग्राम पंचायत खडखोडा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्रा०पं० खडखोडा की कोषबही में दिनांक - 02/09/20 को धनराशि ₹ 7,200.00 का व्यय 10 अदद इंडिया मार्का- 2 हाथनल मरम्मत हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि ₹ 7,200.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रदीप तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री गुड्डू प्रसाद उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः ₹ 3,600.00 व ₹ 3,600.00 की सव्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35- विकास खण्ड बृजमनगंज की ग्राम पंचायत परासखाड के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० परासखाड** की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रु० 34,760.00 का व्यय स्वच्छता सामग्री हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 34,760.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री जनार्दन तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री विवेकानन्द राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 17,380.00 व रु० 17,380.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	18 जून 20	11,200.0	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
2	12 नवम्बर 20	23,560.0	स्वच्छता सामग्री पर व्यय
	योग	34,760.0	

प्रस्तर-36- विकास खण्ड बृजमनगंज की ग्राम पंचायत एकडेगवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० एकडेगवा** की कोषबही में दिनांक - 19/06/20 को धनराशि रु० 28,500.00 का व्यय स्वच्छता सामग्री हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 28,500.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री महबूब तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री प्रमोद कुमार यादव उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 14,250.00 व रु० 14,250.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37- विकास खण्ड बृजमनगंज की ग्राम पंचायत सोनचिरैया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० सोनचिरैया** की कोषबही में दिनांक - 31/08/20 को धनराशि रु० 33,025.00 का व्यय स्वच्छता सामग्री हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 33,025.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन राय तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री गुड्डू प्रसाद उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 16,512.50 व रु० 16,512.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-38- विकास खण्ड बृजमनगंज की ग्राम पंचायत कवलपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० कवलपुर** की कोषबही में दिनांक - 03/06/20 को धनराशि रु० 57,240.00 का व्यय इंडिया मार्का- 2 हाथनल मरम्मत/रिबोर हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 57,240.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री कैलाशी तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री रामनाथ उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 28,620.00 व रु० 28,620.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-39- विकास खण्ड धानी की ग्राम पंचायत नौसागर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा.पं. नौसागर** की कोषबही में दिनांक - 12/11/20 को धनराशि रु० 51,850.00 का व्यय स्वच्छता सामग्री क्रय हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 51,850.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री रमापति तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री ऋषिकेश पटेल उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से रु० 25,925.00 व रु० 25,925.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40- विकास खण्ड धानी की ग्राम पंचायत बेलसड के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा.पं. बेलसड** की कोषबही में दिनांक - 09/11/20 को धनराशि रु० 65,750.00 का व्यय स्वच्छता सामग्री क्रय हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 65,750.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री ऋषिकेश पटेल उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से रु० 32,875.00 व रु० 32,875.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत बोकवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं.रा.अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा.पं. बोकवा** की कोषबही में रु० 31,500.0 का भुगतान अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री शिव सागर पाण्डेय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-42- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत देवपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं.रा.अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा.पं. देवपुर** की कोषबही में रु० 31,500.0 का भुगतान अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार वर्मा तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री शिव सागर पाण्डेय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत परसापाण्डेय के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं.रा.अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम

निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० परसा पाण्डेय** की कोषबही में रु० 42,000.0 का भुगतान जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री जनार्दन तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री शिव सागर पाण्डेय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सव्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-44- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत धुस्वाकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं०रा०अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० धुस्वा कला** की कोषबही में रु० 31,500.0 का भुगतान अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान मु० युनुस तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री शिव सागर पाण्डेय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सव्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-45- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत मोगलहा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं०रा०अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० मोगलहा** की कोषबही में रु० 31,500.0 का भुगतान अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती फाखरा तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री शिव सागर पाण्डेय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सव्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत चैनपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं०रा०अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० चैनपुर** की कोषबही में रु० 35,000.0 का भुगतान मार्च, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्दावती तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री कौशलेन्द्रकुशवाहा उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सव्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-47- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत बड़हरा विशम्भरपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं०रा०अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० बड़हराविशम्भरपुर** की कोषबही में रु० 38,500.0 का

भुगतान फरवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कवारी तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री कृष्ण मोहन वर्मा उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत परसौनी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं०रा०अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० परसौनी** की कोषबही में रु० 21,000.0 का भुगतान जूलाई, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान मो० अख्तर हुसैन तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री कौशलेन्द्रकुशवाहा उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत जमुरहाकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं०रा०अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० जमुरहा कला** की कोषबही में रु० 73,500.0 का भुगतान अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुधाकर तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री कौशलेन्द्रकुशवाहा उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत रजापुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं०रा०अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० रजापुर** की कोषबही में रु० 31,500.0 का भुगतान अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री पन्नेलाल तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री कृष्ण मोहन वर्मा उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत परसौनीकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० परसौनी कला** की कोषबही में दिनांक - 01/10/2020 को धनराशि रु० 61,080.00 का व्यय स्वच्छता सामग्री क्रय कार्य हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय

अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 61,080.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती हेमवन्ती तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री मिलिंद चौधरी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 30,540.00 व रु० 30,540.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है। प्रत्येक से क्रमशः रु० 30,540.00 व रु० 30,540.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत भैसहिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० भैसहिया** की कोषबही में दिनांक - 02/07/2020 को धनराशि रु० 50,037.00 का व्यय 2 अदद इंडिया मार्का- 2 हाथनल मरम्मत हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 50,037.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री पारस तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री दिनेश राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 25,018.50 व रु० 25,018.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-53- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० रघुनाथपुर** की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त से धनराशि रु० 17,500.00 का व्यय ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। किंतु ग्राम प्रधान का मानदेय राज्य वित्त पर भारित है। केन्द्रीय वित्त से मानदेय का आहरण गंभीर वित्तीय अनियमितता व अनुदान का दुरुपयोग है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	कार्य का नाम
1	21 अक्टूबर 20	10,500.00	ग्राम प्रधान मानदेय
2	18 दिसम्बर 20	7,000.00	ग्राम प्रधान मानदेय
	योग-	17,500.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री दिनेश राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 8,750.00 व रु० 8,750.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-54- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत भगवानपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं०रा०अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० भगवानपुर** की कोषबही में रु० 31,500.0 का भुगतान अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। ध्यातव्य हो कि प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था अतः दिसंबर माह का मानदेय 25 दिनों के लिए रु० 2,823.00 की जगह रु० 3,500.00 दे कर रु० 677.00 का अतिरिक्त भुगतान कर अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री कौशलेन्द्रकुशवाहा उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 338.50 व रु० 338.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-55- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत बकैनिया हरैया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **ग्रा०पं० बकैनियाहरैया** की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रु० 1,04,600.00 का व्यय इंडिया मार्का- 2 हाथनल मरम्मत कार्य हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य

से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8 के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 1,04,600.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	21 अगस्त 20	42,800.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
2	8 दिसम्बर 20	28,600.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
3	28 दिसम्बर 20	33,200.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
	योग-	1,04,600.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामजीत तथा गा.पं./वि. अधि. श्री कौशलेन्द्रकुशवाहा उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 52,300.00 व रु० 52,300.00 की सव्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-56- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत सिसवा तौफीर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में गा०पं० सिसवातौफीर की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रु० 1,15,631.00 का व्यय इंडिया मार्का- 2 हाथनल मरम्मत/रिबोर हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8 के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 1,15,631.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	20 जुलाई 20	29,325.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
2	20 जुलाई 20	30,266.00	हैंडपंपरिबोर पर व्यय
3	20 जुलाई 20	29,315.00	हैंडपंपरिबोर पर व्यय
4	26 जुलाई 20	26,725.00	हैंडपंपरिबोर पर व्यय
	योग-	1,15,631.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री अनिरुद्ध तथा गा.पं./वि. अधि. श्री मिलिंद चौधरी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 57,815.50 व रु० 57,815.50 की सव्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-57- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत बटईडीहा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में गा०पं० बटईडीहा की कोषबही में दिनांक - 21/08/2020 को धनराशि रु० 18,050.00 का व्यय इंडिया मार्का- 2 हाथनल मरम्मत/रिबोर हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8 के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 18,050.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती जुबैदा खातून तथा गा.पं./वि. अधि. श्री दिनेश राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 9,025.00 व रु० 9,025.00 की सव्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-58- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत बरगदवा अयोध्या के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में गा०पं० बरगदवा अयोध्या की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों

में धनराशि रु० 1,19,666.00 का व्यय इंडिया मार्क- 2 हाथनल मरम्मत/रिबोर हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 1,19,666.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	4 मई 20	10,500.00	इंडिया मार्क-II हैंडपंप मरम्मत कार्य पर व्यय
2	24 नवम्बर 20	1,09,166.00	इंडिया मार्क-II हैंडपंप मरम्मत कार्य पर व्यय
	योग-	1,19,666.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री संजय तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री दिनेश राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 59,833.00 व रु० 59,833.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-59- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत बरगदवा अयोध्या के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पं०रा०अनु०-1 के आदेश सं०- 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक- 22/11/2016 के बिंदु 2(अ) के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2,500/- से बढ़ा कर 3,500/- मासिक किया गया, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में ग्रा०पं० बरगदवा अयोध्या की कोषबही में रु० 31,500.00 का भुगतान अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2020 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। जो कि 8 महीनों के मानदेय के लिए रु० 3,500.00 /माह की दर से रु० 28,000.00 ही होता है। अतः स्पष्ट है कि रु० 3,500.00 का अधिक भुगतान कर अपहरण किया गया है।

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री संजय तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री दिनेश राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 1,750.00 व रु० 1,750.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-60- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत हथियागढ़ के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्रा०पं० हथियागढ़ की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रु० 1,24,700.00 का व्यय इंडिया मार्क- 2 हाथनल मरम्मत हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 1,24,700.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	11 सितम्बर 20	42,500.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
2	8 जून 20	82,200.00	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
	योग	1,24,700.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र तथा ग्रा.पं./वि. अधि. श्री दिनेश राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 62,350.00 व रु० 62,350.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत बहोरपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्रा०पं० बहोरपुर की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रु० 2,10,100.00 का व्यय इंडिया मार्क- 2 हाथनल मरम्मत/रिबोर हेतु होना दर्शित है। उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत

रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 2,10,100.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	29 मार्च 21	1,77,000.00	हैंडपंपरिबोर कार्य पर केंद्रीय व्यय
2	29 मार्च 21	33,100.00	हैंडपंप मरम्मत कार्य पर राज्य वित्त व्यय
	योग-	2,10,100.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान मो० शब्बीरअहमद तथा गा.पं./वि. अधि. श्री मिलिंद चौधरी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 1,05,050.00 व रु० 1,05,050.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-62- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत करैलिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **गा०पं० करैलिया** की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रु० 47,430.00 का व्यय विभिन्न कार्यों हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 47,430.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	29 मार्च 21	19,430.00	इंडिया मार्क-II हैंडपंप मरम्मत पर व्यय (राज्य वित्त)
2	29 मार्च 21	28,000.00	सोलरलाईट क्रय /स्थापना पर व्यय (केंद्रीय वित्त)
	योग-	47,430.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश तथा गा.पं./वि. अधि. श्री दिनेश राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 23,715.00 व रु० 23,715.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत अजगरहा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **गा०पं० करैला अजगरहा** की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रु० 1,44,750.00 का व्यय विभिन्न कार्यों हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 1,44,750.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	1 जुलाई 20	93,800.00	स्वच्छता सामग्री क्रय पर व्यय
2	19 सितम्बर 20	50,950.00	सफाई किट क्रय पर व्यय
	योग-	1,44,750.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आरती तथा गा.पं./वि. अधि. श्री मिलिंद चौधरी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 72,375.00 व रु० 72,375.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-64- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत सिंहपुरकला के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **गा०पं० सिंहपुर कला** की कोषबही में दिनांक - 30/04/20 को धनराशि रु० 18,040.00 का व्यय निविदा विज्ञापन व थर्मल स्कैनर हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय में उल्लिखित मर्दे नितांत विपरीत प्रकृति की हैं, कोई समाचार पत्र थर्मल स्कैनर बिक्री नहीं करता, अतः दोनों कार्यों पर एक फर्म / व्यक्ति को

भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। साथ ही उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 18,040.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री भीमसेन तथा गा.पं./वि. अधि. श्री दिनेश राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 9,020.00 व रु० 9,020.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-65- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत मुडली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **गा०पं० मुडली** की कोषबही में निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में धनराशि रु० 1,64,400.00 का व्यय इंडिया मार्क- 2 हाथनल मरम्मत हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 1,64,400.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	16 जुलाई 20	82,200.00	इंडिया मार्क-II हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
2	22 जुलाई 20	82,200.00	इंडिया मार्क-II हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
	योग-	1,64,400.00	

इसके लिए ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार पटेल तथा गा.पं./वि. अधि. श्री दिनेश राय उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 82,200.00 व रु० 82,200.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-66- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत एकसड़वा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **गा०पं० एकसड़वा** की कोषबही में दिनांक - 29/03/2021 को धनराशि रु० 1,36,000.00 का व्यय 10 अदद इंडिया मार्क- 2 हाथनल मरम्मत हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 1,36,000.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती भानमती तथा गा.पं./वि. अधि. श्री मिलिंद चौधरी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 68,000.00 व रु० 68,000.00 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-67- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत नौवाडीह उर्फ देवपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में **गा०पं० नौवाडीह उर्फ देवपुर** की कोषबही में दिनांक - 15/09/20 को धनराशि रु० 54,723.00 का व्यय मो. रजा के घर से पक्की नाली निर्माण पर सामग्री क्रय हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व सत्यापित स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। साथ ही कार्य पर कोई मजदूरी व्यय भी कोषबही में दर्शित नहीं रहा जिससे व्यय अवास्तविक प्रमाणित होता है। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के बिन्दु - 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रु० 54,723.00 का कोषबही से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री हनुमान तथा गा.पं./वि. अधि. श्री मिलिंद चौधरी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमशः रु० 27,361.50 व रु० 27,361.50 की सब्याजबसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-68- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत खजुरिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को दर्शाया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायें जाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 468855.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती अंजली देवी एवं सचिव श्री अमरेन्द्र पटेल द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी सव्याज वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	योजना का नाम
1	29.05.2020	35900.00	हैण्डपंप मरम्मत	राज्य वित्त
2	29.05.2020	224794.00	8 हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
3	01.11.2020	56800.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
4	17.11.2020	28400.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
5	27.11.2020	52000.00	हैण्डपंप मरम्मत	राज्य वित्त
6	17.12.2020	28400.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
	योग-	426294.00		

प्रस्तर-69- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत खजुरिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	31.05.2020	20850.00	स्वच्छता सामग्री
2	13.11.2020	24920.00	स्वच्छता सामग्री
3	12.12.2020	14930.00	स्वच्छता सामग्री
	योग-	60700.00	

इस प्रकार ₹0 60700.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली देवी एवं सचिव श्री अमरेन्द्र पटेल द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-70- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत सेखुई के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्क-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जांच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 219970.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री सर्वात्मन विश्वकर्मा द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी सव्याज वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण	योजना का नाम
1	11.11.2020	78666.00	हैण्डपंप मरम्मत	राज्य वित्त
2	11.11.2020	28400.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
3	11.11.2020	85200.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
4	08.11.2020	27710.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
	योग-	219970.00		

प्रस्तर-71- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत सेखुई के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में प्रशासनिक मद/स्टेशनरी/स्वच्छता सामग्री में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	28.05.2020	20850.00	स्वच्छता सामग्री
2	30.07.2020	35057.00	स्वच्छता सामग्री
3	17.08.2020	19385.00	स्वच्छता सामग्री
4	17.08.2020	13925.00	प्रशासनिक मद/स्टेशनरी
5	15.09.2020	20750.00	स्वच्छता सामग्री
6	11.11.2020	27725.00	स्वच्छता सामग्री
7	20.11.2020	15500.00	प्रशासनिक मद/स्टेशनरी

8	08.12.2020	27725.00	स्वच्छता सामग्री
9	21.12.2020	13925.00	प्रशासनिक मद/स्टेशनरी
	योग-	194842.00	

इस प्रकार ₹0 194842.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री सर्वोत्तम विश्वकर्मा द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-72- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत परसौनी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जांच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 185374.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती मजीबुननिशा एवं सचिव श्री अविनाश श्रीवास्तव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	17.08.2020	23235.00	हैण्डपंप रिबोर
2	17.08.2020	22535.00	हैण्डपंप रिबोर
3	15.12.2020	21974.00	हैण्डपंप मरम्मत
4	15.12.2020	70485.00	3 हैण्डपंप रिबोर
5	31.03.2021	47145.00	2 हैण्डपंप रिबोर
	योग-	185374.00	

प्रस्तर-73- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत परसौनी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में स्वच्छता सामग्री/राबिश टुकड़ा में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	14.08.2020	9325.00	सफाई सामग्री

2	17.08.2020	9990.00	सफाई सामग्री
3	17.08.2020	26230.00	राबिश टुकड़ा
	योग-	45665.00	

इस प्रकार ₹0 45665.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती मजीबुननिशा एवं सचिव श्री अविनाश श्रीवास्तव द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-74- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत धरमौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में दर्शित विभिन्न कार्य/मदों की व्यय पत्रावली (प्रमाणक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	26.05.2020	94371.00	प्रा० वि० धरमौली में मिट्टी भराई कार्य। (52161.00+42210.00)
2	13.07.2020	49140.00	राबिश क्रय
3	07.09.2020	64580.00	राबिश क्रय व मजदूरी
4	25.11.2020	86000.00	स्वच्छता सामग्री क्रय
	योग-	294099.00	

इस प्रकार ₹0 294099.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री कन्हैया एवं सचिव श्री नागेन्द्र पाण्डेय द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-75- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत मधुबनी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्क-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जांच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस०पी०आर०/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 183110.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती गुडडी देवी एवं सचिव श्री नागेन्द्र पाण्डेय द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	योजना का नाम

1	08.06.2020	41210.00	हैण्डपंप मरम्मत	राज्य वित्त
2	17.08.2020	56800.00	2 हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
3	07.09.2020	28400.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
4	14.12.2020	28300.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
5	24.12.2020	28400.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
	योग-	183110.00		

प्रस्तर-76- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत मधुबनी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में प्रशासनिक मद/स्टेशनरी/स्वच्छता सामग्री में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	08.06.2020	75454.00	स्वच्छता सामग्री
2	21.09.2020	85040.00	स्वच्छता सामग्री
3	17.10.2020	35520.00	स्वच्छता सामग्री
4	23.10.2020	6115.00	प्रशासनिक मद/स्टेशनरी
5	13.11.2020	25709.00	स्वच्छता सामग्री
6	24.12.2020	44220.00	स्वच्छता सामग्री
7	21.10.2020	66271.00	प्रशासनिक मद/स्टेशनरी
	योग-	338059.00	

इस प्रकार ₹0 338059.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती गुडडी देवी एवं सचिव श्री नागेन्द्र पाण्डेय द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत रामपुर मीर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्को-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायें जाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम

8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 73000.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती कुसुम देवी एवं सचिव श्री बिकाउ प्रसाद द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	योजना का नाम
1	16.07.2020	46500.00	हैण्डपंप मरम्मत	राज्य वित्त
2	28.12.2020	26500.00	हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
	योग-	73000.00		

प्रस्तर-78- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत रामपुर मीर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में प्रशासनिक मद/स्टेशनरी/स्वच्छता सामग्री में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	17.08.2020	52395.00	सफाई सामग्री
2	20.10.2020	28125.00	सफाई सामग्री
3	02.09.2020	9550.00	प्रशासनिक मद
4	21.11.2020	9350.00	मास्क व साबुन
	योग-	99420.00	

इस प्रकार ₹0 99420.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी एवं सचिव श्री बिकाउ प्रसाद द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-79- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत नन्दना के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्को-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 84000.00 की धनराशि

प्रधान श्रीमती कलावती देवी एवं सचिव श्री बिकाउ प्रसाद द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज साहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	13.11.2020	84000.00	3 नग हैण्डपंप मरम्मत
	योग-	84000.00	

प्रस्तर-80- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत नन्दना के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में प्रशासनिक मद/स्टेशनरी/स्वच्छता सामग्री में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02.10.2020	35730.00	स्वच्छता सामग्री
2	03.11.2020	23770.00	स्वच्छता सामग्री
3	27.11.2020	13900.00	स्वच्छता सामग्री
	योग-	73400.00	

इस प्रकार रू० 73400.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती देवी एवं सचिव श्री बिकाउ प्रसाद द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत परसामीर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस०पी०आर०/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार रू० 94700.00 की धनराशि प्रधान श्री हरिलाल एवं सचिव श्री जयहिन्द द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज साहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	योजना का नाम
1	24.12.2020	94700.00	हैण्डपंप मरम्मत	राज्य वित्त

	योग-	94700.00		

प्रस्तर-82- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत परसामीर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	17.09.2020	14500.00	प्रशासनिक मद/कुर्सी, मेज, आदि
2	07.09.2020	15150.00	स्वच्छता सामग्री
	योग-	29650.00	

इस प्रकार ₹0 29650.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री हरिलाल एवं सचिव श्री जयहिन्द द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-83- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत बेलभरिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायें जाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एसओपी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 63521.00 की धनराशि प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं सचिव श्री अविनाश श्रीवास्तव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	31.03.2020	17331.00	हैण्डपंप मरम्मत
2	28.12.2020	46190.00	हैण्डपंप रिबोर (2*23095)
	योग-	63521.00	

प्रस्तर-84- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत बेलभरिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरणानुसार स्वच्छता सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृत पत्र अप्राप्त रहा। इस प्रकार ₹0 11335.00

की धनराशि की श्री अविनाश श्रीवास्तव, सचिव एवं प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप किया जाना अपेक्षित है-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	19.08.2020	11335.00	स्वच्छता सामग्री क्रय
	योग-	11335.00	

प्रस्तर-85- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत बेलभरिया के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.2021 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹ 16007.00 राज्य वित्त से प्राप्त दर्शित है, जबकि उक्त धनराशि को कैशबुक में निकासी दर्शाकर अवास्तविक व्यय अंकित किया गया है। इस प्रकार कैशबुक में लेखा नियमों के विपरीत व्यय दशार्क गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिससे लिए प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं सचिव श्री अविनाश श्रीवास्तव जिम्मेदार है। जिसके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-86- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत पनेवा पनेई के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹ 255429.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती सफीकुननिशां एवं सचिव श्री राजन गुप्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	योजना का नाम
1	24.03.2021	113532.00	4 हैण्डपंप रिबोर	15 वॉ वित्त
2	31.03.2021	141897.00	5 हैण्डपंप रिबोर	15 वॉ वित्त
	योग-	255429.00		

प्रस्तर-87- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत पनेवा पनेई के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	21.09.2020	9950.00	प्रशासनिक मद
2	13.11.2020	92690.00	स्वच्छता सामग्री
3	13.11.2020	12590.00	प्रशासनिक मद/स्टेशनरी
4	16.11.2020	36855.00	स्वच्छता सामग्री
5	28.12.2020	46300.00	स्वच्छता सामग्री
	योग-	198385.00	

इस प्रकार ₹0 198385.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती सफीकुननिशा एवं सचिव श्री राजन गुप्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-88- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत चौक के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्को-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जांच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 694905.00 की धनराशि प्रधान श्री विरेन्द्र राव एवं सचिव श्री राजन गुप्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	29.06.2020	49980.00	हैण्डपंप मरम्मत
2	05.08.2020	56800.00	हैण्डपंप रिबोर
3	09.08.2020	56800.00	हैण्डपंप रिबोर
4	17.11.2020	41780.00	हैण्डपंप मरम्मत
5	23.11.2020	86170.00	हैण्डपंप मरम्मत
6	23.11.2020	170400.00	हैण्डपंप रिबोर
7	18.12.2020	63775.00	हैण्डपंप मरम्मत
8	27.12.2020	169200.00	हैण्डपंप रिबोर

	योग-	694905.00	

प्रस्तर-89- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत चौक के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में स्वच्छता सामग्री/प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित है, जिसकी वाउचर एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	15.06.2020	44980.00	सफाई सामग्री
2	21.06.2020	44980.00	सफाई सामग्री
3	28.08.2020	10415.00	प्रशासनिक मद
4	04.10.2020	37530.00	सफाई सामग्री
5	04.10.2020	26358.00	प्रशासनिक मद
6	07.10.2020	33620.00	सफाई सामग्री
7	14.10.2020	21325.00	प्रशासनिक मद
8	28.10.2020	18525.00	प्रशासनिक मद
9	17.11.2020	40980.00	सफाई सामग्री
10	23.11.2020	20753.00	सफाई सामग्री
	योग-	299466.00	

इस प्रकार ₹0 299466.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र राव एवं सचिव श्री राजन गुप्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-90- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत चौक के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में राबिश टुकड़ा मद में व्यय दर्शित है, जिसकी वाउचर एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	21.06.2020	45360.00	राबिश टुकड़ा
2	04.10.2020	27877.00	राबिश टुकड़ा
3	07.10.2020	36855.00	राबिश टुकड़ा
	योग-	110092.00	

इस प्रकार ₹0 110092.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र राव एवं सचिव श्री राजन गुप्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत धरमपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्को-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत

के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबंधित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 65750.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती रमावती देवी एवं सचिव श्री जयहिन्द द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	07.12.2020	65750.00	हैण्डपंप मरम्मत
	योग-	65750.00	

प्रस्तर-92- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत धरमपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में स्वच्छता सामग्री/राबिश टुकड़ा मद में व्यय दर्शित है, जिसकी वाउचर एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	06.07.2020	53057.00	राबिश टुकड़ा
2	14.12.2020	10715.00	सफाई सामग्री
	योग-	63772.00	

इस प्रकार ₹0 63772.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती रमावती देवी एवं सचिव श्री जयहिन्द द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-93- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत नन्दाभार के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्का-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबंधित

कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 100820.00 की धनराशि प्रधान श्री सुर्देशन एवं सचिव श्री अविनाश श्रीवास्तव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	31.03.2021	100820.00	हैण्डपंप रिबोर (2*25205.00)
	योग-	100820.00	

प्रस्तर-94- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत मिठौरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर से इंडिया मार्क-2 हाथनल मरम्मत/रिबोर आदि पर अनुदान की धनराशि से व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हाथनल मरम्मत/रिबोर कार्य को कराया गया है किन्तु उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्मत/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नहीं होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबंधित कृत कार्यवाही की जाँच व समीक्षा नहीं की जा सकी। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नहीं है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹0 157000.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती सरिता गुप्ता एवं सचिव श्री नागेन्द्र पाण्डेय द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी व्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	योजना का नाम
1	12.11.2020	73000.00	हैण्डपंप मरम्मत	राज्य वित्त
2	06.05.2020	84000.00	3 नग हैण्डपंप रिबोर	राज्य वित्त
	योग-	157000.00		

प्रस्तर-95- विकास खण्ड मिठौरा की ग्राम पंचायत मिठौरा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार निम्न तिथियों में निम्न दर्शित मद में व्यय दर्शित है, जिसका वाउचर एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में

अप्रस्तुत रहा और न ही स्टॉक पंजिका में अंकित है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	12.11.2020	73500.00	स्वच्छता सामग्री
2	12.11.2020	80000.00	ग्राम पंचायत में नाली सफाई
	योग-	153500.00	

इस प्रकार ₹0 153500.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता गुप्ता एवं सचिव श्री नागेन्द्र पाण्डेय द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी व्याज सहित क्षतिपूर्ति संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-96- विकास खण्ड सिसवा की ग्राम पंचायत पकड़ी सिसवा के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार दिनांक 23.10.2020 को पंचायत भवन में राबिंश टुकड़ा भराई का भुगतान ₹0 84240.00 का किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी। अतः नियमानुसार ₹0 84240.00 का आधा भाग ₹0 42120.00 प्रधान श्री पारस से एवं आधा भाग ₹0 42120.00 सचिव श्री जयहिन्द/तत्कालीन सचिव से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-97- विकास खण्ड सिसवा की ग्राम पंचायत रानीपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार दिनांक 10.12.2020 को विनय कुमार चौहान के घर से पिच रोड तक खंडा कार्य पर ₹0 126336.00 का भुगतान ईट क्रय पर किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी। अतः नियमानुसार ₹0 126336.00 का आधा भाग ₹0 63168.00 प्रधान श्री राधकृष्ण से एवं आधा भाग ₹0 63168.00 सचिव श्री मो० अहलाक/तत्कालीन सचिव से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-98- विकास खण्ड सिसवा की ग्राम पंचायत शिकारपुर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार दिनांक 01.12.2020 को ईश्वर यादव के घर से कनही के घर तक इण्टरलाकिंग मद में ₹0 79845.00 का भुगतान मे० ऑचल इण्टरप्राइजेज व फोटोकॉपियर्स प्रो० को किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी। अतः नियमानुसार ₹0 79845.00 का आधा भाग ₹0 39922.50 प्रधान श्री कमलेश कुमार से एवं आधा भाग ₹0 39922.00 सचिव श्री हरिलाल/तत्कालीन सचिव से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-99- विकास खण्ड सिसवा की ग्राम पंचायत सुगौली के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार दिनांक 30.12.2020 को स्वच्छता मद में ₹0 22900.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ग्राम पंचायत में लागू वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न होने पर व्यय अपहरण माना जाएगा तथा प्रधान एवं सचिव से क्षतिपूर्ति की जाएगी। अतः नियमानुसार ₹0

22900.00 का आधा भाग ₹0 11450.50 प्रधान श्री जलालुद्दीन से एवं आधा भाग ₹0 39922.00 सचिव श्री मो0 अहलाक/तत्कालीन सचिव से व्याज सहित क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

जनपद का नाम: जालौन

मण्डल का नाम: झांसी

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपतियों

1- ग्राम पंचायत-जहटौली

विकास खण्ड कुठौंद

प्रस्तर-1 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा-परीक्षा (ऑफलाइन) में ग्राम-निधि (प्रथम) राज्यवित्त एवं केन्द्र वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि अन्तर्गत वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान धनराशियों से सम्बन्धित अभिलेखों जैसे-कैश-बुक खाता बही बैंक स्टेटमेंट निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य की पत्रावलीयों एवं स्टीमेंट एम0बी0 मास्टर रोल एवं सामग्री खरीद बाउचर कार्यपूर्ति-प्रमाण पत्र मौखिक एवं लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये ग्रा0पं0 अधि0 द्वारा ग्राम पंचायतों के (ग्राम निधि प्रथम) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से प्रतीत होता है कि कराये गये कार्यों के भुगतान की गयी धनराशि नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से व्यय दर्शायी गयी है। अतः ऑनलाइन फीडिंग कैश-बुक (प्रिया साफ्ट)को आधार मानते हुये 2020-21 में भुगतान की गयी कुल धनराशि ₹0 851631.00 ग्रा0पं0अ0 योगेश प्रकाश सोनी व तत्कालीन प्रधान श्री श्याम सिंह व श्री गिरिजाशंकर निरंजन (प्रशासक) से आधी-आधी व्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।
मूल आपति सं0-03

2- ग्राम पंचायत-छानी अहीर

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा-परीक्षा (ऑफलाइन) में ग्राम-निधि (प्रथम) राज्यवित्त एवं केन्द्र वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि अन्तर्गत वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान धनराशियों से सम्बन्धित अभिलेखों जैसे-कैश-बुक खाता बही बैंक स्टेटमेंट निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य की पत्रावलीयों एवं स्टीमेंट एम0बी0 मास्टर रोल एवं सामग्री खरीद बाउचर कार्यपूर्ति-प्रमाण पत्र मौखिक एवं लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये ग्रा0पं0 अधि0 द्वारा ग्राम पंचायतों के (ग्राम निधि प्रथम) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से प्रतीत होता है कि कराये गये कार्यों के भुगतान की गयी धनराशि नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से व्यय दर्शायी गयी है। अतः ऑनलाइन फीडिंग कैश-बुक (प्रिया साफ्ट)को आधार मानते हुये 2020-21 में भुगतान की गयी कुल धनराशि ₹0 836124 ग्रा0पं0अ0 योगेश प्रकाश सोनी व तत्कालीन प्रधान श्री दुर्गा प्रसाद व श्री गिरिजाशंकर निरंजन (प्रशासक) से आधी-आधी व्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।
मूल आपति सं0-03

3- ग्राम पंचायत-पीपरी अठगइयाँ

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा-परीक्षा (ऑफलाइन) में ग्राम-निधि (प्रथम) राज्यवित्त एवं केन्द्र वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि अन्तर्गत वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान धनराशियों से सम्बन्धित अभिलेखों जैसे-कैश-बुक खाता बैंक स्टेटमेंट निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य की पत्रावलीयों एवं स्टीमेंट एम0बी0 मास्टर रोल एवं सामग्री खरीद बाउचर कार्यपूर्ति-प्रमाण पत्र मौखिक एवं लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये ग्रा0पं0 अधि0 द्वारा ग्राम पंचायतों के (ग्राम निधि प्रथम) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से प्रतीत होता है कि कराये गये कार्यों के भुगतान की गयी धनराशि नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से व्यय दर्शायी गयी है। अतः ऑनलाइन फीडिंग कैश-बुक (प्रिया साफ्ट)को आधार मानते हुये 2020-21 में भुगतान की गयी कुल धनराशि ₹0 987440.00 ग्रा0पं0अ0 योगेश प्रकाश सोनी व तत्कालीन प्रधान श्री देवकीनंदन व श्री गिरिजाशंकर निरंजन (प्रशासक) से आधी-आधी व्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

मूल आपति सं0-03

4- ग्राम पंचायत-जखा

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा-परीक्षा (ऑफलाइन) में ग्राम-निधि (प्रथम) राज्यवित्त एवं केन्द्र वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि अन्तर्गत वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान धनराशियों से सम्बन्धित अभिलेखों जैसे-कैश-बुक खाता बैंक स्टेटमेंट निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य की पत्रावलीयों एवं स्टेटमेंट एम0बी0 मास्टर रोल एवं सामग्री खरीद बाउचर कार्यपूर्ति-प्रमाण पत्र मौखिक एवं लिखित रूप से मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये ग्रा0पं0 अधि0 द्वारा ग्राम पंचायतों के (ग्राम निधि प्रथम) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से प्रतीत होता है कि कराये गये कार्यों के भुगतान की गयी धनराशि नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से व्यय दर्शायी गयी है। अतः ऑनलाइन फीडिंग कैश-बुक (प्रिया साफ्ट)को आधार मानते हुये 2020-21 में भुगतान की गयी कुल धनराशि ₹0 1917763.00 ग्रा0पं0अ0 योगेश प्रकाश सोनी व तत्कालीन प्रधान श्री विवेक सिंह व श्री गिरिजाशंकर निरंजन (प्रशासक) से आधी-आधी ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये। मूल आपति सं0-03

विकास खण्ड डकोर

5- ग्राम पंचायत-चौरसी

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 4604-00 था जबकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में प्रधान नगद रूपया 00-00 था उक्त धनराशि का लेखा कैशबुक में न करके अनियमितता की गयी है अतः रूपया 4604-00 की वसूली संबंधित प्रधान श्री अशोक कुमार से की जानी चाहिए। मूल आपति सं0-01

6- ग्राम पंचायत- औंता

प्रस्तर-6 पंचायती राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2016/303८/33-1-2016-175 एम एस / 2016 लखनऊ-दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के निर्देशानुसार प्रधान आकस्मिक खर्च हेतु रूपया 5000=00 नकद रखना ही अनुमत है इससे पूर्व रूपया 1000=00 नकद रखने की अनुमति * थी। आलोच्य वर्ष में 31-03-2021 को प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 5897=00 था जबकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 00=00 (शून्य) दर्शाया गया है। अतः उक्त शासनादेश में अनुमत धनराशि से अधिक नकद रखा गया एवं जिसका लेखा भी कैशबुक में न करके गंभीर अनियमितता की गयी है। अतः रूपया 5897-00 की वसूली संबंधित उत्तरदायी प्रधान से की जानी चाहिए। मूल आपति सं0-01

7- ग्राम पंचायत-जयपुरा

प्रस्तर-7 आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में पास प्रधान नगद रूपया 1978-00 था जबकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में प्रधान नगद रूपया 00-00 था उक्त धनराशि का लेखा कैशबुक में न करके अनियमितता की गयी है अतः रूपया 1978-00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राजकुमारी से की जानी चाहिए मूल आपति सं0-01

विकास खण्ड-महेवा

8- ग्राम पंचायत- सरैनी मुस्तकिल

प्रस्तर-8 आलोच्य वर्ष में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 05.10.2020 को न्यामतपुर रोड पर झाड़ी सफाई/मिट्टी भराई (केंद्रीय वित्त) फर्म/अंप्लाई शैलेंद्र सिंह को ₹0 39999.00 का भुगतान दर्शित है। जिसका व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि ₹0 39999.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए श्री आलोक सेंगर ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं श्री सत्तर सिंह चौहान ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि ₹0 39999.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री आलोक सेंगर ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं श्री सत्तर सिंह चौहान ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से 50-50 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। मूल आपति सं0-02

9- ग्राम पंचायत- पिथरूपुर

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 19.12.2020 को पंचवटी टूठी गार्ड एवं पौधे के वय हेतु अनन्या इंटरप्राइजेज को ₹0 7250.00 का भुगतान दर्शित है। जिसका व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि ₹0 7250.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए श्री रामकुमार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं श्रीमती राजेन्द्री देवी ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि ₹0 7250.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री रामकुमार ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी एवं श्रीमती राजेन्द्री देवी ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से 50-50 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। मूल आपति सं0-03

विकास खण्ड नदीगांव

10- ग्राम पंचायत-खैरावर

प्रस्तर-10 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत खैरावर की कैशबुक में इण्टरलॉकिंग निर्माण ग्राम पंचायत (कार्यस्थल का नाम न दर्शाकर एवं मजदूरी का भुगतान न कर) हेतु ग्राम निधि से दिनांक 02.04.2020 को ₹0-257558.00 का भुगतान मै0 महादेवा ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु किया गया है। उक्त धनराशि का बैंक से दिनांक 02.04.2020 को आहरण हुआ है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को इण्टरलॉकिंग निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली, सामग्री क्रय का व्यय प्रमाणक, एस्टीमेट, एम0बी0 आदि कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं कराया गया।

इससे स्पष्ट होता है कि ₹0-257558.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री संदीप कुमार रावत व प्रधान श्री सुबोध कुमार से आधी-आधी की जानी चाहिए। मूल आपति सं0-12

प्रस्तर-11 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत खैरावर की कैश बुक में ग्राम निधि से दिनांक 25.08.2020 को ₹0-7000.00 स्वच्छता कार्यक्रम हेतु सफाई किट क्रय बावत व्यय दर्शित किया गया है। उक्त धनराशि का बैंक से दिनांक 25.08.2020 को आहरण हुआ। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया।

अतः ₹0-7000.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया। जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री संदीप कुमार रावत व प्रधान श्री सुबोध कुमार से आधी-आधी की जानी चाहिए। मूल आपति सं0-13

11- ग्राम पंचायत-कन्हरपुरा

प्रस्तर-12 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत कन्हरपुरा की कैशबुक में स्वच्छता कार्यक्रम हेतु ग्राम निधि से दिनांक 19.08.2020 को ₹0 37760.00 इस्टबिन क्रय हेतु भुगतान किया गया है तथा दिनांक 25.08.2020 को ₹0 13500.00 सफाई किट हेतु भुगतान किया गया है। इस तरह स्वच्छता कार्यक्रम हेतु कुल ₹0 51260.00 (37760+13500) का भुगतान किया गया है। उक्त धनराशियों को आहरण भी बैंक से उपरोक्त तिथियों में हुआ है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया है।

अतः ₹ 51260.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री संदीप कुमार रावत व प्रधान श्री सुरेश कुमार से आधी-आधी की जानी चाहिए। मूल आपति सं0-04

12- ग्राम पंचायत-कुठौंदा

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत कुठौंदा की कैशबुक में स्वच्छता कार्यक्रम हेतु ग्राम निधि से दिनांक 16.07.2020 को ₹0 12716.00 सेनेटाइजर क्रय हेतु भुगतान किया गया है तथा दिनांक 27.11.2020 को ₹ 21179.00 सफाई किट व कूड़ागाड़ी हेतु भुगतान किया गया है। इस तरह स्वच्छता कार्यक्रम हेतु कुल ₹0 33895.00 (12716+21179) का भुगतान किया गया। उक्त धनराशियों का आहरण भी बैंक से उपरोक्त तिथियों में हुआ है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः ₹0-33895.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री अरूण कुमार व प्रधान श्रीमती राजकुमारी से आधी-आधी की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-12

प्रस्तर -14 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत कुठौंदा की कैशबुक में नाला निर्माण राकेश के घर से भारत के प्लाट तक के लिए ग्राम निधि केन्द्रीय वित्त से दिनांक 24.12.2020 को ₹0 116321.00 तथा दिनांक 26.12.2020 को ₹0 29310.00 का भुगतान किया गया। इस तरह ग्राम निधि केन्द्रीय वित्त से कुल ₹0 145631.00 (116321+29310) का भुगतान किया गया उक्त धनराशियों का बैंक से आहरण उपरोक्त तिथियों में किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को नाला निर्माण की पत्रावली स्टीमेट एम0बी0 एवं मस्टर रोल आदि उपलब्ध न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है। अतः ₹0 145631.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री अरूण कुमार व प्रधान श्रीमती राजकुमारी से आधी-आधी की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-13

13- ग्राम पंचायत-डाबर माधौगढ

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत डाबर माधौगढ की कैशबुक में स्वच्छता कार्यक्रम हेतु ग्राम निधि से दिनांक 09.07.2020 को रूपया 12716.00 सेनेटाइजर क्रय हेतु भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि का बैंक से आहरण 09.07.2020 को हुआ है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया है। अतः रूपया 12716.00 सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री अरूण कुमार व प्रधान श्रीमती ज्योति देवी से आधी-आधी की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-04

प्रस्तर-16 आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत डाबर माधौगढ की कैशबुक में हैण्डपम्प रिबोर राजकिशोर के घर के सामने हेतु ग्राम निधि से दिनांक 17.09.2020 को क्रमशः ₹ 2810.00 रुपये 9005.00 तथा ₹ 28236 कुल ₹ 40051.00 (2810+9005+28236) का भुगतान किया गया। बैंक से दिनांक 17.09.2020 को कुल धनराशि 40051.00 का आहरण किया गया। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को हैण्डपम्प रिबोर की पत्रावली, स्टीमेट, एम0बी0 आदि अभिलेख उपलब्ध न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है।

अतः ₹ 40051.00 की वसूली ब्याज सहित श्री अरूण कुमार तथा प्रधान श्रीमती ज्योति देवी से आधी-आधी की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-05

14- ग्राम पंचायत-सदूपुरा

प्रस्तर-17 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सदूपुरा की कैशबुक में ग्रामनिधि से दिनांक 12.12.2020 को रूपया 3016.00 फोटोकापी एवं टाइपिंग हेतु कृष्णा कम्प्यूटर एण्ड कापीयर्स को भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि को बैंक से दिनांक 12.12.2020 को आहरण हुआ जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया।

अतः ₹0 3016.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री केशवकान्त त्रिपाठी व प्रधान श्रीमती प्रभा देवी से आधी-आधी की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-17

15- ग्राम पंचायत-शिवनी बुजुर्ग

प्रस्तर-18 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत शिवनी बुजुर्ग की कैशबुक में ग्राम निधि से दिनांक 01.12.2020 को सं0 14680.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री बावत व्यय किया गया है। उक्त धनराशि का बैंक से दिनांक 01.12.2020 को आहरण हुआ। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया है।

अतः ₹0 14680.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री केशवकान्त त्रिपाठी एवं प्रधान श्री शिवराज सिंह से आधी-आधी की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-12

16- ग्राम पंचायत-लहूदी

प्रस्तर-19 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत लहूदी की कैशबुक में ग्राम निधि से दिनांक 21.07.2020 को ₹-12840.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री बावत व्यय दर्शित किया गया है, उक्त धनराशि को बैंक से दिनांक 21.07.2020 को आहरण हुआ। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया।

अतः ₹0 12840.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री विवेक गौड़ एवं प्रधान श्रीमती राजोदेवी से आधे-आधे के अनुपात से किया जाना चाहिए। मूल आपति सं0-17

17- ग्राम पंचायत-अनधौरा

प्रस्तर-20 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अनधौरा की कैश बुक में ग्राम निधि से दिनांक 04.10.2020 को ₹ 16750.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री बावत व्यय दर्शित किया गया है। उक्त धनराशि को बैंक से दिनांक 04.10.2020 को आहरण हुआ जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया है।

अतः ₹ - 16750.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित सचिव श्री विवेक गौड़ व प्रधान श्रीमती पूजा देवी से आधे-आधे के अनुपात से किया जाना चाहिए।

मूल आपति सं0-16

18- ग्राम पंचायत-परावर

प्रस्तर-21 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत परावर की कैशबुक में ग्राम निधि से दिनांक 22.12.2020 को ₹0 35120.00 सेनेटाइजर क्रय बावत व्यय दर्शित किया गया है, उक्त धनराशि को बैंक से दिनांक 22.12.2020 को आहरण हुआ जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया।

अतः ₹0 35120.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है, जिसकी बसूली ब्याज सहित सचिव श्री विवेक गौड़ व प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी से आधे-आधे के अनुपात से किया जाना चाहिए। मूल आपति सं0-17

19- ग्राम पंचायत-जुगराजपुरा

प्रस्तर-22 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत जुगराजपुरा की कैशबुक में ग्राम निधि से दिनांक 10.12.2020 को ₹0 5500.00 फोटोकॉपी हेतु कृष्णा कम्प्यूटर को भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि का बैंक से दिनांक 10.12.2020 को आहरण हुआ है, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया है।

अतः ₹0 5500.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री केशवकान्त त्रिपाठी एवं प्रधान श्रीमती कुशमा देवी से आधे-आधे के अनुपात से किया जाना चाहिए।

मूल आपति सं0-04

विकास खण्ड- माधौगढ़

20- ग्राम पंचायत-पडकुला

प्रस्तर-23 -आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) में ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि) के अर्न्तगत वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान धनराशियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों जैसे कैश-बुक, खाता, बैंक स्टेटमेंट, निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य की पत्रावलियों के अर्न्तगत स्टीमेट, एम0बी0, मास्टररोल एवं सामग्री खरीद वाचर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को मौखिक/लिखित रूप से मांगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्रा0पं0अधि0 द्वारा ग्राम पंचायतां के (ग्राम निधि प्रथम) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से प्रतीत होता है कि कराये गये कार्यों के भुगतान की गयी धनराशि नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से उपभोग की गयी है।

अतः ऑनलाइन फीडिंग कैश बुक (प्रियासाफ्ट) को आधार मानते हुये वर्ष 20-21 में भुगतान की गयी कुल धनराशि ₹ 839447.00 की वसूली ग्रा0पं0अधि0 इन्द्रपाल सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री भगवती प्रसाद से आधी/आधी ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-03

21- ग्राम पंचायत -गढिया

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) में ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि) के अर्न्तगत वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान धनराशियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों

जैसे कैश-बुक, खाता, बैंक स्टेटमेंट, निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य की पत्रावलियों के अन्तर्गत स्टीमेट, एम0बी0, मास्टररोल एवं सामग्री खरीद वाउचर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को मौखिक/लिखित रूप से मांगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्रा0प0अधि0 द्वारा ग्राम पंचायतों के (ग्राम निधि प्रथम) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से प्रतीत होता है कि कराये गये कार्यों के भुगतान की गयी धनराशि नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से उपभोग की गयी है।

अतः ऑनलाइन फीडिंग कैश बुक (प्रियासाफ्ट) को आधार मानते हुये वर्ष 20-21 में भुगतान की गयी कुल धनराशि ₹ 570448.00 की वसूली ग्रा0प0अधि0 इन्द्रपाल सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्री तुलाराम राठौर से आधी/आधी ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-03

विकास खण्ड-जालौन

22- ग्राम पंचायत -धन्तौली

प्रस्तर-25 दिनांक 05-09-2020 द्वारा कैशबुक वाउचर नं0 30 द्वारा माह जुलाई 2020 का मानदेय भुगतान ₹0 3500.00 किया गया है और 02-11-2020 को कैशबुक वाउचर नं0 40 द्वारा 3 माह का (जुलाई 2020 से सितम्बर 2020 तक) मानदेय 10500.00 दिया गया है। जब 05-09-2020 को माह जुलाई 2020 का मानदेय निर्गत हो चुका था तो पुनः 02-11-2020 को माह जुलाई 2020 का मानदेय देकर 3500.00 ₹0 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूल 50:50 के अनुपात में ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुशवाहा एवं ग्राम सचिव श्रीमती किरन रावत से की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-4

प्रस्तर-26 वर्ष 2020-21 में प्रशासनिक देय के अन्तर्गत कुल ₹0 35295.00 व्यय किया गया जिसमें दिनांक 06-07-2020 को कैशबुक के वाउचर सं0 13 द्वारा ₹0 5000.00 प्रशासनिक व्यय हेतु भुगतान दर्शित है। यह धन किसे और किस वर्ष के लिये किया गया है। इसकी पुष्टि कोष वही से नहीं होती जिससे स्पष्ट होता है। कि फर्जी तरीके से धन अर्जित कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूल 50:50 के अनुपात में ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुशवाहा एवं ग्राम सचिव श्रीमती किरन रावत से की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-5

23- ग्राम पंचायत -देवरी

प्रस्तर-27 वर्ष 2020-21 में दिनांक 10-11-2020 को मानदेय ग्राम प्रधान माह अगस्त 2020 से सितम्बर 2020 तक का ₹0 10500.00 भुगतान किया गया जबकि दो माह का मानदेय $3500 \times 2 = 7000.00$ होता है। इस प्रकार $10500 - 7000 = 3500$ ₹0 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूल 50:50 के अनुपात में ग्राम प्रधान श्री राम बाबू पटेल एवं ग्राम सचिव श्री मनीष कुमार निरंजन से की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-1

24- ग्राम पंचायत -अलाईपुरा

प्रस्तर-28 वर्ष 2020-21 में कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय दिनांक 05-12-2020 को कुल 28000/- जो माह अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक का दर्शित है। कुल 6 माह का मानदेय $3500 \times 6 = 21000.00$ होता है। जबकि भुगतान 28000/- किया गया है। अन्तर ₹ 28000-21000=7000.00 अधिक भुगतान करके धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूल 50:50 के अनुपात में ग्राम प्रधान श्रीमती हर्ष कुमारी एवं ग्राम सचिव श्री जितेन्द्र कुमार पटेल से की जानी चाहिए।

मूल आपति सं0-2

विकास खण्ड-कदौरा

25- ग्राम पंचायत -पिपरायों

प्रस्तर-29 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) में ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि) के अन्तर्गत वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान धनराशियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों जैसे कैश-बुक, खातावही, बैंक स्टेटमेंट, निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य की पत्रावलियों के अन्तर्गत स्टीमेट,

एम0बी0, मास्टररोल एवं क्रय वाउचर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को मौखिक/लिखित रूप से मांगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षक को उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्रा0पं0अ0 द्वारा ग्राम पंचायत के (ग्राम निधि प्रथम) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से प्रतीत होता है कि कराये गये कार्यों में भुगतान की गयी धनराशि नियम विरुद्ध व मनमाने ढंग से उपभोग कर गम्भीर अनियमितता की गयी है।

अतः ऑनलाइन फीडिंग कैश बुक (प्रियासाफ्ट) को आधार मानते हुये वर्ष 20-21 में भुगतान की गयी कुल धनराशि मु0 2212406.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 सचिव श्री संतोष कुमार वर्मा एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती रुषा देवी से आधी/आधी ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। मूल आपति सं0-03

26- ग्राम पंचायत -मसगौय

प्रस्तर-30 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा (ऑफलाइन) में ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि) के अन्तर्गत वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान धनराशियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों जैसे कैश-बुक, खातावही, बैंक स्टेटमेन्ट, निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य की पत्रावलियों के अन्तर्गत स्टीमेट, एम0बी0, मास्टररोल एवं क्रय वाउचर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को मौखिक/लिखित रूप से मांगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षक को उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्रा0पं0अ0 द्वारा ग्राम पंचायत के (ग्राम निधि प्रथम) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से प्रतीत होता है कि कराये गये कार्यों में भुगतान की गयी धनराशि नियम विरुद्ध व मनमाने ढंग से उपभोग कर गम्भीर अनियमितता की गयी है।

अतः ऑनलाइन फीडिंग कैश बुक (प्रियासाफ्ट) को आधार मानते हुये वर्ष 20-21 में भुगतान की गयी कुल धनराशि मु0 1019158.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 सचिव श्री संतोष कुमार वर्मा एवं प्रधान श्रीमती पारवती तत्कालीन से आधी/आधी ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। मूल आपति सं0-03

27- ग्राम पंचायत -तिरही

प्रस्तर-31 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23.11.20 को पी0एफ0एम0एस0 द्वारा मु0 30.000.00 भुगतान मशीन भाड़ा का तालाब भराई हेतु श्री मंगल सिंह को दिया गया लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के कारण भुगतान धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः पंचायत राज अधिनियम 1965 की धारा 256 के तहत प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर भुगतान धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्रा0पं0अ0 सचिव कु0 विजया रत्नम एवं प्रधान श्री प्रमा तत्कालीन से आधी-आधी की जानी चाहिए। मूल आपति सं0-18

विकास खण्ड-रामपुरा

28- ग्राम पंचायत -नावर

प्रस्तर-32 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत नावर

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 (यभा संशोधित 1994) के नियम सं0 256 (प) तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कि यदि कैशबुक में दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन की श्रेणी में अपहरण मानते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जायेगी। इस प्रकार दिनांक 13.04.2020 को वाउचर सा0-04 पंचायत भवन की रंगाई पुताई का रूपया 45427.00 धनराशि का वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके लिये उत्तरायी व्यक्तियों से आधी-आधी धनराशि श्री रवीन्द्र प्रताप ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु 22713.50 एवं पूर्व प्रधान श्री नाथूराम दोहरे से रु 22713.50 ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। मूल आपति सं0-12

29- ग्राम पंचायत - बाबूपुरा

प्रस्तर-33 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत बबूपुरा 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 (यभा संशोधित 1994) के नियम सं0 256 (प्) तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कि यदि कैशबुक में दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन की श्रेणी में अपहरण मानते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जायेगी। इस प्रकार दिनांक 24.12.2020 को वाउचर सा0-15 प्रा0 पाठशाला की रंगाई पुताई का रूपया 26648.00 धनराशि का वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके लिये उत्तरायी व्यक्तियों से आधी-आधी धनराशि श्री रवीन्द्र प्रताप ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु 13324.00 एवं पूर्व प्रधान श्री संजीव कुमार से रु 13324.00 ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति सं0-12

30-ग्राम पंचायत -पिचौरा

प्रस्तर-34 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत पिचौरा 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 (यभा संशोधित 1994) के नियम सं0 256 (प्) तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कि यदि कैशबुक में दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन की श्रेणी में अपहरण मानते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जायेगी। इस प्रकार दिनांक 28.04.2020 को वाउचर सा0-03 कोविड-19 वचाव हेतु फागगिंग मशीन का रूपया 32270.00 धनराशि का वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके लिये उत्तरायी व्यक्तियों से आधी-आधी धनराशि श्री रवीन्द्र प्रताप ग्रा0पं0 वि0अधि0 से रूपया 16135.00 एवं पूर्व प्रधान श्री जगरूप से रु 16135.00 ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति सं0-12

31- ग्राम पंचायत -गुपलापुर

प्रस्तर-35 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत गुपलापुरा 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 (संशोधित 1994) के नियम सं0 256 (प्) तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कि यदि कैशबुक में दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन की श्रेणी में अपहरण मानते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जायेगी। इस प्रकार दिनांक 07.06.2020 को वाउचर सा0-05 से कोविड-19 वचाव हेतु फागगिंग मशीन का रु 21420.00 धनराशि का वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके लिये उत्तरायी व्यक्तियों से आधी-आधी धनराशि श्री रवीन्द्र प्रताप ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु 10710.00 एवं पूर्व प्रधान श्रीमती ममता देवी से रु 10710.00 ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति सं0-12

विकास खण्ड-कोंच

32-ग्राम पंचायत -भदेवरा

प्रस्तर-36 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत भदेवरा उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 (यभा संशोधित 1994) के नियम सं० 256 (ए) तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कि यदि कैशबुक में दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गवन की श्रेणी में अपहरण मानते हुए व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जायेगी। इस प्रकार दिनांक 28.09.2020 को वाउचर सा०-03 सफाई किट व कूड़ागाड़ी क्रय का रूपया 21195.00 धनराशि का वाउचर आडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके लिये उत्तरायी व्यक्तियों से आधी-आधी धनराशि श्री अभिषेक कुमार यादव ग्रा०पं० वि०अधि० से रूपया 10597.50 एवं पूर्व प्रधान श्री अवधकिशोर से रूपया 10597.50 ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

मूल आपत्ति सं०-12

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

प्रारूप-4

जनपद का नाम - झांसी

मण्डल का नाम- झांसी

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-1

विकासखण्ड बामौर

ग्राम पंचायत - गौती

ग्राम पंचायत गौती में सामुदायिक शौचालय निर्माण कराया गया जिस पर किये गये व्यय का दिनांक व धनराशि सहित

विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

दिनांक 23-10-2020 रिषभ ट्रेडर्स सामग्री क्रय रु०- 195879-00

दिनांक 23-10-2020 रिषभ ट्रेडर्स सामग्री क्रय रु०- 160520-00

दिनांक 23-12-2020 अमल ट्रेडर्स सामग्री क्रय रु०- 190495-00

इस प्रकार से सामुदायिक शौचालय निर्माण पर तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा कुल रु० 546894-00 का भुगतान उपरोक्त फर्म को किया गया लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान किये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न किये जाये तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जानी चाहिये। उक्त नियम के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री विवेक सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विकास वर्मा द्वारा व्यय धनराशि रु० 546894-00 का अपहरण किया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 2

विकासखण्ड मोठ

ग्राम पंचायत बडैरा

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि की कोषबड़ी खाता रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। कोषबड़ी के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपभोग/व्यय रु० 1424265-50 है। ग्राम निधि कोषबड़ी में दर्शित उपभोग/व्यय 1424265-50 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु जारी मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रु० 1424265-50 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन यादव एवं तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 3**विकासखण्ड मोठ****ग्राम पंचायत खिल्ली**

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि की कोषबही खाता रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। कोषबही के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपभोग/व्यय रु० 1700821-00 है। ग्राम निधि कोषबही में दर्शित उपभोग/व्यय 1700821-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु जारी मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रु० 1700821-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बबू राजा एवं तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 4**विकासखण्ड मोठ****ग्राम पंचायत अमरौख**

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि की कोषबही खाता रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। कोषबही के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपभोग/व्यय रु० 2919491-00 है। ग्राम निधि कोषबही में दर्शित उपभोग/व्यय 2919491-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु जारी मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रु० 2919491-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 5**विकासखण्ड मोठ****ग्राम पंचायत भौराघाट**

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि की कोषबही खाता रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। कोषबही के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपभोग/व्यय रु० 2163276-00 है। ग्राम निधि कोषबही में दर्शित उपभोग/व्यय 2163276-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु जारी मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रु० 2163276-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ईश्वर दयाल एवं तत्कालीन सचिव पिन्दू उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 6**विकासखण्ड मौठ****ग्राम पंचायत भुजौंद**

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि की कोषबही खाता रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। कोषबही के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपभोग/व्यय 2681269-00 है। ग्राम निधि कोषबही में दर्शित उपभोग/व्यय 2681269-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु जारी मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रु० 2681269-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमल सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री आनन्द आर्या उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 7**विकासखण्ड मॉठ****ग्राम पंचायत सौजना**

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि की कोषबही खाता रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। कोषबही के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपभोग/व्यय रु० 1977355-00 है। ग्राम निधि कोषबही में दर्शित उपभोग/व्यय 1977355-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत

पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु जारी मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रु० 1977355-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय

दर्शित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री करन सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री आनन्द आर्या उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8**विकासखण्ड गॉठ****ग्राम पंचायत चितगुवा**

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि की कोषबही खाता रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। कोषबही के अनुसार आलोच्य वर्ष 2020-21 में उपभोग/व्यय रु० 1202357-20 है। ग्राम निधि कोषबही में दर्शित उपभोग/व्यय 1202357-20 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु जारी मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर एवं सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम

पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रु० 1202357-20 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय दर्शित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी एवं तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित

प्रस्तर -9 विकासखण्ड गुरसरांय**ग्राम पंचायत लखावती**

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31-03-2020 को नकद रु 1483.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। प्रिया सॉफ्ट एवं कैश बुक में मिलान किया जाना चाहिए एवं अन्तर होने पर प्रधान श्री मोहन सिंह व सचिव श्री ओम प्रकाश निरंजन से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -10 विकासखण्ड गुरसरांय**ग्राम पंचायत गुढा**

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31-03-2020 को नकद रु 3679.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है । प्रिया सॉफ्ट एवं कैश बुक में मिलान किया जाना चाहिए एवं अन्तर होने पर प्रधान श्रीमती राम जानकी व सचिव श्री ओम प्रकाश निरंजन से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -11 विकासखण्ड गुरसरांय**ग्राम पंचायत ढिपकई**

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31-03-2020 को नकद रु 63547.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है । प्रिया सॉफ्ट एवं कैश बुक में मिलान किया जाना चाहिए एवं अन्तर होने पर प्रधान श्रीमती डिंपल व सचिव श्री शिव प्रताप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -12 विकासखण्ड गुरसरांय**ग्राम पंचायत गढा**

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31-03-2020 को नकद रु 3745.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। प्रिया सॉफ्ट एवं कैश बुक में मिलान किया जाना चाहिए एवं अन्तर होने पर प्रधान श्री मानवेंद्र सिंह व सचिव श्री अरविन्द सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -13 विकासखण्ड गुरसरांय**ग्राम पंचायत बिजौरा**

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31-03-2020 को नकद रु 1100.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। प्रिया सॉफ्ट एवं कैश बुक में मिलान किया जाना चाहिए एवं अन्तर होने पर प्रधान श्री सुदर्शन व सचिव श्री प्रदीप सोनी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -14 विकासखण्ड गुरसरांय**ग्राम पंचायत चैकरी**

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार प्रधान के पास दिनांक 31-03-2020 को नकद रु 2050.00 हैं जबकि कैश बुक के अनुसार नकद धनराशि शून्य है। प्रिया सॉफ्ट एवं कैश बुक में मिलान किया जाना चाहिए एवं अन्तर होने पर प्रधान श्री मती संध्या देवी व सचिव श्री प्रदीप सोनी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -15 विकासखण्ड चिरगांव**ग्राम पंचायत चिरगांव देहात**

ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष 2020-21 में बैंक स्टेटमेंट पर दर्शित प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के राज्य वित्त पाँचवाँ वित्त 14वाँ वित्त एवं 15 वाँ वित्त/ केन्द्रीय वित्त मद से रु0 9150932.00 का व्यय किया गया है। उनके सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति बिल मास्टर रोल मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना कार्यवाही रजि० प्रमाणित कोषवही स्वीकृत योजना मानचित्र आरेख विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली कार्य की माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण कार्यपंजिका परिसम्पत्ति पंजिका स्टॉक रजि० इत्यादि लेखा. परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के आधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के कि एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 में यह उल्लेख है कि ष ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय. 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है दो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी अतः प्रमाणक बिहीन तथा नियम विरुद्ध बैंक स्टेटमेंट

के अनुसार दर्शित ध्यय की धनराशि 9150932.00 मे से 50% धनराशि रु0 4575466.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या देवी तथा शेष 50% धनराशि 4575466.00 सचिव ग्राम पंचायत श्री कमलराज दाँगी से जौचोपरान्त स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त वसूली धनराशि तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर -16 विकासखण्ड बबीना

ग्राम पंचायत बमेर

ग्राम पंचायत बमेर वर्ष 2020.21 में दिनांक 02.07.2020 को श्री सत्यम यादव को 4500.00 का स्टेशनरी मद में प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत भुगतान हुआ जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 की धारा 8;क में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न किये जाये तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन प्रधान य सचिव से आधी.2 की जानी चाहिये।

उक्त नियम के आलोक में रु0 4500.00 धनराशि की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री संतोष कुमार गौतम व प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -17 विकासखण्ड बबीना

ग्राम पंचायत डोमागोर

ग्राम पंचायत डोमागार वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 03.05.2020 को श्री सत्यम यादव को रु0 3002.00 को प्रिया सॉफ्ट फीडिंग हेतु भुगतान किया गया जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के बिल व प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय.8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न किये जाये तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए तत्कालीन प्रधान व सचिव से आधी-आधी वसूल की जानी चाहिए। उक्त नियम के आलोक में रु0 3002.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री संतोष कुमार गौतम व प्रधान श्री विमलेश राय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -18 विकासखण्ड बैंगरा

ग्राम पंचायत मगरपुर

ग्राम पंचायत मगरपुर के वित्तीय वर्ष 2020.21 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह सेंगर से बार-बार मौखिक एवं लिखित अभिलेख मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए। प्रिया सॉफ्ट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु० 4174771.70 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए यथा कैशबुक खाता रजिस्टर पासबुक कार्ययोजना स्टाक रजिस्टर व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अचल सम्पत्ति रजिस्टर मांग संकलन चल सम्पत्ति रजिस्टर भण्डार पुस्तिका समेकित सार प्रपत्र सृजित सम्पत्ति रजिस्टर प्राकलन स्टीमेट निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी-आधी की जानी चाहिए । उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजय पाल सिंह सेंगर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी द्वारा व्यय धनराशि रु० 4174771.70 का अपहरण किया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -19 विकासखण्ड बैंगरा

ग्राम पंचायत निनौरा

ग्राम पंचायत निनौरा के वित्तीय वर्ष 2020.21 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह सेंगर से बार-बार मौखिक एवं लिखित अभिलेख मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए। प्रिया सॉफ्ट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020.21 में कुल रु० 1183720.80 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए यथा कैशबुक खाता रजिस्टर पासबुक कार्ययोजना स्टाक रजिस्टर व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अचल सम्पत्ति रजिस्टर मांग

संकलन, चल सम्पत्ति रजिस्टर भण्डार पुस्तिका समेकित सार प्रपत्र सृजित सम्पत्ति रजिस्टर प्राकलन स्टीमेट निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी-आधी की जानी चाहिए। उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजय पाल सिंह सेंगर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती भगवती द्वारा व्यय धनराशि रु० 1183720.80 का अपहरण किया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -20 विकासखण्ड बैंगरा

ग्राम पंचायत खिसनीखुर्द

ग्राम पंचायत खिसनीखुर्द के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह सेंगर से बार. बार मौखिक एवं लिखित अभिलेख मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए। प्रिया सॉफ्ट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020.21 में कुल रु० 2676607.17 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए यथा कैशबुक खाता रजिस्टर पासबुक कार्ययोजना स्टाक रजिस्टर व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अचल सम्पत्ति रजिस्टर मांग संकलन चल सम्पत्ति रजिस्टर भण्डार पुस्तिका समेकित सार प्रपत्र सृजित सम्पत्ति रजिस्टर प्राकलन स्टीमेट निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी-आधी की जानी चाहिए। उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजय पाल सिंह सेंगर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुनती द्वारा व्यय धनराशि रु० 2676607.17 का अपहरण किया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -21 विकासखण्ड बैंगरा

ग्राम पंचायत खिसनीबुजुर्ग

ग्राम पंचायत खिसनीबुजुर्ग के वित्तीय वर्ष 2020.21 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह सेंगर से बार. बार मौखिक एवं लिखित अभिलेख मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए। प्रिया सॉफ्ट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020.21 में कुल रु० 2178177.80 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए यथा कैशबुक खाता रजिस्टर पासबुक कार्ययोजना स्टाक रजिस्टर व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अचल सम्पत्ति रजिस्टर मांग संकलन चल सम्पत्ति रजिस्टर भण्डार पुस्तिका समेकित सार प्रपत्र सृजित सम्पत्ति रजिस्टर प्राकलन स्टीमेट निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी-आधी की जानी चाहिए। उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अजय पाल सिंह सेंगर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी द्वारा व्यय धनराशि रु० 2178177.80 का अपहरण किया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -22 विकासखण्ड मऊरानीपुर

ग्राम पंचायत बरौरा

ग्राम पंचायत बरौरा के वित्तीय वर्ष 2020.21 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विनीत वर्मा से बार बार मौखिक एवं लिखित अभिलेख मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए प्रिया सॉफ्ट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020.21 में कुल रु० 1457721.70 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए यथा कैशबुक खाता रजिस्टर पासबुक कार्ययोजना स्टाक रजिस्टर व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अचल सम्पत्ति रजिस्टर मांग संकलन चल सम्पत्ति रजिस्टर भण्डार पुस्तिका समेकित सार प्रपत्र सृजित सम्पत्ति रजिस्टर प्राकलन स्टीमेट निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी. आधी की जानी चाहिए। उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विनीत वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री रामकुमार व्यय धनराशि रु० 1457721.70 का अपहरण किया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -23 विकासखण्ड मऊरानीपुर

ग्राम पंचायत खिलारा

ग्राम पंचायत बरोरा के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रमेश कुशवाहा से बार बार मौखिक एवं लिखित अभिलेख मांगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए। प्रिया सॉफ्ट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु० 1031684.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए यथा कैशबुक खाता रजिस्टर पासबुक कार्ययोजना स्टॉक रजिस्टर व्यय प्रमाणक कार्यपूति प्रमाण पत्र अचल सम्पत्ति रजिस्टर मांग संकलन चल सम्पत्ति रजिस्टर भण्डार पुस्तिका समेकित सार प्रपत्र सृजित सम्पत्ति रजिस्टर प्राकलन स्टीमेट निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एवं मस्टर रोल पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी. आधी की जानी चाहिए। उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रमेश कुशवाहा विनीत वर्मा एवं पुष्पेंद्र कुमार ग्राम प्रधान श्री गनपत राम व्यय धनराशि रु० 1031684.00 का अपहरण किया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -24 विकासखण्ड बड़ागाँव

ग्राम पंचायत दिगारा

ग्राम पंचायत दिगारा द्वारा दिनांक 16.02.2021 को श्री शिवकुमार यादव को पूर्व माध्यमिक विद्यालय शंकरगढ़ मैदान में ऐपेक्स कार्य हेतु रु 96819.00 का मजदूरी भुगतान किया गया लेकिन वर्ष दौरान कैश बुक में उक्त कार्य हेतु कहीं भी सामाग्री खरीद का उल्लेख नहीं है। इस कार्य से संबंधित अन्य अभिलेख खुली बैठक की कार्यवाही स्टीमेट कार्ययोजना स्टॉक रजिस्टर रु 96819.00 का मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे उक्त मजदूरी भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त लेखा हेतु मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में दिए गये प्रावधान नियम के आलोक में रु 96819.00 धनराशि की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती प्रियंका शर्मा व ग्राम प्रधान श्री गोविंद सिंह से आधी आधी ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है !

प्रारूप- 4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

जनपद का नाम- ललितपुर

मण्डल का नाम- झाँसी

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपितियाँ-

ग्राम पंचायत- मसौराखुर्द

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 1

त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में शासनादेश संख्या 1133/33-2-2006-34जी0/01 दिनांक 20.03.2006 एवं शासनादेश संख्या 02/33-2-2014-34जी0/2001दी.सी.-11 दिनांक 07.11.2014 द्वारा ग्राम प्रधान को मानदेय भत्ता आदि राज्य वित्त से दिये जाने की व्यवस्था है। आगे पंचायतीराज अनुभाग- 1 शासनादेश संख्या 03/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के द्वारा भी ग्राम प्रधान के मानदेय भत्ता बढ़ाकर रूपया 3500=00 प्रति माह किया गया है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम निधि कोषवही/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार केन्द्रीय वित्त आयोग मद से रूपये 38500=00 का मानदेय भत्ता का भुगतान ग्राम प्रधान का किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान राज्य वित्त से न कर केन्द्रीय वित्त मद से करके गाइडलाइन एवं शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

इस प्रकार नियमानुसार केन्द्रीय वित्त से रू0 38500=00 का मानदेय भत्ता का भुगतान किया जाना अनियमित है। जिसके लिये ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अलका कुशवाहा एवं ग्राम प्रधान श्री हरीश कुमार उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 09

ग्राम पंचायत- खड़ेरा

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 2

त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में शासनादेश संख्या 1133/33-2-2006-34जी0/01 दिनांक 20.03.2006 एवं शासनादेश संख्या 02/33-2-2014-34जी0/2001दी.सी.-11 दिनांक 07.11.2014 द्वारा ग्राम प्रधान को मानदेय भत्ता आदि राज्य वित्त से दिये जाने की व्यवस्था है। आगे पंचायतीराज अनुभाग- 1 शासनादेश संख्या 03/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के द्वारा भी ग्राम प्रधान के मानदेय भत्ता बढ़ाकर रूपया 3500=00 प्रति माह किया गया है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम निधि कोषवही/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार केन्द्रीय वित्त आयोग मद से रूपये 28000=00 का मानदेय भत्ता का भुगतान ग्राम प्रधान का किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान राज्य वित्त से न कर केन्द्रीय वित्त मद से करके गाइडलाइन एवं शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

इस प्रकार नियमानुसार केन्द्रीय वित्त से रू0 28000=00 का मानदेय भत्ता का भुगतान किया जाना अनियमित है। जिसके लिये ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अलका कुशवाहा एवं ग्राम प्रधान श्री दासी कुशवाहा उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 09

ग्राम पंचायत- घटवार

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 3

त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में शासनादेश संख्या 1133/33-2-2006-34जी0/01 दिनांक 20.03.2006 एवं शासनादेश संख्या 02/33-2-2014-34जी0/2001दी.सी.-11 दिनांक 07.11.2014 द्वारा ग्राम प्रधान को मानदेय भत्ता आदि राज्य वित्त से दिये जाने की व्यवस्था है। आगे पंचायतीराज अनुभाग- 1 शासनादेश संख्या

03/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के द्वारा भी ग्राम प्रधान के मानदेय भत्ता बढ़ाकर रूपया 3500=00 प्रति माह किया गया है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम निधि कोषवही/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार केन्द्रीय वित्त आयोग मद से रूपये 38500=00 का मानदेय भत्ता का भुगतान ग्राम प्रधान का किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान राज्य वित्त से न कर केन्द्रीय वित्त मद से करके गाइडलाइन एवं शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

इस प्रकार नियमानुसार केन्द्रीय वित्त से ₹0 38500=00 का मानदेय भत्ता का भुगतान किया जाना अनियमित है। जिसके लिये ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अलका कुशवाहा एवं ग्राम प्रधान श्री शशिकान्त दीक्षित उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या- 09

ग्राम पंचायत- जामुनधाना खुर्द

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 4

त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में शासनादेश संख्या 1133/33-2-2006-34जी0/01 दिनांक 20.03.2006 एवं शासनादेश संख्या 02/33-2-2014-34जी0/2001दी.सी.-11 दिनांक 07.11.2014 द्वारा ग्राम प्रधान को मानदेय भत्ता आदि राज्य वित्त से दिये जाने की व्यवस्था है। आगे पंचायतीराज अनुभाग- 1 शासनादेश संख्या 03/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016 के द्वारा भी ग्राम प्रधान के मानदेय भत्ता बढ़ाकर रूपया 3500=00 प्रति माह किया गया है।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की ग्राम निधि कोषवही/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार केन्द्रीय वित्त आयोग मद से रूपये 31500=00 का मानदेय भत्ता का भुगतान ग्राम प्रधान का किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान राज्य वित्त से न कर केन्द्रीय वित्त मद से करके गाइडलाइन एवं शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

इस प्रकार नियमानुसार केन्द्रीय वित्त से ₹0 31500=00 का मानदेय भत्ता का भुगतान किया जाना अनियमित है। जिसके लिये ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अलका कुशवाहा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम रानी उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या- 09

ग्राम पंचायत- मिनौरा

विकास खण्ड: जखौरा

प्रस्तर- 5

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में संस्था सचिव द्वारा केवल कोषवही, बैंक पासबुक और खाता रजिस्टर ही उपलब्ध कराया गया। वर्ष दौरान कोषवही में कल रूपया 611144=00 व्यय किया जाना दर्शित है। किन्तु कोषवही में दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 क के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी”।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रूपया 611144=00 के सापेक्ष मूल अभिलेख सहित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक/पत्रावली विहीन व्यय उपहरण की श्रेणी में आता है। व्यय प्रमाणक/पत्रावली सहित कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से प्रतीत होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके

लिये तत्कालीन प्रधान श्रीमती रामकली और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 08

ग्राम पंचायत- रारा

विकास खण्ड: तालबेहट

प्रस्तर- 6

वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रारा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 09.03.2021 को खाता सं0(ग्राम निधि) 3519208193 सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तालबेहट से पी0एफ0एम0एस0 सं0 8478 द्वारा रुपया 3340=00 की बैंक निकासी बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है किन्तु उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का कोई भी विवरण ग्रा.पं. रारा की वर्ष 2020-21 की कोषवही में दर्शित नहीं पाया गया है जबकि लेखा मैनुअल के नियमानुसार प्रत्येक आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय का संपूर्ण विवरण कोषवही के व्यय पक्ष में दर्शित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त धनराशि रुपया 3340=00 का गबन/अपहरण किया गया है इसके लिये ग्राम प्रधान श्री धनीराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामदास सुमन जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि 3340=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 03

ग्राम पंचायत- सुनौरी

विकास खण्ड: तालबेहट

प्रस्तर- 7

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत सुनौरी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 03.12.2020 की ग्राम निधि खाता सं0 2090041388 सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तालबेहट से पी0एफ0एम0एस0 सं0 9493 द्वारा ₹0 70,000=00 का भुगतान श्रीमती आशा को किया गया जिसे ग्रा0पं0 सुनौरी की वर्ष 2020-21 की कोषवही में प्रधान को मानदेय (नवम्बर 2019 से नवम्बर 2020) की अवधि हेतु दिया जाना दर्शित है। इस प्रकार कोषवही में दर्शित मानदेय की कुल अवधि 13 माह की है जो कि नियमानुसार 3500=00 रुपया प्रतिमाह से 13 माह के लिये रुपया 45500=00 होती है जबकि उक्त 13 माह की अवधि कि लिये ग्राम प्रधान, श्रीमती आशा को रुपया 70000=00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार 24500=00 का अत्यधिक भुगतान किया गया है जो कि आपत्तिजनक है एवं गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि 2020-21 की ग्रा0पं0 सुनौरी की लेखा परीक्षा में मानदेय पंजिका बार-2 मांगने के वावजूद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम प्रधान श्रीमती आशा को दिये गये मानदेय की संपूर्ण धनराशि रुपया 70000=00 की पुष्टि नहीं की जा सकी है अतः पुष्टि के अभाव में इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उक्त संपूर्ण धनराशि रुपया 70000=00 का गबन/अपहरण किया गया हो। अतः धनराशि 70000=00 के गबन/अपहरण के लिये ग्राम प्रधान श्रीमती आशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामदास सुमन जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि 70000=00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 03

ग्राम पंचायत- धवारी

विकास खण्ड: महरौनी

प्रस्तर- 8

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक में दिनांक 17.08.2020 में 7794=00 रुपया सिंह कम्प्यूटर्स को भुगतान किया गया है जो कि कैशबुक में फोटोकॉपी तथा टाईपिंग हेतु व्यय दर्शित किया गया है। जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिये तत्कालीन ग्रा0पंचा/विकास अधिकारी श्री दीपक विश्वकर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमति जनक दुलारी उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 05

ग्राम पंचायत- सुकलगुवां**विकास खण्ड: महरौनी****प्रस्तर- 9**

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में कैशबुक में दिनांक 15.03.2021 को मु0 7800=00 रुपया श्री रामसिंह को भुगतान किया गया है जो कि कैशबुक में हैण्डपंप मरम्मत में व्यय दर्शित किया गया है। जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः व्यय प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिये ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कमलेश रिछारिया तथा ग्राम प्रधान श्रीमति ममता उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 05

ग्राम पंचायत- महोली**विकास खण्ड: बिरधा****प्रस्तर- 10**

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में दिनांक 02.04.2020 को 6800=00 रुपया श्री आनंद झा पुत्र श्री रतनलाल को भुगतान किया गया है जो कि कैशबुक में हैण्डपंप मरम्मत में व्यय दर्शित हैं जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिये ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आनन्द सोनी तथा ग्राम प्रधान (कमेटी) उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 05

ग्राम पंचायत- भौरदा**विकास खण्ड: बिरधा****प्रस्तर- 11**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक की जांच में पाया गया कि ग्राम निधि खाता सं0 31528728383 में निम्न धनराशियां

- (1) दिनांक 07.05.2020 को मु0 10000=00
- (2) दिनांक 24.02.2021 को मु0 10000=00
- (3) दिनांक 25.02.2021 को मु0 10000=00
- (2) दिनांक 10.03.2021 को मु0 10000=00

कुल धनराशि योग मु0 40,000=00 रुपया का अपहरण किया गया है। जिसका कैशबुक में व्यय से सम्बन्धित कोई भी विवरण नहीं दिया गया है अतः ये धनराशियां अवैध निकासी प्रतीत होती हैं। अतः लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसके लिये ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी कु0 रत्नेश कुमारी तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नीराजा उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 05

ग्राम पंचायत- मकरीपुर**विकास खण्ड: मड़ावरा****प्रस्तर- 12**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मकरीपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 12.03.2021 को पन्द्रहवा वित्त/2020-21/पी/7 पी.एफ.एम.एस. द्वारा मु0 36779=00 का भुगतान मेसर्स लोधी टेडर्स को किया गया एवं वर्ष 2020-21 की कोषवही में उपरोक्त भुगतान हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री उमाशंकर राजपूत जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 09

ग्राम पंचायत- गुरयाना**विकास खण्ड: मझवरा****प्रस्तर- 13**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत गुरयाना की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 22.11.2020 को 5वाँ राज्य वित्त/2020-21/पी/1 पी.एफ.एम.एस. द्वारा मु0 37830=00 सामग्री का भुगतान मेसर्स लोधी टेडर्स को किया गया एवं वर्ष 2020-21 की कोषवही में उपरोक्त भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रा कुमारी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री निखित मितल जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 09

ग्राम पंचायत- बडोखरा**विकास खण्ड: बार****प्रस्तर- 14**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 11.06.2020 को 5वाँ वित्त आयोग/2020-21/पी-1 पी.एफ.एम.एस. द्वारा मु0 35000=00 बुन्देलखण्ड बिल्डर्स को भुगतान किया गया एवं वर्ष 2020-21 की कोषवही में उपरोक्त व्यय भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर किया गया है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री हरिराम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र कुमार जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपति संख्या- 09

ग्राम पंचायत- सूरीकलां**विकास खण्ड: बार****प्रस्तर- 15**

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25.09.2020 को वित्त आयोग/2020-21/पी-11 पी.एफ.एम.एस. द्वारा मु0 12202=00 गायत्री कम्प्यूटर को भुगतान किया गया एवं वर्ष 2020-21 की कोषवही में उपरोक्त व्यय भुगतान स्टेशनरी सामग्री पर दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती फूलावाई एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनय खरे जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

मूल आपति संख्या- 09